❀ ओ३म् ❀

कुरआन-परिचय

अर्थात

कुरआन पर अनुसन्धानात्मक ...

प्रथम खण्ड

दयानन्द ... 5324

लेखक

देव प्रकाश

भूतपूर्व आचार्य अरबी-संस्कृत महाविद्यालय
अमृतसर

❀

प्रथमावृति १००० | २६ जनवरी १९७० | मूल्य ५ रूपये

प्रकाशक
ओमप्रकाश आर्य
आर्य-समाज रतलाम म. प्र.

सर्वाधिकार लेखकाधीन

मुखपृष्ठ सज्जा
श्री दुर्गाशंकर शर्मा
२ जाट मुहाल, रतलाम

पुस्तक मिलने का पता—
(१) पं. रुद्रदत्तजी प्रधान आर्य-समाज बाजार लछमण सर अमृतसर
(२) श्री गौरीशंकरजी कौशल आर्य-वीर दल, भोपाल
(३) आर्य-समाज उज्जैन नई सड़क
(४) श्री अमर स्वामीजी सरस्वती संन्यास आश्रम गाजियाबाद
(५) आर्य-समाज रतलाम.

मुद्रक
श्री शारदा प्रिंटिंग प्रेस
चांदनीचौक, रतलाम

समर्पण

—※—

शास्त्रार्थ महारथी, व्याख्यान मार्तण्ड, त्यागी-तपस्वी
एवं जीवनपर्यन्त आर्य-समाज के प्रचार-प्रसार
तथा विरोधियों के समक्ष सत्यासत्य के
निर्णयार्थं धर्म-चर्चा में रत और
मेरे परम स्नेही, सुहृदय सखा,
जिनके आग्रह से इस ग्रन्थ की
रचना सम्भव हुई।

उन्हीं—

श्री पूज्य अमरस्वामीजी सरस्वती

की

सेवा में यह ग्रन्थ सादर-सप्रेम-सानुरोध समर्पित है।

-देव प्रकाश

धन्यवाद-ज्ञापन

सबसे पहले में अपने बालपन के परम स्नेही मित्र श्री लाला रूलदूरामजी मेहरा अमृतसरी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिनके आर्थिक सहयोग से प्रस्तुत पुस्तक " कुरआन परिचय " के प्रकाशन में सहायता मिली है।

ऐसे ही श्रद्धेय स्वर्गीय ला० जगतराम जी एस० डी० ओ० अमृतसर निवासी को भी धन्यवादपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पित करता हूँ, जिनकी प्रकाशित पुस्तक की आय से इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग मिला है।

साथ ही मध्यप्रदेश के सुकवि एवं नगर के पत्रकार श्री शशि भोगलेकरजी ने पुस्तक की पांडुलिपि लेखन, मुद्रण संशोधन एवं प्रकाशन में जो सहयोग दिया उसके लिये मैं उनका भी आभारी हूँ, और धन्यवाद करता हूँ। इत्यम्।

—देव प्रकाश

❀ ओ३म् ❀

भूमिका

आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता श्री पं. नरेन्द्रजी प्रधान आर्य-प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण हैदराबाद (आ० प्र०)

—:—

असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमयेति

हे जगत रक्षक परमात्मन ! आप हमको असत् मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग की ओर ले चलो। अविद्या अन्धकार से छुड़ा कर विद्यारूपी प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु रुपी दुःख से पृथक करके मोक्ष के आनन्दरुप अमृत की ओर ले चलो।

मनुष्य का अत्यन्त पुरूषार्थ यही है कि वह असत्-तम, तथा मृत्यु के पाशों से छूट कर मोक्ष को स्वयं भी प्राप्त करे और अन्यों को भी इस अमृत पद की ओर ले जावे। यह सर्व मान्य सिद्धान्त है कि जब तक मनुष्य इन बन्धनों में बँधा रहेगा तब तक वह परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता।

मैं जिस पुस्तक की यह भूमिका लिख रहा हूँ उसके लेखक का भी यही मूल लक्ष्य है, कि मनुष्य अंधकार तथा मिथ्या विश्वासों को छोड़ कर प्रकाश का मार्ग ग्रहण करते हुये परम-धाम को प्राप्त करें। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि के भूषण से विभूषित किया है, वह यदि चाहे तो सत्य, असत्य को अच्छी प्रकार जान सकता है। परन्तु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को किसी दूसरे के आधीन कर रखा हो. वे इससे लाभ नहीं उठा सकते। इस्लाम के संस्थापक ने कुरआन की भाषा में यों कहा हैः—

व मा काना ले मोमनिव्वं ला मोमिनतिन इजा कज़ल्लाहो व रसूलोह अमरन अंय्यकूना लहोमुल्खियरतो मिन् अम्रेहिम व मय्यासिल्लाहा व रसूलहू फ़कद ज़ल्ला ज़लालम्मुबीना ।

कुरआन पारा २२ रकू ५/२

इसका अर्थ यह है किसी मुसलमान पुरुष तथा स्त्री के लिये योग्य नहीं कि उनके लिये जो काम खुदा और रसूल निश्चित करे. उसकी वे अवज्ञा करें ऐसा करने पर वे निश्चित पथभ्रष्ट हो जायेंगे। उस अवस्था में जबकि वह काम उनके अधिकार में हो। अर्थात हजरत मुहम्मद ने जैनब को जैद के साथ शादी करने के लिये कहा और उसके भाई अब्दुल्ला को भी इस सम्बन्ध में कहा, परन्तु दोनों ने इन्कार कर दिया। इसी सम्बन्ध में यह आयत कही जाती है। कि जिस कार्य का आदेश खुदा और रसूल ने दिया हो, उसकी अवज्ञा करने वाला पथभ्रष्ट हो जाता है। इस कल्पित खुदाई आज्ञा को सुन कर दोनों की गर्दनें झुक गई और वे विवाह करने पर विवश हो गये।

जब ऐसी आयतों द्वारा मनुष्यों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर दिया गया हो, तो वे अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुसलमानों के मस्तिष्क में यह विचार कूट-कूट कर भर दिया गया है कि, जो कुछ कुरआन में है वह पूर्ण सत्य है, और इस्लाम ही सच्चा मज़हब है।

जैसा कि—कुरान में यह उद्घोष है कि "**इन्नद्दीना इंदल्लाहिल्इस्लाम**" कुरान पारा ३ रकू २/१० इसका अर्थ तफसीर कादरी में इस प्रकार लिखा गया है। निसन्देह इस्लाम ही ईश्वर के निकट उत्तम मज़हब है, ईसाई और यहूदी मज़हब नहीं।

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ ६६

इसी प्रकार क़ी एक अन्य आयत भी क़ुरान में निम्नलिखित है:— " व मय्यंब्तग़ ग़ैरल्इस्लामे दीनन फलय्युंक्बलो मिन्हो व हुवा फिल आख़ेरते मिनल्ख़ासेरीन " ।

कु० पारा ३, र० ६/१७

इसकी व्याख्या तफसीर मजहरी पृष्ठ ८८५ में इस प्रकार की गयी है, जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई दूसरा मत स्वीकार करेगा, (दीन इस्लाम से तात्पर्य है अद्वैत और ईश्वर की आज्ञा पालन करना है) तथा हजरत मुहम्मद के मत को जो तमाम मजहबों को निरस्त करने वाला है, तो उससे कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा तथा उसकी इच्छा के प्रतिकूल होगा, और वह परलोक में हानि उठाने वालों में से होगा।

इस्लाम मत मानने वालों के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बियों को जिन शब्दों से सम्बोधित किया गया है उसे नीचे लिख रहा हूँ—
"इन्ना शर्रद्दवाब्बे इन्दल्ला हिल्लजीना कफरु फहुम लायोमेनून"

कुरआन पारा १० रकू ७/३

इसकी व्याख्या तफसीर मजहरी भाग ५ पृष्ठ १५० में इस प्रकार लिखी है:—निस्सन्देह वह मनुष्य ईश्वर के निकट निकृष्टतम पशु है जो कुफ्र (अविश्वास पर जमें रहे) वह विश्वास नही लायेंगे। इस आयत में बतलाया गया है कि जो मुसलमान नहीं होते वे निकृष्टतम पशु है। यह एक ऐसी धारणा है, जो मनुष्य को अन्य मनुष्य से घृणा करना सिखलाती है। अर्थात दुसरे सम्प्रदाय का व्यक्ति चाहे कितना ही सदाचारी, सत्यनिष्ट तथा श्रेष्टतम पुरुष क्यों न हो वह इस्लाम की दृष्टि में अत्यन्त हेय पशु सदृश्य है। इसी आधार पर मौलाना मुहम्मदअली जो महात्मा गांधी के निकटतम साथियों में से थे, कहा था कि फाजिर से फाजिर मुसलमान भी महात्मा गांधी से श्रेष्टतम है।

इसी दोष की निवृति के लिये पुस्तक लेखक ने यह प्रयास किया है कि लोग अन्ध परम्परा को त्याग कर अपनी बुद्धि को उपयोग में लावे, और सत्य व असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण करें।

एक और आयत नीचे लिख रहा हूँ जिसमें मुसलमानों को अन्य मतावलम्बियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय उसकी चर्चा की है:—
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहे-वल्लज़ीना मआहु अशिद्दाओ अलल्कुफ्फारे रोहमाओ बैनहुम" इत्यादि।

कु० पा० २६ रकू ४/१७ सु० फह

इसकी व्याख्या तफसीर कादरी में इस प्रकार की गयी है:—मुहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल है और जो मुसलमान उनके साथ है वे काफिरों के लिये अत्यन्त कठोर हृदय और बहुत कड़े हैं, और आपस में दयावान है। अर्थात मुसलमानों के लिये कोमल हृदय वाले है।

तफसीर कादरी भाग २ पृष्ट ४५०

उपरोक्त आयतों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कुरआन का खुदा केवल मुसलमानों को ही स्वीकार करेगा और वे मुसलमान कि जो अन्य मतावलम्बियों के लिये कठोर हृदय रखते हैं, और मुसलमानों से नम्रता तथा कोमलता का व्यवहार करते हैं, एसी ही अनेक आयतें दुसरों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाली, द्वेष फैलाने वाली कुरआन में वर्णित है।

इसके साथ ही पुस्तक लेखक ने प्रबल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि जब तक प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित विषयों को न जान लिया जाए तब तक केवल कुरआन के अर्थ मात्र पढ़ लेने से कुरान की वास्तविकता को नहीं जाना जासकता। उन सब विषयों को पुस्तक में देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त कुरान के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण इस्लाम के मतानुसार लिखा गया है कि कुरान कब बना, कहां लिखा गया, कहां से और कैसे, हजरत मुहम्मद साहिब के पास पहुंचा। और आयतें किस प्रकार बनती रहीं। हज़रत मुहम्मद साहिब के निधन के पश्चात कुरआन किस प्रकार कहां २ से एकत्रित किया गया तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से कुरआन-पाठ करने पर मुसलमानों में कितने झगड़े हुए तथा कितना कुरआन था, और कितना शेष रह गया। इसका पूरा विवरण आपको पुस्तक में मिलेगा। इस कुरआन के अतिरिक्त कुरआन जैसी और भी पुस्तकों के उद्धरण, जिनको भिन्न-भिन्न लोगों ने ईश्वर से प्राप्त हुआ प्रकट किया था उनके नमूने कुरआन की आयतों के साथ साथ दिये गये हैं, और कुरआन में अन्य लोगों का कितना कलाम है इसको विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया गया है।

यह प्रथम खण्ड जो कि 'कुरआन पर अनुसन्धानात्मक दृष्टि' के नाम से जनता के हाथों में आ रहा है, माननीय पण्डितजी देवप्रकाशजी के कुरान विषयक अतिगहन स्वाध्याय को प्रकट करता है। कुरान को अनुसन्धानात्मक दृष्टि से, यदि पाठक इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ लेंगे तो वे कुरआन के वास्तविक रहस्यों को समझ सकेंगे।

इस ग्रन्थ में कुरआन का वास्तविक स्वरुप संक्षेप में सप्रमाण प्रस्तुत किया गया है। अनेक गम्भीर किन्तु अति महत्वशाली विभिन्न विषयों को इस पुस्तक में पढ़ने के उपरान्त प्रत्येक पाठक के लिये कुरआन पर पंडितजी के विस्तृत भाग को समझने में सफलता हो जायेगी और कुरआन के तात्पर्य को समझने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे।

मैं इस ग्रन्थ का हार्दिक स्वागत करता हूँ और माननीय श्री प० देवप्रकाशजी को इस उत्तम ग्रन्थ के लिखने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

ओ३म्

स्वामी शिवानंदजी सरस्वती का दृष्टिकोण

ईश्वर, धर्म और राज्य

❀

प्राचीन काल से ही धर्म और ईश्वर का प्रभाव संसार के मनुष्यों में चला आ रहा है। जब कभी किसी व्यक्ति के हृदय में शासन को प्राप्त करने का प्रश्न जागृत हुआ तो उसने इन्हीं दोनों शक्तियों का आश्रय लेकर ही शासन सत्ता को प्राप्त किया। संसार में एक ही धर्म चला आता था परन्तु चार हजार वर्ष पूर्व पारसीमत के संस्थापक ने पुराने सिद्धान्तों में थोड़ा परिवर्तन करके राज्य शक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने मत की स्थापना की अभी यह मत ईरानकी सीमा से बाहर निकलने ही नही पाया था कि हजरत मूसा का जन्म हुआ। मूसा मिश्र के शासक के संरक्षण में पला था। उसके अन्तःकरण में शासन प्राप्ति का विचार आना एक स्वाभाविक बात थी। मूसा जब एक निरापराध व्यक्ति की हत्या करने के कारण अपने सँरक्षक के घर से भाग गया तो भेड़ बकरियां चराते हुये भी उसके मन में शासन प्राप्तिका विचार हिलोरे लेता रहा, उसने शासन प्राप्ति के लिये ईश्वर और धर्म का सहारा लेना उपयुक्त समझा और उसने इस अभियान को सफल बनाने के लिये ईश्वर और धर्म के साथ एक और शब्द जोड़ने की कल्पना की जिसे "पैगम्बरी" कहते है। उसने कहा कि मुझे ईश्वर तूर पहाड़ पर मिला है, और उसने पत्थर की पाटियों पर अपनी अँगुलियों से लिखकर

यह धर्म पुस्तक दी है। और मुझे अपना संदेश वाहक (पैगम्बर) बनाकर आप लोगों के पथ प्रदर्शन के लिये भेजा है। मुसा की यह कल्पना राज्य सत्ता प्राप्ति में सिद्ध प्रमाणित हुई। और मुसा एक बड़े प्रदेशका शासक बन गया न केवल मुसा ही अपितु इसके अनुयाई भी डेढ़ हजार वर्षों तक मुसाके सिंहासन पर ही राज्य करते रहे। इन्ही यहूदियों के शासन काल में ही हजरत ईसा की उत्पति हुयी। उसने ईश्वर धर्म और पैगम्बरी के साथ एक शब्द और जोड़ दिया जिसे उसने "ईश्वर पुत्र" के नाम से सम्बोधित किया और सत्ता प्राप्ति हेतु प्रचार भी आरम्भ किया और शिष्य मण्डल भी बनाया। सत्ता प्राप्त करने की इच्छा उसमें इतनी प्रबल थी कि उसने शिष्यों के द्वारा अपना एक जलूस निकलवाया जिसमें यह उदघोष किया गया। (धन्य, इस्राईल का राजा, जो प्रभु के नाम से आता है" यूहन्ना, १२/१३-१४) ईसा ने यह भी कहा (परन्तु मेरे उन वैरियों को जो नही चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूँ उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो" लूका, १९/२७) इस से ज्ञात होता है कि मसीह ने राज्य प्राप्ति का यत्न तो किया परन्तु उसे अधिक समय न मिला और उसे सूली पर लटका दिया गया। परन्तु वह अपने चेलों को इसी मार्ग का अवलम्बन करने के लिये उपदेश दे गये। और चेलों ने उसी के पद चिन्हों पर चल कर राज्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात लगभग सात सौ वर्ष हुये कि हजरत मुहम्मद साहब का आगमन हुआ। उन्होंने भी इसी पद्धति को अपनाया और पैगम्बर होने के अतिरिक्त उसके साथ ये शब्द जोड़ दिया कि मैं अन्तिम पैगम्बर हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि हजरत मुहम्मद साहब ने भी अपने पूर्व वर्ती महानुभावों का अनुशरण करते हुये राज्य प्राप्त करने में सफल हुये। जैसा कि मैं पूर्व

लिख चुका हूँ, ये सारी कारवाइयां केवल राज्य प्राप्त करने में साधन मात्र थी, ईश्वर और धर्म केवल राज्य प्राप्ति के लिये साधन मात्र थे। इतिहास जिसका साक्षी है। यदि धर्म और ईश्वर वास्तविक रुप में इनके साथ होता तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान पृथ्वी के कण कण को मानव रक्त से रंज्जित नही करते। उपरोक्त विषयों को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत पुस्तक "कुरआन परिचय" में प्रबल प्रमाणों से प्रमाणित किया गया है। मैं उन प्रमाणों को लिखकर पुस्तक और आपके बीच बाधक नहीं बनना चाहता हूँ, आप स्वय इस पुस्तक को पढ़ें, मेरा अपना विश्वास है कि कोई भी मनुष्य चाहें जिस किसी सम्प्रदाय का क्यों न हो, इस पुस्तक के पढ़ने से उस पर वास्तविकता प्रकट हुवे बिना नहीं रहेगी। और वह सत्य को उपलब्ध करने में सफल होगा। इति।

—:अनुक्रमणिका:—

१	प्रारम्भिक निवेदन	१३
२	उपक्रमणिका	१५
३	कुरआन जानने के लिए आवश्यक प्रक्रियायें	२१
४	कुरआन का नाम	२३
५	एक बात का ध्यान रक्खें	२७
६	कुरआन का अविर्भाव	२७
७	कुरआन के नाज़िल होने में विभिन्नता	३१
८	लोह महफ़ूज़ से कुरआन कैसे उतरा	३२
९	सम्पूर्ण कुरआन जिब्रील नहीं लाया	३६
१०	सात आस्मानं	३८
११	कुरआन के नाज़िल होने की कहानी	४५
१२	कुरआन भिन्न क्यों उतारा	५२
१३	कुरआन कैसा और किन २ स्थानों पर उतरा	५८
१४	मक्की मदिनी आयतों की पहचान	५९
१५	हजरत मुहम्मद की अवज्ञा का परिणाम	७२
१६	प्रथम कौनसी आयत उतरी	७५
१७	उन्तिम कौनसी आयत उतरी	७६
१८	कुरआन का सात करात और सात हरूप का विषय	७८
१९	कुरआन के विभिन्न पठन पाठन पर विवाद	९२
२०	क्या ज़ैद ने अन्तिम दौर का कोई कुरआन लिखा	९७
२१	अबु बक्र ने पहले ज़ैद से कुरआन जमा कराया	९८
२२	ज़ैद ने कुरआन कहां कहां से एकत्रित किया	१०२
२३	हज़रत उस्माने ने वर्त्तमान क़ुरान को क्यों और कैसे एकत्रित किया	११०
२४	हज़रत उस्मान के कुरआन में गात्रायें	११७
२५	कुरआन की सूरतें, आयतें, वाक्य व अक्षर	११९

२६	कुरआन की मात्रायें लगाने का वर्णन	१२६
२७	कुरआन में नवही (व्याकरण) भूलें	१३१
२८	स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग	१४२
२९	आयतों के उतरने का कारण	१४६
३०	कुरआन में शराद हसम होने की विचित्र कथा	१५०
३१	कुरआन की आयतें उतरने का कारण	१५७
३२	कुरआन में विभिन्न लोगों के कलाम (वाणी)	१८१
३३	हजरत उमर का कलाम	१८३
३४	नजर बिन हारस का दावा	२१६
३५	हजरत मुहम्मद के समय में अन्य लोगों द्वारा पैगम्बरी का दावा वा अन्य कुरआन सृजन	२१८
३६	लोग हजरत से चमत्कार माँगते थे	२३३
३७	ईसा के शिष्यों का चमत्कार	२५२
३८	कुरआन में शैतान का कलाश	२५६
३९	पूर्व आयत में की गई भूल का सुधार	२६८
४०	आदम को शैतान ने कैसे बहकाया	२७७
४१	आदम व हव्वा के बहकने से कुरआन पर एक जटिल प्रश्न	२६२
४२	फरिश्ते सजदा में कितनी देर रहे	२९६
४३	कयामत के दिन शैतान का प्रवचन	२९८
४४	शैतान ने हजरत मुहम्मद के प्रवचन में मिलावट करदी	३०१
४५	फरिश्तों का कुरआन में कलाम	३०७
४६	हजरत मर्यम के साथ फरिश्ता का कलाम हजरत ईसा की उत्पत्ति बाबत	३२१
४७	हजरत दाऊद के समक्ष फरिश्तों का अभियोग	३२४
४८	हजरत मूसा के वस्त्र पत्थर ले भागा	३२५

४६ कुरआन में दो प्रकार की आयत मोहकमात मुत-शाबेहात ३३७
५० तफसीर इत्तेकान में मुतशाबेहात के कुछ नमूने ३६६
५१ कुरआन का एक और भ्रान्ति पूर्ण विषय नासिखो मनसूख ३८४
५२ रोजा सम्बधी विभिन्न आज्ञाएं ४००
५३ युद्ध वर्जित महीनों में युध्द की कहानी ४०४
५४ शारीरिक और मान्सिक कर्मों का हिसाब होगा ४१२
५५ व्यभिचारी पुरुष व्भिचारी स्त्री से विवाह करे ४२१
५६ हजरत मुहम्मद को वर्त्तमान स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से विवाह करने के विषय में ४२३
५७ हजरत मुहम्मद को अपनी पत्नियों के बिषय में पूर्णाधिकार ४२५
५८ हजरत ने कहा मैं नहीं जानता मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा ४३७
५९ अब्द व्याख्याकारों के आधार पर निरस्त आयतें ४४०
६० जहाद के विषय में जानकारी पहले और पिछले हुकम ४४०
६१ अल्लामा स्यूती वर्णित निरस्त आयतों की सूची ४४५
६२ कुरआन में परस्पर विरोधी आयतें ४९२
६३ विश्व ६ दिन में कैसे बनाया ४९४
६४ छे दिन नहीं आठ दिन में बनाया ४९५
६५ मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है ५००
६६ मनुष्य कर्मों में स्वतन्त्र नहीं ५०१
६७ कर्म फल देने में विरोध ५०५
६८ कयामत के दिन खुदा उन से बात न करेगा ५११
६९ खुदा अवश्य उन से प्रश्न करेगा ५१२

७० खुदा कर्म पत्र पढसे को कहेगा ५१२

७१ कर्मो का तौल होगा ५१४

७२ मुसलमान नर्क से दूर रहेंगे ५२०

७६ प्रत्येक जीवधारी को जल से उत्पन्न किया ५२२

८४ खुदा बुरी बातों का आदेश नही देता इसके विप- रीत ५२५

७५ कयामत के दिन कोई किसी का बोझ न उठायगा ओर इसके प्रति कूल ५२६

७६ कुरआन की अस्पष्ट आयतें ५३८

७७ हजरत मुहम्मद को धर्म पत्नियो पर अधिकार ५६६

७८ हजरत मुहम्मद साहिब और जैद का किस्सा ५७०

७९ दासी मारया का किस्सा ५८१

८० खुदा का तख्त आठ फरिश्ते उठा कर लायेंगे ५९१

८१ कसमें खाने के विषय में ५९६

८२ आयतों के साथ फरिश्तों का उतरना ६०६

८३ कुरआन की विषय सूची ६२८

८४ हजरत मुहम्मद के युद्ध ६१२

८५ कुरआन अरबी के अति रिक्त अन्य भाषाओं के शब्द

❀ प्रारम्भिक निवेदन ❀

मेरे परम स्नेही मित्रों ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि मैं इस्लाम की मान्य पुस्तक 'कुरआन' के सम्बन्ध में विवेचनात्मक पुस्तक लिखूं, जिसमें 'कुरआन' की वास्तविकता तथा उसके सिद्धांतों का तार्किक एवं प्रामाणिक निरूपण हो। मैंने भी अपने इन मित्रों की इस शुभेच्छा को शिरोधार्य कर स्वीकार किया और ऐसी पुस्तक का लिखना आवश्यक समझा। क्यों कि 'कुरआन' के नाम पर दुहाई देने वालों के सन्दर्भ में इस बात को जानना अत्यन्त आवश्यक है कि वे स्वयं 'कुरआन' को कहां तक समझते हैं। जो लोग केवल 'कुरआन' के अर्थों को पढ़कर यह समझ लेते हैं कि हमने 'कुरआन' को जान लिया है, वे भ्रान्ति में हैं। उनको तथा सत्यान्वेषी सज्जनों को इस बात का यथार्थ ज्ञान हो जाय कि केवल लिखित अर्थ पढ़ लेने से 'कुरआन' का ज्ञान नहीं हो सकता। अत: मैंने उचित समझा कि 'कुरआन' और उसके समझने के लिए जो आवश्यक नियम तथा साधन है, उन्हें प्रतिपादित करूं; ताकि लोग भ्रान्ति से बच सकें।

हमने इस ग्रन्थ में विशेष समालोचनात्मक अथवा वाद विवादात्मक दृष्टिकोण न अपनाकर केवल सामान्यतया 'कुरआन' की वास्तविक शिक्षाओं को ही सर्व साधारण के सन्मुख प्रस्तुत करना उचित समझा है। आजकल 'कुरआन' से सम्बन्धित जो हिन्दी में साहित्य प्रकाशित हो रहा है, उसके मिथ्या प्रभाव से सीधे साधे सज्जनों को बचाया जाय और इसके प्रति साम्प्रदायिक तथा संकुचित विचारों के लोग भी सत्य और असत्य

का निराकरण कर सकें, क्यों कि सत्य ऐसा ज्ञान है, जो मानव मात्र से प्रेम, पवित्रता, शुभकर्म, आत्माभिमान और वसुधैव कुटुम्बकम् की पवित्र भावना उत्पन्न करता है, परन्तु जो मनुष्य सर्वप्रियता को प्राप्त करने के लिए सत्य को त्याग चातुर्य बल पर मिथ्या प्रयास करते हैं, वे मनुष्यता के अधिकारी नहीं। मनुष्य वही है, जो अपनी आत्म-भावना से किसी भी मूल्य पर वंचित नहीं होता। आत्म भावना का यह अर्थ नहीं कि वह इस आड़ में दूसरों की भावनाओं के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र और मानवता के हित में भी हानिकारक होती है। जो दूसरों के मन में द्वेष, क्रोध और आवेश उत्पन्न कर उन्माद को जन्म दे, जिससे वे सत्यता को स्वीकार करने की योग्यता ही खो बैठे। इसके अतिरिक्त ऐसे मनुष्य भी हैं जो सत्यासत्य का अवलोकन किये बिना उन्मत्तस्वरुप अपनी मनोभावनाओं से प्रेरित हो विनाश का कारण बनते हैं। वे सर्वाधिक हानिकारक है।

मनुष्य के लिये उचित यही है कि वह अपने अन्तःकरण में दूसरों की बात को सुनने की क्षमता भी उत्पन्न करे। ऐसा करने पर ही वह सत्य को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं।

—: उपक्रमणिका :—

मैं कुरआन के सम्बंध में कुछ लिखना प्रारम्भ करूँ, इसके पूर्व यह लिखना आवश्यक समझता हूँ, कि कुरआन, बाईबिल और इन्जील को भी ईश्वरीय ज्ञान मानता है, और कुरआन का अधिकांश भाग बाईबिल से ही लेकर लिखा गया है।

-: बाईबिल के सम्बंध में कुरआन की सम्मति :-

आयत:—

'व मिन कबलेही किताबो मूसा इमामंव्वा रहमतन वा हाजा किताबुम्मुसद्दे कुल्लेसानन् अरबिय्यल्ले युन्जेरल्लाज़ीन ज्वलमू वा बुशरालिल मुहसेनीन्'

कुरआन, पारा २६, रकू २।२

अर्थात्—और यह समाचार है, कि कुरआन से पूर्व मूसा की किताब (तौरेत) थी, और हम (खुदा) ने उसे दीनदार (ईमान वाले) लोगों के हेतु पथ-प्रदर्शक, और दया का कारण उन लोगों के हेतु जो इस पर विश्वास करते हैं, किया है, और यह पुस्तक कुरआन, तौरेत या अरबी भाषा में जितनी पुस्तकें उतरी है, उनका समर्थन करने वाली है, ताकि उन लोगों को भयभीत करे जिन्होंने जुल्म और पाप कर अपनी आत्मा (नफस) पर अत्याचार किया। कुरआन, नेक कार्य करने वालों को खुदा की सहमति की शुभ सूचना देने वाला है।

तफसीर कादरी, पारा २६, पृष्ठ ४२८

तौरेत को समर्थन देने एवं प्रमाणित करने हेतु कुरआन में और भी आयतें है, परन्तु उनको न लिखते हुए इन्जील के सम्बंध में एक आयत प्रस्तुत है:—

'वा कफ़्फ़ैना अला आसारेहिम बेईसब्ने मर्यमा मुस्हे क़ल्लेमा बैनायदैहे मिनत्तौराते वा आतेनाहुल इन्जीला फीहे हुदंव्वा नूरुंव्वां मुसद्द्‌ कल्लेमा बैनायदैहे मिनत्तौराते वाहु दंव्वा मौइजतल्लिल मत्तोकीन'

कुरआन, पारा ६, रकू ७।११

अर्थात्—हम पूर्व पैगम्बरों के पश्चात मरियम के पुत्र ईसा को लाये है। इस परिस्थिति में कि वह समर्थक था। उस वस्तु (पुस्तक) के हेतु कि हमने उसके पूर्व में तौरेत भेजी थी और इसको इन्जील दी। उसमें हिदायत (शिक्षा) है, तौहीद (अद्वैत) की, और सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला प्रकाश है। हमने इन्जील को धर्म के सिद्धांतानुसार, जो उससे पूर्व पुस्तक तौरेत थी, उसका मार्ग-दर्शन करने हेतु शिक्षादायक है, पवित्र मनुष्यों के हेतु।

तफसीर कादरी, पारा ६ पृष्ठ २२९

उपरोक्त आयतों में यह बताया गया है, कि तौरेत और इन्जील दोनों ही ईश्वर की ओर से ज्ञान, शिक्षा और सन्मार्ग का प्रकाश देने वाली प्रमाणिक पुस्तकें हैं।

हजरत मुहम्मद ने उक्त दोनों पुस्तकों को प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकारा ? जब कि इन्जील केवल मसीह की यात्रा वर्णन होने से मात्र एक ऐतिहासिक यात्रा पुस्तक है, और तौरेत पशु-पक्षियों के बलिदान वर्णन से परिपूर्ण पुस्तक है, जिसे हजरत मुहम्मद स्वीकार नहीं करते। फिर इन पुस्तकों को

स्वीकारने का एकमात्र कारण यही दृष्टिगत होता है कि जिन लोगों में हज़रत मुहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करना था, वे बाईबिल (इन्जील) और तौरेत के समर्थक थे, और प्रचार करने का यह ढंग भी अति उत्तम है कि उनकी धार्मिक पुस्तकों को सत्य कह कर उनकी प्रशंसा की ओट में अपने धर्म का प्रचार व प्रसार उन लोगों में किया जाये। यह मार्ग प्रचार के लिए बहुत सरल है।

यदि यह कहा जाता कि तुम्हारी धार्मिक पुस्तकें मिथ्या हैं, और केवल मेरा मत सच्चा है। निश्चित ही वे लोग भड़क जाते और उनकी बात सुनने को कोई भी तत्पर नहीं होता, किन्तु इन दोनों बातों में कोई विशेष अन्तर नहीं। यदि कह दिया जाये कि तुम्हारी पुस्तकें मिथ्या है, अथवा यह कह दिया जाये कि तुम्हारी पुस्तकें सत्य है, उसे ही स्वीकारना चाहिये। मैं संशोधन करने आया हूँ। इन दोनों स्थितियों में निर्णायक सत्य यह है कि पूर्व पुस्तकों का कोई महत्व अथवा अस्तित्व नहीं है।

अतः स्पष्ट उदाहरण हमारे सम्मुख है, कि किसी भी मुसलमान ने अपनी धार्मिक पुस्तक और अपने मन्तव्यों पर चलने हेतु इंजील और तौरेत को नहीं स्वीकारा और अपने सिद्धांतों की पृष्ठभूमि के रूप में मात्र कुरआन को ही दृष्टिगत रखा। मुसलमानों ने न कभी तौरेत को आधार मान पशु-पक्षियों का बलिदान, और न कभी इंजील को मानकर तीन खुदाओं को स्वीकारा है। इन दोनों स्थितियों में स्वयं ही उक्त पूर्व पुस्तकों का त्याग हो जाता है, और यही उनका एकमेव उद्देश्य भी था कि इन पुस्तकों से मनुष्यों को परे कर केवल कुरआन का ही प्रमाण स्थापित करने से यह समस्त प्राचीन पुस्तकें स्वमेव ही

समाप्त हो जायेगी और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया, इन्होंने सर्वथा तौरेत, इंजील और जबूर को त्याग दिया और इनको माननेवालों को काफिर और नर्कगामी कहा।

अब शेष रहा, मसीह को इंजील देना? उसको तो ज्ञात ही नहीं था कि इंजील क्या होती है? क्यों कि मसीह की मृत्यु के बहुत वर्षों के पश्चात उसके चार शिष्यों ने मसीह का जीवन वृतान्त लोगों के सम्मुख रखा।

फिर भी जिन पुस्तकों की श्रृंखला में कुरआन को पिरोया गया है, वह तौरेत और इंजील है। इनको साथ मिलाकर हजरत मुहम्मद अपने सम्प्रदाय को इनसे सम्पुष्ट कर अपने मत को प्राचीन घोषित करने योग्य हो गये? और बाईबिल के समस्त प्रमुख नेताओं को इस्लाम की माला में पिरो लिया, तथा उनको और अनुकरणीय लोगों को मुसलमान कह कर ही सम्बोधित किया गया। उनकी यह मुसलमानी हजरत मुहम्मद तक ही सीमित रही, किन्तु जब हजरत मुहम्मद को उन लोगों ने रसूल (पैगम्बर) नहीं स्वीकारा, तो वही मुसलमान, और उन्हीं इलहामी (ईश्वरीय) पुस्तकों के समर्थक काफिर हो गये एवं जिन पुस्तकों को ज्ञान, शिक्षा व सन्मार्ग का प्रकाश देने वाली घोषित की थी, वह समस्त पुस्तकें कुफ्र की झोली में डाल दी गई। यह कुरआन का उपक्रम है।

—: हजरत मूसा की कल्पना :—

हजरत मूसा को प्रथम पुस्तक 'सृष्टियुत्पत्ति' है। उसमें आपने सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बंध में जो विवरण लिखा, वह निम्नानुसार है :—

महाराजा युधिष्ठर के १५७३ वर्षों के पश्चात् मिश्र में फिरऔन नामक शासक शासन करता था, जो कि मिश्री जाति का था। उसी के शासन काल में मूसा नामक एक व्यक्ति इब्रानी वंश में हुआ, और फिरऔन के यहां ही पोषित होकर अन्ततः इस स्थिति को पहुँचा।

फिरऔन के शासन काल में तब्रानी जाति, मिश्रियों के अत्याचारों से अत्याधिक पीड़ित थी। अन्तोगत्वा इसका परिणाम, फिरऔन का विनाश और मूसा का शासन हुआ। मूसा का पालन पोषण राज्य-परिवार में होने से वह अति प्रवीण था। उसने अपने शासन को स्थायित्व देने हेतु एक सम्प्रदाय को जन्म दिया और ईश्वर के नाम पर एक पुस्तक की रचना कर, लोगों से कहा, कि यह पुस्तक तख्तियों पर लिखकर मुझे खुदा ने दी है। राज्य में दृढ़ता स्थापन-हेतु उसने यहूदी सम्प्रदाय का प्रचार करना आरम्भ किया। उसने जनता के समक्ष इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किये कि जन साधारण को विश्वास हो जाये कि सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर ने मनुष्यों के हेतु जो पथ प्रदान किया था, वही मत मूसा का भी है। इसी लिए मूसा ने अपनी पुस्तक में 'सृष्टियुत्पत्ति' को अत्यंत ही सीमित कर दिया।

उस समय भारत में कुरूवंशियों का राज्य था। जगतोत्पत्ति के १४ मन्वन्तरों में से ६ मनु हो चुके थे और ७ वें मनु वैवस्वत का २८ वां कलियुग आरम्भ होने वाला था। उधर मूसा संसार की उत्पत्ति के आरम्भ का प्रकथन रच रहे थे।

सत्यान्वेषी एवं प्रागऐतिहासिक शोधक सज्जन! मूसा के इस कल्पित सिद्धांत को इतिहास की कसौटी पर निरखे-परखे

कि हज़रत मूसा की यह संसारोत्पत्ति की कल्पना कहां तक सत्य है ? क्यों कि हज़रत मूसा को हुए इस समय ३५४० वर्ष होते हैं, और मूसा से हज़रत नूह की उत्पत्ति १५२७ वर्ष पूर्व हुई थी। इस गणना से हजरत नूह को ५०६७ वर्ष हुए, जो कि आदम से ९ पीढ़ी पश्चात उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार गणना करने से सृष्टि की उत्पत्ति आज से ६४६७ वर्ष पूर्व ही होती है ।

इसके पूर्व हज़ारों वर्षों पर्यन्त कुरू वंश का शासन रहा और कुरूवंश से पूर्व वैवस्वान से लेकर ३८ वीं पीढ़ी में विचित्रवीर्य हुआ ।

महाभारत, आदि पर्व, ९५

इधर भारत में नहुष की सन्तान शासन कर रही थी । उधर चीन तथा कालिडंया आदि देश भी आबाद थे, किन्तु हज़रत मूसा का तो आदम ही निर्मित हो रहा था, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कही जाती है। इस सिद्धांत को यहूदियों ने मुस- लमानों और इसाईयों ने अपनाया और इस बात को प्राण-प्रण से प्रयत्न किया कि कहीं यह प्रमाणित न हो जाय कि आदम से भी पूर्व संसार में और भी कोई मनुष्य थे।

क्या मुसलमान विद्वंजन ! अपनी इस सृष्टि-उत्पत्ति के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने हेतु उद्यत हैं, कि संसार की उत्पत्ति को मात्र ६४६७ वर्ष ही अभी तक हुए हैं ? अथवा इससे अधिक भी। हमने मूसा की इस गाथा को इस लिये लिखा कि इसको ईसाई और मुसलमान दोनों ही स्वीकारते हैं ताकि जिज्ञासु सज्जन ! इस बात पर विचार करें कि हज़रत मूसा का यह कथन कहां तक सत्य की कसौटीपर खरा उतरता

है ? अतः मूसा की यह सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना सर्वथा निराधार और सत्य-तथ्य से रहित है, जिसे मुसलमानों ने स्वीकारा है।

-: कुरआन पर अनुसन्धानात्मक दृष्टि :-

(किन बातों का परिचय आवश्यक है)

पाठक वृन्द ! हम सर्व प्रथम इस बात का स्पष्टिकरण करना चाहते हैं कि सामान्य रूप से मुसलमान या अन्य कोई भी व्यक्ति, जो कुरआन के केवल अर्थों को ही पढ़ कर कुरआन की वास्तविकता से परिचित होना चाहते हैं, वह सर्वथा भ्रम में है। उनके लिये अनिवार्य है, कि यदि वे कुरआन को उचित रूप में समझना चाहते हैं, तो उन्हें उन साधनों, प्रक्रियाओं, विविध नियमों, विविध शृंखलाओं, आधारों, और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिनका कुरआन से सम्बंध है। फिर सम्पूर्ण कुरआन समझने के योग्य भी नहीं। उसके हेतु यह भी समझना होगा कि कुरआन के वह कौन-कौन भाग हैं जो कि मनुष्य की बुद्धि से परे हैं, और जिन्हें केवल खुदा ही समझता है। उन भागों को समझने का प्रयास करने वाले काफ़िर कहलायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी समझना होगा कि वह कौन से भाग है, जिनका मात्र पठन-पाठन ही उचित है, किन्तु उनमें दी गई आज्ञाएँ कुरआन की अन्य आयतों से निरस्त है, अर्थात उन आज्ञाओं को ही केवल पढ़ो किन्तु पालन नहीं करना चाहिये। यह भी देखना आवश्यक है, कि कौन-कौन सी आयतें किन-किन व्यक्तियों के हेतु विशेष रूप से उतरी और कौन-कौन सी सार्वजनिक है, और किन आयतों की आज्ञाएँ सामान्य है, और किनकी विशेष है।

कुरआन को समझने हेतु उपरोक्त ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ यह समझना भी आवश्यक है, कि कुरआन के वाक्यों-शब्दों और पंक्तियों को किन परिवर्तनों के साथ पाठ किया और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप कुरआन की आयतों के वास्तविक अर्थों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कुरआन की सात करायतों (पठन–शैली) का प्रभाव कुरआन के मूल स्वरूप पर क्या हुआ ? यह ज्ञात करना भी आवश्यक है कि सांकेतिक आयतों में दिया गया संकेत किस व्यक्ति और विषय से सम्बंधित है ।

कुरआन की आयतों के उतरने का जो ढंग कहलाता है, उसके प्रकार क्या है ? साथ ही यह ज्ञान भी आवश्यक है, कि क्या मूल स्वरूप, जो कुरआन आज उपलब्ध है, यही था अथवा इस रूप में आने के पूर्व मूल स्वरूप कुछ और था, और उसमें कांट–छांट अथवा घट-बढ़ की गई है ? साथ ही यह ऐतिहासिक तथ्य का भी ज्ञान करना होगा कि ऐसे कुरआन की आयतों का नज़ूल (उतरना) किन कारणों से होता रहा । सम्पूर्ण कुरआन कितनी अवधि में और कहाँ–कहाँ उतरा तथा एक ही विषय की पुनरावृति होने से उसमें कितना शाब्दिक अन्तर उत्पन्न हो गया ? इत्यादि

कुरआन को समझने के पूर्व उपरोक्त लिखित ज्ञातव्य विषयों से परिचित होना अनिवार्य एवँ आवश्यक है, अन्यथा कुरआन के वास्तविक मूल स्वरूप को ग्रहण करने में सफलता संदिग्ध ही है, उक्त विषयों पर विचार करने के पूर्व हम 'कुरआन' नाम के सम्बंध में विचार करते हैं ।

—

-: 'कुरआन' नाम के विषय में विचार :-

इतिहास और तफसीर के ख्यातिप्राप्त मुस्लिम विद्वान अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने अपनी विख्यात पुस्तक 'तफसीर इत्तिकान' में कुरआन और उसकी सूरतों के नाम (शीर्षक) के सम्बंध में इस प्रकार चर्चा की है, कि अरबों ने जो अपने क़लाम के नामकरण किये थे, खुदावन्द ने अपनी पुस्तक (कुरआन) के नाम उनके विपरीत रखे।

आगे अल्लामा सियूती ने अबुलमुआली अज़ीज़ बिन अब्दुल-मुल्क की पुस्तक 'किताबुल बुर्हान' के माध्यम से कुरआन की आयतों के प्रमाण सहित कुरआन के ५५ नाम लिखे हैं।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १७, पृ. १३२ से १३४

फिर आगे इन नामों को कुरआन के नाम प्रमाणित करने हेतु व्याख्या की गई है। इनमें सर्वाधिक रूप से चर्चा 'कुरआन' शब्द पर ही है। उन्हीं ५५ नामों की श्रृंखलामय व्याख्या में लिखा है:-

मुज़फ्फरी ने अपनी तारीख में कहा है, कि अबूबकर ने कुरआन को जमा (संकलित) किया तो उन्होंने लोगों से कहा कि इसका कोई नाम रखो। कुछ एक ने इंजील, कुछ ने सफ़र नाम रखने की सम्मति दी, परन्तु यह स्वीकार न हुए। अंत में इब्ने मसऊद के प्रस्ताव पर कुरआन का नाम 'मुसहिफ' रख दिया गया।

इसी प्रकार इब्ने अश्ता किताबुल मुसहिफ में मूसा बिन अकवा के आधार पर इब्ने शहाब की यह रवायत लिखी है, कि जिस सहाबा (हज़रत के मित्रों) ने औराक (कागद) पर लिख लिया, तो अबूबकर ने उसके हेतु कोई नाम तजवीज़ करने की हिदायत दी, तो सर्वसम्मति में मुसहिफ़ नाम रखा।

व्याख्याकार लिखता है, कि अबू बकर वह प्रथम मनुष्य थे, जिन्होंने किताब अल्लाह (ईश्वरीय पुस्तक) को संकलित (जमा) कर उसका मुसहिफ नाम रखा।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १७, पृष्ठ १३७

इस विस्तृत चर्चा को हम अग्रिम पृष्ठों में विस्तार पूर्वक लिखेंगे किन्तु उपरोक्त दोनों व्याख्याकारों के कथन से इतना तो यह प्रमाणित हो गया, कि कुरआन में कुरआन के मुताबिक (सदृश) जैसा कि ऊपर लिखा है, कुरआन में ५५ नाम आये थे। इस हेतु अब तक अर्थात अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत (राज्याधिकार) तक कुरआन का नामकरण ही नहीं हो पाया था और यही नाम जो (मुसहिफ) हजरत अबू बकर ने रखा और इसी को जब द्वितीय समय हजरत उसमान ने संकलित किया, तो उन्होंने भी उस (कुरआन) का नाम मुसहिफ ही रखा, जिसका वर्णन आगे आयेगा।

—: कुरआन का नाम :—

९—पूर्व में लिख चुके हैं, कि हजरत अबू बकर की खिलाफत (शासन-काल) तक कुरआन का नाम ही निश्चित नहीं हुआ था, तो उन्होंने सब की सम्मति से इसका नाम मुसहिफ रखा।

विद्वान डा० श्री सेल ने स्वयं लिखित अपने कुरआन भाष्य में कुरआन के नाम के सम्बंध में कहा है। उनका आक्षेप यह है कि कुरआन करा धातु से निर्मित है, जिसके अर्थ पढ़ने के साथ सम्बन्धित है।

इसी प्रकार यहूदी भी अपनी पुस्तक को करा या मकरा कहते हैं।

इस कारण डा० श्री सेल ने यह अर्थ निकाला कि मुसलमानों ने यहूदियों की देखा-देखी अपनी पुस्तक का नाम कुरआन रख लिया।

उपरोक्त चर्चा में न जाकर मिर्जा हैरत देहलवी ने जो उत्तर अपनी पुस्तक 'मुकद्दमे-तफसीरूल फुर्कान' में दिया है वह उद्धृत करते हैं:-

यदि दुर्जनतोषन्याय से यह भी मान लिया जाये, कि कुरआन शब्द यहूदियों से लिया गया है, तो भी कोई आपत्ति नहीं होती, क्यों कि कुरआन और तौरेत का रचयिता एक ही खुदा है। उसकी समस्त पुस्तकों का तात्पर्य लगभग एक ही है।

मुकद्दमएं तफसीरूल फुर्कान, पृ० ३३

इस उत्तर से भी स्पष्टतः सिद्ध होता है, कि 'कुरआन' नाम जो कुरआन में आता है, वह यहूदियों से ही लिया गया है, परन्तु हम अल्लामा सियूती के कथन से प्रमाणित करना चाहते हैं कि ठीक ऐसा ही है।

अल्लामा सियूती ने अपनी 'तफसीर इत्तेकान' के प्रकरण १७, पृष्ठ १३८ में लिखा है—रसूलुल्लाह ने अपने कौल(कथन) में 'खुफ़फ़ेफ़ा अला दाऊदुल कुरआन' इसमें जबूर का नाम कुरआन करार दिया है। इसी भांति कुरआन का नाम फुर्कान भी कुरआन में आता है।

इसके लिए अल्लामा सियूती ने कुरआन की एक आयत:-

'वा इज आतैना मूसल किताबा वल फुर्काना'

कुरआन, पारा १, रकू ६

अर्थात- तौरेत का नाम स्वयँ खुदा ने फुर्कान रखा।

तफसीर इत्तेकान, प्रकरण १७, पृ० १२८

एक और अन्य आयत :—

व लकद आतैना मूसा वा हारुनल फुर्काना वा जअलना'

कुरआन, पारा १७, रकू ४

अर्थात- हम (खुदा) ने मूसा और हारून को फुर्कान दिया और रोशनी दी, इत्यादि।

इससे ज्ञात होता है कि तौरेत का नाम फुर्कान है। इसी भांति जैसे कुरआन को किताब नाम कुरआन में दिया गया, तौरेत को भी, (मूसा की पुस्तक को भी) किताब नाम से सम्बोधित किया गया :—

'वा आतैना मूसल किताब'

कुरआन, पारा १, रकू ६

अर्थात— मूसा को किताब दी।

इन उपरोक्त आयतों से यह सिध्द हो गया कि कुरआन और फुर्कान आदि नाम यहूदियों से लिये गये हैं।

हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि अल्लामा सियूती के कथानानुसार कुरआन में ५५ नाम कुरआन के आते हैं। अतः हज़रत अबू बकर की खिलाफ़त (शासन काल) तथा हज़रत उस्मान की खिलाफ़त तक कोई नाम निश्चित नहीं था। इन दोनों ने ही मुसहिफ़ नाम रखा। आगे चल कर कुरआन के संकलन की चर्चा में कुरआन का विस्तृत विवरण आयेगा। यहाँ इतना ही लिखकर विषय को स्थगित करते हैं। आगे लिखेंगे कि कुरआन कहाँ था और हज़रत मुहम्मद तक कैसे पहुँचा ?

--एक बात का ध्यान रखिये--

कुरआन के सम्बंध में जो कुछ हम लिख रहे हैं, वह इस्लाम की अपनी भाषा में है, उनके विषय को लोगों के समक्ष रखने हेतु। इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम भी कुरआन को ऐसा ही मानते हैं, जैसा कि लिख रहे हैं। हम तो कुरआन को न तो ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक मानते हैं और न मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाने वाली। अतः इस बात को सदैव स्मरण रखिये।

—लेखक

कुरआन का अविर्भाव

सर्व प्रथम यह जानना आवश्यक है, कि कुरआन कहाँ से आया ? कुरआन में लिखा है, कि:—

'इन्ना जअलनाहो कुरआनन अरबिय्यल्ल अल्लकुम ताकिलून, वा इन्नहू फ उम्मिल किताबे लदैना लअलिय्यनल हकीम'

कुरआन, पारा २५, सूरत ज़ुखरफ

अर्थात--निःसन्देह, हम (खुदा) ने यह पुस्तक कुरआन अरबी भाषा में पहुँचाई। शायद तुम अरबी भाषा भाषी हो। उसे समझो या मुहम्मद सल्लअम की नबव्त (पैगम्बरी) सत्य जान लो, उसके कारण जो उसमें फसाहत के आसार और बलागत के अतवार हैं, और तहकीक (प्रमाणिक) कुरआन सब आसमानी किताबों की असल अर्थात लौह महफूज में है, जो कि परिवर्तन से सुरक्षित है। हमारे पास उत्कृष्ट और सुदृढ़ किया हुआ कि उसमें दोष नहीं है, और अगली (पूर्व की) आसमानी

किताबों को मनसूख (निरस्त) करने वाला है और स्वयं निरस्त नहीं होता है।

तफसीर कादरी भाग २, पृष्ठ. ३६६

इसी आयत की व्याख्या उपरोक्तानुसार तफसीर सिराजे मुनीर ने लौह महफूज के सम्बंध में लिखा है:-इब्ने अब्बास ने कहा, कि पहले खुदा ने कलम (लेखनी) को उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी, कि वह लौह महफूज (सुरक्षित पट्टिका) में लिखे।

तफसीर सिराजे मुनीर, पृष्ठ. ५५३

इसी आयत पर तफसीर जलालैन ने कुरआन की एक आयत का प्रमाण देकर इस बात को स्पष्ट किया है, कि कुरआन लौह महफूज में अंकित है। आगे आयत है:—

'बल हुवा कुरआनम्मजीद फी लौहिम्महफूज'

कुरआन, पारा ३०, सूरत बरूज

अर्थात-लौह एक सफेद मोती के दाने की (तख्ती) है। उसकी लम्बाई आसमान से धरती तक है और चौडाई पूर्व से पश्चिम तक है। उसके किनारे याकूत के हैं और वह तख्ती फरिश्ता की गोदि में है, जो अर्श (खुदा का सिंहासन) के दाहिने ओर है और वह फरिश्ता उसको नहीं जानता।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ. ६२३

इसी प्रकार तफसीर मुनीर में है, कि लौह सात आसमानों के ऊपर है, और लौह के मध्य में (हजरत मुहम्मद का कलमा) और उसका दीन सच्चा है, और मुहम्मद उसका बन्दा और रसूल है। जो कोई खुदा पर विश्वास करे और रसूल की आज्ञा पालन करे, वह स्वर्ग में प्रविष्ट होगा।

तफसीर सिराजे मुनीर, पृष्ठ ५१५

तफसीर मज़हरी ने वल्कलमे पारा २५ की व्याख्या निम्न प्रकार की है:—

अल्कलम से मुराद वही कलम है, जिससे लौह महफूज की तहरीर लिखी गई है ।

हज़रत उबैदा बिन सामत से रवायत है, कि रसूल सल्लअम (हज़रत मुहम्मद) ने कहा–कि सर्व प्रथम अल्लाह ने कलम को उत्पन्न किया और कहा कि लिख ! फ़लतः कलम ने वह प्रत्येक चीज़ लिख दी, जो व्यतीत हो चुकी और भविष्य में कभी भी होने वाली है .... ।

हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कथन है, कि रसूल सल्लअम ने कहा–ज़मीनों–आसमान की उत्पत्ति से ५० हजार वर्षों पूर्व अल्लाह ने सृष्टि का भाग्य लिख दिया था और उसका तख्त (सिंहासन) पानी पर था ।

बग़वी ने कहा– (भाग्य लिखने वाला) कलम नूर (प्रकाश) का था, जिसका तूल आसमान वा धरती के मध्य यात्रा के के समान था ।

तफसीर मज़हरी, पारा २९ पृष्ट ३९

मनुष्यों की उत्पत्ति के पूर्व ही उनके भाग्य लिख दिये ।

कुरआन, पारा २७ सूरत हदीद आयत १२

अज़ायबुल में लिखा है, कि हज़रत मुहम्मद ने कहा – खुदा ने सर्व प्रथम मेरा नूर उत्पन्न किया, जो एक सौ वर्षों अर्थात जिसका एक दिन, एक हजार वर्ष है (वह नूर) नत–मस्तक रहा । फिर खुदा ने उस नूर से एक जौहर उत्पन्न किया और अपनी कुदरत की नज़र से स्वीकार किया, और वह जौहर उस नजर से पानी हो गया, और हजार वर्ष तक गतिशील रहा

और एक क्षण भर भी नहीं ठहरा। फिर खुदा ने उसे दस भागों में विभक्त किया एक भाग से अर्श (खुदा का सिंहासन) उत्पन्न किया और ४ लाख खम्बे उसे प्रदान किये, और एक खम्बे से दुसरे खम्बे तक ४ लाख वर्षों का मार्ग है..........अर्श के साथ एक विशाल अजगर लिपटा हुआ है। दुसरें भाग से लेखनी उत्पन्न की, उसकी लम्बाई ५०० वर्षों का मार्ग है, और चौड़ाई ४० वर्ष की है। तीसरे भाग से एक लौह महफूज (सुरक्षित-पट्टिका) बनाई .... लेखनी ने तख्ती पर प्रारम्भ से प्रलय तक का वृतान्त लिखा।

अजाय बुल कसस, भाग १, पृष्ट १६-२०

पाठक वृन्द ! ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है, यह सब उद्धृण विश्वस्त व्याख्याकारों की सम्मति है। हम इस पर क्या समीक्षा करें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी भाँति ऐसी निस्सार और निरर्थक बातों को नहीं स्वीकारेगा। खुदा का तख्त, लेखनी और लौह महफूज का विस्तार, और फिर उस पर लिखित आदि से अन्त तक का विवरण इत्यादि, किसी भी प्रकार बुद्धिजीवी के हेतु ग्राह्य नहीं हो सकता।

कुरआन, लौह महफूज पर लिखित है, इसे समस्त मुसलमान मानते हैं। इस विषय पर और अधिक लिखने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती।

अल्लामा सियूति ने तफसीर इत्तोकान में कुरआन के सम्बंध में विशेष कर लेखनी उठाई है। कुरआन क्या वस्तु है? इस पर विभिन्न विचारकों के मतानुसार कुरआन उतरने का विवरण भी दिया है।

कुरआन के उतरने में विभिन्नता

जो व्यक्ति यह मानता है, कि कुरआन ऐसे माने (अर्थ) है, जो खुदा की जात के साथ कायम है, तो उसके नाजिल (उतरने) करने की यह सूरत (स्थिति) होगी, कि खुदा उन अर्थों को बतलाने वाले अक्षरों और वाक्यों को निर्माण करके उन्हें लौह महफूज में अंकित कर दे, और जो व्यक्ति कुरआन को शब्द मात्र मानते हैं, उनके मत में कुरआन को नाजिल करने (उतरने) का यह अर्थ होगा, कि खुदा ने उन्हें लौह महफूज में अंकित कर दिया..........और रसूलों (दूतों) पर किताब के नाजिल किये (उतारे) जाने से यह मुराद होगी, कि पहले फरिश्ता उसे खुदा से रूहानी तौर पर सीखता है, अथवा लौह महफूज से स्मरण कर लेता है, और फिर रसूलों को बतलाता है।

किसी आलिम (विद्वान) ने कहा है, कि हजरत (मुहम्मद) पर नाजिल (उतरी) हुई पुस्तक के विषय में तीन कथन आये है।

प्रथम–खुदा का कलाम शब्द और अर्थ दोनों है, और जिब्रिल ने कुरआन को लौह महफूज से याद करने के पश्चात उसे उतारा है। किसी विद्वान का कथन है, कि लौह महफूज में कुरआन के अक्षर इस प्रकार बड़े-बड़े हैं, कि जिनमें से प्रत्येक अक्षर कोहकाफ (एक पहाड़ का नाम) के समान है और उनमें प्रत्येक शब्द के नीचे इतने अर्थ है जिनका अहाता (घेरा) खुदा के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता।

द्वितीय– जिब्रील विशेष कर अर्थों को ही उतारते थे और रसूलल्लाह उन अर्थों को जान लेने के पश्चात उन्हें अरबी भाषा में ले आते थे।

इस मत को मानने वालों ने कुरआन की इस आयत:-
नज्जला बिहिर्रुहुल अमीन अला कल्बिका '

के प्रकट अर्थों से तात्पर्य लिया है।

तृतीय- जिब्रील ने रसूलसल्लअम (हज़रत मुहम्मद) पर केवल अर्थों का अल्का (प्रकटीकरण) किया है, और आपने इन शब्दों के साथ अरबी भाषा में उनकी ताबीर (व्याख्या) कही, और यह कि आसमान निवासी कुरआन को अरबी भाषा में ही पढ़ते थे, और फिर जिब्रिल बाद में उसे उसी भांति लेकर आये।

ऊपर जो तीनों कथन कहे गये हैं, उनमें बड़ा अंतर है, यदि जिब्रील अर्थ ही कहते थे, तो अरबी भाषा हज़रत मुहम्मद की सिद्ध होती है।

तफसीर इत्तेकान, प्रकरण १६, पृष्ट ११४

लोह महफ़ूज से कुरआन कैसे उतारा गया

इस विषय में अल्लामा सियूती ने प्रथम यह आयत:-
' शहरो रमजा नल्लजी उनजिला फी हिल कुरआनो '

कुरआन, पारा २३, रकू ७

अर्थात- रमजान के महिने के मध्य जो उतारा गया वह कुरआन

द्वितीय आयत:-

' इन्ना अनजलनाहो फी लैलतिल कदरे '

अर्थात - कदर की रात में इस कुरआन को उतारा।

उपरोक्त दोनों आयतें स्पष्ट करती है, कि यह कुरआन रमजान के महिने में कदर की रात को उतारा गया।

[अब इस पर अल्लामा सियूती ने जो विभिन्न कथन उद्धृत किये हैं, वह तफसीर इत्तेकान से ही पढ़िये]

कुरआन मजीद के, लौह महफ़ूज से उतारे जाने के विवरण तीन विभिन्न वचन आये हैं। जिनमें से एक वचन जो ठीक २ और विख्यात है। वह यह है, कि कुरआन, कदर की रात में एक ही बार पूरे का पूरा (सम्पूर्ण) आसमाने दुनियां पर भेज दिया गया और फिर उसके पश्चात २०, २३ या २५ वर्षों की अवधि में थोड़ा २ करके भूमि पर उतारा जाता रहा।

तफसीर इत्तेकान, प्रकरण १६, पृष्ट १०४

उपरोक्त दोनों आयतों में रमजान के महिने में कदर की रात को कुरआन का उतरना लिखा है। इस हेतु एक और आयत लाई गई, और उससे यह सिद्ध किया गया कि कुरआन धीरे २ उतारा गया। इस आयत को अल्लामा सियूती ने भी लिखा है। आयत इस प्रकार है :—

वा कुरआनन फ़रक़नाहो लितक़रअहू अलन्नासे अला मक्सिव्वां नव्ज़लनाहो तनजीला।

कुरआन, पारा १५, रकू १२।१२

अर्थात-और कुरआन को जुदा-जुदा किया हमने और आहिस्ता-आहिस्ता, उतारा ताकि तू पढ़े उसको और लोगों पर आहिस्तगी से उतारे।

तफसीर जलालैन ने पृष्ट २३६ पर कुरआन उतरने की अवधि २० से २३ वर्ष तक लिखी है।

उक्त विषय में विभिन्न तफसीरों में मतैक्य नहीं है। अकरमा ने इब्ने अब्बास से बयान किया है-कि कुरआन कदर

की रात में एकबारगी ही पूर्ण रूप से आसमान से दुनिया पर उतार दिया गया और फिर उसके बाद वह २० वर्षों में उतारा गया। और यह कह कर उपरोक्त आयत पढ़ी।

हाकम और इब्ने अबी शैबा ने हस्सन बिन हरीर के तरीक पर खास्ता सईद बिन जुबैर, ने इब्ने अब्बास से रवायत की है, कि कुरआन के जिक्र से भिन्न-भिन्न कर के आसमाने दुनिया के बैतुल इज्जत में लाकर रखा गया और फिर जिब्रील उसे लेकर नबी सल्लअम, पर नाजिल करने लगे। इस हदीस के समस्त असनाद सत्य है।

अल्लामा सियूती ने लिखा है–कि तिबरानी और बज्जार ने रवाथत की है, कि कुरआन का नजूल (उतरना) एक ही बार (समय) हुआ है। यहां तक कि वह आसमाने दुनियां के बैतुल इज्जत में रख दिया गया और जिब्रील ने उसे हजरत मुहम्मद पर बन्दों के कलाम (वाणी) और एमाल (कर्मों) के उत्तरों में नाजिल किया।

अल्लामा सियूती ने यह प्रथम कौल उद्धृत किया है। इसमें और भी अनेक आयतें हैं। तात्पर्य यह है कि लौह महफूज (सुरक्षित तख्ती) से एक साथ ही सम्पूर्ण कुरआन लाकर आसमाने दुनिया के बैतुल इज्जत में रख दिया गया और जिब्रील वहाँ से लाता रहा।

द्वितीय कथन है, कि कुरआन का नजूल आसमाने दुनियां पर २० या २३, या २५ कदर की रातों में इस भाँति हुआ कि प्रत्येक लैलतुल कदर में जिस प्रकार हिस्सा एक वर्ष में खुदा को उतारना स्वीकार था, उतना एक साथ ही आसमाने दुनिया पर उतार दिया जाता और फिर वहां से वर्ष भर नाजिल हुआ (उतरा) करता।

इमाम फख्रुद्दीन, रावी आदि उक्त कथन के समर्थकों में से है।

तृतीय कथन है, कि कुरआन का उतारा जाना लैलतुल कदर से प्रारम्भ हुआ था और फिर उसके पश्चात वह विभिन्न अवसरों पर उतरता रहा।

तफसीर इत्तेकान, प्रकरण १६ पृष्ठ १०४-५

हमने पूर्व में जो कुरआन की तीन आयतें उद्धृत की है उनमें आसमाने दुनिया व बेतुल इज्जत की कोई चर्चा या उल्लेख नहीं है। यह उपरोक्त रवायतें विभिन्न रावियों (भाष्यकारों) की है। मक्का के लोग तो बारम्बार यही कहते रहे :—

वा कालल्लजीना कफरु लौ ला नुज्जिला अलैहिल कुर-आनो जुमलतव्वा हिदतन।

कुरआन, पारा १९, रकू ३।१

अर्थात- और कहा, उन लोगों ने जो काफिर हुए, कि क्यों नहीं उतारा गया। कुरआन इकट्ठा एक बार ही उनके उपर?

इसका उत्तर भी इसी आयत में इस प्रकार है :—

कज़ालिका लिनुसब्बता बिही फ़वादका व रत्तलनाहो तरतीला।

कुरआन, पारा १९, रकू ३।१

अर्थात- इस प्रकार उतारा हमने, ताकि प्रमाणित करे उसके साथ तेरे दिल को और थम-थम कर पढ़ा हमने, उसको थम-थम कर पढ़ना।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन

क्यों थम-थम कर पढ़ने से ही हजरत मुहम्मद का दिल प्रमाणित होता था? सम्पूर्ण कुरआन एक साथ उतरने से प्रमाणित नहीं होता था? यह सब पर्दा गोशियां (गोपनीयतायें) है।

वास्तव में बात यह है, कि कुरआन एक ऐसी पुस्तक है, जिसमें लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं, हज़रत मुहम्मद के गृह-परिवार की चर्चाएँ है, जिसमें हज़रत मुहम्मद के मुद्दों की बातें हैं। ऐसी समस्त बातें किस प्रकार होने (घटने) से पूर्व कहकर प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे जाते? जब कि अभी प्रश्न ही नहीं हुए थे, तो उत्तर सहित कैसे लिखे जाते? उदाहरणार्थ जै़दी की कथा है—अभी जै़द को ले पालित पुत्र बनाया नहीं? उसका जैनब से विवाह नहीं हुआ? तलाक नहीं हुआ? तो फिर इस कथा (घटना) को कुरआन में पहिले से कैसे लिखा जाता? ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें लिखना उचित नहीं। अतः यह बात सर्वथा मिथ्या है कि कुरआन ठहर-ठहर कर उतारा गया कि स्मरण रखने, कंठस्थ करने और दिल को प्रमाणित करने के हेतु लाभप्रद है। यह बड़े दुखः की बात है कि मुस्लिम विद्वानों ने गोपनीयता से काम लेकर वास्तविक बात को छुपाया है। भला! बदर के युद्ध की कथा पूर्व से ही कैसे लिखी जा सकती? इसी प्रकार और बहुत सी बातें हैं। इसमें कोई बात निरन्तर ज्ञानात्मक उपदेश की तो थी ही नहीं कि एक बार ही कह दी जाती। इसमें तो अधिकांश समयानुकूल नीति-रीति के खेल थे, जो कि उनके घटित हुए बिना कैसे लिखे जाते, जब कि उनका नामो निशान भी न था।

सम्पूर्ण कुरआन न तो जिब्रील लाया और न उसने हज़रत महम्मद को सम्पूर्ण कुरआन ही दिया।

पूर्व में कहा गया है, कि सम्पूर्ण कुरआन आसमाने दुनिया पर लाकर बैतुल इज्ज़त में रखा गया। परन्तु तफसीर इत्तिकान से यह बात प्रमाणित नहीं होती। क्योंकि लिखा है—कि

परवर-दिगार आलिम (खुदा) अपने रसूल के साथ जाग्रत अवस्था में बात करता। जैसा कि मेराज की रात की घटना है।

तफसीर इत्तिकान में पृष्ट ११८, प्रकरण १६ में मेराज की रात की कथा है। अहमद आदि ने अकबह बिन आमर से मरफूअ (प्रमाणित) तौर पर रवायत की है, कि रसूल सल्लअम ने कहा, कि तुम इन दोनों (बकर की अन्तिम) आयतों को पढ़ा करो, क्योंकि खुदा ने यह दोनों अर्श (सिंहासन) के नीचे के कोष से मुझे प्रदान की है। कहा—यह बकर की अन्तिम आयतें अर्श के नीचे के खज़ाने से मुझे मिली है।

दूसरी आयत भी मुअक्कल बिन यसार की पिछली हदीस में आ चुकी है, और इसके अतिरिक्त मरदूयह ने इब्ने अब्बास से रवायत की है, कि जिस समय रसूल आयतुलकुर्सी पढ़ा करते थे, तो हंस कर कहा करते थे कि यह आयत मुझे अर्श के नीचे के खज़ाने का तोहफा है!

इसी प्रकार हज़रत अली ने कहा—कि आयतुलकुर्सी तुम्हारे नबी (हज़रत महम्मद) को अर्श के नीचे के खज़ाने के नीचे से प्रदान हुई थी।

तफसीर इत्तिकान प्रकरण १५, पृष्ठ १००

मेराज की रात्रि को क्या मिला? ५ नमाज़, सूरत बकर की अन्तिम आयतें और उम्मत (इस्लाम) के उन लोगों के मुहलक गुनाहों (भयंकर अपराधों) की क्षमा, अतिरिक्त शिर्क के।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७, पृष्ठ ५६

मुस्लिम विद्वानों का सर्व सम्मति से इस बात पर विश्वास है कि आयतुलकुर्सी और बकर की अंतिम आयतें खुदा ने स्वयं हज़रत मुहम्मद को प्रदान की। इस स्थिति में यह सिद्ध

हुआ कि न यह लौह महफूज (सुरक्षित तख्ती) में थी और न जिब्रिल ही इनको आसमाने दुनिया पर लाया। अत: उपरोक्त वर्णित समस्त ताना-बाना अप्रमाणित और निरर्थक हो गया। जिब्रिल द्वारा आसमाने दुनिया पर कुरआन लाने का यह नाटक इसलिए रचा गया कि कुरआन हेतु, जो कुरआन में वर्णन है कि उसको रमजान माह में कदर की रात को उतारा गया, किन्तु २०-२५ वर्षों तक लोगों को उसको पहूंचना उक्त आयत के विरूद्ध था। इस कारण कुरआन को लौह महफूज से आसमाने दुनिया पर उतारने की कल्पना की गई।

—: कुरआन की स्थिति :—

कुरआन तथा मनुष्यों के भाग्य को कलम ने खुदा के आदेश से लिखा। अत: जो स्थिति मनुष्यों के भाग्य की है, वही कुरआन की हुई........और मनुष्यों का भाग्य नित्य वस्तु नहीं! अत: इस अवस्था में कुरआन भी नित्य न हुआ। जिस प्रकार कयामत (प्रलय) के दिन भाग्य का लेखा और प्रभाव समाप्त हो जायेंगे, उसी प्रकार कुरआन का भी हो जायेगा। अस्तु ऐसी स्थिति में इसे ईश्वरीय ज्ञान या सन्देश नहीं कहा जा सकता! इसीलिए खलीफा मामूं ने 'खलके कुरआन' का सिद्धांत प्रस्तुत कर मुस्लिम विद्वानों को कठिनाई में डाल दिया था।

—: सात आसमान क्या है ? :—

ऊपर लिखा गया है, कि कुरआन, को लौह महफूज (सुरक्षित तख्ती) से लाकर आसमाने दुनिया पर बैतुल इज्जत में रखा गया।

अब देखना यह है, कि आसमान, क्या कोई वस्तु है ? यदि मुसलमानों के हृदयों में इस सत्य को अंकित कर दिया जाए कि आसमान कोई वस्तु नहीं है, तो सम्भवतः उनके हृदय में यह विचार भी आ जाए कि जब आसमान का अस्तित्व ही नहीं, तो फिर उस पर कोई वस्तु लाकर रखी ही कैसे जा सकती है ? यह तो सर्वथा असम्भव है । जैसे कोई कहे, कि मैंने आकाश-कुसुमों की माला देखी । जब आकाश में कुसुम (फूल) ही नहीं होते, तो फिर उनकी माला कैसे देखी जा सकती है ?

अब जरा इस्लामी आसमानों को भी देख लें।

"अल्लाज़ी खलक सब्आ समावातिन तिबाका"

कुरआन, सूरत मुलक, पारा २९, आयत ३

अर्थात—उत्पन्न किये सात आसमानों को, ऊपर तले ।

अनुवाद–शाह रफीउद्दीन

वह खुदा, जिसने उत्पन्न किये सात आसमान तबका-तबका एक पर एक । मुआलिम में है- कि आसमाने दुनिया एक मौज मज़बूत (दृढ़ लहर) हो गई है । दुसरा आसमान सफेद संगमर्मर, तीसरा लोहा, चौथा सीसा (कुछ ने तांबा भी कहा है), पांचवा चांदी, छठा सोना और सांतवा आसमान याकूत, सुर्ख (लाल-माणिक) ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५५८

इसी प्रकार कससुल अंबिया, पृष्ठ ७ पर भी सात आसमान लिखे हैं, और अजायबुल कसस, भाग १, पृष्ठ २० में आसमानों का वर्णन है, कि आसमान प्रथम ज़र्द सब्ज से है और उसके निवासी फरिश्ते गायों की शक्ल के हैं । आसमान

द्वितीय याकूत सुर्ख और निवासी फरिश्ते अकाब (बाज) की शक्ल के । आसमान तृतीय याकूत ज़र्द और निवासी करगस (गिद्ध) की शक्ल के । आसमान चतुर्थ चांदी का, निवासी घोड़ों की शक्ल पंचम सोने का, निवासी हूरुलईन (खूबसूरत लड़के) की शक्ल के । षष्ठम सफेद मोतियों का, निवासी गिल्मान की शक्ल के और सप्तम आसमान नूर का और निवासी मनुष्यों की शक्ल के है ।

फसीर कादरी

सात आसमानों के सम्बंध में तफसीर सिराजे मुनीर भाग ४ पृष्ठ ३३९ और तफसीर जलालैन पृष्ठ ४६७/४ में भी सर्वथा यही है, जो हम उपर तफसीर कादरी से उद्धृत कर चुके हैं ।

सात आसमानों के विषय में हम अत्यधिक न लिखते हुए मात्र इतना ही कहेंगे, कि क्या मुसलमानों के इन आसमानों का वजूद (अस्तित्व) प्रमाणित हो सकता है ? यदि नहीं, तो जब आसमान का अस्तित्व ही नहीं, तो उस पर होने वाली वस्तु भी नहीं हो सकती !

अतः कुरआन, न तो लौह महफ़ूज़ में था, न आसमाने दुनियां पर लाकर (जिसका अस्तित्व ही नहीं) रखा, और न जिब्रील वहां से लाता रहा । यह तो समस्त प्रपंच आवश्यकतानुसार हज़रत मुहम्मद की ही उपज है । जैसा कि आगे उनके समकालीन काफिर कहलाने वाले और अन्यान्य लोगों के विचार आप पढ़ेंगे । हज़रत मुहम्मद लोगों के सम्मुख जब आयतें सुनाते और फिर बदलते, और बदलना भी खुदा के नाम पर ! इन सब बातों को देख कर उस समय के बुद्धिमान और विद्वान लोग वैसी ही बातें कहते थे, जैसी कि हमने ऊपर लिखीः–

'व इजा बद्दलना आयतम्मकाना आयतिव्वल्लाहो आलमो बिमा युनज़्ज़िलो कालू इन्नमा अन्ता मुफ्तरीन।'

कुरआन, पारा १४, कूर १४।२

इसकी व्याख्या निम्न प्रकार की गई है–
कि जब कुछ आज्ञाएं निरस्त (मनसूख) हुई, तो मक्का के काफिरों ने यह बात कही कि मुहम्मद अपने मित्रों के साथ परिहास करता है। आज एक आज्ञा देता है और कल उसे मना कर देता है। बहुधा, वह खुदा को लांछित करता है और अपने मन से बातें बना कर कह देता है, तो उपरोक्त आयत उतरी–'और जब बदलते हैं हम एक रद्द (निरस्त) करने वाली आयत को, कि खुदा उस वस्तु को अत्याधिक जानता है जो हिकमत (प्रयास) और मसलेहत (समयानुकूल) के कारण निरस्त (रद्द) करके दूसरी आयत स्थापित करता है तो काफिर लोग कहते हैं (हज़रत मुहम्मद को) कि तू खुदा पर इफतरा (मिथ्यारोपण) करता है। अर्थात–खुदा का नाम मिथ्या लेता है। तू मुफ़तरी (मिथ्याभाषी) है और अपनी ओर से बातें (आयतें) बना कर खुदा का नाम लेता है।

तफसीर कादरी पृष्ठ ५८१

और यह भी कहते हैं:—
यकूलूना इन्नमा यो अल्लिमोहू बशर।

कुरआन, पारा १४, रकु १४।२

अर्थात– अतिरिक्त इसके कि नहीं, इसको (हज़रत मुहम्मद को) बशर आदमी ज़बर या अबुफकीह अर्थात ज़बर या अबूफकीह कुरआन सिखाते हैं।

तफसार कादरी, पृष्ठ ५८२

देखिए ! कुरआन, सूरत फुरकान, पारा १८ की आयतें क्रमांक ४ व ५। जिनमें यहाँ तक कहा गया है कि- काफिर लोग बोले, कि नहीं है यह कुरआन, जो मुहम्मद हमारे पास लाये हैं। यद्यपि यह भूठ स्वयं (मुहम्मद) ने बाँध लिया और सहायता की है उसे, भूठ बनाने पर एक और कौम ने जैसे ज़बर और यसार या अदास या फ़कह रूमी अर्थात् यह लोग अगली ख़बरें हज़रत मुहम्मद को कह देते हैं और वह अरबी भाषा में हमको सुनाता है, तो निसन्देह आए हैं उस कौम के लोग जुलम और भूठ पर अर्थात सहायता देने वाले लोग........ और बोले काफिर, कि मुहम्मद ! अरबी का कलाम तो कहानियाँ है, पूर्वजों की, पुस्तकों में लिखी है।

तफसीर कादरा, भाग २, पृष्ठ १३४

अरब के विद्वानों और तत्ववेत्ता लोगों ने कुरआन की वास्तविकता को सत्यासत्य और ठीक-ठीक उसी समय कह दिया था, कि कुरआन खुदा का कलाम (वाणी) नहीं है और मुहम्मद स्वयं ही बातें (आयतें) बनाता है तथा खुदा का नाम लेता है एवं पूर्व लिखित कहानियाँ सुनाता है, जो कि पूर्व लिखित पुस्तकों में वर्णित है।........इत्यादि !

यहां तक हमने कुरआन की प्रारम्भिक अवस्थाओं का वर्णन किया। अब अन्तिम बात यह रह गई कि कुरआन हजरत मुहम्मद तक कैसे पहुँचा ! यह चित्र (दृश्य) भी आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

इस सम्बंध में मोलाना अबू मुहम्मद हक्क हक़्क़ानी ने अपनी 'तफसीर हक्कानी' के मुकद्दमा में कुरआन की एक आयत लिख कर इस प्रकार स्पष्ट किया है। आयत :—

'वा मा कान लिबशरिन अंय्युकल्लिमा हुल्लाहो इल्ला वहयन

औ मिव्वराए हिजाबीन औ युर्सिला रसूलन फयूहिया बिइज़नेही मा यशाओ इन्नहू अलिय्युन हकीम । वा कज़ालिक औ हैना इलैका रूहम्मिन अमरेना मा कुन्त तदरी मल किताबो व लल-ईमान ।'

कुरआन, सूरत सूरा, आयत ५१–५२

अर्थात-और नहीं है शक्ति किसी मनुष्य को, कि बात करे उससे अल्लाह, मगर वही (फरिश्ते) से या पर्दे के पीछे से या भेजे फरिश्ता (सन्देशवाहक) जी में डाल देवे उसके हुक्म के साथ जो कुछ चाहता है । निसन्देह वह उच्च पद और हिकमत वाला है, और इसी प्रकार वही किया रूह को (फ़रिश्ता भेजा) तेरी (हज़रत मुहम्मद की) तरफ, वह अपने हुक्म से न था । तू जानता क्या है किताब और ईमान क्या है? अर्थात-ऐ मुहम्मद ! तू वही से (फ़रिश्ते में) पूर्व किताब और ईमान को नहीं जानता था ।

कुरआन के हेतु मुसलमानों की यही धारणा है कि जिब्रील के द्वारा ही खुदा ने हज़रत मुहम्मद को कुरआन सिखाया है । यद्यपि इस्लाम खुदा को सर्वव्यापक तो नहीं किन्तु सर्व शक्तिमान तो मानता है। क्या खुदा जिब्रीलके माध्यम बिना हज़रत मुहम्मद के हृदय में कुरआन अंकित नहीं कर सकता था? यदि यह सम्भव नहींथा, तो मेराज की रात्रिकी भांति पर्दे के पीछे रह कर हज़रत मुहम्मद को कुरआन बता दिया करता। हम पूछते हैं कि जब मूसा से खुदा ने तूर पहाड़ पर और झाड़ियों के पास बातें की, तो उस समय कौनसा पर्दा खुदा और मूसा के मध्य में था ।

अरब के लोग यह आग्रह करते थे कि कुरआन एक ही समय सम्पूर्ण क्यों नहीं आता, जैसे कि मूसा को 'तौरात' दी गई ।

हम कहते हैं कि जैसे हज़रत मूसा को तख्तियों पर लिखकर किताब (तौरेत) दी थी, वैसे ही खुदा हज़रत मुहम्मद को भी यदि कुरआन दे देता, तो अरब के लोगों का प्रश्न हल हो जाता। अस्तु.... .... !

जैसा कि ऊपर लिखा है, उसी के अनुसार

'वा नज़ला बिहिर्रुहुल अमीन अला कलबेका'

कुरआन, पारा १६, रकू ११।१५

अर्थात- और उतारा है इसके साथ रूहुल अमीन अर्थात जिब्रील ने मेरे दिल के ऊपर।

'लितूकना मिनल मुन्ज़ेरीन। बिलिसानिन अरबिय्यिम्मुबीन वा इन्नहू लफी ज़ुबुरिल अव्वलीना।'

कुरआन, पारा १६, रकू ११।१५

इस आयत का अर्थ करते हुए मुस्लिम मुफ़स्सिर (भाष्यकार) अत्यधिक घबराए हुए दीख पड़ते हैं, आयत के अर्थ नितान्त सरल है। अर्थात निस्सन्देह वह (कुरआन) उतारा गया है परवरदिगार आलमों [खुदा] की ओर से [अर्थात, कुरआन खुदा की ओर से उतारा गया है], उसके साथ उतरा है रूहुल अमीन अर्थात जिब्रील तेरे दिल पर, ताकि तू (हज़रत मुहम्मद) हो डराने वालों से, साथ अरबी भाषा के बयान करने वाली के और तहकीक (निस्सन्देह) यह कुरआन अलबत्ता मज़कूर (वर्णित) है बीच किताबों पहिले पैगम्बरों की।

अनुवाद, शाह रफीउद्दीन

इन तीनों आयतों में दो बार 'इन्नहू' आया है। दोनों जगह इन्नहू की ज़मीर कुरआन की ओर फिरती है। कोई कुरआन का अर्थ न लेते हुए कुरआन की खबर (सूचना) कहता

है। कोई इन्नहू की ज़मीर हज़रत मुहम्मद की ओर फेरता है, कि हज़रत मुहम्मद का ज़िक्र (चर्चा) पूर्व किताबों में किया गया है। एक ओर तो तफ़सीर हक्कानी के लेखक कहतेहैं, कि यह इंजील, और बाईबिल असली नहीं है! परन्तु इन नकली पुस्तकों में से ही हज़रत मुहम्मद को नबी (पैगम्बर) प्रमाणित करने हेतु हाथ-पैर मारतेहैं। इसको छोड़ कर अब कुरआन के किस्सों और सृष्टि-उत्पत्ति आदि को मिलाओ, तो आपके कुरआन के किस्से वहां से मिल जाएंगे, तो जब कुरआन का अधिकांश भाग तौरेत, ज़बूर और इंजील से मिलता है तो इसको अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। अतः यह कुरआन पूर्व पुस्तकों में है और दुसरे यह, आयत में है कि जिब्रील ने तेरे दिल पर उतारा है, किन्तु कुरआन के उतरने के हालात इसके विरूद्ध है, जैसा कि आप आगे पढेंगे।

—: कुरआन के उतरने की कहानी:—

कुरआन के नाज़िल होने (उतरने) के सम्बंध में जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात होता है, वो इस आयत के सर्वथा विपरीत है।

अल्लामा सियुती लिखते हैं कि वही (फरिश्तों) की बहुत सी अवस्थाएं विद्वानों ने लिखीहै। उनमें से प्रथम यह है जैसें इमाम बुखारी ने बयान किया हैं, कि अब्दुल्ला बिन उमर के प्रश्न पर हज़रत मुहम्मद ने नहीं आने के सम्बंध में बताया कि मैं झनकार के स्वर सुनता हूं और उस समय मौन हो जाता हूं। यह अवस्था मुझ पर अत्यंत कड़ी और भयंकर हुआ करती है।

तफसीर इतिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ ११७

उपरोक्त वर्णन इमाम बुखारी की हदीस से है। यह हदीस इस प्रकार है :-

'यातीनी मिसला सलसलातिल जर से बह अशद्दुह हलैया।'

तजरीदे बुखारी, बाब वदाउल वही।

अनुवाद ऊपर दिया गया है।

द्वितीय - कभी मेरे पास फ़रिश्ता मनुष्य के रूप में आता है और वह मुझसे वार्ता करता है। फिर मैं उसके कलाम को सुरक्षित कर लेता हूं।

हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने कड़कड़ाते जाड़ें में हज़रत मुहम्मद को वही (फरिश्ता) होते देखी है। उस समय आपका मस्तिष्क पसीने में तरबतर हो जाता था।

यह वर्णन भी इमाम बुखारी की हदीस से है, और हदीस इस प्रकार है :—

'यतमस्सलो लियलमलको रजोलन फ़युकललिमनी।' आदि

तज़रीदे बुखारी, बाब बदाउल वही

अनुवाद ऊपर दिया गया है।

हज़रत मुहम्मद के पास जिब्रील के आने की यह अवस्था भी थी। जिसे बुखारी अरबी, पृष्ठ १३५ और मुस्लिम किताबुल-ईमान में लिखा है, कि अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, कि एक दिन हम बैठे थे, कि अकस्मात एक पुरूष सफेद वस्त्र पहिने हुए, बाल बहुत काले थे और थकावट का उस पर कोई प्रभाव न था, वहां पर आया। उसके चले जाने के पश्चात हज़रत मुहम्मद ने पूछा-ऐ उमर! तू जानता है कि यह कौन था? उमर ने कहा- ख़ुदा और उसका रसूल ही जानता है, तो इस पर हज़रत मुहम्मद ने कहा- कि यह जिब्रील था।

अर्थात—(१) जिब्रील मनुष्य के रूप में भी कभी-कभी हजरत मुहम्मद के पास आता था। (२) कभी रसूलिल्लाह के हृदय में कलामें खुदा की रूह फूंक दी जाती थी। जैसे 'अन्न रूहुल कुद्दसा नफ़सा फ़ी रुओ' अर्थात–रूहुल कुद्दस ने मेरे दिल में फूंक मार दी। इस रवायत को हाकिम ने बयान किया है। (३) प्रथम अवस्था- झनकार के समान, द्वितीय हृदय में फूंक मारना और तृतीय अवस्था जैसा कि ऊपर वर्णनहै कि फ़रिश्ता मनुष्य के रूपमेंभी आताथा और मुझसे वार्ता करताथा। चतुर्थ (४) अवस्था यह-कि निद्रावस्था में मेरे पास आता था, और अधिकांश लोगों ने सूरत कौसर को इसी प्रकार की वही में गिना है। पंचम (५) अवस्था यह कि खुदा स्वयँ अपने रसूल से जाग्रतावस्था में बात किया करता था, जैसा मेराज़ को रात को घटना घटी या स्वप्नावस्था में, मुआज़ बिन जबल की हदीस में आया है, कि रसूलिल्लाह ने कहा–मेरे पास मेरा खुदा आया, और कहा-कि फ़रिश्ते किस विषय में झगड़ते हैं........... मगर जहाँ तक मुझे मालुम है, कुरआन में इस प्रकार की वही से कुछ पाया नहीं जाता। हां, यह सम्भव है कि सूरत बकर का अन्तिम कुछ भाग, सूरत ज़ुहा का कुछ भाग और सूरत अलम नशरह इस किस्म से समझा जाए।

इमाम अहमद ने अपनी तारीख में दाऊद बिन अबीहिन्द के अनुसार शैबी से रवायत की है-तो नबी रुल्लअम पर ४० वर्ष की आयु में नबव्वत नाज़िल की गई (पैगम्बरी दी गई) पस, आपकी नबव्वत से तीन वर्ष तक इसराफ़ील को आपके साथ रहने की आज्ञा दी गई और इसराफ़ील आपको कलमा और शय सिखाया करते थे (इसी समय हज़रत ने इल्म पढ़ा ज्ञात होता है) तीन वर्ष पश्चात जिब्रील को आपके साथ रहने का आदेश प्राप्त हुआ और उनकी जुबानी २० वर्षों तक कुर-

आन नाज़िल किया गया । (मैं कहूंगा कि बकौल इब्ने असा कर जब इसराफील के पश्चात ज़िब्रील को हजरत मुहम्मद के साथ किया गया तो आसमाने दुनिया से कुरआन कौन लाता था)

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ ११८

अल्लामा सियूतीने कुरआन की दो आयतें प्रमाण देकर कुरआन के हेतु एक नई बात प्रस्तुतकीहै। आपने लिखाहैओर इब्ने मर. दूया इब्ने मसऊद की हदीस से उसे उचित ठहरा कर रवायत की है, कि जिस अल्लाह पाक वही (फरिश्ता) के साथ कलाम कहता है, उस समय आसमान निवासी एक प्रकार की खड़खड़ा-हट सुनते हैं, जैसे किसी लोहे की जंजीर सख्त पत्थर पर रगड़ खाकर उसके गुजरने की आवाज होती है (ग्रामोफोन के रिकार्ड की भांति) पस, वह (आसमान निवासी) डर जाते हैं और ख़याल करते हैं, कि यह अमर कयामत की निशानियों में से है, और असल हदीस में मौजूद है ।

अली बिन सहल नेशापुरी की तफसीर में आया है कि विद्वानों की एक जमाअत ने कहा है:- कुरआन लैलतुल कदर में सब एक बारगी ही लौह महफ़ूज से एक घर में उतर आया, जिसको बैतुल इज्ज़त कहा जाता है । पस, ज़िब्रील ने उसको कंठस्थ कर लिया और कलाम अल्लाह की हैबत (भय) से समस्त आसमान निवासियों को ग़श (मूर्छा) आ गया और फिर ज़िब्रील उनकी ओर से होकर गुज़रा । अब वह होश में आ गये थे, तो उन्होंने (परस्पर) कहा-तुम्हारे रब्ब (ईश्वर) ने क्या कहा है? उन सबों ने कहा- 'हक्क' अर्थात कुरआन, और यही अर्थ खुदा के कौल :—

' हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िआ अन कूलबेहिम. काल माज़ा काला रब्बोकुम कालुलहक्क । '

कुरआन, पारा २२, रकू ३।६

यहां तक कि उसके आदेश की प्रतिक्षा में रहते हैं, यहां तक कि जब दूर हो जाए घबराहट उनके दिलों से, कहते हैं, आपस में, क्या कहा तुम्हारे परवर दिगार ने? कहते हैं-'हक्क' कहा ! फिर जिब्रील कुरआन को बैतुल इज्जत में लाए और उसके लिखने वाले फरिश्तों को जुबानी इबारत बताई, और यही अर्थ है खुदा के कौल :—

' फ़मन शाआ ज़करहु । फ़ी सुहुफ़िम्मुकर्रमतिम्मरफ़ू अतिम्मुतह हरतिन बिएदी सफ़रतिन किरामिन बर्रह । '

कुरआन, पारा ३, रकू १२५ सू अबस-२

पस, जो कोई चाहे याद करले उसको बीच सहीफों(पूर्वपुस्तकों) बड़ाई किये गयों के, बुलन्द किये गये, पाक किये गये बीच हाथ लिखने वालों बुजुर्ग नेकीकारों के ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ ११५

उपरोक्त कथन से यह ज्ञात हुआ कि कुरआन में खुदा कहता है, फरिश्ते भय से मूर्छित हो जाते हैं फिर जिब्रील याद करके फरिश्तों को लिखाता है.......... इत्यादि !

उपरोक्त वर्णित कथन उस कथन से भिन्न है, जो पूर्व में लिखा जा चुका है ।

वही का विवरण, बुखारी से

यद्यपि समस्त हदीसों में कुरआन उतरने का विवरण प्रायः एक समान ही है, परन्तु हम यहां तजरीदे बुखारी से उद्धृण दे रहे हैं ।

हज़रत आयशा से रवायत है, कि हारस बिन हशाम ने रसूलुल्लाह से वही आनेके सम्बंध में पूछा, तो हज़रत ने कहा, कि कभी तो आती हैं 'मिसले सलसलतिल जरस' अर्थात घंटियों के स्वर समान, वह मुझ पर अधिक कठोर होती है । कभी 'यतमस्सलो लियलमलको रजुलन' अर्थात फरिश्ता मनुष्य के रूप में आता है ।

हज़रत आयशा ने कहा- कि रसूलुल्लाह पर भीषण सर्दी में वही आती । उसके लौट जाने के पश्चात आपका (हज़रत मुहम्मद का) माथा पसीने से तरबतर हो जाता (हां ! वही का आना भी क्या किसी दंगल से कम है ?)

हज़रत आयशा ने कहा-कि सर्व प्रथम जो हज़रत पर उतरा वह सच्चे स्वप्न थे........ फिर आप ग़ारे हिरा (हीरा पहाड़ की गुफा) में तहन्नस (निरन्तर चंद रातों की भक्ति) करने चले गये । आप ग़ारेहिरा में ही थे कि फरिश्ते ने आकर कहा पढ़िये :—

"वा हुआ फ़ी ग़ारे हिराइन फ़जाआहुल मलको, फ़काला इक्रा, फ़फ़ुल्तो मा अना बकारिइन क़ाल फ़ा खज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ा मिन्निल जुहदा " आपने कहा- मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ ! कहा फिर (हज़रत ने) मुझको पकड़ा और दबोचा यहां तक कि मुझको बेहद दर्जे की मुशक्कत हुई । इसी प्रकार बार-म्बार अर्थात तीन बार मुझे पकड़ा और तीसरी बार के अन्त में कहा- ' इकरआ बिस्मे रब्बे कलजी...........' इत्यादि, और यह उपरोक्त आयत सम्पूर्ण पढ़ाई जिसका अर्थ है 'पढ़ उस खुदा के नाम से जो जगतकर्ता है, और उत्पन्न किया मनुष्य को खून बस्ता से, और वह खुदा करीम है, जिसने विद्या दी कलम से, फिर आप हज़रत खदीजा के पास आए । आपका दिल

धड़क रहा था। और आपने कहा–चादर उठाओ............... ।

तजरीदे बुखारी, हदीस २, ३, ४ पृष्ठ ७, ८, ९

फिर आपने कहा– 'लकद खशीतों अला नफ्सी' फिर हज़रत मुहम्मद ने पूर्ण किस्सा हज़रत खदीजा को बताया और कहा- मुझे जीवन का खतरा है।

उद्धरण उपरोक्तानुसार

देखिए ! इधर खुदा अपना ज्ञान हज़रत मुहम्मद को प्रदान कर रहा है और उधर हज़रत मुहम्मद अपनी जानका खतरा अनुभव हो रहा है, और फ़रिश्ता भी जैसे देहाती लड़के को मार-मार कर अध्यापक पढ़ाता है, वैसे पढ़ा रहा, है इधर ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, और उधर हज़रत को ज्ञात ही नहीं कि यह खुदा की ओर से भेजा गया फरिश्ता है।

फिर हज़रत खदीजा, हजरत मुहम्मद को अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। उसने बड़ा आश्वासन दिया और कहा कि मत डरो फिर कुछ दिन वहीं रुके रहे। फिर हज़रत मुहम्मद ने कहा-कि में जा रहा था, कि मुझे 'समैतो सौतन मिनस्माये' आसमानसे अकस्मात् आवाज सुनाई दी ; मैंने अपना सिर उठाया तो वही फरिश्ता जो कि हिरा की गुफा में मेरे पास आया था। जमीन और आसमान के मध्य एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे भयभीत हुआ, फिर मैंने कहा-चादर ओढ़ाओ, चादर ओढ़ाओ। फिर खुदा ने सूरत मुद्दस्सिर नाज़िल की।

तफसीर इत्तिकान में लिखा है, कि इब्ने साद ने बीबी आयशा से रवायत की है, जब रसूलिल्लाह को वही उतरती

तब आपका सिर चकराने लगता और चेहरे की दशा अस्त-व्यस्त हो जाती। दांत कटकटाने लगते और पसीना आ जाता।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १२०

पाठक वृन्द ! यह है कुरआन के ज्ञान होने की प्रारम्भिक स्थिति। हज़रत मुहम्मद जानते ही नहीं कि यह खुदा की ओर से मुझे ज्ञान-प्राप्ति हो रही है। क्या यह भी कोई ज्ञान होने का मार्ग है कि कोई बलात् दबोच-दबोच कर पढ़ाया जाए ? क्या यह इलहाम (ईश्वरीय ज्ञान) हो रहा है या जबर्दस्ती ज्ञान अंकित किया जा रहा है ? यह है प्रारम्भिक अवस्था जिसमें हज़रत मुहम्मद को इलहाम हुआ, ऐसा कहा जाता है। वरका बिन नौफल ने आश्वस्त किया, कि डरो मत ! यह खुदा का फ़रिश्ता है ! इत्यादि..................!

क्या कुरआन के इस विचित्र प्रकटीकरण को पढ़ कर कोई मननशील महानुभाव कुरआन के ईश्वरीय ज्ञान होने पर कभी विश्वास कर सकता है ? क्या कभी ईश्वरीय ज्ञान इस प्रकार एक अपरिचित और अशिक्षित मनुष्य के हृदय में बलात् ठूंसा जा सकता है ? कोई भी साधारण शिक्षित मनुष्य भी, अतिरिक्त उनके जिन लोगों ने अपने मस्तिष्क व विवेक पर ताले लगा रखे हैं, कोई भी ऐसे इलहाम का समर्थन नहीं कर सकता ! अतः कुरआन के ईश्वरीय ज्ञान के अविर्भाव होने के सम्बंध में जो प्रथम विवरण प्रस्तुत किया गया है, वो बुद्धिमान मनुष्यों के विश्वास से परे हैं।

कुरआन, भिन्न-भिन्न क्यों उतारा गया

अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने अपनी तफसीर इत्तिकान के प्रकरण १६ में पृष्ठ १०६ पर लिखा है-कि कुरआन के एक

बारगी न उतारने का कारण यह है कि इसमें कुछ भाग नासिख है और कुछ भाग मनसूख (निरस्त) अर्थात कुरआन में कुछ आयतें ऐसी हैं, जिनको दुसरी आयतों ने निरस्त कर दिया है। यह निरस्त करने वाली आयतें और निरस्त हो चुकी आयतें, दोनों पृथक-पृथक आने से ही उचित व्यवस्था रह सकती है। फ़िर कुरआन में कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनमें किसी के प्रश्नों के उत्तर भी हैं और कोई भाग किसी की बात और काम की अनुपयुक्तता के हेतु भी आया है। यह बात पूर्व में इब्ने अब्बास के कथन में बयान हो चुकी है। उन्होंने कहा-और उसे (कुरआन को) जिब्रील ने मनुष्यों के वक्तव्यों और कर्मों के उत्तर में धरती पर उतारा।

इब्ने अब्बास ने उक्त हेतु कुरआन की एक आयत से दिया है। जिसका एक भाग अल्लामा सियूती ने यहां लिखा है, किन्तु हम यहां पूरी आयत लिख रहे हैं। आयत :—

'वा ला यातूनका बिमसलिन इल्ला जेनाका बिल हक्के व अहसना तफ़सीरा।'

कुरआन, पारा १६, रकू ३।१

अर्थात- और नहीं लाते मुशरिक लोग तेरे वास्ते कोई मसल अर्थात तेरी नबव्वत (पैगम्बरी) को निरस्त करने और किताब (कुरआन) पर तान (लांछन) करने की कुछ बात नहीं कहते। परन्तु हम तेरे लिये उचित उत्तर और खुली हुई दलील के साथ उनके कथन को निरस्त करते हैं।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ १४०

उपरोक्त लिखे उद्धृण से यह प्रमाणित हो गया कि कुरआन का ज्ञान कोई स्थाई ज्ञान नहीं है। अतः समय की

आवश्यकता की दृष्टि से कुछ आयतों की आज्ञाओं को निरस्त करना, किसी के प्रश्नों के उत्तर देना और किसी बात एवँ कर्म पर घृणा करना आदि, यह कुरआन के उतारे जाने का रहस्य है। हम बुद्धिमान मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं कि इन उपरोक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए कुरआन ईश्वरीय ज्ञान कहलाने का क्या अधिकारी हो सकता है देखें ?

ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक वह होती है, जिसमें सदैव प्रतिक्षण हेतु और सब मनुष्यों के लिये स्थाई आज्ञाएँ हों। वह आज्ञाएँ ऐसी नहीं होती कि समय की आवश्यकतानुसार घड ली जाए और फिर अवसर बीतने पर उनके आदेश को निरस्त कर दिया जाये। ईश्वरीय ज्ञान में किसी व्यक्ति विशेष के प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते, और न किसी व्यक्ति विशेष के कर्मों की समालोचना की होती है, और न यह बात होती है कि पूर्व पुस्तकों के किस्से-कहानियों को अशृंखलाबद्ध रूप से लिखा जाये, और ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक में किसी व्यक्ति विशेष के पारिवारिक झगड़ों और उनके निदान हेतु आज्ञाएँ प्रसारित की जाएँ। ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक में ऐसा विवरण होना कदापि सम्भव नहीं और ऐसा होता भी नहीं है।

कुरआन को जिस ढंग से शृंखलाबद्ध किया गया है। कोई साधारणसा व्यवित भी उसको पसन्द नहीं करेगा। बारम्बार एकही विषयको न्यूनाधिक करके उद्धृत करना और मिथ्या बातों की ओर लोगों को आकर्षित करना। इससे न केवल पुस्तक की गतिक्रमता ही बिगड़ती है, अपितु कथन में मतभेद और विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाते हैं।

हम अपनी इस पुस्तक के द्वितीय खंड में कुरआन में वर्णित किस्से कहानियों को क्रमबद्ध कर यह दिखाएँगे कि

किस प्रकार एक ही व्यक्ति का वर्णन कहीं थोड़ा थोड़ा और कहीं अधिकाधिक उल्लेख किया है। कुरआन के लेखक ने लिखते समय कथानक-प्रचलित-शैली और प्रवाह एवं शृंखला का तनिक भी ध्यान नहीं रखा। कुरआन की लेखन शैली एवं प्रस्तुतीकरण देख कर कोई भी लेखक उसे पसन्द नही करेगा।

उदाहरणार्थ-शैतान और खुदा का वार्तालाप आदम के सजदा (नत मस्तक) न करने की घटना एक बार ही हुई परन्तु कुरआन में बारम्बार विभिन्न स्थलों पर शैतान का किस्सा दुहराने पर उसमें शाब्दिक व वाक्यों की न्यूनता और अधिकता होगई और फिर इसके परिणाम स्वरूप अर्थों में अन्तर उत्पन्न हो गया। ऐसी ही स्थिति हजरत मूसा और अन्य लोगों की कथाओं में भी उत्पन्न हुई है। हम उन सबको विस्तार पूर्वक द्वितीय खंड में लिखेंगे।

इस्लाम-विरोधी लोगों के प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने में भी कुरआन की तरतीब (शृङ्खला) में अन्तर आ गया, तथा पारिवारिक बातों में दखल (हस्तक्षेप) देने के कारण भी कुरआन की प्रतिष्ठा व शृङ्खला में अन्तर आ गया, तथा पारिवारिक बातों में दखल (हस्तक्षेप) देने के कारण भी कुरआन की प्रतिष्ठा घट गई। कुरआन की आयतों से सम्बन्धित जितने भी विषय हैं, उन सबका वर्णन हम यथा स्थान करेंगे। जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कुरआन की भाषा उच्चत्तम होने पर भी लेखन-शैली में कोई शृङ्खला न रही। यहां पर उनका वर्णन करना स्थानोचित प्रतीत नहीं होता है। कुरआन उतरने सम्बंधी जो कुछ हमने अब तक लिखा और जो अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान में लिखा, उसका संक्षिप्तिकरण हम पाठकों के ज्ञानार्जन हेतु आगे लिखते हैं,

ताकि जो कुछ कुरआन-विषयक कहा गया है। उसे भली प्रकार समझ लेवें।

१—ज़िब्रील कुरआन के शब्द और अर्थ दोनों ही कहता था।

२—जिब्रील केवल अर्थों को ही बयान करता था।

३—जिब्रील कहता नहीं था, अर्थों को मन में अङ्कित करता था,

४—जिब्रील ने कुरआन को लौह-महफ़ूज़ से कंठस्थ करने के पश्चात उतारा।

५—लौह महफ़ूज़ में कुरआन के अक्षर कोहेकाफ पहाड़ के बराबर है।

६—उनके नीचे अनगिनत अर्थ लिखे हैं।

७—जिब्रील विशेषकर अर्थ ही उतारते थे, और हजरत मुहम्मद उनको जानकर, उन्हें अरबी भाषा में बयान करते थे।

८—रसूलिल्लाह पर अर्थों को ही अङ्कित किया। हज़रत मुहम्मद ने उन्हें अरबी भाषा में करके बयान किया।

९—आसमान निवासी कुरआन को अरबी भाषा में पढ़ते थे, जिब्रील भी उसी प्रकार लेकर आए।

११—जिब्रील ने खुदा से कुरआन सीखा।

१२—जिस समय खुदा वही से कलाम करता है, उस समय आसमान निवासी भयभीत हो, कम्पित हो जाते हैं।

१३—आसमान निवासी उस कलाम को सुनते हैं, तो वे चीख मार कर गिर जाते है।

१३—जिब्रील सजदे से पूर्व अपना सिर उठाता है ।

१४—उस समय खुदा अपनी वही के साथ कलाम करता है और जिब्रिल उसे फ़रिश्तों तक ले जाता है ।

१५—फिर खुदा की आज्ञानुसार यथास्थान पहुँचा देता है ।

१६—जब जिब्रील ने कुरआन कंठस्थ कर लिया, तो खुदा के कलाम के भय से आसमान निवासी मूर्छित हो गए ।

१७—फिर जिब्रील कुरआन को बैतुल इज़्ज़त में ले आए और फ़रिश्तो को बोल कर लिखवाया ।

१८—खुदा ने जब जिब्रील को कहा, उसने वह हज़रत मुहम्मद को कह दिया, किन्तु जिब्रील की भाषा ज्यों की त्यों खुदा की भाषा न थी ।

१९—खुदा ने हज़रत मुहम्मद को सुविधा देने हेतु वही (फ़रिश्ते) को दो भागों में विभक्त कर दिया । एक तो वह जिसे उन्हीं शब्दों और वाक्यों सहित बयान किया गया और दोयम, वह जिसमें सारांश बताया गया । यदि समस्त वही ज्यों का त्यों बयान कर दे तो यह बात उम्मत पर भार होती ।

२०—जौहरी ने कहा-कि वही, वह कलाम है जो खुदा किसी नबी की ओर भेजता है, और वह उसके दिल में अंकित कर देता है.......... इत्यादि !

हमने जो कुछ ऊपर लिखाहै, वह बड़े-बड़े मुस्लिम विद्वानों, जो कुरआन की व्याख्या करने में अद्वितीय एवं सर्व-श्रेष्ट माने जाते हैं, यह उनके कथनहैं । यदि आप उपरोक्त कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो उनमें अधिकांश पारस्परिक विरोध प्रतीत होगा । ऐसी पुस्तक कदापि प्रमाणित कोटि में नहीं आ सकती है । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट सिद्ध होता है कि कुरआन

के इलहामी होने का दावा ऐसा भ्रमात्मक है, जिसे कोई भी जिज्ञासु स्वीकारने हेतु तत्पर नहीं हो सकता, अतिरिक्त उन लोगों के जिन्होंने अपनी बुद्धि को किसी अन्य के हाथ विक्रय कर दिया हो। आगे हम कुरआन के इसी विषय को और भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।

कुरआन कैसे और किन किन स्थानों पर उतरा

कुरआन, हजरत मुहम्मद के पास कैसे पहुँचा। इसके पहुँचने की कुछ और भी स्थितियां हैं। जो पाठकों की जानकारी हेतु उनको भी आगे लिखते हैं। वह है-विभिन्न स्थानों पर कुरआन का उतरना।

अल्लामा सियूती ने अपनी तफसीर इत्तिकान के प्रथम प्रकरण में ही लिखा है-कि मक्की और मदिनी आयतों के पहिचान लेने से यह लाभ होगा कि पीछे उतरने वाली आयतों से, बाद में उतरने के कारण या पहिले आदेश के निरस्त होने का ज्ञान या हुकुम आम की तखसीस (विशेषता) का पता लगेगा।

आप लिखते हैं-कि अबुलकासिम हसन बिन मुहम्मद बिन हबीब नैशापुरी अपनी किताबुत्तन्बीह में कुरआन के उलूम की फजीलत (प्रतिष्ठा) पर लिखते हैं, कि कुरआन के इल्मों में सबसे अशरफ (महत्वपूर्ण) ज्ञान कुरआन के उतरने का इल्म है। उसकी जिहात (दिशाएं) मक्का और मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों की तरकीब की सूरतों का इल्म है और इस बात को जानना कि कौन सी सूरत मक्का में उतरी और उसका आदेश मदनी है और कौन सी सूरत मदीना में उतरी और जिसका आदेश मक्की है। .... और हजफा, बैतुल मुकद्दस,

ताइफ और हदीबा में उतरने वाली सूरतों का ज्ञान रखना और इस बात से परिचित होना कि कौन सी सूरत रात के समय उतरी थी और कौन सी दिन के समय या कौन सी सूरत फरिश्तों के साथ और किस सूरत को अकेला जिब्रील ही लाया.... इस प्रकार के २५ कारण रावी (लेखक) ने बताए हैं, और लिखा है, कि जो व्यक्ति इनको भली प्रकार नहीं जानता और इनमें परस्पर अन्तर न कर सकें, उसके लिए कदापि उचित न होगा कि वह कलामे अल्लाह के सम्बंध में कुछ कलाम कर सके।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १, पृष्ठ १४

इब्ने अरबी ने आम तौर से कुरआन उतरने के स्थान निम्न लिखित लिखे हैं–मक्की, मदनी, सफरी, हजरी-लैली, निहारी, समावी और अर्जी। इनके अतिरिक्त कुछ भाग आसमान और धरती के मध्य मुअल्लिक (लटकते हुए) उतरे हैं और कुछ धरती के नीचे ग़ार (गुफा) के भीतर उतरे।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १, पृष्ठ १५

मक्की और मदनी आयतों को जानने हेतु तीन परिभाषाएँ

प्रथम—कुरआन का जो भाग हिजरत (देश त्याग) से पूर्व उतरा वह मक्की और हिजरत के पश्चात उतरा वह मदिनी।

इसका तात्पर्य यों समझना चाहिये कि मक्का और सफर हिजरत में जो कलाम उतरा वह मक्की और मदिनी था

और आपके सफ़रों (यात्राओं) में भी जो भाग उतरा, वह मदिनी ।

द्वितीय—मक्की उसी को कहते है, कि जिसका नज़ूल मक्का में हुआ हो, चाहे वह हिज़रत के पश्चात ही क्यों न हुआ हो और मदिनी, वह है जिसका नज़ूल मदीना में हुआ हो । ऐसी स्थिति में सफर की हालत में नाज़िल होने वाला भाग मक्की या मदिनी कुछ नहीं कहला सकता..........तिब-रानी ने कबीर में लिखा है कि रसूलिल्लाह ने कहा है कि कुर-आन तीन स्थानों पर उतरा है, मक्का, मदीना और शाम ।

तृतीय-मक्की वह भाग है, जो मक्का वालों को सम्बो-धन करने हेतु उतरा और मदिनी वह जिसकी बात से मदीना वालों का सम्बंध हो ।

कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जिनका कुछ भाग मदीना और कुछ भाग मक्का में उतरा हुआ कहा जाता है ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १ पृष्ठ १५-१६

कुरआन के सम्बंध में सूरतों के उतरने की जो शृङ्खला लिखी गई है । वह इस प्रकार है-८६ सूरतें मक्का में उतरीं कही जाती है, जिनकी तरतीब तफसीर इत्तिकान में निम्न प्रकार लिखी है ।

(१) इकरा (२) नून (३) मुज्जम्मल (४) मुद्दस्सर (५) अलहमद (६) तब्बत (७) कुव्वेरत (८) अल आला (९) लैल (१०) फज़र (११) वज़ुहा (१२) अलम नशरह (१३) वल असर (१४) अल आदेयात (१५) कौसर (१६) अलहाक मुत्तकासर (१७) अराऐत (१८) कुलया अय्यो-हल काफेरुन (१९) अल फ़ील (२०) अल खलक (२१) कुल हुवल्लाह (२२) अनजम (२३) अबस (२४) कदर (२५) वश्शम्स

(२६) अलबरूज (२७) वत्तीन (२८) लईलाफ (२६) अलकारेआ (३०) कयामत (३१) वैलुल्ले कुल्ले (३२) अल मुर्सलात (३३) काहफ (३४) अल बल्द (३५) वत्तारक (३६) इक्तर-बतिस्साअते (३७) स्वाद (३८) ऐराफ (३९) जिन्न (४०)यासीन (४१) फुरकान (४२) फ़ातिर (४३) का हा या एन स्वाद (४४) त्वाहा (४५) शुअरा (४६) नमल (४७) कसस (४८) असरा (४६) यूनस (५०) हूद (५१) यूसुफ (५२) हजर (५३) अनआम (५४) जबह (५५) लुकमान (५६) सबा (५७) जुमर (५८) गाफिर (५९) फुस्सेलत (६०) ज़ुखरफ (६१) दुखान (६२) जासिया (६३) अहकाफ (६४) अज्ज़ारे-यात (६५) गाशिया (६६) कहफ (६७) शूरा (६८) इब्राहीम (६९) अम्बिया (७०) नहल (७१) मजाजेआ (७२) नूह (७३) तूर (७४) अलफलाह (७५) अलमलक (७६) दाइयाह (७७) साअला (७८) अम्मा (७९) गरक (८०) इन्फतार (८१) कदह (८२) रोम (८३) अनकबूत (८४) मुतफ्फेफीन

मदिनी की २८

(१) इमरान (२) अनफाल (३) अहज़ाब (४) माएदा (५) इम्तेहान (६) अन्निसा (७) जुलज़लत (८) अल हदीद (९) मुहम्मद (१०) रअ्द (११) अर्रहमान (१२) अद्दहर (१३) तलाक (१४) लमू यकुन (१५) अल हशर (१६) नसर (१७) नूह (१८) हज्ज (१९) मुना फेकीन (२०) मुजादेला (२१) हाजेरात (२२) तहरीम (२३) जुमा (२४) तगाबन (२५) सफ (२६) फतह (२७) तौबा। जो सफर में 'अकमलते लकुम लाकिन्ना इज़ा वसअन' यह है कुरआन की सूरतों की तरतीबवार गणना।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७, पृष्ठ ६२-६४

(८६ मक्की सूरतें कही थी उसमें २ कम है और २८ में १ कम है)

अब्दुल्लाह बिन मसऊद के कुरआन में तीन सूरतें नहीं है, अलहमद-मऊज़तैन -२ अर्थात कुल अऊज़ बेरुब्बिन्नास व कुल अऊज़ो बेरब्बिल फ़लक ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८, पृष्ठ १७३

अब हम आगे संक्षेप में आयतों और सूरतों के उतरने का समय लिखते हैं ।

तफ़सीर इत्तिकान में मक्की और मदिनी आयतों पर बड़ी चर्चा [बहस] की गई है, और मक्की व मदिनी कौन सी आयतें हैं, इस पर भी विस्तारपूर्वक लिखा गया है ।

अल्लामा सियूती ने इस बात पर भी चर्चा की है, कि कौन सी आयतें मक्का में उतरीं और उनकी आज्ञा मदिनी है ?........और वह कौन सी आयतें है, जो मदिना में उतरी किन्तु उनकी आज्ञा मक्की है ? और इस बात का भी उल्लेख किया है, कि किसी-किसी सूरत की जो मदिना में उतरी, उसकी कुछ आयतें मक्का में भी उतरी ।

तफसीर इत्तिकान में पृष्ठ १५ से लेकर पृष्ठ ४१ तक इसी विषय पर लम्बी चर्चा है ।

अब हम इस मक्की और मदिनी आयतों के इतने विस्तृत लेख को यहां लिखना व्यर्थ समझते हैं । अंत में केवल मिर्ज़ा हैरत देहलवी की सम्मति लिख कर इस मक्की-मदनी की चर्चा समाप्त करते हैं ।

मिस्टर म्यूर के इस आक्षेप पर-कि कुरआन की तारीख़ी तरतीब (शृङ्खला) जिस भांति दोषपूर्ण है, उसी

भांति उसके मज़ामीन (विषयों) की तरतीब और उसका निज़ाम (सम्बन्ध) भी दोषयुक्त (गलत) है, मिर्जा हैरत देहलवी उक्त आक्षेप के उत्तर में अपनी पुस्तक "मुकद्दम ए तफ़सीरूल फ़ुर्कान" के पृष्ठ १७ पर मिस्टर म्यूर को उत्तर देते हुए लिखते हैं–कि सूरतों के मक्की व मदिनी होने में स्वयं मुस्लिम विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है, और अब तक इस अमर का निर्णय नहीं हुआ है कि इतनी सूरतें विश्वस्त मक्की है और इतनी सूरतें निसन्देह मदिनी हैं, परन्तु हम इसे भी स्वीकार करते हैं कि वह सूरत जो मदीना में उतरी थी, उस सूरत से पहिले आ गई है, जो कि मक्का में उतरी थी। इससे हम यह दलील (तर्क) नहीं पकड़ सकते कि तारीखी तरतीब ग़लत है। (हजरत मिर्ज़ा महोदय ! जब आपको तरतीब का ही पता नहीं है, तो ग़लत और सही कैसे कह सकते हो ?-लेखक ग़लत का करीह लफ़ज़ (घृणित शब्द) स्वयं किसी लेखक की ऐसी तस्नीफ़ (प्रकाशन) की निस्बत (हेतु) आयद (प्रयुक्त) नहीं हो सकता। जिसने मज़ामीन (विषयों) की किसी मस्लेहत (समयानुकूलता) के कारण तरतीब दी हो (तरतीब तो अबुबकर या हज़रत उसमान ने ज़ैद से दिलवाई) और उसे अपने ढंग पर नवीन परिवेश (लिवास) दिया हो (इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि पुराना लिवास उतार कर फ़ेंक दिया। लेखक) मुसलमानों का सिद्धांत [अकीदा] यह है, कि कुरआन खुदा का कलाम है और आसमान से उतरा है। उसकी वही तरतीब है जो लौह महफूज में थी (लौह महफ़ूज में कुरान के होने का प्रमाण तो एक और रहा, मिर्जा महोदय ! पहिले लौह महफ़ूज का अस्तित्व [वजूद] तो प्रमाणित करो) फिर आप स्वयं ही (मिर्जा देहलवी) लिखते हैं, कि यह उत्तर खस्म [विरोधी] के

लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम मुफ़स्सला ज़ैल (निम्न-लिखित) बहस करते हैं। [बहस भी देख लीजिये]

कुरआन चाहे आसमान से उतरा या स्वयं हज़रत मुहम्मद ने लिखा हो। प्रत्येक स्थिति में यह लाज़मी तौर से मानना पड़ेगा कि बमुक्ताज़ाये वक्त [समय की मांग] वा ज़रुरत [आवश्यकतानुसार] नाज़िल होता था। साम्यवादो, जो खुदा को नहीं मानते वह भी यही कहते हैं। और उसी प्रकार तलकीन किया जाता था [अर्थात कार्य रूप में परिणित हो जाता था] जितनी कि उसकी आवश्यकता होती थी। यदि आगे-पीछे की तरतीब रखी जाती तो ग़लत मब्हस [मिथ्या, उलटी तरतीब] ऐसा हो जाता कि फिर कदापि समझ में नहीं आ सकता था।

मुकद्दमा तफ़सीरूल फ़ुर्कान, पृष्ठ १७

मिर्जा देहवली ने जो उत्तर मिस्टर म्यूर को दिया है, उसे ध्यान पूर्वक पढ़े। प्रारम्भ में लिखा कि मक्की व मदिनी आयतों का अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका। यदि अब तक निर्णय नहीं हो सका तो आप तरतीब सही होने का दावा क्यों करते है ? आगे आप लिखते हैं, कुरआन चाहे आसमान से उतरा हो या स्वयं हज़रत मुहम्मद ने बनाया हो, परन्तु समय की आवश्यकतानुसार उतरता था। समय की आवश्यकता-नुसार होना कोई इलहामी किताब की सिफ़त नहीं है। यह तो मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। आपने यह भी लिख दिया कि कुरआन खुदा का कलाम हो या हज़रत मुहम्मद ने बनाया हो, आपके इस विचार से ज्ञात होता है कि दोनों बातों में कोई भी बात सम्भव है। फिर आपने लिखा, कि यदि वैसे

कुरआन लिखा जाता तो समझ में नहीं आता। कैसी ग़लत दलील है ? क्या कुरआन के आरम्भ में सूरत इकरा, फिर नून, फिर मुज्जम्मल और फिर मुद्दस्सिर रखी जाती तो कौन सी बात समझ से बाहर होती ? मिर्ज़ा महोदय ने जब यह लिखा कि अब तक मक्की और मदिनी आयतों का निर्णय ही नहीं हो सका, तो अनिश्चित और अनिर्णित विषय पर चर्चा [बहस] करना ही व्यर्थ है।

द्वितीय प्रकरण : हज़री व सफ़री आयतें-

तफसीर इत्तिकान में इस प्रकरण को इस प्रकार प्रारम्भ किया गया है, कि हज़री आयतें वह है जो मक्का व मदीना ठहरने [निवास] की स्थिति में उतरी। उनके उदाहरण बहुत है, परन्तु सफ़री आयतें और सूरतें वह है जिनका उतरना किसी सफ़र [यात्रा] में हुआ। उनके उदाहरण लेखक ने लिखे हैं, किन्तु विषय के सविस्तृत होने के भय से हम उदाहरण नहीं लिख रहे हैं।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण २, पृष्ठ ४२

—: तृतीय प्रकरणः निहारी और लैली :—

निहारी, कुरआन का वह भाग है, जिसका उतरना दिन के समय हुआ। उसके बहुत उदाहरण है।

लैली, वह भाग है, जिसका उतरना रात्रि के समय हुआ। उसके उदाहरण जो अल्लामा ने दिये हैं, उनमें से कुछ यहाँ लिखते हैं, परन्तु इनमें भी मतभेद है। वैसे तो

कोई एक बात भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें परस्पर विरोधाभास और मतभेद न हों, परन्तु इस किबला के रुख के बदलने में बड़ा मतभेद है कोई दिन को और कोई रात को कहता है ।

अल्लामा सियूती ने लिखा है, कि रसूलिल्लाह ने १६ या १७ महिने बैतुल मुकद्दस की ओर मुँह कर के नमाज पढ़ी, परन्तु उनका दिल यही चाहता था कि उनका किबला [नमाज के लिए मुँह करना] बैतुल्लाह [मक्का] की ओर हो ।

इस पर काज़ी जलालुद्दीन ने कहा—कि यह बात अधिक स्वीकारने योग्य है, कि 'कदनरा नुकल्लेबो' आयत रात को उतरी ।

आगे तिबरानी और अबू उबैद ने सूरतुल अनआम की प्रशंसा करते हुए इब्ने अब्बास से रवायत की है, कि सूरते अनआम मक्का में रात्रि के समय एक साथ ही इस प्रकार उतरी, कि उसके गिर्द [आस पास] ७० हजार फ़रिश्ते तसबीह [जय जय कार] का शोर गुल करते आ रहे थे ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ३, पृष्ठ ५०

हां ; ठीक है, रात्रि के समय में अकेला जिब्रील क्या करता ? इसलिए ७० हजार फरिश्ते उनके साथ आए । यह रक्षक फरिश्ते जिब्रील के साथ क्यों आते थे ? इसका कारण अल्लामा सियूति ने निम्नलिखित बताया है ।

इब्ने जरीक, जहाक से रवायत करता है, कि जिस समय रसूलुल्लाह के पास वही लाने वाला फरिश्ता भेजा जाता था,

तो खुदावन्द करीम उसके साथ और भी कई फरिश्ते भेजता ताकि वह हामिले वही के आगे-पीछे और दांये-बांये प्रत्येक ओर से इसलिये रक्षा करते रहें, कि कहीं शैतान, फरिश्ता का रूप धारण कर रसूलुल्लाह [हजरत मुहम्मद] के पास न जा पहुँचे। अतः इन रवायतों से प्रमाणित होता है कि कुरआन की कोई भी आयत बगैर मशाएअत [साथियों [के नहीं पहुँची।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १४, पृष्ठ ६८-६६

शैतान भी कमाल की हस्ती है; कि खुदा भी खौफ खाता है कि शैतान न जाने कब क्या कारा [षडयन्त्र] कर जाए ? अस्तु

रात्रि को वही आने का एक और उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि वही की यह स्थिति भी आप जान लें।

सहीह बुखारी ने आयशा से रवायत की है, कि बीबी सूदा भली प्रकार पर्दा कर किसी आवश्यकतावश बाहर गई और वह एक जसीमा [मोटी] स्त्री थी। जिसका परिचित लोगों से गुप्त रहना असम्भव था। उमर ने इन्हें देख लिया और कहा—सूदह वल्लाह ! तू हमसे छिप नहीं सकती। अब तुम ही गौर करो कि किस प्रकार बाहर निकलती हो [आयशा कहती है] उमर की यह बात सुन कर सूदा पीछे लौट आई। उस समय रसूलुल्लाह रात्रि का भोजन कर रहे थे और आपके हाथ में एक हड्डी थी, सूदा ने सारी बात कही। उसी समय खुदा ने रसूले पाक पर वही भेजी। इस स्थिति में कि हड्डी बदस्तूर [पूर्व की भाँति [आपके हाथ में थी।

तफसरी इत्तिकान, प्रकरण ३ पृष्ठ ५८-५१

इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से मात्र नमूना लिखा है।

—: चतुर्थ प्रकरण: सैफ़ी और शताई :—

सैफ़ी और शताई वह आयतें हैं, जो सर्दी और गर्मी के मौसम में उतरी।

वाहदी ने कहा-कलाला के विषय में दो आयतें एक सर्दी और एक गर्मी के मौसम में उतरीं। कलाला का अर्थ है, जिसका वारिस बहिन के अतिरिक्त और कोई न हो।

हज़रत उमर से रवायत है, कि मैंने कलाला के विषय में बारम्बार रसूलुल्लाह से पूछा, तो रसूलुल्लाह मुझ पर इतना क्रोधित हुए कि मेरे सीने में अपनी अँगुली मार कर कहा-कि क्या तुझे वह गर्मी के मौसम की आयत पर्याप्त नहीं जान पड़ती।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४, पृष्ठ ५२

गर्मी की रितु की एक आयत और हम लिखते हैं। उससे आपको रहस्य ज्ञात होगा और आप कह उठेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है?

तफसीर इत्तिकान में तबूक के युद्ध के विषय में लिखा है, कि बैहकी ने किताबुद्दलाइल में इब्ने इसहाक के आधार पर आसिम बिन उमर बिन कतादा और अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़म से रवायत की है, कि रसूलुल्लाह जब युद्ध हेतु प्रस्थान करते थे तो लक्ष्य की ओर के अतिरिक्त दूसरी ओर जाने का इज़हार [प्रकट] करते थे, परन्तु आपने तबूक के युद्ध हेतु स्पष्ट बता दिया कि मैं रूमियों के मुकाबिले पर जाने का विचार रखता हूं............... इस युद्ध में जाने हेतु आपने जद्द बिन कैस को

कहा, कि क्या तुझको बनिल असफ़र [रूमी] की बेटियों से भी कुछ उनस [प्रेम] है। जद्द बिन कैस ने निवेदन किया–कि या रसूलिल्लाह मेरी कौम को यह बात भली प्रकार ज्ञात है, कि मुझसे बढ़ कर स्त्रियों का फ़रेफता [मोहित होने वाला] कोई अन्य व्यक्ति मुश्किल से होगा और मुझे भय है, कि यदि मैं बनी असफ़र की स्त्रियों को देखूँ तो कहीं उन पर मोहित न हो जाऊँ और गुनाह [पाप] में मुबतिला [लिप्त] न हो जाऊँ। इस लिए आप मुझे यहां ही रहने की आज्ञा दीजिए। उस समय 'मंय्यकूलोज़न' आयत उतरी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४, पृष्ठ ५३

आयत कुछ भी उतरी हो। हमें तो यह स्पष्ट करना था कि एक धर्म के पथ-प्रदर्शक और हिदायत देने वाले के एक व्यक्ति को युद्ध-हेतु प्रलोभन और उस व्यक्ति से कैसी वार्ता है, जैसे बाज़ारू–मटरगश्त मित्रों के मध्य में होती है।

—: पंचम प्रकरण: फ़राशी और नौमी :—

फ़राशी, कुरआन का वह भाग है, जिसका उतरना उस समय हुआ, जब कि रसूलुल्लाह [हज़रत मुहम्मद] अपनी शैय्या पर अपनी किसी पत्नि के साथ जाग्रतावस्था में थे।

नौमी, कुरआन का वह भाग है, जिसका उतरना स्वप्नावस्था और स्थिरता तथा अर्ध निद्रा की स्थिति में हुआ।

फ़राशी में से प्रथम आयत यह है :—

'वल्लाहो यासिमुका मिनन्नास'

कुरआन, पारा ६, रकू १० ५४

अर्थात—तुझे [हज़रत मुहम्मद] लोगों से अल्लाह बचाएगा !

दुसरी आयत :—

' वा अलस्सलासा तिल्लाज़ीना ख़ुल्लेफ़ू

कुरआन, पारा ११, रकू १४।३

अर्थात—उन तीन व्यक्तियों पर जो पीछे रह गये थे ।

हदीस में उल्लिखित है कि उक्त दोनों आयतों का उतरना उस समय हुआ, जब कि एक तिहाई रात्री शेष रही थी और उस समय रसूलुल्लाह अपनी पत्नि उम्मे सलमा के पास सोये हुए थे ।

उक्त अंतिम आयत के सम्बंध में अल्लामा सियूती लिखते हैं, कि इसमें एक यह विवाद उपस्थित होता है, कि हज़रत मुहम्मद का कथन है, कि मुझे बीबी आयशा के अतिरिक्त अन्य किसी पत्नि के समीप होने में कोई आयत नहीं उतरी। इस स्थिति में उक्त दोनों परस्पर विरोधी कथनों का समन्वय होना कठिन है ।

आगे अल्लामा सियूती ने उक्त पारस्परिक विरोध को मिटाने हेतु दो विद्वानों की सम्मतियाँ प्रस्तुत की है :—

काजी जलालुद्दीन का कथन है, कि सम्भवतया रसूलुल्लाह ने यह बात उस समय कही होगी, जब कि आयशा के समीप आयत उतरती रही हो, और उम्मे सलमा की घटना उसके बाद की होगी ।

अबू याली का कथन है, कि बीबी आयशा ने कहा कि मुझे ९ वस्तुएँ दी गई है । इस हदीस में यह उल्लेखित है, कि

जब हज़रत मुहम्मद अपने परिवार में होते और आयत उतरती तो परिवार के सदस्य उनके पास से चले जाते, तथा जब ऐसे समय उतरती कि मैं (आयशा) और हज़रत मुहम्मद एक ही लिहाफ़ (रज़ाई या सौढ़) में शयन करते होते ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ५, पृष्ठ ५४

(तात्पर्य यह है कि अल्लामा ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बीबी आयशा और हज़रत मुहम्मद जब एक ही लिहाफ में रहते थे, तब आयत उतरती, अर्थात बीबी आयशाके अतिरिक्त अन्य किसी पत्नि के समीप आयत नहीं उतरी । इस उक्त कथन से पारस्परिक उक्त दोनों कथनों का स्पष्टीकरण स्वतः ही हो जाता है, किन्तु हमारी दृष्टि में उक्त स्पष्टिकरण कोई महत्व नहीं रखता, क्यों कि उम्मे सलमा के पास जो आयत रात्रिकाल में शयन स्थिति में उतरी, वह भी एक ही शैय्या पर शयन स्थिति में ही उतरी) पुनः उसे स्पष्ट नहीं किया ।

नौमी में से प्रथम और आयत है :—

' इन्ना आतैना कल कौसर, फसल्ले लेरब्बेका वनहर, इन्ना शाने-अका हुवल अबतर '

कुरआन, पारा ३०, रकू १।३३

अर्थात—हमने (खुदा ने) तुझे कौसर (नहर) प्रदान की, सो इस पुरुस्कार के धन्यवाद स्वरूप अपने ईश्वर की नमाज़ पढ़ा कर और बलिदान दिया कर ('वनहर' शब्द से ऊँट का बलिदान, विशेष अर्थ रखता है ।)

निसन्देह, आपका (हज़रत मुहम्मद का) शत्रु बिना नामोनि-शान के है ।

अनुवाद, इब्ने कसीर, पारा ३०, पृष्ठ ५३

(उक्त आयत में 'अबतर' शब्द है, जिसकी व्याख्या हम सविस्तार अन्य स्थान पर कर चुके हैं।)

तफसीर इब्ने कसीर में उक्त आयत की व्याख्या करते हुए लिखा है, कि कौसर एक नहर है, जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के तम्बु है। उसकी मिट्टी कस्तुरी है। उसके कंकर सुच्चे मोती हैं।

आयत में दुसरा शब्द 'नहर' है! नहर का अर्थ कुर्बानियों को कत्ल करना है।

तफसीर इब्ने कसीर, पारा ३०, पृ. ५३-५४

लीयतूबू इनल्लाहा हुवत्तव्वाबुर्रहीम '

कुरआन, पारा ११, रकू १४।३

इस आयत का अनुवाद देखने से प्रत्येक को यह ज्ञात हो जाएगा कि कुरआन को समझने के लिए उसकी आयतों के शाने नज़ूल (कि आयत क्यों उतरी) को जानना आवश्यक है। शाने नज़ूल पर हम बाद में लिखेंगे, परन्तु यह आयतें दुसरे प्रकरण के सम्बंध में आ गई है, इसलिए कुछ थोड़ा सा लिख रहे हैं।

तफसीर कादरी में इस पर निम्न प्रकार लिखा है कि:— "निकट था कि टेढ़े हो जाएँ अपने हाल से, बदल जाए दिल एक गिरोह के उनमें से, यह हाल पहुँचा था कि युध्द की कठोरता व परिश्रम के कारण कुछ लोग जहाद से फिर आये, या रसूलिल्लाह की आज्ञा को भंग करें। फिर खुदा ने दरगुज़र की उन लोगों से जिनके दिल ईमान पर दृढ़ रहने से फिरे जाते थे। निसन्देह, खुदा उन पर बड़ी दयालुता करने वाला

है, जब उन्होंने तौबा की, और क्षमा दी उन तीन व्यक्तियों को, जो पीछे रह गये थे और युध्द से अवज्ञा की थी (वह-कौन थे)

पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि महाभ बिन काब, हलाल और मुशरा यह ताखीर में पीछे पड़े रह गए थे। (अब देखिये इनकी तौबा कैसे स्वीकृत होती है) इन तीनों के लिए हज़रत मुहम्मद ने आज्ञा कर दी थी, कि कोई मुसलमान न तो उनसे मिले-जुले और न बात ही करे, और ४० दिनों के पश्चात हज़रत मुहम्मद ने पुनः आज्ञा की, कि वह अपनी स्त्रियों से भी दूर रहे ।...............इन तीनों व्यक्तियों पर काम निहायत तंग हुआ। यहाँ तक कि उन पर धरती भी तंग हो गई अर्थात अत्याधिक हैरानी और परेशानी से तंग हुए। उनके हृदय शोक और भय से तंग हो गए, इस प्रकार कि हर्ष और प्रेम को उनके हृदय में कोई स्थान ही नहीं था, और उन्होंने जान लिया कि खुदा के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है, और इसी से ही क्षमा माँगनी चाहिए। फिर जब वह तीनों व्यक्ति विवश और लाचार हुए, तो अल्लाह ने उन्हें तौबा करने को शक्ति दी। तब उन्होंने तौबा की तो ५० दिनों के पश्चात यह आयत उतरो। जिसमें उन तीनों व्यक्तियों की तौबा स्वीकृत हो गई।

तफसीर कादरी, **भाग १, पृष्ठ ४१७-४१८**

इस आयत से आप इस परिणाम पर अवश्य ही पहुँच चुके होंगे कि कुरआन की आयतें किस हेतु उतरी, जब तक यह न जान लिया जाये तब तक आयत का अर्थ नहीं जाना जा सकता है। आपने देखा कि हज़रत मुहम्मद ने किस प्रकार उक्त तीनों व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें विवश किया

कि उनको पुनः हज़रत मुहम्मद की ही शरण में आना पड़ा। इससे जाना जा सकता है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को हज़रत मुहम्मद की अवज्ञा करने का दुस्साहस न हो सकेगा।

इसी प्रकार की वही के सम्बंध में बीबी आयशा ने कहा है, कि में आपके साथ एक ही लिहाफ (ओढ़ने) में सोती थी, जब कि वही उतरती थी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४, पृष्ठ ५४

—: मूर्छित होना :—

इमाम शफ़ई ने कहा–कि रसुलिल्लाह को वही स्वप्नावस्था में भी आती थी, और कुछ लोगों ने यह भी रवायत की है, कि आप (हज़रत मुहम्मद) उस समय मूर्छित हो जाते थे, और सम्भव है कि उस बात को उस स्थिति पर लागू किया जाए कि जो अवस्था रसूलिल्लाह पर वही उतरने के समय में हो जाया करती थी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४, पृष्ठ ५५

जहाँ वही ऊँघने (अर्धनिद्रा) में होती थी वहाँ मूर्छित अवस्था में भी होती थी।

--: षष्ठम प्रकरण : अर्ज़ी और समावी :--

इब्ने अरबी का यह कथन प्रथम ही वर्णन किया जा चुका है, कि कुरआन के विभिन्न भाग विभिन्न स्थानों पर उतरे। कुछ भाग आसमान पर, कतिपय अंश धरती पर, कोई भाग आसमान व धरती के मध्य और कुछ भाग धरती के नीचे गुफा के भीतर उतरे।

अबू बकर अलफैरी ने कहा-कि सम्पूर्ण कुरआन का उतरना मक्का और मदीना में हुआ है, परन्तु ६ आयतें ऐसे स्थानों में उतरी हैं। जिसे न धरती और न आसमान ही कहा जा सकता है।

हज़ली ने किताब कामिल में कहा है, कि कुछ आयतें आसमान पर उतरी तथा अनमर्रसूलों से अंतिम सूरत बकर तक कुरआन का विशेष स्थान काबे कौसीन में उतरा।

काबे-कौसीन-वह स्थान है, जहाँ मैराज की रात्रि को हज़रत मुहम्मद और खुदा के मध्य अन्तराल दो कमान के निकट रह गया था।

:—सप्तम प्रकरण: प्रथम आयत कौन सी ?:—

सर्व प्रथम कुरआन की कौन सी आयत उतरी, कही जाती है। इस विषय में मुसलमानों में परस्पर अत्याधिक मत-भेद है। अत्याधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि आज तक मुसलमान यह निर्धारित भी न कर सके कि कौन सी आयत सर्व प्रथम उतरी है।

१—बीबी आयशा, मुस्लिम, बुखारी और तिबरानी आदि का विचार है कि सर्व प्रथम 'इकरा बे इस्में रब्बेकल्लज़ी' आयत उतरी।

२—शेखैन ने अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रवायत की है, कि मैंने जाबर बिन अब्दुल्ला से पूछा-कि कुरआन का कौन सा भाग प्रथम उतरा ? जाबर ने उत्तर दिया 'या अय्योहल-मुद्दस्सिरो'। मैंने कहा-'या इकरा वे इस्मे रब्बेका' यह सुन

कर जाबर ने कहा–कि मैं तुमसे यह बात कहता हूँ जो रसूलिल्लाह ने मुझसे कही थी...........इत्यादि।

३—कई एक भाष्यकारों की सम्मति में सर्व प्रथम उतरने वाली सूरत 'फ़ातिहुल' किताब [अलहम्द] है।

४—वाहदी ने अकरमा और हसन से प्रमाणित कर के रवायत की है, कि कुरआन में सर्व प्रथम 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' उतरा।

सूरत मुद्दस्सिर को भी सर्व प्रथम उतरने वाली सूरत कहा गया है !

तफ़सीर इत्तिकान, प्र० ४ पृष्ठ ५८ से ६१

—: अष्टम प्रकरण : कुरआन का अन्तिम भाग :—

जिस प्रकार कुरआन की कौन सी आयत सर्व प्रथम उतरी। इसमें मुसलमानों में परस्पर मतभेद है। उसी प्रकार कुरआन के अंत में उतरने वाले भाग के विषय में भी उच्च कोटि के मुस्लिम विद्वानों में परस्पर विरोधाभास व मतभेद है।

१-शेखैन, बराआ बिन आजिन से रवायत करते हैं, कि कुरआन में सब से अंतिम उतरने वाली आयत 'यस्तफ़तूनं का लिल्लाहो' है।

२--और यह भी कहा जाता है कि सबसे अंत में उतरने वाली सूरत बरात है।

३-बुखारी, इब्ने अब्बाससे रवायत करतेहैं, कि अंतिम आयत "आयतरेबा" थी, और बेहकी भी उमर से ऐसी ही रवायन करते हैं, कि "आयतरिबा" ही सबसे अंतिम आयत है। इसका इसका समर्थन बहुत से मुस्लिम विद्वानों ने किया है।

४–निसाई अक्रमा के आधार पर इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं, कि कुरआन में सबसे अंतिम आयत "वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहे" है। इसका समर्थन भी बहुत से विद्वानों ने किया है।

५--इसी प्रकार इब्ने जरीह व अबू उबैद ने कहा-कि अंतिम आयत "दीन" है।

६--बीबी उम्मे सलमा ने कहा कि सबसे अंतिम आयत "फ़स्तजाबो लहुम रब्बोहुम' है।

७—अंस ने कहा-कि अन्तिम आयत 'फ़इन तावू वा अकामुस्सलाता' है;............इत्यादि।

तफसीर इत्तिकान, पृष्ठ ६५ से ७०

कुरआन के रक्षक और समर्थन का दावा करने वाले **मुसलमान** अब तक यह भी न जान सके कि कुरआन की सर्व प्रथम और सबसे अन्तिम आयत व भाग कौन से हैं, तो फिर सम्पूर्ण कुरआन को एकत्रित या संकलित करने का दावा किस प्रकार व आधार पर स्वीकारा जा सकता है ?

—:कुरआन का हफ़्त करात या हफ़्त हुरूफ़:—

अर्थात

—:कुरआन का सात प्रकार से पढ़ा जाना:—

यह एक बड़ा भ्रान्तिजनक सिद्धान्त है, कि कुरआन का अध्ययन सात प्रकार से किया जाए। हुरूफ-अक्षरों को कहते हैं और करात-पढ़ने के ढंग को कहते हैं। इन दोनों वस्तुओं की धातुओं में आकाश-पाताल का अन्तर है। अक्षर परिवर्तित हो जाते हैं, किन्तु पढ़ने के ढंग पर कोई प्रभाव नही पड़ता। फिर न जाने क्यों हुरूफ के साथ करात जोड़ा गया है और वह भी दोनों की संख्याएँ ७ मान ली ? यह एक अत्याधिक विचित्र विषय है।

कुरआन का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुरआन के स्वाध्यायी पाठकों को समझना अत्यावश्यक है। अतः हम भी इस विषय को आरम्भ से ही पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यदि आपने इस विषय को जान लिया तो कुरआन का पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा और भली प्रकार आप समझ सकेंगे कि कुरआन क्या वस्तु है !

अल्लामा सियूती लिखते हैं-कि यहां कुरआन के सात अक्षरों के सिद्धान्त को कथन करना अभिप्रेत है **"नुज़.जे.लल कुरआनु अला सब्अते अहरफ़िन"** अर्थात-कि कुरआन सात अक्षरों पर उतारा गया है।

अल्लामा ने हज़रत मुहम्मद के बड़े-बड़े साथियों के २१ नाम लिखे हैं। जिनमें इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद, उस्मान बिन

अफ़्फ़ान, उमर बिन ख़त्ताब तथा अबू हुरैरा इत्यादि जैसे मान्यता प्राप्त हज़रत मुहम्मद के विश्वस्त सहयोगियों के नामों के उल्लेख से इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १२०

अल्लामा ने "अबय्य बिन काब" की हदीस से यह सिद्ध किया है-कि मेरे खुदा ने मुझको (हज़रत मुहम्मद को) यह आज्ञा भेजी कि मैं कुरआन को एक ही अक्षर पर पढ़ूं। पस, मैंने खुदा से प्रार्थना की, कि मेरी उम्मत पर आसानी कर, फिर खुदा ने यह आज्ञा भेजी कि उसे (कुरआन) सात अक्षरों पर पढ़ो।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १२१

क्या कोई शिक्षाविद् या भाषाशास्त्री इस बात को स्वीकार कर सकता है कि एक ढंग से पढ़ने के स्थान पर सात ढंग से पढ़ना सरल होगा ?

हदीस का तात्पर्य स्पष्ट है कि कुरआन को सात ढंगों से पढ़ा जा सकता है।

अल्लामा सियूती ने आगे निसाई से रवायत की है, कि हज़रत मुहम्मद ने कहा-कि जिब्रील और मेकाईल दोनों मेरे पास आए........... कि एक हुरूफ (अक्षर) पर कुरआन पढ़ो, किन्तु मेकाईल ने कहा कि इसे और भी बढ़ाओ। यहाँ तक कि वह सात अक्षरों तक पहुँच गया, तदनन्तर मेकाईल चुप हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें सात करातें मुराद है।

इस पर अल्लामा ने लिखा है, कि कुरआन में ऐसे

कल्मात बहुत कम है जो सात प्रकार पढ़े जाते हों । जैसे :—
'अब्दत्तगूत' सात प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता । परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक कलमा एक-दो-तीन या सात प्रकार तक पढ़ा जाता है ।

तफ़सीर इत्तिकान, प्र. १६ पृष्ठ १२१

पूर्वोक्त हदीस में सात किरातों करना खुदा के हेतु कहा गया है किन्तु द्वितीय में मेकाईल के कहने पर जिब्रील ने बढ़ाई ऐसा लिखा है । दोनों हदीसों में परस्पर मतभेद एवं विरोध है ।

इन सात किरातों (पढ़ने के ढंगों) को निम्न प्रकार समझाया गया है :—

१—कतीबा ने कहा-इसका प्रथम उदाहरण हाकत (मात्रा) का परिवर्तित होना है किन्तु सूरत और अर्थ में अन्तर नहीं आता ।

जैसे—ला यूज़ारा की ये-को पेश और ज़बर के साथ पढ़ना ।

२—जिसमें फेल (क्रिया) परिवर्तित हो जाता है । जैसे-बऊदा और बाएदो, माज़ी और सीग़ा अमर होने की स्थिति में । (इसमें अर्थ का अन्तर हो गया)

३—लफ़ज (शब्द) परिवर्तित हो जाए । जैसे-'नुनसिजोहा' वह है जे के स्थान पर रे का परिवर्तन । जैसे-'नुनसिरोहा' ।

४—किसी करीबुल मखरज़ अर्थात निकटस्थ स्थान से बोले जाने वाले दो अक्षरों में परिवर्तन होना । जैसे-"तलहिन" के स्थान पर ऐन हो जाना, जैसे "तलइन" ।

५—तकदीमो ताखीर- प्रारम्भ को अंत में और अंतिम शब्द को

प्रारम्भ में कर देना। जैसे-'जाअत सकरतुल मौते बिलहक्के' के स्थान पर 'सकरतल हक्के बिल मौते' अर्थात शब्द 'मौत' को आगे-पीछे कर दिया।

६—वह वाक्य, जिसका परिवर्तन न्यूनाधिकता के द्वारा हो। जैसे-'वज़करो वल उन्सा' के स्थान पर 'वा मा खलक़ज़्ज़ करोवल उन्सा' कर दिया गया।

७—वह परिवर्तन, जो किसी वाक्य को दूसरे वाक्य से परिवर्तित करने से उपस्थित हो। जैसे-कल एहनिल मनकूश' के स्थान पर 'कस्सुफिल मन्कूश'..... इत्यादि।

कासिम बिन साबित ने इस उक्त कौल पर इतना और हाशिया चढ़ाया है, कि जिस समय किताबत (लिखने) कलामे खुदा की आज्ञा मिली थी, उन दिनों अधिकांश अरब निवासी लिखना नही जानते थे और न रस्मे ख़त (लेखन कला) से [परि]चित थे।

तफसीर इत्तिकान, प्र. १६ पृष्ठ १२१-१२२

आगे अबुलफ़ज़ल राजी के उल्लेख से लिखा है, कि कलाम, परिवर्तन की स्थिति में सात प्रकारों से अधिक नहीं हो सकता।

१—इस्मों (संज्ञा) का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने में विभिन्नता को प्राप्त होना, अर्थात एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो जाए या इसके प्रतिकूल हो जाय और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो जाये व स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो जाए।

२—फेलों की गर्दान अर्थात धातु रूपावली का परिवर्तन अर्थात भूत-भविष्य और आज्ञा, लिंग की स्थिति से।

३—मात्राओं के कारण अर्थात ३ मात्राओं आ और इ में परिवर्तन पाया जाना।

४—न्यून और अधिकता का परिवर्तन करना।

५—तकदीम व ताखीर (आदि और अन्त) का परिवर्तन अर्थात आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाना।

६—'अब्दाल' जैसे - वा का या से परिवर्तन होना।

७—लुग़ात (कोष) का परिवर्तन।

उक्त सात प्रकार के परिवर्तन कहे हैं।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १२२

आगे इन सातों प्रकार के उदाहरण है; ताकि इस विषय को भली प्रकार समझा जा सके।

१—मात्रा बदल जाती है परन्तु अर्थ नहीं बदलते। जैसे—'अलबुखलुन' चार प्रकार से पढ़ सकते हैं-बुख़लन, बुख़लिन, बुख़लुन और अलबुख़ल।

२—'यह सेबुन' को 'यह सबन' पढ़ सकते हैं।

३—या केवल अर्थों में परिवर्तन होता है। जैसे-'फ़तलक्का' आदमुमिर्रब्बेहिक्लेमातिन' को 'कलेमातुन' भी पढ़ते हैं। इस स्थिति में शब्द का रूप परिवर्तित नहीं होता किन्तु अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं।

४—अथवा अक्षरों का परिवर्तन होगा। जिस प्रकार तबलू (आजमाना) और ततलू (पढ़ना)।

५—या अर्थ न बदले और परिवर्तित रूप हो जाए। जैसे-अस्सेरात 'स्वाद' से और अस्सेरात 'सीन' से। यहाँ सीन' से 'स्वाद' बदल गया है।

६—या फिर तकदीम और ताख़ीर (आदि-अन्त) पहिले और पिछले में अन्तर हो, जैसे–'फ़यवतेलूना' और 'यक्तलूना'।

७—या अक्षर की कमीबेशी हो, जैसे–'औसाँ' और 'वस्सा'

इब्ने जज़ी ने एक और सूरत भी कही है,–जैसे 'अलाकुल्ले कलबिन मुत कब्बरिन जब्बार' किन्तु इब्ने मसऊद ने इसे इस प्रकार पढ़ा है–'अलाकल बेकुल्ले मतकब्बरिन' इसमें 'कलब' और 'कुल' में परिवर्तन कर दिया गया है।

तफसार इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १२३

आप कुरआन की सात क़रात (पढ़ने का ढंग) या सात हुरूफ़ (अक्षरों) पर पढ़ने का तात्पर्य उपरोक्त उदाहरणों से भली भाँति समझ गये होंगे। हमने जो उपरोक्त उदाहरण दिये हैं, उनके अर्थों में कितना पारस्परिक विरोध है, यह नहीं बताया है। इसलिए कि हम इसी पुस्तक के अन्य भाग में कुर-आन की प्रत्येक आयत पर विवेचना करेंगे और यह भी बता-येंगे कि जो शब्द आयतों में बदले गये हैं उनके अर्थों में कितना अन्तर है।

यह सात करात का नियम कुरआन की प्रत्येक आयत में प्रयुक्त किया गया है। जिसे हम अन्य भाग में ही बतायेंगे, परन्तु उदाहरण के रूप में एक, तीन पंक्ति की सूरत, जिसे अलहम्द और कंज भी कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि यह अर्श (सिंहासन) के खजाने से नीचे उतरी है। इस सूरत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा इस्लाम मानता है। इस सूरत में इस हफ्त करात् के कारण कितने परिवर्तन मुस्लिम विद्वान

मानते हैं, सूरत में जहां से परिवर्तन होता है, उतना भाग हम लिखते हैं :—

"मालिके योमिद्दीन इय्याकाना बोदो वा इय्याका नस्तईन, एह्दे नस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लाज़ीना अन अम्ता अलैहिम गै़रिल मग़ज़ूबे अलैहिम, व लज़्ज़वालीन ।"

तफसीर बैज़ावी व तफसीर मजहरी और इब्ने कसीर आदि में पहिला परिवर्तन "मालिके योमिद्दीन" में है।

तफसीर बैज़ावी और तफसीर मजहरी वइब्ने कसीर पृष्ठ ३३ में है, कि आसिम याक़ूब और कसाई की कराय में 'मालिक' है, और शेष करियों (शुध्द उच्चारण करने वालों) की कराते में 'मलिक' है। यहाँ पर 'मालिक' और 'मलिक' के मीम को मुशद्दद (द्वय) पढ़ा है। जैसे:–'वर्रहीमुममलिक' अर्थात मीम को द्वय किया गया है।

तफसीर मजहरी पृष्ठ ५

द्वितीय अन्तर है–'इय्या कानाबुदो इय्या' का व्याकरण की दृष्टि से मफ़ऊल (कर्म) वाकिया (प्रतिपादित) हुआ। यद्यपि उसका पद फेल (क्रिया) और फ़ाईल (कर्ता) से पीछे है, किन्तु यहां प्रतिष्ठा-श्रेष्ठता और हस़र (परिमाण) के लाभ के उद्देश्य से पहिले रखा गया है। इय्याका को इया का और हय्य का भी पढ़ा गया है। (हम अल्लामा काज़ी मुहम्मद सनाउल्ला महोदय से पूछते है कि नहव (व्याकरण) में विधान (कायदा) कहां पर लिखा है कि प्रतिष्ठा के उद्देश्य से कर्म को क्रिया कर्ता से पूर्ण रखा जाए।) अस्तु........

इब्ने अब्बास ने कहा है, कि 'नाबुदोका' अर्थात मध्यम पुरुष का अनुसरण किया गया है।

आगे तफसीर में यह लिखा है कि 'इय्याकानाबुदो वा इय्याका' के मध्य में जो 'वा' है। वह आतिफा अर्थात दोनों वाक्यों की सत्ता को दृढ़ करने वाला है, किन्तु कई व्याख्याकारों का यह कथन है, कि यह 'वाव' हालिया है, अर्थात हाल (अवस्था बतलाने वाला) के अर्थों में आने वाला है।

तफसीर मज़हरी पृष्ठ १०

तफसीर बैजावी और तफसीर मजहरी इब्ने कसीर में 'सिरात' शब्द में मतभेद लिखा है. अर्थात 'सिरात' को स्वाद से लिखना या 'सीन' से लिखना।

आगे 'अल्लाजीना' में भी मतभेद है। तफसीर बैजावी ने लिखा है कि 'अल्लाजीना' के स्थान पर 'मन' भी पढ़ा गया है। हमज़ा ने 'अलैहिम' को 'अलेहम' पढा है. अर्थात जेर की बजाय पेश।

आगे तफसीर मजहरी, पृष्ठ १२ में 'ग़ैरलमग़ज़ूबे' को 'ललमग़ज़ूबे' पढ़ा है।

तफसीर बैज़ावी ने लिखा–कि 'लज़्ज़वालीन' को 'ग़ैरज़्ज़्वालीन' भी पढ़ा गया है, अर्थात 'ला' के स्थान पर 'ग़ैर'।

यह इसका (कुरआन का) इलहाम (ईश्वरीय ज्ञान) और उसका हफ़्त करात है। शब्द-शब्द में मतभेद और अंतर है। कोई कुछ पढ़ता है और कोई कुछ पढ़ता है ?

क्या जिब्रील ने हज़रत मुहम्मद को इसी प्रकार इस 'अलहम्द' सूरत को पढ़ाया था ? यदि मुस्लिम विद्वानों के पास कोई प्रमाण हो तो प्रस्तुत करें। अन्यथा इतना मतभेद व

अंतर होने पर कोई भी विवेकी मनुष्य कुरआन को खुदा का कलाम नहीं मान सकता ।

हम इन सबके अर्थों की विवेचना भाग २ में करेंगे । यह सात करातों का सिद्धाँत क्यों गढ़ा गया ? इसको हम आगे के पृष्ठों में सिद्ध करेंगे ।

कहा जाता है कि जिब्रील ने एक ही हुरूफ पर कुरआन पढ़ाया । हदीस इस प्रकार है :—

"अनिब्ने अब्बास अन्ना रसूलिल्लाहे .... काला इक़रानी जिबरीलो अला हरफ़िन फ़राजेअ़तोहू फ़लम अज़ल अस्तजीदोहू वा युज़ीदनी हत्ता इन्तेहा इला सब्अते अहरुफ़िन" ।

बुखारी किताब, फजायुलुल कुरान, पारा २०
(अहमदी प्रेस लाहोर) पृष्ठ १२४

'आईना मज़हब सुन्नी' के लेखक डा. नूर हुसेन ने उक्त हदीस लिखकर इस बात को प्रकट किया है कि शिया लोग हफ्त करात को नहीं मानते ।

उपरोक्त हदीस का साराँश :—हज़रत मुहम्मद ने कहा कि ज़िब्रील ने मुझे पहिले अरब के एक ही मुहावरे पर कुरआन पढ़ाया । मेरे आग्रह करने पर सात मुहावरों पर पढ़ने की आज्ञा मिल गई ।

ऐसा ज्ञात होता है कि हज़रत मुहम्मद ने कई प्रकार से लोगों को कुरआन याद कराया । इससे अत्याधिक विभिन्नता हो गई । इस विभिन्नता को देखते हुए हज़रत मुहम्मद ने कह दिया कि मुझे सात ढंगों से पढ़ने की आज्ञा मिली है ।

'आईना मज़हबे सुन्नी' के लेखक डा० नूर हुसैन ने एक महत्वपूर्ण बात 'तारीखुल खलफ़ा' के प्रमाण से लिखी है. कि

हज़रत अली का कुरआन जो उतरने की तरतीब के अनुसार था, यदि वह हमारे पास पहुँचता तो वह कुरआन वास्तव में इल्म (ज्ञान) का बडा जख़ीरा (कोष) था।

हाशिया बुखारी, पारा २०, पृष्ठ १२७

'किताब फ़ज़ायालुल कुरान' से यह इब्ने सीरीन की रवायत है। 'तारीखुल खुलफ़ा' का अरबी हवाला यह:—'लौ-असी बजालिकल किताबा काना फ़ी है इल्मुन' है।

यह हफ़्त करात और हफ़्त हुरूफ का विवाद कहाँ से प्रारम्भ हुआ। जब कि किसी मनुष्य को इस बात का ध्यान भी न था कि सात करात क्या वस्तु है ? परन्तु अकस्मात एक घटना घटित हो गई। जिसे हज़रत उमर ने कहा है। यह हदीस बहुत विस्तृत है, किन्तु इस सात करात के निर्णय हेतु निम्न घटना अत्यावश्यक है। अतः हम पूरी हदीस नीचे लिखते हैं :—

'अन उमरबिनल खत्ताब, कालासमेतोहिशामिब्ने हकीम यकरओ सूरतल फ़ुर्कानि फ़ी हयाते रसूलिल्लाहे फ़स्तमातो ले किरातें ही फ़इज़ा हुवा यकरओ अला हुरूफ़िन कसीरतिन लम युकरे नीहा रसूलिल्लाहे फ़किरतो उसाविरोहू फ़िस्सलाते फ़तसब्बरतो हत्ता सल्लमा फ़लब्बबतोहूबिरदाएही फ़कुलतो मन अकरअका हाज़े-हिस्सूरतल्लती समेतुका तकरओ काला अकरआनीहा रसूलुल्लाहे फ़कुलतो कज़बता फ़इन्ना रसूलुल्लाहे कद अकरआनीहा अला ग़ैरे मा कराता फ़न्तलकतो बेही अकूदोहू इला रसूलुल्लाहे फ़कुलतो इन्नी समेतो हाज़ा यकरओ बिसूरतिल कुरआने अला हुरूफ़िन लम तुकरे नीहा फ़काला रसूलुल्लाहे अरसिलहो इकरा या हिशा-मा फ़करा अलैहिल किरअतलसती समतोहू यकरओ फ़कात

रसूलुल्लाह सल्लमा कजालिका उन्ज़िलत सम्मा काला इकरा या उमर फ़करातुल करातल्लती अकरअनी, फ़काला रसूलुल्लाहे कज़ालिका उनज़िलक, इन्न हाज़ल कुरआना उनज़िला अला सबअते अहरूफिनफ़करऊ मा तयस्सरा मिन हो।

तज़रीदे बुखारी, किताब फज़ाए ले कुरआन, भाग २

हदीस क्रमांक ६२४-६२५

पृष्ठ ३०४-३०५

अर्थात—उमर बिन खत्ताब से रवायत है, कि मैंने हिशाम बिन हकीम को रसूलिल्लाह के जीवन काल में सूरत फ़ुरकान पढ़ते सुना। जब मैंने कान लगाकर सुना तो अकस्मात वह इससे अति अधिक अक्षर पढ़ रहे थे, जितने अक्षर पर वह सूरत मुझे रसूलिल्लाह ने पढ़ाई थी। बस, तत्पर था कि मैं नमाज में ही उसका सिर पकड़ू, परन्तु मैंने धैर्य रखा नमाज की समाप्ति तक। तत्पश्चात मैंने उसको अपनी चादर में बाँधा और कहा कि तुमको यह सूरत किसने पढ़ाई ? उसने उत्तर दिया—मुझे रसूलिल्लाहने पढ़ाई। मैंने कहा तुम झूठे हो, क्योंकि रसूलिल्लाह ने मुझे तुम्हारी करात (ढंग) के विरूद्ध पढ़ाई है। फिर मैं उसको रसूलिल्लाह की सेवामें ले गया और मैंने निवेदन किया, कि मैंने इसको सूरत फुरकान ऐसे अक्षरोंके साथ पढ़ते सुना, जो आपने मुझे नहीं पढ़ाई। आपने कहा इसे छोड़ दो ! और कहा ऐ हिशाम ! पढ़। उसने उसको उसी प्रकार पढ़ा, जैसे कि मैंने पहिले पढ़ते सुना था। तब रसूलिल्लाह ने कहा-यह सूरत इसी प्रकार उतरी है। फिर मुझसे कहा—ऐ उमर ! तू पढ़ ! मैंने उसको उसी प्रकार पढ़ा, जिस प्रकार मुझे रसूलिल्लाह ने

पढ़ाई थी। बस, रसूलिल्लाह ने कहा-कि इसी प्रकार भी उतरी है। अतः यह कुरआन सात अक्षरों पर उतरा है। इसमें जो सरल हो उसे पढ़ो!

बेचारे हज़रत उमर को क्या पता कि हज़रत मुहम्मद ने किसी को कुछ और किसी को कुछ और पढ़ाया। इस घटनासे पूर्व किसी को कल्पना तक नहीं थी कि कुरआन सात अक्षरों पर उतरा है? क्यों कि जब हज़रत उमर को ही ज्ञात नहीं, जो कि हज़रत मुहम्मद के प्रत्येक समय के सहयोगी, मित्र और हमराज़ थे। इनसे अधिक और किसी को जानकारी हो ही नहीं सकती थी।

यदि हज़रत उमर को हफ्त क़रात का ज्ञान होता तो वह उस गरीब हिशामको चादर में बाँधकर हज़रत मुहम्मद के पास क्यों लाते? यह भी अच्छा हुआ कि उस बेचारे की जान बच गई। हज़रत उमर ने कहा-कि अत्याधिक अक्षर पढ़ रहा था, अर्थात एकाध अक्षर का अन्तर नहीं था। हज़रत मुहम्मद ने लोगों को विभिन्न ढंगों से कुरआन पढ़ाया था। अतः यह कह कर टाल दिया कि कुरआन सप्त अक्षरों पर उतरा है।

इस बात के समर्थन में मिर्ज़ा हैरत ने अपनी पुस्तक 'मुकद्दमा तफसीरूल फ़ुर्कान' में पृष्ठ २५ पर 'अलमिलालो वन्नाहल' के हवाले से लिखा है:—

'इन्नाना मुख़्त लेफ़ू.ना फी कराते किताबना फ़बाज़ु.ना यज़ीदो हरूफ़न वा लिसत्कहा फ़लैसा हाज़ा इख़्तलाफ़न बलहोवा इत्ति-फ़ाकुन मिन्ना सहीहुन........' इत्यादि।

अर्थात–कुरआन जानने वालों का यह कौल है कि हम

मुसलमान अपनी किताब को पढ़नेमें मतभेद व विरोध रखतेहैं, कि कुछ लोग कम अक्षरों और कुछ लोग अधिक अक्षरों को प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में यह मतभेद नहीं है, अपितु हमारा सबका एक मत इत्तफाक सही है। इसलिए कि वह अक्षर और वह ढंग निरन्तर पैगम्बर तक पहुँचा है। बस, उस करात में से हम कोई भी करात पढ़ें, उचित है।

इस पर हम कहते हैं कि, उपरोक्त कथन से कुरआन के इलहामी होने की सम्पूर्ण वास्तविकता प्रकट हो जाती है। क्या कोई ऐसी किताब भी इलहामी होने की अधिकारिणी है कि जिसे जो चाहे, जैसे पढ़ ले। इलहाम के तो शब्द निश्चित होते हैं, वह न्यूनाधिक नहीं किये जा सकते। जिस पुस्तक में अपनी ईच्छा–बुद्धि से शब्द घटाये-बढ़ाये जा सकते हों, वह किसी भी रूप में ईश्वरीय ज्ञान नहीं कहला सकती।

हज़रत मुहम्मद ने स्पष्ट ही लोगों को विभिन्न ढगों से कुरआन पढ़ाया और जब कभी विवाद उत्पन्न होता तो यह कह कर टाल दिया जाता कि कुरआन सात ढंग पर उतरा है।

आगे के पृष्ठों में हम हज़रत उस्मान के कुरआन एकत्रित करने के सम्बंध में लिखेंगे, तो पूर्ण रूप से इस हफ्त करात की वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। इस हेतु तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १२८ से १३० तक पढ़ें।

—मिर्ज़ा हैरत की पर्दापोशी :—

मिर्ज़ा हैरत ने अपनी पुस्तक 'मुकद्दमा तफसीरूल' फुर्कान के पृष्ठ ३० पर लिखा है :—

'अख़रजाहुल हाकिमों वल बेहकीयो अनिब्ने मसूद अनिन्नबीये काला कानल किताबुल अव्वले युनज़लो मिन बाबिन वाहिदिन अला हरफ़िन वाहेदिन, वा नज़लल कुरआना मिन सब्अते अबवाबिन अला सब्अते अहर्रूफन ज़जर, वा अमर वा हलाल वा हराम, मुहकम वा मुतशाबह वा अमसाल।

उपरोक्त हदीस का अर्थ यह है :—

कि हाकम और बैहकी ने इब्ने मसऊद से रवायत की है-कि रसूलिल्लाह ने कहा कि कुरआन पहिले एक ही बाब और एक ही अक्षर पर उतारा गया और फिर सात बाव और सात अक्षरों को प्रयुक्त किया। जैसे-ज़जर, अमर, हलाल, हराम, मोहकम मुतशाबह और अमसाल। यह सात बाब मिर्ज़ा महोदय ने लिखे हैं।

मिर्ज़ा महोदय ने इस बात पर आवरण डाला है कि सात करात का अर्थ अक्षरों; शब्दों और वाक्यों का परस्पर परिवर्तन होना नहीं अपितु यह लिखित सात विषयों का बयान करना है'।

सात प्रकार से कुरआन का पाठ होने के कारण अत्याधिक विवाद उत्पन्न हो गया और लोग विभिन्न प्रकारों से कुरआन पढ़ने लग गये। इसका वर्णन हम आगे के पृष्ठों में करेंगे।

हज़रत मुहम्मद की इस सात करात वाली युक्ति को देखकर लोग इस पर बड़ा खतरा अनुभव करते थे, सो वैसा ही हुआ।

मिर्ज़ा हैरत देहलवी आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक रूप से हरूफ़ के अर्थ तरफ (ओर) या वजह (कारण) के हैं, और कुरआन में भी हरूफ़ का अर्थ वजह का आया है, जैसे :—

'वा मय्या बदुल्लाहा अल्ला हरफ़िन वाहिदिन ए अलावदिन वाहिदिन'

अर्थात–खुदा की भक्ति करना है, वह एक हरफ़ अर्थात एक वजह पर होनी चाहिए।

—: अब अल्लामा सियूती को भी सुनिये :—

अल्लामा सियूती ने, जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं, कुरआन के, सात अक्षरों पर उतरने का बड़े बलपूर्वक समर्थन किया है, परन्तु उसके पश्चात शीघ्र ही उस समय के लोगों ने देखा कि जिस किताब को हम खुदा का कलाम मानते हैं, उसका विभिन्न करात मानने के कारण वह विश्वास के योग्य नहीं, क्यों कि लोग कुरआन को कई प्रकार से पढ़ने लग गये। इस विभिन्नता को दूर करने हेतु एक व्यवस्था सोची, जिसे अल्लामा सियूती ने 'अबेदातुस्सलमानी' के आधार पर इस प्रकार लिखा :—

कि कुरआन की वह करात जो रसूलिल्लाह के साले-वफ़ात में जिब्रील ने उनके सम्मुख प्रस्तुत की। वह यही करात है, जिसे हम सब लोग आज पढ़ते हैं और उसे उसने इस ढंग पर प्रस्तुत किया।

इब्ने अश्ता ने इब्ने सीरीन से रवायत की है, कि प्रतिवर्ष माह रमज़ान में रसूलिल्लाह एक बार कुरआन का दौर (पाठ) किया करते थे, किन्तु जब उनकी वफ़ात (मृत्यु) का वर्ष आया तो ज़िब्रील ने उनको दो बार कुरआन का दौर कराया। इसलिए उलमा (विद्वानों) का यह विचार है कि हमारी यह करात (जिसे हम आज कल पढ़ते हैं) अंतिम दौर के अनुसार है।

तफ़सीर इत्तिकान, प्रकरण १७, पृष्ठ १३२

तफसीर इत्तिकान के उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि जिस कुरआन को आज कल मुसलमान पढ़ते हैं, वह हज़रत मुहम्मद के वफ़ात के वर्ष में दो बार कुरआन का दौर कराया गया था। इसमें से अंतिम बार जो कुरआन दोहराया गया वही कुरआन है, जिसे आज कल मुसलमान पढ़ते हैं।

यद्यपि प्रति वर्ष ज़िब्रील द्वारा हज़रत मुहम्मद को कुरआन का दौर कराना प्रमाणयुक्त नहीं है। केवल कुरआन के पढ़ने में जो विवाद पड़ गया था, उसको दूर करने हेतु कुछ लोगों की अपनी उपज है। हमारा कहना है कि कुरआन की अन्तिम आयत उतरने के बाद हज़रत मुहम्मद कितने वर्ष जीवित रहे ?

हम पूछते हैं, कि जब कुरआन पूर्व में एक ही करात पर हज़रत मुहम्मद को पढ़ाया गया तो उन्होंने अति नम्रता-पूर्वक प्रार्थना की, कि मेरी उम्मत पर एक प्रकार की करात का पाठ अत्यंत कठिन हो जायेगा, तो खुदा से या ज़िब्रील से सात करातों पर कराया ? इससे स्पष्ट है कि अपने जीवन-काल में जिस सात हरूफ़ और सात करात वाले कुरआन का वह दौर

करते रहे, वह कुरआन यह नहीं है, जिसे आज कल मुसलमान पढ़ते हैं। वास्तविक बात यह है कि वफ़ात के वर्ष में अन्तिम बार कुरआन के दोहराने का बहाना बना कर वो जो विभिन्न प्रकारों से लोग कुरआन को पढ़ते थे, उस विभिन्नता को दूर करना था।

इस सात करात के सम्बंध में 'तफसीर हक्कानी' के लेखक मौलाना अबू मोहम्मद अब्दुल हक हक्कानी लिखते हैं, कि सात करात या सात हरूफ़ का तात्पर्य इस प्रकार है:–कि अरब के सात विख्यात कबीले थे, जिनकी भाषा के आधार पर सात हरूफ़ का विषय हज़रत मुहम्मद के समक्ष प्रस्तुत होता था। जिस पर हज़रत मुहम्मद ने आपत्ति प्रस्तुत कर उम्मत की सुविधा हेतु जिब्रील से आज्ञा माँगी। जिब्रील ने सात करात पर पढ़ने की आज्ञा दे दी।

आज्ञा कैसे दी ? इसके सम्बंध में हक्कानी ने जो उदाहरण दिये हैं, वह सरलता से समझ में आ जायेंगे। जैसे:-गुनहगार (पापी) को कुछ अरबी मुहावरों के अनुसार 'फाजिर' कहते है और कुरेश के मुहावरे में फाजिर को 'असीम' कहते हैं, तो उन लोगों को इस वाक्यानुसार 'इन्नात्वामुल असीम' के स्थान पर कुरआन में 'इन्नात्वामुल फाजिर' पढ़ने को आज्ञा मिल गई थी।

तफसीर हक्कानी, मुकदमा अलूमुल कुरआन पृष्ठ १४९

हम कहते हैं-कि यदि 'त्वाम्' के स्थान पर भी किसी कबीले के मुहावरे को प्रयुक्त करने की आज्ञा दी जाती तो आयत का रूप ही परिवर्तित हो जाता। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि लोगों ने हज़रत मुहम्मद की आज्ञा से खुदा के शब्दों को पृथक कर अपने शब्द जोड़ दिये। इससे प्रत्येक

मनुष्य इस परिणाम पर पहुँचता है कि खुदा के शब्दों को पृथक कर अपने शब्दों को प्रयोग करने की आज्ञा देना खुदा के इलहाम की अवहेलना करना, नहीं तो और क्या है ?

अल्लामा सियूती ने एक बात और भी लिखी है, कि बग़वी अपनी किताब 'शरह अलसिना' में लिखते है:—

कहा जाता है कि ज़ैद बिन साबित इस कुरआन के अंतिम दौर में उपस्थित रहे थे । जिसमें बयान किया गया था कि कितना भाग, कुरआन का मन्सूख हो गया और किस प्रकार शेष रहा और ज़ैद बिन साबित ने ही उससे रसूलिल्लाह हेतु लिख कर फिर उसे आपको सुना कर पढ़ा था । चूंकि ज़ैद बिन साबित उसी कुरआनको मरते दम तक लोगों को पढ़ाते रहे थे, इसीलिए अबू बकर और उमर ने इस कुरआन को विश्वसनीय मान कर सकलित कर लिया और उस्मान ने उसे कुरआन में लिखने की सेवा प्रस्तुत की ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १३२

यह बात कहां तक सत्य है कि ज़ैद ने कुरआन के अंतिम दौर को लिख लिया था ? इस बात को हम नीचे लिखते हैं ।

अल्लामा सियूती ने लिखा है, कि हज़रत मुहम्मद के साथी (सहाबह) इस बात पर एक मत है कि उस्मान का कुरआन हज़रत अबू बकर के लिखे कुरआन के आधार पर था और सहाबह (हज़रत के साथियों) ने इस बात पर भी इत्तिफ़ाक (एकमत) कर लिया था, कि अबू बकर के कुरआन के अतिरिक्त और जहाँ कहीं कुरआन का कोई भाग पाया जाये वह सर्वथा त्याज्य है ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १३१

मगर, जिस समय सहाबह ने देखा, कि उम्मत (मुसल-

स्वयँ ही उसकी घोषणा कर उसे कुरआन से क्यों नहीं पृथक किया ? और हज़रत उस्मान की खिलाफ़त (शासन) तक उस: पृथक किये जाने योग्य भाग को मुसलमानों में प्रचलित क्यों रखा ? इस बात को हम हज़रत उस्मान के कुरआन एकत्रित करने के प्रकरण में लिखेंगे कि ऐसा क्यों और किस हेतु से किया गया ?

पहिले उपरोक्त लिखित इस बात को लिखते हैं, कि क्या ज़ैद बिन साबित ने अंतिम दौर का कोई कुरआन लिखा था ? इस बात को मिथ्या प्रमाणित करने हेतु हम ज़ैद बिन साबित की ही एक हदीस प्रस्तुत करते हैं। जिसे बुखारी तथा मुज़ाहरे हक (मिशकात) किताब फ़ज़ायलुल्कुरआन. भाग २, पृष्ठ २४४ पर लिखा है और उसी हदीस का अनुवाद अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८, पृष्ठ १५५ पर किया है। यह हदीस 'तारीखुल खुलफ़ा' में कुरआन एकत्रित होने के सम्बंध में पृष्ट ५७ पर लिखी है। हदीस निम्न प्रकार है:—

'अख़रजल बुखारी अन ज़ैद बिन साबित, काला अरसला अबीबकरीन मक्तले अहलिल यमामा फ़जेआ उमर बिन खत्ताब इन्दहू फ़काला अबू बकरो इन्न उमरा अतानी, फ़काला इन्नल कतला कदिसतहर्रा यौमल यमामते बिन्नासे वा इन्नी लअख़शा अंय्यस्तहिर्रल कतला बिलकराए फ़िल मवातेने, फ़यज़हबो कसीरुम्मिनल कुरआने इल्ला अंय्यजमऊहो व इन्नी लअरा अंय्यजम अल कुरआना काला अबूबकरो फ़कुलतो ले उमरिन कैफ़ा अफ़अलो शयअन लम यफअल हो रसूलुल्लाहे सल्लम फ़काला उमरो हुवा वल्लाहे खैरून, फलम यजल उमरो युराजअनी फीहे हत्ता शरहल्लाहो लेज़ालेका सदरी फरऐतुल्लज़ी रआ उमरो काला ज़ैदुन व उमरो इन्दहू जालेसुन ला यतकल्लमो, फ़काला अबूबकरू

इन्नका शाब्बुन आकलुन व कद कुंता तकतबुल वहया लिरसूलुल्लाहे फततबेइल कुरआना फ अजमओ हू, फवल्लाहे लौ कल्लफनी नकल जबला मिनल जबाले मा काना असकलो अलय्यामिम्मा अमरनी बेही मिन जमइल कुरआने, फकुल्तो कैफा तफअलाने शयअन लम यफअ लो हुन्नबिय्यो, फकाला अबूबकरुन हुवल्लाहे खैरून फलम अजल अराजेही हत्ता शरहल्लाहो सदरी लिल्लाजी शरहा लहू सदरे अबीबकर व उमर फततब्बअतुल कुरआना अजमअहू मिनरूक्काए वल अकताफे वल अशबे वा सदूरिरंजाले हत्ता वजदतो निन सूरतित्तौबह आयतैन मआ खजीमह बिन साबित लम अजद हुमा मआ गैरही, लकद जाअकुम रसूलुम्मिन अनफुसेकम इला आखिरेहा फकान तिस्सुहोफिल्लती जुमेआ फीहल कुरआनो इंदा अबी बकर हत्ता तवफ्फा हुल्लाहो सुम्मा इंदे उमर हत्ता तवफ्फा हुल्लाहो, सुम्मा इन्दे हफसह बिन्ते उमर वा अखरजा अबू याली अन अलय्यिन काला आजमुन्नासे अजरन फिल मुसाहिफे अबू बकरिन अन्ना अबा बकरो कान अव्वलो मन जमअल कुरआना बैनल्लौहैने ।'

उपरोक्त हदीस का अनुवाद अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान में किया है । हम वहां से ही लिख रहे है:—

बुखारी ने अपनी हदीस सहीह में जैद बिन साबित से रवायत की है:–अबू बकर को यमामा के युध्द में सहाबा (हजरत के साथी) शहीद होने के समाचार मिले और उसी समय उमर भी आपके पास आये ।

अबू बकर कहते हैं, उमर ने मेरे पास आकर कहा–कि यमामा के युध्द में अधिक कारियाने कुरआन (करआन का पाठ करने वाले) कतल किये गए है और मुझे भय है कि भविष्य के

युद्धों में भी कतल होते जायेंगे तथा इस प्रकार अधिकतर कुरआन हाथों से जाता रहेगा। मेरी सम्मति है कि तुम कुरआन को एकत्रित किये जाने की आज्ञा दो। मैंने उमर को उत्तर दिया जिस कार्य को रसूलिल्लाह ने नहीं किया। में उसे किस प्रकार करूँ! उमर ने कहा-खुदा की सौगंध, यह बात उत्तम है। अभिप्राय यह कि वह मुझे बारम्बार कहते रहे, यहां तक कि खुदावन्द करीम ने भी मेरा दिल खोल दिया और मैंने भी इस विषय में अपनी वही सम्मति निश्चित कर ली, जो उमर की थी।

जैद बिन साबित कहते हैं—अबू बकर ने मुझसे कहा, तू एक बुद्धिमान युवक है और हम तुझको तोहमत (दोष) नहीं लगाते अर्थात अच्छा समझते हैं, और तू रसूलुल्लाह का कातिबे (लिपिक) वही भी था। इसलिये अब कुरआन की तफतीश (जांच) वा तहकीक (प्रमाणित) कर उसे एकत्रित कर ले। (ज़ैद कहते हैं) वल्लाह! मुझको एक पहाड़ उसके स्थान से हटा कर दुसरे स्थान पर रख देने की आज्ञा होती तो यह बात मुझ पर इतनी बोझिल न होती, जिस प्रकार कुरआन एकत्रित करने की आज्ञा मुझ पर शाक (कठिन) गुजरी और मैंने अबू बकर व उमर से कहा–कि तुम दोनों महोदय वह कार्य किस प्रकार कर सकते हो? जिसे रसूलिल्लाह ने नहीं किया। अबू बकर ने उत्तर दिया-खुदा की सौगध, यह बात उत्तम है, और फिर वह निरन्तर मुझसे इस विषय में बारम्बार कहते रहे, यहां तक कि खुदा ने मेरा दिल भी इस बात के लिए खोल दिया। जैसे कि अबू बकर और उमर का दिल खोला था। फिर मैंने कुरआन की तलाश और खोज प्रारम्भ कर दी और उसे खजूर को शाखों, सफेद पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों और लोगो के

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८, पृष्ठ १५४–५५

आगे अल्लामा सियूती ने लिखा:—

इब्ने अबी दाऊद ने 'किताबुल मुसाहिफ' में अब्द खैर से सनद हसन (विश्वस्त प्रमाणिकता) के साथ रवायत की है- उसने कहा, मैंने अली को यह कहते सुना कि मुसाहिफ (कुरआन) के विषय में सबसे अधिक फल अबू बकर को प्राप्त होगा खुदा ! अबू बकर पर रहमत (कृपा दृष्टि) **करें कि वह प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने किताब अल्लाह को जमा किया।**

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८, पृष्ठ १५५

अब हदीस से वह सब बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं, जिनमें कहा गया था कि अंतिम दौर जिब्रील ने हज़रत मुहम्मद को कराया, वह ज़ैद ने लिख लिया था और न कि कोई कुरआन हज़रत मुहम्मद ने लिखवाया था।

यहां तो अबू बकर और ज़ैद दोनों कह रहे हैं, और कोई कुरआन हज़रत मुहम्मद ने नहीं लिखवाया और न ज़ैद ने तथा और किसी ने लिखा। अतः अंतिम दौर में जिब्रील ने हज़रत मुहम्मद से कुरआन न तो दुहराया और न ज़ैद ने उसे लिखा, न कुछ निरस्त किया और न सात करात को समाप्त ही किया।

इस हदीस में यह भी आपने जान लिया कि ज़ैद ने कहां-कहां से कुरआन एकत्रित किया। यदि किसी को सम्पूर्ण कुरआन कंठस्थ होता, तो ज़ैद इस प्रकार खजूर के छिलकों, पत्थरों के टुकड़ों व विभिन्न लोगों से कुरआन को एकत्रित न करता।

आगे अल्लामा सियूती ने इसी प्रकरण को निम्नानुसार लिखा है :—

अबू अबैद का कौल है—हदीस की इस्माईल बिन इब्राहीम ने. उसने अय्युब व नाफ़ा से और नाफ़ा से इब्ने उमर ने।

कि इब्ने उमर ने कहा—निसन्देह, तुम लोगों में से कोई व्यक्ति यह बात कहेगा, कि मैंने सम्पूर्ण कुरआन अखज़ (प्राप्त) कर लिया है। इस स्थिति में कि उसे यह ज्ञात नहीं कि सम्पूर्ण कुरआन कितना था ? क्यों कि कुरआन का अधिकतर भाग जाता रहा है ? परन्तु उस व्यक्ति को यह कहना चाहिए, कि निसन्देह, मैंने कुरआन से इतना भाग प्राप्त (अखज़) किया है जो कि ज़ाहिर (विख्यात) हुआ है ।

इसी रावी (व्याख्याकार) अबैद ने कहा है—कि हदीस की इब्ने अबी मर्यम से, अबी लहका से, उससे अबित असवद ने, उससे अरवह इब्ने ज़ुबैर ने, उससे आयशा ने—कि बीबी साहिबा ने कहा कि रसूलुल्लिाह के अय्याम (समय) में सूरत अहज़ाब २०० आयतों की पढ़ी जाती थी। फिर जिस समय हमने सूरत में से अतिरिक्त वर्तमान परिणाम (मिकदार) के और कुछ नहीं पाया। (अब सूरत अहज़ाब में ७३ आयतें हैं)

यही व्याख्याकर (रावी) कहता है—हदीस की हमसे इस्माईल बिन जाफ़र ने, उसने मुबारिक बिन फ़जाला से, उसने आसिम बिन अबिलनजव्वद से, उससे ज़र बिन जैश से और ज़र बिन जैश ने कहा कि उससे उबय्य बिन काब ने पूछा-तुम सूरत अहज़ाब को किस प्रकार शुमार (गणना) करते हो ? ज़र

बिन जैश ने उत्तर दिया–७२ या ७३ आयतें। उबय्य बिन काब ने कहा–कि यद्यपि यह सूरत, सूरत बकर के मुआदिल (बराबर) थी (सूरत बकर में २८६ आयतें हैं) और यद्यपि हम इसमें आयतें रजम (पथराव) की आयत को करात पढ़ा करते थे। जर ने पूछा कि आयत रजम क्या थी ? उब्बय बिन काब ने उत्तर दिया—कि यह :—

"**इजा जनयश्शैखो वश्शैखतो फरजमूहुमा अलबतो निकालन मिन लाहे वल्लाहो अजीजुन हकीम**" थी। (इसमें जिना [व्यभिचार] करने वालों को संगसार [पथराव] करना लिखा है) और कहा है–कि हदीस को हमसे अब्दुल्लाह बिन सालह ने, उससे लैसन, उससे खालिद बिनयजीद ने, उससे सईद बिन अबी हलाल ने उससेमर्दान बिन उस्मान ने और उससे अबी अमामा बिन सहल ने-कि अबी अमामाकी मामीने कहा निस्सन्देह हमको रसूलुल्लाह ने आयते रजम यों पढ़ाई थी—'**अश्शैखो वश्शैखतो फरजमूहुमा** ..' इत्यादि। [यह आयत अब कुरआन में नहीं है]

फिर हदीस है—हदीस की हमसे इजाज ने, उससे इब्ने जरीह ने, उससे खबर दो मुझको इब्ने अबी हमीद से हमादा .. यूनस ने, उनसे कहा, मेरे बाप ने, जिसकी आयु ८० वर्षों की थी, कि मुझको बीबी आयशा के मुस्हफ से पढ़ कर सुनाया :—

"इन्नल्लाहा व मलाएकते ही युसल्लून अलन्नबिय्ये या अय्युह्-ल्लजीना आमनू सल्लू अलैहे व सल्लमू तसलीमा वा अलल्ला जीनायसेलूनस्सफ्फुल अव्वला,' व्याख्याकार (राविया) ने कहा यह आयत उस्मान के मुसाहिफ [कुरआन] में परिवर्तन से पूर्व यों ही थी। अब यह आयत कुरआन, पारा २२ रकू ७/४ में 'सल्लमू तसलीमा' तक है और शेष भाग 'वा अलल्ला

ज़ीना यसेलूनस्सफ़ ़फ़ल अव्वला ' कुरआन में नही है । और कहा—कि कई नाम है,

अबी वाकद लैसी ने कहा—रसूलिल्लाह की प्रवृति थी कि जब आप पर कोई वहीं आती थी, तो उस समय हज़रत हमको उसकी तालीम [शिक्षा] दिया करते थे । पस, एक दिन मैं रसूलिल्लाह की सेवा में आया । आपने कहा, कहा अल्लाह पाक इरशाद [आज्ञा] करते है :—

" इन्ना अनज़लनलमाले लिअमामिस्सलाते वा ईताइज़ जकाते वा लौ अन्न लि इब्ने आदमा वादियन लअहब्बा अंय्यकूना इलैहि-स्सानि व लौ काना इलैहिस्सानी लि अहब्बा अंय्यकूना इलैहिम-स्सालिसा वा ला यमलओ जौफ़ब्ने आदमा इल्लत्तराबो वा यत-बुल्लाहो अला मन ताबा " (यह आयत भी कुरआन में नहीं)

फिर हाकम ने मुस्तदरिक में उबय्य बिन काब से रवा-यत की है, कि उन्होंने कहा—मुझसे रसूलुल्लाह ने कहा, निंस-न्देह मुझे खुदा ने आदेश दिया है कि मैं तुमको कुरआन पढ़कर सुनाऊँ । फिर आपने यह करात कही :—

" लम यकुनल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबे वल मुशरे-कीना वमिन लवकेते हेमालौ अन्नब्ने आदमा सअला वादिय्यम्मिन मालिन फ़ आती हे सअला सानियन व इन्ना सअला सानियन फ़ आती है सलला सालिसन व ला यम्लओ जौ फब्ना आदमा इल्ल त्तुराबो व यतूबूल्लाहो अला मन ताबा व इन्नाज़ातद्दीने इंदल्ला-हिल हनीफ़िय्यतो गैरल यहूदिय्यते व लन्नसरानिय्यतो वा मय्या-मल ख़ैरन फ़लय्यकफ्फरहू "

अबू अबैद ने कहा है..........हदीस की अबी मूसा अश-अरी ने कहा, कि एक सूरत, सूरत बरात के समान उतरी थी, परन्तु फिर वह सूरत उटा ली गई और उसमें से इतना भाग सुरक्षित रखा गया :—

" इन्नल्लाहा सुयअय्यदो हाजल्लाजीना बे अकवामे ला खलाका लहुम वा लौ अन्ना ले इब्ने आदमा वादियैने मिम्मालिन लतमन्ना वादियन सालेसन वा ला यमलओ जौफ़ब्ने आदमा इल्लत्तुराबो वा यतूबुल्लाहो अला मन ताबा "

इसी प्रकार इब्ने अबी हातम ने अबू मूसा अशअरी से रवायत की है, कि उन्होने कहा कि हम एक ऐसी सूरत पढ़ा करते थे, जिसे हम बड़ी सूरतों में से एक के समान ठहराते थे। हम उसको भूले नहीं किन्तु अतिरिक्त इसके कि मैं उसे इतना ही याद रख पाया :—

" या अय्यो हल्लाज़ीना ला तकूलू मा ला तफ़अलूना लतुकतबो शहादत फ़ी आनकेकुम फ़तअलूना अन हा यौमल कयामते "

इसी प्रकार अबू उबैद ने कहा.........अदी ने कहा, उमर ने कहा, हम लोग पढ़ा करते थे– ' ला तरग़बू अन अबाएकुम फ़इन्नहू कुफरून बेकुम '। फिर उन्होंने ज़ैद बिन साबित से पूछा–क्या यह आयत ऐसी ही है ? ज़ैद ने उत्तर दिया–हाँ ऐसी ही है ।

और इसी व्याख्याकार (रावी) का कथन है.......हदीस की नाफ़ेआ.......बवास्ता इब्ने अबी मलीका–कि उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कहा, कि तुमको हम पर उतारी गई शय

(किताब) में यह नही मिला– 'अन जाहेदूकुमा जाहदकुम अव्वला मर्रतिन' क्योंकि हम इसको नहीं पाते हैं ? अब्दुर्रह्मान ने उत्तर दिया-यह भी मिन जुमला उन (आयतों) के साकित (निरस्त) हो गई है, जो कि कुरआन से साकित (निरस्त) की गई है ।

फिर इसी रावी का बयान है कि हदीस को.........कि अबू सुफ़यानल कलाई ने एक दिन मुसल्लमा बिन मुखलद अंसारी से पुछा-कि वह दो आयते कौन सी हैं ? जो कि मुस्हिफ़ (कुरआन) में नहीं लिखी गई । किसी व्यक्ति ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया । जब कि उस जलसा (समूह) में अब्दुल कन्व व साद बिन मालिक भी उपस्थित थे । फिर स्वयं ही मुसल्लमा ने कहा :—

" इन्नल्ला ज़ीनाआमनु व हाजरू वा जाहदू फी सबीलिल्लाहे बि अमवालेहिम वा अनफ़ुसेहिम अला उब्शिरू अंतमुल मुफ़लेहून, वल्लज़ीना अबूहुम वा नसरूहुम वा जावलू अनह मुलकौमल्ला–ज़ीना गज़बल्लाहो अलैहिम उलाएका ला तालमोनफ़ सुम्मा उख–फ़िया लहुम्मिन कुर्रवातन ओयुनिन जज़ाउम्मबिमा कानू यामलून"
(यह हैं दो आयतें, जो कुरआन में नहीं हैं)

तिबरानी अपनी (पुस्तक) 'किताब कबीर' में इब्ने उमर से रवायत करता है, उन्होंने कहा-दो व्यक्तियों ने एक एक सूरत पढ़ी । जिसको स्वयँ रसूलूल्लाह ने उन्हें पढ़ाया था । वह दोनों नमाज़ में उसी सूरत को पढ़ा करते थे । एक रात को वह दोनों नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, तो उनको सूरत का एक हरफ़ [अक्षर] तक याद न आया । प्रातः रसूलूल्लाह के पास आकर उन दोनों ने समस्त माजरा [घटना] बयान किया । रसूलुल्लाह

ने सुन कर कहा-वह सूरत मन्सूख [निरस्त] हुई कुरआन में थी। अतः तुम उसकी ओर से निश्चिन्त हो जाओ।

[अच्छा ! यह कुरआन का चमत्कार ही सही, इसे फिर कभी देखेंगे, अभी तो इतना ही अभिप्रेत है-कि कुरआन में सूरत थी जो निकाल दी गई।]

सही हैन [मुस्लिम व बुखारी] में अंस की रवायत से, उन 'बेरमऊनो' के असहाब [साथियों] के किस्से में जो कतल कर दिये गये थे और रसूलुल्लाह ने उन लोगों के कातिलों पर बद्दुआ (श्राप) करने हेतु दुआये कुनूत पढी थी, यह बात लिखी है, कि अंस ने कहा कि उन कतल हुए लोगों के हेतु कुछ कुरआन उतरा था और हमने उसको पढ़ा भी, यहाँ तक कि उसे उठा लिया गया, और वह कुरआन यह था कि- 'अन्न बल्लगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना फरज़ा अन्ना व अरजना' और मुस्तदरक में हज़ीफा से रवायत है, कि यह जो तुम पढ़ते हो, उसकी एक चौथाई सूरत बकर है।

हुसैन इब्नेजमनारी ने अपनी पुस्तक 'अन्नासिखों वल-मनसूख' में बयान किया है-कि मिन जुमला (मिश्रित) उन वस्तुओं के जिनकी कताबत (लिखित आयतें) कुरआन से रफा (उठा) कर ली गई है किन्तु उसको याद दिलों से नहीं उठाई गई। नमाज़ वितर में पढ़ी जाने वाली कुनूत (प्राथना-की आयत) की दो सूरतें हैं, और वह 'सूरतुल खला, और 'सूरतुल हफ़द' है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६५ से ६६

हमने ऊपर इस बात को सिद्ध किया है कि कुरआन से

कितना भाग जाता रहा, किन्तु यह नहीं कहा सकता कि इसके अतिरिक्त और भी कितना भाग कुरआन का पृथक हो गया ? क्योंकि जैसा हमने पूर्व में लिखा है कि जैद ने कहाँ-कहां से कुरआन संकलित किया। यह भी सम्भव है कि और भी कुरआन हो, जो जैद को न मिल सका हो ? किन्तु मुसलमानों का यह दावा, तो सर्वथा मिथ्या हो जाता है कि एक भी मात्रा कुरआन से इधर-उधर नहीं हुई। अस्तु,

जो कुछ हमने ऊपर लिखा उससे भी सत्यान्वेषी सज्जन गण इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचेगे, कि जो कुरआन हज़रत मुहम्मद ने लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था, उसका अधिक तर भाग वर्तमान कुरआन में नहीं है। जो उद्धरण हमने उद्धृत किये हैं, उनके प्रमाण आयतों व पुस्तकों की पृष्ठ संख्या सहित संलग्न लिखे है, जो कि विद्वान और विश्वसनीय लोगों के प्रमाण है।

आगे जमा कुरआन ओर नासिख़-मनसूख प्रकरणों में यह विषय पुनः आपके सम्मुख आयेगा कि कितना कुरआन पृथक किया गया है।

ज़ैद ने कहां-कहां से कुरआन एकत्रित किया, यह पूर्व में लिखा जा चुका है, किन्तु तफसीर इत्तिकान में इस विषय पर और भी प्रकाश डाला गया है। वह भी पढ़िये।

-: ज़ैद ने कुरआन कहां-कहां से जमा किया :-

इस विषय में तफसीर इत्तिकान ने लिखा है-कि जैद बिन साबित की हदीस पूर्व में आ चुकी है, कि ज़ैद ने खजूर की शाखों के डंठलों और पत्थर के टुकड़ों से कुरआन एकत्रित किया

और एक रवायत में चमड़े के टुकड़ों से, दुसरी में शाना की हड्डियों से, तीसरी में पसली की हड्डियों से, और चौथी रवायत में ऊँट की काठियों की लकड़ियों से कुरआन का नकल किया जाना भी आया है।

रवायत के अलफ़ाज (शब्दों) में ' लिखाफ ' शब्द जो कि 'लखफ़ा' का बहुवचन है, उसका अर्थ पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े हैं अर्थात खताबी के अनुसार पत्थरों की पतली पट्टियाँ। 'अकताफ्' शब्द का अर्थ ऊँटों या बकरियों के शाना की हड्डियाँ होता है और ' इकताब ' का अर्थ ऊँट की काठी कहा जाता है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८, पृ. १५८

उपरोक्त उद्धृण लिखने का अभिप्राय यह है--कि इतने साधनों और वस्तुओं से जैद ने कुरआन को एकत्रित किया, तो इस बात का क्या विश्वास कि जैद ने सम्पूर्ण कुरआन एकत्रित कर लिया होगा ? क्यों कि कोई सूचि तो जैद के पास थी नहीं कि इतनी अमुक-अमुक वस्तुओं पर कुरआन पंक्तिबद्ध और क्रमानुसार लिखा हुआ है।

उपरोक्त हदीस से भली प्रकार विदित होता है कि उस समय कोई भी एक व्यक्ति सम्पूर्ण कुरआन का हाफ़िज (कंठस्थ करने वाला) नहीं था। यदि होता तो जैद इतनी तलाश क्यों करता ? हाँ ! कुछ लोगों को कुरआन के कुछ-कुछ भाग और कोई-कोई सूरतें याद थी।

ऐसी घटना भी हमारे सम्मुख आई–कि हज़रत आयशा से रवायत है कि दो आयतें, एक रजम (पथराव करने) और दोयम रज़ाअतल कबीर (बड़ों को दूध पिलाने की) कागद पर

लिखी मेरे तख्त के नीचे पड़ी थी। हम रसूलिल्लाह की वफ़ात (मृत्यु) में संलग्न थे कि घर की पालतु बकरी आई और कागद खा गई।

यह लिखने का तात्पर्य है, कि वे समस्त पत्थर, हड्डियाँ झिल्लियाँ, चमड़े के और कागज के टुकड़े इत्यादि, जिन पर कुरआन अंकित था। वे सब वस्तुएँ एक संदूक में बंद कर या किसी एक सुरक्षित स्थान पर नहीं रखी गई थी। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि कितना कुरआन उपलब्ध हो सका और कितना नहीं ?

हम पूर्व में यह लिख चुके हैं कि सर्व प्रथम अबू बकर ने ज़ैद से कुरआन एकत्रित करवाया किन्तु वह मुस्हिफ (कुर-आन) पहिले अबू बकर महोदय के पास और फिर हज़रत उमर, उनकी बेटी हफ़सा के पास पड़ा रहा। तत्पश्चात किन परि-स्थितियों वश हज़रत उस्मान ने कुरआन को नया जन्म दिया ?

हज़रत उस्मान ने मौजूदा कुरआन को क्यों और कैसे एकत्रित किया ?

प्रथम इस बात की जानकारी आवश्यक है कि हज़रत उस्मान किन कारणों से कुरआन को वर्तमान रूप में लाने हेतु विवश हुए ? हम उपर लिख चुके हैं कि हज़रत अबू बकर ने जो कुरआन ज़ैद से लिखवाया वह उनके पश्चात हज़रत उमर के और उनकी बेटी बीबी हफ़सा के पास पड़ा रहा, किन्तु कर-

आन के पढ़ने वालों में परस्पर जो विभिन्नताएं थीं वह ज्यों की त्यों ही प्रचलित हो न रही अपितु और भी बढ़ गई और इसने भयंकर रूप धारण कर लिया। जैसे :—

तफसीर इत्तिकान में है–कि हाकम का बयान है, और तीसरी बार कुरआन का एकत्रित किया जाना यह था कि हज़रत उस्मान के समय में सूरतों को शृंखलाबद्ध किया गया।

बुखारी ने अंस से रवायत की है, यह हदीस अधिक लम्बी है। तफसीर इत्तिकान में उसका सम्पूर्ण अनुवाद है। इस हदीस का आरम्भ :—

'अन अनसहने मालिक इन्नाहू ज़ैफातब्न लयमाने से वा अरसला अला कुल्ले उफ़किन बिमुसहफ़िन मिम्मा नसखू व अमरा बिमाखिहो मिनल कुरआने फी कुल्ले सहीफ़तिन औ मुसहफ़िन अंय्यहरका'

मुज़ाहिरे हक्क किताब फ़ज़ाएलुल
कुरआन, भाग २ पृष्ठ २४५

अल्लामा सियूती इस हदीस का अनुवाद लिखते हैं, कि अंस से रवायत है कि हज़ीफ़ा इब्ने यमान, उस्मान के पास आए, जो कि आरमीनिया व आज़रबाइजान के विजित युद्धों में शाम और अराक वालों के साथ थे, उनको इन दोनो देशों के मुसलमानों की करात (कुरआन पढ़ने) में इखतलाफ (मतभेद) रखना सख्त परेशान बना चुका था। इसलिए उन्होंने उस्मान से कहा–तुम उम्मत (इस्लाम) की इस बात से, पहिले ही खबर ले लो, जब कि वह यहूद और ईसाइयों के समान परस्पर मतभेद रखने वाले न बन जाये। उस्मान ने यह बात सुन

कर बीबी हफ़सा से वह मुस्हिफ (कुरआन) इस शर्त पर मँगवा लिए कि नकल करके उन्हें पुनः लौटा दूँगा। उस्मान ने ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, सईद बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन हारस को उनकी नकल करने पर नियुक्त किया और तीनों ने कर्शी साहिबों से कहा-कि जहाँ कहीं कुरआन के शब्दों में तुम्हारे और ज़ैद के मध्य मतभेद उत्पन्न हो वहाँ उस शब्द को कुरैश ही की भाषा में लिखना, क्योंकि कुरआन उन्हीं की भाषा में उतरा है।

फिर इन चारों ने संयुक्त रूप से उस्मान की आज्ञा का पालन कर दिया और उन लिखित मुस्हिफों (कुरआनों) में से एक-एक मुस्हिफ मुस्लिम देशों की प्रत्येक दिशा में भेज दिये तथा आदेश दिया कि इस मुस्हिफ के अतिरिक्त जैसे भी सहीफे या मुस्हिफ पूर्व के उपलब्ध हों उन्हें सौख्त (जला) कर दिया जावे।........ इब्ने हजर का कथन है कि यह उक्त कार्यवाही हिजरी २५ में हुई।

तफसीर इत्तिकान प्रकरण १८, पृष्ठ १५६

तफसीर इत्तिकान के लेखक अल्लामा सियूती का इस विषय में दुसरा बयानः—

इब्ने अशता ने अय्यूब के आधार पर अबी कुलाबा से रवायत की है। उसने कहा-मुझसे अन्स बिन मालिक नामक बनी आमर एक व्यक्ति ने कहा कि उस्मान के अहद (समय) में कुरआन के भीतर इस प्रकार मतभेद बढ़ गया। जिसके कारण पढ़ने वालों बच्चों और मुअल्लिम (अध्यापक) लोगों के मध्य तलवारें चल गई। उस्मान को यह समाचार पहुँचा तो उन्होंने कहा-कि लोग मेरे सामने ही कुरआन को झूठलाने और

भूल करने लगे तो सम्भवतः जो मुझसे दूर होंगे वह उनकी निस्बत कहीं अधिक झूठलाते और त्रुटियाँ करते होंगे। ऐ मुहम्मद के साथियों! सब एकत्रित हो जाओ और लोगों के हेतु इमाम (कुरआन) लिखो। फलस्वरूप सब साथियों ने एकमत हो कर कुरआन लिखना प्रारम्भ किया। जिस समय किसी आयत के विषय से मतभेद और विवाद (झगड़ा) उत्पन्न हो जाता तो वह आयत जिस व्यक्ति को रसूलुल्लाह ने पढ़ाई थी, उसको बुला कर आयत लिखने का निर्णय होता।

इब्ने अबी दाऊद ने मुहम्मद बिन सीरीन के आधार पर कसीर अफलह से रवायत की है, कि जिस समय उस्मान ने मुसहिफों को लिखवाने का विचार किया तो उन्होने १२ पुरुष कुरैश और अनसार के एकत्रित किये। फिर कुआरन सहीफों का वह सन्दूक मँगवाया, जो हफसा के घर में था। सन्दूक आने पर उस्मान ने लिखने वालों की निगरानी अपने जुम्मे ली और जब किसी बात पर मतभेद हो जाता तो ऐसे व्यक्तिकी तलाश में रहते जो अंतिम दौरके समकालीन होता, फिर उसके कथनानुसार निश्चय होता ....

अली ने कहा, कि वजुज कल्मए खैर के और कुछ न कहो, क्यों कि वल्लाह उन्होंने मुसाहिफ में जो परिवर्तन किये वह सबकी सर्वसम्मति से किये। उन्होंने हमसे कहा-कि तुम लोग कुरआन की करात के विषय में क्या कहते हो? मुझे समाचार मिले हैं कि कुछ लोग दुसरों से कहते हैं, मेरी करात तुम्हारी करात से उत्तम है, और यह बात लगभग कुफ्र के समान है। हम लोगों ने कहा फिर आपकी सम्मति क्या है? उस्मान ने उत्तर दिया-कि मुझको तो यह बात उचित ज्ञात होती है कि समस्त मुसलमानों को एक ही कुरआन पर एकत्रित कर दिया

जाये, ताकि फिर अंतर और मतभेद उत्पन्न न हो सके । और हम लोगों ने कहा-तुम्हारी सम्मति सर्वश्रेष्ठ है ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८, पृष्ठ १६०-१६१

(देखिये, खुदाई ज्ञान लिखा जा रहा है या पंचायत के निर्णय से उत्पन्न विरोध की शांति हेतु किया जा रहा है ।)

-: उस्मान द्वारा एकत्रित कुरआन का अबू बकर के कुरआन से अन्तर :-

उस्मान द्वारा एकत्रित कुरआन का यह रूप हुआ कि जिस समय करात के परिणाम स्वरूप अत्याधिक मतभेद फैल गया और यहाँ तक स्थिति बिगड़ गई कि लोगों ने क़ुरआन को अपनी-अपनी भाषाओं में पढ़ना प्रारम्भ कर दिया………—तो इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में से प्रत्येक भाषा के लोग अन्य भाषा वालों को बरसरे (आमने-सामने) गलत बताने लगे और इस विषय में घोर कठिनाईयाँ उत्पन्न होने और बात बढ़ जाने का भय उत्पन्न हो गया। इसलिये उस्मान ने कुरआन के सहुफ़ को एक ही मुसहिफ में सूरतों को तरतीब के साथ एकत्रित कर दिया (यह सूरतों की तरतीब भी हज़रत उस्मान-की है) और समस्त अरबी भाषाएं छोड़कर केवल कुरैश की भाषा पर ही इक्तफ़ा (सीमित) कर ली ।

इस बात हेतु उस्मान यह तर्क लाये कि कुरआन का उतरना वास्तव में कुरैश ही की भाषा में हुआ है । यद्यपि प्रारभ में दिक्कत और मुश्किल को दूर करने हेतु उसकी करात अन्य भाषाओं में भी करने की गुंजायश दे दी गई थी, परन्तु

अब उस्मान की सम्मति में वह आवश्यकता मिट चुकी थी। इस कारण उन्होंने कुरआन की करात का आधार केवल एकही भाषा में कर दिया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १८ पृष्ठ १६१

आपने कुरआन की वास्तविक स्थिति देख ली कि २५ वर्षों में ही कुरआन की दशा कैसी बिखर गई। उस समय तो हज़रत मुहम्मद ने यह कह कर कि कुरआन सात अक्षरों पर उतरा है, उस बेचारे हशाम के प्राण उमर से बचा लिये परन्तु यह नहीं सोचा कि विभिन्न ढंगों से और विभिन्न वाक्यों में पढ़ने का परिणाम क्या होगा ? यदि उस्मान न सम्हालते तो हत्याओं का बाज़ार गर्म हो जाता और स्थान-स्थान पर झगड़े पड़ जाते।

—: बीबी हफ़सा के पास जो कुरआन था, वह भी जला दिया :—

जैसा कि हम तफसीर इत्तिकान के विवरण से पूर्व में लिख चुके हैं, कि हज़रत उस्मान ने जब अपने कुरआन लिखवा कर मुस्लिम देशों को भेजे, तो साथ में यह आदेश भी लिख भेजा कि इसके पूर्व जो सहीफ़ें आपके पास हैं, वह समस्त जला दिये जायें। वह तो जल गये किन्तु बीबी हफ़सा का कुरआन न जल सका।

जब मदीना का हाकिम मर्दान हुआ तो उसने बीबी हफ़सा से कुरआन मांगा, परन्तु उसने नहीं दिया। जब बीबी

हफ़सा की मृत्यु हो गई तो उसके भाई अब्दुल्लाह बिन उमर से लेकर वह सहीफ़ा भी जला दिया।

हाशिया बुखारी, पारा २०, पृष्ठ १८३ किताब फ़ज़ायलुल कुरआन, मज़ाहरे हक़, भाग २

—: देखिये—कुरआनों की होली :—

१ तारीख खमीस मतबूआ मिसर, भाग २, पृष्ठ ३०४

२ सवाअके मुहतरका इब्न हजर मक्की मतबूआ मिसर, पृष्ठ १०१

३ रोज़तुल अहवाब मतबूआ, तेग बहादुर लखनऊ, भाग २ पृ. २२६,

४ मिशकात मतबूआ मुहम्मदी देहली, पृष्ठ १५०

५ मिशकात मतबूआ अमृतसर, किताब फ़जायेलुल कुरआन, रूबा २ पृष्ठ १३१

६ तर्जुमा तारीख़ आसम कूफ़ी मतबूआ बम्बई, पृष्ठ १४७, और

७ डा. हाजी नूरहुसैन आईनए मज़हब सुन्नी, पृष्ठ ११३ आदि में आप कुरआनों के जलने-जलाने के विषय में सविस्तार सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।

अब खुदाई इलहाम (ईश्वरीय-ज्ञान) की होली हो गई और जो कुछ पूर्व लिखित थे, यहाँ तक कि जो हज़रत अबू बकर ने लिखवाया था, उसको भी जलाकर हफ्त करात के सिद्धांत को भस्मीभूत कर दिया।

अब कहाँ गई वह आयत ? कि " हमने इस कुरआन को उतारा है और हम ही इसके निगहबान है " यह निगहबानी यदि समाप्त न की जाती और उसकी प्रतीक्षा की जाती तो न जाने कितने कुशतो खून (हत्यायें) होते और कितना फितना फ़साद (झगड़ा) फैल जाता ।

अब इस होली के पश्चात् कुरआन के विषय में एक बात और रह गई है ! जिसके कारण अब भी कारियों (कुरान को पढ़ने वालों) में पर्याप्त मतभेद हो गया । वह बात आगे पढ़िये ।

हज़रत उस्मान के कुरआनों में ऐराब (मात्राएँ) आदि न थे !

जब कुरआन कुरैशी मुहावरों में लिखकर समस्त देशों को भेजे गये तो लोग उसके पाबन्द (आबद्ध) हो गये किन्तु उस समय की लिपि में ऐराब (मात्राएँ) न थे और न जुमलों (वाक्यों) पर ठहरने के चिन्ह (पूर्ण विराम) दिये गये थे तथा कुछ अक्षर मात्राओं ही के अधीन होकर लिखे जाते थे । जैसे—मलिक में मात्रा न हो तो मुलक-मलक जो चाहे सो पढ़ ले ।

अंतिम दौर के सहाबा (मित्रों) इस कार्य की पूर्ति हेतु मुतवज्जा (आकर्षित) हो गये और प्रत्येक प्रसिद्ध स्थान पर ऐसे विद्वान पहुँच गये जो कि ठीक-ठीक पढ़कर सुना दिया करते थे........... एक जुमले (वाक्य) को दूसरे जुमले में मिला देने से अन्य अर्थ उत्पन्न हो जाता है । इत्यादि,

सहाबा में बड़े सात कारी (कुरान को ठीक पढ़ने वाले) यह थे– (१) उस्मान (२) अली (३) उब्बय बिन काब (४) ज़ैद बिन साबित (५) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (६) अबू दरदा, और (७) अबू मूसा अशअरी ।

फिर इन्हीं बड़े सातों कारियों के शिष्य प्रसिद्ध नगरों में फैले और अपने-अपने उस्तादों के सिद्धांत के अनुसार पढ़ने-पढ़ाने लगे......... ।

इसके पश्चात एक दुसरी बात और ध्यान देने योग्य है कि-जिस प्रकार इन कारियों ने लबोलहजा (शैली) आदि उमूर (क्रम) को उचित कहा। इसी प्रकार कताबत (लेखन) की रक्षा हेतु उसी युग में विद्वानों का एक समूह उठा और उन्होंने समस्त कुरआन में ऐराब (मात्राएँ) लगा दिये और औकाफ़ (पूर्ण विराम) निश्चित कर दिये तथा ठहरने के आवश्यक जाइज़ व नाजाइज़ (उचित व अनुचित) स्थान भी बता दिये और उन पर चिन्ह स्थापित कर दिये । इत्यादि

तफसीर हक्कानी मुअल्लफा अल्लामा मौलाना
अबू मुहम्मद अब्दुल हक्क हक्कानी देहलवी,
मुकद्दमाए तफसीर हक्कानी, पृष्ठ १४६ से १५१

फिर आगे लिखा है–कि कंठस्थ करने वालों की सुविधा हेतु कुरआन को ३० भागों में बांट कर जु.ज या पारे बना दिये । प्रत्येक पारे के चार भाग किये और फिर, रकूअ की आयत पर चिन्ह लगाये ....इत्यादि ।

मुकद्दमा हक्कानी, पृष्ठ १४६

इससे यह ज्ञात हुआ कि कुरआन में जो यह सब चिन्हादि पाये जाते हैं, यह मुस्लिम विद्वानों के मस्तिष्क की उपज है ? पहले कुरआन में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ नहीं थी।

कुरआन की सूरतें-आयतें-वाक्य व अक्षर

अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान में इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :—

जिन लोगों का सहमत होना मान्य है, उनके अनुसार कुरआन में ११४ सूरतें हैं।

अबू शैख़ ने अबी रौक से रवायत की है-कि अनफ़ाल और बरात दोनों एक ही सूरत है। इस पर भी अल्लामा ने अनेक लोगों के मत दिये हैं और इस हिसाब से ११३ सूरतें होती हैं।

इब्ने अब्बास ने कहा-मैंने अली से पूछा-कि बरात में बिस्मिल्लाह क्यों नही लिखा गया। उन्होंने कहा-इसलिए कि वह अमान और बराअत है, जो तलवार के साथ उतरी है।

अल्लामा सियूती ने मालिक की रवयात से लिखा, कि जिस समय इस सूरत (बराअत) का प्रारम्भिक भाग साकित (जाता रहा, समाप्त हो गया या गिर गया) हुआ तो बिस्मिल्लाह भी उसके साथ निकल गया, क्यों कि यह अमर सिद्ध हो चुका है कि सूरत बराअत भी सूरत बकर के हमपल्ला (बराबर) थी।

आगे अल्लामा ने लिखा, कि इब्ने मसऊद के कुरआन में ११२ सूरतें ही है, क्यों कि वह मऊज़तैन को कुरआन में लिखना उचित नहीं समझता था। (मऊज़तैन-वर्तमान कुरआन की अंतिम दो सूरतें हैं) उब्बय के कुरआन में ११६ सूरतें हैं। इसलिए कि उन्होंने कुरआन के अंत में अल हफ़द और अल ख़ला नामक दो सूरतें बढ़ा दी है।

तफ़सीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १७४

अबू उबैद, इब्ने सीरीन से रवायत करता है, कि उबय्य बिन काब ने मुसहिफ में अल्हमद-मऊज़तैन-'अल्लाहुमा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुमा इय्याका नाबुदो' लिखा है (यह दोनों आयतें आगे लिख रहे हैं) और इब्ने मसऊद ने उनको छोड़ दिया है। फिर उस्मान ने उन्हीं में से अल्हमद और मऊज़तैन सूरतों को अपने मुस्हिफ में लिखा है।

तिबरानी ने किताबुद्दुआ में कतिपय रावियों (व्याख्याकारों) के वचन लिख कर अब्दुल्लाह बिन ज़रीरूल ग़ाफ़की का कथन लिखा है, कि मुझसे अब्दुलमलिक बिन मरवान ने यह बात कही कि मुझे ज्ञात है कि तू किस कारण से अबी तुराब से प्रेम करता है।.........मैंने उत्तर दिया-खुदा की शपथ ! मैंने उस समय कुरआन एकत्रित किया, जब कि तेरे माता-पिता एकत्रित भी नहीं हुवे थे और उस कुरआन में से दो सूरतें मुझे अली बिन अबी तालिब ने सिखाई । उनको रसूलुल्लाह ने विशेष रुप से तालीम (बतलाई) दी थी।.........वह सूरतें यह है :—

" अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वा नस्तग़फ़िरूका वा नुस्नी अल्-क़ल वा ला नक्फ़ुरूका वा नख़्लओ वा नतरको मंय्यफ़जुरूका "

और

"अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदो व लका नुसल्लो वा नस्जुदो वा अलैका नस्आ वा नहफिदो वा नर्जू रहमतका वा नखसा अजाबका इन्ना अजाबका बिल कुफ़्फ़ारे मुल्हिक"

(यह वही दो आयतें है, जो उबय्य बिन काब ने अपने कुरआन में लिखी है और अन्य कुरआनों में नहीं है।) इस कारण कुरआन की सूरतों में अन्तर है। आगे उपरोक्त दोनों सूरतों के हेतु कई प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि उक्त दोनों सूरतें भी पढ़ी जाती थी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १७५

उबय्य ने सूरतें फ़ील और लईलाफ़े दोनों को एक ही सूरत गिना है। इस कारण उसके कुरआन में ११५ सूरतें है, और हज़लो की किताबुल कामिल में आया है, कि जफ़र सादिक ने वज़ुहा और अलम नशरह दोनों सूरतों को एक ही सूरत गिना है। अन्स ने कहा-कि जो हम में से दो सूरतें पढ़ लेता, वह हम में प्रतिष्ठित गिना जाता है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १७६-१७७

बैहकी और अबू दाऊद ने अल मरासील में खालिद बिन अबी इमरान से रवायत की है, कि जिस समय नबी सलअम ने नमाज़ की स्थिति में मज़र जाति के हेतु कनूत पढ़ कर बद्दुआ करने का कसद (प्रयास) किया तो उस समय जिब्रील ने यह सूरत 'इन्ना नस्तईनुक करीमा' आयत के साथ उतरी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १७६

कुरआन की सूरतों के विषय में आपने देखा कि हज़रत उस्मान के द्वारा एक कुरआन प्रचलित करने तथा शेष अन्य समस्त कुरआनों को जला देने के पश्चात भी सूरतों के सम्बंध में मुसलमानों के मध्य मतैक्य स्थापित न हो सका।

: कुरआन की आयतों की संख्या :—

आयत क्या है ? किसी का कौल है, कि आयत कुरआन का वह भाग है, जो अपने से पूर्व और पश्चात वाले भाग से पृथक हो ...... ।

ज़मख़शरी का कथन है—कि आयत का ज्ञान एक तौफ़ीकी इल्म (स्वशक्ति विद्या) है, जिसमें क़यास को कुछ दख़ल नहीं ।

तफ़सीर इत्तिक़ान, प्रकरण १९, पृष्ठ १७८-७९

इब्नुल फरीस ने उस्मान बिन अता के आधार पर उसके पिता के उल्लेख से इब्ने अब्बास से रवायत की है, कि कुरआन की कुल आयतें ६ हजार ६ सौ १६ है ।

अद्यानी का कथन है, कि भूतकाल के समस्त विद्वानों का मतैक्य है कि आयतों की संख्या ६ हजार है और फिर अधिक होने के संबंध में उनका मतभेद हो गया है। कुछ लोगों ने संख्या अधिक नहीं मानी और कुछ लोगों ने २ सौ ४ आयतें अधिक कही है।

वैलमी ने किताब मसनदुल फ़िर्दोस में........ इब्ने अब्बास से मरफूअन रवायत की है, कि स्वर्ग-द्वार कुरआन की

आयतों के समान है और कुरआन में ६ हजार २ सौ १६ आयतें हैं ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १७६

तफसीर हक्कानी, प्रकरण १६, पृष्ठ १८१ में समस्त आयतों की सूचि भी लिखी है ।

सम्पूर्ण कुरआन में सूरतें ११४ और आयतें जम्हूर के अनुसार ६ हजार ६ सौ ६६ है, और कूफा ने ६ हजार २ सौ ३६, मदीना वालों ने ६ हजार २ सौ १४ कही हैं ।

मुकद्दमए तफसीर हक्कानी, पृष्ठ १५१

मिर्ज़ा हैरत देहलवी ने मुकद्दमा तफसीरुल फ़ुर्कान में पृष्ठ ३५ पर ६ हजार ६ सौ ६६ आयतें ही लिखी है, और मलिक दीनमुहम्मद ने अपने कुरआन में पृष्ठ ३७ पर एक चित्र दिया है, उसमें आयतों की संख्या इस प्रकार–आयतें बसरी ६२१६, आयतें शामी ६२५०, आयतें मक्की ६२१२, आयतें अराकी ६२१४ और आयतें आमा ६६६६ लिखी है ।

हम कहेंगे कि यह अंतर कैसे भी हुआ किन्तु मुसलमान इस अंतर को भी निकाल कर एकमत न हो सके और विभिन्न मार्गों से संख्या आंकी और कही ।

मुस्लिम विद्वानों में आयतों–सम्बंधी मतभेद कुरआन की प्रत्येक सूरत में पाया जाता है । जिसे अल्लामा सियूती ने निम्नानुसार लिखा है :—

सूरत बकर........ में २८५ आयतें है और कुछ एक ने २८६ व कुछ एक ने २८७ आयतें कही हैं ।

आले इमरान........ में २०० आयतें हैं, कुछ ने १ कम बताई।
अन्निसा....... में १७५ आयतें हैं, कुछ एक ने १७६ और कुछ ने १७७ आयतें कही है।
अलमाएदा....... में १२० आयतें हैं, किसी ने २ अधिक कही है और किन्ही ने ३ आयतें अधिक कही है।
अनआम........ में १७५ आयतें हैं, किन्हीं ने १७६ और किन्हीं ने १७७ आयतें कही है।
अनफ़ाल...... में ७० आयतें है, किसी ने ५, किसी ने ६ और किन्हीं ने ७ आयतें अधिक कही है।
बराअत....... में १३० आयतें हैं किसी ने १२९ आयतें कही है।
यूनस......में ११० आयतें है, किन्ही ने १०९ कही है।
हूद....... में १२१ आयतें हैं, किसी ने १२२ और किन्ही ने १२३ आयतें कही है
राद .... में १४३ आयतें है, किसी की दृष्टि में ४ और किसी की दृष्टि में ७ आयतें अधिक है।
इब्राहिम........ में ५१ आयतें है, कहा गया है कि इसमें ५२, ५४ और ५५ आयतें है।
इसरा ... में ११० आयतें है, किसी के विचार में १११ आयतें है
अल्महफ ..... में १०५ आयतें है, कतिपय कथनों में १०६, ११० और १११ आयतें है।
मरियम ..... में ९९ आयतें है, किसी के कथनानुसार ९८ आयतें है।
त्वाहा ..... में १३३ आयतें है, किसी के मत में १३४, किन्हीं के मतमें १३५ और किन्हीं के मत में १४० आयतें है।
अम्बिया ...... में १११ आयतें है, किसी के मत में ११२ आयते है।

हज .. में ७४ आयतें है, किन्हीं के मत में ७५, और किन्हीं के मत में ७८ आयतें है ।

इसी प्रकार प्रत्येक सूरत में आयतों की संख्या के सम्बंध में मतभेद उपस्थित है ।

तफसीर इत्तिकान प्र. १९, पृष्ठ१८२ से १८४

—:कुरआन की आयत संख्या:—

पंडित श्री सत्यदेवजी ने अपनी 'कुरआन में परिवर्तन' नामक पुस्तक के पृष्ठ ३८-३९ में कुरआन की आयत संख्या निम्न प्रकार दी है:—

'दुआए मुतबर्रक: कसीद: तुलकिराअत उम्द: तुलब्यान । फी तफसीरिल्कुरान सिराजुलकारी तथा रमूजुल्कुरान के एक मतानुसार सम्पूर्ण कुरआन की आयत संख्या.... ....६६६६
इत्तेकान फी उलूमिल्कुरान के मतानुसार.... ... ...६२१४
मदनियों के समीप सम्पूर्ण कुरआन में.... ... ...६२१४
मक्कीयों के ६२१२
शामियों के.... ... ...६२५०
बसरियों के... ....६२१६
ईराकियों के.... .. .. -- ६२१४
कूफ़ियों के... ... ...'...६२३६
अब्दुल्ला हिब्ने मसऊद के कथनानुसार कुरआन में........६२१८
इब्ने अब्बास ६६१६
अबू मन्सूर दव्वान... ....६०००
एवं मुहम्मद याकूब कुलेनी ... ... १७००० आयतें थी और कतिपय लोगों की भिन्न-भिन्न दृष्टि में सम्पूर्ण कुरआन

की आयतों की संख्या ६२०४, ६२१४, ६२१६, ६२२५ और ६२३६ भी रही है और यदि हमारी खोज की हुई ६२५ आयत हज़रत आयशा के कथनानुसार वर्तमान कुरआन की ६६६६ आयतों में मिला दी जाये तो वर्तमान ज्ञात कुरआन की आयत संख्या ७३०१ हो जायेगी।

—: कुरआन के कल्मात :—

अल्लामा सियूती ने लिखा है, कि अधिकांश लोगों ने कुरआन के कल्मात की संख्या ७७ हजार ६ सौ २३ बताई हैं, और कुछ लोगों ने ७७ हजार ४ सौ ३३ और कुछ ने ७७ हजार २ सौ ७७ कलमात बतायें हैं।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १६, पृष्ठ १८७

हमारा तात्पर्य यह है कि मुसलमान जिस प्रकार सूरतों और आयतों की संख्याओं में मतैक्य स्थापित नहीं कर सके, उसी प्रकार कलमात—संख्या में भी परस्पर मतभेद उपस्थित है।

००००॰॰ कुरआन के अक्षर ॰॰००००

अल्लामा सियूती लिखते हैं, कि इब्ने अब्बास के द्वारा कुरआन के हुरूफ़ों की संख्या पूर्व में कही जा चुकी है और वह ३ लाख २३ हजार ६ सौ ७१ है।

तफसीर इत्तिकान प्रकरण १६, पृष्ठ १७६

आपने लिखा है, कि इस विषय में अधिक लिखना व्यर्थ है और हुरूफ़ सम्बंधी विश्वास हेतु जो हदीसें आई हैं, उनमें से

एक हदीश तिरमजी ने इब्ने मसऊद से मरफ़ूअन (विश्वस्त) रवायत की है, कि जो व्यक्ति किताब-अल्लाह (कुरआन) का एक अक्षर भी पढ़ता है, उसको एक नेकी प्राप्त होती है।.... और तिबरानी ने उमर बिन खत्ताब से विश्वस्त रवायत की है, **कि कुरआन के १० लाख २७ हज़ार अक्षर हैं।** जो व्यक्ति धैर्य सहित नेकी प्राप्ति के ध्येय से उसको पढ़ेगा। उसे कुरआन के प्रत्येक अक्षर के बदले एक पत्नि हूरईन में से मिलेगी। (इस हदीश के समस्त व्याख्याकार विश्वनीय लोग हैं) परन्तु तिबरानी के शैख मुहम्मद बिन उबैद बिन आदम बिन अबी अयास के विषय में इस हदीस के कारण ज़हबी ने कलाम किया है और इसका हमल (आधार) उन वस्तुओं पर भी कर लिया गया है, जिनकी रस्म (पद्धति) कुरआन से मनसूख (निरस्त) कर दी गई है। (अर्थात जितना कुरआन था सबके अक्षर गिन कर इतनी संख्या लिखी है) क्यों कि जिस प्रकार कुरआन इस समय उपस्थित है, वह इस संख्या तक नहीं पहुँचता। मिर्जा हैरत देहलवी ने भी मुकद्दम ए तफसीरुल फ़ुर्कान, पृष्ठ ३५ पर कुरआन के अक्षरों की संख्या ३ लाख २३ हजार ६ सौ ७१ लिखी है।

पं. श्री सत्यदेवजी व्दारा रचिक 'कुरआन में परिवर्तन' नामक पुस्तक के पृष्ठ ३४ पर कुरआन के अक्षरों की संख्या निम्न प्रकार है:—

इब्ने अब्बास के कथनानुसार सम्पूर्ण कुरान में ३२३६७१ अक्षर
—सियूती

उम्रिब्ने खत्ताब... ... . १०२७००० अक्षर,
—सियूति

अब्दुदुल्ला हिब्ने मसऊद... .... ३२२६७१ अक्षर

मुजाहिद.... ... ... ३२११२१ अक्षर
—सिराज् लकारी

अब्दुल्ला इब्ने मसऊद .. .. ३२२६७० अक्षर
—उम्द:तुल ब्यान

कसीद: तुलकिराअत.... ... ...३०२६७० अक्षर

उम्द:तुलब्यान... .... .३५१४८२ अक्षर

सिराज् लकारी... ... ... .३२०२६७ अक्षर

और दुआए मुतबर्रक. . . . . ४४५४६३ अक्षर है

पाठकगण ! आप ध्यानपूर्वक देखिये कि सम्पूर्ण कुरआन के समस्त अक्षर १० लाख २७ हजार थे और वर्तमान में उपस्थित कुरआन की अक्षर–संख्या ३ लाख २३ हजार ६ सौ ७१ है तो इस प्रकार कुरआन से ७ लाख ३ हजार ३ सौ २९ अक्षर कम हुए। इस हिसाब से कुरआन के मूल भाग से कितना भाग कम हो गया। प्रत्यक्ष सिद्ध है कि कुरआन का बहुत बड़ा भाग लुप्त हो गया और वर्तमान कुरआन अपने मूल रूप में विद्यमान नहीं है।

इस सम्बंध में अल्लामा सियूति ने तफसीर इत्तिकान में लिखा है :—

इब्ने उमर का कथन है :—कि निसन्देह ! तुम लोगों में से यदि कोई व्यक्ति यह बात कहे कि मैंने सम्पूर्ण कुरआन प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि सम्पूर्ण कुरआन कितना था। क्यों कि कुरआन में से अधिकाँश भाग लुप्त हो गया है, किन्तु उस व्यक्ति को यह कहना चाहिये कि मैंने कुरआन में से इतना भाग प्राप्त किया है, जो कि प्रत्यक्ष है।

इसी रावी (व्याख्याकार उबैद) ने........बीबी आयशा से रवायत की है, कि रसूलिल्लाह के जीवन काल में सूरत अह-ज़ाब २०० आयतों की पढ़ी जाती थी। फिर जिस समय उस्मान ने कुरआन लिखे, उस समय हम (आयशा) ने इस सूरत में जो कि वर्तमान में उपलब्ध आयतें है, के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया। (इस समय इस सूरत में मात्र ७३ आयतें ही हैं)

तफसीर इत्तेकान, प्र. ४७ पृष्ठ ६४

—: कुरआन के ऐराब (मात्राएँ) :—

अल्लामा सियूती के तफसीर इत्तिकान का प्रकरण ४१ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थ-जानने के विषय में लिखा है-कि ऐराब (मात्राएँ) ही उचित अर्थ बताते हैं. . . . . गलत पढ़ने से अर्थ उचित नहीं जाना जा सकता और (गलत पढ़ने से) विनाश को प्राप्त होता है।

आगे लिखा-कि जो व्यक्ति कुरआन का स्वाध्याय पाठ करना चाहता है. उसके लिए आवश्यक है कि वह मुबतदा, खबर, फाइल और मफ़ऊल (क्रिया, कर्म, कर्ता और संज्ञा) आदि से भी परिचित हो ।

इसके आगे अल्लामा ने अत्याधिक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जो प्रायः सर्व साधारण को सरलता से समझ में नहीं आते हैं और न आ सकेंगे। अतः हमने उनको उद्धृत करना लाभ-प्रद नहीं समझा और छोड़ दिये हैं । अल्लामा ने इस विषय में जहाँ इतना मार्ग प्रशस्त किया है, वहाँ इसी प्रकरण में ३ आयतों में भूलें (नहवी) भी बताई है ।

अल्लामा ने लिखा–कि कभी एक ही शय में आयत के अर्थ और मात्रा (ऐराब) में रस्साकशी हो जाती है । अर्थात कलाम में यह बात पाई जाती है कि अर्थ तो एक अमर की ओर आमंत्रित करते हैं किन्तु ऐराब (मात्रा) उस ओर जाने से रोकते हैं । ऐसी स्थिति में अमर से तमस्सक अर्थात अर्थ की बात देखी जाएगी और ऐराब की कोई मुनासिब (उचित) तावील (व्याख्या) कर दी जाएगी । जैसे—"**इन्नहू अला रजएही लकादेरून यौमा तुब्लस्सराएरा**" इस आयत में यौमा जो कि जर्फ़ (कालवाचक शब्द) है, उसकी निस्बत अर्थ की दृष्टि से रजआ मसदर से मुतअल्लक (सम्बन्धित) होने की पाई जाती है । जैसे--"**इन्नहू अला रज्एही फी जालेकल यौमे लकादरून**" (अर्थात) निसन्देह, (खुदा) उस दिन उसके (मनुष्य के) पुनः लौटाने पर कादिर (समर्थवान) है, किन्तु ऐराब ऐसा अर्थ करने से रोकता है और उसका कारण मस्दर (धातु) और उसके मामूल (प्रभावित) के मध्य फ़ासला (दूरी) नहीं चाहिए । इसलिए उस जर्फ़ में एक ऐसा फ़ेल (क्रिया) लुप्त आमल गर्दानना (रखना) होगा कि जिस पर मस्दर का लफ़्ज (धातु का रूप) दलालत (मध्यस्थता) करें ।

इसका तात्पर्य यह है-कि अर्थ को ठीक करने हेतु मात्राएँ ठीक करनी पड़ेंगी और एक लुप्त क्रिया निकालनी पड़ेगी । ऐराब को लुप्त क्रिया निकाल कर अर्थ को ठीक करना होगा । यह उक्त आयत कुरआन में सूरत तारक, पारा ३० की है । दूसरा उदाहरण:—

'अकबरो मिम्मक्तेकुम अन्फुसेकुम इज़ तदऔना'

कुरआन. पारा २४, रकू २।७

यहां भी अर्थ की दृष्टि से देखते हुए इज़ का सम्बंध मकत के साथ होना चाहिये और इज़ व मकत के मध्य दूरी होने से मात्रा इस बात से रोकती है। अतः यहाँ भी एक क्रिया मसदर (धातु) के दलालत करने मे मुकद्दर (लुप्त) किया गया। इन दोनों बातों को यों समझना चाहिये कि ऐराब (मात्रा) के विषय में नहव (व्याकरण) के नियमों को दृष्टि में रखना आवश्यक है और अर्थ के बयान सम्बन्धी व्याकरण (नहव) का विरोध कुछ हानिप्रद नहीं।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ट ४६२

–:३ आयतों में नहवी गलती (व्याकरण–त्रुटि):–

अल्लामा लिखते हैं-कि अबू उबैद ने फ़ज़ायेलुल कुरआन में लिखा है, कि अर्वा ने कहा-मैंने बीबी आयशा से खुदा के वचन "**इन्ना हाज़ाने लिसाहराने**" और "**वल मुकीमीनस्सलात वल मोतूनज्जकाता**" (पारा ६ रकू २) और "**वा इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबेऊन**" (पारा ६ रकू १४) के विषय में कुरआन की ग़लती की निस्बत पूछा (कि क्यो कर आई ?) तो बीबी आयशा ने कहा कि मेरी बहिन के बेटे ! यह लिखने वालों का काम है, उन्होंने लिखने में गलती की। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सहीह (ठीक) है।

अबू उबैद ने कहा–विभिन्न व्याख्याकारों के नाम सहित अकरमा की रवायत है, कि मुसाहिफ (कुरआन) लिखे जाने के पश्चात जब उस्मान को प्रस्तुत किये गये तो उनमें कुछ शब्द ग़लत पाये गये। उस्मान ने कहा–इनको न बदलो, क्योंकि अरब (के लोग) इनको स्वयँ बदल लेंगे, या यह कहा कि–वह अपनी भाषाओं में उनका ऐराब कर लेंगे। काश ! कि यदि लिखने वाला कबीला सकीफ और ज़बानी बताने वाला कबीला

हुज़ैल के व्यक्ति होते तो उसमें (कुरआन में) यह हुरुफ़ (गुलत अक्षर) न पाये जाते।

इस रवायत को इब्नुल अन्बारी ने अपनी किताब अर्रद्दो अलामन खालिफ़ा मुस्हिफे उस्मान और इब्ने अशता ने किताबुल मुसाहिफ में यही बयान किया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६२

बीबी आयशा ने तीनों आयतों में गलती होना स्वीकारा है, परन्तु कुरआन के व्याख्याकारों ने इन तीनों आयतों पर किस-किस प्रकार विविध व्याख्याएँ की है, उन्हें हम आगे के पृष्ठों में लिखेंगे। पूर्व में जो हमने अकरमा की रवायत लिखी है, वह उन लोगों का मत है। फिर अब्दुल आला की रवायत से लिखा है, कि मुस्हिफ तैयार होने पर हज़रत उस्मान के पास लाया गया। उसमें कुछ ग़लतियां थी। उस्मान ने यह कहा था कि इनको शीघ्र ही अपनी भाषा में शुद्ध कर लूँगा।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६५

(प्रथम व्याख्याकार ने जो कहा था-कि उस्मान ने कहा कि ग़लतियाँ रहने दो ! यह ठीक नहीं)

आगे तीन आयतों में रही गलतियां जो बीबी आयशा ने स्वीकारी थी उसके विषय में लिखा है, कि बीबी आयशा के 'अख़तु' शब्द का यह अर्थ है कि उन लोगों ने अक्षर 'सब्आ' में से लोगों को उस पर एकत्रित करने हेतु उत्तम अक्षर के चयन में भूल की है, न जाने उन्होने भूल की है या नहीं? लफ़्ज के स्पष्ट अर्थ है, फिर यह लिखना कि हरूफ सब्आ (सात अक्षरों) में से चुनने में भूल की है। यह सर्वथा असत्य है । क्योंकि उस

समय हफ़्त हरूफ (सात अक्षर) का प्रश्न ही समाप्त था। इस सात अक्षर के विवाद-समाप्ति हेतु ही उस्मान ने निर्णय किया था कि कुरआन को कुरैश की भाषा में लिखो (यह हम पूर्व में लिख चुके हैं) अतः बीबी आयशा के इस शब्द कि उन्होंने ख़ता (भूल) की, इसको सात अक्षरों में से उत्तम चुनाव पर निर्भर कर के टाल देना किसी प्रकार भी उचित नही माना जा सकता क्योंकि सात अक्षरों का चुनाव तो समाप्त हो चुका था। अस्तु, आगे, इब्राहीम नख़ई से रवायत की है, कि 'इन्ना हाज़ाने लिसाहिराने' भी ठीक है और 'इन्ना हाज़ैने लिसाहिराने' भी। दोनों रीति से पढ़ना समान है।

हम कहेंगे— क्या आप 'हाज़ाने लिसाहिराने' पाठ कुरआन में अन्यत्र दिखा सकते हैं ? और यदि यह दोनों पाठ समान है, तो आपके व्याख्याकारों ने जो विभिन्न मार्गों का अनुसरण कर इस 'हाज़ाने लिसाहिराने' को ठीक करने का प्रयास किया है, उनको इतनी व्याख्याएं न करनी पड़ती।

आगे आपने लिखा-कि शायद मुस्हफ (कुरआन) को नकल करने वालों ने 'अलिफ़' को 'ये' के स्थान पर (और 'ये' को 'अलिफ' के स्थान पर) कर दिया।

क्यों महोदय ! यदि दोनों पाठ समान थे, तो 'शायद' शब्द का प्रयोग क्यों किया ? और 'शायद' शब्द की छाया में यह भी लिख दिया कि 'ये' के स्थान पर 'अलिफ'। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप दोनों पाठ ठीक नहीं मानते।

आगे द्वितीय आयत के उत्तर में लिखते हैं, कि 'वस्सा-बेऊन वरासेखूना' में 'वाव' को 'ये' के स्थान पर लिख दिया है (आखिर क्यों लिख दिया ?)

इब्ने अश्ता कहते हैं—कि इब्राहीम की मुराद है कि यह अमर ऐसा है कि जैसे एक अक्षर को दुसरे अक्षर से परिवर्तित कर लिख दिया गया। जैसे-'अस्सलात अज़्ज़कात' (इनमें 'अलिफ़' के स्थान पर 'वाव' लिखा गया) (इसकी वास्तविकता आगे लिख कर उत्तर देते हैं)

मैं कहता हूं, कि यह उत्तर उस समय उत्तम रहता, जब कि इन मिसालों (उदाहरणों) में कताबत (लेखन) 'ये' के साथ अन्य कताबत इसके विरूद्ध होती, परन्तु स्थिति यह है कि कताबत रस्मुलख़त (लेखन शैली) के ही मुक्तजी (निर्भरता) पर होती है। इसलिए इस उत्तर को ठीक नहीं माना जा सकता।

००००॰ आयतों का समाधान ॰००००

प्रथम आयत "इन्ना हाज़ाने लिसाहिराने"

१—यह कि जिन लोगों को भाषा में तसनिय्या का सीग़ा (द्विवचन) रफ़ा [पेश] नसब [ज़बर] और जर [ज़ेर] तीनों ऐराब (मात्रा) की स्थिति में 'अलिफ़' से ही आता है, यह आयत उन्हीं की भाषा में आई है और यह कबीला कनाना और [एक और वचन के विश्वास पर] कबीला बनिलहारस की प्रसिद्ध लुग़त [कोष] है।

हम कहेंगे-कि जब हफ़्त करात (सात प्रकार से पढ़ने के ढंग] के बखेड़े से मुक्ति हेतु हज़रत उस्मान ने अन्य साथियों (सहाबा) से मिल कर यह निश्चय कर लिया था, कि अब संशोधित कुरआन, कुरैश की भाषा में लिखा जायेगा और फिर कुरआन लिखते समय जो भूलें रह गई थी, उनको उस्मान ने

शुद्ध भी कर दिया तो फिर यह कबीला कनाना और बनिल-हारस की लुग़त (कोष) कहां से आ गई ? या यह मानना होगा कि उस्मान ने कुरआन में रही भूलों को शुद्ध नहीं किया। हम यह पूछते हैं-कि अरबी नहव (अरबी का व्याकरण) के अनुसार तो यह कबीला कनाना और बनिलहारस के पाठ शुद्ध हैं ?

२--यह कि 'इन' (जो इन्ना मूशद्दद (द्युत) से तखफीक (इन) कर लिया गया है) ज़मीर शान महज़ूफ (लुप्त) यहाँ से लुप्त है। और "हाज़ाने लिसाहिराने" जुमला (वाक्य) इसमिय्या (संज्ञावाचक) मुब्तदा (संज्ञावाचक) और ख़बर से मिल कर इन्ना की ख़बर बना है।

यहां देखिए, इन का इन्ना बनाया और ज़मीर (प्रत्यक्ष) लुप्त बताई तथा इन्ना को इस्म बनाया (मै कहूँगा कि इस प्रकार तो प्रत्येक गलत वाक्यों को भी सिद्ध किया जा सकता है)

३--'साहिराने' एक मुब्तदा महज़ूफ की ख़बर है, जिसकी तकदीर 'लहुमा साहिराने है।'

४--यह कि 'इन' इस स्थान पर नअम (हाँ) के अर्थ में है।

५--(हाज़ाने को दो भागों में कर) हा को ज़मीर इन्न का इस्म और जाने लसाहिराने मुब्तदा और ख़बर है, किन्तु इसका खण्डन पूर्व में किया जा चुका है। 'इन' को विभक्त लिखा जाना और 'हाँ' को वाक्य के साथ कताबत मुत्तसिल (समीप) करना ठीक नहीं।

६--और एक और तज़्वीज (विचार)(लेखक तफसीर कहता है) मुझे सूझी और वह यह कि 'हाज़ाने' में 'साहिराने'--'युरीदाने' (साहिराने से अगला शब्द) की मुनासबत (तुलना) से अलिफ़

लाया गया है। जिस प्रकार 'सलासिलन' को 'अग़लालन' और 'मिनसबईन' को 'बिनबइन' की तुलना से तनवीन दी गई है। (हाँ महोदय ! हाथ-पैर तो फेंकना ही चाहिए; सम्भवत: कुरआन की यह गलती ठीक हो जाए) किसी शब्द को तनवीन देना क्या ऐसा ही है। जैसे-'हाज़ान' से 'हाज़ान' कर देना। इस 'हाज़ाने' को ठीक करने अर्थात इस भूल के सुधार हेतु ऊपर ६ समाधान लिखे गये है। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा है। जिस प्रकार लुप्त क्रियाएँ और संज्ञा आदि निकाल कर इस भूल को सुधारने का यत्न किया गया है, यदि इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वह सुधारने के स्थान पर और विकृत हो गई है। जब ६ व्यक्ति किसी एक विषय को सिद्ध करने हेतु एक-दुसरे की सम्मति अमान्य कर अपने-अपने विभिन्न समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो यह सिध्द हो जाता कि एक ने दूसरे के समाधान नकार कर अपना पृथक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में कोई भी समाधान मान्य नहीं होगा, परन्तु ६ प्रकार के समाधान प्रस्तुतकर्ताओं ने बीबी आयशा के कथन का कोई उत्तर नहीं दिया। जब तक यह बात स्पष्ट न हो जाये कि बीबी आयशा ने ठीक नहीं कहा या उसने समझा नहीं, तो फिर उसका समाधान कैसे हो सकता है ? अत: जो बीबी आयशा ने कहा, वही ठीक है, यह मान कर भूल माननी ही पड़ेगी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ट ४६६

द्वितीय आयत-"**वल मुकीमी नस्सलाता**"

१-यह कि वह मकतूअ इलल (स्तुति वाचक) है।
२-यह कि वह (पूर्व वाक्य) 'योमिनूना बिमा उन्जिला अलैका' में जो मज़रूर (ज़ेर वाला अक्षर) है, उस पर मातूफ़ (सम्बंध-

सूचक) है। वाक्य इस भांति 'योमिनूना बिल मुकीमी नस्सलाते' बनेगा.........और यह भी कहा गया "योमिनूना ब्दीनिल मुकीमीना है" और कहा गया है कि वाक्य ऐसे होगा " व अजा-बतल मुकीमीना" ।

३–यह कि वह 'कबल' पर मातूफ (सम्बंध सूचक) है । वाक्य ऐसे होगा "व मिन कबलिल मुकीमीना" यद्यपि कबल (पूर्व) हजफ (लुप्त) किया और मुजाफ 'अलेह' उसका कायम मुकाम (स्थानापन्न) बनाया गया है ।

४–यह कि वह 'कब्लिक' में जो खताब (मध्यम पुरुष) का 'काफ' है । यह उस पर मातूफ (सम्बन्ध सूचक) है ।

५–यह कि 'अलैका' के 'काफ' पर मातूफ (सम्बन्ध सूचक) है ।

६–यह कि वह 'मिनहुम' में जो जमीर (प्रत्यय) है, 'हुम' उस पर मातूफ है ।

उक्त ६ प्रकारों से 'मुकमीना' की सिद्धि की गई है । इनमें एक का कथन है कि वह अति स्तुति योग होने से, व रोग (सुललित) होने से ऐसा हुआ । दूसरा कहता है कि 'योमिनूना बिमा उन्जिला पर मातूफ़ (सम्बन्धवाचक) है। तीसरा 'कबल' पर मातूफ कहता है । चौथे का 'पर' जो 'कब्लिका' का है । पांचवा 'अलैका' के 'काफ' पर और छठा कथन 'हुम' पर मातूफ (सम्बन्धवाचक) कहा गया है । यह समस्त वचन इस भूल को ठीक करने हेतु दिये गये है, किन्तु यह साहस नहीं हुआ कि वीबी आयशा के कथन का खंडन करे ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६६-४६७

उपरोक्त चर्चित आयात निम्न प्रकार है:—

"यकीमू नस्सलाता वा यो तू नज़काता"

कुरआन, पारा ६, रकू १२,

पारा १०, रकू १५, पारा १९ रकू १६ और
पारा २१ रकू १० में इसी प्रकार है

तृतीय आयत-" **वस्साबेऊन** " इसमें निम्न कारण कहे गये हैं।

१ – मुब्तदा (संज्ञावाचक) है उसकी खबर हज़फ़ (लुप्त) कर दी गई है। वास्तव में ' वस्साबेऊन व ज़ालिका ' था।

२- यह कि ' अन्ना ' के इसम (संज्ञा) के साथ वह उसी के महल (स्थान) पर मातूफ़ है।

३ - यह कि ' हादू ' में जो ज़मीर (प्रत्यय) फाइल (कर्ता) है; उस पर मातूफ़ (सम्बन्धवाचक) है।

४ - यह कि ' इन ' नअम (हां) के अर्थ में आया है।

५ - यह कि ' वस्साबेऊना ' जमा का सीगा (बहुवचन) है, किन्तु मुफ़रद (एकवचन) का स्थानापन्न बना दिया गया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण४१, पृष्ठ ४९७

उन भूलों के सुधार हेतु जितने भी समाधान प्रस्तुत किये गये वे सभी इसी प्रकार के हैं, क्यों नहीं कुरआन से कोई और अन्य आयत प्रस्तुत की गई और लुप्त तथा अतफ़ (सम्बन्ध) के नियम प्रयोग करते रहे ?

मैं कहूंगा कि कुरआन में पहिले भी यह आयत आ चुकी है, जो इस प्रकार है :—

' वल्लाज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईना '

कुरआन, पारा १, रकू ८

इसके अतिरिक्त इसी प्रकार कुरआन में :—

" इन्नल्लाज़ीना आमनू वल्लाजीना हादू वस्साबेईना वन्नसारा "

कुरआन, पारा १७, रकू ९

यह उक्त लिखित आयत को इसके ऊपर लिखित आयत से मिला लें ।

हमने कुरआन की यह दो सूरतें और भी प्रमाण में दी कि इनमें किसी भी स्थान पर "साबऊना" शब्द नहीं है । हमें तो केवल यह दिखाना था, कि कुरआन में नहवी (व्याकरण की) गलतियाँ लोग मानते हैं ।

उपरोक्त समस्त उत्तर लिख कर आगे इत्तिकान में लिखा है-- बीबी आयशा की जो खायत पूर्व में बयान हो चुकी है, उसी के समीपस्थ इमाम अहमद की वह खायत भी है, जिसको उन्होंने अपनी मसनद में कहा है ।

लिखा है–कि एक समय अबी खलफ़, उबैद बिन उमैद के साथ बीबी आयशा के पास आया । उबैद ने कहा-यह एक आयत के विषय में आया है । आयत है-"**अल्लज़ीना यातूना मा अतो**" या "**अल्लाज़ीना योतूना मा आतू**" इन दोनों में कौनसी करात उचित है ? आयशा ने कहा–कि तुमको कौनसी करात पसन्द है ? अबी ख़लफ़ ने कहा--मुझे इन दोनों में अधिक प्रिय आयत "अल्लज़ीना यातून मा अतो" लगती है । इस पर बीबी आयशा ने कहा-कि निसन्देह, रसूलल्लाह इसी ढंग पर इस आयत को पढ़ा करते थे और यह आयत इसी प्रकार उतरी है। (आयतों के मध्य ऐसी ही शंकाएँ लोगों में थी ।)

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६७

इब्ने अब्बास ने "**हत्ता तस्तानिसू वा तुसल्लेमू**" कुरआन पारा १८, रकू १० के सम्बन्ध में कहा--निसन्देह, कातिब (लिपिक) की गलती है । वास्तविक "**हत्ता तस्ताज़नू व तूसल्लेमू**' था । इब्ने अबी हातम ने भी ऐसी ही रवायत की है

इसके आगे इब्नुल अम्बारी अक्रमा के आधार पर इब्ने अब्बास से खायत करता है, कि उन्होंने "अफ़लम युबय्येनल्ला-ज़ीना आमनू अन्नौ यशा अल्लाही" पढ़ा । लोगों ने कहा-कि यह आयत तो मुस्हिफ़ [कुरआन में "अफ़लम यय अमिल्लाज़ीना आमनू" (कुरआन. पारा १३, रकू १० है। इस पर इब्ने अब्बास ने उत्तर दिया-कि मेरा गुमान (विचार)है कि कातिब ने जिस समय यह आयत लिखी, वह उस ऊँघ (अर्धनिद्रा) रहा था ।

इसी प्रकार सईद बिन मन्सूर, इब्ने जबैर के आधार पर इब्ने अब्बास से रवायत करता है कि खुदा के वचन 'वा कज़ा रब्बोका' के विषय में वह कहा करते थे, कि वह वास्तविक 'वस्सा रब्बोका' (कुरआन, पारा १५, रकू ३) था। 'वाव' 'स्वाद' के साथ जुड़ गया, और इसी करात को इब्ने अश्ता ने इन शब्दों में कहा है-कि कातिब (लिखने वाले) ने कलम में अधिक स्याही ले ली थी, इस कारण 'वाव' स्वाद से मिल गया है। इस रवायत को अनेक लोगों से तफसीर इत्तिकान मेंविभिन्न ढंग से कहा है ।................ यहाँ पर वसिय्यत की बात है कि जिसके द्वारा खुदा ने बन्दों को समझाया है, न कि आज्ञा दी । यदि आज्ञा होती तो किसमें शक्ति थी कि उसकी आज्ञा को निरस्त कर सकता ?

इसी के सम्बंध में सईद बिन मन्सूर से और इस रवायत को ज़ुहक के आधार पर इब्ने अब्बास से यों बयान किया है, कि वह 'व वस्सा रब्बोका' पढ़ते थे, कातिब के अधिक स्याही लेने से वाव स्वाद से मिल गया। इत्यादि

तफ़सीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६८

खुदा का नूर कन्दील की मिसल (सदृश) नहीं हो सकता................और इब्ने अबी हातम ने अता के आधार

पर इब्ने अब्बास से "**मसला नूरेही कमिश्कातिन**" [कुरआन, पारा १८, रकू ५।११] के विषय में यह कौल रवायत किया है। उन्होंने कहा यह कातिब की गलती है। खुदा इस बात से बदर्जहा [अत्यधिक] बढ़ कर साहिबे अज़मत [श्रेष्ठत्तर] है कि उसका नूर एक कन्दील की मिसल हो।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६६

तफसीर इत्तिकान में इसी पृष्ठ पर आगे एक बड़े रहस्य की **बात** लिखी है। अधिकतर व्याख्याकारों के नामोल्लेख कर अंत **में** अब्दुर्रहमान ने अपने पिता अबी जनाद के उल्लेख से खारजा बिन ज़ैद की यह रवायत की है, कि लोगों ने ज़ैद से यह पूछा--अबा सईद ! तुमको यह भ्रम (क्यों) हो गया कि आयत करीमा '**समानियता अज़्वाजे मिनज़ज़ाने इसनैने वा मिनल माजो इसनने इसनैने वा मिनलइबेले इसनैनेइसनैने वा मिनल बकरे इसनैने इसनैने**" [प्रत्येक में इसनैने की तकरार [पुनरूक्ति दोष है] है। ज़ैद ने उत्तर दिया-इसलिए कि [यह भ्रम इस हेतु से हुआ] अल्लाह पाक कहता है- "**फजअला मिन हिज़ौजै निज़करा वलउन्सा**" [कुरआन, पारा २६, रकू २/१८] अर्थात्-' पस, किये उसमें से दो जोड़े नर और मादा '। अतः वह दोनों दो जोड़े हैं, नर एक जोड़ा और मादा [नारी] एक जोड़ा !

इब्ने अश्ता इस रवायत को बयान करने के पश्चात कहता है, पस, यह खबर (बयान) दलालत (निर्भरता) करती है कि लोग [सहाबा-हज़रत के मित्र] कुरआन में लिखने हेतु ऐसे अक्षरों को चुन लिया करते थे, जो कि मुआनी [अर्थों] को जमा करने में सबसे बढ़े हुए ज़बानों [भाषाओं] में असीमित सरस

[सलीस] स्थान प्राप्ति [माख़ज] में अत्याधिक सरल [करीबुलफहम] और अरबों के निकट ख्यातिप्राप्त थे ।

तफसीर इत्तिकान–प्रकरण ४१ पृष्ठ ४६६ भाग-१

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हज़रत के मित्र ऐसे शब्द जो सरस-सरल और विख्यात हों, कुरआन में प्रविष्ट कर देते थे । एक बात और ज्ञातव्य है कि जिस आयत के सम्बंध में जैद से पूछा है, कि ' इसनैने ' शब्द दोबारा क्यों आया है ? वर्तमान में उपस्थित कुरआन में यह शब्द ' इसनैने ' दोबारा नहीं अपितु एक बार ही है ।जैसे:— " **समानियता अज़्वाजिन मिनज़ ज़ानिसनैने वा मिनल माज़िसनैने कुल आज़ ज़करैने हर्रमा अमिल उनसयैने** "

कुरआन, पारा ८, रकू १७/४

[इस आयत के अतिरिक्त और कोई अन्य ऐसी सूरत कुरआन में दृष्टिगोचर नहीं होती]

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४१, पृष्ठ ४६६

अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान के प्रकरण ४१ में कुरआन के ऐराब (मात्रा) आदि के विषय में विस्तारपूर्वक लिखा है । हमने उसमें से संक्षिप्त उदाहरण मात्र दिये हैं, किन्तु जब कुरआन पर पुस्तक लिखी जायेगी, तो प्रत्येक आयतके संबंध में समीक्षा के रूप में यह प्रकरण ४१ उसमें आ जायेगा, क्योंकि प्रत्येक आयत के समस्त पहलुओं पर चर्चा की जायेगी ।

—:स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग:—

मरियम के लिये सूरत तहरीम की आयत:—
"**वा कानत मिनल कानेतीन**"

कुरआन, पारा २८, रकू २०

अर्थात्—मरियम आज्ञाकारियों में से थी ।

इसमें 'कानत' (स्त्रीलिंग-एकवचन) और कानेतीना (पुल्लिंग-बहुवचन) है। कोई व्याकरण का साधारण जानने वाला मनुष्य भी स्त्रीलिंग एकवचन के साथ पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग कदापि नहीं करेगा, और यहां कुरआन में ऐसा प्रयोग स्पष्ठः किया गया है। इसके प्रारम्भ में भी इसी प्रकार है। आयतः—

" व मरयमब्नता इमरानल्लती अहसनत् फ़र्जहा फ़नफ़खना फ़ीहे मिर्रूहैना"

कुरआन, पारा २८ रकू २०

अर्थात-और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शरमगाह (गुप्तस्थान) की रक्षा की। पस, हमने उसके मध्य अपनी रूह को फूँका।

इस आयत में सब वचन स्त्रीलिंग है और 'फ़र्जहा' में 'हा' ज़मीर भी स्त्रीलिंग ही है, किन्तु 'फ़ीहे' पुल्लिग की ज़मीर का प्रयोग किया है। एक ही आयत में दो स्थान पर यह व्याकरण की भूलें प्रत्यक्ष हैं। हम इस आयत के ही अर्थ की एक अन्य आयत आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जिसमें सर्वथा ठीक लिखा गया है। आयतः—

"वल्लती अहसनत् फ़र्जहा फ़नफ़खना फ़ीहा मिर्रूहैना"

कुरआन, पारा १७, रकू ६।६

यहाँ पर जिस प्रकार 'फ़र्जहा' में 'हा' स्त्रीलिंग ज़मीर पड़ी है, उसी प्रकार 'फ़ीहा, में भी 'हा' की स्त्रीलिंग ज़मीर है जब कि प्रथम आयत में 'फ़ीहे' में हे' की पुल्लिग ज़मीर का प्रयो-

ग है। कुरआन में घटित इन व्याकरण की भूलों पर व्याख्याकारों की लीपापोती देखिये—

तफसीर कुरआनुल अज़ीम, पृष्ठ १३६ पर—मरियम को पुल्लिग से क्यों सम्बोधित किया गया ? 'मिनल कौमिल मुतोईन' अर्थात वह आज्ञाकारियों की जाति में से थी (इसलिए पुल्लिग से सम्बोधित किया)

तफसीर सिराज़ मुनीर, पृष्ठ ३३६ पर—'कीला' लिख कर आगे लिखा है, 'अल कौमिल कानेतीन 'अर्थात-आज्ञाकारी जाति से थी।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ५५७ पर-'कानेतीन' पुल्लिग वचन इस ओर संकेत करता है, कि मरियम की भक्ति समस्त मनुष्यों से कम न थी। जलालैन, पृष्ठ ४६६ और बैजावी, पृष्ठ ५३४ पर भी ऐसा ही है।

व्याख्याकारों के उपरोक्त कथनों से ज्ञात होता है, कि यह लोग स्त्री जाति को संयमी मानने को तत्पर नहीं। मरियम संयमी थी, अत: उसको पुल्लिग से सम्बोधित किया गया।

द्वितीय—'फ़नफख़ना फ़ीहे' है।

इस सम्बंध में तफसीर बैज़ावी, पृष्ठ ५४४ पर-अर्थात 'फी फ़र्जेहा' (गुप्त स्थान) और पढ़ा गया 'फीहा ऐ फी मरयमे' है।

तफसीर जलालैन, पृष्ठ ४६६ पर—"**फ़नफ़ख़ना फीहे मिरु हेना ए जिब्रिलो हसा नफ़ख़ा की जैबे दरएहा बिखल किल्लाहे फ़अलाहुल वासिला इला फ़र्जेहा क़हमलत बिईसा**"
अर्थात—हमने अपनी रूह को फूंका, अर्थात ज़िब्रील ने जब

उसकी चोली की जेब में फूंका साथ उत्पन्न करने, अल्लाह के मिलाने उसके फ़र्ज (गुप्त स्थान) की ओर।

हाशिया क्रमांक १८ अर्थ-उसकी चोली की जेब में, संकेत इस ओर इस मुराद के साथ फर्ज (गुप्त स्थान) उसकी चोली का जेब, और कहा बकाई ने या बीच फर्ज हकीकी (वास्तविक गुप्त-स्थान के मध्य) के।

हाशिया क्रमांक १९ अर्थ-अल्लाह का उत्पन्न करना मुतअल्लक (सम्बन्धित) है फूँका हमने के साथ........इत्यादि।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ५५७ पर-फिर फूँका हमने फ़ीहे उसके गरेबान में मिर्रूहेना अपनी निर्मित रूह को।

तफसीर कुरआनुल अज़ीम, पृष्ठ १३६ पर-'फ़नफ़खना फ़ीहे मिर्रूहेना' अर्थात-जिब्रील ने चोली के गरेबान में रूह को फूँका।

तफसीर सिराजे मुनीर, पृष्ठ ३३६ पर—और जिब्रील ने जब हमारे रूह से चोली की जेब में फूँका, व कालल बकाई-'औ फ़ी फ़र्जेहा' अर्थात गुप्त स्थान में।

बयानुल कुरआन, भाग २, पृष्ठ १८६८ पर—और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी अस्मत (सतीत्व) को सुरक्षित रखा, तो हमने अपना कलाम (रूह) उसमें फूँका। चूँकि वास्तव में उसमें उल्लेख तो मोमिन का था, न कि मरियम का, इसलिए 'नफ़खना फ़ीहा' के बदले, 'नफ़खना फ़ीहे' कहा। यद्यपि अन्य स्थान पर जहाँ मरियम का उल्लेख लक्ष्य था, 'फ़ीहा' कहा। जिससे ज्ञात हुआ कि यहाँ मोमिन का उल्लेख

लक्ष्य है और इसी में रूह फूँकने का उल्लेख है तथा कुछ ने ज़मीर को हज़रत ईसा की ओर लगाया है।

तफसीर हक्कानी में शैखुल अल्लामा मौलाना अबू मुहम्मद अब्दुल हक्क देहलवी ने इमरान की बेटी मरियम की स्थिति का बयान किया है और मरियम कौन थी ? इसका भी उल्लेख किया है जिसने अपनी अस्मत (सतीत्व) को सुरक्षित रखा, (यह इसलिए कहा कि यहूद उन पर व्यभिचार का कलंक लगाते थे और हज़रत ईसा को (तौबा-तौबा) हरामी कहते थे।) उसकी पवित्रता के कारण हमने उसमें अपनी रूह फूँक दी, जिससे वह गर्भवती हो गई। 'फ़ीहे' की ज़मीर फ़र्ज (गुप्त-स्थान) की ओर फिरती है और फर्ज का इतलाक (सम्बन्ध) उस गुप्त स्थान से नहीं। इसलिए कि अरब के मुहावरे (परिभाषा) में कुर्ते और उसके दामन या ग़रेबान को भी फर्ज कहते हैं।

इब्ने अब्बास कहते हैं, कि जिब्रील ने उनके गिरेबान में फूँक दिया था। अन्य कहते हैं, कि 'फ़ीहे' की ज़मीर हज़रत ईसा की ओर रजू (संकेत) करती है, और अन्य करात में 'फ़ीहा' मुअन्नस (स्त्रीलिंग) की ज़मीर है, वह नफ़्स (अस्तित्व) ईसा की ओर रजू करती है तथा (' फ़ीहा' की ज़मीर) हज़रत मरियम की ओर भी रजू हो सकती है, इसलिए कि हज़रत मरियम के अंदर रूह फूँकी गई थी, जिससे गर्भ हुआ।

तफसीर हक्कानी, पारा २८, पृष्ठ १३४

आगे कानतीन (पुल्लिग) के विषय में लिखा, कि बैतुल मुकद्दस में जो पुरुषों की जमाअत दिन-रात भक्ति करती

रहती थी: मरियम भी उनमें से थी अथवा यह कि वह स्त्री थी किन्तु मर्दाना (पुरुषवत) थी, इसीलिए कानतीन (पुल्लिग) कहा न कि कानतात (स्त्रीलिंग)।

तफसीर हक्कानी, पारा २८, पृ.ठ १२५

हमने ऊपर जो विभिन्न तफसीरों के प्रमाण उद्धृत किये, उन पर हम क्या विवेचना करें ? व्याख्याकारों की विभिन्न व्याख्याएँ स्वयम् ही विवेचना स्वरूप है।

किसी ने कहा-फ़र्ज में फूँका और 'फ़ीहे' को 'फीहा' पढ़ा गया। किसी ने कहा-जिब्रील ने चोली की जेब (गरेबान) में फूँका। किसी ने, खुदा को ही फूँकने वाला कहा। किसी में है, कि हमने जिब्रील के द्वारा फूँका। किसी ने कहा, कलाम फूँका, किसी ने कहा, ज़मीर चोली के गिरेबान की ओर फिरती है, और किसी ने कहा ज़मीर मोमिन की ओर। इस हेतु ज़मीर पुल्लिग की लाई गई। किसी का कुछ ठिकाना ही नहीं. कभी गिरेबान में, कभी मरियम में, और जितने मुँह उतनी बातें।

हम कहेंगे कि जब वही आयत अन्य स्थान में सही हालत में है, तो यहां भूल को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि एक आयत में पुल्लिग और एक में स्त्रीलिंग ? यह सम्भव नहीं हो सकता। अतः यह समस्त व्याख्याएँ निस्सार, निरर्थक और कल्पना मात्र हैं।

एक और आयत उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। आयतः—

"वा मा लिया ला आबुदुल्लाजी फ़तरनी वा इलैहे तुर्जउन"

कुरआन, पारा २३, १ (प्रथम आयत)

अर्थात—और क्या है मेरे लिए कि नहीं करता इबादत मैं उसकी, जिसने उत्पन्न किया मुझको और तुम उसकी ओर फेरे जाओगे ।

व्याकरणानुसार एक ही वाक्य में इस प्रकार उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का उल्लेख होना किसी प्रकार भी उचित नहीं । इस आयत में 'ली' और 'नो' की 'ये' तथा 'आबुदु' मुतकल्लम (उत्तम पुरुष) की ज़मीरें और 'आबदो' वाहिद का सीगा (एक वचन) है, और 'तुर्जऊन' मध्यम पुरुष का बहुवचन है । इस प्रकार एक वाक्य में नही हो सकता । हम तफसीर सिराजे मुनीर से इसकी व्याख्या लिखते हैं । अतः ठीक से समझ में आ जाएेगा ।

सिराजे मुनीर में लिखा है-'**मा लिया ला आबुदुल्लाजी फ़तरनी**' का वास्तविक रूप' मा लकुम ला ता बदूना ..... वा इलैहे तुज़ऊन' है, अर्थात समस्त मध्यम पुरुष के बहुवचन शब्द कर दिये ।

तफसीर सिराजे मुनीर, भाग ३ पृष्ठ ३४४-४५

तफसीर जलालैन में '**वा मा लिया ला अबूदुल्लाजी फतरनीवा फतरकुम व इलैहे तुज़ऊन वा अरज ओ**'

तफसीर जलालैन, पृष्ठ ३६६

कैसे पढ़ेंगे इसको '**वा मा लिया ला आबुदुल्लाजी फ़तरना व इलैहे अर्ज़ओ** या फिर '**मा लकम ला ताबदुल्लजी फतरकुम व इलैहे तुर्ज़ऊन**' ।

तफसीर कादरी ने बड़ी सरलता से आयत ठीक करने का यत्न किया । 'वा मालिया' का अर्थ करते हैं, क्या है हमको

सच्चाई की रो से (अर्थात 'ली' का अर्थ 'लना' एक वचन का अर्थ बहुवचन में कर दिया) नहीं इबादत करते उसकी जिसने हमको उत्पन्न किया। यहाँ भी एकवचन 'मुझको' स्थान पर 'हमको' बहुवचन कर दिया और नेस्त से इस्त (भाव) कर दिया तथा 'हम' के हुक्म जजा (कर्मफल) की ओर फेरे जाओगे। इतना लिख कर कादरी ने आगे लिखा है, कयामत के दिन अपनी ओर उत्पन्न करने की इज़ाफ़त (संकेत) शुकर ज़ाहिर करना है और फिर जीवित होकर उठने की इज़ाफ़त काफरों के साथ झिड़क और धमकी में अधिकता है। (बस, हो गई सफाई उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की तथा एकवचन और बहुवचन की, सब धमकी में समाप्त हो गये) इस प्रकरण को यहां ही समाप्त करते हैं। इस कुरआन का यह प्रकरण कुरआन को समझने में बहुत सहायता देगा।

—: नज़ूल आयाते कुरआन :—

—अर्थात—

—: आयतें उतरने का कारण क्या है ? :—

इस प्रकरण को तो हम नज़ूले आयाते कुरआन में लिखेंगे, परन्तु उसके पूर्व कुरआनी आयतों की एक झाँकी आपको दिखाना चाहते हैं, वह झाँकी है शराब के सम्बंध में, ताकि आप कुरआन के लेखक की लेखन-शैली को जान लें। इससे आपको नज़ूल के विषय को ग्रहण करने में सहायता प्राप्त होगी।

—:—

कुरआन में शराब हराम होने की विचित्र गाथा

शराब के सम्बन्ध में जो आदेश कुरआन में है, उनको देखने से आपको यह भली भाँति ज्ञात हो जायगा कि, कुरआन खुदा का कलाम नहीं है। यह तो किसी ऐसे व्यक्ति का कथन है, जो वहाँ के निवासियों की इच्छानुसार, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर, उनको अपना साथी-मित्र सहयोगी और अनुयायी बनाना चाहता था।

अरब-निवासी मद्यपान के अत्यंत आदि थे, इसलिए उनको अपनी ओर आकर्षित करने हेतु जो चालें चली गई, वह यह कि प्रथम मद्यपान (शराबखोरी) का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया और खुदा के नाम से एक आयत भी प्रस्तुत करदी। आयत यह है-कुरआन में यह उल्लेख हो रहा है 'कि खुदा ने तुम्हारे हेतु बहुत-कुछ किया। पहले कहा, कि मैं आसमान से वर्षा करता हूं और उससे मृत भूमि को जीवित करता हूं। फिर आया, कि पशुओं के उदर से गोबर और लहू के मध्य से दूध देते हैं। फिर आयाः—

"वा मिनस्समरा तिन्नखीले वल आनाबे तत्तखे़ज़ूना मिनहो सकरंव्वा रिज़कन हसना"

कुरआन, पारा १४, रकू ६।१५

तफसीर हक्कानी में लिखा हैः—

'मिन लिल इब्तदाय मुत अल्लक है नस्काकुम.. ....और महज़ूफ से मतअलक है ऐ नस्काकुम मिन समायते इसमें नस्काकुम लुप्त है। अर्थ यह होगा, कि पालते हैं हम तुमको फलों से........खजूर और अंगूर की चर्चा करता है। तत्तखेज़ूना मिनहो सकरन सकर

से तात्पर्य शराब है। यद्यपि सम्बोधन कुरैश मक्का की ओर है और मक्का में शराब हराम भी नहीं हुई थी।

तफसीर हक्कानी, पारा १४, पृष्ठ ३६

'तुम्हारे हेतु है मेवों से, खजूरों के और अंगूरों के, जो कुछ लेते हो तुम उससे मस्त करने वाली वस्तुयें', यह आयत शराब हराम होने के पूर्व उतरी। यहां शराब का तात्पर्य है–जो खजूर या अंगूर से लेते है। (अर्थात शराब निकालते हैं।)

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ५७०

स्मरण रहे कि कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि सिरका भी अर्थ किया जा सकता है, किन्तु हम कहेंगे कि आयत में तो 'सकर' शब्द है, जिसका अर्थ मस्त करने वाली या नशा उत्पन्न करने वाली वस्तुएँ हैं। अतः सिरका (अर्क) अर्थ नहीं हो सकना।

इसी प्रकार:—**'ऐ व नुरकीकुम मिनस्समरा तिन्नखीले वल एनाबे, वस्सके मस्दर माने बहिल खमरे'**

तफसीर बैजावी, पृष्ठ २२७

अर्थात—सकर का अर्थ शराब है।

तफसीर जलालेन पृष्ठ २२१ में भी है कि सकर से अर्थ शराब है, और यह भी लिखा है कि यह आयत शराब के हराम होने से पूर्व की है। इस आयत में शराब निकालना एक नेमत (उत्तम वस्तु) के रूप में दर्शाई है, कि अंगूरों और खजूरों से तुम नशा लाने वाली वस्तुएँ निकालते हो।

क्या कहें जब खुदा की मुहर इस बात पर लग गई कि अंगूर और खजूर खाने और शराब निकालने हेतु है, तो

इस्लाम में निर्भयतासहित अत्याधिक रूप से शराब प्रचलित रही और वर्षों तक प्रचलित रही।

अल्लामा सियूती लिखतें हैं कि शराब सम्बन्धी तीन आयतें उतरी, अर्थात शराब-बन्दी विषयक, आयत है:—

'यस्अलूनका अनिल ख़मरे वल मैसिरे कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबा-रू'व्वा मना फ़िओ लिन्नासे वा इस्मोहुमा अकबरो मिन्नफ़एहिमा'।

कुरआन, पारा २, रकू २७।११

अर्थात-तुझसे (हज़रत मुहम्मद से) प्रश्न करते हैं शराब और जुँऐ के विषय में ? कह इन दोनों में पाप बड़ा है या लाभ लोगों के हेतु, किन्तु लाभ से गुनाह (पाप) बड़ा है।

जब यह आयत उतरी तो कहा जाने लगा कि शराब हराम हो गई। (इससे सम्बंधित दुसरा कौल आगे लिखेंगे) लोगों ने कहा या रसूलिल्लाह (हज़रत मुहम्मद) ! हमको इनसे लाभ उठाने दें जैसा कि खुदा ने कहा है। रसूलिल्लाह मौन रहे।

तफसीर इत्तिकान,-१ पृष्ठ ६४

(किन्तु मुझे तफसीर मज़हरी का कथन युक्तियुक्त प्रतीत होता है, लेखक)

तफसीर मज़हरी में काज़ी मुहम्मद सनाउल्लाह ने इस विषय में सविस्तृतरूप से लिखा है, उसका कुछ भाग इस प्रकार है- कि जब रसूलिल्लाह मदीना में पधारे, उस समय वहां के निवासी शराब पीते तथा जुआ खेलते थे। उन्होंने स्वयँ ही इन दोनों (शराब व जुँआ) के विषय में पूछा तो उपरोक्त आयत उतरी (किन्तु तफसीर मज़हरी पृष्ठ ५५८ पर है कि मुआज़ बिन

ज़बल और हज़रत उमर ने पूछा) लोग कहने लगे कि इस आयत से हम पर इसका हराम होना सिद्ध नहीं होता. क्योंकि केवल इतना कहा गया है कि 'इन दोनों में बड़ा गुनाह (पाप) है' और यह विचार कर वह निरन्तर शराब पीते रहे...........(यहाँ तक कि यह आयत उतरी कि नशे की स्थिति में शराब न पिया करो। इसको आगे लिखेंगे।)

तफसीर मज़हरी, पारा २, पृष्ठ ४३६

कि शराब के विषय में प्रथम आयत वह है (जिसे हम पूर्व में लिख आये हैं, लेखक।) उस समय समस्त मुसलमान मदिरा (शराब) पिया करते थे और उस समय में वह उनको हलाल भी थी (वाह, शराब और हलाल ?) (फिर जो आयत क्रमांक २ है) उसके पश्चात कुछ लोग शराब पीते रहे और कुछ ने छोड़ दी, जिन्होंने नहीं छोड़ी वह आयत के इन शब्दों से 'इसमें लाभ है लोगों के हेतु' इस उदाहरण को मान मदिरापान करते रहे। इसी मध्य में एक घटना घटी कि एक दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने अर्थात् सत्कार किया और उसमें हजरत मुहम्मद के अधिकांश मित्रों को भी आमंत्रित किया और उस दावत (भोज) में मदिरापान भी करवाया। उसी स्थिति में सायंकालीन नमाज़ का समय हो गया तो उन्होंने एक व्यक्ति को नमाज़ पढ़ाने हेतु खड़ा कर दिया किन्तु उसने सूरत काफ़िरून गलत पढ़ी। फलस्वरुप खुदा ने निम्न आयत उतारी कही गई :—

'या अय्यु हल्लज़ीना आमनू ला तकरबुस्सलाता व अंतुम सुकारा'

कुरान, पारा ५, रकू ७।४

इस आयत से नमाज़ के अवसरों पर शराब हराम करदी और

कुछ लोगों ने नशा एकदम छोड़ दिया... ..और कुछ लोग नमाज़ के अवसरों को छोड़ कर अन्य समयों में पीते रहे।

तफसीर मज़हरी, पारा २, पृष्ठ ४४०

उपरोक्त आयत की व्याख्या तफसीर मज़हरी में निम्नानुसार है:—तुम नशे की स्थिति में हो तो नमाज़ के समीप न जाओ। यहां तक कि जो कुछ मुँह से निकाल रहे हो, उसको समझ लो, नशा जिस सीमा तक नमाज़ पर प्रतिबंधक है, उसका निश्चय (तायीन) इस शब्द से कर दिया (अर्थात सीमित नशा सलात (नमाज़) को रोकने वाला (प्रतिबंधक) नहीं, जब तक नशा इतना न हो कि मनुष्य यह समझ न सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ सकता है।)

तफसीर मज़हरी, पारा ५, पृष्ठ ८७

व्याख्याकार का अभिप्राय यह है कि सीमित अर्थात आंशिक नशे की स्थिति में मनुष्य नमाज़ पढ़ सकता है। आगे चौथी आयत इस प्रकार है:—

'या अय्यु हल्लज़ीना आमनु इन्नमल ख़मरो वल मैसिरो वल अनसाबो वल अरहामो रिजसुम्मिन अमलिश्शैताने फ़जतनेबूहो ल अल्लकुम तूफलेहून'

कुरआन, पारा ७, रकू १२।२

अर्थात-ऐ ईमानवालों ! शराब और जुँआ व अनसाव (मूर्ति-गृह) एवं अरहाम (बाण पर जुँआ) की गंदगी है, शैतानी अमल (काम) है पस, इस गंदगी से बचो।

तफसीर मज़हरी, पारा ७, पृष्ठ ४२

आगे फिर इसी उक्त पृष्ठ पर दोहराया है कि शराब और जुँआ गंदगी है तथा शैतान के कार्य हैं। (पृष्ठ उक्त ४२)
यह शराब-विषयक आयतें सम्पन्न हुई।

सत्यानुगामी सज्जनों ! आपने उक्त लिखित शराब का सम्पूर्ण कांड पढ़ लिया है। अब विचार कीजिये कि प्रथम आयत में शराब निकालने व पीने की प्रेरणा है। द्वितीय आयत में आंशिक अस्वीकृति के साथ लाभप्रद बताया तथा तृतीय आयत में मदिरापान की स्वीकृति इस प्रतिबंध सहित दी कि नशे की स्थिति में नमाज़ वर्जित है, नमाज़ के पूर्व या पश्चात् पी लिया करो और चतुर्थ आयत में कहा गया है कि शराब और जुँआ गंदगी तथा शैतान का कार्य है किन्तु अर्श पर विराजे खुदा और उसके पैगम्बर हज़रत मुहम्मद दोनों मुसलमानों को गंदगी पीते हुए देखते रहे, यहांतक कि हजरत मुहम्मद की पैगम्बरी का अन्तिम समय आ गया, और अन्त समय में हज़रत मुहम्मद को शराब गंदगी दिखाई देने लगी तथा खुदा भी नित्य प्रति मुसलमानों में प्रचलित मदिरापान देख मौन साधे रहा व पहले यह शैतानी कार्य उसे भी दृष्टिगोचर न हुआ ? कितने आश्चर्य एवं विचारपूर्ण बात है ?

क्या कोई भी विवेकशील मनुष्य ऐसे कथन को खुदा का क़लाम स्वीकार कर सकता है, जो शराब जैसी निकृष्ट वस्तु का समर्थन करता रहा, लाभप्रद बताता रहा और वर्षों तक मौन रहा। यदि शराब हराम वस्तु है ? तो वह सदैव ही हराम है ! सामायिकि गतिविधियों से उसका हराम या हलाल होना सर्वथा अनुचित है, और यदि खुदा ऐसा करता है, तो ऐसा खुदा ? कभी खुदा (ईश्वर) कहलाने का अधिकारी नहीं ?

खुदा के फरमान के पश्चात् भी मुसलमानों में शराब वन्दी न हुई और हज़रत अबूबकर एवं उनके पश्चात् हज़रत उमर को अपनी ख़लाफत (राज्याधिकार) में मदिरापान के लिये ४० कौडे दंड की व्यवस्था करनी पड़ी ।

तफसीर मज़्हरी, पारा ७ (हाशिया) पृ. ४१

अब एक चर्चा यह चली कि यह शैतानी कार्य (मदिरा-पान) जिन व्यक्तियोंने किया, जीवित या मृत हैं ? उनका क्या होगा ? तो तत्काल उच्च न्यायालय (खुदा से) से निर्णय होकर आ गया कि:—

'लैसा, अल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस्सा लिहाते जुनाहुन फ़ीमा तएमू'

कुरआन, पारा ७, रकू १२/२

अर्थात्– उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है, जिन्होंने अच्छे काम किये और ईमान लाये तथा इसके मध्य उन्होंने वह हराम वस्तु खा पी ली और वह उन पर हराम न थी । जीवितों पर भी कोई अपराध नहीं है, जिन्होंने हराम होने के पूर्व मदिरापन किया...इत्यादि ।

तफसीर इब्ने कसीर, पारा–७ पृ. १२

तफसीर कादरी-१-पृ. २४३

अब हम भी इस शराब की चर्चा को बन्द करते हैं, क्योंकि जब उच्च न्यायालय से ही निर्णय हो गया तो फिर इस विषय पर चर्चा का अधिकार नहीं रह जाता है !

— प्रकरण ९ : सबब्बे नज़ूल —

-अर्थात-

-कुरआन की आयतें उतरने के कारण-

हम इस प्रकरण के सम्बंध में आग्रहपूर्वक और साहस के सहित यह कहेंगे कि जब तक कुरआन के इस विषय को पूर्ण रीति से न समझ लिया जाये, तब तक कुरआन का सारांश एवं अभिप्राय कदापि नहीं जाना जा सकता है। कुरआन के ठीक अर्थ जानने हेतु आयत का शाने नज़ूल (उतरने का कारण) जानना अत्यंत आवश्यक है।

शाने नज़ूल क्या है ? पहले यह जान लेना चाहिए। कुछ लोगों ने हज़रत मुहम्मद से प्रश्न किये या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी कि जिनका निराकरण एवँ समाधान अनिवार्य एवँ आवश्यक होता था। तब हज़रत मुहम्मद तत्काल उत्तर देने की क्षमता न होने पर यों टाल दिया करते थे कि उत्तर खुदा से प्राप्त होगा। फिर सोचने-समझने के पश्चात खुदा के नाम ही से आयत के रूप में उत्तर उपस्थित करते थे। हज़रत मुहम्मद के इस शस्त्र ने बहुत बड़ा कार्य किया। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में विलम्ब हो जाता तो कह देते कि आयत का भेजना खुदा के अधिकार में है, जब चाहे भेजे।

अल्लामा सियूती ने अपनी तफसीर इत्तिकान में ज़ाबरी के कथन को उद्धृत किया है:—

नज़ूले कुरआन (कुरआन उतरने) की दो किस्में है। एक किस्म (प्रकार) आरम्भिक उतरने की है। दुसरी किस्म

(प्रकार) किसी घटना या प्रश्न के पश्चात की है । ' इसका स्पष्टिकरण अल्लामा सियूती इस प्रकार करते हैं, कि उतरने के कारणों को जान लेने के पश्चात ही आयतों के अर्थों का स्पष्टिकरण हो सकता है, और उन आयतों के समझने में उलझन नहीं पड़ती ।

वाहदी कहते हैं कि आयत की कथा और उतरने के कारण को जाने बिना उसकी व्याख्या कर सकना नितान्त असम्भव है ।

इब्ने दकीकुल ऐद का कथन है कि कुरआन के अर्थों को समझने हेतु सबसे बड़ा मार्ग असबाबे नज़ूल (उतरने के कारण) का कथन है... .... ।

शैखुल इस्लाम इब्ने तस्मीया के मत में है, कि आयत के उतरने के कारण जानने पर आयत को समझने में सहायता प्राप्त होती है ।

तफसीर इत्तिकान,-६- पृष्ठ ७१

इसके आगे अल्लामा सियूति ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिसका अर्थ है कि शाने नज़ूल ही उचित रूप से आयतों के अर्थ निश्चित कर सकता है । यथाः—

मर्दान बिनल हुकुम को आयत करीमा ' **लातहसब्बनल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा** " का अर्थ समझने में कठिनाई उत्पन्न हो गई । पूर्ण आयत निम्न प्रकार है:—

'ला ताह सबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतव्वा यहिब्बूना अंय्य-हमेदू बिमा लम यफ़अलू फ़लातहसबन्नाहुम बिमफ़ाज तिम्मिनल अज़ाबे वलहुम अज़ाबुन अलीम '

कुरआन, पारा ४, रकू १६।१०

मर्दान इसका अर्थ यह समझता था कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य उसी वस्तु पर हर्षित होता है, जो उसको दी गई है, और मित्रता रखता है कि जिस काम को उसने अज़ाब पाने के योग्य नहीं किया है, उस कारण से वह स्तुति के योग्य माना जाये। परन्तु खुदा कहता है–निसन्देह हम उन सबको अजाब (कष्ट) देंगे, और मर्दान इसी गलती पर दृढ़ रहा। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास ने उससे बयान किया कि यह आयत अहले किताब (खुदा की दी हुई किताब को मानने वालों) के विषय में उस समय उतरी थी, जब कि रसूलिल्लाह ने उनसे किसी बात की जानकारी चाही थी और उन्होंने असल बात को आप से गुप्त रख कर कुछ कह दिया था तथा उन्होंने इस बात का दृढ़ विश्वास दिला दिया था कि जो हमने कहा वही ठीक है और इस प्रकार रसूलिल्लाह के सम्मुख सुर्खरु (छुटकारा पाने वाले) और काबिले तारीफ (प्रशंसा योग्य) बन गये थे। (अर्थात स्वयँ रसूलिल्लाह को वास्तविकता का ज्ञान न हुआ)

तफसीर इत्तिकान, ६-प्रकरण पृ. ७१

इसका तात्पर्य यह है कि मर्दान बिनल हुकुम आयत के शाने नज़ूल (उतरने का कारण) को नहीं जानते थे और गलत अर्थ समझते थे। इब्ने अब्बास ने उन्हें शामे नजूल को समझाया तो उन्होंने आयत का सही अर्थ समझा। इस आयत पर विभिन्न तफसीरों ने भिन्न-भिन्न अटकलें लगाई है। हम जिस समय कुरआन की प्रत्येक आयत की समीक्षा करेंगे तो उस समय विस्तारपूर्वक इन आयतों पर लिखेंगे। इसके आगे अल्लामा सियूती ने एक और आयत लिखी है:—

'लैसा अलल्लाज़ीना आमनू वा अमेलुस्सालेहाते जुनाहुन फीमा

तएमू इज़ा मत्ताकव्वा आमनू वा अमेलुस्सालेहाते सुम्मत्तकव्वा आमनू सम्मत्तकव्वा अहसनू वल्लाहो युहिब्बु लमुहसेनीन'

कुरआन, पारा ७, रकू २

उक्त आयत के सन्दर्भ में अल्लामा ने निम्नप्रकार लिखा है:—

उस्मान बिन मतऊन और अमर बिन मादी करब के सम्बंध में कहा गया है कि यह दोनों व्यक्ति शराब को मुबाह (उचित) कहा करते थे और अपने पक्ष में कुरआन की उपरोक्त आयत प्रस्तुत करते थे। यदि उनको इस आयत का नजूल (उतरना) ज्ञात होता तो कदापि ऐसी बात न कहते।

इस आयत के उतरने का कारण यह था कि अत्याधिक लोगों ने शराब हराम होने की आज्ञा उतरने के समय कहा कि उन लोगों की दशा क्या होगी, जो शराब को अपवित्र होने पर भी उपभोग करते थे और अब वह राहे खुदा के अन्तर्गत जहाद (धर्मयुद्ध) करते हुए मारे गये हैं या अपनी मौत मर चुके हैं। उन लोगों के संतोष हेतु यह (उक्त) आयत उतरी थी।

तफसीर इत्तिकान, ६ पृष्ठ ७२

उक्त आयत की व्याख्या करते हुए तफसीर कादरी में लिखा है, कि जब शराब हराम होने की यह आयत उतरी तो सहाबी (हज़रत के मित्रों) ने निवेदन किया कि या रसूलिल्लाह! हमारे भाई लोग जो शराब पीते थे और मर गये हैं उनकी क्या दशा होगी? तो यह आयत उतरी:—(हम पूर्व में शराव-प्रकरण में लिख चुके हैं) "उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है, जिन्होंने अच्छे काम किये और ईमान लाये तथा इसके मध्य उन्होंने वह हराम वस्तु खा-पी ली और वह उन पर हराम

न थी। जीवितों पर भी कोई अपराध नहीं है, जिन्होंने हराम होने के पूर्व मदिरा पान की। जब शिरक (अन्य खुदा) से परहेज़ (दूर रहे) करे और अपने ईमान पर दृढ़ रहे, और भले काम करे, और हराम वस्तुओं से दूर रहे, और उन वस्तुओं के हराम होने पर ईमान लाये, और प्रमाणित रहे अपनी त्यागवृत्तियों पर और भले काम करें। अल्लाह नेक काम करने वालों को अपना मित्र रखता है।"

उक्त आयत के [अर्थ] में स्पष्ट आज्ञा है कि मुसलमान होने से पूर्व या मुसलमान होने की स्थिति में जो वस्तु हराम नहीं हुई थी। उसको उन्होंने खाया व पिया, तो जो मर चुके या जीवित हैं और ऐसी वस्तुएं खाते-पीते रहे किन्तु हराम होने के पश्चात् उन्होंने खान-पान त्याग दिया तो उन पर कोई गुनाह [अपराध या पाप] नहीं। खुदा ऐसे मनुष्यों को मित्र रखता है।

तफसीर कादरी-१-पृष्ठ २४३

हम पूछते हैं कि क्या मुसलमान होने से पूर्व वह मनुष्य नहीं थे? और उस स्थिति में पाप या अपराध करने पर वे पापी या दोषी क्यों नहीं माने जायेंगें? और शराब को हराम करने की खुदा को बीसीयों वर्ष बाद सूझी, जब कि वह मुसलमान होने पर भी गटागट शराब पीते रहे? कहने का अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु कितनी ही बुरी या हानिप्रद क्यों न हो? वह अपने बुरे होने के कारण हराम नहीं है, जबतक कि इस्लाम उसके हराम होने की घोषणा न कर दें। क्या शराब, शराब होने सेहराम है? या कि हज़रत मुहम्मद या कल्पित खुदा की आज्ञा आने के पश्चात् हराम अर्थात बुरी है। हम इस विषय पर पूर्व में भी गत पृष्ठों में पूर्णरुपेण प्रकाश डाल चुके हैं।

सत्यान्वेषी एवं विद्वजनों को ध्यानपूर्वक यह सोचना चाहिए कि बीसियों वर्षों तक मुसलमान मदिरापान करते रहे और उनके खुदा को यह ध्यान ही नहीं आया कि शराब बुरी वस्तु है, इसका तत्काल निषेध कर दिया जाये, और पैगम्बर हज़रत मुहम्मद भी उन मुसलमानों को मदिरापान करते देखते रहे और कुछ न बोले।

हम पूछते हैं, कि क्या शराब उस समय बुरी वस्तु नहीं थी जब मुसलमान पीते थे और यदि थी, तो बीसीयों वर्षों तक हज़रत ने उनको मदिरा पान करने क्यों दिया ? इसका स्पष्ट **अर्थ** यह है कि ख़ुदा के आदेश से वर्जित की गई, न कि शराब बुरी वस्तु होने से मुसलमानों में वर्जित हुई।

इससे आगे अल्लामा सियूति ने कुरआन की एक सुप्र-सिद्ध आयत लिखी है, और यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि शाने नज़ूल के जाने बिना आयत का स्पष्टीकरण नहीं होता। आयतः—

'वालिल्लाहिल मशरिक़ो वल मग़रिबो फ़ऐन मा तवल्लुर फसम्मा वजहुल्लाहा'

कुरान, पारा, १ रकू १४

अर्थात-पूर्व और पश्चिम अल्लाह के लिये हैं। पस, जिस ओर तुम मुँह करो, उस ओर ही अल्लाह का मुँह है।

(इस आयत को न समझ कर कई मुस्लिमपरस्त हिन्दु; इस्लामी खुदा के सर्वव्यापी होने का ढिंढोरा पीटते है।)

जो मनुष्य इस आयत के उतरने का कारण (शाने नज़ूल) नहीं जानता, वह अवश्य ही भ्रमित हो जायेगा। यदि खुदा का मुँह प्रत्येक और माना जाए तो पूर्व की ओर भी मुँह करके नमाज़

पढ़ लेना उचित होगा, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा क्योंकि यह आज्ञा आम (सार्वजनिक) नहीं है।

तफसीर इत्तिकान के पृष्ठ ७३ में यह आज्ञा विशेषतः उस मनुष्य हेतु है, जो कि काबे की दिशा को न जानते हुए मात्र अपने विश्वास पर ही काबे की दिशा, मान कर नमाज़ पढ़ ले और पीछे उसको अपनी भूल का ज्ञान हो गया हो।

इस आयत के उतरने का कारण यह कि बेहकी और दारे कुत्नी ने रवायत की है, कि हज़रत जाबर ने कहा है कि जनाब रसूलिल्लाह ने एक छोटा-सा युद्ध लड़ने के लिये लश्कर (सेना) को किसी स्थान पर भेजा, उसमें मैं भी था। मार्ग में हमें अंधेरे ने आ घेरा और किबला की पहचान न रही, सबने अपने अपने विचारानुसार नमाजें पढ़ी...........जब हम सफर (यात्रा) से वापिस लौटे और इस घटना को रसूलिल्लाह के समक्ष कहा, तो आप सुन कर मौन हो गये। उस समय यह (उक्त) आयत उतरी।

तफसीर मज़हरी, पृष्ठ २०२

तफसीर हक्कानी, पृष्ठ ६६

तफसीर इब्ने कसीर पारा १ पृष्ठ ७०-७१

तथा 'लबाबन्नकूल फी असबाबिन नज़ूल' पारा–१

उक्त आयत के सन्दर्भ में ऐसी व्याख्याएँ अन्य कई और भी तफसीरों में है। तफसीर बैज़ावी और तफसीर कादरी में इब्ने उमर से लिखा है, कि यह आयत यात्रियों हेतु है, अस्तु, कुछ भी हो, क्यों कि मुस्लिम विद्वानों में कहीं भी मतक्य हुआ ही नहीं।

इस आयत पर कादियानी उम्मत का भी सुन लें—

तफसीर बयानुल कुरआन के पृष्ठ १०७ में लिखा है, कि मुसलमानों को नमाज़ से रोका जाता था और खानाकाबा से भी रोका गया था, इसलिए यह आयत उतरी कि अल्लाहतआला की दृष्टि खानाकाबा में ही सीमित नहीं है। तुम मुसलमान हो जहाँ जाओगे, अल्लाह की दृष्टि तुम्हारे साथ होगी।

(क्या अहमदी मुसलमान इसके अनुसार पूर्व की ओर मुँह कर नमाज़ पढ़ने को तत्पर हैं ?)

एक अहमदी ने तो उक्त बात कही, अब दुसरे की भी सुनिये—

कादियानी खलीफा दोयम हज़रत नूरुद्दीन साहिब के 'दर्से (पाठ) कुरआन' के अंश लेकर जो तफसीर शेख़ याकूबअली तुराब ने लिखी है, उसमें इस आयत की व्याख्या निम्नानुसार है:—

तुम प्रत्येक कार्य में खुदा की अनुकूलता को प्रथम स्थान दो। हज़रत मुहम्मद के साथियों को बड़ी-बड़ी विजय प्राप्त होने वाली थी। इसलिए कहा कि तुम पूर्व और पश्चिम में विस्तृत हो जाओगे, विजय प्राप्त करोगे, पूर्व हो या पश्चिम, खुदा दोनों स्थानों पर प्रतिष्ठित है।

तफसीर नूरुद्दीन पृष्ठ १३५

उक्त दोनों अहमदी विचारकों की सम्मति में धरती-आकाश का अन्तर प्रतीत होता है। अस्तु, 'दरोग़बर गर्दनें रावी' अर्थात झूठ, रवायत करने वालों (व्याख्याकारों) की गर्दन पर है।

इस आयत के उतरने का कारण ज्ञात होने से अब पाठकों को भली प्रकार विदित हो गया कि आयत के उतरने का कारण क्या है और (शाने नज़ूल) जाने बिना आयत का अर्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह आयत तो हज़रत मुहम्मद ने उन

लोगों के विश्वास हेतु घढ़ी थी, जो अँधेरे के कारण या जहाज यात्रा के कारण दिशा से अपरिचित हो जायें और मक्का की दिशा को स्थिर न कर सकें।

आगे अल्लामा सियूती ने इसी विषय को और स्पष्ट करने हेतु निम्न आयत लिखी है:—

'इन्नस्सफ़ावल मरवता मिन शआएरल्लाहे'

कुरआन, पारा २, रकू ३

अर्थात—सफ़ा व मरवा पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानियों में से है। (जो मुसलमान हज करने जाते हैं, वे इन दोनों पहाड़ियों के मध्य मन्द-गति से दौड़ लगाते हैं)

इस आयत के उतरने का कारण यह है, कि सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ है। इस्लाम से पूर्व सफ़ा पर एक बुत [मूर्ति] था, जिसका नाम असाफ़ था और मरवा पर भी एक बुत [मूर्ति] था, उसका नाम नाइला था। इस्लाम से पूर्व इन मूर्तियों की पूजा होती थी और लोग पूजा हेतु दोनों पहाड़ियों की परिक्रमा किया करते थे, तथा उनका स्पर्श भी करते थे।

बैज़ावी के कथनानुसार जब इस्लाम का प्रभुत्व बढ़ा तो मूर्तियों को तोड़ दिया गया किन्तु फिर जो लोग मुसलमान हुए वह सफ़ा और मरवा के मध्य दौड़ने से आपत्ति और घृणा करते थे।

अंसार का भी ऐसा ही विचार था। इन दोनों पहाड़ियों के हेतु जो आयत उतरी कही जाती है। वह पूर्ण आयत निम्न प्रकार है:—

'इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआए रिल्लाहे फ़मन हज्जलबैता

अवेतमरा फला जुनाहा अलैहे अंय्यत्तव्वफ़ा बिहिमा'

कुरआन, पारा २, रकू ३

अर्थात—निसन्देह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। पस, जो व्यक्ति काबा का हज करे, उमरा करे, पस, उस पर गुनाह [पाप या अपराध] नहीं कि सफ़ा और मरवा पहाड़ियों की परिक्रमा भी करें।

तफ़सीर कादरी-१ पृ, ३९
इब्ने कसीर २, पृ, १४

[यहां पर कुरआन दोनों पहाड़ियों की परिक्रमा करना बताता है, जो स्पष्ट ही मूर्ति पूजा को द्योतक है, और हज़रत मुहम्मद ने भी इस प्राचीन परम्परा को प्रचलित रखा।]

बुखारी ने आसिम से रवायत की है; कि मैंने हज़रत अंस से सफ़ा व मरवा के मध्य दौड़ने के सम्बंध में पूछा, तो उसने कहा कि हम इस्लाम के पूर्व इस दौड़ने को जहालत (मूर्खता) की बात समझते थे ! जब इस्लाम आया तो दौड़ना छोड़ दिया इस पर यह उक्त आयत उतरी है।

तफसीर-इब्ने कसार-२-पृष्ठ-१४
तफसीर मज़हरी-पारा-२पृष्ठ२६०

तफसीर जलालैन के पृष्ठ २३ में है, कि सफ़ा पहाड़ी का नाम हज़रत आदम के बैठने और मरवा पहाड़ी का नाम हव्वा (आदम की पत्नि) के बैठने के कारण है।

किताब लबाबिन्नकूल फी असबाबिन नज़ूल में भी इस (उक्त) आयत का उतरने का यही कारण है।

यह बात अत्यन्त विचारणीय है कि इस्लाम के ५ अरकानों (कर्तव्यों) में हज करना भी एक कर्तव्य है। किसी सम्प्रदाय की सभ्यता उसके रस्मों रिवाज (प्रथाओं वा रवाजों) से जानी जाती है। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य दौड़ना, और दौड़ना भी विचित्र प्रकार से अर्थात काँधे हिला-हिला कर दौड़ना कोई सभ्यता का चिन्ह प्रतीत नहीं होता और हज का अर्थ भी दर्शन करना ही है। इन पहाड़ियों की सात परिक्रमाएँ करना और दौड़ना इन दोनों का सम्बंध प्रभु-भक्ति से तो कोई दृष्टि-गोचर नहीं होता और न इससे कोई सुधार ही सिद्ध होता है, जैसा कि ऊपर लिखा गया 'प्राचीन **मूर्ति**-पूजकों की प्रथा थी' जिसे मुसलमानों के साथ भी बाँध दिया गया है। पुरुषों और स्त्रियों का इस प्रकार विचित्र ढंग से दौड़ना एक तमाशा-सा दृष्टिगोचर होता है।

दुख है! कि हजरत मुहम्मद सफ़ा व मरवा पहाड़ियो में दौड़ कर सात परिक्रमाएँ करना और हजरे असबद की परिक्रमा करने तथा उसको चूमने की प्रथाओं को दूर न कर सके। यह विचारणीय है कि किसी पहाड़ या पत्थर के आस पास सात बार फिरना या उसे चूमना स्पष्ट यह मूर्ति पूजा ही कही जा सकती है।

शाने नजूल के विषय में एक बात और भी समझ लेना आवश्यक है कि अनेक आयतें ऐसी भी है कि जिनका नजूल (उतरना) विशेष कर एक-दो या कुछ लोगों के सन्दर्भ में ही हुआ है किन्तु बाद में वह आदेश सर्व साधारण के हेतु माना गया।

दुसरी आयतें ऐसी भी है कि जिनके लिये उनका उतरना हुआ, उसी के साथ उनका सम्बंध माना गया।

प्रथम प्रकार की आयतें इस प्रकार है कि चोरी की आयत का उतरना एक स्त्री विशेष के हेतु हुआ किन्तु बाद में सब चोरी करने वालों के हेतु उस आयत की आज्ञा मानी गई। वह आयत निम्न प्रकार है:—

'वस्सारिको वस्सारिकतो फक्तऊ ऐदीहुमा'

कुरआन, पारा ६, रकू ६/१०

अर्थात—चोरी करनेवाले और चोरी करने वालों के हाथ काट दिये जायें।

तफसीर इत्तेकान पृ. ९ पृ. ७५

शेखुल **इस्लाम इब्ने** तैमिया का कथन है, वह कहते हैं ज़ुहार की आयत साबित बिन कैस की पत्नि, कलाला की आयत जाबर बिन अब्दुल्ला और 'अनेहकुम बैनहुम' आयत बनी कुरेजा और बनी नसीद के सम्बन्धों में उतरी। इत्यादि

तफसीर इत्तिकान, ९–पृ. ७५

दूसरी प्रकार की आयत जो किसी व्यक्ति विशेष के लिये है:—

'सयोजन्नबोहल अतकल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का'

कुरआन, पारा ३० सूरतुल्लैल

सब लोग इस बात पर एकमत है कि यह आयत हज़रत अबूबकर के हेतु विशेष उतरी। अर्थ इस प्रकार है:—

निकटतम है कि आग से दूर कर दिया जाये परहेज़गार अर्थात अबूबकर सिद्दीक, जो कि देता है अपना माल और तलाश करता है उससे नेकनामी और पवित्रता! काफिर कहते थे कि बलाल (यह गुलाम था, इसको हज़रत अबूबकर ने क्रय

कर मुक्त किया था) उसका कुछ हक अबूबकर के जिम्मे पर था कि हज़रत सिद्दीक ने उसे मोल लेकर स्वतंत्र कर दिया। खुदा ने उन काफ़िरों की बात रद्द करने के हेतु कहा:—

इतेकान प्र.६-पृ.-७६

आयत:—

व मा लि अहदिन इन्दहू मिन्नेमते तुजज़ा। इल्लब्तेगाआ वजहे रब्बेअहिलाला:—

कुरआन, पारा ३० सूरत लैल

अर्थात—किसी के हेतु अबूबकर के पास कोई बात नहीं थी कोई नेमत या अहसान का बदला लिया जाये, किन्तु उसने ये कार्य अपने ईश्वर की प्रसन्नता चाहने को, जो बहुत बड़ी है, किया।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ६३५

यह आयत विशेष कर हज़रत अबूबकर के लिये है।

तफसीर इत्तिकान, पृष्ठ ७६

इस प्रकार की और बहुत सी आयतें हैं। आगे एक आयत और लिखते हैं। आयत:—

'अलम तरा इलल्लजीना ऊ तू नसीबम मिनल किताबे योमिनूना बिल जिबते वत्तागू ते व यकूलूना लिल्लजीना कफ़रू हाओ लाए अहदा मिनल्लजीना आमनु सबीला'

कुरआन पारा ५ रकू ७/४

इस आयत के सम्बंध में अल्लामा सियूती लिखते हैं कि इसका संकेत क़ाब बिन अशरफ और उसके सदृश अन्य यहूदी विद्वानों की ओर है। जिस समय वह लोग मक्का गये थे और उन्होंने बदर के युद्ध में कत्ल हुए मुशरकों की लाशें देखी थी तो उन्होंने

मक्का के मुशरकों को रसूलिल्लाह से लड़ने और अपने कत्ल हुए भाईयों का प्रतिशोध लेने हेतु उभारा। मक्का के मुशरकों ने उनसे ज्ञात करना चाहा कि प्रथम तुम यह बताओ कि हम दोनों में से कौन सन्मार्ग पर है ? क़ाब बिन अशरफ और उसके साथियों ने कहा कि तुम लोग सीधे और सत्य मार्ग पर हो !

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ६, पृष्ठ ७७

तफसीर जलालैन ने भी इस आयत का सम्बन्ध क़ाब बिन अशरफ से ही बताया है।

तफसीर जलालैन पृष्ठ ७८

बूखारी ने **अक्रमा** के आधार पर इब्ने अब्बास की यह हदीस रवायत की है कि हलाल बिन उमैया ने अपनी पत्नि पर लाँछन लगाया। आयत इस प्रकार है:—

'वल्लजीना यरमूनल मुहसैनाते सुम्मा लम यातू बिअरबअते 'शुहदाआ फज्लदूहुम समानीना जल्दतन'

कुरआन, पारा १८, रकू १/७

अर्थात–और जो लोग कलंक लगाते हैं अपनी विवाहित स्त्रियों पर व्यभिचारका, और पुरुष मुहसन (निर्देश) भी इस आदेश में सम्मिलित हैं।

यहाँ मुहसन का तात्पर्य स्वतंत्र, बालिग़, बुध्दिमान और व्यभिचार से पवित्र रहने से हैं। जो लोग किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को व्याभिचारपरक (ज़ना) का दोष लगाते, फिर चार साक्षी न उपस्थित करे.......तो उन्हें अस्सी कौड़े मारो।

तफसीर कादरी–२–पृ १०८

उपरोक्त आयत से क्या ज्ञात होता है कि अभिप्राय क्या है ? इसके पश्चात द्वितीय आयत लुआन की उतरी। कथा इस प्रकार है:—

बुखारी ने अकरमा के आधार पर इब्ने अब्बास की यह हदीस कही है, कि हलाल बिन उय्मैया ने अपनी पत्नि पर नबी के सम्मुख शरीक बिन समहा के साथ समागम (सम्भोग) करने का लाँछन लगाया। हज़रत ने कहा—कि अपने अभियोग के प्रमाण हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करो या तुम्हें मिथ्या आरोप लगाने के दोष में हद्द (कौड़े मारने) का दंड दिया जायेगा। इस पर हलाल ने कहा,—यदि हम किसी अन्य पुरुष की अपनी पत्नि के साथ चलते देखें, तो हम से अभियोग का प्रमाण भी माँगा जाएगा।

तफीर इत्तिकान, प्रकरण ६, पृ. ८४

इस घटना के साथ, दुसरी घटना तफसीर कादरी ने लिखी है। इन दोनों को एक करने हेतु यह कह दिया कि इत्तिफाक (अकस्मात) दोनों की घटाना एक ही समय में हो गई। (इत्तिकान, पृ. ८४) इस घटना में हलाल बिन उय्मैया की तफसीर इत्तिकान ने लिख मारा और तफसीर कादरी में घटना निम्न प्रकार है:—

उपरोक्त आयत उतरने के पश्चात् आसम बिन हदरी ने निवेदन किया, कि या रसूलिल्लाह ! सम्भवत: कोई पुरुष हम में से अपनी पत्नि को किसी पर पुरुष के साथ देखें और यदि साक्ष्म ढूँढ़ने लग जाये और जब तक साक्षी एकत्रित हों, तब तक वह पर पुरुष अपनी हाज़त से फ़ारिग (निवृत) होकर चल देगा। यदि साक्षीरहित आता है तो अस्सी कौड़े खाये और फ़ासक (मिथ्यावादी) भी कहलाये ? हज़रत मुहम्मद ने कहा–ऐ आसम ! खुदा ने ऐसा ही आदेश भेजा है। पस, आसम जैसे ही नबी को सभा के बाहर निकला, उनका चचेरा भाई

जिसका नाम अवमैर था, मिल गया (वह भी इसी रोग से रोगी थे) उसने कहा–ऐ आसम ! शरीक बिन समहा को मैंने अपनी स्त्री खवैला के पेट (उदर) पर देखा है । आसम ने कहा शोक ! कि जो बात मैंने पूछी थी, आप भी उसी में मुब्तला (ग्रस्त) हैं । पुनः वह दोनों हज़रत के पास आये और स्थिति कही ! हज़रत ने खवैला को बुला कर पूछा, उसने, अस्वीकार किया । तब यह लुआन की आयत उतरी ।

(हमारे विचार में तो यह स्पष्ट आता है, कि हज़रत मुहम्मद ने सोचा होगा कि साक्षी तो मिल ही नहीं सकते और यह रोग भी अत्याधिक ज्ञात होता है । जहाँ कहते थे कि कौड़े मारना ही खुदा की आज्ञा है, वहाँ एक अन्य मार्ग सोचकर तत्काल एक आयत प्रस्तुत [illegible]नुसार है ।) आयत :—

'वल्ला ज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वा लम् यकुल्लहुम शुहदाओ इल्ला अनफ़ु सोहुम फ़शहादतो अहदेहिम अबरओ शहादातिन बिल्लाहे इन्नहू लमिनस्सादेकीन । वल खामिसतो अन्ना लानत-ल्लाहे अलैहे इन काना मिनल काज़ेबीन'

कुरआन, पारा १८, रकू. १।७

अर्थात-और जो लोग अपनी पत्नियों पर व्यभिचारपरक लाँछन लगाते हैं, और उनके पास साक्ष्य न हो, तो उचित है उनकी स्वयँ की चार साक्षियाँ इन शब्दों में कि खुदा के हेतु वह अर्थात पति सच्चों में से है, इस स्त्री को व्यभिचार के साथ मनसूब (निस्बत करना) करने में, और एक बार साक्षी सौगंध सहित एक साक्ष्य के स्थान पर (चार बार स्वयँ ही ऐसा कहें) और पाँचवी साक्षी यह कि लानत (धिक्कार) खुदा की

उस पर यदि वह झूठों में से हो।

उस बात को कहने में पुरुष का लुआन (धिक्कारना) तो इस आधार पर है कि चार बार कहे कि खुदा की शपथ मैंने इस स्त्री को जो बुरी बात कही, उसमें मैं सत्यवादी हूँ, और पांचवीं बार कहे कि जो बुरी बात मैंने इस स्त्री से कही, यदि, मैं उसमें मिथ्यावादी हूं तो मुझ पर खुदा की लानत है।

तफसीर कादरी, पारा १८, पृष्ठ १०६-११०

बयान तो यह है कि कभी एक आयत दो पर भी लागु हो जाती है, किन्तु आपको यह विचारना है, कि कितनी शीघ्रता से आयत की आज्ञा परिवर्तित होती है, और दुसरे यह कि उस समय लोगों के आचार-विचार और व्यवहार की क्या स्थिति थी कि एक ही समय में इस रोग के दो रोगी एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते है। फिर यह दोनों ही आयतें कुरआन में है। बिना शाने नजूल (उतरने का कारण) जाने आप किसको प्रमाणिक मान सकते है? क्योंकि प्रथम आयत जिसकी आज्ञा निरस्त हो गई, वह भी कुरआन में है।

एक अन्य आयत:—

"वा इन आकबतुम फआकेबू बिमिसले मा ऊ किब्तुम बिही, व लइन सबरतुम लहुवा खैरुल्लिस्साबेरीन"

कुरआन, पारा १४, रकू १६।२२

अर्थात—एक के स्थान पर एक को मुसला (नाक-कान विहीन) करो सत्तर को नहीं, यदि सहन करो तो और भी अच्छा है।

उक्त आयत के उतरने का कारण यह है, जो बैहकी और वज़ार ने अबी हुरैरा से रवायत की है, कि उहद के युद्ध में हजरत मुहम्मद हमज़ा के शव पर खड़े हुए और हमज़ा का मुसला हुआ देख (मृत्यु पश्चात शव के नाक-कान काटने को मुसला कहते हैं) कहने लगे–निसन्देह, मैं तुम्हारे प्रतिशोध में ७० व्यक्तियों को मुसला बनाऊंगा। हजरत मुहम्मद आवेश में कह तो गये किन्तु पश्चात् विचारने पर यह बात असम्भव प्रतीत होने पर तत्काल एक (उक्त) आयत उतारी। जहाँ उक्त बात असम्भव थी, वहाँ वह उत्तेजित भी थी, किन्तु हम देखते है कि हजरत मुहम्मद ने कहा- **मा यान्तिको अनिलहवा**' अर्थात- कि मैं स्वयँ इच्छा से नहीं बोलता, तो हजरत यहां कैसे बोले थे कि अपनी बात को टालना पड़ा और खुदा का अवलम्ब ग्रहण कर अपने कथन के खंडन हेतु उक्त आयत उतारना पड़ी। कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद वहां ही खड़े थे कि ज़िब्रील उपरोक्त आयत लेकर आये।

तिरमज़ी और हाकम ने उबय्य बिन क़ाब से रवायत की है, कि उहद के युद्ध में ६४ अंसारी और ६ महाजर मुसलमान शहीद हुए (इस हदीस में अत्याधिक विवाद है।)

इब्नल हसार कहता है, कि आखिर सूरत नहल का नज़ूल (उतरना) प्रथम मक्का में, दोयम इन सूरतों का उतरना उहद के युद्ध के अवसर पर और तृतीय समय मक्का-विजय के दिन हुआ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ६, पृष्ठ ८६

अब सोचने योग्य बात यह है, कि जब बहुत पहले यह आयत उतर चुकी तो पुनः इसका ३ बार उतरना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। हाँ ! यह तो कहना सम्भव है, कि हज़रत

मुहम्मद भूल गये थे और बारम्बार भूल जाते थे तो जिब्रील उन्हें स्मरण कराने हेतु बारम्बार आते रहते थे।

एक विवादास्पत आयत:—

'निसाओकुम हर्सूल्लकुम फ़ातु हर्सकुम अन्ना शेतुम'

कुरआन, पारा २, रकू २८/१२

अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान में इस आयत का शाने नज़ूल (उतरने के कारण) के प्रकरण में लिखा है, किन्तु कोई शाने **नज़ूल** नहीं कहा है। हाँ! इतना अवश्य लिख दिया कि इस आयत में अत्याधिक मतभेद है, और यह भी लिख दिया कि बुखारी ने इब्ने उमर से रवायत की है, कि 'निसाओकुम........' का नज़ूल स्त्रिओं के साथ अप्राकृतिक ढंग से सम्भोग करने के विषय में हुआ था। (अर्थात गुदा मैथुन करना) परन्तु यह सम्मति एकपक्षीय है सब इस में सहमत नही।

तफसीर इत्तिकाल, प्रकरण ६, पृष्ठ ८०

तफसीर कादरी ने इस आयत के उतरने के विषय में यह लिखा कि यहूद कहते थे कि स्त्री के सम्भोग के समय जब स्त्री की पीठ पुरुष की ओर होगी तो सन्तान वक्र कार (टेढ़ी) उत्पन्न होगी। जिन मुसलमानों ने ऐसा किया था, उन्होंने रसूलिल्लाह से पूछा तो उत्तर मिला कि चित्त-पट (सीधे-उल्टे) गोद में जैसे भी चाहो तुम सम्भोग करो।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ६१

कादरी, वती फिद्‌बर (गुदा मैथुन) के पक्ष में नहीं। इसी प्रकार तफसीर मज़हरी ने दोनों पक्ष लिखे है। जहां उसने

अप्राकृतिक मैथुन का विरोध किया, वहाँ उनका दृष्टिकोण भी लिख दिया, कि जो लोग इस फ़ेल (काम) अर्थात शौच स्थान में मैथुन क्रिया को उचित मानते है, उन्होंने इब्ने उमर की रवायत को अपना उदाहरण बनाया है, जो इनसे अधिकतम ढंगों सहित सहीह (सत्यप्रमाणिक) रूप से मरवी (उद्धृण) है, कि औरतों की दुबरवती (गुदा मैथुन) के विषय में उन्होंने कहा है कि (नसाओकुम ह़र्सुल्लकुम..........) अर्थात–तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती है, अब तुम अपने खेत में जहां से चाहो, आओ। इसे बुखारी ने रवायत किया है, और इसी प्रकार तिबरानी ने अति श्रेष्ठ प्रमाण सहित इनसे रवायत की है। उन्होंने कहा, कि यह आयत दुबरवती (गुदा मैथुन) जायज़ (वैध) होने के विषय में उतरी है।

इब्ने उमर से यह भी उद्धृत किया गया है, कि नबी सल्लअम के जमाने में एक व्यक्ति ने स्त्री के साथ दुबरवती (गुदा मैथुन) कर ली थी। लोगों ने उसे बुरा-भला कहा, तो अल्लाह ने यह आयत उतारी।

तफसीर मजहरी, भाग १, पृष्ठ ४६७

एक आयत और उसका आकर्षक नज़ूल

(हजरत महम्मद की खुशमिज़ाजी-उफ उमर बिन अज़बा की कथा)

उमर बिन अज़बा खुर्मे बेचा करते थे। एक रूपवती युवती उनके पास खुर्मे लेने आई तो उमर बिन अज़बा ने कहा- मेरे घर में अति उत्तम खुर्मे हैं। जब वह स्त्री घर के भीतर गई तो उमर बिन अज़बा ने उसका मुख चूम लिया, और तत्काल

ही लज्जित हो कर हज़रत मुहम्मद की बैठक (मज़लिस) में उपस्थित हुआ तथा सारी घटना कही। उसी समय यह (निम्न) आयत उतरी। आयत:—

'इन्नल हसनाते युज़िहबनस्सय्येआते ज़ालेका ज़िकरा लिज़ाकेरीन'

'कुरआन, पारा १२, रकू १०/१०

अर्थात--निसन्देह, पाँचों समय की नमाज़ भलाईयों को ले आती है और मिटा देती है बुराईयों को, जो गुनाह कबीरा (महापाप) न हो।

हज़रत रसूलिल्लाह ने उमर बिन अज़बा से पूछा–तुने मेरे साथ ज़ोहर (दोपहर) की नमाज़ पढ़ी है। उमर ने कहा- हां! आपने (हजरत मुहम्मद ने) कहा कि यही नमाज़ इस गुनाह का कफ़ारा (अपराध का प्रायश्चित) है। सहाबा (हजरत के मित्रों) ने कहा–या रसूलिल्लाह! क्या यह स्थिति इसी के हेतु विशेष है? आपने कहा--अलल अमूम अर्थात सब लोगों के हेतु है।

उपरोक्त कथन के समर्थन का विषय हदीस में आया है कि एक नमाज से दुसरी नमाज़ तक जो गुनाह होते हैं किन्तु कबीरा [महापाप] न हो, तो नमाज उन अपराधों का कफारा (प्रायश्चित) है।

इब्ने कसीर पारा १२ पृष्ठ ३७-३८

तफ़सीर कादरी भाग १ पृष्ठ ४८१-८२

क्या नमाज, खुदा की भक्ति है या व्यक्तिगत पापों या अपराधों का प्रायश्चित? आश्चर्य है! इब्ने कसीर में विस्तृत तौर से लिखा है जो बड़ा ही दोषपूर्ण है। लेखक—

किसी कवि ने कहा है कि—

रात को खूब पी, सुबह तौबा कर लो,

रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई।

हज़रत मुहम्मद का अपने शिष्यों, भक्तों, मित्रों और अनुयाईयों से कैसे खुले सम्बंध है ? कि गुप्त से गुप्त और भली-बुरी सभी बातें लोग आकर उनसे कह देते हैं और हजरत मुहम्मद भी कितने हितचिन्तक–दयावान और खुशमिज़ाज है कि गुनाह होने पर भी उन लोगों पर किंचित आँच नहीं आने देते ?

उमर बिन अज़बा ने अपने कृत्य को प्रकट कर सबके हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया, कि यह साधारण अपराध (किसी स्त्री का मुख चूमना) तो नमाज से ही जाते रहते हैं, क्योंकि चुम्बन का अपराध तो मात्र साधारण है ? इससे स्त्री का क्या बनता बिगड़ता हैं ? यह तो उसका हानिरहित किसी मनुष्य के प्रेमेच्छा-पूर्ति हेतु दान मात्र है ? सम्भवतया इसीलिए खुदा और उसके पैग़म्बर हजरत मुहम्मद ने उदारतापूर्वक सबको छूट दे दी कि आनन्द करो ! नमाज तो पढ़ते ही हो। इस अपराध को दूर करने हेतु तुम्हें कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। मुफ्त का अपराध है, मुफ्त में ही दूर हो जायगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा—

ज़ाहिद का क्या बिगड़ा, जो थोड़ी सी पी है।
कोई डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं की है।

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर जलालैन में लिखा है, जो निम्नानुसार है—

'इन्नल हसनाते कस्सलातिल खुम्से युज़्हब्नस्सय्येआतिज़्ज़ुनूब-स्सग़ाइरे नज़लत फ़ी मन क़ब्बला अज़्नबिय्यते फ़ अख़बरहू

रसूलल्लाह फ़क़ाला अला हाज़ा काला ल जमीया उम्मति कुलहुम खादूश्शैखान (हाशिया क्रमांक ९ भी देखिये)

नज़लत फ़ीमन व हुवा व हुवा अबुलयशर काला आततन इमरअतुन तत्तबाए तमरन फ़. कुल्तो लहा अन्ना फ़िल बैते तमरन अतयबुन मिन हा जा फ़दखलत मइलबैते फ़क़ब्बल तोहा ।'

(इतना यह अंश तो तफसीर जलालैन का वह अंश है, जिसका अर्थ हम पूर्वोक्त पंक्तियों में तफसीर कादरी के उद्धृण से दे चुके हैं, किन्तु मध्य में इतना और विशेष है, जो आगे दिया गया है)

'फ़ आतैना अबू बकर फ़ ज़करतो ज़ालेका लहू फ़ काला असतर अला नफसेका वा तबव ला तख़बिर अहदन फ़ आतैतो उमरा फ़ ज़करतो ज़ालेका लहू फ़ काला असतर अला नफसेका व तब व ला तख़बिर अहदन फ़ लम असबरो हत्ता आतैतो रसूलिल्लाहे फ़ ज़करतों ज़ालेका फ़ अतरको तवीलन हत्ता ऊ हिया इलैहे व अक़िमुस्सलाता इला कौलही इन्नला हसनाता युजहिबनस्सय्ये आते ज़ालिका ज़िकरा लिज़ ज़ाकेरीन फ़ कराहा रसूलिल्लाह फ़क़ुलतो अली हाज़ा खासतन अम लिन्नासे आमतन फ़ काला बलिन्नास आमतन ।

तफसीर ज़लालैन, पृष्ट १८९ (हाशिया ९)

(ज़लालैन में उमर बिन अज़बा के स्थान पर अनलयम कहा है) अर्थात–फिर उसने कहा कि मैं अबू बकर के पास गया और सब बात कही, तो अबू बकर ने कहा-इस बात को गुप्त रख और किसी से न कह ।

फिर वह कहता है कि मैं उमर के पास गया और उसको सारी बात सुनाई तो उमर ने यही कहा-कि यह बात अपने मन में रख और किसी से न कहो।

फिर वह कहता है कि मैं हज़रत रसूलिल्लाह के पास गया और उनको सारी बात सुनाई तो वही(फरिश्ता) 'आई-'कि कायम कर नमाज़ आखिर तक नेकियां बुराईयों को' पस, हज़रत रसूल ने यह पढ़ा तो मैंने कहा-यह मेरे लिये विशेष है या सब लोगों के हेतु है, तो हज़रत ने कहा-सब लोगों के लिये ही है।

उक्त आयत के सम्बन्ध में तफसीर बैज़ावी पृष्ठ १४३, तफसीर कुरआनिल अज़ीम पृष्ठ १४३ और तफसीर मज़हरी भाग ६ पृष्ठ १०५ भी देखिये।

हमने इस आयत की व्याख्या विस्तारपूर्वक इस हेतु से लिखी कि यह एक ऐसी बात थी, कि जिसका विश्वास ही नहीं हो सकता है, कि क्या कभी ऐसा सम्भव है कि एक व्यक्ति अपराध करे और उसको दंड या प्रायश्चित के स्थान पर और स्वछंदता दे दी जाये कि ऐसे साधारण अपराध तो नमाज़ से ही दूर हो जाते हैं। साथ ही न केवल उस दोषी व्यक्ति को अपितु समस्त मुसलमानों को ऐसे अपराध हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो गया।

तौबा (प्रायाश्चित) की समस्या, अपराधों की क्षमा हेतु कुरआन ने गढ़ी थी और कहा था, कि यदि कोई प्रायश्चित करे और पुनः अपराध न करे की प्रतिज्ञा करे तो अपराध क्षमा हो जाते है, किन्तु यहाँ तौबा का भी दख़ल नहीं,कोई प्रायश्चित नहीं, नमाज़ तो पढ़नी ही होती है, पढ़ेंगे ही, बस फिर क्या ?

ऐसे-वैसे गुनाह (पाप-अपराध) तो स्वयमेव समाप्त हो ही जायेंगे ।

लोग कहते है-कि संसार में ऐसा कौन सा मज़हब है जो गुनाह करने की आज्ञा देता है ?

हम कहते हैं—आप स्वयं ही देख लें कि किस प्रकार खुले रूप से पाप करने की आज्ञा दी जा रही है । क्या ऐसा कलाम, खुदा का कलाम कहा जा सकता है, जो ऐसे अपराधों के लिये मनुष्यों को दण्ड न देते हुए और प्रोत्साहित करे ?

कुरआन की आयतों के उतरने सम्बंधी जिसे शाने नज़ूल कहा जाता है, उस पर अल्लामा सियूतीने भी संक्षिप्त ही लिखा है, वैसे तो यह विषय इतना व्यापक और विस्तृत है कि इसका सम्बंध कुरआन की, अनुमानतः कुछ को छोड़कर समस्त आयतों से जुड़ा है ।

मैंने भी इस विषय पर अधिक लिखना औचित्य नहीं समझा, क्योंकि पुस्तकके द्वितीय भाग में जहाँ हम प्रत्येक आयत पर विवेचना करेंगे, वहाँ मुख्य विषय सर्वप्रथम आयतों का शाने नज़ूल अर्थात उतरने के कारण क्या है ? यही लिखा जायेगा । क्योंकि यह तो सर्वथा निश्चित है कि जब तक आयत के उतरने का कारण (शाने नज़ूल) ज्ञात न किया जाये, तब तक आयत के ठीक अर्थ नहीं समझे जा सकते हैं । जैसा कि गत पृष्ठों में भी बताया गया है । अतः इस विषय को वहां ही लिखेंगे ।

प्रकरण १० : कुरआन में विभिन्न लोगों के कलाम

कुरआन के अनुसार मुसलमानों के सिद्धान्त पूर्व ही में लिखे जा चुके हैं, कि वह सम्पूर्ण कुरआन को लौह महफ़ूज

(सुरक्षित पट्टिका) पर लिखित है, ऐसा मानते हैं और वहाँ से जिब्रील ने लाकर आसमाने-दुनिया पर रख दिया तथा वहाँ से २०-२२ एवं २५ वर्षों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर हज़रत मुहम्मद तक पहुँचा दिया। एवं वह कुरआन खुदा का कलाम (कथन, वाणी) है।

मुसलमानों के इस दृष्टिकोण का समर्थन कुरआन से नहीं हो पाता है, क्योंकि कुरआन में हमें सैंकड़ों विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न कलाम दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे-शैतान, फरिश्तों, आदम, पैगम्बरों और उनके विरोधियों, फिरऔन के जादूगरों आदि। तो क्या उन समस्त व्यक्तियों के कलामों को खुदा का कलाम मान लिया जाये? कदाचित मुसलमान कह देंगे, कि इन बातों का हज़रत मुहम्मद को पता न था। यह बातें तो गैब (अप्रत्यक्ष) की खबरें है जो खुदा ने हज़रत को बताईं। इसलिए ऐसी खबरें कुरआन में ही समझी जाती है।

खबरें गैब (अप्रत्यक्ष) की हो या अन्य किसी पुस्तक से ली गई हों किन्तु जिसकी होगी, उसी की समझी जायेगी। कलाम जिसका होगा, उसी का माना जायेगा। सन्देशवाहक वाणीपति नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थः- शैतान ने कहा-मैं आदम को सिजदा नहीं करता, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, या फरिश्तों ने कहा-तू मनुष्य को ऐसा बनाने वाला है, जो लड़ाई करे और रक्त गिराये। यह कथन जिसने कहे हैं, उन्हीं के माने जायेंगे या खुदा के मानेंगे? आप कह सकते हैं कि कुरआन में भी जिसके कलाम हैं, वह उसी के नामोल्लेखित है। मैं कहता हूँ कि प्रथम तो सब जगह यह बात ही नहीं कि जिसका कलाम है; उसके नाम से ही

लिखित है, जैसे हज़रत उमर आदि के कलाम, उनके साथ उनके नाम कहाँ लिखे हैं ? मैं पूछता हूं कि लौह महफ़ूज में जो कुरआन लिखित था, क्या उसमें भी इन सबके कलाम थे या नहीं ? यदि थे, तो जो लौह महफ़ूज में था उसी को कुरआन के नाम से सम्बोधित किया गया है अर्थात जो कुछ उसमें था, वह कुरआन है। इस दृष्टि से जितने भी अन्य व्यक्तियों के कलाम है वह भी कुरआन है, और यदि कहो कि लौह महफ़ूज वाले कुरआन में हज़रत उमर, शैतान, फरिश्तों, आदम तथा फिरऔन आदि के कलाम नहीं थे, तो फिर इन अन्य व्यक्तियो के कलामों को कुरआन में क्यों सम्मिलित किया गया ?

मैं कहता हूं, कि नित्य प्रति प्रातःकाल एक व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से कुरआन का पाठ करता है, और वह हज़रत उमर, शैतान, फरिश्तों, आदम और फिरऔन, काफिरों के कलामों को कुरआन (खुदा का कलाम) समझ कर श्रद्धा से पढ़ता है। क्या आप इसे उचित समझते हैं कि लोग मनुष्यों व इतर जनों के कलामों को खुदा का कलाम समझ कर श्रद्धानवत पाठ करें ? और यदि आप यह कहें कि फरिश्तों ने हज़रत उमर को ज़बान पर डाल दिया, तो क्या इसी प्रकार मक्का निवासी उन काफ़िरों की ज़बान पर भी किसी ने डाल दिया था ? या स्वयं उन्होंने कहा ?

यह बात भी विचारणीय है कि यदि फरिश्तों ने हज़रत उमर की ज़बान पर कुरआन डाल दिया, तो क्या हज़रत मुहम्मद को फ़रिश्तों ने सम्पूर्ण कुरआन नहीं दिया था ? एक बात और, लौह महफ़ूज (सुरक्षित पट्टिका) पर खुदा ने क़लम (लेखनी) से लिखवाया था, तो जो लोग, मक्का के काफिर और हजरत उमर आदि, उस समय नहीं थे और जो कुछ उन्हें कहना था,

वह कलम ने उनके उत्पन्न होने के पूर्व ही कैसे लिख दिया ? अर्थात आदम का वजूद (अस्तित्व) मान कर भविष्य में घटित होने या कही जाने वाली बात को कलम ने लौह महफ़ूज पर लिखा, यह असम्भव है ! इसे कदापि नहीं स्वीकारा जा सकता ?

अब इस प्रकरण में हम विभिन्न व्यक्तियों के कलामों के संक्षिप्त उदाहरण मात्र ही लिखेंगे, ताकि यह ज्ञान हो जाये कि कुरआन में मुसलमानों के मतानुसार केवल एकमात्र खुदा का ही नहीं, अपितु कई लोगों के विभिन्न कलाम भी सम्मिलित है ?

—:कुरआन के वह अंश, जो अन्य लोगों की ज़बान पर उतरे:—

तफसीर इत्तिकान में अल्लामा सियूती ने इस विषय पर जो लिखा है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें । अल्लामा ने इस विषय को प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि:—

वास्तव में यह किस्म कुरआन के उतरने से ही सम्बंधित है, और इसकी असल (मूल) उमर के मुआफ़िकात (कुरआन से तुलना होना) है । अर्थात-वह बातें जो उन्होंने कही और फिर उन्हीं के अनुसार कुरआन का नज़ूल (उतरना) हो गया । (है न, आँखों में धूल झौंकना और लोगों को दिग्भ्रमित करना) उमर ने कहा और उसी को खुदा ने कुरआन में उतार दिया । जब यह बात लोगों के सम्मुख आ गई तो फिर उनके उतरने का प्रश्न ही क्या ? और दोयम खुदा का ज्ञान हज़रत उमर के पश्चात् उसका समर्थक (अनुयाई) हो गया तथा उस वाक्य से यह भी प्रकट हो जाता है, कि लौह महफ़ूज में उमर के इन कथनों का

कोई लेख नहीं था, क्योंकि उमर के कहने के पश्चात् खुदा ने उस से मुवाफ़कत (कथनानुसार) करके कुरआन उतारा।

इस बात को आगे और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलिल्लाह ने कहा:—
'जअलल हक्का अला लिसानिन उमरा वा कल्बिही'

अर्थात—निसन्देह, खुदा ने उमर की ज़बान और उसके हृदय को सत्य का केन्द्र बनाया है। इब्ने उमर कहते हैं—जब कभी भी किसी मुआमले [प्रकरण] में उमर और लोगों की सम्मति में विभिन्नता होती, तो कभी ऐसा नहीं होता कि कुरआन का उतरना [नज़ूल] उमर की सम्मति के सामिप्य न रहा हो।

इब्ने मरदूया ने मुज़ाहिद से रवायत की है कि उमर के विचार में कोई बात आती थी, तो कुरआन भी उसी के अनुसार उतरता था।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १० पृष्ठ ८८-८९

उपरोक्त उद्धृण से स्पष्ट हो जाता है कि लौह महफ़ूज पर कुरआन का लिखा होना वास्तव में क्या है? और लौह महफ़ूज उमर के विचारों के पीछे चक्कर लगाती रहती थी?

बुखारी ने अंस से रवायत की है, कि उमर ने कहा—या रसूलुल्लाह! यदि हम मुकामें इब्राहीम को मुसल्ला [नमाज़ पढ़ने का स्थान] बनाते तो अच्छा रहता? तो उसी समय उमर की कही बात उतर आई। आयत:—

'वत्तखिज़ू मिम्मुकामें इब्राहीमा मुसल्ला'

कुरआन, पारा १, रुकू १।१५

अर्थात—और पकड़ो तुम, स्थान इब्राहीम को नमाज़ के हेतु। दुसरी आयत जो उमर ने कही, वह आयतें हिजाब हैं। उमर ने हज़रत मुहम्मद से कहा था—रसूलल्लाहः-'**लौ अमरता निसा-अन्ना अंय्यह तजिब्ना**' से '**फ़ नज़लत आयतुल हिजाब**' तक।

तज्रीद बुखारी, किताबुस्सलात, पृष्ठ ६८

अर्थात—मैंने [हज़रत उमर ने] रसूलिल्लाह से प्रार्थना की, कि ऐ रसूलिल्लाह! काश, कि आप अपनी पत्नियों को आज्ञा देते कि वह पर्दा करतीं, क्योंकि उनके साथ नेक और बद (भले व बुरे) कलाम करते हैं। पस, पर्दे की आयत उतर आई।

(हदीस का अनुवाद)

उमर के कथनानुसार पर्दे (हिजाब) की आयत उतर आई। तीसरी आयत तफसीर इत्तिकान ने लिखी है। हदीस का बयान इस प्रकार है, उमर ने कहा:—

'**वजतमआ निस्साउन्नबिय्ये फ़िल ग़ैरते अलैहे फ़कुलतो लहुन्ना असा रब्बोहू तल्लक्का कुन्ना अंय्यो बद्दिलाहू अज़वाज खैरन मिन कुन्ना फ़नज़्लत हाज़ेहिल आयत**'

तज़रीदे बुखारी, हदीस २६२, पृष्ठ ६८

अर्थात-(जब) नबी सल्लअम की समस्त स्त्रियों ने आपसे एराज़ (मुँह फिरा लिया) कर लिया, तो मैं (उमर) ने उनसे कहा-कि निकट है कि नबी सल्लअम (हज़रत मुहम्मद) का खुदा, यदि वह तुमको तलाक (सम्बंध-विच्छेद) दे दे, तो वह (खुदा) उनको (हज़रत को) तुमसे श्रेष्ठ पत्नियाँ अता फरमावे (प्रदान करे)। पस, यह ही आयत उतर गई। (हदीस का अनुवाद)

तफसीर इत्तिफान, प्रकरण १०, पृष्ठ ८६

फिर यही (उक्त) उमर के शब्द कुरआन की आयत में आ गये और इन शब्दों के साथ इतना और जोड़ दिया—

'-मुसलेमातिन, मोमिनातिन, कानेतातिन, ताएबातिन, आबेदातिन, साएहातिन, सय्येबातिन, वा अबकारन'

कुरआन, पारा २८, रकू १/१९

इसका अभिप्राय है: हम इस सम्पूर्ण कथा को न लिखते हुए तफसीर कादरी से इसका संक्षिप्त विवरण ही दे रहे हैं, ताकि पाठकों को समझने में सुविधा रहे। तफसीर कादरी में लिखा है:—

'वा इजा असर्रन्नबिय्यो' से **'अबकारन'** तक (अर्थात जो आयत ऊपर की लिखी है, उसके साथ ही उसके ऊपर की आयत भी है।)—और स्मरण करो ऐ मोमिनों! जब राज (भेद) कहा पैगम्बर (हजरत मुहम्मद) ने और पोशीदा (गुप्त) किया अपनी अन्य पत्नियों (से) अर्थात हज़रत हफ़सा की ओर बात को, कि बीबी मारिया किब्तियाह (हजरत की दासी) को अपने उपर हराम कर लेना या शहद को, या हजरत शैख़ैन की ख़िलाफत (राज्याधिकार) का जिक्र आपने हज़रत हफ़सा से गुप्त रखने को कहा था और उसने बीबी आयशा पर प्रकट कर दिया। बीबी हफ़सा ने हज़रत आयशा को यह भी सूचित कर दिया कि अल्लाह ने अपने रसूल को सूचित कर दिया और उस बात को सूचित कर दिया बीबी हफ़सा के प्रकट करने को, तो रसूल ने बीबी हफ़सा को वह बात बता दी और अन्य भी, अर्थात–मैंने तुम से अमुक-अमुक बात कही थी और तुमने उसमें से इस भाँति बात प्रकट कर दी, अर्थात–बीबी मारिया किब्तियाह को हराम कर लेना, और मुँह फेरा रसूलिल्लाह ने अन्य

दुसरी....... .. सब बातों से, अपनी उदारता की राह से सब बातें नहीं जताई। हाँलाकि बीबी हफ़सा ने रसूल की सब गुप्त बातें कह दी थी। उन सब बातों को हज़रत मुहम्मद, हज़रत हफ़सा के सम्मुख (मुँहपर) नहीं लाये। फिर जब बीबी हफ़सा को उस बात से सूचित किया... .. .... तो बीबी हफ़सा ने कहा–किसने आपको इस बात की सूचना दी कि मैंने आपका भेद प्रकट कर दिया है ! हज़रत ने कहा-मुझे खुदा ने सूचित किया है, जो प्रत्येक के हृदय में छुपी हुई बातों का जाननेवाला है। यदि तुम दोनों पश्चाताप करो, ऐ हफ़सा और आयशा ! और खुदा की ओर फिरो। हज़रत का हृदय दुखाने में बाहम पुश्त पनाह (परस्पर सहायक) न हो तो तुम्हारे लिये हितकर है। पस, तहकीक (निसन्देह) कि तुम्हारे हृदय पवित्रता (स्वाब) से फिर गये हैं, कि रसूलिल्लाह के भेद की रक्षा नहीं करती और यदि तुम दोनों परस्पर एक-दुसरी की सहायक होंगी रसूल का हृदय दुखाने में (आगे है देखने वाली बात, लेखक) तो यकीनी (निश्चयात्मक) अल्लाह, वह तो यार और मददगार (मित्र व सहायक) है अपने पैगम्बर का, आपको नुस्रत (विजय) देगा, और जिब्रील उसके रफ़ीक (मित्र) सहायता करेंगे, और मोमिन सालेह (सदाचारी) उनके अधीन और सहायक हैं, उन मोमिनों से सब सहाबा (हज़रत के मित्र) मुराद हैं। और एक कौल (वचन) के अनुसार हज़रत अबाबकर तथा उमर (बीबी आयशा और बीबी हफ़सा के पिता) आपके सहायक हैं.. .... और सब आसमान व धरती के फ़रिश्ते अतिरिक्त इस बात के कि खुदा, जिब्रील, मित्रगण आपके यार-मददगार और मुआवन (मित्र–सहायक तथा परम हितैषी) हैं, और परस्पर एक-दुसरे के भी सहायक और आपकी

मित्रता में और खिदमतगुजारी (सेवा भावना) में, शायद कि उसका ईश्वर, यदि वह (हज़रत) तलाक दे तुमको (यह अपनी पत्नियों को भयभीत करना, था मान लिया जाये) तो उसका खुदा तुम्हारे से श्रेष्ठ पत्नियाँ प्रदान करेगा......... फिर उन पत्नियों की प्रशंसा की गई है, कि वह कैसी होंगी, खुदा के एकत्व पर श्रद्धा करनेवाली, उसकी आज्ञाकारीणियां, तस्दीक (प्रमाणित) करनेवालीं, विश्वास करनेवाली, नमाजी आज्ञाकारीणियाँ और अपराध का पश्चाताप करनेवाली, भक्ति करनेवाली और रोने वाली), हिज़रत (धर्म हेतु विदेश गमन) करनेवाली व रोज़ा रखने वाली, शौहर (पति) को देखी हुई और कुंवारियाँ ।

इब्ने अब्बास ने कहा है, कि शौहर देखी हुई (विधवा) तो बीबी आसिया फिरऔन की पत्नी है और क्वांरी हज़रत मरियम ईसा की मां; कि हक तआला ने वादा फरमाया कि कयामत के दिन इन दोनों बीबीयों को रसूलिल्लाह (हज़रत महम्मद) की पत्नी बनाएगा।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५५४-५५५

कुरआन की आयत पर तफसीर कादरी की व्याख्या आपने देख ली कि दो स्त्रियों को भयभीत करने के लिए करोड़ो व्यक्तियों के सहायक होने की धमकी किस प्रकार दी गई है। क्या इन दोनों स्त्रियों के पास लाखों की संख्या में सेना थी कि जिसके मुकाबले हेतु खुदा तथा आसमान व धरती के समस्त फरिश्तों और समस्त मुसलमानों को अपना साथी बता कर डराया गया है और तौबा (पश्चाताप) करने हेतु विवश किया गया है, और फिर इस आयु में और पत्नियां करने की लालसा भी आश्चर्यजनक है ?

इब्ने अब्बास जैसे विख्यात व्यक्ति की बात भी कितनी विचित्र और हास्यास्पद है कि ईसा के जन्म के पश्चात मरियम, यूसुफ से पांच सन्तान और भी यहां ही उत्पन्न कर चुकी थी, फिर भी वह क्वांरी (अविवाहित) की क्वांरी ही रही।

(लेखक)

हम तो यह कह रहे थे, कि 'कुरआन में उमर का कलाम' किन्तु यह प्रसंग मध्य में उपस्थित हो गया। अस्तु, पुनः उसी विषय को प्रारम्भ करते हैं। अल्लामा सियूती ने आगे, जो आयत कुरआन में है; उसका वर्णन इस प्रकार किया है—

जब यह आयत उतरी (उमर ने कहा):—

'अकद ख़लकनल इन्साना मिन सुलालतिन मिन तीन (तो मैंने कहा) **फ़तबार कल्लाहो अहसनुल खालेकीन'**

कुरआन, पारा १८, रकू १/१

फिर (खुदा की ओर से भी) यही नाज़िल हुआ।

तफसीर इत्तिकान प्र० १० पृष्ठ ८९

अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रवायत की गई है; कि एक यहूदी उमर बिन खत्ताब को मिला और उसने कहा–निसन्देह, जिब्रील जिसकी चर्चा तुम्हारा मित्र करता है, वह हमारा शत्रु है। उमर ने उसको उत्तर दिया:—

'मन कान अदुव्वुल्ल लिल्लाहे वा मलाए कतेही वा रसुलेही वा जिब्रोला वा मीकाला फ़ इन्नल्लाहा अदव्वुल्ल लिल काफ़ेरीन'

कुरआन, पारा १ रकू १२/१२

(क्यों मोमिनों! उमर ने बिना सोचे, और बिना समझे खुदा के कुरआन की आयतें घढ़ ली? यह क्या बात है?)

अर्थात—जो कोई शत्रु है, खुदा का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगम्बरों का और जिब्रील और मेकाईल का तो, पस, अल्लाह शत्रु है उन काफिरों का।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १०, पृष्ठ ८९

(इस आयत के बिषय में विभिन्न प्रकार की रवायतें हैं)

अब्दुर्रहमान का कथन है—पस, यह आयत उमर की ज़बान पर उतरी, और उन्हीं के कथनानुसार ही खुदा ने कहा।

तफसीर इतिकान, प्रकरण १०, पृष्ठ ८९

उमर के साथ खुदा की मवाफ़कत (एकाकार) के विषय में मुसलमानों में मतभेद है, किन्तु हज़रत उमर के समस्त मवाफ़कात (एकाकार) तारीखुल खुलफा में एक ही स्थान पर जमा (एकत्रित) कर दिये हैं।

यह स्मरणीय हे कि 'तारीखुल खुलफा' भी मौलाना अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान सियूती की ही लिखी हुई है। जिसकी तफसीर इत्तिकान भी है। इसमें विश्वस्त, रवायतों के आधार पर हज़रत उमर की खुदा से २० मवाफ़ेकात का उल्लेख है। जिन्हें हम लिख रहे हैं। यह तो हम पूर्व ही लिख चुके हैं--कि **'इब्ने असाकर अन अलय्यिन काला इन्ना फिल कुरआने लेरायम्म मिनल राये उमर व अखरजा इब्ने उमर मरफूअन मा कालन्नासो फ़ी शैइन व काला फ़ीहे उमर'**

तारीख़ुल ख़ुलफ़ा, पृष्ठ ८७

प्रसंगवश पुन: लिख रहे हैं। इसका अर्थ है—
हज़रत अली ने कहा—क़ुरआन में बहुधा उमर की सम्मतिय उपस्थित है।

इब्ने असाकर ने इब्ने उमर से रवायत की है, कि जहाँ भी हज़रत उमर और लोगों की सम्मति में मतभेद होता तो कलामे खुदा (खुदा का कथन) प्रायः अधिकतर उमर की सम्मति-अनुसार ही उतरता था।

पाठक वृन्द ! यदि आप ध्यानपूर्वक इस उपरोक्त हदीस का मनन करेंगे तो कुरआन खुदा का कलाम (ईश्वरीय वचन) होने की वास्तविकता स्वयँ ही प्रकट हो जायगी। कारण कि उमर एक शक्तिशाली और अपनी बात का हठी (ज़िद्दी) मनुष्य था, इस हेतु उमर की सम्मति को ही प्रमुखता के साथ स्वीकारा जाता था। वैसे ज्ञान की दृष्टि से तो हजरत मुहम्मद ने हज़रत अली को ही प्राथमिकता दी है, कि '**अना मदीनतुल इल्मे वा अलय्युन बाबहू**' अर्थात-हजरत ने कहा-मैं ज्ञान का नगर हूँ और अली उसका द्वार है। (लोग ! व्यर्थ ही हज़रत मुहम्मद को अशिक्षित कह रहे हैं।)

'किताब फ़जायेलुल अमामैन' में अब्दुल्लाह शैबानी ने लिखा-उमर से खुदा ने २१ बातों में मवाफिकत (एकाकार) बताई है। (जिन ६ बातों को हम पूर्व में लिख चुके हैं, उनको छोड़ कर शेष बाते निम्नानुसार हैं।)

७-जब अब्दुल्लाह बिन उबय्य मरा तो हजरत मुहम्मद ने लोगों

को नमाज़े जनाज़ा के हेतु बुलाया। उमर ने कहा-इब्ने उबय्य खुदा का विशेष शत्रु था। पस, नमाज़े जनाज़ा पढ़ना उचित नहीं, तो आयत उतरी:—

'ला तुसल्ले अला अहदिम्मिन हुम्माता अबदंव्व ला तकुय अला कब्रेही'

कुरआन, पारा, १० रकू ११/१७

अर्थात-और मत पढ़ नमाज़, उनमें से जो कभी अल्लाह से काफ़िर हुए और मर जाए कभी, उन पर, और उनकी कब्र पर भी खड़ा न हो।

८-जब रसूलिल्लाह (हज़रत मुहम्मद) एक कौम पर दुआऐ मगफेरत (क्षमा की प्रार्थना) मांगने लगे तो उमर ने कहा-'सवाउन अलैहिम' तो यह आयत उतरीः—

'स्वाउन अलैहिम अस्तगफ़र्ता लहुम'

कुरआन, पारा २८, रकू १/१३

अर्थात-तू दुआ मांगे, अल्लाह नहीं बख्शेगा।

९-बदर के युद्ध के विषय में मुसलमान कराहत (घृणा) रखते थे, जाना नहीं चाहते थे तो उमर ने बदर के युद्ध में प्रस्थान को सम्मति दी तो यह आयत उतरीः—

'कमा अखरजका रब्बोका मिन बैतका बिल हक्के इन्ना फ़रीक-म्मिनल मोमिनीना लकारेहून'

कुरआन, पारा ९, रकू १/१५

अर्थात-जिस प्रकार तुझे तेरा ईश्वर (खुदा) काफिरों से युद्ध हेतु मदीना से बाहर लाया सहयात्रा के लिये'

तहकीक, मुसलमानों से एक गिरोह (टोली) बदर जाने से कराहत (घृणा) रखता है।

इस आयतानुसार हज़रत उमर की सम्मति पर हज़रत मुहम्मद युद्ध हेतु निकल पड़े थे।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ३५७

इस आयत को भी उमर की आयत कहा गया है।

१०-हज़रत आयशा के विषय में, इलज़ाम (आरोप) के सम्बंध में मैंने (उमर ने) कहाः—

'हाजा बोहतानुन अजीम'

कुरआन, पारा १८, रकू ३/६

अर्थात-पवित्रता है तुमको, यह बोहतान बड़ा (सर्वथा मिथ्या आरोप) है।

११-इस्लाम के प्रारम्भिक काल में रमजान में अपनी पत्नियों से सम्भोग वर्जित था। हजरत उमर के ही कहने पर यह आयत उतरीः—

'ओ हिल्ला लकुम लैलतस्सेयामिर्रफसो इला निसाएकुम'

कुरआन, पारा २, रकू २३/७

अर्थात-तुम्हारे लिये रोजे (रमजान) की रात में अपनी स्त्रियों से सम्भोग हलाल किया गया। अर्थात करने की आज्ञाहै।

१२-**'फला व रब्बे का ला योमिनून हत्ता योहक्केमूका'**

कुरआन, पारा ५, रकू ६/६

अर्थात-खुदा की कसम, वह ईमान नहीं लायेंगे।

इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदूया ने इस कथा को यों लिखा कि दो व्यक्तियों में किसी बात पर झगड़ा होगया। दोनों रसूलिल्लाह के पास पहुँचे। रसूल ने निर्णय कर दिया किन्तु जिस व्यक्ति के विपक्ष में निर्णय हुआ था, उसने कहा-चलो उमर के पास चलें! जिस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय हुआ था, उसने उमर से कहा-रसूलल्लाह ने मेरे पक्ष में निर्णय किया है, फिर भी इसने कहा कि चलो उमर के पास चलें। हजरत उमर ने कहा--तुम अपने घर चलो, मै आता हूँ। इसके पश्चात हजरत उमर नंगी तलवार लेकर उसके घर चले गये, जिसने कहा था कि उमर के पास चलो। उसको उसके घर जाकर कत्ल कर दिया। दूसरे व्यक्ति

ने जो उसका साथी था, उसने हज़रत मुहम्मद से जाकर कहा-हज़रत ! उमर ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया है। हज़रत ने कहा-मुझे तो आशा नहीं कि उमर किसी मुसलमान को कत्ल करने का साहस करेंगे। इसपर यह (उपरोक्त) आयत उतरी। रसूलिल्लाह ने उसका खून क्षमा कर दिया और हज़रत उमर को उसके कत्ल से मुक्त कर दिया।

व्याख्याकार कहता है, कि इस बात के प्रमाण अन्य कई तफसीरों में उपलब्ध है।

(अरबी) तारीखुल खुलफा, पृष्ठ ८८

तफसीर कादरी ने मुआलम के आधार पर झगड़ने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम ज़बैर और हातिब लिखे हैं; और झगड़े का कारण पानी था।

इब्ने कसीर पारा-५ पृष्ठ ५३
तफसीर कादरी, पृष्ठ १७५ (और)
तफसीर मज़हरी, पृष्ठ १५८-१५९

(यह है खुदाई पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद का न्याय और हज़रत उमर की मनमानी कि केवल इतनी सी बात हेतु उस मुसलमान को उसके घर जाकर कत्ल कर दिया।)

१३-'आज्ञा लेकर मकान में प्रवेश' पर **आयत** का उतरना।

इसकी कथा इस प्रकार है कि एक दिन हज़रत उमर सो रहे थे कि उनका एक गुलाम उनके शयन कक्ष में बिना आज्ञा चला आया। हज़रत उमर ने दुआ की, कि बिना आज्ञा प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाये, तो खुदा ने एक आयत उतार कर बिना आज्ञा के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

१४–आपने कहा, कि यहूदी दृढ़ कौम है, फिर उसी के अनुसार आयत भी उतरी ।

१५–'सुल्लतुम्मिनल अव्वलीन वा सुल्लतुम्मिल आखेरीन'

कुरआन, पारा २७, रकू १।१४ (अंत)

किन्तु, इसके पूर्व यह आयत उतरी;—

'सुल्लतुम्मिल अव्वलीन वा कलीलुम्मिल आखेरीन'

कुरआन, पारा २७, रकू १।१४ (प्रारम्भ)

अर्थात- (प्रथम आयत) बड़ी जमात है पहलों में से, और पिछलों में थोड़े हैं । (द्वितीय आयत) थोड़े हैं पिछलों में से, यह आयत उतरी तो हज़रत उमर रोने लगे और हज़रत मुहम्मद से कहा-या नबी ! हम आप पर ईमान लाये,और हमने आपकी तस्दीक [समर्थन] की, और हममें से थोड़े [अल्प] ही व्यक्ति स्वर्ग [नजात] पायेंगे ? बस फिर क्या था, तत्काल दुसरी जो सबसे ऊपर लिखी है, आयत उतर गई । अर्थात कलीलुन के स्थान पर सुल्लतुन ही उतर गया । और थोड़े शब्द कट गया ।

यह है-कुरआन उतरने की वास्तविकता ? तनिक उमर की आँखें बदलीं नहीं कि उसके साथ आयत भी बदल गई । जैसे कुछ समय पूर्व था कि थोड़े ही मुसलमान स्वर्ग में जायेंगे किन्तु उमर के अल्प परिवर्तन से, तत्काल आज्ञा हो गई कि मुसलमान अत्याधिक रूप से जायेंगे ।

इब्ने कसीर पारा २७ पृष्ठ ६९

तफसीर कादरी, भाग २ पृष्ठ ५००

इस आयत के अनुसार फिर कितने मुसलमान हो गये । आदम से लेकर हज़रत मुहम्मद तक, आधे सब उम्मतों (सम्प्रदायों) के और आधे मुसलमान । हज़रत ने कहा:—

विषय में भी यह प्रश्न हज़रत उमर ने किया था।

१९–'**ला तकरेबुस्सलातो वा अन्तुम सुकरा**' उमर का ही विचार था।

२०–बदर के बन्दियों के विषय में उमर की सम्मति स्वीकारी गई। बलाल बाँग में '**अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाह ही**' कहते थे, किन्तु हज़रत उमर ने '**अशहदो अन्ना मुहम्मदूर्रसूलुल्लाह**' बाद में और बढ़वा दिया।

तारीख़ुल ख़ुलफ़ा, पृष्ठ ८७ से ८९

अब मुसलमान ! देखें कि उमर की अरबी और कुरआन की अरबी भाषा में क्या उनको कोई अन्तर दिखाई देता है ? उमर ने तो बिना सोचे ही कुरआन जैसी अरबी बना दी और उसे कुरआन में ही स्थान भी मिल गया, और कुरआन का यह दावा असत्य सिद्ध हो गया कि समस्त संसार के जिन्न और मनुष्य भी एकत्रित हों, तो भी ऐसी आयत न बना सकें। अब तो अकेले उमर ने ही आयतें बना दी।

यहाँ तक ही नहीं, आगे हम तथाकथित काफ़िरों की आयतें भी कुरआन में दिखायेंगे।

अब उमर की इस कथा के पश्चात तफसीर इत्तिकान में जो लिखा है, उसको लिखते हैं। कुछ विरोध तो आयेगा, क्योंकि जिन आयतों के विषय में उमर ने कहा है, उनमें से कुछ के लिये दुसरों ने भी कहा है, उसका उत्तरदायित्व उनके ऊपर ही है।

सुनैद ने अपनी तफ़सीर में सईद बिन ज़ुबैर से रवायत की है, कि जिस समय मुआज़ ने बीबी आयशा की प्रतिष्ठा में कही बुरी बात सुनी, तो उन्होंने कहा–'**हाजा बोहतानुन अज़ीम**'

फिर आगे लिखा है कि जैद बिन हारसा और अबू अय्यूब जब कभी ऐसी बात सुनते तो उक्त वचन कहते।

—:एक स्त्री के शब्द कुरआन की आयत में:—

अल्लामा सियूती ने लिखा, इब्ने अबी हातम ने अकरमा से रवायत की है, कि जिस समय उहद के युद्ध के समाचार स्त्रियों तक पहुँचने में विलम्ब हुआ तो वह समाचार जानने हेतु नगर मदीना से बाहर निकलीं। उस समय अचानक दो व्यक्ति एक ऊँट पर सवार हो रणभूमि से नगर की ओर आ रहे थे। किसी स्त्री ने उनसे पूछा-रसूलिल्लाह? उन ऊँट सवारों में से एक ने कहा-वह जीवित है। एक स्त्री ने कहा—

'फ़ला उबाली यत्तखे.जुल्लाहो मिन इबादे हिश्शुहदाओ'

(इसी के अनुसार) कुरआन, पारा ४, रकू १४/५

अर्थात—फिर मैं चिन्ता नहीं करती कि खुदावन्द अपने बन्दों में से जिसको जी चाहे शहादत (बलिदान) का रूतबा (पद) आता (प्रदान) करे।

उक्त आयत उस स्त्री के कथनानुसार कुरआन में उतरो।

यत्त.खे ज़ो मिन कुम शाइदाओ

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १०, पृ. ६०

अब इस आयत के उतरने का कारण (शाने नज़ूल) देखिये:—

'(कौलोहू तआला व यत्तख़ेज़ो मिनकुम शुहदाआ) अखरज़ा अन इब्ने अबी हातिम अन अकरमा काला लम्मा अब्ता अल-

निसा इल खबरे खरजना लियस्तखबरूना, फइजा रजुलान मुका-बलाने अलल हईरे, फकालत इमरअतिन मा फअला रसूलल्लाहे काला हय्युन कालत ला उबाली यत्तखे जल्लाहो मिन इबादे हिशुहदाओ व नज़लल कुरआना मा कालत वा यत्तखेजो मिनकुम शुहदाआ।'

किताब लबाबन्नकूल फी असबाबिन्नजूल
लिल जलालुद्दीन सियूती, पृष्ठ ५७

उक्त उद्धृण का अनुवाद उपर्युक्तानुसार है।

यह विषय विचारणीय है, कि जब अरब की साधारण स्त्रियां अपनी आम (सार्वजनिक) भाषा में कुरआन की आयत जैसी भाषा बोल लेती थी, तो फिर हज़रत क्यों नहीं बोल सकते थे ?

तफसीर जलालैन में है कि उस दिन शैतान ने प्रसिद्ध कर दिया था, कि हज़रत मुहम्मद कत्ल हो गये।

बयानुल कुरआन में है, कि उहद के युद्ध में इब्ने कमना ने रसूलिल्लाह पर एक विशाल पाषाण खण्ड फेंका, जिससे आपके सामने के दाँत शहीद हो गये और मुँह व माथा घायल हो गये, तथा वह व्यक्ति आगे बढ़ा कि कत्ल कर दें किन्तु अस-अब बिन उमैर ने मध्य में हाइल हो [आड़े आ] कर आपको बचा लिया और स्वयँ शहीद हो गया परन्तु आप घावों के कारण गिर गये।

बयानुल कुरआन, भाग १, पृष्ठ ३९९

तफसीर इत्तिकान की ही भांति तफसीर मज़हरी में भी पृष्ठ ३७५ पर अरबी का अनुवाद किया गया है।

इसके आगे अल्लामा सियूती ने कुरआन की एक और आयत का वर्णन किया है। जिसको मुसलमान और विशेष रूप से अहमदी अति अभिमान से पढ़ा करते हैं। आयत:—

'मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद ख़लत मिन कब्लिहिर्रूसुल, अफ़ा इम्माता औ कुतेलन कलब्तुम अला अका बेकुम वा मंय्यन कलिब् अला अकेबैहे फलंय्यज़र्रल्लाहा शैअन:

कुरआन, पारा ४, रकू १५।६

अर्थात—मुहम्मद सल्लअम [हज़रत मुहम्मद] एक रसूल (खुदा के दूत) हैं, कि उनके पूर्व भी बहुत से रसूल गुज़र [हो] चुके हैं। फिर क्या यदि वह फ़ौत हो (मर) जाये या कत्ल कर दिये जायें, तो तुम लोग पीठ दिखा कर भाग निकलोगे।

इसके पश्चात उनका बाँया हाथ भी कट गया और अव उन्होंने झुककर निसान (ध्वज) को दोनों कटे बाजुओं की सहायता से वक्ष के साथ लगा लिया; और अभी उनकी जबान पर वही कलमात '**मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल**' थे। इसके पश्चात वह कत्ल हो गये, जिसके कारण निसान भी गिर गया।

इस हदीस (हज़रत मुहम्मद का कथन) का व्याख्याकार मुहम्मद बिन शराहबील कहता है, कि यह आयत '**मा मुहम्मदुन इल्ला रसुल**' उस समय, उस घटना के पश्चात ही उतरी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण १०, पृष्ठ ६०

तफसीर बैज़ावी में है—

'फ़काला अन्स बिन नज़र या कौम इन काना कुतेला मुहम्मदुन फ़इन्ना रब्बे मुहम्मदुन हय्युन'

अर्थात--अन्स बिन नजर ने कहा-यदि मुहम्मद कत्ल हो गया तो हजरत मुहम्मद का खुदा तो जीवित है।

आयत:—

' व.दजाआ कुम बसाएरो मिर्रब्बेकुम फमन अबसरा फलेनफसेही वा मन अमेया फअलैहा, व मा अना अलैकुम। बहफीज '

कुरआन, पारा ७, रकू १३/१६

अर्थात-निसन्देह, तुम्हारे पास, तुम्हारे रब्ब (ईश्वर) की खुली हुई निशानियाँ आई है। जिसने अपने नफ्स (आत्मा) के हेतु देख लिया और जो अँधे हुए उसकी हानि उसी पर है, और नहीं हूँ, मैं तुम पर निगहबान (दृष्टिवान)।

अल्लामा सियूती लिखते हैं, कि इस आयत को रसूल (हजरत मुहम्मद) की जबान से वारद (कहलाया) किया गया, क्योंकि आयत के अंत में कहा ' कि मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं ' इसमें ' मैं ' शब्द की निस्बत (संकेत) हजरत मुहम्मद की ओर है, खुदा की ओर नहीं।

तफसीर बैजावी में है, कि यह कलाम (कथन) रसूल की जबान से वारद हुआ।

अगली आयत भी रसूल की ओर निस्बत (संकेत) की गई।

आयत:—

' अफा गैरल्लाहे इब्तगी हुकमंव्वा हुवल्लाजी अनजला अलैकुमुल किताबा मुफस्सला '

कुरआन; पारा ८, रकू १

अर्थात-क्या फिर खुदा के अतिरिक्त मैं चाहूं किसी को ? मेरे तुम्हारे मध्य यह आज्ञा करे, और वह है जिसने तुम्हारी ओर कुरआन विस्तारपूर्वक उतारा।

यह आयत भी हज़रत मुहम्मद की ज़बान से वारद की गई है। इसी प्रकार फरिश्तों की ओर जिस आयत की निस्बत (संकेत) है, वह लिखी और अंत में एक आयत, जिसमें बन्दों (भक्तों) की ओर निस्बत है, वह लिखी है। आयत:—

'इय्याका नाबुदो वा इय्याका नस्तईन' (अल्हम्द में)
अर्थात—हम तेरी ही भक्ति करते हैं, और हम तुझसे ही सहायता चाहते हैं।

तफ़सीर इत्तिकान, प्रकरण १०, पृष्ठ ६१

तफसीर इत्तिकान में केवल इतना ही लिखकर विषय को समाप्त कर दिया गया है, किन्तु मैं उन आयतों को भी लिखना चाहता हूं, जिनमें अन्य और लोगों के भी कलाम कुरआन में उपस्थित है। जिसे सर्व साधारण कुरआन (खुदा का कलाम) समझ कर ही पढ़ते हैं।

इनमें वह कलाम (कथन) है, जिसको उन लोगों ने कहा है, जिन्हें मुसलमान काफ़िर कहते हैं, और उनको वार्ता (बात चीत) हज़रत मुहम्मद के साथ रूबरू (आमने-सामने) है। काफ़िर कहलाने वालों का कलाम तो ज्यों का त्यों है, किन्तु हज़रत मुहम्मद का उत्तर खुदा के नाम से हैं, और दोनों कुरआन में है। इसके अतिरिक्त आदम, शैतान आदि के कलाम जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके है, कुछ कथन उसमें से लिखेंगे।

उक्त पूर्वोक्त वर्णित आयत के हेतु मुसलमानों ने यह लिखा कि आयत नाज़िल हुई, (उतरी), किसको नाज़िल हुई यह स्पष्ट नहीं बताया। आयत देखने से, उसके अर्थों से ज्ञात हो सकता है कि जिस समय यह कहा गया, उस समय लोगों ने यह विचार कर लिया था, कि हज़रत मुहम्मद मारे गये। इसी

कारण अन्स बिन नज़र ने कहा; कि यदि मुहम्मद मर गया तो मुहम्मद का खुदा तो जीवित है। आयत के शब्द 'माता' मर गया, 'कुतेला' कत्ल किया गया, तो लिखे हैं, और ऐसी बात तब कही जाती है, जब कोई मनुष्य मर जाता है, कि यदि वह मर गया या कत्ल किया गया, तो क्या तुम फिर जाओगे, मुहम्मद रसूल या, उससे पूर्व बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। तुम फिर जाओगे, तो तुम्हारा यह कार्य अल्लाह को ज़रर (हानि) नहीं देगा।

अगली आयत के शब्द भी यही कहते हैं, कि खुदा की आज्ञा के बिना कोई नहीं मरता।

तफसीर मज़हरी ने भी लिखा है, कि यह बात प्रसारित हो गई (फैल गई) थी, कि मुहम्मद कत्ल कर दिये गये।

तफसीर मज़हरी, पृष्ठ ३८१

जिस समय यह बात फैल रही थी, उस समय उमैर ने यह आयत पढ़ी। यदि लोगों को ध्यान होता कि हज़रत मुहम्मद जीवित हैं, तो इस आयत को पढ़ने की नोबत नहीं आती अस्तु,

अबतक जितने लोगों के कलाम हम प्रस्तुत कर चुके हैं, वे सभी कुरआन में सम्मिलित कर लिये गये हैं। यह कह कर कि आयत भी ऐसी ही उतरी है, मुसलमान इस बात पर विचार नहीं करते, कि एक व्यक्ति एक बात कह रहा है, वह खुदा की ओर से उतरी कैसे मानी जायेगी। यह तो स्पष्ट रूप से लोगों का पथ भ्रष्ट करना है ! परमात्मा, मुसलमानों को बुद्धि दे कि वह इस यथार्थ बात को समझें और वास्तविकता से परिचित हों !

अल्लामा सियूती ने आगे एक विचित्र बात लिखी है कि सी के करीब-करीब कुरआन के वह भाग (हिस्से) हैं, जो ग़ैर

अल्लाह की ज़बान पर उतरे है। जैसे-हज़रत मुहम्मद, जिब्रील और फ़रिश्तों की ज़बान पर, (तात्पर्य यह कि जिस प्रकार और आयतों मैं ख़ुदा की ओर निस्बत है, इसी प्रकार उन आयतों की निस्बत हज़रत मुहम्मद और जिब्रील आदी की ओर होगी)

—:कुरआन में विविध व्यक्तियों के कलाम:—

पाठक वृन्द ! हम पूर्व में अनेक व्यक्तियों के कथन (कलाम) लिख चुके है, जिनको अल्लामा सियूती ने तफसीर इत्तिकान में लिखा है, आपने देखा है कि किस प्रकार उमर आदि के साधारणतया कथन कुरआन की आयतों के अंश बन गये। यहाँ तक कि एक साधारण स्त्री का कथन तक कुरआन की आयत का भाग बन गया।

अब हम वह आयतें लिख रहे हैं, जिनके सम्बन्ध में अल्लामा सियूती ने कोई चर्चा नहीं की। क़ुरआन के आरम्भ में ही आता है, कि जब काफ़िरों को कहा जाता है कि फ़साद (झगड़ा) न करो, तो वे कहते हैं :—

'कालू इन्नमा नहनो मुसलेहून' (काफिरों का कलाम)

कुरआन, परा १, रकू २

अर्थात-हम कामों को भक्ति और नेकी के कारण सँवारने वाले हैं।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ५

यह उपरोक्त कथन काफ़िरों का कहा जाता है, जो कुरआन में लिखा है। आगे है, कि काफ़िरों को कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो वे उत्तर देते हैं:—

'कालू अनोमिनो कमा आमनस्सु सुफ़ाहाओ'

कुरआन, पारा १, रकू २

अर्थात-हम क्या ईमान लायें ? जैसे कि मूर्ख और बुद्धिहीन ईमान लाये हैं।

यह कथन भी कुरआन की आयत के रूप में विद्यमान है। फिर जब काफ़िर मुसलमानों से मिलते है, तो कहते है कि हम भी ईमान रखते हैं, और जब अपने शैतानों अर्थात अपने आगेवानों की ओर जाते है, तो कहते है:—

'कालू इन्ना मआकुम इन्नमा नहनो मुस्तहज़ेऊन'

कुरआन, पारा १ रकू २

अर्थात-(अपने आगेवानों से कहते हैं) कि हम तो तुम्हारे साथ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, हम तो परिहास (ठट्ठा) करते है।

आगे है, कि यहूद के बारह व्यक्तियों ने गोष्ठी की और इसकी सूचना किसी प्रकार हज़रत मुहम्मद को प्राप्त हो गई:-
'वा कालत्ताइफ़ा तुम्मिन अहलिल किताबे आमनू बिल्लज़ी उन-ज़ेला अलल्ला ज़ीना आमनू वज्हन्नहारे वा कफ़रू आख़िरहू ल अल्लहुम यरजेऊन'

कुरआन, पारा ३, रकू ८।१६

अर्थात-(गोष्ठी यह थी, कि एक जमात ने कहा (सोचा) जो अहले किताब (तौरेत वाले) थे, कि प्रातः काल मुसलमान हो जाओ और सायंकाल फिर जाओ, शायद कि वह भी फिर जायें (वह अर्थात कुछ वह लोग भी इस्लाम त्याग दे)

मैं कहता हूं, कि कथन तो उन्हीं का है, जिन्हें तुम काफ़िर कहते हो ! भले ही किसी भी प्रकार उस गोष्ठि के भेद की सूचना प्राप्त हुई हो । यह भी आयतरूप में कुरआन में अंकित है ।

तफसीर मज़हरी में लिखा है, कि यह विवाद बैतुल मुकद्दस (यरूशलम के पवित्र मंदिर) से मक्का की ओर मुंह करने के परिणामस्वरुप हुआ ।

तफसीर मज़हरी,-१-पृष्ठ २६६

जब यहूद को मुसलमान होने को कहा गया तो काब बिन अशरफ, मालिक बिन ज़फ़, वहब बिन यहूदा, ज़ैद बिन ताबूत, फ़ख़ाज़ बिन आज़ूरा और हय्य बिन अख़तब ने रसूलिल्लाह से कहा-हमारी तौरेत में लिखा है, कि किसी पैगम्बर पर तबतक ईमान (विश्वास) न लाओ जब तकः—

' इन्नल्लाहा अहिदना इलैना नोमिनो लिरसूलिन हत्ता यातीना बिकुर्बानिन ताकुलुन्नार ' (यहूद का कलाम)

अर्थात्-उन लोगों (यहूद) ने कहा-अल्लाह ने तौरेत में हमारे साथ अहद (वचन बद्धता) की है, कि हम ऐसे पैगम्बर पर ईमान न लावें और न उसकी तस्दीक (**समर्थन**) करें, जब तक कि वह हमारे हेतु कुर्बानी (**बलिदान**) लाये और उसको अग्नि खा जाय ।

यहूद ने यह भी मांग की; कि आप इस प्रकार की कुर्बानी कर दिखायें (तो हम विश्वास करें) हज़रत मुहम्मद ने उनको टालने हेतु इतना ही कहा-जो तुम कहते हो, सो ठीक है, परन्तु ऐसे रसूल (पैगम्बर) आये, जिन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाये, फिर उनको तुमने क्यों मार दिया ?

उपरोक्त आंयत का उक्त अर्थ तफसीर कादरी, तफसीर मज़हरी, तफसीर हक्कानी आदि में इसी प्रकार किया गया है।

हज़रत मुहम्मद को कैसे ज्ञात हुआ कि उन पैगम्बरों के कातिल (हत्यारे) यही लोग थे। अस्तु हज़रत का पूर्नजन्म को मातने का स्पष्ट कारण है।

यह उपरोक्त कथन तो उन लोगों (यहूद) ने हज़रत मुहम्मद के सम्मुख कहे और हज़रत मुहम्मद ने भी उसी समय उत्तर दिया, तो **यहूद** लोगों का कथन भी कुरआन **में** आयद के रुप में उपस्थित **है। अब** मुसलमान बतायें कि इस यहूद की भाषा में और कुरआन की अन्य अरबी भाषा में कुछ आपको अंतर दिखाई देता है? यदि नहीं, तो कुरआन की मिसल (समान) आयत लाओ क्या यह उक्त आयत नहीं है?

—: यहूद के द्विअर्थी कथन :—
की आयत

'वा यकूलूना समेना वा असैना वस्मा गैरा मुस्मइंव्वा राएना लय्यन बिअल सिनतेहिम वा तानन फिद्दीने'

कुरआन, पारा ५, रकू ७।४

अर्थात्- यहूद कहते हैं-सुना हमने तेरा कौल (वचन) व असैना (न माना हम ने) और नाफरमानी (अवज्ञा) की तेरे हुक्म (आज्ञा) की अनाद (शत्रुता) की राह से।

तौसियर में लिखा है, कि प्रत्यक्ष में तो कहते थे, कि हमने आज्ञा-पालन की और छुपाकर (अप्रत्यक्ष) कहते थे, कि हमने

नाफ़रमानी (अवज्ञा) की, और वास्तविकता यह है कि उनकी जबान की भाषा तो 'समेना' कहते थे, अर्थात सुना हमने और उन की जबान हाल (वास्तविक) असैना (स्पष्टरूप से) के साथ बोलती थी, अर्थात हमने नाफ़रमानी (अवज्ञा) की, और कहते थे **'वस्मा गैरा मुस्मइन'** और सुन इस स्थिति में कि न सुना गया हो, तो यह कलमा (कथन) दोरूआ (द्विअर्थी) है।

एक अर्थ तो स्तुति से है और एक अर्थ निन्दा से सम्बंधित है। 'अस्मा' का अर्थ गाली देता हूं, तो इस कथन का यह अर्थ हुआ कि गाली दिया हुआ, और बुरी बात सुनने वाला न हो, यह मदह (स्तुति) का अर्थ हुआ, और इस प्रकार दुआ (प्रार्थना) उसके हेतु होगी और निन्दा का अर्थ इस प्रकार है, कि 'अस्माअ' का अर्थ सुनाता हूँ, तो यह अर्थ होगा कि-यहूद कहते है कि सुन, इस स्थिति में कि न सुनाया गया हो, अर्थात गूँगा (न सुनने योग्य) और बद्दुआ है। उस पर यहूद ने मदह (स्तुति या प्रशंसा) के अर्थ को नफ़ाक (विरोध) का पर्दा बनाया और उन्हें मुजम्मत (निंदा) स्वीकार थी।

हजरत मुहम्मद को बाज (कुछ एक) ने कहा—यहूद 'राएना' को 'राईना' कहते थे, अर्थात ऐ हमारे चरवाहे! अर्थात हजरत [मुहम्मद] के गाय-बकरी चराने पर तान और तारीज [ताना देते निंदा] करते थे। बहर तकदीर [साधारण तया] यह कलमा कहते थे, 'वा राएना लय्यन' [बि असिनताहुम] अपनी ज़ुबान (भाषा) के साथ बात को फिरा और लपेट कर, अर्थात जो फेल (क्रिया) जबाने अरब (अरब की भाषा) में मुराआत (सज्जनता) का वाचक है, उसे अपनी ज़बान (भाषा) में रऊनत (घृणा) की ओर फेरते है, अथवा अरब की भाषा को उसकी फ़साहत (उत्कृष्टता) से पेंच देकर लहन [गाली या

अपशब्द] के ढंग पर 'राईना' कहते है और उससे हज़रत मुह-म्मद की मुज़म्मत [निंदा] चाहते है। 'वा तानन फिद्दीने' और दीन [धर्म] इस्लाम में तान [व्यंग] चाहते है। [उनका अभिप्राय यह था कि जिस धर्म का पैगम्बर चरवाहा हो, वह धर्म क्या होगा ? अर्थात् बकरियाँ चराने वाले का धर्म क्या महत्व रख सकता है ? लेखक]

तफसीर कादरी, पारा ५, पृष्ठ १६८

पाठक गण ! हमने यहूद की यह एक द्विअर्थी आयत आपके समक्ष प्रस्तुत की। सम्भवत: ऐसी आयत सम्पूर्ण कुरआन में न हो; जिसके दो अर्थ निकले, स्तुति और निन्दा का भी, और एक शब्द 'राएन' को 'राईना पढ़ने से आयत का रंग-रूप ही परिवर्तित हो जाये । यह यहूद की सारगर्भित आयत भी कुरआन में है,(वह काफिर कहते हैं कि हम सीधी राह पर हैं।) आयत:—

'यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाऊलाए अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला'

कुरआन, पारा ५, रकू ८।५

अर्थात्-यहूद कहते हैं, कि हम सीधे मार्ग पर हैं।
यहूद का यह कथन भी कुरआन में सम्मिलित है।

कुछ दुरंगे लोगों के कलाम यदि इस्लाम [मुसलमानों] को विजय हो, तो कहते है.—

अलम नकुम्मआकुम ।

कुरआन, पारा ५, रकू २०।१७

अर्थात्—क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और हमने सहायता नहीं की, लूट से हमारा भाग दो, और यदि काफ़िर गालिब [विजेता] आ जाये:—

' अलम नस्तहविज़ अलैकुम '

कुरआन, पारा ५, रकू १७।२०

अर्थात्—[तो उनको कहते हैं] क्या हम तुम पर गालिब [प्रभावकारी] नहीं थे, और हम शक्ति रखते थे कि तुमको कत्ल कर दे, किन्तु हमने हाथ खेंचा [रोका] और तुम्हें सुरक्षित कर दिया, और मुसलमानों की सहायता करने में हमने सुस्ती की और उन्हें ऐसी बातें कही कि उनके दिल टूट गये, यहां तक कि तुम उन पर गालिब [विजेता] आ गये, हमें लूट से हिस्सा [भाग] दो।

तफसीर कादरी, पृष्ठ २००-२०१

उन लोगों (यहूद) के कथन के यह छोटे-छोटे अंश इस हेतु दिये, ताकि आपको यह ज्ञात हो जाये कि यहूद आदि के कलाम से कुरआन ऐसा गड्डमड्ड (मिश्रित) हो गया है, कि पता लगाना कठिन है कि यहूद आदि के कलाम [कथन] कौन से हैं ? बस ऐसे लोगों के कथनों के छोटे-छोटे अंश सम्मिलित कर कुरआन की ईबारत बनाई गई है। काफिर कहे जाने वालों का कलाम :—

' लौ ला उनजेला अलैहे मलकुन '

कुरआन, पारा ७ रकू ११७

अर्थात-और कहा-क्यों नहीं उनके ऊपर फरिश्ता उतरा गया ? आगे निशानी आने पर काफ़िर कहते है:—

'लन्नोमिना हत्ता नोता मिस्ला मा ऊतेया रसूलुल्लाहे'

कुरआन, पारा ८, रकू १५।२

अर्थात–हम कदापि ईमान नहीं लायेंगे, यहाँ तक कि जो पैगम्बर दिये गये है, उसके मानिन्द (समान) भी दिया जावे आगे वह (काफिर) लोग कहते है, कि हमने इसी मार्ग पर अपने बापों (पूर्वजों) को पाया:—

'वजदना अलैहा आबाअना' वल्लाहो अमरना बेहो।

कुरआन, पारा ८, रकू ३।१०

अर्थात:-हमने उसके ऊपर अपने पूर्वजों (बापों) को और अल्लाह ने हमको ऐसा करने की आज्ञा दी है।

—:नर्कवासी काफिरों का कथन:—

(नर्क (दोज़ख) में अरबी बोलेंगे)

जो अरबी भाषा के उद्घृण दिये जा रहे हैं वह सब काफिरों के कलाम कहे जाते हैं।

जब यहूद और अग्निपरस्त नर्क में परस्पर मिलेंगे तो कहेंगे :—

'कालत उखराहुम लि ऊला म रब्बना हाऊलाए अज़ल्लुना फ़आतेहिम अज़ाबन ज़ेफ़म्मिनन्नारे'

कुरआन, पारा ८, रकू ४।११

अर्थात–अनुसरण करने वाले अपने आगेवानों के हेतु नर्क में कहेंगे–ऐ हमारे ईश्वर! इस गिरोह [समूह] ने हमे पथभ्रष्ट किया। इनको नर्क की ज्वाला से दुगना दुख दे। [रफीउद्दीन साहिब]

यह बात आपके सम्मुख इस दृष्टि से भी प्रस्तुत की गई है; कि आप इससे भी परिचित हो लें कि लोगों को आतंकित और भीरू बनाने हेतु ऐसी कपोल कल्पित बातें भी कुरआन में लिखी गई हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।

चाहे उपरोक्त कथन की सूचना खुदा ने भेजी हो, किन्तु है तो कफिरों का कथन। खुदा तो केवल संदेशवाहक ही होगा। हज़रत मुहम्मद ने ऐसी आधारहीन और अस्तित्व शून्य बातें कह-कह कर अपने शिष्यों और समर्थकों को खूब बहकाया है।

यह भी जानने योग्य बात है, कि यह लोग दोज़ख (नर्क) में जाकर अरबी पढ़ गये और कुरआन सदृश्य आयतें भी बनाने लगे ? और आश्चर्य तो यह कि उनके कथन (कलाम) को कुर-आन (खुदा की वाणी) में स्थान प्राप्त हो गया।

आपने एक बात नर्कवासियों की सुन ली। अब एक बात स्वर्ग (बहिश्त) वासियों की भी सुने, किन्तु उससे पूर्व उन आगेवानों का उत्तर, जो नर्कवासियों को देंगे, वह भी सुन लें। आगेवान (गुरु) अपने अनुगामियों से कहेंगे:—

'वा कालत ऊलाहुम लि उख़राहुम फ़मा काना लकुम अलैना मिन फ़ज़िलन फ़ज़ूकुम अज़ाबा बिमा कुन्तुम तक्सेबुन'

कुरआन, पारा ८, रकू ४।११

अर्थात्-तुम्हें हम पर कुछ अधिकार नहीं है, अपितु कुफ्र (बेदीनी) में हम-तुम दोनों समान है। पस, अपने कर्मों के कारण से दुख भोगो।

भले ही यह .गैब (अगम) के समाचार क्यों न हों, जिसका न सिर है न पैर ही है, किन्तु हज़रत मुहम्मद ने इसे प्रस्तुत कर अपने भक्तों और समर्थकों को तो मिथ्यावाद का दृढ़ विश्वासी बना लिया, और दोनों (गुरू-चेलों या आगेवान और अनुयाइयों) को, उनके अपने मुख से ही, और वह भी नर्क की अग्नि ज्वालाओं के मध्य जलते हुए ही प्रश्नोत्तर भी करवा दिया (खुदा भी कैसा सर्वज्ञ–सर्वशक्तिमान और चमत्कारिक है, कि अभी न तो सृष्टि का सृजन ही हुआ और न कोई–कुछ भी उत्पत्ति ही हुई, सब भविष्य के गर्भ में है कि खुदा ने कलम से ही यह सब कुछ घटित होने के पूर्व ही सम्पूर्ण वृतांत-वार्ता इत्यादि लौह महफ़ूज (सुरक्षित पट्टिका) में लिखवा दिया, तो यह मानना ही पड़ेगा क्योंकि न मानने वाला काफ़िर होकर उसी दोज़ख (नर्क) में सदा के लिये अवश्य ही जायेगा ?) अस्तु,

नर्क की ज्वालाओं में इन जलने वालों को छोड़ कर अब उन लोगों की बात भी सुनिये, जो बहिश्त [स्वर्ग] में शराब कवाब में मदमस्त हो हूरों [अप्सराओं] और गिल्मानों (नारी से भी अति सुन्दर किशोरों) के साथ रागरंग और नृत्य आनन्द में अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। उनकी भी बात सुनिये:—

'वा कालू अल् हम्दो लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वा मा कुन्ना लिनह तदेया लौ ला अन्हदा नल्लाहो, लकद जाअत रुसूलो रब्बना बिल हक्के'

कुरआन, पारा ८, रकू ५।१२

अर्थात-और स्वर्ग-निवासी कहेंगे, जब अपने भवन और स्थान देखेंगे पवित्रता और स्तुति सब खुदा के हेतु है। जिसने हमें

मार्ग दिखाया उसी का फल यह स्थान है। हम अपनी शक्ति से मार्ग नहीं पा सकते थे, यदि वह हमें मार्ग न दिखाता............ और निसन्देह, हमारे रसूल ईश्वर के साथ से अधिकारपूर्वक और हमने उनकी सहायता से तौहीद (अद्वैत) का मार्ग पाया।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ३०७-३०८

उपरोक्त कथन, कैसा हृदय को प्रभावित करने वाला है, और सम्पूर्ण उपदेश या कथन का अभिप्राय स्वर्गवासियों से रसूल (हज़रत मुहम्मद) के सत्य प्रमाणित करने और सन्मार्ग दिखाने से ही है, ताकि रसूल की प्रतिष्ठा भविष्य में भी सुरक्षित रहे।

फिर दोनों ही स्वर्ग और नर्कवासी हाँ में हाँ मिलायेंगे और स्वर्ग निवासी नर्कवासियों को कहेंगे :—

'वा नादा असहाबुल जन्नते असहाबन्नारे अन कद वजदनामा वअदना रब्बना हक्कन फ़हल वजत्तुम्मा वअदा रब्बकुम हक्कन'

कुरआन पारा ८, रकू ५।१२

अर्थात—और स्वर्ग वाले, नर्क-वालों को मुलामत(निन्दनीय) ढंग से कहेंगे, कि हमने यह वस्तु पाई, जिसका खुदा ने हमको वचन दिया था सत्य। फिर तुमने क्या पाया? तुमको तुम्हारे ईश्वर ने जो वचन दिया था दुखों का। नर्क **वाले** कहेंगे-हाँ।

यह नर्क वालों, और स्वर्ग वालों का कलाम (कथन) हमने इस हेतु से लिख दिया, कि यह कथन भी मनुष्योंका ही है, चाहे कहीं भी क्यों न हो? उपरोक्त आयतों से ऐसा प्रतीत होता है, कि स्वर्ग और नर्क इतने समीप है, कि वहां वाले दो पड़ोसियों की भांति परस्पर बातें कर सकते हैं। परन्तु यह नर्क तो बहुत नीचे है और बहिश्त ऊपर, बातें कैसे हो सकती है?

नजर बिन हारस का कथन और उसका दावा

जब बदर के युद्ध में नज़र बिन हारस को मिकदाद ने बंदी बना लिया तो हज़रत मुहम्मद ने उसको कत्ल करने की आज्ञा दी। मिकदाद ने कहा-या हज़रत ! यह तो मेरा बंदी है ? इस पर हज़रत ने कहा-इसका कत्ल आवश्यक है। यह कुरआन को प्राचीन कथाएँ कहता था। (शोक कि ऐसे विद्वान को हज़रत मुहम्मद ने कहानियों को कहानियाँ कहने के दोष में मौत के घाट उतार दिया।)

तफ़सीर मज़हरी, पारा ९, पृष्ठ ८९

तफसीर कादरी में है, कि नज़र बिन हारस फ़ारस के नगरों में व्यापार हेतु गया था। वहाँ से रूस्तम और इसफ़न्द-यार के किस्से मोल लिये और अरबी में अनुवाद कर मक्का में ले आया और कहने लगा-कि मैं जो यह कथाएँ लाया हूं, उन कथाओं से श्रेष्ठ है, जो मुहम्मद पढ़ कर हमें सुनाता है।

तफ़सीर कादरी, १ पृष्ठ ३६५

ऊपर हम कह आये है, कि जब खुदा के कलाम (आयतें) सुनाये जाते हैं तो नज़र बिन हारस कहता है, जैसे:—

'कालू कद समेना लौ नशाओ लकुल्ना मिस्ला हाज़ा इन् हाज़ा इल्ला असा तीरल-अव्वलीन'

कुरआन, पारा ९, रकू ४।१८

अर्थात-तहकीक (निसन्देह) सुना हमने यह कलाम। यदि हम चाहें तो अलबत्ता हम इसके मिस्ल [समान बना सकते है] यह

नहीं है, परन्तु अगले [पूर्व] लोगों की कथाएँ और हमें भी यह कथाएँ स्मरण है।

तफसीर कादरी,-१-पृष्ठ ३६५

इसके उत्तर में हज़रत मुहम्मद ने कहा-यह खुदा का कलाम है। इसके प्रत्युत्तर में नज़र बिन हारस ने जो उत्तर दिया, उससे ज्ञात होता है, कि यह व्यक्ति ईश्वरवादी, दृढ़ विश्वासी और प्रभु भक्त था तथा इसकी अरबी भाषा भी कितनी उच्च है :-

'अल्ला हुमा इन कान हाज़ा हुवल हक्का मिन इन्देका फ़ अमतिर अलैना हिजारतम्मिनस्समाए अवेतेना बिअज़ा बिन अलीम'

कुरआन, पारा ९, रकू ४।१८

अर्थात-जब नज़र और उसके समर्थकों ने कहा-ऐ अल्लाह ! यदि सत्य ही यह कुरआन तेरे पास से उतारा गया है, तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर अज़ाब (कष्ट) दुखः देने और हलाक (मारने) करने वाला ला।

तफसीर कादरी,-१- पृष्ठ ३६५

इब्ने जरीर ने सईद बिन जुबैर के उल्लेख से लिखा है, कि यह बात कहने वाला नज़र बिन हारस ही था।

तफसीर मज़हरी, भाग ५, पृष्ठ ९०

इसका उत्तर हज़रत मुहम्मद ने खुदा के नाम पर यह दिया:-

'वा मा कानल्लाहो लियुअज़िज़बोहुम वा अन्ता फीहिम'

कुरआन पारा ९ रकू ४।१८

अर्थात-और नहीं है खुदा कि अज़ाब करे उन्हें, यद्यपि वह दुआ (प्रार्थना) करके अज़ाब [कष्ट] माँगते हैं और शीघ्रता करते

है, परन्तु स्थिति यह है कि तू उनमें है (अर्थात् हज़रत मुहम्मद उन लोगों में है इस कारण अज़ाब नहीं आ सकता ।)

तफसीर कादरी -१- पृष्ठ ३६५

इस विवरण से तो यह ज्ञात हो गया कि नज़र बिन हारस अरबी भाषा में क़ुरआन जैसी पुस्तक लिख कर लाया था और उसने अपनी पुस्तक के सम्बंध में कहा था-मेरी पुस्तक हज़रत मुहम्मद के क़ुरआन से श्रेष्ठ है ।

हज़रत मुहम्मद के खुदा से आई हुई यह बात कहाँ तक सत्य सिद्ध हुई, कि हज़रत की उपस्थिति में उन पर अज़ाब [कष्ट] नहीं आ सकता, हज़रत के होते अज़ाव आया, जब कि हज़रत मुहम्मद बलशाली हो गया । तब जो उनकी हत्या हुई उसे अज़ाब के नाम से ही सम्बोधित किया गया । अस्तु,

मुसलमान भली प्रकार देख लें कि नज़र बिन हारस की यह उक्त दोनों आयतें क्या क़ुरआन की आयतों के समान है या नहीं ? यदि है, तो तुम्हारा बारम्बार का यह आग्रह कि क़ुरआन की लायत के मिसल (समान) आयत लाओ, दिन के प्रकाश में लोगों की आँखों में धूल झोंकना नहीं है, तो फिर और क्या है? मुसलमान प्रतिदिन क़ुरआन में भिन्न-भिन्न स्थानों पर वर्णित अन्यान्य व्यक्तियों की आयतों का पाठ भी करते रहते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते ही जाते हैं कि क़ुरआन की आयत के समान आयत लाओ ! यह खूब तमाशा है, कि एक आयत तो क्या ? नजर बिन हारस ने तो क़ुरआन जैसी पुस्तक ही बना दी थी, परन्तु जब उसको ही समाप्त कर दिया गया तो फिर इस्लामी शासन में उसका कलाम कैसे सुरक्षित रह सकता था! चलो, हम मुसलमानों को इस दिन-प्रतिदिन की तोतारटन्त को आज समाप्त ही कर देते हैं ।

-:हज़रत महम्मद के समय में अन्य लोगों द्वारा नबव्वत [पैगम्बरी] का दावा और अन्य कुरआन सृजनः-

हज़रत मुहम्मद के समय में ही अन्य और लोगों ने भी नबव्वत (पैगम्बरी) के दावे किये तथा अन्य कुरआन [खुदा की वाणियों] के सृजन भी किये। इन लोगों के विषय में 'अइम्मऐ तलबीस' में उसके लेखक ने लिखा है। जिसे हम संक्षेप में लिख रहे है।

लेखक किताब ने लिखा है, कि कुछ लोगों ने नबव्वत का दावा किया और साथ ही इलहाम [ईश्वरीय ज्ञान] का भी और कुरआन के मानिन्द [समान] आसमानी किताबें भी बनाई।

नबव्वत के दावेदार-

प्रथम—इब्ने सय्याद मदिनी

इब्ने सय्याद मदिनी (इसने) ने नाबालगिय्यत (अल्पवयस्कता) में ही नबव्वत (पैगम्बरी) का दावा किया था, किन्तु इसने कोई पुस्तक कुरआन के समान प्रस्तुत नहीं की।

लेखक ने आगे लिखा है, कि नबव्वत का दावा करने वालों में से जिन्होंने कुरआन की मानिन्द पुस्तकें प्रस्तुत की उनमें प्रथम असवद अनसी है।

— असवदी अनसी —

यह असवद अनसी बड़ा शोबदेबाज़ (मिथ्या चमत्कारी) था। इसके पास एक गधा था, जो उसके कहने मात्र से ही

सिजदा (माथा नमाना) करता था और उठता-बैठता भी था। इस गधे को असवद की आज्ञा मानते देख नजरान निवासी और मज़जह कबीला वाले असवद की नबव्वत के काइल (विश्वासी) हो गये थे। कुछ देशों पर भी उसने अधिकार कर लिया था।

आगे लेखक ने लिखा है, कि असवद नबव्वत का दावा करता था, इस हेतु आवश्यक था कि वह भी कोई आसमानी कलाम अपने जाल में फँसे हुए लोगों के लिये उतारे। उसने कुरआन की नकल करते हुए कुछ अबारते (वाक्य रचना) लिख रखी थी। जिन्हें उसके पैरों (शिष्य) बुरहाने मुकद्दस के सदृश्य विचार करते थे।

लेखक ने उसकी एक आयत का उदाहरण भी दिया है:- **'वल माएसाते मैसन वद्दारेसाते दरसन, युहिज्जूना जमअंव्व फ़रादया अला क़लाएसा बीजिव्वा सुफ़रिन'**

इसके साथ ही लेखक ने कुरआन की आयत भी उदाहरणार्थ प्रस्तुत की है, ताकि आप समझ सकें। कुरआन की आयत :—

'वन्नाजेआते गरकंव्वन्नाशेताते नशतंव्वस्साबेहाते सब्हन'

कुरआन, सूरत नाज़ेआत, पारा ३०

— तलैहा असदी —

तलैहा असदी ने इस्लाम त्याग कर नबव्वत [पैगम्बरी] का दावा किया था। अल्पावधि में ही हजारों व्यक्ति उसके हलकयेघेरा नबव्वत में सम्मिलित हो गये थे। तलैहा ने कुछ मिथ्या

कथाएं जोड़ कर उनका मुसज्जा [वाक्य बंदी] किया था और अपनी नई-नई शरीयत लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। उसकी वही [आयत] की बानगी :—

' वल हमामे वल यमामे वरसर्दे वस्सवामे कद जमना कबल कुम बिलहवामे लियबलु गन्ना मुलकनल अराका वश्शामा '

अर्थात-शपथ है पारिवारिक पक्षियों और वन्य पक्षियों की, और तुर्मती की, जो खुश्क (सूखी) भूमि में रहती है। वर्षो पूर्व भूतकाल से यह निश्चित हो चुका है कि हमारा देश अराक **और शाम** तक विस्तृत हो जायेगा।

अइम्माए तलबीस, पृष्ठ २६

मैं कहता हूं, कि ऐसी कुरआन की आयतें भी बहुत है, किन्तु मैं तुलनात्मक दृष्टि से केवल एक आयत ही लिखता हूं। देखिये कुरआन की निम्न आयत :—

' वल फ़जरे वा लयालिन अशिरंव्वश्शफ़ए दल वत्रे वल्लैलै इज़ा यस्र ।

कुरआन, पारा ३०, सूरत फ़जर

अर्थात-शपथ है प्रातःकाल और दस रात्रियों की और जुफ्त (जोड़े) की ओर ताक (इकाई) की और रात की, जब चलने लगे। (लेखक)

इब्ने तलैहा ने हज़रत मुहम्मद को भी अपने दीन(धर्म) की दावत (निमत्रण) दी थी। हज़रत मुहम्मद ने कहा-तुम झूठे हो। उसने कहा-वह व्यक्ति कैसे झूठा हो सकता है। जिसको लाखों मखलूक (सृष्टि) अपना पथ-प्रदर्शक और मुक्तिदाता मानती हैं।

अइम्मए तलबीस, पृष्ठ १६ से २६

—मुसैलमा बिन कबीर बिन हबीब—

अइम्मए तलबीस का लेखक लिखता है, कि इस्लाम के प्रारम्भ में मुसैलमा सर्वाधिक सफल और उच्चस्तरी मिथ्यावादी नबी (पैगम्बर) था। जब इसने नबव्वत (पैगम्बरी) का दावा किया, इसकी आयु सौ वर्षों से भी अधिक थी। इसका पूर्व नाम रहमाने यमामा था। यह योग्यता में व्याख्यान शक्ति, फ़साहत (उत्कृष्टता) भाषा-विज्ञान आदि में बेमिसाल था। यह भी वही और इलहाम (ईश्वरीय ज्ञान) के फ़साने (कथाएँ) सुना-सुना कर लोगों को अपना मुरीद (भक्त) बनाता था। बनु हनीफ़ा इस्लाम त्याग कर मुसैलमा के पैरौ (शिष्य) बन गये। मुसैलमा के अनुशरणकर्ता कहते थे, कि मुसैलमा पर खुदा ने सहीफ़ा (कुरआन) उतारा था, जो फ़ारूके अव्वल के नाम से प्रसिद्ध था। उनका कथन है, कि इस पुस्तक ने भी बड़े-बड़े विद्वानों की ज़बान बंद कर दी थी। वह लोग कहते हैं, कि खुदा ने मुसैलमा को एक और पुस्तक दी थी, जिसका नाम फ़ारूके सानी है। यह मुसैलमा हज़रत मुहम्मद के पश्चात् भी जीवित रहा। मुसैलमा के शिष्य नमाज़ में फ़ारुके अव्वल की शायरी (काव्य) ही पढ़ते थे।

लेखक अइम्मए तलबीस लिखते हैं, कि अल्लामा खैरूद्दीन आफ़न्दी अलूसी साबिक (भूतपूर्व) वज़ीर तूनस ने किताब अल जवाबुल फ़सीह में अब्दुल मसीह नसरानी का कथन उद्धृत किया है, कि मैंने मुसैलमा का सम्पूर्ण मुस्हिफ पढ़ा है। जिससे ज्ञात होता है कि उसने एक ज़ख़ीम किताब (वृहद ग्रंथ) ही बना डाली थी और यह दावा था, कि यह एक इलहामी (ईश्वरीय ज्ञान की) पुस्तक है।

– मुसैलमा की वही (आयतों) का उदाहरण –

मुसैलमा की वही का उदाहरण निम्नानुसार है:—

सब्वेह इस्मा रब्बेकल आलल्लाजी यस्सिर अलल हुबला मा खरजा मिनहुमा नस्मतिन तस्आ मिश्बैना अजलाआ वा हशेया फमिन्हुम मंय्यमूतो व यदेसा फिस्सरा वा मिन हुम मंय्यईशो वा यब्क़ा इला अजलिन वा मुन्तहा वल्लाहो यालमुस्सिर्रा वा अखफा व ला तुखफा अलैहिल आखिरते वल ऊला अजकुरू नेमतल्लाहे अलैकुम वशकुरू हा इज जअलश्शमसा सिराजन वलगैसा फजा- जंव्व जअला लकुम कबाशन वा नआजन वा फिज्जतिंव्वा जुजा- जंव्वा जहबव्वा दीबाजम्मिन नेमतेही अलैकुम अन अखरजा लकुम्मिनल अर्जे रूमानंव्वा अनबंव्वा रीहानंव्वा हिन्ततंव्वा ज्वा- नन वल्लेलुद्दाम सो वज्जाबिल हमाभसो मा कवातु असीदो मिन रतबे व ला याबिसे वल्लैलो असहमा वद्दब्बुल अदलमा वल जिज- उल अजलमा मा इन्तहकत असीदो मिम्महर मिन वा काना यक- सदो बिजालेका नुसरतन उसादो अला खसूमतिन लहुम वश्शआ वा अलवानहा वा आजबहस्सौदा वा अलबानहा वश्शातस्सौदाआ वल्लब्नल अबयजो इन्नहू ल अजबुन महजन इन्ना आतैनाकल ज्वाहिरा फसल्ले लिरब्बेका वा हाजरान मब्गजकल फाजिरह वल मब्दियाते जरअन वल हासेदाते हसदन वद्दारेसात कमहन वत्ताहेनाते तहनन वल खाबेजाते खब्जन वश्शारेदाते शरदन वल्लामेकाते लकमन लहमंव्वा समनन लकद फुज्जलतोकुम अला अहलिल वबरे वा मा सबककुम अहलल मदरे रफीककुम फमन- ऊहो वल मोतरेफन वव्हो वल बागी फनाव्ऊहो वश्शमसो वज्जो हा हा वा जूएहा व वजलालेहा वल्लैले इजा अदाहा यत- लबोहा लियगशाहा अदरकहा हत्ता अताहा वा अतफा नूरेहा

फमहाहा वा कद हरमल मज़्का फकाला मालकुम ला ताजऊनं'

हमने यह लम्बी इबारत इस हेतु लिखी कि इसे पढ़ कर मुसैलमा के मुस्हिफ (कुरआन) का भली प्रकार ज्ञान हो जाये कि मुसलमानों के कुरआन के समान ही उसकी भी भाषा है या कुछ अन्तर है ? कुछ भी हो, मुसलमानों का यह दावा तो नितान्त ही मिथ्या है, कि कोई आयत कुरआन के मिसल (समान) लाओ। आयत क्या ? नज़र बिन हारस और मुसैलमा ने तो पूरा का पूरा कुरआन ही बना दिया। नजर बिन हारस भी एक विद्वान व्यक्ति था, परन्तु मुसैलमा तो उस समय का एक अद्वितीय विद्वान माना जाता था। अस्तु—

अइम्मए तलबीस के लेखक ने लिखा है, कि मुसैलमा ने कुरआन की सूरत आदियात जैसी एक सूरत बनाई है। यह सूरत कुरआन के पारा ३० में है। हम दोनों सूरतों को अर्थ सहित पाठकों की जानकारी हेतु लिख रहे हैं। कुरआना पारा ३० की सूरत आदियात निम्न है :—

'वल् आदियाते ज़ब्हन० फल् मूरियाते कद्हन, फल मुगीराते सुब्हन फ असर्न बिही नक्अन फ वसत्ना बिही जम्अन इन्नल इन्साना लिरब्बेही लकनूद० व इन्नाहू अला ज़ालिका लशहीद् वा इन्नाहू लिहुब्बिल खैरे लशदीद अफ़ला यालमो इज़ा बोसिरा मा फ़िल कुबूर वा हुस्सेला मा फ़िस्सदूर, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमए ज़िल्लखबीर'

खुरआन, पारा ३०, सूरत आदियात

अर्थात—शपथ है हांप कर घोड़े दौड़ाने वालों की, फिर पत्थर झाड़ कर आग निकालने वालों की। फिर गांवों मारने वालों की प्रातः कर, पस, इसके साथ उठाते हैं गुबार (धूल का चक्रवात) को, पस, उस समय बैठ जाते हैं, उस जमात के साथ। निसन्देह मनुष्य अपने ईश्वर (रब्ब) के साथ अलबत्ता नाशुक्रगुजार (कृतघ्न) है और तहकीक (निसंदेह) वह इस बात पर अवश्य साक्षी है, और माल की मुहब्बत (सम्पदा के प्रेम) में अलबत्ता कठोर है। क्या पस, नहीं जानता कि जब कब्रों से उठाये जायेंगे और जो कुछ सीनों (वक्ष) के मध्य हैं, प्राप्त किया जावेगा, और तहकीक (निसंदेह) उनका ईश्वर उस दिन उनके हेतु सावधान है।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, कुरआन.

अब मुसैलमा की सूरत, जो उक्त सूरत के समान है। वह देखिये :—

वज़ारिआते ज़र्अन वल् हासिदाते हसदन वज़ारियाते कम-हन वत्ताहिनाते तहनन वल् खाबिजाते खुब्ज़न वस्सारिदाते सर-दन वल्लाकिमाते लक्मन अहालतन वा सम्नन लकद फज़लतुम अला अहलिल वब्रे वा मा सब्क़कुम अहलिल मदरे रीफकुम फम्नऊ हो फल्माना फावूहो वल्बागी फतव्वूहो।'

अर्थात–शपथ है खेती करने वालों की, और शपथ है खेती काटने वालों की, और शपथ है भूसा स्वच्छ करने हेतु गेहूं को हवा में उड़ाने वालों की, ओर शपथ है आटा पीसने वालों की, और शपथ है रोटी पकाने वालों की, और शपथ है सालन (माँस) पकाने वालों की, और शपथ है तैल और घी के लुकमे

(कौर) खाने वालों की, कि तुमको सूफवाले (बनवासी) अरबों पर फ़ज़ीलत (बड़प्पन) दी गई है, और मिट्टी वाले (मकान बनाने वाले शहरी अरब) तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम अपनी रूखी-सूखी रोटी की रक्षा करो। अनाथ और दुखियों को शरण दो। याचक और भिक्षुक को अपने पास ठहराओ।

अइम्मए तलबीस, पृष्ठ ३३

उपरोक्त दोनों सूरतों की वाक्यरचना और शैली में तो कोई अन्तर अनुभव नहीं होता, किन्तु दोनों के अर्थों में अत्याधिक अन्तर ज्ञात होगा।

मुसैलमा की सूरत में एक ही विषय प्रारम्भ से समाप्ति तक प्रतिपादित है। अन्तिम वाक्य भी उससे सम्बन्धित है। दी गई शपथों का उत्तर अपनी प्रतिष्ठा और अरबों की निकृष्टता का द्योतक है। परन्तु कुरआन की सूरत का विषय प्रत्येक वाक्य में भिन्न भिन्न है। ऐसा ज्ञात होता है, जैसे जहाँ से भी वाक्यपूर्ति हेतु गठित सामग्री उपलब्ध हुई, वहाँ से ही संलग्न कर दी गई।

आप देखेंगे, कि प्रथम आयत में घोड़ों की शपथ और द्वितीय आयत में गांवों को मारना और फिर धूल उड़ाना है, फिर मनुष्य के ना शुक्रगुज़ारी (कृतघ्नता) का उल्लेख। फिर उनके कर्मों को देखना है। कब्रों से उठाने की चर्चा है। माल की मुहब्बत का भी उल्लेख इत्यादि है। विषय में शृंखला बद्धता का कौशल नहीं है।

आगे कुरआन में ऊँट के लिये लिखा है, तो मुसैलमा ने हाथी के विषय में लिख दिया है। देखिये कुरआन की आयत:-

'अफ़ला यन्ज़ुरूना इलल इबिले कैफ़ा ख़ुलेक़त'

कुरआन, पारा ३०, रकू ११।१३

अर्थात क्या ऊँटों की ओर नहीं देखते ? क्यों कर उत्पन्न किये गये है। अब मुसैलमा की आयत को भी देखिये। आयतः—
'अलफ़ीलो व मलफीलो लहू जंबुव्व बोलुन वा खुरतूमुन तवीलुन इन्ना ज़ालिका मिन खल्के रब्बेनल जलील'

अर्थात–हाथो ! और वह हाथी क्या है ? उसकी बदनुमा दुम (बेढंगी पूँछ) और लम्बी सून्ड, यह हमारे रब्बे जलील (महान उत्कृष्ट) की मखलूक [कृति] है।

हमने मुसैलमा के मुस्हिफ [कुरआन] की पर्याप्त आयतें लिख दी है, ताकि लोग इस भ्रान्ति से बचे कि कुरआन के समान आयत नहीं बनती। और न किसी ने बनाई।

मुसैलमा के अनेक चमत्कार प्रसिद्ध है। उनमें से उसके मुरीद [भक्त] मुहम्मद कुलो ने बताया-कि मुसैलमा के संकेत से चाँद उतर आया और उसकी गोदि में बैठ गया।

अइम्मए तलबीस, पृष्ठ ३५

—मुख़तार इब्ने उबैद सक्फ़ी—

अइम्मए तलबीस के लेखक ने आगे कुरआन बनाने वालों में मुख़तार इब्ने उबैद सक्फ़ी का नाम लिखा है। यह मुख़तार वही है, जिसने कर्बला में शहीद होने वालों का प्रतिशोध लिया था। इसके विषय में लिखा है-यह एक महान उच्च श्रेणी के सहाबियों [मित्रों] में से था। जब यह हज़रत हुसेन के हत्यारों को मौत के घाट उतार चुका, तो अत्याधिक जनप्रिय हो गया। आखिर इसने पैगम्बरी का दावा कर दिया।

उक्त उद्धरण 'अल फ़र्क' पृष्ठ ३४ और तिबारी, भाग ७, पृष्ठ १३१ से लिया गया है।

-अइम्मए तलबीस, पृष्ठ ७६

आगे लिखा है, कि मुख़्तार के हालात वा वांकेआत ने गैर मामूली तवालत इख़्तेयार कर ली, अर्थात-उसके क्रिया कलाप असाधारण रूपसे असीमित बढ़ गये।

जो महाशय ! उसकी छन्द योजना और उच्च वाक्य रचना देखना चाहें वह अब्दुल काहिर की पुस्तक 'अल फ़र्क बैलन फर्क' पृष्ठ ३४-३५ और किताबुद्द आत, पृष्ठ ६४-६५ में देख सकते हैं।

अइम्मए तलबीस, पृष्ठ ८७

हमें उपरोक्त उल्लेखित दोनों पुस्तके उपलब्ध नहीं हो सकी परन्तु हमारे दावे के हेतु इतना ही पर्याप्त है, कि मुख़्तार ने पैग़म्बरी का दावा किया था और अपने इलहाम (ईश्वरीय ज्ञान) का एक कुरआन भी बनाया था जिसका भाषा अति उच्च श्रेणी की थी यह 'अइम्माए तलबीस' के लेखन ने लिख ही दिया है।

-:सालिहा द्वारा पैग़म्बरी का दावा और उसका कुरआन:-

अइम्मए तलबीस का लेखक लिखता है, कि सालिहा कहता था, कि मुझे भी हज़रत मुहम्मद की भांति इलहाम (ईश्वरीय ज्ञान) होता है। और कुरआन उतरता है। चुनांचे

उसने अपनी कौम के समक्ष जो कुरआन प्रस्तुत किया, उसमें ८० सूरते थी और उसकी सूरतों के नाम भी आदम, नूह, मूसा, फिरऔन तथा हारून आदि थे। अन्तीम सूतर का नाम गराए बुहुनिया था। उसके मुरीदों (भक्तों) के सिद्धान्तानुसार इसमें अनेक इसरार (रहस्य) और हकाइक (वास्तविक) दर्ज थे। इसने हिज्री १२५ या १२७ में नबूवत का दावा किया था।

सालिहा ४७ वर्षों तक नबव्वत के दावे सहित अपनी कौम का धार्मिक व सांसारिक हाकिम (शासक) रहा और फिर हिज़री १७४ में ताजो तख्त (राज्य सिंहासन) से पृथक होकर पूर्व की ओर चला गया तथा एकान्त स्थान में जाकर बैठ गया। सालिहा ने जाते समय अपने बेटे इलियास को वसिय्यत की, कि मेरे धर्म पर दृढ़ रहना। इलियास से लेकर जितने, इनके स्थानापन्न हुए। वह पाँचवी सदी हिज़री के मध्य तक उसके ताजो तख्त और धर्म के उत्तराधिकारी रहे।

अइम्मए तलबीस, पृष्ठ १०४-१०५

सालिहा के वंशजों ने लगभग ३२५ वर्षों तक राज्य किया। सालिहा ने जो कुरआन प्रस्तुत किया वह कुरआन, इस कुरआन से तनिक संक्षिप्त है, क्योंकि इस कुरआन में कुल ११४ सूरतें हैं और सालिहा के कुरआन में ८० सूरतें ही थी। अस्तु,

हमें तो केवल यह सिद्ध करना था कि सालिहा ने भी अपना कुरआन बनाया था। अन्य मुसलमानों का यह कथन कि झूठा नबी (पैगम्बर) हलाक (नष्ट) हो जाता है, मिथ्या है,

क्योकि यह तो ३२५ वर्षों के लगभग राज्य करते रहे और हलाक न हुए ?

हम इस बात को पाठकों के सम्मुख रख रहे थे कि मुसलमानों का यह दावा सर्वथा भ्रान्तिजनक है; कि कुरआन के समान [मिसल] आयत लाओ ! मैंने पर्याप्त प्रमाण इस विषय में आपके सम्मुख प्रस्तुत किये, कि कुरआन जैसी पुस्तकें अनेक लोगों ने लिखी है और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किये। मुसलमान जन तो सम्भवतः अब भी न स्वीकारे, परन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन अकाट्य प्रमाणों को देख कर अन्य सज्जन उनके इस भ्रम से बचेंगे ।

हज़रत मुहम्मद से लेकर आज तक पैगम्बरी के कितने दावेदार हुए । उनके नामों और कामों का एक वृहद ग्रन्थ बन सकता हैं ! उन सभी ने पैगम्बरी का दावा किया है और इलहाम का भी ।

आप दूर क्यों जाते है, अभी एक शतक पूर्व सन् १८६३ में मिस्टर वहाउल्लाह ईरानी ने पैगम्बरी और अवतार होने का दावा किया था और अपना बहाई सम्प्रदाय चलाया तथा इस्लाम को बचपन के समय का मजहब बताकर समाप्त करना चाहा एवँ कुरआन की प्रतिद्वन्दता में पुस्तक 'किताबे अकदस' और उसके गुरु बाव ने 'किताबे मुबीन' और 'किताबे बयान' को लिखा। रोजे २० कर दिये, नमाज़ें ३ रख दीं और नमाजों में कुरआन की तलावत (पाठ करना) निरस्त कर अपनी अरबी आयतों का पाठ प्रारम्भ करवा दिया। अब बहाई लोग वहाउल्लाह के बहाई मत का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं ।

इसी प्रकार इन बहाईयों के सदृश्य ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी नबव्वत और इलहाम का दावा किया। ऐसी स्थिति में यदि उनका इलहाम भी खुदा की ओर से माना जाये तो वह भी कुरआन से घटिया कैसे हो सकता है ?

विचारणीय है कि जब हमारे सम्मुख न्यायालय का एक साधारण मुंशी पैगम्बरी और इलहाम का दावा कर सकता है तथा उसकी पुस्तकें भी हैं, जो समाप्त नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में भी आप अब भी कुरआन की मिसल (समान) आयत ढूँढ रहे हैं ? बड़ी आश्चर्यजनक बात है ! अस्तु

इस विषय को हमने 'कुरआन में विविध लोगों के कलाम' में इस हेतु सम्मिलित कर लिया कि वास्तव में यह एक ही विषय है। अन्यान्य लोगों के कलाम कुरआन में प्रत्यक्ष आयतों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हज़रत मुहम्मद के समय ही में कितने कुरआन बने और इस्लामी शासन के कारण नष्ट हो गये। यह कहना कठिन ही नहीं अपितु प्रायः असम्भव सा है। अतः इस विषय को यहाँ ही समाप्त कर हम अपने उसी विषय को प्रारम्भ करते हैं । हमारा विषय है, कुरआन में विभिन्न लोगों का कलाम। उनका कथन है कि **यकूलूना:—**
'हाउलाए शुफ़ आओ ना इंदल्लाहे'

कुरआन, पारा ११, रकू २/७

अर्थात–(काफिर कहते हैं) कि यह बुत (मूर्ति) हमारी शफाअत (सिफ़ारिश) करने वाले हैं, खुदा के पास।
पुनः आगे कहते हैं :—
'मता हाज़ल वादा इन कुन्तम सादेकीन'

कुरआन, पारा २१ रकू ५।१०

अर्थात–वह वादा कब पूर्ण होगा, यदि तुम सच्चे हो।
यह भी कथन खुदा का नहीं अपितु अन्य का कथन है। वास्तव में सत्यता यह है कि इस प्रकार अन्य लोगों के छोटे–छोटे वाक्य दे कर कुरआन को दिलचस्प (मनोरंजन) बनाया गया है। आगे जो निम्न आयत है, वह भी काफ़िरों का कथन है।

देखिये आयतः—

'आ इज़ा कुन्ना तुराबन आ इन्ना लफ़ी ख़लकिन जदीद'

कुरआन, पारा १३, रकू १७

अर्थात- (वह कहते हैं) जब हम मृत्यु के पश्चात ख़ाक (मिट्टी) हो जायेंगे, तो क्या नये जन्म में होंगे ?

आगे पुनः आयतः—

'यकूलुल्ला जीना कफरू लौ ला उन्ज़िला अलैहे आयतुम्मिन रब्बेही'

कुरआन, पारा १३, रकू १।७

अर्थात–(काफिर कहते हैं) क्यों नहीं खुदा की ओर से हज़रत मुहम्मद पर निशानियाँ भेजी जाती है ? जैसी हज़रत मूसा पर आती थी। इसका उत्तर हज़रत मुहम्मद ने निम्न प्रकार दियाः—

'इन्नमा अन्ता मुन्जिरुन' अर्थात—में तो डराने वाला हूं।

वह (काफ़िर) लोग हज़रत मुहम्मद को दीवाना कहते थेः—

'या अय्यो हल्लज़ी नुज़िज़ला अलै हिज़्ज़िकरो इन्नका लमजनून लौ मा तातीना बिल् मलाएकते इन कुन्ता मिनस्सादेकीन'

कुरआन, पारा १४, रकू ११

अर्थात-ऐ! तू वह व्यक्ति, जो कुरआन के उतरने का दावा करता है, निसन्देह, तू दीवाना है। यदि तू सच्चा है, तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता।
आयतों के परिवर्तन पर वह लोग हज़रत मुहम्मद को झुठ बाँधने वाला कहते थेः—

'कालू इन्नमा अन्ता मुफ़्तरिन'

कुरआन, पारा १४, रकू १४ १३ तू६

(जब हम एक आयत के बदले दुसरी आयत रखते हैं।)
अर्थात–निसन्देह; तू मुफ़तरी (झूठ बांधने वाला) है; खुदा पर इफ्तरा (झूठ बांधता है) और अपनी ओर से बाते बना लेता है।

तफसीर कादरी १ पृष्ठ ५८१

—मिट्टी होने के पश्चात कैसे जीएँगे—

आयतः—
'कालू आ इज़ा कुन्ना अज़ामंव्वा रो फ़ातन आ इन्ना लमब्ऊसूना ख़ल्कन जदीदा'

कुरआन, पारा १५ रकू ५।५

अर्थात–जब हम हड्डियां और गले हुए हो जायेंगे, तो तो क्या नई पैदाअश [उत्पत्ति] में उत्पन्न किये जायें।

उनका अभिप्राय है, कि शरीर तो सड़-गल जायेगा, कोई जल जायेगा, किसी को दरिन्दे [क्रूर पशु] खा जायेंगे, शरीर के जलने पर समस्त तत्व [अनासर] पृथक-पृथक हो, अपने अपने तत्वों में मिल जायेंगे, तो फिर वह शरीर कैसे बन सकते है ?;

–चमत्कार दिखाओ, मुसलमान हो जाएँगे ?–

हज़रत मुहम्मद के समय में अरब में अधिकतर यहूदी और ईसाई लोग रहते थे। वह लोग अपनी पुस्तकों में प्राचीन पैगम्बरों के चमत्कार पढ़ते थे। इसीलिए उन्होंने हज़रत मुहम्मद से भी चमत्कार दिखाने को कहा:—

'कालू लन्नोमिना लका हत्ता तफ्जुरा लना मिनल अर्ज़ यम्बूअन, औ तकूना लका जन्नतुम्मिनखी लिव्वा इनबिन फ़तु फ़ज्जेरल अनहारा खलालहा तफ़जीरा औ तुस्कितस्मा आ कमा ज़अम्ता अलैना किसफ़न औ तातिया बिल्लाहे वल मलाएकते कबोला औ यकूना लका बैतुम्मिन जुखरो फिन औ तर्का फ़िस्समाए वा लन्नामेना लिरोकिय्येका हत्ता तुनज्जेला अलैना किताबन्नकर ऊहो'

कुरआन. पारा १५, रकू १०।१०

अर्थात–हम तुझ [हज़रत मुहम्मद] पर कभी भी ईमान [विश्वास] नहीं लाएँगे। यहाँ तक कि धरती से पानी के चश्में [सोते] भर दे, जो कभी पानी की कमी न करें, या तेरे हेतु खुरमें और अंगूरों के वृक्षों के उद्यान हों और उनके मध्य पानी को नहरें आरम्भ कर, या हम पर तू आसमान को खंड-खंड कर डाल जैसे तूने घमण्ड किया और वईद या खुदा और फरिश्तों को प्रकट कर हमें प्रत्यक्ष दिखा; या उन्हें अपनी रसालत [पैग़म्बरी] पर साक्षी ला, या कोई सोने का घर [गृह] तेरे हेतु हो वहां बैठ, या आसमान पर चढ़ जा, और न विश्वास करेंगे तेरे आसमान पर चढ़ जाने का, जब तक कि तू हम पर किताब उतार लाये; और हम उसको पढ़ें कि उसमें तेरी तस्दीक

[प्रमाणित होना] लिखी हो। उपरोक्त मांगे उन लोगों ने मुसलमान होने हेतु प्रस्तुत की। जिसका उत्तर हज़रत मुहम्मद ने मात्र यह दिया:—'हलकुन्तो इल्ला बशररसूला' अर्थात-किन्तु में बशर [मनुष्य] हूँ, और संदेशवाहक हूँ।

अभी तक तो वह लोग छोटे-छोटे वाक्य कहते थे, किन्तु उपरोक्त कथन, यह तो अत्याधिक विस्तृत है। कुरआन की अरबी के साथ इस कथन की अरबी की तुलना कर देखिये? कैसी उच्चस्तरीय यह अरबी भाषा है। अरबके लोगों ने हज़रत मुहम्मद के सम्मुख जो बातें कही वह क्या मुसलमानों को कुर-आन में यह आयतें नहीं दिखाई देती? किन्तु दिखाई भी दें तो क्या अर्थ है? क्योंकि स्वयँ हज़रत मुहम्मद, जिनके साथ वह बात-चीत करते थे, उन को भी दृष्टिगोचर नहीं हुई और खुदाको भी ज्ञात न हो सका, और प्रतिदिन उनके सम्मुख इस प्रकार की आयतें आती गई। प्रतिदिन मुसैलमा और नज़र जैसे लोग कुरआन बना-बना कर सर्वसाधारण के सम्मुख रखते रहे किन्तु यह तो रट लगाते ही रहे कि कुरआन कि आयत के समान आयत लाओ!

आजकल के मुसलमान तो तोतारटंत के सदृश्य है, वह तो यह रट लगाते ही रहेंगे कि कुरआन की आयत के समान आयत लाओ, इन बेचारों का क्या दोष है? आजकल के मुसलमान हज़रत मुहम्मद के चमत्कारों का बखान कर लोगों को बहका रहे हैं, किन्तु हज़रत मुहम्मद के सम्मुख ही अरब के लोग बारम्बार चमत्कारो की माँग करते रहे किन्तु उनको चमत्कार तो देखने को नहीं मिले और उसके बदले में तलवार की धार अवश्य देखने हेतु मिली।

आगे है, कि दोनों में कौन उत्तम है (काफिरों की अरबी देखते जाएँ) :—

वा कालल्लज़ीना कफ़रू लिल्ला ज़ीन आमनू अय्युल फ़रीक़ैन खैरुम्मका मंव्वा अहसनो नदिय्या'

कुरआन, पारा १६, रकू ५/८

अर्थात–(क़ुरैश के आगेवान मुसलमानों से कहते हैं) दोनों समूहों में से कौन सा समूह उत्तम है तुम या हम ? मकान और स्थान की दृष्टि से हमारे मकान अति उत्तम है, और जीवनयापन की समस्त वस्तुएँ हमारे हेतु प्राप्य है, और तुम्हारे पास न बैठने को स्थान है और न मुँह को कौर [निवाला] किसकी सभा सुसज्जित और आरास्ता व बारौनक [व्यवस्थित व रमणीक] है, और हमारे समाज में सब सरदार और चरित्र-वान है और तुम्हारी सभा में दास [गुलाम] व निर्बल है ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २३

इस आयत से प्रतीत होता है, कि उस समय मुसलमानों की स्थिति दयनीय थी । अस्तुः हमें क्या कोई गुलाम हो या कोई सरदार हो ? हमें तो मुसलमानों से मात्र यही कहना है, कि अपने खुदा के कुरआन की अरबी से इन अरबों की अरबी मिलाते जाओ, आपको कुछ अन्तर तो नहीं दिखाई देता ?

—: कुरआन कवि का काव्य है :—

आयत :—

'वल कालू अज़ग़ासो अहलामिन बलिफ़तराहो बल हुवा शाएरुन,

फ़ल्यातेना बिआयतिन कमा उर्सिलल अव्वलून'

कुरआन, पारा १७, ११

अर्थात—उन लोगों ने कहा- कुरआन बातें हैं, जैसे ख्वाब परेशान (बेचैन) अर्थात हर स्थान से गंदा (बिखरा हुआ) और वह ऐसा भी नहीं, अपितु बंदिश कर लिया गया है अपनी ओर से और खुदा का नाम झूठा लिया है, और वह ऐसा भी नहीं, अपितु वह कवि है, कविता कहता है और श्रोतागणों के विचारों में मात्र अवास्तविक मजमून (विषय) स्थापित करता है।

तात्पर्य यह है कि काफ़िर लोग हज़रत (मुहम्मद) को विवश और बेचैन होकर कभी तो आपको जादूगर (तांत्रिक) कहते, कभी कवि, कभी मिथ्याभाषी और कभी उखड़ी हुई परेशान बातें करने वाला कहते हैं, और फिर यह भी कहते हैं, कि यदि ऐसा नहीं है तो चाहिये कि हमारे हेतु कोई चमत्कार लाये। जैसे कि भूतपूर्व पैग़म्बर चमत्कार सहित भेजे गये थे। जैसे-ऊँटनी, **असा, यदे बैजा, मर्दे जलाना आदि**

तफ़सीर कादरी, भाग २, पृष्ठ-५०-५१

हूद के सरदार भी ऐसा ही कहते थे। मध्य में तनिक चर्चा उपस्थित है, सो उनकी भी सुन लें। हाँ कुरआन की अरबी से इनकी अरबी की तुलना भी करते जायें। हूद के सरदार कहते थे :—

'मा हाज़ा इल्ला बशरुम्मिस्लो कुम यकुलो मिम्मा ताकुलूना मिन्हो वा यश्रबो मिम्मा तश्रबूना वा लइन अतातुम बशरम्मिस्लकुम इन्न कुम इज़ल्ला खासिरून, अयाइदो कुम अन्न

कुम इज़ा मित्तुम वा कुन्तुम तुराबंव्वा इज़ामन अन्नकुम्मुख़रजून हैहाता व हैहाता लिमा तूअदून, इन् हिया इल्ला हयातु नद्दुनिया नमूतो वा नहया वा मा नहनो बिमब्ऊसीन, इन् हुवा इल्ला रजोलुन निफ़्तरा अलल्लाहे कज़ेबंव्वा मा नहनो लहू बिमोमिनीन'

कुरआन, पारा १८, रकू ३।३

अर्थात-यह रसूल (पैगम्बर) नहीं है जो हक (सत्य) की ओर बुलाता है, अपितु तुम्हारे समान मनुष्य है। जिसमें से हम खाते है, उसमें से खाता है, और जिसमें तुम पीते हो, उसमें पीता है, । यदि नबी होता तो उसमें फ़रिश्तों के गुण होते। वह न खाता, न पीता । यदि तुम विधि और निषेध में उस व्यक्ति की आज्ञा पालन करोगे, जो कि तुम्हारे ही सदृश्य है, तो अवश्य हानि उठओगे। जब तुम अपने जैसे मनुष्य के आज्ञाकारी और अधीनस्थ हो जाओगे ! क्या यह वचन देता है, कि जब तुम मर जाओगे और तुम्हारी हड्डियाँ गल-सड़ जायेगी, तो तुम कब्रों से जीवित कर बाहर लाये जाओगे ? दूर है, दूर यह कयामत (प्रलय) का वचन, अर्थात कदापि ऐसा नहीं हो सकता। यह जीवन हमारा नहीं है किन्तु हम मरते है, और जीते हैं (आवागमन करते हैं) और हम कब्रों से उठाये जाने वाले नहीं है। यह मर्द सालेहा (नेक मनुष्य) नहीं है, किन्तु खुदा पर झूठ बाँधता है, जो यह कहता है कि खुदा ने मुझे रसूल बना कर भेजा है। हम तो उस पर और उसकी बात को स्वीकार करने वाले नहीं।

उस रसूल की कौम के सरदारों में से एक समूह ने, जो विश्वास नहीं करते थे, (उपरोक्त) वचन कहे और कयामत को असत्य समझा तथा संसार में धन-सम्पदा व सन्तान जिनको प्राप्त था

और अत्याधिक ऐश्वर्य (अमीरी) में पले थे। उनमें से कुछ, कुछ से (उपरोक्त) बोले)

तफसीर कादरी, पारा १८, पृष्ठ ६७

आपने देख लिया कि यह लोग खुदा के कैसे अनन्य भक्त हैं, कि किसी मनुष्य की बात पर, जो उनकी बुद्धि को स्वीकार नहीं, दास होने को तत्पर नहीं, और यह बात भी कैसी लचर और मिथ्या है कि यह शरीर ही मिट्टी में मिला, यही मनुष्य बनेगा ? जो कि इस संसार में नहीं है। कल्पना करो कि एक ज़ैद नामक व्यक्ति को मछलियों ने खा लिया, दरिन्दों ने खा लिया तो क्या खुदा उन सबके मल (विष्ठा) से उस व्यक्ति के शारीरिक तत्वों को एकत्रित करेगा ? और फिर वह मल भी तो मिट्टी हो कर अपने-अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। मिट्टी का तत्व मिट्टी में, जल का जल में और वायु का तत्व वायु में, तो यह सम्मिलित तत्व अपने तत्वों के समूह से पृथक कैसे हो सकते हैं ? कल्पना कीजिये कि आपने एक कुएँ के जल का एक लोटा भरा है, एक बाल्टी जल अन्य दुसरे कुएँ का है। उन दोनों पृथक-पृथक कुओं के जल को आपने एकाकार कर दिया तो फिर वह पृथक-पृथक कुओं का जल कैसे पृथक हो सकता है ? यह असम्भव है !

मुसलमान जन इस असम्भव बात को कादिरे मुतलक (सर्वशक्तिमान) की छाया में लाकर असत्य परिणाम निकालते हैं। आकाश-कुसुमों की माला नहीं होती। बाँझ के पुत्र नहीं होता। किन्तु इन मुसलमानों का मन और मस्तिष्क एक व्यक्ति की दासता में ऐसा जकड़ा हुआ है, वह कहते हैं-वह स्त्री तीन काल बाँझ ही रहेगी किन्तु उसके पुत्र का विवाह भी हो जायेगा

यही बात वह लोग कहते थे, कि कब्र में मिट्टी हुआ और सड़ी-गली हड्डियों से वही शरीर कैसे बन जायेगा ?

हमारा कथन है, कि खुदा पूर्व शरीर से अति श्रेष्ठ शरीर चाहे जब बना ले किन्तु वही शरीर, जो कब्र में सड़-गल कर मिट्टी हो गया, या जल गया, या मछलियों या दरिन्दों द्वारा खा लिया गया हो, वह कैसे बन सकता है ? मुझे फिजी निवासी पण्डित श्री हरदयाल शर्मा ने बताया-कि जब हम आरम्भ में फ़िजी गये तो वहाँ के आदिवासियों ने सैकड़ों मनुष्यों को अपना आहार बना लिया । अब आदिवासियों द्वारा भक्ष्य मनुष्यों के शरीर तो उन आदिवासियों का मल (पखाना) बन गया । मल बने हुए मनुष्य शरीरों के तत्वों को क्या खुदा कब्रों में ढूँढता फिरेगा ? कैसी असम्भव बात है ! अतः यह कयामत (प्रलय) का ढकोसला भी मिथ्या और मनगढ़न्त गढ़ा गया है, इसमें कोई सत्य-तथ्य नहीं है ।

यह कुरआन खुदा का कथन नहीं, मिथ्या है ।

लोग कहते हैं, कि हज़रत मुहम्मद जो कुरआन लाए हैं, वह :—

' इन हाज़ा इल्ला इफकुन निफ़्तराहो वा अआनहू अलैहे कौमुन आखरून फ़कद जाऊ जुल्मंव्वजूरा, वा कालू अला तीरुल अव्वलीनक्ततबहा फ़हिया तुमला अलैहे बुकरतव्वा असीला '

कुरआन, पारा १८, रकू ११६

अर्थात-नहीं है यह कुरआन, जो मुहम्मद हमारे पास लाये हैं, किन्तु उसने स्वयँ ने मिथ्या बाँध (गढ़) लिया है, और सहायता

दी है उसे वह मिथ्या बनाने पर एक और कौम ने, जैसे जब्र और यसार, या अदास, या फ़कह रूमी, अर्थात वह लोग अगली (पूर्व की) बातें हज़रत मुहम्मद को कहते हैं, और वह अरबी भाषा में हमें सुनाता है, तो निसन्देह उस कौम के लोग असत्य और अत्याचार पर उतर आये हैं। .... और वह कहते हैं—कुरआन मिथ्या है, और एक कौम की सहायता से बनाया जाता है। वह शिर्क (अन्य खुदा) और जुल्म (अत्याचार) और और वोहतान (आरोप लगाने) पर है, और कहते हैं, कि मुह-म्मद, अरबी का कलाम (कथन) तो प्राचीन कहानियां है, जो पुस्तकों में लिखी है, उन्हें लिखवाता है। उसके सम्मुख लिखा हुआ पढ़ा जाता है, जिसे वह स्मरण (कंठस्थ) कर लेता है और हमारे सम्मुख पढ़ कर कहता है कि वही (आयत) है।

तफसीर कादरी, भाग २; पृष्ठ १३४

फिर कुरैश के सरदारों अबू जेहल, अतबा और आस आदि ने कहा—कि यह मुहम्मद जादूगर है, या फिर इस पर जादू किया गया है। कहते हैं :—

'माले हाज़ रसूले याकुलुत्तोआमा वा यमशी फ़िल् अस्वाके लौ ला उलिज़ला अलैहे मलकुन फ़यकुना मआहू नज़ीरा, वा युल्का इलैहे कन्जुन औ तकूनों लहू जन्नतुंय्याकुलो मिनहा वा काल-ज्जालिमूना इन तत्तबेऊना इंल्ला रजुलम्मसहूरा'

कुरआन, पारा १८, रकू ११६

अर्थात-उसको क्या हो गया है, कि पैगम्बरी का दावा करता है ? लोगों की भाँति भोजन करता है, और निर्वाह हेतु बाजारों में चलता-फिरता है। यदि उसका दावा ठीक हो तो उसकी स्थिति अन्यान्यों से भिन्न होना चाहिये.........।

यह बात हँसी उड़ाने वाले रूप में कही गई है, कि क्या हुआ है इसे ?

मुशरिक कहते थे, कि वह स्वयँ फरिश्ता होता, अन्यथा उसकी और फरिश्ता क्यों न भेजा गया कि जो उसके साथ भयभीत करने वाला होता, या आसमान से उसकी और ख़जाना डाल दिया जाये ताकि उससे सन्तुष्ट होकर बाजारों में रोज़ी प्राप्त करने से मुस्तगनी (मुक्त) हो जाये, या उसके लिये बाग (उद्यान) हो, कि वह उसके मेवे (फलादि) खाये और उसकी आय, उसकी रोटी का माध्यम बन जाये, और लोगों ने कहा-किन्तु तुम एक जादू किए हुए का अनुकरण क्यों करते हो, जिसकी बुद्धि उस जादू से जाती रही है।

तफसीर मावरदी में यह अर्थ है-तुम एक जादूगर की पैरवी (अनुशरणता) करते हो, जो कि तुमको वात में फुसला लेता है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ १३५

हज़रत मुहम्मद की साक्षी हेतु फरिश्ते क्यों नहीं उतरते ?:—

'लौ ला उन्ज़िला अलैनल मलाएकतो औनरा रब्बना'

कुरआन, पारा १६, रकू ३।१

अर्थात-क्यों नहीं हम पर फरिश्ते उतारे गये। या हम अपने खुदा को देखें।

'लौ ला नुज़िला अलैहिल कुरआनों जुलमतव्वा हिदतन'

कुरआन, पारा १६, रकू ३।१

अर्थात-हज़रत मुहम्मद पर एक साथ ही कुरआन क्यों नहीं उतारा जाता सम्पूर्ण तौरेत और इंजील के सदृश्य ?

तफसीर कादरी -२-पृष्ठ १४०

यह समस्त आयतें कुरआन में तथाकथित काफिरों की ओर से कह गई हैं। साथ ही उपरोक्त कथन कुरआन, पारा २० रकू ५।१ में भी ऐसा ही आया है उन लोगों ने कहा कि मूसा को भाँति मुहम्मद को चमत्कार क्यों नहीं दिया:—

'लौ ला ऊतिया मिस्ला मा ऊतिया मूसा'

कुरआन, पारा २०, रकू ५।८

अर्थात-मूसा को असा (दंड) और हाथ का चमत्कार दिया गया, उसके समान मुहम्मद अरबो को क्यों नहीं दिया गया?

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २००

कुछ लोगों ने कहा-हमें अरब से निकाल देंगे:—

'इन्नत्तबे इल् हुदा मअका नुतखत्तफ मिन अर्जेना'

कुरआन, पारा २०, रकू ६।९

अर्थात-यदि हम तेरे साथ राहे हिदायत (शिक्षा के मार्ग) की पैरवी (अनुशरणता) करें तो अरब लोग हमें इस देश से निकाल देंगे।

काफिर लोग कहते है, कि मुहम्मद मिथ्याभाषी है अथवा पागल है:—

'हल नदुल्लो कुम अला रजुलिय्यु नब्बेओ कुम इजा मुजिज़्वतुम कुल्ला मुमज्ज़ किन इन्नकुम लफी खल्किनन जदीद, अफ़तरा अलल्लाहेवजेबन अम विही जिन्नत'

कुरआन, ारा २२, रकू १।७

अर्थात;—हम क्या दलालत (युक्ति प्रयोग) करें, अर्थात बताये तुमको उस मर्द पर जो समाचार तुमको देता है। अर्थात हज़रत

मुहम्मद, जो कहता है–जब टुकड़े किये जायेंगे, अर्थात जब समस्त अंग खंड-खड किये हुए पृथक-पृथक हो जायेंगे, अर्थात जब तुम्हारे शरीर पूर्णतः मिट्टी में मिल जायेगे रेज़ा-रेज़ा (खंड खंड) हो जायेंगे निसन्दे तुम नई उत्पत्ति में होगे।

अर्थात पुनः नये ढंग से जोवित किये जाओगे। जो यह खबर (समाचार) देता है, उसने अल्लाह पर (या) जानबूझ कर झूठ बांध लिया, अथवा उसे पागलपन है, कि जो वस्तु नहीं जानता वह कहता है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २७७

क्यों मुसलमानों! यह आयतें भी कुरआन की अन्य आयतों के समान है या नहीं? अथवा कुछ अंतर है?
उन्होंने कहा :—

' लन्नोमेना बिहाज़ल कुरआने वा ला बिलल्ज़ी बैना यदैहे '

कुरआन, पारा २२, रकू ४/१०

अर्थात–हम इस कुरआन का विश्वास नहीं करते और न उस पुस्तक का भी, जो इसके पूर्व उतरी है।

तफसीर कादरी,–२-पृष्ट २८४

वह कहते हैं-मुहम्मद हमें हमारे धर्म से विमुख करना चाहता है :—
' मा हाज़ा इल्ला रजुलुंय्यरीदो अंय्यसद्दो कुम अम्मा काना याबुदो आबाओकुम वा कालू मा हाज़ा इल्ला इफ्कुम्मुफ्तरन ' [और कहते हैं हक के हेतु] **इन हाज़ा इल्ला सेहरुम्मुबीन '**

कुरआन, पारा २२, रकू ५/११

अर्थात–यह कुरआन (खुदा की वाणी) नहीं है, जो यह व्यक्ति पढ़ता है, अर्थात हज़रत मुहम्मद, किन्तु एक पुरुष है, कि चाहता है यह कि तुमको उस वस्तु से रोके जिसे सदा से तुम्हारे पूर्वज पूजते थे......... और जो नया आईन (मार्ग) उसने बनाया है, उस पर लाये और लोगों को अपना तबिआ (आधीन) बनाये .... और यह कलाम (वाणी) नहीं है, जो वह पढ़ता है अर्थात कुरआन, किन्तु झूठ बांधा (गढ़ा) हुआ है और खुदा की और उसे मनसूब [प्रस्तुत] किया गया है, अर्थात खुदा का नाम असत्य लिया गया है, और मक्का के काफ़िर कहते है कि यह (कुरआन) नहीं है, किन्तु स्पष्ट जादू।

तफसीर कादरी,–२-पृष्ठ २८६

मक्का के सुशिक्षित जन तो पुकार-पुकार कर स्पष्ट रूप से हज़रत मुहम्मद को झूठा और खुदा का असत्य नाम लेकर स्वयँ ही आयतें बनाता है, ऐसा कह रहे हैं, किन्तु हमारा यहां यह बिषय नहीं है हमारा अभिप्राय तो मात्र यह है कि समस्त लोग यह देख लें कि कि कुरआन का यह दावा कितना मिथ्या है कि कुरआन की आयत के समान आयत लाओ, जब कि स्वयँ कुरआन में ही दुसरों की सैकड़ों आयतें उपस्थित है।

काफ़िर लोग उपहास से कहते है, कि मुहताजों (निस्सहाय) को भोजन देना ईश्वर-इच्छा विरूद्ध है:—

'अनुतइमो मल्लौ यशा उल्लाहो अतअमहू'

कुरआन, पारा २३, रकू ३।२

अर्थात—हम उनको भोजन क्या दें ? अर्थात उसे नहीं देंगे यदि खुदा चाहता,तो उनको खाना देता। अर्थात तुम्हारे (मुसल–

मानों के) गुमान (निश्चय) में खुदा खलक (संसार) को रिज़्क (धन-खाद्यान्न) पहुँचाने पर कादिर (शक्ति सम्पन्न) है, तो उसे चाहिये कि उनको भोजन देता। जब उसी [खुदा] ने नहीं दिया तो हम क्यों दें ? और काफिरों ने मोमिनों से कहा-नहीं हो तुम ऐ मोमिनों! किन्तु हमको खुदा की मशिय्यत (इच्छा) के विरुद्ध स्पष्ट गुमराही करने की आज्ञा देते हो।

तफसीर कादरी-२-पृष्ठ ३०७

वे कहते है:—

'अ इन्ना लितारेकू आले हतेना लिशाएरिन मजनून'

कुरआन, पारा २३, रकू २।६

अर्थात—हम अपने देवताओं की भक्ति को एक शायर [कवि] दीवाना [पागल] के हेतु छोड़ने वाले नहीं।

कयामत के दिन नर्क में प्रवेश होते समय इनकी परस्पर लम्बी बातें है। स्पष्ट यह है कि कौम के धनवान और निर्धन आपस में एक-दुसरे को फटकारेंगे और कहेंगे एक-दुसरे से, तुमने हमें पथभ्रष्ट किया। इत्यादि

कुरआन, पारा २३, रकू २।६

यह झूठा जादूगर है

काफ़िर कहते है:—

'हाज़ा साहिरून कज़ाब, अजअलल आलेहता इलाहंव्वाहेदन इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, वन्तलकल मलओ मिन्हुम अनिम्शू

वस्बेरु अला आले हतेकुम इन्ना हाजा लशैउंय्युराद, मा समेना बिहाजा फिल्मिल्लतिल आखेरते इन हाजा इल्लखतेलाक'

कुरआन, पारा २३, रकू १ १०

अर्थात—यह [हजरत मुहम्मद] भयभीत करने वाला जादूगर है............झूठा है दावा नबव्वत [पैगम्बरी] में, अथवा कुरआन खुदा की ओर से आया बताने में ।

आगे लिखा है, कि जब हजरत हमजा और हजरत उमर मुसलमान हो गये, तब कुरैश हजरत के चचा अबू तालिब के पास आये और कहने लगे कि तुम अपने भतीजे से हमारा निर्णय कर दो, कि वह हमारी कौम के एक-एक मूर्ख को अपने दीन (धर्म) में ले जा रहा है और हम में फूट डाल रहा है । इत्यादि

मुहम्मद ने हमारे खुदाओं को क्या एक कर दिया ? और यह एक खुदा का होना भी विचित्र वस्तु है । ....और कौम के प्रमुख व्यक्ति शीघ्रता से अबू तालिब के घर में चले गये, यह कहते हुए एक-दुसरे से कि चलो और संतोष करो अपने देवताओं को पूजने में । यह मुहम्मद का विरोध हमारे साथ कालचक्र की गति है, यह होकर रहेगा । .....हमने नहीं सुना, कि जो मुहम्मद खुदा का एक होना कहते हैं; प्रथम दीन (धर्म) में, हमने जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है । ईसा का दीन भी तीन खुदा मानता है । यह तौहीद [एक खुदा का होना] नहीं है, जो मुहम्मद कहते हैं, किन्तु अपनी ओर से बना लेना है ।

तफसीर कादरी,-२-पृष्ठ ३२८

हमारे हेतु शीघ्र अज़ाब [कष्ट] ला

वह कहते हैं :—

'रब्बना अज्जिल्लना कित्तना कब्ला यौमिल हिसाब'

कुरआन, पारा २३, रकू २/११

अर्थात-[कुरैश के साथी नजर बिन हारस आदि कहते हैं] ऐ हमारे ईश्वर ! हमें शीघ्र अजाब [कष्ट] दे, जिसके नाम से हमको मुहम्मद धमकाता है, अथवा शीघ्र दे हमें हमारा कर्मपत्र कि उसमें हम देखें हिसाब के दिन से पूर्व।

वह कहते हैं, कि हम बुत (मूर्ति) पूजा इस हेतु से करते है :—

'मा नाबुदो हुम इल्ला लियुकर्रेबूना इलल्लाहे ज़ुल्फा'

कुरआन, पारा २५, रकू ३।९

अर्थात-हम मूर्तिपूजा इसलिए करते हैं कि वह हमको खुदा के समीप करें।

खुदा की ओर से कुरआन होता तो किसी प्रमुख अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति पर उतरता वह कहते हैं :—

'लौ ला नुज़ेला हाज़ल्कुरआनो अला रजो लिम्यनिल्कर्य तैने अज़ीम'

कुरआन, पारा ३५, रकू ३।९

अर्थात-यदि कुरआन खुदा की ओर से है, तो इन दोनों नगरों मक्का व ताइफ के किसी प्रतिष्ठित-धनी एवँ उच्च पद प्राप्त पर क्यों नहीं उतारा गया ?

इस आयत के ऊपर यह आयत है:—

'हाज़ा सेहरून वा इन्ना बिही काफेरून'

अर्थात-और निसन्देह, हम इसके साथ काफिर हैं और विश्वास नहीं करते कि यह (कुरआन) खुदा की ओर से उतरा है ।

तफसीर कादरी, २ पृष्ठ ४०३

—यदि हम उठाये जायेंगे, तो प्रथम हमारे पूर्वजों को लाओ—वह कहते हैं:—

'इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वा मा नहनो बिमुन्शरीन ० फ़ातु बिआबाएना इन कुन्तुम सादेकीन्'

कुरआन, पारा २५, रकू १५

अर्थात-संसार में कोई प्रथम मुत्यु हमारी नहीं जो परिणामदायक होगी और इसके पश्चात जीवन नहीं है; और हम न जीवित किये हुए हैं, और न मृत्यु के पश्चात हो उठाये हुए । यदि तुम सत्यवादी हो तो हमारे पूर्वजों को लाओ ० हम मरते हैं, और जीवित होते हैं ।

उन्होंने कहा:—

'मा हिया इल्ला हयातु नद्दुन्या नमूतो वा नहया वा मा युहलिकुना इल्लद्दहर'

अर्थात-यह जीवन नहीं है, किन्तु सांसारिक जीवन जो हमें प्राप्त है । हम मरते हैं और जीवित होते हैं, अर्थात हमारी रूह (आत्मा) दुसरे शरीर में प्रवेश करती है । और उसके गुमान

में जो शाकमूर पैगम्बर था। उसने जो कहा वह उद्धरण है कि मैंने स्वयँ की १७ सौ यौनियों में देखा है।

कहते हैं, कि हमको नहीं मारता है, किन्तु जमाना (काल) गुज़रना और पुराना हो जाना तथा बुढ़ापा (आना) इत्यादि।

तफ़सीर कादरी, -२- पृष्ठ ४२३

हम [लेखक] कहते हैं, कि आपके फ़रीद्दीन ने क्या नहीं कहा:—**'हफ्त सद हफ्ताद कालिब दीदा अम, मिस्ले सब्ज़ा बारहा रोईदा अम'**

अर्थात-मैंने ७ सौ ७० कालिब [योनियां] देखे है और सब्ज़ा के समान अनेक बार उगा (उत्पन्न हुआ हूँ) (लेखक)

जो आयतें बारम्बार विभिन्न स्थानों पर दोहराई गई है, वह नहीं लिखो है।

—वलीद का कलाम—

वलीद ने कहा:—

'इन हाज़ा इल्ला सेहरूंय्योसरो, इन हाज़ा इल्ला कौलुल्बशर'

कुरआन पारा २९ रकू

अर्थात-जो मुहम्मद कहते हैं, यह (कुरआन) नहीं है किन्तु, ज़ादू की तालीम (शिक्षा) किया जाता है, यह (कुरआन) शायरों (कवियों) से, नहीं है किन्तु पार्बी, अबा, फ़कीह और जब्र तथा यसार आदि मनुष्य का कथन है।

तफसीर कादरी, २ पृष्ठ ५८९

—मक्का वालों का कलाम—

मक्का वाले कहते हैं:—

'रब्बना अख़् रिजना मिन हाज़िहिल्कर्यतिज्ज़ालिमे अहलुहा, वज्अल्लना मिल्लदुनका वलिय्यंव्वजअल्लना मिल्लदुनका नसीरा'

कुरआन, पारा ५ रकू १०।७

अर्थात-ऐ हमारे ईश्वर। हमको इस बस्ती (मक्का) से निकाल, जिसके निवासी अत्याचारी है, और हमारे गैब (अप्रत्यक्ष) से कोई मित्र खड़ा कर दे अर्थात सहायक या रक्षक बतादे, जो मुशरिकों से हमारी रक्षा करो।

तफसीर मजहरी, भाग ३, पृष्ट १६६

—मुसलमानों का कलाम—

मुसलमान कहते हैं:—

'रब्बना लिमा कतब्त अलै नल्किताल। लौ ला अख़रतना इला अजलिन करीब'

कुरआन, पारा ५, रकू ११।८

अर्थात- ऐ हमारे ईश्वर! तूने हम पर धर्मयुद्ध (जहाद) क्यों कर्तव्य (फ़र्ज़) कर दिया। हमको किंचित मुद्दत और मोहलत (अवधि) दे दी होती।

तफसीर मजहरी, भाग ३, पृष्ट १७२

साधारण मुसलमानों की अरबी भाषा भी देखिये! कुरआन की अरबी भाषा के सदृश्य ही है,

—नजाशी का कलाम—

हब्श में नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र ने आयत पढ़ कर सुनाई। जब तक आप आयत पढ़ते रहे, तब तक वह (नजाशी) रोते रहे और उन्होंने कहा:—

'रब्बना आमन्ना फक्तुब्ना मअश्शाहेदीन'

कुरआन पारा ७, रकू ११।१

अर्थात-ऐ हमारे ईश्वर! मान लिया (हमने तेरे रसूल मुहम्मद और तूने उस पर पुस्तक (कुरआन) उतारी है) तो हमको भी उन्हीं लोगों के साथ लिख ले जो समर्थन करने वाले हैं।

तफसीर मज़हरी, भाग ४, पृष्ठ १८

जब ऐसा हुआ, तो अहले हब्शाने [हब्शा के लोगों ने] नजाशी से कहा—तू उस व्यक्ति पर ईमान [विश्वास] लाया, जिसे तूने देखा तक नहीं,

तफसीर कादरी -१· पृष्ठ १४०

तो नजाशी ने कहा:—

'वा मा लना ला नोमिनो बिल्लाहे वा मा जाअना मिनल्हक्के वा न तमओ अंय्युद ख़िलना रब्बना मअल कौमिस्सालिहीन्'

कुरआन, पारा ७ रकू ११।१

अर्थात—और क्या कारण है, कि हम अल्लाह पर और उस हक [सत्य] पर जो हमारे पास आ गया है, विश्वास न करें और इस बात की आशा न करें कि हमारा ईश्वर हमको नेक लोगों के समूह में सम्मिलित कर दे।

तफसीर मज़हरी, भाग ४, पृष्ठ १८

हम मुसलमानों से पूछते हैं, कि क्या सचमुच ही नजाशी ने ऐसा (उपरोक्त) वचन कहा था अथवा और अन्य आयतों के समान हज़रत मुहम्मद ने स्वयं ही यह आयत नजाशी के नाम से कुरआन में सम्मिलित कर दी। अस्तु

वास्तविकता कुछ भी हो, हमारे सम्मुख तो कुरआन में नजाशी का यह कथन आया है। हमें तो नजाशी का ही मानना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में मुसलमान कुरआन के समान आयत अन्यत्र [बाहर] क्यों ढून्ढ रहे है? कुरआन के पृष्ठों में ही सदृश्य आयतें ही क्यों नहीं मान लेते हैं। अस्तु

यथार्थता कुछ भी हो, हज़रत मुहम्मद ने कुरआन में कैसे भी लिखा हो किन्तु कथन [कलाम] तो नजाशा का ही है।

अब आपके मनोरंजन हेतु एक कथा लिख रहा हूँ, यद्यपि वह ईसा के शिष्यों की है किन्तु कुरआन में उसका उल्लेख है और परस्पर वार्तालाप हैं वह कुरआन में उपस्थित है और वह भी आयतों के रूप में इस हेतु मेरे विषय से सम्बंधित होने के फलस्वरुप लिख रहा हूं।

ईसा के शिष्यों के चमत्कार

और

—:हबीब नज्जार की विचित्र कथा:—

यह कथा कुरआन की निम्नलिखित आयत से प्रसारित है।

आयत:—

'वज़रब लहुम्मसलन असहाबल्कर्यते इज़ जा आ हल्मुर्सलून'

कुरआन, पारा २२, रकू अंतिम

अर्थात–ऐ मुहम्मद ! मक्का निवासियों के लिये इन्ता किया की कहानी बयान करो। जब उस गांव में भेजे हुए गये।

हम इस कथा का संक्षिप्तिकरण तफसीर कादरी से लिख रहे हैं। लिखा है—

हज़रत ईसा के आसमान पर उठ जाने के पूर्व शमऊन-रसफ़ा के साथ दो हवारियो ने जिनके नाम यहया और तूमान अथवा नारूस व मारूस है, को इन्ताकिया की ओर इस हेतु भेजा कि वह वहाँ की जनता को खुदा की ओर बुलायें।

जब यह नगर के समीप पहुँचे तो एक वृद्ध व्यक्ति बकरियां चराते हुए इन्हें मिला। वृद्ध के पूछने पर इन लोगों ने कहा—हम हज़रत ईसा के भेजे हुए है, लोगों को भटके मार्ग [गुमराही] से निकाल कर हिदायत [सन्मार्ग] की ओर लाते है। यह सुन कर वृद्ध ने कहा-आप अपने दावे के हेतु कोई उदाहरण भी रखते हो ? उन्होंने उत्तर दिया-हां, हम रोगियों को स्वस्थ करते हैं, कोढ़ियों और अंधों को उचित स्थिति पर ले आते हैं। चरवाहे ने कहा–वर्षों बीत गये मेरा पुत्र रोगग्रस्त है, और हकीम [वेद्य] उसके उपचार से हार चुके है। यदि तुम उसको ठीक कर दो, तो मैं तुम्हारे खुदा पर विश्वास करूँगा। उन्होंने दुआ [प्रार्थना] की, फलस्वरूप उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब वह वृध्द जिसका नांम हबीब नज्जार [सुथार] था अथवा उसे यासीन भी कहते हैं। ईमान ले आया।

[आगे तफसीर कादरी का व्याख्याकार लिखता है-हमारे रसूले अकरम के जमाने से यह ६०० वर्ष पूर्व ईमान [विश्वास] लाया था। [किस पर-हज़रत मुहम्मद अथवा ईसा पर ? द्विअर्थी बात लिख दी है]

इन दोनों के समाचार इन्ताकिया में फैल गये, उन्होंने अधिक लोगों को अच्छा किया। बादशाह जिसका नाम इन्तखीश था। उस तक भी समाचार पहुँचा कि यह लोग मूर्ति पूजा का खण्डन करते है। उसने उनको कारागृह में पहुँचा दिया [किन्तु तफसीर सिराजे मनीर में बैद (कौड़े) मारना भी लिखा है, इसी भांति रसूलों के ऐमाल, बाव १६, आयत २३ पृष्ठ १५६ में बैद (कौड़े) मार कर कैद करना तथा इनके नाम पोनिस और सैलास लिखे है।]

और शमऊन उनके पश्चात आये। शमऊन ने बादशाह के साथ मित्रता और प्रेम गांठना प्रारम्भ कर दिया और विशेष निकटस्थ बन गया।

कुरआन में इस कथा का समाचार इस प्रकार दिया है—

'इज़ असलना इलैहे मुरनैने फकज्जबूहुमा फअज़्ज़ना बिसालेसिन फकालू इन्ना अलैकुम्मुर्सलून'

कुरआन, पारा २२, रकू अन्तिम

अर्थात–स्मरण कर ? जब हमने इन्ताकिया के लोगों की ओर दो पैग़म्बर भेजे अर्थात ईसा और शमऊन ने हमारी आज्ञा से दो हवारी भेजे और गाँव वालों ने उन दोनों को झुठलाया और कैद में डाल दिया। फिर हमने उन दोनों को शक्ति दी, तीसरे के भेजने के कारण से।

और ठीक यह है कि वह तीसरा शमऊन है। किसी ने शमआन, सलूम और यूनिस भी कहा है। उन भेजे गये हुओं ने इन्ताकिया वासियों से कहा–हम तुम्हारी ओर भेजे गये हैं। उस नगर के लोगों ने कहा—तुम हमारे समान मनुष्य हो, फिर तुमको

पैगम्बरी सहित विशेष क्यों किया ? और अल्लाह ने किसी को पैगम्बरी देकर नहीं भेजा।

मा अन्ज़लर्रहमानो मिन शैइन इन अन्तुम इल्ला तक्ज़ेबूना कालू रब्बना यालमो इन्ना इलैकुम लमुर्सलून वा मा अलैना इल्लल बलागुल्मुबीन'

कुरआन, पारा २२, रकू अंतिम

अर्थात—(कुछ अनुवाद उपरोक्त है) भेजे हुओं ने कहा हमारा ईश्वर जानता है, कि निसन्देह, हम तुम्हारी और पहूँचाये गये है, और हम पर पहूँचाया जाना स्पष्ट है, किन्तु.......हमने पहूँचा दिया। यदि हमारा दीन (धर्म) नहीं स्वीकारोगे तो तुम पर अज़ाब (दुःख कठोर) होगा। **फिर** नगरवासियों ने कहा:—

कालू इन्ना ततय्यर्ना बिकुम ल इल्लम तन्तहू लनर्जुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम्मिन्ना अज़ाबुन अलीम, कालू ताइरूकुम्मआ कुम आइन जुक्किर्तुम, बल अन्तुम कौमुम्म सरेफून'

कुरआन, पारा २२, रकू अंतिम

अर्थात–हमने तुम्हारे आगमन से अपशकून देखा है, कि जब से तुम इस नगर में आये हो, वर्षा नहीं हुई और हमारी समस्त फसलें सूख गई हैं। यदि तुम अपने दावे से बाज़ (हट) न आओगे तो हम तुमको अवश्य ही पत्थरों से मार डालेंगे और हम से तुमको अवश्य ही वहुत (कष्ठ) पहुंचेगा।

उन दूतों ने नगरबासियों से कहा–अपशकून ! तुम्हारे असत्य दिचारों और बूरे कर्मो के फलस्वरुप है। क्या तुम नसीहत (शिक्षा) दिये जाने पर अपशकून लेते हो और मार डालने को धमकी देते हो ? तुम सीमा से आगे वढ़े हुओं का समूह हो।

यहाँ तक ही नहीं, एमाल में है, कि यूनिस को पत्थरों से मार डाला और बाहिर फेंक आये किन्तु वह पुनः उठ खड़ा हुआ ।

एमाल १४-१६

यह लिखा जा चुका है, कि शमऊन ने बादशाह से मित्रता गाँठ ली थी । तब (एक दिन) शमऊन बादशाह के साथ बुतखाने (मूर्तिगृह) में आये और हकतआला (खुदा) को सिजदा (नतमस्तक होना) किया [व्याख्याकार की कल्पना देखिये-यहां बुत्तखाने में खुदा कहाँ था । यहां तो बुत्त (मूर्ति) थे] इससे बादशाह परम प्रसन्न हुआ और उस पर अति विश्वास करने लगा । (स्पष्ट अर्थ है कि शमऊन ने मूर्ति को माथा नमाया) और बादशाह उसके बिना परामर्श के किसी बात को नहीं करता था । एक दिन शमऊन ने बादशाह से कहा–बादशाह सलामत ! मैंने सुना है कि आपने दो यात्री बंदी बना रखे हैं, क्या कारण है ? बादशाह ने कहा-वह दावा करते हैं, कि तुम्हारी मूर्तियों के अतिरिक्त और भी खुदा है । शमऊन ने विस्मित होकर कहा–आज्ञा दीजिये, तनिक उनको उपस्थित तो किया जाए क्योंकि वह तो आश्चर्यजनक बात कहते हैं । अंतोगत्वा बादशाह की आज्ञा से वह दोनों बन्दी उपस्थित किये गये । शमऊन को देख कर वह प्रसन्न हो गये । शमऊन ने उनसे पूछा-तुम किसकी भक्ति करते हो ? वे बोले-हम उसकी भक्ति करते है, जिसने धरती-आकाश उत्पन्न किये । शमऊन बोला-तुम्हारा खुदा क्या करता है ? वे बोले-अंधों को आँखे देता है । तब बादशाह ने, शमऊन के कहने से, कई अंधे उपस्थित करा दिये । शमऊन ने उन दोनों से कहा-भला अपने खुदा से कहो, कि इन अंधों को आंखों वाला कर दे । उन दोनों ने प्रार्थना की; पस, वह तत्काल

आँखों वाले हो गये। शमऊन बोले–बादशाह सलामत! हम भी अपने खुदाओं से प्रार्थना करें कि वे भी यह कार्य कर दिखाये। बादशाह ने चुपके से कहा-शमऊन! तुम नहीं जानते, कि यह खुदा न देखते हैं, न सुनते है और न किसी वस्तु पर कुदरत (शक्ति) ही रखते हैं। पुनः शमऊन ने कहा--ऐ युवकों! तुम्हारा खुदा और क्या कर सकता है। मृतकको जीवित भी कर सकताहै, इस पर शमऊन ने कहा--यदि तुम्हारा खुदा यह कार्य करता है, तो हम सब उस पर ईमान (विश्वास) लाते है। तव एक बादशाह को, जिसे मरे हुए मुद्दत गुज़र चुकी थी अथवा सात दिन से मरे हुए किसी शव को मँगाया और उन्होंने प्राथना कर जीवित कर दिया। बस [फिर क्या था] बादशाह, समस्त कौम सहित उसी समय ईमान ले आया।

(अभी नाटक का किंचित दृश्य और भी है, उसे भी देखिये) और कुछ लोगों ने मोमिनों को दुख देने और कत्ल करने का कसद (प्रयत्न) किया। यह सुन कर हबीब सुथार उस ओर आकृष्ट हुआ :—

‘ वा जाआ मिन अक्सलमदीनते रजुलुं य्यस्आ काला या कौमि-त्ताबेउल्मुर्सलीन्त्तवेऊ मंल्ला यस्अलोकुम अज्रव्वा हुम्महतदून ’

कुरआल, पारा २२, रकू अन्तिम

(मूर्दों को जीवित करने का उल्लेख ऐमाल, वाब २० आयत १०, ११ व १२ में है)

अर्थात–और नगर के दूसरे छोर से दौड़ता हुआ एक मनुष्यआया और बोला-ऐ मेरी कौम! इन भेजे हुओंका समर्थन करो,जो बदले में कुछ नहीं माँगते और यह भलाई का मार्ग प्राप्त किये हैं।

फिर हबीब ने कहा-क्या है, सच्चाई की रो (अनुसार) से उसकी भक्ति नहीं करते, जिसने उत्पन्न किया ? और यह बुत्त (मूर्ति) तुमको कुछ नहीं दे सकते, न इनकी सिफ़ारिश काम आयेगी। जब काफ़िरों ने हबीब सुथार की यह बात सुनी, तो उन्हें कत्ल करने का यत्न किया तो वह पैगम्बर की और ध्यान कर के बोला :—

तो तुम मेरा विश्वास सुनो ! ताकि कल कयमामत के दिन मेरे विश्वास की साक्षी दो।

और कौम के लोग उन्हें पत्थर मारने लगे। यहांतक कि वह मर गया, और इन्ताकिया के बाजार में उसकी कब्र है।

एक और कथन है, कि लोगों ने उसको मार डाला और खुदा ने उसे पुनः जीवित कर स्वर्ग में पहुँचा दिया:—

'कीलदखुलिल जन्नता काला यालैता कौमी यालमून; बिमागफर ली रब्बी वा जअलनी मिनल्मुक्रमान'

कुरआन पारा २३, रकू १

अर्थात-जब वह प्रवेश कर स्वर्ग में पहुँचे, तो बोले-काश ! मेरी कौम के लोग वह वस्तु जानते जिसके कारण मेरे ईश्वर ने मुझको क्षमा कर दिया और उन लोगों में प्रतिष्ठा सहित सम्मिलित कर दिया, जो श्रेष्ट किये गये हैं।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३०२ से ३०४

अब यह नाटक समाप्त हुआ। अस्तु, हमें इस मिथ्यावाद पर कुछ नहीं कहना है। हमें तो यह दिखाना है, कि इस विस्तृत कथा में रसूलों, शमऊन, बादशाह, हबीब सुथार और इन्ताकि[illegible]

नगर के निवासियों के कलाम हैं। क्या इन कलामों की अरबी और कुरआन की अन्य आयतों की अरबी में आपको तनिक भी अन्तर दिखाई देता है ?

इस कथा में आपने देख लिया, कि किस प्रकार बाइबिल के एक प्रसंग को लेकर और कुछ इधर-उधर से जोड़कर कुरआन बनाया जा रहा है। हज़रत मुहम्मद के समकालीन व्यक्तियों के कथन जो कुरआन में उपस्थित है, वह हमने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन कथाएँ, जो कि सार्वजनिक रूप से लोगों ने हज़रत मुहम्मद के सम्मुख कही और वे ज्यों कि त्यों ही कुरआन मे आयतों के रूप में उपस्थित है। ऐसी स्थिति में भी मुसलमान जन यह रट लगाये ही चले जा रहे हैं, कि आयत के समान आयत लाओ! हमने एक आयत ही नहीं, अनेक आयतें प्रस्तुत की और यह भी कहा कि वही (फरिश्ता) का गतिक्रम अभीतक चल रहा है।

इस उपरोक्त भाग के वर्णन से आप यह भलीभांति जान गये हैं कि हज़रत मुहम्मद और कुरआन के विषय में समकालीन विद्वानों और बुद्धिजीवियों के कैसे विचार थे।

कुरआन में शैतान का कलाम

हमने पूर्व विभिन्न लोगों के कथनों को कुरआन से लिखा है, अब इस प्रकरण में हम शैतान के कथन को, जो कुरआन में है, लिख रहे हैं।

हम पूर्व मैं लिख चुके हैं कि कुरआन में प्रकरण और तारतम्य का किंचित भी ध्यान नहीं रखा गया, परिणामस्वरूप

क़ुरआन में क्रमान्तर और परस्पर मतभेद और विरोधाभास उत्पन्न हो गये हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं क़ुरआन में बारम्बार अधूरी वर्णित है।

इसी प्रकार की कथाओं में से एक शैतान की भी कथा है, हम आगे के पृष्ठों में बतायेंगे कि बारम्बार लिखने से परस्पर कितना विरोधाभास प्रकट होता है। इसमें जहां आप शैतान का कथन क़ुरआन में देखेंगे वहां शब्दों और अर्थों में गंभीर मत-भेद भी पायेंगे।

मुसलमान यह बात निर्विवाद मानते हैं कि शैतान और खुदा के मध्य वाद विवाद आदम के सजदा (नतमस्तक) न करने के समय केवल एक बार ही हुआ किन्तु इस कथा को बारम्बार क़ुरआन में दोहराने के फलस्वरूप अत्याधिक मत भेद और परस्पर विरोध आ गया और कहीं कुछ व कहीं कुछ लिखा गया।

शैतान और खुदा के विवाद को लिखने से पूर्व आप शैतान की शक्ति का परिचय प्राप्त कर लें और यह अनुमान लगा लें कि शैतान अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा व कितनी सफलता मिली।

शैतान ने कहा :—

व काला ल उत्तखेज़न्ना मिन इबादेका नसीबम्मफरूज़ं व्वलओ हुम वल उमन्ने यन्नहुम वल आमुरन्नहुम फल्यो वत्तेकुन्ना आज़ानल्अनआमे वल आमुरन्न हुम फ़ल युग़य्येरून्ना ख़ल्कल्लाहे।

क़ुरआन पारा ५ रकू. १८।१५

अर्थात-शैतान ने कहा (खुदा से) कि शपथ है तेरी प्रतिष्ठा और जलाल की, जब तक बनी आदम में जीवन रहेगा, उस समय तक मैं बराबर उनको बहकाता रहूँगा।

तफ़सीर मजहरी, पा. १८ पृ. २७७-२७८

उक्त आयत के सम्बंध में इसी प्रकार की व्याख्या तफसीर हक़ानी पारा ५ पृष्ठ ३५-३६, तफसीर कादरी पृष्ठ १६३ और सहीह हदीस में भी की गई है। अगली आयत का भी यही अर्थ है।

(शैतान ने कहा) कि मैं तेरे भक्तों में से अपना निश्चित भाग (बहकाने व गुमराह हेतु) अवश्य लूंगा।
(भाग क्या है ?)

हसन के कथनानुसार प्रति हजार में से ९९९ नर्क को और शेष मात्र एक स्वर्ग को जायेगा।

हदीस वोसन्नार में आया है-और अवश्य ही सत्य मार्ग से उनको भटकाऊँगा अर्थात उनके मनों में भ्रम डालूँगा और मन की इच्छा को सुन्दर ढंग से उनके सम्मुख लाऊँगा।

(व्याख्याकार क्या कहता है उसे निम्न पंक्तियों में ध्यान से देखें)

अपराध करने हेतु शैतान तो निमित्त है, वास्तव में गुमराह करने वाला और हिदायत देने वाला अल्लाह ही है। शैतान तो गुमराही का मात्र एक साधन है।

हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलिल्लाह ने कहा कि शैतान तुम्हें खुदा के विषय में बहकायेगा तो तुम्हें अल्लाह की शरण मांगनी चाहिये। -बुखारी व मुस्लिम

बुखारी व मुस्लिम ने रवायत की है कि-शैतान कहता है-कि मैं निश्चय उनको मिथ्या आशाएँ दिलाऊँगा (हज़रत अस ने कहा कि-रसूलिल्लाह ने कहा कि मनुष्य के अंदर जहां रक्त दौड़ता है, वहां शैतान दौड़ता है) और मैं उनको पढ़ाऊँगा कि वह चौपायों के कान काटा करेंगे और निश्चय मैं उनको आज्ञा दूँगा तो वह अल्लाह की बनावट को बदल डालेंगे।

हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि- रसूलिल्लाह ने कहा है कि हर बच्चा फितरते (स्वभाव) इस्लाम पर उत्पन्न होता है, फिर उसके माता-पिता उसको यहूदी-ईसाई या मजूसी बना देते हैं।

तफसीर मज़हरी, पृष्ठ २७७ से २७६

उपरोक्त व्याख्या से आपको स्पष्ट ज्ञात हो गया है कि मनुष्यों में कितना भाग शैतान का और कितना भाग खुदा का है। व्याख्याकार के अनुसार तो शैतान निमित्त मात्र ही है, वास्तव में तो खुदा ही गुमराह (पथभ्रष्ट) करता है। इस दृष्टि से तो शैतान, खुदा का एक आज्ञाकारी सेवक है और खुदा के उद्देश्य को पूर्ण करनेवाला है। क्या कहें, ऐसे खुदा से बंदो को वह मालिके हकीकी (संसार का स्वामी) ही बचाये।

अब मुसलमान शैतान की अरबी भाषा भी देख लें कि कैसी फ़सीह और उत्तम अरबी है। यदि मुसलमान यह कहें कि अरबी तो खुदा की है, शैतान का कथन अवश्य है। हम पूर्व में लिख चुके हैं कि आसमान पर फरिश्ते अरबी बोलते हैं और यह कैसे हो सकता है कि शैतान अरबी न जानें।

यदि मुसलमान इस बात को न मानें तो वे इस बात के लिये प्रमाण प्रस्तुत करें कि शैतान ने किस भाषा में उपरोक्त

आयतें कही थी। खुदाने जिनका अनुवाद अरबी में कर कुरआन के लिये भेजा। यदि इसका प्रमाण मुसलमानों के पास नहीं है तो मानना होगा कि यह अरबी शैतान की ही है।

जब खुदा ने आदम का निर्माण कर लिया, तब फरिश्तों को कहा कि आदम को सज़दा (प्रणाम) करो :—

तो फसजदा इल्ला इब्लीस अबाबरतकबरा वा काना मिनल काफ़रीन,

कुरआन, पारा १ रकू ४/४

अर्थात-पस, सिवाय शैतान के सबने सज़दा किया। शैतान बड़ा बना और तकब्बर (घमण्ड) किया और काफिर हो गया। वह अल्लाह के इल्म (ज्ञान) में पूर्व से ही काफिर था।

तफसीर मजहरी पृष्ठ ६४

जब शैतान ने सजिदा न किया तो खुदा शैतान से पूछता है कि:–
'काला मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमर्तुका'
खुदा ने शैतान से कहा–जब मैंने तुमको आदेश दे दिया (कि सज़दा करो) तो सज़दा न करने का कौन सा कारण है।
शैतान ने उत्तर दिया कि :—

'काला अना खैरुम्मिन्नहो खलक़्तनी मिन्नारिंव्वाँ खलक़्तहू मिन तीन'

कुरआन पारा ८ रकू-२/६

अर्थात–मैं उत्तम हूं उस (आदम) से कि उत्पन्न किया तूने मुझे आग से और बनाया उस (आदम) को मिट्टी से। आग से तात्पर्य

है ऊपर को उठने वाला नूरानी जौहर (ज्योति अंश) और मिट्टी अर्थात नीचे गिरने वाली अंधकारयुक्त वस्तु से है।

शैतान ने यहां पर शरीयत (धर्मशास्त्र) की आज्ञा के सम्मुख अपने कयास [विचार] से काम लिया।

इब्ने अब्बास ने कहा-जो व्यक्ति दीन को विचारों पर कसता और अपनी सम्मत्ति प्रकट करता है, उसको अल्लाह शैतान का जोड़ीदार बना देता है।

तफसीर मज़हरी, पारा ८, पृष्ठ २७५-२७६

इस पर खुदा ने कहा :—

काला फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनो लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़खरूज़ इन्नका मिनस्सा ग़ रीन।

कुरआन, पारा ८, रकू २/६

अर्थात–पस, अल्लाह ने शैतान से कहा यहाँ अर्थात स्वर्ग और आसमान से उतर जा। यह स्थान मेरे अनन्य भक्तों का है। हो नहीं सकता कि तू आसमान में रहकर घमण्ड (तकब्बर) करे। शैतान ! इसलिए यहाँ से तू निकल जा। निसन्देह तू ज़िल्लत (निकृष्टता) पाने वालों में से है।

शैतान ने इस पर कहा:-**'काला अन्ज़िरनी इला यौमे युब असून'**

कुरआन, पारा ८, रकू २/६

अर्थात–कि मुझे उस दिन तक मृत्यु की छूट दे दे जिस दिन तक मुर्दे उठाये जायें अर्थात मेरी जिन्दगी को अमर कर दे उस दिन तक कि दुबारा सूर (नरसिंहा) फूँका जाये और लोगों को कब्रों से उठाया जाये, उस दिन तक मुझे मृत्यु प्राप्त न हो।

खुदा ने कहा:-' **काला इन्नका मिनल मुन्जेरीन** ' अर्थात-खुदा ने कहा-निश्चित तू मुहलत पाने वालों में से है अर्थात तुझे जीवन दान दे दिया गया ।

तफसीर मज़हरी, भाग ४ पृष्ठ २७६

अब आजीवनता का वरदान पाकर शैतान ने कहा:-
काला फ़बेमा अग़वैतनीलअक अदन्ना लहुम सिराते कल मुस्ते-कीम सुम्मा लआते यन्नाहुम्मिन बैने ऐदी हिम वा मिन ख़लफे-हिमवा अन ऐमानेहिम वा अन शमाइले हिम वाला तजेदो अकस्-रोहुम शाकेरीना ।

कुरआन, पारा ८, रकू २/६

अर्थात-तूने (खुदा ने) मुझे पथभ्रष्ट कर दिया है, तो मैं भी शपथ लेता हूं कि उनको पथभ्रष्ट करने हेतु तेरे सीधे मार्ग पर बैठूँगा, उनके मार्ग को अवरूद्ध करने का असीम प्रयास करुँगा, फिर मैं आक्रमण करुँगा उन पर सामने से और पीछे से भी, दाँए और बाएँ से भी, (इन चारों दिशाओं की कई प्रकार से व्याख्याएँ की गई है किन्तु उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं) और तू उनमें से अधिकांश को शुक्र करने वाला न पायेगा ।
इस पर खुदा ने कहा कि- '**कालखरुज मिनहा मजऊमम्मदहूरा लिमन तबे अका मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नमा मिन्कुम अजम-ईन ।**

कुरआन, सूरत एराफ पारा ८ पृष्ठ १८५

अर्थात-अल्लाह ने कहा- (स्वर्ग या आसमान से) निकल जा ज़लील (लज्जित) और ख़्वार (निकृष्ट) होकर, उनमें (मनुष्यों में) से जो तेरे पीछे चलेंगे मैं उन सबसे नर्क को भर दूँगा ।

उपरोक्त आयत में खुदा और शैतान के वादविवाद व झगड़े का पूर्ण विवरण वर्णित है। शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया और अपना सम्पूर्ण अग्रिम कार्यक्रम भी खुदा को कह दिया। खुदा ने भी अपनी बात कह दी और शैतान ने मृतकों के उठाने तक जीवन-दान भी मांग लिया जो खुदा ने स्वीकार कर लिया और शैतान को स्वर्ग या आसमान से निकाल भी दिया किन्तु फिर भी खुदा को इससे सन्तोष नहीं हुआ और कई प्रकार से शैतान से बारम्बार सजदा न करने का कारण पूछने लगा।

यह सब कुरआन के लेखक के मस्तिष्क की उपज है खुदा की नहीं। कुरआन का लेखक शैतान को भयानक अवस्था में मनुष्यों के सम्मुख प्रकट करना चाहता है और शैतान के अस्तित्व को खुदा के नाम के माध्यम से जन-साधारण के मन और मस्तिष्क में ठूँसना चाहता है और बारम्बार खुदा को शैतान से प्रश्न करने के हेतु प्रस्तुत करता है।

आगे लिखा है कि खुदा ने कहा:—**काला या इब्ली सोमा मनअका अन्तसजुदा लिमा खलक्तो बय दय्या अस्तकबर्त अमकुन्ता मिनल आलीन।**

कुरआन पारा २३, रकु ५।४

अर्थात-खुदा ने कहा-ए इब्लीस ! किस वस्तु ने बाज़ (अलग) रखा तुझे इस बात से कि तू सजदा न करे उसे जिसे पैदा किया हमने अपने दोनों हाथों से........क्या घमण्ड (तकब्बर) किया तूने या तू अपने आपको महान समझता है।

तफसीर कादरी पारा २३, पृष्ठ ३३९

इसका उत्तर शैतान ने इस प्रकार दिया—**'काला अना खैरूम्मिन हो'** ।

अर्थात—मैं इस आदम से श्रेष्ठ हूँ, क्यों कि **'खलक्तनी मिन्नारिनव खलक्तोहू मिन तीन'** उत्पन्न किया तूने मुझे आग से-कि उसमें सूक्ष्मता और प्रकाश है; और आदम को तूने मिट्टी से उत्पन्न किया, जिसमें कसाफत (ठोसपन) और अंधकार है।

खुदा ने इसके उत्तर में कहा:—**'काला फ़ख़रूज मिनहा फ़इनका रजीम'** पस, निकल जा तू आसमान या स्वर्ग से तथा फरिश्तों की आकृति से, तू निकृष्ट है (अयोग्य है) **'वा इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन'** तुझ पर फटकार है और मेरा रोष है कयामत के दिन तक । (क्या कयामत के दिन के पश्चात रोष दूर हो जायेगा ?)

शैतान ने कहा:—**'काला रब्बे फअन्जिर्नी इला यौमे युब्असून'** मुझे तू मुहलत दे (मृत्यु से मुक्त करदे) उस दिन तक कि कब्रों से मृतकों को उठाया जायें (शैतान का अभिप्राय यह था कि मैं मृत्यु से बच जाऊँ)

इस पर खुदा ने कहा:-**'काला फ़ईन्नका मिनल मुन्ज़ेरीन'** (इतना पहिले कहा था और आगे का वाक्य अधिक कह दिया) **इला यौमिल्वक्तिल मालूम'** कि तुझे मृत्यु से मुक्ति दी गई वक्त मालूम तक, अर्थात पहली सूर (नरसिंहा) फूँकने तक (यह पहला सूर विश्व में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के लिये होता है) **'काला फ बे इज़्ज़ते का ल उग़्वेयन्ना हुम अजमईन'** शपथ है तेरी प्रतिष्ठा की, कि मुझ से जैसे हो सकेगा, बन पड़ेगा, मैं

आदम की सन्तान को अवश्य पथभ्रष्ट करूँगा। '**इल्ला एबा-देका मिनहो मूल मुखलसीन**' किन्तु मैं तेरे असली भक्तों को नहीं बहका सकूँगा। शैतान की इस बात पर खुदाने कहा- '**काला फल्हक्को अकूलो**' सत्य मुझ से है और मैं सत्य कहता हूँ:—

ल अम्ल अन्ना जहन्नमा मिन्का वा मिम्मन तबेअका मिन्हुम अजमईन।

कुरआन, सूरत स्वाद, पारा २३ रकु ५/१४

अर्थात-कि अवश्य भर दूँगा मैं नर्क को तुझ से और उन लोगों से जो तेरे पीछे चलेंगे। मनुष्यों और जिन्नों से, सब से। (जिन शब्दों का प्रयोग ऊपर किया गया है, वह पूर्व की आयतों में उपयोग किये गये शब्दों से सर्वथा भिन्न हैं।)

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३४०

[पूर्व की गई भूल का सुधार]

हाँ! इस स्थान पर इतनी बात यह की गई है कि जो हमने पूर्व में उपरोक्त आयतें उद्धृत की है, उनमें जो भयंकर भूल की गई थी, जो कि इस्लाम के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत थी अर्थात शैतान को मृतकों के जीवित होने तक जीने का वर-दान दे दिया था कि—तुझे उस दिन तक जीवित रहने का अवधि दी गई जब मुर्दों को उठाया जायेगा।

पहली आयत में की गई भूल का सुधार इस दूसरी आयत से कर दिया '**इला यौमिलवक्तिलमालूम,** हो यह वाक्य पूर्व वर्णित आयत में नहीं था। यह वाक्य लिखकर कि—वक्त मालूम तक

तेरे जीवन को स्थिर रखा जायेगा। वक्त मालूम का अर्थ हम पूर्व में लिख चुके हैं कि प्रथम सूर के फूँकने तक अर्थात प्रथम सूर और दुसरे सूर के फूँकने के मध्य जो अन्तराल है, उसमें तुझे मृत्यु प्राप्त होगी।

अतः पहली आयत में जो कहा गया था कि मृतकों के जीवित होने तक तुझे जीवित रखा जायेगा। इसके अनुसार तो शैतान मृत्यु से मुक्त हो अमर हो गया था !

हम नम्रता पूर्वक मुसलमानों से निवेदन किया चाहते हैं कि इतनी भयंकर भूल करने वाला क्या खुदा हो सकता है ? कि पहले तो शैतान को मृत्यु से मुक्ति दे दे और फिर दुसरी आयत में अपनी उस भूल का सुधार करे। यह तो केवल मनुष्य से ही सम्भव है।

आगे फिर इसी कथा को दुसरे शब्दों में वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है:—

वा नफ़ख़्तो फीहे मिरूँही फकऊ लहू साजदीन।

कुरआन, पारा १४ रकु ३/३

अर्थात–कि जब मैं (खुदा) उसमें अपनी रूह (आत्मा) फूँक दूँ तो तुम उसके (आदम के) आगे सजदे में गिर पड़ो। फिर जब खुदा ने आदम में रूह फूँक दी अर्थात जीवित कर दिया तो समस्त फरिश्तों ने सजदा किया किन्तु शैतान ने अस्वीकार कर दिया और सजदा न किया।

इस पर खुदा के नाम से कहा गया, कि:--

काला या इब्लीसो मालका अल्ला तकूनो मअस्साज़ेदीन।

कुरआन, पारा १४ रकु ३/३

अर्थात-कि ऐ शैतान ! सजदा करने वालों में सम्मिलित न होने का क्या कारण है ? क्योंकि मालिक की आज्ञा पालन करना तुझे आवश्यक था।

शैतान ने कहा—**'काला लम् अकुल्लि अस्जुदा लिबशरिन खल-क्तहू मिन सल्सालिम्मिन हम इम्मस्नून'**

अर्थात—मैं तो एक कसीफ (स्थूल) मनुष्य को सजदा नहीं कर सकता (अर्थात-निकृष्ट व्यक्ति को) जिसको तूने खन-खनाती सड़ी हुई मिट्टी से बनाया है और मुझे तूने आग से बनाया जो समस्त तत्वों से सूक्ष्म और श्रेष्ठ है तथा प्रति-ष्ठित है।

इस पर खुदा ने कहा—**'काला फख्रूज मिन्हा फइन्नका रजीम'** अर्थात—कि जब तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तो स्वर्ग या आस-मान व फरिश्तों के समूह से निकल जा। निसन्देह तू दुत्कारे हुओं में से है और प्रतिष्ठा से वंचित हो गया है, पत्थरों से मारा हुआ है। अर्थात जो अल्लाह की दरगाह से धिक्कारा जाये, वह पत्थरों से मारा जायेगा। इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में जब तू आसमान के निकट आयेगा तो तुझ पर अंगारो को बरसाया जायेगा, टूटे तारे तुझ पर पत्थरों के समान पड़ेंगे **'वा इन्ना अलैकल्लानतो इला यौमिद्दीन'** और कयामत तक तुझ पर फटकार निश्चित है।

इस पर शैतान ने कहा—**'काला रब्बेका अन्जिरना इला यौमे युब्असून'** अर्थात-कि ए मेरे खुदा ! जब तूने मुझे निकाल ही दिया है, और फटकार भो दे दी है, तो मेरे जीवन को उस दिन तक सुरक्षित रख कि जिस दिन कब्रों से मुर्दे उठाये

जायेंगे। (शैतान का यह जीवनदान मुर्दे उठाये जाने तक मांगने से यह अभिप्राय था कि वह मौत से बच सके।)

इस पर व्याख्याकार ने लिखा है कि यह मृत्यु से छोड़ देना उसकी प्रतिष्ठा के लिये नहीं अपितु उसके दुर्भाग्य तथा आपत्तियों में वृद्धि करने हेतु था।

मैं कहूँगा कि पूर्व आयतों में जिसे हमने सर्व प्रथम लिखा है कि खुदा ने शैतान को मृतकों के उठने तक जीवन का वर-दान दे दिया किन्तु बाद में जब कुरआन के लेखक को सूझा कि यह तो महान भूल हो गई, इसलिए इस आयत में यह कह कर **'इला यौमिल वक्तिल मालूम'** सुधार कर दिया।

शैतान ने कहा :—

काला रब्बे बिमा अगवेतनी ल ओ जय्येनन्ना लहुम फिलअर्जे वल उग्वियन्न हुम अजमईन।

अर्थात–शैतान ने कहा-ऐ मेरे खुदा! तूने मुझे पथभ्रष्ठ कर ही दिया है, इसलिए मैं भी अवश्यमेव संसार में गुनाहों को व्यव-स्थित रूप से लेकर उनके सम्मुख आऊँगा और उनको मार्ग से च्युत कर दूँगा। **'इल्ला एबादेका मिन्हुमुल मुखलीन'** (शैतान ने कहा) अर्थात तेरे वे चुने हुए पवित्र मनुष्य बह-काये नहीं जा सकेंगे! पारा १४ रकू, ३/३

अल्लाह ने कहा- **'काला हाजा सिरातुन अलय्या मुस्तकीम'** अर्थात–मुझ (अल्लाह) तक पहुँचने का यह सीधा मार्ग है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं।

हसन ने कहा है–कि सत्य का मार्ग सीधा है.........अख-दश ने कहा है-सीधा रास्ता बताना मुझ (अल्लाह) पर है अर्थात मेरे (अल्लाह) जिम्मे है..............इससे इस आशय की

ओर संकेत है कि अल्लाह् अपने चुने हुए भक्तों को पथभ्रष्ट नहीं होने देगा। शैतान की बहकावट से बचाने का दायित्व अल्लाह् का है। यथा:

इन्ना एबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मनित्तबअ का मिनल गावीन।

अर्थात-निसन्देह मेरे (अल्लाह् के) उन भक्तों पर तेरा तनिक भी वश नहीं चलेगा किन्तु जो पथभ्रष्ट लोगों में तेरी राह पर चलने लगेंगे उनको नर्क में ले जाया जायेगा। '**व इन्ना जह–न्नुमाल मौइदाहुम अजमईन**' और जो लोग तेरे मार्ग पर चलेंगे उन सबसे नर्क का वादा है। अर्थात उन सबको नर्क में डाल दिया जायेगा।

तफसीर मज़्हरी पृष्ठ ३४५ से ३४८

इसी प्रकार शैतान और खुदा के झगड़े के सम्बंध में **कुरआन, पारा १५, रकु ६।६** में लिखा है, जो कि पूर्वोक्त आयतों से सर्वथा भिन्न है।

जब सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया और शैतान ने न किया और अपने आप ही कहा- '**काला आ अस्जुदो लिमन् खलक्ता तीनन**' कि मैं सजदा नहीं करुँगा उस व्यक्ति को जिसे तूने मिट्टी से उत्पन्न किया। फिर खुदा ने उसे धिक्कार देकर अपनी दरगाह से निकाल दिया। फिर शैतान ने खुदा से प्रश्न किया '**काला अरा एतकाहाज़ल्लज़ी कर्रमता अलय्या**' शैतान नें खुदा से जवाब तलब किया कि तू मुझे इस बात से सूचित कर कि तूने इस व्यक्ति को मुझसे क्यों श्रेष्ठता दी है, उस स्थिति में जब कि वह मिट्टी से उत्पन्न है और मैं आग से हूँ फिर मेरी अपेक्षा उसे क्यों उत्कृष्टता दी '**लइन अख्खर्तने इला यौ**

मिल कियामते' यदि तू अंत तक मुझे रखे और मेरी मृत्यु को कयामत के दिन तक छोड़ दे तो **'लअह्तने कन्ना ज़ुर्रीयतहू इल्ला कलीला'** अवश्य मैं उसको (आदम की) सन्तानों को बहका कर जड़ से उखाड़ और ऐसी दशा कर दूँ कि तेरे संताप से भस्मीभूत हो जायें, किन्तु थोड़े कि उन्हें तेरी हिमायत (पक्षपात) के कारण पथभ्रष्ट न कर सकूँगा।

इस पर खुदा ने कहा-कि जो तेरा अनुसरण करेगा उसको नर्क में डालूँगा, और तू उनको बहका कर, उनको पतित कर अपनी आवाज से, और खैंच ला उन पर अपने सवारों और प्यादों को जो भ्रम में डालने में तथा बहकाने में तेरे सहायक है, और प्रेरणा दे ताकि वे हराम का माल जमा करें या ब्याज (सूद) पर दें या पाप में व्यय करें और उनकी सन्तान में भी सम्मिलित हो ताकि व्यभिचार से सन्तानोत्पत्ति करे, और वायदा (प्रतिज्ञा) कर उनसे असत्य वायदा जैसे-मूर्तियों की शिफायत (सिफारिश) या तौबा (पश्चाताप) करने में बाधा डाल या मृतकों के उठने और कयामत तथा स्वर्ग व नर्क के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाला बना। और शैतान वादा नहीं करता उनसे मगर फरेब का अर्थात पाप को पुण्य के रूप में प्रस्तुत करता है। यथा:-**'इन्ना इबादी लैसालका अलैहिम् सुल्तानुन'** (खुदा कहता है) निसन्देह मेरे विशेष भक्त........जो स्वर्ग हेतु उत्पन्न किये गये हैं वे तेरे बहकाने में नहीं आ सकेंगे। **'व कफा बे रब्बिका वकीला'** और खुदा अपने भक्तों को शैतान की गुमराही से बचाने के लिये पर्याप्त है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ६०५-६०६

(पाठक ! शैतान के इस प्रकरण को ध्यान पूर्वक पढ़े)

पाठक वृन्द ! जो आयतें हमने ऊपर उद्धृत की हैं,

उनके शब्दों और वाक्यों में परस्पर अत्याधिक विभिन्नता है। हमपूर्व में लिख आये हैं कि खुदा ने एक ही अवसर पर आदम को सजदा न करने के समय शैतान से चर्चा की और शैतान ने भी वाद विवाद किया। इस घटना को कुरआन में बारम्बार दोहराये जाने पर भी कथा की भाषा व शब्दावली एक समान होनी चाहिये थी। यदि आप आयतों को पढ़ सकें तो कुरआन में भी पढ़ कर देख लेवें तो इन आयतों में आपको अत्यधिक अन्तर प्रतीत होगा। कहीं कुछ है और कहीं कुछ।

इसलिए ऐसा ज्ञात होता है कि कुरआन के लेखक ने शैतान की सत्ता को जन साधारण के मन-मस्तिष्क में अंकित करने हेतु बारम्बार इस प्रसंग को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है, और एक ही प्रसंग को बारम्बार दोहराना पुनः रुक्ति दोष माना जाता है। उचित तो यह होता कि जैसे एकबार खुदा का झगड़ा शैतान से हुआ उसे एक ही बार कुरआन में लिखा जाना चाहिये था, क्योंकि झगड़े के पश्चात खुदा ने शैतान को निकाल दिया था।

उपरोक्त आयतों में वर्णित है कि शैतान ने खुदा से प्रश्न किया कि 'आदम को मुझसे अधिक महत्व क्यों दिया गया इस से मुझे सूचित करा।' इस बात को लक्ष्य में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शैतान के सम्बन्ध में आपको पूर्ण-रुपेण परिचित कराया जाये कि उसका पद क्या था? उसका महत्व क्या था? क्योंकि शैतान ने भी आसमान पर फरिश्तों के साथ ही शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी और वह पृथ्वी तथा आसमान का स्वामी बन गया था।

—:—

—: शैतान का परिचय :—

अजायबुल कसस भाग १ पृष्ठ ३१-३२ में शैतान का परिचय देते हुए लिखा गया है कि—उन असीरों (प्राणियों में एक अजाजील था। जिसने फरिश्तों के साथ ही आसमान पर शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी। उत्तरोतर प्रतिदिन उसका महत्व बढ़ता गया। उसके आसमान पर जाने के संबंध में एक प्रसंग इस प्रकार है कि बनी जान से झगड़े के कारण वह एक कौने में छुप गया और खुदा से प्रार्थना करने में लीन हो गया, और इतनी भक्ति की कि फरिश्तों ने अत्यन्त विनम्रता-पूर्वक खुदा से निवेदन किया कि ऐसे आज्ञाकारी और श्रद्धालु का हम लोगों के मध्य होना अधिक उत्तम है। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और खुदाने उसे प्रथम आसमान पर स्थान दिया। वहां पर वह एक दीर्घकाल तक उसी प्रकार प्रार्थना करता रहा। फिर द्वितीय आसमान के फरिश्तों ने खुदा से प्रार्थना की और वह भी स्वीकार हुई और वह द्वीतीय आसमान पर लाया गया तथा इसी प्रकार वह सप्तम (सातवें) आसमान पर पहूँच गया। एक दीर्घकाल तक वह स्वर्ग में भी रहा। वहां भी उसने प्रार्थना की व लीन रहा और अर्श (खुदा के सिंहासन) के नीचे याकूत की मेज पर नूर का झण्डा खड़ा करके उपदेश दिया। उसके प्रबचन में इतने फरिश्ते एकत्रित हुए कि उनको गणना खुदा के अतिरिक्त किसी से सम्भव नहीं।

कुछ लोगों का यह भी कथन है कि यह शैतान फरिश्तों में से ही था किन्तु अवज्ञा करने से उसे शैतान का परिवेश पहिना कर उसे फरिश्तो से पृथक कर दिया गया।

जब बनी जान एक कालान्तर पश्चात अपने स्थानों से बाहर आये और उन्होंने पृथ्वी के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया तथा उपद्रव करने लगे तो शैतान ने खुदा से प्रार्थना की, कि यदि आदेश हो तो मैं जाकर उन्हें पापाचार से रोकूँ तथा उन्हें उचित मार्ग पर लाऊँ। उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और वह फरिश्तों के एक दल के साथ पृथ्वी पर आया और उन्हें निमंत्रित किया।

अजाज़ील (शैतान) ने एक फरिश्ते को धूत (एलची) बना कर बनी जान के पास भेजा। उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इसी प्रकार एक दीर्घकाल तक फरिश्ते एलची (दूत) के रूप में भेजे जाते रहे और उनका वध होता रहा, जिसका पता शैतान को न लग सका। अन्ततः उसने एक और दूत को भेजा, उसे भी उन लोगों ने मार डालने का प्रयास किया परन्तु वह किसी प्रकार उनसे छल-प्रपंच कर बच निकला और सम्पूर्ण विवरण अज़ाजील को कहा। अजाज़ील ने अल्लाह से आज्ञा प्राप्त कर उनसे मुकाबला (युद्ध) किया और उनमें से अधिकांश को 'कत्ल कर डाला तथा जो शेष रहे वे पृथ्वी के अन्य भागों में भाग गये।

(फिर) खुदा ने शैतान को सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी और आसमान तथा स्वर्ग की खिलाफत (सर्वाधिकार) देकर सम्मानित किया। ऐसे उच्च पद प्रांप्त व्यक्ति (शैतान) का आदम को सजदा न करना एक स्वाभाविक बात थी। इसीलिए उसने खुदा से प्रश्न किया था कि तूने (खुदा) आदम को मुझसे अधिक महत्व क्यों दिया? (परन्तु इसका कुछ भी उत्तर उसे प्राप्त नहीं हुआ)

पाठक वृन्द ! शैतान और खुदा के विवाद का प्रसंग और शैतान का वास्तविक परिचय आपने भलीभाँति पढ़ लिया और मैं विश्वास रखता हूं कि आप भी इसी परिणाम पर पहुँचे होंगे कि यह गाथा सर्वथा कपोल कल्पित और गल्प मात्र है। खुदा को ऐसे विवादों में पड़ने की क्या आवश्यकता थी ? यह खुदा और शैतान का पूरा विवाद ऊपर लिखा गया।

अब इसी प्रकार की एक और अन्य गाथा जो अत्यंत ही मनोरंजक है। आपके समक्ष कुरआन के ही शब्दों में प्रस्तुत है:—

आदम को शैतान ने कैसे बहकाया।

जब सजदे का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया तो फरिश्ते आदम का तख्त उठा कर स्वर्ग में ले गये। फिर खुदा ने कहा:-

व कुल्ना या आदमुस्कुन अन्ता व जौजोकलजन्नता व कुला मिन्हा रग़दन हैसो शेतुमा व ला लवरबा हाजेहिश्शजरता फतकूना मिनज्जालेमीन।

कुरआन, पारा १, रकू ४।४

अर्थात—और हम [खुदा] ने कहा कि तुम [आदम] और तुम्हारी पत्नि स्वर्ग में बसो। (पत्नि कहां थी)

बग़वी का कथन है कि स्वर्ग में हज़रत आदम का कोई हम जिन्स [स्वजातीय] न था और साथी के अभाव में प्रायः उनकी तबीयत घबराया करती थी। एक दिन वह सो रहे थे

कि अल्लाह ने उनकी बाँई जानिब (वामाँग) से हज़रत हव्वा को उत्पन्न किया। जब वह सोकर उठे, तो देखा कि सिर के पास एक सुन्दर स्त्री बैठी हुई है। हज़रत आदम ने पूछा कि तू कौन है ? उसने उत्तर दिया कि मैं हव्वा तुम्हारी पत्नि हूँ !.... उस समय खुदाने कहा कि और इसमें से अच्छी प्रकार से खाओ, जहां कहीं से तुम्हारा दिल चाहे, और इस वृक्ष के पास न फटकना, यदि ऐसा करोगे तो हानि उठाओगे। (अर्थ तो यह है कि तुम इस वृक्ष को खाने से जालिमों (अत्याचारियों) में से हो जाओगे)

वृक्ष के विषय में मतभेद है कि वह कौन सा वृक्ष था ? इब्ने अब्बास और मुहम्मद बिन काब तो इसे गेहूं की बाली कहते हैं। इब्ने मस्ऊद इसे अंगूर, इब्ने जरीह इसे अंजीर और हज़रत अली इसे काफ़ूर (कपूर) कहते हैं। .... इत्यादि।

तफसीर मज़हरी, पारा १, पृष्ठ ६४-६५

हम लिख चुके हैं कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से मिट्टी मंगवा कर आदम का पुतला मक्का और ताइफ के मध्य बनाया, और उसके कद की लम्बाई साठ गज़ और चौड़ाई सात गज थी। आदम का पुतला उक्त भूमि में ४० वर्षों तक पड़ा रहा।

अजाए बुल कसस पृष्ठ ३५-१

आदम की उत्पत्ति आपने भलि प्रकार जान ली किन्तु हव्वा की उत्पत्ति आपके सम्मुख उचित प्रकार से स्पष्ट नहीं हुई है, उससे भी परिचित हो लें। कुरआन में लिखा है :—

या अय्यो हन्नासुत्तकू रब्ब कुमुल्लाज़ी खलक कुम्मिन्नफ़्सिव्वाहिद तिव्वं व खलका मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुआ रिजालन कसीरन ।

कुरआन, सूरत निसा, पारा ४ रकू १/१६

अर्थात-ऐ लोगों ! अपने खुदा से डरो, जिसने उत्पन्न किया तुमको एक व्यक्ति (आदम) से और उसी से उत्पन्न किया उसके जोड़े को, अर्थात हज़रत हव्वा को बांई पसली से ।

हज़रत अबू हुरैरा का कथन है कि रसूलिल्लाह ने कहा कि स्त्रियां आदम की बाँई पसली से उत्पन्न की गई हैं ।

अबुल शैख ने इब्ने अब्बास का कथन लिखा है कि-हव्वा को आदम की सब से छोटी पसली से उत्पन्न किया गया है, और आदम और हव्वा से फैलाया बहुत मनुष्यों और स्त्रियों को ।

तफसीर मज़हरी पारा ४ पृष्ठ ४७०-४७१

यह है हव्वा की उत्पत्ति । आदम से ही हव्वा को उत्पन्न किया और उसी की पत्नि बना दिया । हम शैतान और आदम की कथा लिख रहे थे किन्तु प्रसंगवश मध्य में हव्वा की भी उत्पत्ति लिखना पड़ी ।

जब से आदम को स्वर्ग में रखा । शैतान इस अवसर की चिन्ता में था कि किस प्रकार आदम और हव्वा को भ्रमित किया जाये ।

अल्लामा बग़वी कहते हैं कि जब शैतान आदम व हव्वा को बहकाने का विचार कर स्वर्ग में प्रविष्ट हेतु स्वर्ग के द्वार पर

गया तो स्वर्ग के चौकीदारों ने उसे स्वर्ग में जाने से रोक दिया। इतने में उसके पास सर्प आया। सर्प और शैतान में पूर्व से ही मित्रता थी और यह सर्प सभी जानवरों से अधिक सुन्दर था, उसके चारों पैर ऊँट के समान थे और वह भी स्वर्ग के पहरेदारों में से था। उसको शैतान ने कहा कि तू मुझे अपने मुँह में रखकर स्वर्ग के भीतर पहुंचा दे, उसने स्वीकार कर लिया और मुंह में रख कर शैतान को स्वर्ग में ले गया, और स्वर्ग के चौकीदारों को तनिक भी सूचना न हो सकी कि शैतान इस प्रकार स्वर्ग में प्रविष्ट हो गया है। न खुदा को पता लगा।

शैतान स्वर्ग में जाकर आदम और हव्वा के पास खड़ा हो गया। वे नहीं जानते थे कि यह शैतान है। शैतान वहां जाकर अत्याधिक रोने लगा। उसके रोने से आदम और हव्वा का हृदय पिघल गया, फिर दोनों ने उससे रोने का कारण पूछा? शैतान ने कहा कि मेरा रोना तुम्हारे ही हेतु है कि अब तुम दोनों ही मरोगे और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ खाद्य सामग्री से वंचित हो जाओगे। यह सुनकर आदम और हव्वा दोनों ही शोकातुर हो गये। यह देख कर शैतान ने सोचा कि मेरा जादू चल गया, तो सहानुभूतिपूर्वक कहने लगा............कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ और वह यह है कि अमुक वृक्ष के खाने से मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है। आदम ने उस वृक्ष को खाने से मना कर दिया और कहा कि मैं उस वृक्ष को कदापि न खाऊँगा। जब शैतान ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो बोला-खुदा की शपथ मैं तुम्हारा शुभेच्छुक हूं, इसमें कोई हानि की बात नहीं। आदम और हव्वा शैतान की बातों में आकर धोखा खा गये और विचार किया कि कौन ऐसा है जो

ख़ुदा की मिथ्या शपथ खायेगा। पहिले फल हव्वा ने और फिर हज़रत आदम ने खाया।

सईद बिनल मुस्इब ख़ुदा की शपथपूर्वक कहते थे कि हज़रत आदम ने होंशोहवाश में फल नहीं खाया अपितु हव्वा ने उन्हें शराब पिला दी थी। जब वे नशे में मस्त हो गये तो हव्वा उन्हें खींच कर वृक्ष के निकट ले गई तब उन्होंने फल खाया।

तफसीर मज़हरी, भाग १, पृष्ठ ९५-९६

हज़रत आदम ने पहिले भी शराब पी रखी थी

एक कथन में है कि हज़रत आदम अभी उज़् (विरोध) न कर चुके थे कि हज़रत हव्वा एक प्याला स्वर्ग की शराब का हज़रत आदम के पास लाई और हज़रत आदम ने उसमें से पिया चूँकि वे (आदम) पहिले ही शराब में मस्त थे। दोबारा पीने से मस्ती अत्याधिक हुई और मदहोशी से बुद्धि स्थिर न रही।

अजाएबुलकसस, भाग १, पृ. ४६

(यह है इस्लाम का प्रथम पैगम्बर और मनुष्य मात्र का पिता, जो शराब के नशे में ख़ुदा की आज्ञा को भी भूल जाता है।)

शैतान द्वारा आदम को बहकाने सम्बंधित आयतें

प्रथम आयत :—

फ़ अज़ल्ला हुमश्शैतानो अन्हा फ़ अख़्रजाहुमा मिम्मा काना

फौहे व कुलनहबेतू बाजुकुम लिबाजिन अदुव्व, व लकुम फिल अर्ज मुस्तकर्रुव्वां मताउन इला हीन।

कुरआन, पारा १, रकू ४।४

अर्थात–फिर डिगाया (गिरा दिया) और स्थान से ले गया आदम और हव्वा को शैतान स्वर्ग से, और शैतान मोर और सर्प की सहायता से स्वर्ग में आया था, और उसने हव्वा व आदम को वस्वसा (भ्रम में डाला) दिलाया, फिर निकाला उन दोनों को उस वस्तु से जो करामत (प्रतिष्ठा) और नैमत (सम्पदा) थी, और कहा हम (खुदा) ने मोर और साँप तथा आदम और हव्वा एव शैतान को कि तुम सब स्वर्ग से संसार में उतर जाओ (शैतान को तो स्वर्ग से पहिले ही निकाल दिया गया था। अब दुबारा पुनः निकालने का क्या अर्थ ?) बाजे (कुछ) तुम्हारे बाजों (कुछों) के शत्रु हैं और तुम्हारे व तुम्हारी सन्तानों के लिये पृथ्वी में ही ठहरने का स्थान है।

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ १०–११

इसमें विशेष इतना ही है कि मोर को दंड इस कारण दिया गया कि उसने वह वृक्ष बताया था।

अल्लाह ने आदम से कहा कि तूने यह कर्म (फल खाने का) क्यों किया ? उन्होंने (आदम ने) कहा कि हव्वा ने ऐसी बातें बताई कि वह वृक्ष मुझे भला प्रतीत हुआ। इस पर खुदा ने आदेश दिया कि मैं इस (हव्वा) पर अज़ाब (कष्ट) निश्चित करूँगा अर्थात गर्भ होने पर इसे दुख होगा और फिर प्रसव के समय पीड़ा-कष्ट और संताप होगा और प्रतिमाह जो रक्त (मासिक धर्म) आया करेगा वह (दुख) पृथक है। इस पर

हव्वा रोने लगी, आदेश (खुदा का) हुआ कि तुझ पर और तेरी समस्त बेटियों पर रोना अनिवार्य किया गया।

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ ९६-९७

द्वितीय आयत:—

फ़ वस्वसा लहो मश्शैतानों लियुब्दिया लहुमा मा वुरेया अन्हुमा मिन सौआतेहिमा व काला मा नहाकुमा रब्बोकुमा अन् हाजे हिश्शजरते इल्ला अन तकूना मलकैने औ तकूना मिनल्खालेदीन। व कासमहुमा इन्नी लकुमा लमे नन्नासेहीन। फ़दल्लाहुमा बिग़रूर फ़लम्मा ज़ाक़श्शजरता बदत् लहुमा सौ आतुहुमा व तफ़ेक़न यख़सेफ़ाने अलैहे मा मिव्वरकिलजन्नते व नादाहुमा रब्बोहुमा अलम् अन्हकोमा अन् तिल्कोमश्शजरते व अकुलकुम्मा इन्नश्शैताना लकुमा अदुव्वंम्मुबीन।

कुरआन, सूरत एराफ़, पारा ८ रकू २/९

अर्थात-फिर शैतान ने दोनों (आदम और हव्वा) के दिलों में भ्रम (वस्वसा) डाला ताकि उनके आवरण का शरीर (गुप्तांग) जो अबतक दोनों से पौशीदा (गोपनीय) थे, दोनों के समक्ष करदे, और गुप्तांग जिनको दोनों में से कोई भी नहीं देखता था न स्वयं के न दुसरे का (हाँ भाई ! कैसे देख सकते थे इनके शरीर पर सम्भवत स्वर्ग केवस्त्र रहे होंगे?) शैतान ने कहा:-कि तुम्हारे खुदा ने तुम दोनों को इस वृक्ष के खाने से इसलिए रोका था कि तुम (इसे खाकर) कहीं फरिश्ते हो जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ, और दोनों के सम्मुख शपथ खाई कि विश्वास करो कि मैं तुम दोनों का शुभचिन्तक हूं। पस,

उन दोनों को धोखे से नीचे ले आया अर्थात आज्ञा पालन के स्थान से पाप में प्रवृत किया। फिर जब उन दोनों ने उस वृक्ष के फल का मजा (स्वाद) चख लिया तो दोनों के गुप्तांग एक दुसरे पर प्रगट हो गये और लज्जा के कारण वे अपने नग्न अंगों पर स्वर्ग के (वृक्षों के) पत्ते चिपकाने लगे। उस वर्जित वृक्ष का मजा चखने मात्र से ही लिवास (स्वर्ग के वस्त्र) उतर गया।

अब्द बिन हमीद ने वहव बिन मंबा का कथन उद्धृत किया है:-कि दोनों का लिबास (वेशभूषा) नूर (प्रकाश) का था।

इब्ने अबी हातिम ने...... इब्ने अब्बास का कथन लिखा है—आदम और हव्वा का पहिनावा नाखून का था किन्तु उस वृक्ष के फल का मजा चखने से ही कुल लिबास उतर गया और केवल नाखून ही रह गये। पत्तों से तात्पर्य है अंजीर के पत्ते। हज़रत उबय्य बिन काब से रबायते की (कथन) है कि रसूलिल्लाह ने कहा कि आदम का कद इतना लम्बा था, जैसे खजूर का पुराना वृक्ष। सिर पर बड़े-बढ़े बाल थे। जब पाप में पड़ गये और उनके गुप्तांग प्रकट हो गये.......तो भाग कर एक उद्यान (बाग) में पहुँचे उद्यान के एक वृक्ष ने उनके बालों को उलझा दिया। आदम ने कहा—मुझे छोड़दो। वृक्ष ने कहा—में तुमको छोड़ने बाला नहीं हूं। इस पर अल्लाह की आबाज आई—आदम! क्या तू मुझ से भाग रहा है? आदम ने कहा—नहीं मेरे खुदा! अपितु मुझे तुझसे लज्जा आ रही है (इस वणन से ज्ञात होता है कि स्वर्ग के वृक्ष भी बोलते थे और समझते थे। साथ ही आदम का यह कथन कि मुझे तुझ से लज्जा आ रही है, खुदा को एक शरीरधारी सिद्ध करता है, जैसे बाईबिल में लिखा है—कि खुदा शीतल समय में उद्यान की सैर करता था)

—:बाइबिल में आदम की गाथा:—

आदम तथा शैतान की इस गाथा में बाइबिल का उल्लेख उपस्थित हो गया है। मैं चाहता हूँ कि प्रसंगवश इस सन्दर्भ में बाइबिल में वर्णित इस कथा को भी लिख दिया जाये, क्योंकि आदम की इस कथा को हज़रत मुहम्मद ने वहीं से लेकर कुछ न्यूनाधिक कर कुरआन में लिखा है।

सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? यह एक वैज्ञानिक विषय है, जिससे हज़रत मुहम्मद परिचित नहीं थे। यदि यह कुरआन खुदा की ओर से उतारा गया होता तो आवश्यक था कि इसमें वर्णित सृष्टि-उत्पत्ति का विषय, जो कि अत्याधिक महत्वपूर्ण है, इस प्रकार विज्ञान के विरूद्ध न होता।

—:६ दिन में धरती की उत्पत्ति:—

सर सय्यद अहमद ने अपनी कुरआन की तफसीर के भाग ३, पृष्ठ १२० पर "६ दिन में भूमि का उत्पन्न होना" के शीर्षक से लिखा है - कि भूमि का ६ दिन में उत्पन्न होना यहूदियों के अनुसार ही कुरआन में आया है।

६ दिन में दुनिया का निर्माण होने पर बड़े-बड़े आक्षेप थे, क्योंकि ६ दिन में दुनिया उत्पन्न नहीं हुई किन्तु बहुत अधिक समय में उत्पन्न हुई है। इस पर ऐसे जटिल और दृढ़ तर्क थे कि उनका निवारण नहीं हो सकता था। इस पर ईसाईयोंने अन्ततः यह उत्तर दिया कि दिन से अभिप्राय ज़माना (काल) है।

इस पर सर सय्यद अहमद अपनी सम्मति लिखते हैं: -

कि खुदा ने तौरेत के आरम्भ में कहा-है कि खुदा ने ६ दिन में धरती और आसमान बनाए और अरब निवासी यहूदियों से सम्बंधित थे, और प्रत्यक्ष यह कि उन्होंने यहूदियों से यह बात सुनी थी। इस कारण खुदावन्द ने फरमाया है-कि

तुम बुतों की पूजा में संलग्न मत होओ, क्योंकि तुम्हारा पालने वाला वही है कि जिसके विषय में तुमने बुद्धिमानों से सुन रखा है, कि निसन्देह उसने आसमानों और ज़मीनों को अपनी अलौकिक शक्ति और असीम सामर्थ्य से ६ दिनों में उत्पन्न किया है।

यहां छः दिन का शब्द यहूदियों के विश्वास के अनुसार आया है, न कि वास्तविकता को बयान करने हेतु।
हम लिख रहे थे कि हज़रत मुहम्मदने बाइबिल के आधार पर ६ दिन में जमीनों ओर आसमानों को उत्पति को कुरआन में लिख दिया। इस सम्बन्ध में बाइबिल का कथन निम्न प्रकार है:—

और य़होवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रच कर उसके नथुनों में जीवन का श्वाँस फूँक दिया और आदम जीता प्राणी बन गया, और परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और उसमें आदम को रख दिया, और भांति-भांति के सुन्दर और स्वदिष्ट बृक्ष उसमें लगाये, और वाटिका के मध्य में जीवन के बृक्ष को तथा भले और बुरे को पहिचान के बृक्ष को भी लगाया................आदम को उस वाटिका में रखा ताकि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बेखटके खा सकता है, परन्तु भले और बुरे के ज्ञान का जो बृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खायेगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। (किन्तु मरा तो नहीं) फिर यहोवा ने कहा-आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊँगा, जो उससे मेल खाय। और परमेश्वर भूमि में से सब पशुओं को लाया और आदम से उनके नाम रखाये, परन्तु आदम को उसका कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। तब

परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और उसकी एक पसली निकाल कर उसमें मांस भर दिया, और परमेश्वर ने उस पसली को स्त्री बना लिया, और उसको आदम के पास ले आया ....और आदम और उसकी पत्नि दोनों नंगे थे; पर लजाते नहीं थे।

परमेश्वर ने जितने वन्य पशु बनाये थे, उनमें सर्प बड़ा धूर्त था, और उसने (सर्प ने) स्त्री (हव्वा) से कहा-कि क्या यह सत्य है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना ? स्त्री ने सर्प से कहा-कि वाटिका के मध्य में जो वृक्ष है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा-कि न तो उसके फल को खाना और न उसे छूना अन्यथा तुम मर जाओगे तब सर्प ने स्त्री से कहा-कि तुम निश्चय ही न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखे खुल जाएँगी और तुम भले-बुरे का ज्ञान पा कर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे । सो, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनमोहक और बुद्धि देने के हेतु चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आँखे खुल गई और उन दोनों को प्रतीत हुआ कि वह नग्न है, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर. जो दिन के ठन्डे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नि वाटिका के वृक्षों के मध्य में परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा-कि तू कहाँ है ? उसने कहा-मैं वाटिका में तेरा शब्द सुन कर डर गया, क्योंकि मैं नग्न था, इस कारण छुप गया। उसने कहा-कि किसने तुझे बताया कि तू नग्न है। जिस वृक्ष का फल खाने

से मैंने तुझे रोका था, क्या तूने उसका फल खाया है ? (खुदा को पता नहीं लगा कि उसने फल खा लिया है ।) आदम ने कहा- जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को मुझे दिया है, उसी स्त्री ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया । तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा— कि तूने यह क्या किया है ? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया । तब परमेश्वर ने सर्प से कहा—कि तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और वन्य पशुओं से अधिक शापित है । तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के मध्य में, और तेरे वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा । फिर उसने स्त्री से कहा—कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुखः को बढ़ाऊँगा । तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तूझ पर प्रभुता करेगा, और आदम से उसने कहा—जो तूने अपनी पत्नि की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल न खाने के विषय में मैंने तुझे कहा था, तूने उसे खाया । इस कारण भूमि तेरे कारण शापित है । तू उसकी उपज जीवन भर दुखः के साथ खाया करेगा, और तेरे लिए वह काँटे और ऊँटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खायेगा, और अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा ।

उपरोक्त बाईबिल का वर्णन इसलिए लिख दिया कि आप यथार्थ से परिचित हो लें । अब आगे हम पुन: अपने विषय पर आते हैं और पृष्ठ २८४ से आगे लिखते हैं ।

बाइबिल उत्पत्ति अध्याय ३ क्रमांक २२ तक

और उनके (आदम व हव्वा के) खुदा ने दोनों को आवाज़ देकर कहा–क्या मैंने तुम दोनों को इस वृक्ष (के निकट जाने) से रोक नहीं दिया था, क्या तुमसे नहीं कह दिया था कि शैतान तुम दोनों का वास्तविक शत्रु है........ ?

मुहम्मद बिन कैस ने कहा है कि अल्लाह ने आवाज़ दी कि जब मैंने तुम्हें इस वृक्ष के खाने से मना किया था, तो तुमने क्यों खाया ? आदम ने कहा—मुझे हव्वा ने खिला दिया ! अल्लाह ने हव्वा से पूछा–कि तूने क्यों खिलाया ? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे सर्प ने परामर्श दिया। सर्प से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया ? तो सर्प ने कहा–कि मुझे शैतान ने प्रेरित किया। इस पर अल्लाह ने कहा—ऐ हव्वा ! तूने इस वृक्ष को रक्त से पोषित किया, तू भी प्रतिमास खून आलूद (रक्तयुक्त) रहेगी और ऐ सर्प ! तेरे पैर में काट देता हूँ तू मुँह (उदर) के बल (आधार) चलेगा और तुझे जो भी पायेगा तेरा सिर फोड़ देगा, और शैतान से कहा–कि तू फटकारा और धिक्कारा हुआ है।

तफसीर मजहरी, पारा ८, पृष्ठ २८१ से २८३

जब शैतान ने सजदा न किया तो उस समय खुदा ने आदम को कहा वह निम्नलिखित आयत में वर्णित है !

तृतीय आयत :—

कुल्ना या आदामो इन्ना हाज़ा अदुव्वुल्लका व लिज़ौजेका फ़ला युख़्रेजन्नकुमा मिनल्जन्नते फ़तश्का । इन्ना लका अल्ला तजूवा फ़ीहा व ला तअरा। वअन्नकाला त ज़्मऊव फ़ीहा ला तज़्हा। फ़वस्वसा इलैहिश्शैतानो, काला या आदमो हल अदुल्लोका अला शजरतिल्खुल्दे व मुल्किल्ला यब्ला। फ़ अकला मिन्हा फ़ बदत

लहुमा सौ आतुहुमा व तफ़िका यख़सेफ़ाने अलैहे मा मिन्वर किल्जन्नते व असा आदमो रब्बहु फग़वा ।

कुरआन, सूरत त्वाहा, पारा १६ रकू ७।१६

अर्थात–तो हम (खुदा) ने कहा कि ऐ आदम ! निश्चित ही यह शैतान तेरा और तेरी पत्नि को, जो हव्वा है (जब शैतान ने आदम को सजदा न किया, उस अवसर पर आदम की पत्नि हव्वा का नामोनिशान भी न था किन्तु खुदा दोनों को सम्बोधित कर रहा है) न निकाल देवें तुम दोनों को स्वर्ग से, फिर तू कष्ट में पड़े ! निश्चय ही तेरे लिये स्वर्ग है और उसमें उपलब्ध है सब तेरे लिये उत्तम पदार्थ, और न तू नग्न होता है, इसलिए जो लिबास (वेशभूषा) चाहिये वह उपस्थित है, और न उसमें प्यासा होता है इस कारण कि चश्में और नहरें निरन्तर बहते हैं, और न धूप है कि स्वर्ग के वृक्षों की छाया सदैव फैली हुई है ।

फिर शैतान ने स्वर्ग में आने के पश्चात मिथ्या विचार डाला और प्रथम उसने स्वर्ग में आकर हज़रत हव्वा को देखा और मृत्यु से उसे आतंकित किया। हज़रत हव्वा ने आदम से कहा-वह भी मृत्यु से डरे, और शैतान जो वृद्ध का रूप धारण कर स्वर्ग में आया था, उससे मृत्यु का उपचार पूछा ? तो शैतान ने कहा कि ऐ आदम ! '**शजरतुल्ख़ल्द**' अर्थात सदैव जीवनदायक वृक्ष के फल खाना ही इस रोग का उपचार है। क्या मार्ग दर्शन करूँ मैं तुम्हारा उस अनादि जीवन प्रदान करने वाले वृक्ष हेतु ? जो कोई उसमें से खाये कभी उसको मृत्यु न आए और बताऊँ मार्ग तुझे ऐसी बादशाही (राज्य-सत्ता) का जो कभी पुरातन न हो ! इस पर आदम ने कहा–

कि बतादे ! शैतान ने वही वृक्ष बता दिया, जिसके खाने से खुदा ने रोका हुआ था । फिर खा लिया आदम और हव्वा ने उस वृक्ष में से, तो खुल गये उन दोनों के लिये उनके गुप्त स्थान अर्थात स्वर्ग की वेशभूषा उन दोनों के शरीर से उतर गई और दोनों नग्न हो गये,और खड़े हो रहे, और चिपकाते (ढाँपते) थे अपने गुप्तांगों पर स्वर्ग के वृक्षों के पत्ते, और अवज्ञा की आदम ने अपने खुदा की आज्ञा । दुर्भाग्यवश उस वृक्ष का मेवा खा लेने से वह अपने लक्ष्य से वंचित हो गया ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ४६

पाठक वृन्द ! आपने उपरोक्त उद्धृत तीनों आयतों और उनकी व्याख्याएँ पढ़ ली । इनमें परस्पर कितना शाब्दिक मतभेद है । प्रथम आयत में है कि शैतान ने खुदा की शपथ खाई इस हेतु हमने खा लिया । द्वितीय आयत में है कि आदम फल नहीं खा रहा था किन्तु हव्वा ने उसे खिला दिया, और यह भी आप पढ़ चुके है कि आदम ने शराब पी रखी थी, हव्वा ने और भी पिला दी । फलस्वरूप आदम मदहोश हो गया तो उस समय हव्वा ने उसे वह फल खिलाया । उक्त दोनों आयतों (स्थानों) में सब जगह पर यही कहा कि शैतान के प्रेरित करने पर आदम और हव्वा ने फल खाया ।

परन्तु अंत की तृतीय आयत जो ऊपर उद्धृत है, उसमें न तो शैतान ने धोखा दिया, न प्रेरित ही किया । केवल मृत्यु से भयभीत किया । आदम व हव्वा ने मृत्यु का उपचार पूछा तो शैतान ने उसी वृक्ष को खाने हेतु कहा, जिसके लिये खुदा ने मना किया था । शैतान के बताने पर आदम ने कोई अस्वीकृति

प्रकट नहीं की और न हव्वा ने ही खिलाया, अपितु दोनों स्वयं वृक्ष के निकट जाकर फल खा आये।

इन उपरोक्त उद्धृत आयतों में परस्पर कितना अंतर और मतभेद दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या ऐसी पारस्परिक विरोधात्मक वाणी (कलाम) खुदा की ओर से हो सकती है? कि कहीं शैतान द्वारा बहकाने पर खाना और कहीं अपने आप स्वयं जा कर खा लेना। सत्य और यथार्थ क्या है? इसका निर्णय पाठक स्वयं कर वास्तविकता से परिचित हों।

आदम और हव्वा के बहकने से—
कुरआन पर एक जटिल प्रश्न

कुरआन में बारम्बार यह वर्णन आता है कि जो खुदा के नेक बंदे (भक्त) है, उनको शैतान नहीं बहका सकेगा। उन (भक्तों) की रक्षा का दायित्व खुदा पर है।

हमने भी उपरोक्त उद्धृत आयतों में वर्णित इस बात का उल्लेख कुरआन से कई बार किया है।

कुरआन के लेखक (?) ने खुदा की उक्त घोषणा को विभिन्न स्थानों पर बारम्बार दोहराया है और शैतान के मुख से भी इसकी पुष्टि करा ली कि खुदा के नेक बंदों को मैं पथभ्रष्ट अथवा भ्रमित नहीं कर सकूँगा।

प्रश्न यह है कि जिस आदम को खुदा ने स्वयं अपने दोनों हाथों से बनाया और फरिश्तों आदि से सजदा करवाया तथा प्रथम पैगम्बर, समस्त पैगम्बरों का पिता बनाया व उसे स्वर्ग

में स्थान दिया, इस (आदम) से अधिक नेक बंदा और कौन होगा ? और आदम का स्वर्ग में रहना भी इस बात का प्रमाण है कि आदम खुदा का नेक बदा और पैग़म्बर था किन्तु शैतान ने स्वर्ग में पहुंच कर उसको बहका दिया।

कुरआन के अनुसार खुदा ने जो नेक बंदों की रक्षा के दायित्व की घोषणाएँ की थी, खुदा उसे पूर्ण न कर सका और खुदा ने जो स्वर्ग के पहरेदार रखे थे उनकी आंखों में धूल झोंक कर शैतान स्वर्ग में प्रविष्ट हो गया और खुदा के प्रथम पैग़म्बर और नेक बंदे आदम को भ्रमित कर पथभ्रष्ट कर दिया !

कुरआन के लेखक को भी कहना पड़ा कि **'व असा आदमो रब्बहू फ़ग़वा '** (कुरआन, पारा १६ रकू ७/१६) अर्थात्-और नाफ़रमानी (अवज्ञा) की आदम ने अपने रब्ब (खुदा) की और गुमराह (पथभ्रष्ट) हुआ। **(अनुवाद-शाह रफीउद्दीन)**

हम पूछते हैं कि क्या आदम नेक बंदा नहीं था ? यह तो कोई भी मुसलमान कहने को तत्पर नहीं हो सकता। यदि था ? तो फिर जब शैतान ने आदम को बहका कर अवज्ञाकारी और पथभ्रष्ट बना दिया, तो उन बहुसंख्यक आयतों का क्या मूल्य होगा और उनको प्रामाणिक कैसे स्वीकार किया जायेगा ? जिन में बारम्बार घोषित किया कि 'मेरे (खुदा के) नेकबंदो को तू (शैतान) नहीं बहका सकेगा। उनकी (नेक बंदो की) रक्षा का दायित्व (जिम्मा) हम (खुदा) पर है।' किन्तु अब आदम के भ्रमित होने से वे समस्त आयतें अन्यथा और अप्रामाणिक सिद्ध हो गई। क्या उन समस्त आयतों को सत्य प्रमाणित करने का मुसलमानों के पास कोई ठोस आधार है ? उपरोक्त

वर्णन से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि कुरआन खुदा का कलाम (कथन) नहीं, क्योंकि इन आयतों से खुदा पर प्रतिज्ञा भंग करने दोष आता है और मिथ्या आश्वासन भी प्रकट होता है। कुरआन के समर्थकों और श्रद्धावान लोगों को इन आयतों पर विचार कर निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि सत्य और यथार्थ क्या है ?

आदम और शैतान: कुछ विशेष आयतें

हम पूर्व में लिख चुके हैं कि खुदा ने आदम को मक्का और ताईफ के मध्य उत्पन्न किया। तफसीर मज़हरी के अनुसार '**मा कुन्तुम तक्तमून**' की व्याख्या में लिखा है कि-अल्लामा बग़वी ने इब्ने अब्बास का कथन उद्धृत किया है कि हज़रत आदम का शरीर जब मक्का और ताईफ के मध्य पड़ा था तब शैतान उधर से गुज़रा और कहा कि इसको क्यों उत्पन्न किया गया है ? फिर उसके मुँह के मार्ग से भीतर प्रविष्ट हो पीछे के मार्ग से निकल आया और उसने कहा कि यह सृष्टि में अपने आपको नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यह भीतर से खोखला (पोला) है।

तफसीर मज़हरी, पारा, १, पृष्ठ ६०

फरिश्तों ने खुदा की आज्ञा से मक्का और ताईफ के मध्य नेमान नामक स्थान पर आदम का पुतला बनाया और खुदा ने अपने हाथों की शक्ति से उसकी आकृति, हाथ-पैर, मुँह-नाक आदि बनाए।

तफसीर हक्कानी, पारा १, पृष्ठ ६४

एक शंका और उसका समाधान

खुदा ने फरिश्तों से कहा—कि जब आदम में जीवन स्थिर हो जाये तो उसके लिये सज़दा करो। (इस बात से पाठकों को संदेह (शंका) होगा कि आदम को तो मक्का और ताईफ के मध्य बना कर जीवित (उत्पन्न) किया और सजदा का कार्यक्रम आसमान पर हुआ, तो आदम पृथ्वी से आसमान पर कैसे पहुँच गया ? पृथ्वी से आसमान पर ले जाने हेतु खुदा ने फरिश्तों से कहा कि एक तख्त आदम के लिये बनाओ। उस तख्त के ३०० पाये थे। एक पाये से दुसरे पाये तक सैकड़ों वर्षों का मार्ग था। तख्त बनाया गया (और आदम का शृंगार किया गया) स्वर्ग के रत्नादि उसके कानों में और स्वर्ग के दस्ताने उसके हाथों में और अमूल्य अंगूठियां उँगलियों में डाल दी तथा नेकी की पोशाक (वेशभूषा) पहिना दी और मस्तक पर करामात (प्रतिष्ठा) का ताज पहनाया..........फिर फ़रिश्ते उस सौभाग्यशाली तख़्त को अपने कंधों पर उठा कर आसमान पर ले गये और उसे खुदा के सिंहासन (अर्श) के बराबर (फ़रिश्तों ने ले जाकर) रख दिया। फिर उस समय खुदा ने सज़दा करने का आदेश दिया। सज़दा का कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात फ़रिश्तों ने आदम को स्वर्ग के आभूषण पहिनाए और रत्न-जड़ित मुकुट व लाल जवाहिरातों से जड़ा कमरबंद (करधनी) पहना कर तख़्त पर आरूढ़ कर दिया और ७-७ हजार फ़रिश्ते उस तख़्त के दाँए एवं बाँए उठाने हेतु लग गये और ७ हजार फ़रिश्ते आदम के प्रशंसा-गीत गाते हुए चले और फ़रिश्तों ने आदम के तख़्त को ले जाकर स्वर्ग में रख दिया।

अजायबुल कसस पृष्ट ४०-४२

—:सजदा में कितनी देर रहे :—

कुछ लोगों का कथन है कि सजदा में १०० वर्षों तक और कुछ लोगों ने कहा है कि फरिश्ते ५०० वर्षो तक आदम के सम्मुख सजदे में पड़े रहे। अब आप शैतान के कलाम को देखते जायें।

जब शैतान ने आदम को सजदा न किया तो उसे खुदा ने निकाल दिया, और एक रवायत [कथन] में है कि शैतान को आसमान से दरिया [समुन्द्र] में डाल दिया और वह कई वर्षों तक उसमें डूबा रहा यह आदम की गाथा आप ध्यान पूर्वक पढ़े और देखें कि जब आदम को स्वर्ग में रक्खा उस समय आदम अकेला ही था। खुदा ने उस समय आदम को कुछ नहीं कहा।

अजाएबुल कसस, पृष्ठ ४१-४२

—:शैतान का युसुफ को मार डालने का परामर्श:—

कथा इस प्रकार है कि युसूफ के अन्य भाई भी थे और युसूफ अपने पिता को प्रिय था। अन्य भाईयों ने सोचा कि हम अत्याधिक कार्य करने वाले है परन्तु पिता युसूफ और उसके छोटे भाई से ही अधिक प्रेम करते हैं। वे परस्पर चर्चा कर रहे थे, जिसे सुन कर शैतान वृद्ध पुरुष के रूप में उनके निकट आया व बोला कि युसुफ तुम्हें दास [गुलाम] बनाना चाहता है। उन्होंने पूछा कि बड़े मियां! तो फिर क्या उपाय करें? इस पर शैतान ने कहा—**निक्तुलू युसूफा अवितरहूहो अर्ज़ य्ख़्लो लकुम वज्हो अबीकुम व तकूनू मिम्बादेही कौमन स्वालेहीन।**

कुरआन, पारा १३ रकू २।१२

अर्थात्-शैतान ने कहा कि हत्या करो युसूफ की या डाल दो उसे किसी भूमि पर जो बस्ती से दूर निर्जन हो या ऐसे स्थान पर जहां हिंसक पशु निवास करते हों, जिससे उसकी अनुपस्थिति में तुम्हारे पिता का ध्यान पूर्णरूपेण तुम्हारी ही ओर आकृष्ट हो जायेगा।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ४८६

तफसीर हक्कानी ने इस कथा पर विस्तृत प्रकाश डाला है, जिसे पाठकों के ज्ञातव्य हेतु उद्धृत कर रहे हैं—याकूब (युसूफ का पिता) अपने पिता के निर्देशानुसार हारान की ओर अपने सगे मामा नहूर के पुत्र लाबुन के पास चले गये। लाबुन की दो पुत्रियां थी। जिसमें बड़ी का नाम लियाह् था, जिसकी आँखे चौंधियाती थी और छोटी का नाम राहिल अथवा राहील था, जो अतीव सौन्दर्यवान थी। याकूब राहील पर आसक्त (आशिक) हो गया (यह ऐसे हैं इस्लाम के पैग़म्बर) ७ वर्षों तक लाबुन की बकरियाँ चराने के अनुबंध पर विवाह निर्धारित हुआ और अवधि पूर्ण होने पर याकूब का विवाह राहील के साथ कर दिया गया किन्तु प्रातः जागने पर उसने राहील के स्थान पर लियाह् को पाया तो उसने इस धोखे की शिकायत अपने मामा से की, तो उसने एक सप्ताह के उपरांत याकूब का विवाह राहिल से भी कर दिया। लियाह् के गर्भ से ६ सन्तानें और उसकी दासी जुल्फा, जो दहेज में आई थी के भी २ सन्तानें हुई और राहिल से युसूफ हुआ जो अत्यन्त रूपवान था और दुसरा लड़का बिनयामीन हुआ। इसके पश्चात राहील की मृत्यु हो गई और राहिल के साथ जो दासी आई थी, उससे भी २ पुत्र हुए। फिर २० वर्षों वहाँ निवास करने के पश्चात याकूब अपनी पत्नियों, सन्तानों तथा बकरियों की रेवड़ सहित अपने

पैतृक प्रदेश के ग्राम सैलून में आकर बस गया। यहीं से युसूफ के भाईयों ने युसूफ को ले जाकर एक वीरान कुएँ में डाल दिया था।

तफसीर हक्कानी, पारा १३ पृष्ठ २६-२७

युसूफ अपने पिता को इसलिए अत्याधिक प्रिय था कि वह उनकी चहेती पत्नि राहील के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। यह युसूफ को कुँए में डालने का कृत्य युसूफ के भाईयों ने शैतान के परामर्श और निर्देश पर किया।

कयामत के दिन शैतान का प्रवचन

कयामत की कल्पना सर्वथा मिथ्या है और इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं। यह केवल कुरआन के लेखक की मात्र निराधार कल्पना है।

कुरआन के लेखक ने अपने अनुयाईयों को प्रलोभन व संतोष हेतु यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया है और उसे बिना प्रमाण के ही खुदा के नाम पर कुरआन में लिख दिया है। कयामत के दिन जब सब निर्णय हो चुकेंगे तो उस समय शैतान कहेगा:—
वा कालश्शेतानों लम्मा कुज़ेयल्अमरो इन्नल्लाहा बाअदकुम बादल्हक्के व बअत्तकुम फअख़्लफत्तोकुम बा मा काना लिया अलैकुम्मिन सुल्तानिन इल्ला अन दऔतुकुम फस्तजब्तुमली फला तलूमूनीवालूमू अन्फ़सकुम मा अना बेमुस्रिखिकुमव मा अन्तमबे-मुस्रिखिय्या इन्नी कफ़र्तो बिमा अश्रक्तमूने मिन कब्लो इन्न-ज़्ज़ालेमीना लहुम अज़ाबुन अलीम

कुरआन, पारा १३, सूरत इब्राहीम, रकू ४/१६

अर्थात-कयामत में जब सब प्रकरणों का निर्णय हो चुकेगा अर्थात स्वर्ग को जाने वाले स्वर्ग में और नर्क को जाने वाले नर्क में जा चुकेंगे तो शैतान काफिरों से कहेगा।

मक़ातल ने कहा है कि शैतान के लिये एक तख्त रखा जायेगा। जब सब क़ाफिर अपने नेताओं सहित उस तख्त के समीप एकत्रित होंगे, और मनुष्यों व जिन्नों के मध्य वह (शैतान) अपना प्रवचन करेगा।

इब्ने जरीर, इब्ने मरदूय्या, इब्ने अबी हातिम, बग़वी तिबरानी और इब्ने मुबारक ने हज़रत अकबा बिन आमर के कथनानुसार लिखा है कि रसूलिल्लाह ने कहा है, कि जब अल्लाह उन सब अगलों-पिछलों को एकत्रित करके उनका निर्णय कर चुकेगा........तो सब लोग जाकर हज़रत आदम से निवेदन करेंगे। आदम हज़रत इब्राहीम के पास भेजेगा। हजरत इब्राहीम हज़रत मूसा के पास भेजेगा और हज़रत मूसा हज़रत ईसा के पास भेजेगा और हज़रत ईसा कहेंगे कि तुम उम्मी नबी अरबी (हज़रत मुहम्मद) के पास जाओ। वह सबसे अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित है।

हज़रत मुहम्मद कहते हैं कि अन्त में मनुष्य मेरे पास आयेंगे और अल्लाह मुझे खड़ा होकर प्रार्थना करने की आज्ञा देंगे। फिर मेरी मजलिस (सभा) अद्वितीय, अत्यंत पवित्र एवँ सुगंधित करदी जायेगी। फिर मैं अपने खुदा के सम्मुख उपस्थित होकर शफाअत (सिफारिश) करूँगा और अल्लाह मेरी सिफ़ारिश स्वीकार करेगा और मुझे सिर के बालों से पैर के नाखूनों तक नूर अर्थात दैवी आभा से परिपूर्ण कर देगा। यह दृश्य देख

कर क़ाफिर कहेंगे कि मुसलमानों को तो सिफारिश करने वाला मिल गया; अब हमारी सिफारिश कौन करे ? फिर स्वयँ ही उत्तर देंगे-अब तो शैतान ही, जिसने हमको पथभ्रष्ट किया था, हमारे साथ है, और कोई सिफारिश करने वाला विद्यमान ही नहीं है। सुतराम् (अन्ततः) यह लोग शैतान से जाकर कहेंगे कि तूने ही हमें पथभ्रष्ट किया था; अब तू ही हमारी सिफारिश कर। शैतान ज्योंहि सभा में उठेगा तो अत्याधिक दुर्गन्ध व्याप्त हो जायेगी। फिर शैतान उन्हे नर्क की ओर ले जाएगा और कहेगा-निसन्देह अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, उसने उसको पूर्ण कर दिया और मैंने तुमसे असत्य वादा किया था.... कि बुत्त (मूर्तियाँ) तुम्हारी सिफारिश करेगी। बस, मैंने आज वचन भंग किया अर्थात मेरे वचन के प्रतिकूल परिणाम हुआ। पुनः शैतान कहेगा कि मैंने तुम्हें कुफ्र (अधर्म) व पाप में प्रवृत करने के लिये शक्तिका प्रयोग नहीं किया मैंने तो केवल परामर्श दिया था और उसके पक्ष में तुम्हारे सम्मुख कोई दलील तक उपस्थित नहीं की थी। मैंने तो मात्र तुमको कुफ्र और अपराध की ओर बहकावा (भ्रम) देकर अमंत्रित किया था और यह बहकावा कोई दलील न था। बस, तुमने मेरी बात अंगीकार कर ली और जिसने सत्य मार्ग प्रस्तुत किया था, उसकी बात अस्वीकार करदी। अब तुम मैंरे बहकाने पर मेरी निन्दा न करो अपितु अपनी ही मलामत (निन्दा) करो, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी और खुदा की नहीं मानी। (कैसी मिथ्या कल्पना है)

फिर शैतान बोला-मैं तुम्हारी फरियाद (पूकार) को पूर्ण नहीं कर सकता, कि तुमको अज़ाब (दुखः) से बचा लूँ और न तुम मेरी ही फरियाद को पहुंचा सकते हो, कि मुझे दुखः से

बचा लो। मैं स्वयँ तुम्हारे इस कर्म से दुखी हूँ कि तुम संसार में मुझे खुदा का शरीक (साथी) बनाते थे। मैं तुम्हारे इस कर्म से घृणा करता हूँ। निस्सन्देह अत्याचारियों के लिये बड़ा ही दुख और कष्ट है।

तफसीर मजहरी, पारा १३ पृष्ठ २९८ से ३००

तफसीर हक्कानी, पारा १३, पृष्ठ ३२–३३ में भी शैतान ने यही बात कही है, जो ऊपर लिखी गई है।

—. शैतान ने पैगम्बरों (यहाँ तक कि हजरत मुहम्मद) को भी नहीं छोड़ा :—

घटना इस प्रकार है कि जब हजरत मुहम्मद सूरत नजम की आयतें पढ़ रहे थे, तो शैतान ने उनकी तलावत (प्रवचन) में मिश्रण कर दिया। जिसका विवरण हम विस्तार-पूर्वक लिख रहे हैं :—

व मा अरसलना मिन कब्लिका मिर्रसू लिव्वाला नाबिय्यिन इल्ला इजा तमन्ना अल्कश्शैतानों फयन सखुल्लाहो मा युल्कि-श्शैतानों सुम्मा युह कमुल्लाहो आयातेही वल्लाहो अलीमुन हकीम।

कुरआन, सूरतहज्ज, पारा १७ रकू ७/१४

तफसीर कादरी में लिखा है कि विश्वसनीय और प्रामाणिक पुस्तकों, जैसे 'मौत मिद' —'फिलमुक्तदा' और 'रोजातुलए हबाब' आदि में यह प्रकरण वर्णित है। जो अहले सुन्नत के निकट मुस्तहसन (अर्थात अहले सुन्नत जमाअत जिसको निर्विवाद सत्य एवं श्रेष्ठ मानता) है।

लिखा है कि-जब सूरत नजम नाज़िल हुई अर्थात खुदा से उतरी, तो हज़रत मुहम्मद मस्जिदे हराम (मक्का) के भीतर कुरैश के समूह में यह सूरत पढ़ते थे, और आयतों के मध्य ठहरते जाते थे, ताकि लोग ध्यान से सुनकर याद करलें। जब पढ़ते-पढ़ते हज़रत यहांतक पहुँचे — **'अफ़रा ऐतुमुल्लाता वल्उज्जा, व मनातिस्सालिस्तिल उख़रा'** (कुरआन पारा २७) और ठहर गये तो शैतान ने अवसर पाकर मुशरकों के कान में पहुँचा दिया कि-**'तिल्क़लग़रा नीकल्उल्ला वा शफ़ाअत हुन्नालि-तुर्तजा'** अर्थात लात, उज्ज़ा और मनात कौम के बुजुर्ग हैं (यह तीन मूर्तियाँ थी, जिनको कुरैश पूजते थे) या ऊँचे उड़नेवाले पक्षी हैं। उनसे सिफारिश करने की (खुदा से) आशा करना चाहिए। काफिर लोग यह वाक्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और समझे कि हज़रत मुहम्मद ने उनके बुतों (मूर्तियों) की प्रशंसा की। सूरत के अन्त में सज्दा की आयत पढ़कर मुहम्मद सा० ने सजदा किया तो अक्सर (बहुधा) मुशरिक भी अन्य मुस-लमानों के साथ सज्दे में सम्मिलित हो गये।

उसके पश्चात हज़रत मुहम्मद के पास आकर जिब्रील ने यह सारा हाल कहा। इस बात को सुन कर हज़रत मुहम्मद का हृदय अत्यंत शोकातुर हो गया तो खुदा ने उनके हृदय को संतोष देने हेतु आयत उतारी जिसका अर्थ है-और हम (खुदा) ने तुझसे पूर्व किसी रसूल और नबी को नहीं भेजा.......,किन्तु जब भी उन्होंने तलावत (पढ़ना प्रारम्भ) की तो शैतान ने उनकी तलावत में जो कुछ भी चाहा, डाल दिया (पढ़ते समय) इस कारण लोगों को भ्रम हुआ कि यह भी पैगम्बर (हज़रत मुहम्मद) ही ने पढ़ा है, जैसे हमारे रसूललिल्लाह ने जब तला-वत की (पढ़ा) तो उस शैतान ने. जिसका नाम अवयज़ है,

आप जैसी आवाज (स्वर) बनाकर यह वाक्य '**तिल्कलगरा नीकल्उला वा इन्ना शफाअत हुन्नालितुर्तजा**' पढ़ दिया । उस समय हज़रत मुहम्मद सूरत नजुम पढ़ रहे थे और यहाँ '**वा मनातस्सालिस्तल उख़रा**' तक पहुँचे थे । तब लोगों ने यह गुमान किया कि उपरोक्त वाक्य भी हज़रत मुहम्मद ने ही पढ़े हैं ।

फिर खुदा बातिल (मिथ्या) को ज़ाइल (निरस्त) कर देता है, उस अंश को जो शैतान ने सम्मिलित कर दिया हो । फिर प्रमाणित करता है अल्लाह अपनी आयतें जो उसका पैग़म्बर (हज़रत मुहम्मद) पढ़ता है, और अल्लाह जानने वाला है, उन लोगों के हाल, और उन पर सत्य का आदेश करने वाला है ।

तफसीर कादरी, पारा १७, प. ८४-८५

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि हज़रत मुहम्मद के पढ़ने के समय शैतान ने अपने कुछ वाक्य मिला दिये, जिनसे मूर्ति पूजा प्रमाणित होती थी ।

इसी प्रकार इस प्रकरण को तफसीर कुरआनुल अजीम ने और भी विस्तृत रुप से स्पष्ट किया है और पुष्टि की है ।

(व मा अरसलना मिन कब्लिका मिर्रसूलन) हुवन्नबिय्यो अमरून बित्तबलीग़े (व ला नबिय्यिन) ऐ लम योमिरू बित्तबलीगे (इल्ला इजा तमन्ना) करा (अल्कश्शैतानो फी उमनिय्यते) कराअतहू मा लैसा मिनल्कुरआने मिम्मा यर्जा मल्मुर्सेला अलैहिय वा कद करन्नबिय्या सल्लअम फी सूरतिन्नजमे बमजलिसे मिन कुरैशिन वाद अफ़रा ऐतुल्मुल्लाता वल्उज़्ज़ा वा मनातिस्सालिसा तुल उख़रा ब अल्कश्शैतानो अलालिसाने हो सलिल्लाहे अलैहे वा सल्लम मिनगैरे इल्मेही सल्लअम बिही तिल्कलग़रानी कल्उला व इन्ना शफाअत हुन्ना लतुर्तजा, फ़करहू बिज़ालेका

सुम्मा अख़बरहू जिब्रीलो बिमा अल्क़श्शैतानों अ़लालिसानेही मिन ज़ालिका फहुज़ने ही फ़सला बिहाज़े हिमायते लिक़ुत म अन्ना (फ़यन सखुल्लाहो) व यब्तलो (मा युल्क़श्शैतानों सुम्मा योह कमुल्लाहो आयाते ही) युसब्बितुह (वल्लाहो अलीमुन) वा अल्काहिश्शैतानों ।

तफसीर कुरआनुल अज़ीम, भाग ३, पृ. २६

यह सूरतुल हज्ज की व्याख्या है। यद्यपि इसके अर्थ पूर्व में आ चुके हैं, किन्तु किंचित अन्तर होने से पुनः लिख रहे हैं। इन आयतों में हज़रत मुहम्मद को सम्बोधित किया गया है।

ऐ मुहम्मद ! हम (खुदा) ने तुझसे पूर्व कोई रसूल या और नबी नहीं भेजा, कि जब उसने पढ़ा (तलावत की) किन्तु उसके पढ़ने में शैतान ने अपनी और से कुछ मिश्रण कर दिया (अर्थात जितने भी रसूल और नबी मैंने तुझसे पूर्व भेजे, उन सभी के पढ़ने में शैतान ने अपनी और से कुछ मिश्रण कर दिया)

इसी प्रकार हज़रत मुहम्मद कुरैश की सभा में सूरत नज्म पढ़ रहे थे। जब इस स्थान 'लात-उज्ज़ा और मनात' तक पहुंचे तो उस समय शैतान ने हज़रत मुहम्मद की ज़ुबान (वाणी) में यह डाल दिया, कि यह तीनों देवियाँ लात-उज्ज़ा और मनात महान है और इनसे ही सिफ़ारिश की आशा की जा सकती है। इससे क़ाफिर लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर इस बात की सूचना जिब्रील ने मुहम्मद सा. को दी कि यह शब्द शैतान ने आपकी जुबान पर डाल दिये थे। यह सूचना पाकर हज़रत मुहम्मद अत्यंत शोकातुर हुए। हज़रत मुहम्मद को सन्तोष देने हेतु उपरोक्त सूरत हज्ज की आयतें (ऐसा कोई भी रसूल या नबी तुझसे पूर्व नहीं हुआ, जिसके वचनों में शैतान ने अपनी ओर से कुछ न मिलाया हो) उतारी।

अस्तु खुदा शैतान के मिश्रण को भलिभाँति जानता है। अतः शैतान जो मिश्रण करता है, उसे खुदा निरस्त कर देता है और अपनी आयतों के शुद्ध स्वरूप की पुष्टि करता है।

जो कुछ तफसीरूल अज़ीम में लिखा है, अक्षरशः वही तफसीर जलालेन पारा १७ पृष्ठ २८४ में और लगभग ऐसा ही और लबाबन नकूल फ़ी असबाबिन्नज़ूल भाग २ पृष्ठ २२ में भी लिखा है।

हमने इस पुस्तक में प्रारम्भ से ही इस बात का प्रतिपादन किया है कि मुस्लिम विद्वान किसी भी विषय पर एकमत नहीं हैं। यहाँ पर भी यही स्थिति है।

कुछ मुस्लिम विद्वान इस प्रसंग को अस्वीकार और बहुत से विद्वान (मुस्लिम) इसे स्वीकार करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में तफसीर कादरी के आधार पर लिखा कि अहले सुन्नत वल जमायत शैतान के मिश्रण की इस कथा को स्वीकारते हैं।

तफसीर जलालेन ने दोनों पक्षों के मत देकर लिखा:—

अलकिस्सातो कत्तबे आहुल मफ़स्सेरूना फ़ अनकराहू जमाअतुन वा आखेरूना हाशिया।

तफसीर जलालैन पृष्ठ २८४

अर्थात-कुछ विद्वानों ने शैतान के मिश्रण को स्वीकारा है व कुछ ने अस्वीकार किया है।

परन्तु हम अधिकारपूर्वक कहेंगे कि सूरतुल हज्ज की आयतों में शैतान के मिश्रण को अस्वीकार करने हेतु किन्चित मात्र भी स्थान नहीं है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इसे नकारा (अस्वीकारा) है, वह दोष पर आवरण (पर्दा) डालने के लिये ही है।

उक्त तीनों अरबी तफसीरों के प्रमाण जो ऊपर उद्धृत किये हैं, उनसे स्पष्टतया सिद्ध है कि हज़रत मुहम्मद की जिव्हाँ पर शैतान ने अपने वचन डाले, किन्तु तफसीर कादरी ने जो यह लिखा है कि हज़रत महोदय ! ठहर-ठहर कर पढ़ते थे, तो जब इस स्थान पर आकर ठहरे तो शैतान ने हज़रत मुहम्मद के स्वरों में ये वाक्य बोल दिये, परन्तु कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि-पढ़ने में इतना लम्बा विराम (ठहराव) सम्भव हो सके । अतः कादरी (तफसीर) के लेखक ने भी यह बात लिख कर वस्तुस्थिति पर पर्दा (आवरण) डालने का यत्न किया है ।

हाँ, एक बात मुस्लिम बन्धुओं से अवश्य कहना है कि शैतान की अरबी (भाषा) को कुरआन की अरबी से मिलाकर देख लें । क्या शैतान की अरबी, कुरआन की अरबी से न्यून (कम) है ? इससे यह सिद्ध हो गया कि शैतान भी खुदा के समान अरबी में आयतें बना सकता है ! तो मुस्लिम बन्धुओं, का यह दावा (दृढ़ विश्वास) कहाँ तक मान्य और उचित हो सकता है कि कुरआन जैसी (समान) आयतें कोई नहीं बना सकता !

हमने इस प्रकरण में शैतान की बहुत सी आयतें लिखी हैं, जो कुरआन के साथ ही पढ़ी जाती है, परन्तु आज तक किसी भी मुस्लिम बन्धु को यह भान नहीं हो सका कि शैतान की आयतों की अरबी, कुरआन की अन्यान्य आयतों से सादृश्यता में किंचित भी न्यून हैं ? अतः, इस प्रकरण के लिखने का यही प्रयोजन है कि मुस्लिम बन्धुजन इस बात से परिचित हों कि शैतान जैसा पथभ्रष्ट और मिथ्याभाषी व्यक्ति भी कुरआन जैसी आयतें बना सकता है ।

संसार में इस समय भी अरबों मनुष्य हैं, किन्तु एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसके पास शैतान बहकाने को आया हो। मैंने सैंकड़ों व्यक्तियों से पूछकर यही निष्कर्ष देखा-पाया कि शैतान किसी के भी पास नहीं आता और उसके अस्तित्व व सत्ता का कोई भी चिन्ह नहीं है। यह एक निराधार, निरर्थक, कपोल कल्पना मात्र ही है।

अब हम शैतान के इस प्रकरण को यहीं समाप्त करके अग्रिम प्रकरण 'कुरान में फरिश्तों के कलाम' विषयक विचार विनिमय लिखेंगे।

—कुरआन में फरिश्तों का कलाम—

जब साधारण मुसलमान जन कुरआन पढ़ते हैं, तो अपने विश्वास और आस्था के अनुसार जो कुछ कुरआन में लिखा है, सबको ही खुदा का कलाम (वाणी) समझते हैं, क्योंकि वे कुरआन का पाठ करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। यह कितनी गंभीर भ्रान्ति है कि भारत के ८०% प्रतिशत से भी अधिक मुसलमान काफिरों-अरबवासियों-हज़रत मुहम्मद के सहाबा (मित्रों) शैतान, फरिश्तों, समस्त पैगम्बरों-फिरऔन-उसके जादूगरों और पैगम्बरों के समकालीन मूर्तिपूजकों आदि के कलाम (कथनों) को खुदा की वाणी (कलाम) ही मान कर कुरआन का पाठ करते हैं। क्या यह मिथ्या विश्वास और अविवेकता नहीं है ?

अस्तु इस बात से हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं। हम तो यहां पर यह लिख रहे हैं कि **'कुरआन में फरिश्तों का कलाम'** सो उसी विषय को प्रारम्भ करते हैं।

कुरआन के प्रथम पारा (अध्याय) में ही लिखा है कि खुदा ने फरिश्तों के सम्मुख अपना यह विचार प्रकट किया कि मैं पृथ्वी में एक ख़लीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने इस विचार के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की:—

कालू अ तजअलो फ़ीहा मंय्यु फ़सेदो फ़ीहा व यस्फ़े कुद्दमा आ व नहनो नुसब्बेहो बेहम्देका व नुकद्दे सोलक्, काला इन्नी आलमो माला तालमून।

कुरआन, पारा १, रकू ४/४

अर्थात-(खुदा के खलीफ़ा बनाने के विचार पर) फरिश्तों ने कहा-कि क्या तू उत्पन्न करता है पृथ्वी में उसे जो फ़साद करे, अवज्ञाकारी हो, पृथ्वी में गिराये लहू मनुष्यों का बिना कारण ही (व्याख्याकार ने लिखा कि मनुष्य के फ़सादी (झगड़ालु) और हत्यारा होने का पता फरिश्तों को खुदा या लौह महफ़ूज़ (सुरक्षित तख्ती) से हुआ और स्थिति यह है कि हम (फरिश्तें) पवित्रतापूर्वक तेरी उपासना करते हैं, और कि'वह तेरी स्तुति का कारण है, और चर्चा करते हैं तेरी पवित्रता से।

इस पर अल्लाह ने कहा—इस खलीफा के विषय में जो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते:—

व अल्लमा आदमल्अस्माआ कुल्लहा, सुम्मा अरज़हुम अलल्म-लाएकते, फ़काला अंबेऊनी बेअस्माए हाऊलाए इनकुन्तम स्वादे-कीन।

कुरआन, पारा १, रकू ४/४

अर्थात-और सिखाये नाम सृष्टि के सब के सब खुदा ने, फिर प्रस्तुत किया उन नाम वालों की ज़ातों (व्यक्तियों) को उन फरिश्तों के (सामने), फिर कहा— उनके नाम बताओ यदि

तुम सच्चे हो (यह वही फरिश्ते थे जिन्होंने कहा था, कि मनुष्य पृथ्वी पर फ़साद [झगड़ा] करेगा) फरिश्तों ने उत्तर दिया:—

कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अन्तलअलीमुल्हकीम। [फरिश्तों की अरबी कैसी उत्तम है]

अर्थात-[फरिश्तों ने कहा] कि पवित्रता है तेरे लिये, हमको इसका कोई ज्ञान नहीं, किन्तु उसीका ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ६-१०

पाठकवृन्द ! आपने इस (उक्त) कथा को पढ़ लिया, जब खुदा ने फरिश्तों से कहा कि मैं पृथ्वी में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने उस पर यह आपत्ति की, कि ऐसा व्यक्ति खलीफा बनाओगे जो परस्पर फ़साद (झगड़ा) और हत्यायें करें ! (तो उचित था कि खुदा इस आपत्ति का कुछ युक्तियुक्त समाधान करता किन्तु खुदा ने यह कह कर उन्हें मौन कर दिया) कि जो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते।

इसके पश्चात खुदा ने एक समाधान सोचा, कि आदम को कुछ नाम सिखा दिये और फरिश्तों के सम्मुख आदम को और उन वस्तुओं को प्रस्तुत कर उनसे कहा कि इन वस्तुओं के नाम बताओ ? उन फरिश्तों ने उन वस्तुओं को कभी न देखा था और न उनके नाम ही सुने थे। वह क्या और कैसे बताते ! (परीक्षक छात्रों को यदि कोई ऐसा प्रश्न दे कि उसके प्रश्नों के सम्बन्ध में न कभी पढ़ा हो और न वे वस्तुएँ व्यवहार में आई हों तो छात्र उस पर क्या लिख सकते हैं, वे तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे जो

फरिश्तों ने खुदा को दिया) उन्होंने (फरिश्तों) कहा—हमें इनका ज्ञान नहीं, क्योंकि आप (खुदा) ने कभी हमको यह बताये ही नहीं ! (ऐसे परीक्षक को, जो छात्रों को ऐसा प्रश्न-पत्र दे जिसे हल करने की उनमें योग्यता (पात्रता) ही नहीं, तो इसके अतिरिक्त क्या कह सकते हैं कि परीक्षक की नीयत छात्रों को अनुतीर्ण करने की है ।) यही खुदा ने उन फरिश्तों के साथ किया । इधर आदम को वह प्रश्न-पत्र भली प्रकार समझा दिया, उधर फरिश्तों को ज्ञात नहीं था, तो आवश्यक था कि फ़रिश्ते अपनी विवशता प्रकट करते । आदम तो खुदा से प्रश्न-पत्र समझकर ही गया था । उसके नेकनीयत परीक्षक (खुदा) ने वही प्रश्न (जो समझाये थे) आदम से किये, तो उसने तत्काल उत्तर दे दिये । (क्यों खुदा कैसा परीक्षक है ?) फरिश्तों ने सभ्यतापूर्वक कह भी दिया कि हमें तो तूने (खुदा ने) आज तक यह बताया ही नहीं [[अर्थात उसे बताया और हमें नहीं]

फरिश्तों ने जो कहा था वह कुरआन के निम्न कौल (वचन) के अनुसार है । कुरआन में आया है '**मा ख़लकनलजन्ना वलइन्सा इल्ला लेयाबोदून**' अर्थात-कि हम (खुदा) ने मनुष्यों और जिन्नों को इसीलिए उत्पन्न किया, ताकि वे हमारी उपासना करें । फरिश्तों ने भी ठीक यही कहा था कि हम आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं । कोई पाप भी नहीं करते । आप (खुदा) इस फ़सादी (झगड़ालू) और निष्पाप मनुष्यों के घातक को क्यों बना रहे हो ? इसका उत्तर तो यह होना चाहिए था कि जिसे मैं खलीफ़ा बना रहा हूँ वह तुमसे अधिक बढ़कर मेरा उपासक और पवित्र है । किन्तु इस न्यायकारी खुदा ने यह किया कि आदम को कुछ वस्तुओं के नाम सिखा-

पढ़ा कर परीक्षा ली और फरिश्तों पर अपनी कृति (आदम) को उच्च प्रमाणित कर दिया (क्या इस प्रकार अन्याय से उच्चता प्रमाणित करना खुदा (ईश्वर) का काम है और खुदा को क्या आवश्यकता थी कि वह छल-प्रपंच में प्रवृत होता)

क्या उपरोक्त कथा को पढ़ कर खुदा को न्यायकारी कहा जा सकता है ? खुदा स्वयँ ही शिक्षक, स्वयँ परीक्षक और स्वयँ ही आदम को प्रश्न-पत्र बताने वाले और फिर इस पर अपनी स्वयं गरिमा प्रदर्शित करना कि मैंने तुमको पहिले ही कहा था, कि जो मैं जानता हूं, तुम उसे नहीं जानते। फरिश्ते, बैचारे आज्ञाकारी दास थे, सत्य वचन महाराज ! कह कर मौन हो गये।

हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु का नाम याद कर के बता देना यह भी कोई महत्वपूर्ण वस्तु या प्रतिष्ठा है ? यदि यह महत्वपूर्ण वस्तु होती तो आदम को शैतान से बचा देती या सुरक्षित रखती।

आदम को नाम सिखा-पढ़ा कर फरिश्तों के सम्मुख उपस्थित करना, यह एक स्पष्ट षड्यंत्र (जालसाज़ी) है। खुदा कभी ऐसा नहीं कर सकता। यह कुरआन के लेखक की कल्पना मात्र है कि उसने खुदा को इस प्रकार कलंकित किया है।

हम तो यह कहते हैं कि उपरोक्त वर्णित कथा का औचित्य ही सिद्ध नहीं होता। जब आदम में जीवन डाला तो वे पृथ्वी पर थे और फरिश्ते आसमान पर फिर फरिश्ते आदम को तख़्त पर बिठा कर खुदा के अर्श (सिंहासन) के समीप ले

गये। उस समय आदम द्वारा नाम बताने का कोई प्रमाण नहीं है, और यदि कहो कि '**फ़कऊहोलहू साजेदीन**' तो जब खुदा की आज्ञा फ़रिश्तों को थी कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूँक दूँ तो तुम सब सजदा में गिर पड़ना। रूह तो पृथ्वी पर फूंकी गई और सजदा आसमान पर हुआ। इस अवसर के मध्य ऐसा कौन सा समय था कि खुदा ने आदम और फरिश्तों की यह नाम बताने वाली परीक्षा की कार्यवाही सम्पन्न की और यदि की तो पृथ्वी पर की या आसमान पर, सजदा करने के पूर्व या पश्चात की, इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया और यदि हो तो मुसलमान प्रस्तुत करें, और जिस समय खुदा ने आदम के निर्माण का विचार फरिश्तों के समक्ष रखा था। उस समय से लेकर जब आदम स्वर्ग में चला गया, तक के मध्य कौन सा समय परीक्षा के लिये था कि आदम को फरिश्तों के सम्मुख उपस्थित कर वस्तुओं के नाम पूछे जाते और वह वस्तुएँ कौन सी थी। इसका भी विवरण होना चाहिये। मुसलमान बन्धु उत्तर देवे।

इसी प्रकार की दुसरी कथा है कि-खुदा ने आदम को कहा कि तू और तेरी पत्नि स्वर्ग में रहो। स्वर्ग के सब फलों को खाना किन्तु इस वृक्ष के निकट न जाना। खुदा की यह आज्ञा तो उस समय होनी चाहिए थी, जब कि आदम को स्वर्ग में भेजा गया था, और जब फरिश्तों ने आदम को स्वर्ग में छोड़ा उस समय आदम अकेला था। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सका कि तू और तेरी पत्नि स्वर्ग में रहो, क्यों कि पत्नि तो स्वर्ग में ही उत्पन्न की गई थी। वह भी तब, जब कि आदम साथी के अभाव में अकेला उदासीन रहने लगा और तबीयत घबराने लगी थी। उस समय भी यह कहने की आवश्यकता नहीं

थी कि तुम स्वर्ग में रहो, क्योंकि वे दोनों (आदम और हव्वा) तो उस समय स्वर्ग में ही थे।

मुसलमान जन यह कहेंगे कि जब हव्वा उत्पन्न की जा चुकी तो उस समय खुदा ने यह बात कही।

हम कहते हैं कि प्रथम तो कुरआन की भाषा शैली से ही यह सिद्ध नहीं होता कि हव्वा की उत्पत्ति के पश्चात यह बात कही गई परन्तु उक्त तर्क स्वीकारने में यह दोष है कि जब आदम को स्वर्ग में रखा उस समय आदम को क्यों नहीं कहा कि इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। तब तो आदम को रोका नहीं गया, तो वह फल को खा सकता था ?

मुसलमानों से यह प्रश्न है कि यदि यह आयत 'या आदमुस्कुन' हव्वा की उत्पत्ति के पश्चात खुदा ने दोनों से कही तो जब आदम पहिले स्वर्ग में अकेला प्रविष्ट हुआ तो उस समय उस वृक्ष के फल न खाने का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चाहे वह उन फलों को खाते रहते। या फिर मुसलमान जन इस आयत को उस समय की स्वीकारें, जब आदम को स्वर्ग में प्रवेश दिया, किन्तु आपत्ति यह है कि उस समय हव्वा नहीं थी।

अतः यह दोनों आयतें ऐसे ही बना कर क़ुरआन में सम्मिलित कर दी है। न तो आदम में खुदा ने जब अपनी रूह फूँकी उस समय फरिश्तों ने सजदा किया, न हज़रत आदम के स्वर्ग-प्रवेश के समय उस वृक्ष के फलों को खाने से रोका। यदि किसी मुसलमान बन्धु के पास इस विषय में कोई प्रमाण हो तो वह प्रस्तुत करे।

हज़रत इब्राहीम, उनकी पत्नि सारा तथा हज़रत लूत और उनकी कौम से फ़रिश्तों की चर्चा

कुरआन, सूरत हूद, पारा १२, रकू ७/७ में हज़रत इब्राहीम, उनकी पत्नि सारा तथा हज़रत लूत और उनकी कौम से फरिश्तों की बातचीत, परस्पर निम्नानुसार है :—

'व लकद जाअत रूसुलुना इब्राहीमा बिल्बुश्रा' और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के समीप इस्हाक और इस्हाक बिन याकूब की उत्पत्ति (या कौम लूत के विनाश) की शुभ सूचना लेकर सुन्दर लड़कों का रूप बना कर पहुंचे।

इब्ने अब्बास व अता के विचार में ३ फरिश्ते जिब्राईल, मेकाईल और इसराफील थे। मुहम्मद बिन काब ने कहा कि जिब्राईल के साथ ७ फरिश्ते और थे। जुहाक ने ६, मकातल ने १२ और सादी ने कहा ११ फरिश्ते थे। (जितने मुँह उतनी ही बातें)

'कालू सलामन' फरिश्तों ने आकर सलाम कहा और उत्तर में इब्राहीम ने भी कहा 'काला सलामुन' तुम पर भी सलाम हो, **'फ़मा लबेसा अन् जाआ बेइज्लिन हनीज़'** (फिर इब्राहीम ने) देर न की और एक बछड़ा भूना हुआ (उनके लिये) ले आया **'फ़लम्मा रआ ऐ दिया हुम ला तसेलो इलैहे नकेरहुम'** जब इब्राहिम ने देखा कि वह खाने की ओर प्रवृत नहीं हो रहे तो **'व औजसा मिन्हुम खीफ़तन'** (और तब इब्राहीम) उनसे भयभीत हुआ।

कतादा ने कहा—कि उस समय यह प्रथा थी कि यदि अतिथि किसी के घर आयें और वहाँ खाना न खायें तो गृहपति यह विचार करता था कि यह लोग बुरे विचारों से आये है।

इस पर फरिश्तों ने कहा—'**कालू ला तखफ़ इन्ना उर्सिलना इला कौमे लूत**' कि मत भय कर, हम लूत को कौम पर आपत्ति डालने हेतु भेजे गये है । '**वम्रअतोहू काइमतुन फ़ज़ेहकत्**' और इब्राहीम की स्त्री सारा खड़ी हुई उनकी बातें सुन कर हँस रही थी (अकरमा ने कहा कि सारा को उसी समय हैज (मासिक धर्म) आने लगा '**फ़बश्शर नाहा बि इरहाका व मिव्वराए इस्हाका याकूबा**' पस, हमने स्त्री को इस्हाक के उत्पन्न होने की और इस्हाक के पश्चात (इस्हाक के पुत्र) याकूब के उत्पन्न होने की शुभ सूचना दी । इब्राहीम की पत्नी सारा बाँझ थी, पुत्रोत्पत्ति की सूचना सुन कर उसने कहा '**कालत् या वैलता आ अलेदो व अना अजूजुंव्व हाजा बाली शैखन, इन्ना हाजा लशैउन अजीब**' तो कहने लगी कि क्या खूब, भला इस वृद्धावस्था में हमारे बच्चे होंगे, यह बड़ी विचित्र बात है।

हज़रत इब्राहीम की पत्नि सारा की आयु उस समय, इब्ने इस्हाक के कथनानुसार ९० वर्ष, मुजाहिद के ९९ वर्ष थी और इब्राहीम की आयु उस समय १२० वर्ष तथा मुजाहिद के कथन से १०० वर्षों की थी । फरिश्तों ने कहा—'**अ ताजबीना मिन् अमरिल्लाह**' क्या तुझे अल्लाह के आदेश पर आश्चर्य हो रहा है '**रहमतुल्लाहे व बरकातुहू अलैकुम अहलल्बैते**' ए ! इस घरवालों ! तुम पर अल्लाह की रहमत (दया) और बरकतें (वृद्धियां) हैं '**इन्नहू हमीदुम्मजीद**' वह बड़ी ही शान वाला है '**फ़लम्मा जहबा अन इब्राहीमुर्रोओ, व जाअत हुल्बुश्शरा**' फिर

जब इब्राहीम के हृदय से भय जाता रहा, और उसके पास (इस्हाक व याकूब की) शुभ सूचना आ गई **'युजादेलूना फी कौमे लूतिन'** तो हम (फरिश्तों) से लूत की कौम के विषय में झगड़ा करने लगा। अर्थात फरिश्तों ने कहा–लूत को हम बचा लेंगे। फरिश्तों ने कहा—**या इब्राहीमों आरिज़ अन हाज़ा, इन्नहू क़द जाआ अमरो रब्बेका'** इब्राहीम ! यह झगड़ा छोड़ो (अज़ल के मुवाफ़िक लूत की कौम मर अज़ाब (आपत्ति) आने का) तुम्हारे खुदा का आदेश हो चुका है। **'व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरो मर्दूद'** उन पर यह अज़ाब (विनाश) अवश्य आयेगा; जो झगड़े या प्रार्थना से हटाया नहीं जा सकता। **'व लम्मा जाअत रूसुलुना लूतन सी आ बेहिम व ज़ाका बेहिम ज़र्अन'** और जब हमारे वही फरिश्ते लूत के पास आये, तो नवयुवक दाढ़ी–मूँछ रहित लड़कों के रूप में पहुँचे (या थे) तो लूत को उनका आना रूचिकर न लगा और उनको कौम की ओर से भय हुआ कि कहीं कौम वाले उनके लिये बुरा विचार न करें और उन कासदों (आने वाले दूतों) के कारण लूत का दिल बहुत तंग (संकुचित) हुआ और लूत ने कहा:—

' व काला हाज़ा यौमन असीब ' यह आज का दिन कठोर दिन और भयंकर दिन है।

फिर फरिश्ते हज़रत लूत के साथ उनके घर की ओर आ गये। हज़रत लूत लकड़ियाँ उठाये आ रहे थे और फरिश्ते उनके पीछे-पीछे थे। एक समूह के समीप से उनका गुज़रना हुआ। उन लोगों ने (इनको देख कर) आपस में आँख मारी। अन्ततः लूत अपने घर पहुँच गये।

यह भी रवायत (कथन) है कि फरिश्ते हज़रत लूत के घर गुप्त रीति से आये थे और लूत की पत्नि ने जाकर लोगों से कहा कि लूत के घर ऐसे लोग आये हैं कि मैंने उनसे सुन्दर कोई मनुष्य नहीं देखा ।

'व जाआ कौमुहू योहरऊना इलैहे' और लूत के पास उसकी कौम के लोग लपकते हुऐ अर्थात दौड़ कर आये **'व मिन कब्लो कानू यामलूबस्सय्येआते'** और उससे पूर्व भी वे बुरी हरकतें करते रहे अर्थात मनुष्यों से सम्भोग (समलैंगिक) करते थे, (इसी विचार से वह आये थे) इस पर लूत ने कहा—**'काला या कौमे हा ओलाए बनाती'** ऐ मेरी कौम ! यह मेरी पुत्रियाँ हैं. **इन्ना अतहरो लकम'** वह अधिक पवित्र है तुम्हारे लिये **फत्तकुल्लाहा व ला तुखज़ूने फी जैफी'** पस, खुदा से डरो और मुझे मेरे अतिथियों के विषय में लज्जित न करो **' अलैसा मिन्कुम रजुलुरंशीद '** क्या तुममें कोई भी शिक्षित नहीं है, जो सत्य पर चले और बुरी हरकतों से बचे **' कालूकद अलिम्ता मा लना फी बनातेका हक्किन व इन्नका ल तालमो मा नुरीद '** कौम के लोगों ने कहा–तुम (लूत) जानते हो, कि तुम्हारी पुत्रियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं । उनसे हमारा विवाह नहीं हुआ ।

कुछ ने यह अर्थ भी किया है–कि तुम्हारी पुत्रियों की हमें आवश्यकता नहीं और हमारा जो विचार है, उसको तुम भली भाँति जानते हो अर्थात हम लड़कों को चाहते हैं ।

इस पर लूत ने कहा- **' काला लौ अन्न ली विकुम कुव्वतन, औ आवी इला रुक्निन शदीद '** यदि मुझमें शक्ति होती, तो मैं तुमसे रक्षा कर लेता या मैं किसी शक्तिशाली का आश्रय प्राप्त कर सकता............इत्यादि ।

इब्ने असाकर और इस्हाक ने जरीर की सनद (प्रमाण) से और मकातल ने ज़ुहाक की रवायत (कथन) से इब्ने अब्बास का बयान लिखा है तथा बग़वी ने भी यही लिखा है कि हज़रत लूत ने द्वार बंद कर लिया था और भीतर से ही कौम के साथ झगड़ा कर रहे थे, और फरिश्ते घर के भीतर ही थे । लोग फिर दीवार लांघ कर भीतर प्रविष्ट होने की युक्ति सोचने लगे ।

जब फरिश्तों ने लूत की यह स्थिति देखी तो उन्होंने कहा- '**कालू या लूतो इन्ना रूसुलो रब्बेका लंय्यसिल्लू इलैका**' लूत ! हम तुम्हारे खुदा के भेजे हुए हैं । इन लोगों की ओर से कोई आपत्ति तुझ पर नहीं हो सकेगी । दरवाज़ा खोल दीजिए और हमको इनसे निपटने दीजिये । इस पर लूत ने दरवाजा खोल दिया ।

फिर जिब्रील ने खुदा से उन पर आपत्ति डालने की आज्ञा लेकर अपनी असली शक्ल (यथार्थ स्वरूप) धारण कर ली, पर फैला दिये, मोतियों का वह हार पहिरे चमकदार दाँत, झलकती पैशानी, सिर के घुंघराले बाल बर्फ के समान सफेद आदि ।

जिब्राईल ने फिर अपना पंख उन लोगों के मुँह पर मारा, जिसके कारण उनकी आंखे अंधी हो गई और फिर यह कहते हुए भागे कि भागो-भागो, लूत के घर सबसे बड़े जादूगर आए हैं........... ।

लूत ने फरिश्तों से अपने कौम के विनाश की अवधि, पूछी, तो फरिश्तों ने प्रातःकाल के लिये कहा........और फिर फरिश्तों ने लूत से कहा- '**फ़ अस्रे बे अहलेका बे किस्इम्मल्लैले**'

कि आप अपने घर वालों को लेकर कुछ रात से ही चल दीजिये '**व ला यल्तफ़ित मिन्कुम अहदुन**' और कोई तुममें से पीछे मुड़ कर न देखें, '**इल्लम्रअतका**' अर्थात तुम्हारी पत्नि के अतिरिक्त कोई पीछे मुड़ कर न देखें, जो अजाब (विनाश) कौम पर आयेगा वो उस पर भी आएगा। '**इन्नामौइदहु मुस्सुब्हो**' अर्थात उनके विनाश का समय प्रातः है।

हज़रत लूत ने प्रार्थना की, कि विनाश शीघ्र होना चाहिए। इस पर फरिश्तों ने कहा-'**अलैसस्सुब्हो बि करीबिन**' क्या प्रातःकाल समीप नहीं है? '**फ़लम्मा जाआ अमरोना जअ-लना आलीहा साफिलहा व अमतंना अलैहा हिजारतुम्मिन सिज्जील**' और जब हमारे (अजाब का) आदेश आ गया, तो हमने उन बस्तियों को उलट कर नीचे-ऊपर कर दिया। (अर्थात् ऊपर का भाग नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया।)

बगवी ने लिखा है कि कौम लूत की पांच बस्तियां थी। हज़रत जिब्रील ने नीचे अपना एक बाज़ू (पंख) डाल कर इतना उठा दिया कि ऊपर (आसमान) वालों ने मुर्गे की बांग और कुत्तों के भौंकने के स्वर सुने, और किसी का कोई पात्र (बर्तन) भी न उलटा और न कोई सोया हुआ जागा। हां, किन्तु उलट दिया, किन्तु सब नीचे से ऊपर हो गये। इन पांचों बस्तियों की जनसंख्या ४ लाख या ४ करोड़ थी [जनसंख्या में ४ का अंक तो बराबर है, शेष जो अंतर है वह साधारण बात है] इन बस्तियों को उल्टी हुई बस्तियां कहा जाता है, और हमने उन पर कंकरीले पत्थर बरसाये।

तफसीर मज़हरी, भाग ६, पारा १२ पृष्ट ६३ से ७४

उक्त सम्बंध में तफसीर कादरी के पृष्ठ क्रमांक ४७१ से ४७४/१ तक लगभग उपरोक्त जैसा ही वर्णन है।

उक्त सम्पूर्ण लम्बे-चौड़े वृतांत में उद्धृत कुरआन की आयतों में हज़रत इब्राहीम, उनकी पत्नि सारा, हज़रत लूत व उनकी कौम और फरिश्तों का ही कथन है। (जिसे कुरआन में देखा जा सकता है)

यहाँ तो आपने पढ़ा कि बस्तियों को उलट दिया गया और उन पर कंकरीले पत्थरों की बरसात की गई किन्तु कुरआन, सूरत शोअरा, पारा १९, रकू ९/१३ में केवल पत्थरों की वर्षा की, ऐसा लिखा है। बस्तियों को उलटाने का उल्लेख नहीं है!

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ १६४ में पत्थरों के साथ पत्थर का, गंधक या आग का मेह लिखा है।

इसी प्रकार कुरआन, सूरत हजर, पारा १४ रकू ५/५ में है कि उन लोगों को सूर्योदय के समय आवाज़ (स्वर) ने पकड़ा, यह आवाज़ का पकड़ना उपरोक्त दोनों विवरणों (स्थानों) में नहीं है, और कुरआन सूरत कमर, पारा २७, रकू ९ में भी केवल पत्थरों की वर्षा करने का वर्णन है।

इसी प्रकार जितने भी पैगम्बरों इत्यादियों की कथाएं कुरआन में हैं उनमें परस्पर ऐसा ही तीव्र मतभेद है। (जिसे हम अन्य प्रकरण में लिखेंगे) यहाँ तो इसमें केवल यह बताना ही हमारा उद्देश्य है कि 'कुरआन में फरिश्तों का कलाम' सो ऊपर फरिस्तों के कलाम के साथ और अन्य सम्बंधित जनों के कलाम भी सम्मिलित हैं। अतः वह भी उसके साथ लिखना पड़ा।

-:हज़रत मर्यम के साथ फरिश्ता का कलाम:-

आयत:—

वज़्कुर फ़िल्किताबे मर्यमा इजिन्तबज़त् मिन अह्लेहा मकानन शर्किय्या, फ़त्तख़ज़त मिन दूनेहिम हिजाबन फ़अर्सलना इलैहा रूहना फ़त मस्सला लहा बशरन सविय्या। कालत् इन्नी अऊज़ो बिर्रहमाने मिन्का इन्कुन्ता तक़िय्याकाला इन्नमा अना रसूलो रब्बेका लिअहबा लका गुलामन ज़किय्या कालत् अन्ना यकूनो ली गुलामुं व्वलम यम्सस्नी बशरूंव्वलम अको बगिय्या, काला कज़ालेका काला रब्बोके हुआ अलय्या हय्यनो व लेनज्अलहो आय-तल्लिन्नासे व रहमतम्मिन्ना व काना अमरम्म क़िज़्य्या ।

कुरआन, सूरत मर्यम, पारा १६, रकू २/५

अर्थात-और याद कर कुरआन में कथा मर्यम की, और (वह) सदा बैतुल्मुकद्दस की मस्जिद में रहती (थी)। एक बार वह (मर्यम) अपनी मौसी के घर में थीं और उन्हें गुसल की हाजत (स्नान की इच्छा) हुई। स्नान हेतु जब मर्यम पूर्व की ओर गई तो उन्होंने पर्दा कर लिया, ताकि वहाँ स्नान कर सके। जब स्नान कर चुकी और वस्त्र पहिन लिये, तो भेजा हमने (खुदा ने) उनकी ओर अपनी रूह (अर्थात जिब्रील) को, तो जिब्रील ने मनुष्य का पूर्ण रुप धारण कर लिया।

हज़रत मर्यम ने जब अपने स्नान के स्थान में एक पराये मनुष्य को देखा, तो कहा मैं पनाह (शरण) माँगती हूँ खुदा से, तेरी बुराई से यदि तू सदाचारी है। इस पर जिब्रील ने कहा- कि मैं खुदा की ओर से भेजा हुआ आया हूं, ताकि तुझे एक नेक पुत्र प्रदान कर जाऊँ। इस पर मर्यम ने कहा-कि मुझे पुत्र कैसे

होगा ? जब कि मुझे किसी मनुष्य ने छुआ तक नहीं और न मैं व्याभिचारिणी थी। जिब्रील ने कहा-इसी प्रकार कहा है तेरे खुदा ने, और बिना पिता के पुत्र उत्पन्न करना खुदा के लिय आसान है, और, ताकि करे खुदा निशानी लोगों के लिये, और करे रहमत (दया) ईमान लाने वालों के लिये उसको बिना पिता के उत्पन्न होने की आज्ञा दी गई है।

फिर हज़रत जिब्रील हज़रत मर्यम के समीप आये, तो उनकी [मर्यम की] आस्तीन (बांहों) या गिरेबान (वक्ष) या मुँह में फूँका '**फ़हमलत हो**' तो मर्यम उसी समय गर्भवती हो गई और ईसा उसके गर्भ में आ गये। '**फ़न्तबज़त बेही मकानन कसिय्या**' फिर नगर से दूर चली गई हज़रत ईसा को उदर (गर्भ) में लेकर-और कुछ एक ने कहा कि पूर्व की ओर पहाड़ों पर चली गई, या बैतेलहम के मैदान में जो कि एलिया नगर से ६ मील दूर था-और ८ या ९ मास के पश्चात हज़रत ईसा उत्पन्न हुए, और कुछ ने कहा है, कि गर्भ रहना और ईसा का उत्पन्न होना एक ही समय में हुआ, और ज़ादल्मसीर में लिखा है, कि ९ घड़ी में [उत्पन्न हुए], मकातल ने कहा है, कि एक घड़ी में लोथड़ा (मांस पिण्ड) हुआ, एक घड़ी में सूरत बनी और एक घड़ी में उत्पत्ति हुई।

अस्तु हमारा प्रयोजन ईसा के जन्म की कथा लिखने से नहीं अपितु केवल फरिश्तों का कलाम बताना था, सो जो आयतें ऊपर उद्धृत है वह फरिश्ता और मर्यम का कलाम है।

जब कौम (स्वजातीय) के लोगों ने मर्यम से पूछा कि यह बच्चा कैसे उत्पन्न हुआ ? तो मर्यम ने संकेत किया कि इसी बच्चे से पूछो। (हमारी दृष्टि में ईसा उस समय कुछ दिनों का ही होगा)

लोगों ने कहा-(लोगों का कलाम)-'**कालू कैफ़ा नुकल्लेमो मन कान फ़िल्महदे सबिय्या** ' कि पालने में बच्चा जो बात नहीं समझता, उससे क्या बात करे ? जब ईसा ने यह बात सुनी तो माँ का दूध (स्तन पान) छोड़ कर कहने लगे :—

काला इन्नी अब्दुल्लाहे आताने यल्किताबा वा जअलनी नबिय्यं-व्वजअलनी मुबारकन ऐन मा कुन्ता व औसानी बिस्सलाते व ज़कात मा दुम्तो हय्या । व बर्रन बेवालेदति व लम्यज्अलनी जब्बारन शक़िय्या बस्सलामो अलय्या यौमा वुलित्तो व यौमा अमूतो व यौमा उब्असोहय्या ।

कुरआन पारा, १५ रकू मर्यम रकू २/५

अर्थात-ईसा ने कहा कि मैं खुदा का बंदा हूँ ! उसने मुझे पुस्तक (इंजील) दी है और किया मुझको बरकतवाला, और जब तक मैं संसार में रहूँ अर्थात जीवित रहूँ, मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात (निश्चित दान) देने का आदेश दिया है, और मुझे मेरी मां के साथ भलाई करने वाला और मेहरबान (कृपालु) किया और नहीं किया मुझको सरकश (घमण्डी) और बदबख़्त (अवज्ञाकारी) और खुदा का सलाम मुझ पर है, जिस दिन मैं [ईसा] उत्पन्न हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन [जीवित होकर] उठाया जाऊँ ।

(वाह अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू, जकात भी खूब दी)

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ १३ से १५

उक्त कथा व प्रसंग पर कोई समालोचनादि कुछ नहीं करना है । हमें तो केवल यह स्पष्ट करना है कि कुरआन में कुरआन लेखक के अतिरिक्त अन्य लोगों का भी बहुत कलाम है, जिन पैगम्बरों का उल्लेख कुरआन में हैं, उनके कलाम नहीं लिख रहे हैं ! [क्यों कि पुस्तक बड़ी बन जायेगी]

हज़रत दाऊद के साथ फरिश्ता का कलाम

हज़रत दाऊद के लिये कुरआन में लिखा है कि हमने दाऊद को शक्तिशाली शासन-व्यवस्था और न्याय करने की शक्ति दी थी :—**वज़्कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐदे, इन्नहू अव्वाब** ।

कुरआन, सूरत स्वाद, पारा २३, रकू । ११२

तफसीर कादरी भाग २, पृष्ठ ३३० में कुरआन की आयत '**इन्ना सख़्ख़रनल्जबाला**' की व्याख्या में लिखा है-कि निश्चय हम [खुदा] ने मुसख़्ख़र (आज्ञाकारी) कर दिया पहाड़ों को कि जहां दाऊद चाहते पहाड़ वहां चले जाते, और प्रातः व सायं पहाड़ हज़रत दाऊद के साथ उपासना करते थे ।

इस बात को सिद्ध करने हेतु व्याख्याकार ने एक कथा लिखी है- कि एक वली (खुदा का मित्र) ने देखा पत्थर को कि वर्षा की बूँदों की भांति पानी उस पत्थर से टपकता है। वली ने कुछ समय वहां ठहर कर ध्यानपूर्वक देखा, तो पत्थर उस वली से बातें करने लगा और कहा-कि ऐ अल्लाह के वली ! कई वर्ष हुए कि अल्लाह ने मुझको उत्पन्न किया और उसकी सियासत [आतंक] के भय से शोक के आंसू बहाता हूँ। इस पर खुदा के वली ने खुदा से प्रार्थना की, कि ऐ खुदा ! इस पत्थर को निर्भय कर दे। प्रार्थना स्वीकार हुई और सुरक्षा की सूचना उस पत्थर को प्राप्त हो गई ।

कुछ समय के पश्चात वह वली उस स्थान पर पुनः पहुंचा तो देखा कि वह पत्थर पूर्व से भी अत्याधिक आंसू बहाता

है। वली ने पूछा—तुझे तो खुदा ने अभय कर दिया था। अब यह रोना किस कारण है। उस (पत्थर) ने उत्तर दिया कि पूर्व रोना मेरा भय के कारण था और अब का रोना शान्ति की प्रसन्नता से है।

पहाड़ों और पत्थरों की निस्बत (सम्बंधित) अत्याधिक विचित्र कथाएँ हदीसों में वर्णित है।

—हज़रत मूसा के वस्त्र पत्थर ले भागा:—

फजहबा मर्रतन य.ग्तसेलो फवज़आ सौबहू अला हजारिन फफर्रल्हजरो बेसौबेही, फखरजा मूसा फी इस्रेही यकुलो सौबी या हजरो सौबी।

तजरीदे बुखारी, हदीस १६७, बयान गुसल पृ० ७४

अर्थात—एक बार हज़रत मूसा पत्थर पर कपड़े (वस्त्र) रख कर नहाने लगे। पत्थर उन वस्त्रों को लेकर भागा। मूसा उसके पीछे-पीछे कहते जाते थे, मेरे वस्त्र, ऐ पत्थर ! मेरे वस्त्र........ इत्यादि !

तफसीर मजहरी में **'अलम्तरा इन्नल्लाहा यस्जुदो लहू'** कुरआन की इस आयत की व्याख्या में लिखा है कि रसूलिल्लाह ने कहा कि एक पहाड़ दुसरे पहाड़ का नाम लेकर पुकारता और बातें करता कि तुझ पर कोई अल्लाह की याद (स्मरण) करने वाला भी आया है या नहीं ? वह (दुसरा पहाड़) यदि यह उत्तर देता कि हां आया है ! तो उसे (पहले पहाड़ को) हर्ष होता है।

तफसीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ ७२-७३ में भी इस हदीस को तिबरानी ने इब्ने मसऊद से बयान किया है।

पहाड़ों के ज्ञानवान होने का वर्णन मध्य में आ गया है। अतः इस विषय पर कुछ मनोरंजक बातें नीचे लिख रहा हूँ।

अल्लामा बगवी ने कहा—कि हज़रत मुहम्मद बसीर पहाड़ पर गये थे। काफिर हज़रत की टोह (तलाश) में लगे हुए थे; तो पहाड़ बोल उठा—कि ऐ अल्लाह के नबी ! आप मुझ पर से उतर जाईये। मुझे भय है कि कहीं काफ़िर आपको पकड़ लें और मुझे उसके सबब (कारण) अल्लाह अज़ाब करे। ओर हिरा पहाड़ ने निवेदन किया-या रसूल ! आप यहाँ पधारें और मेरे पास आएँ।

अल्लामा बग़वी ने अपनी सनद (प्रणाम) से जाबर बिन समरह से रवायत की है, कि रसूलिल्लाह ने कहा कि मैं मक्का के उस पत्थर को भली प्रकार पहचानता हूँ, जो मेरे नबी होने से पूर्व मुझे सलाम किया करता था। यह हदीस सही (सत्य) है और इसे मुस्लिम ने रवायत किया है।

हज़रत अनस से रवायत है,—कि आपको (हज़रत को) उहद पहाड़ नज़र पड़ा, तो कहा कि यह, वह पहाड़ है, जो हमको मित्र रखता है।

हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, कि हमें रसूले खुदा (हज़रत मुहम्मद) ने प्रातःकाल की नमाज़ पढ़ाई और फिर कहा-कि एक बैल हाँकने वाला थक गया तो वह उस पर सवार हो गया, तो बैल बोल पड़ा--कि हम सवारी हेतु नहीं उत्पन्न किये गये, खेती के लिये हैं............!

रसूलिल्लाह [हज़रत मुहम्मद] हिरा पहाड़ पर गये और उनके साथ हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली व तलहा तथा ज़ुबेर भी थे। एक पत्थर हिलने लगा। हज़रत मुहम्मद ने कहा–ठहर जा ! कि तुझ पर एक नबी या सिद्दीक या शहीद के अतिरिक्त और कोई नहीं। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है।

हज़रत अली से रवायत है, कि हम मक्का में रसूलिल्लाह के साथ थे, सो जब हम मक्का से बाहर इधर–उधर; पहाड़ों और वृक्षों में गये, तो जिस वृक्ष या पहाड़ से हमारा गुजरना होता था, तो वह पुकारता था–**अस्सलामो अलैका या रसूलिल्लाह**।

इसी प्रकार सहीह मुस्लिम में जाबर से रवायत है, कि हज़रत मुहम्मद (मिम्बर (मंच) तैयार होने से पूर्व) मस्जिद के एक स्तून (खम्बा) से जो खजूर की लकड़ी का था, तकिया (टेका) और सहारा लेते थे। जब मंच तैयार हो गया और उस पर रसूल सुशोभित हुए, तो वह स्तून (खजूर का खम्बा) अधीर होकर ऊँटनी के सदृश्य रोने लगा। यहां तक कि उसकी आवाज़ मस्जिद वालों ने सुनी। रसूलिल्लाह मंच से नीचे उतरे और उसे गले से लगाया। गले लगाते समय वह बिल्कुल मौन हो गया। (प्रभू ऐसे अन्ध विश्वास से बचाये)

इन सब हदीसों से ज्ञात हुआ, कि जमादात (जड़ पदार्थों) में भी विवेक और जीवन है।

तफसीर मज़हरी, सूरत बकर, भाग १, **पृष्ठ** १४४-१४५

हम हज़रत दाऊद और फरिश्तों का कलाम लिख रहे थे किन्तु मध्य में उपरोक्त कथा–प्रसंग उपस्थित होने के फल-स्वरूप हमें यह भी लिखना पड़ा ताकि पाठकों को ज्ञातव्य हो।

तफसीर कादरी से हम इस कथा को उद्धृत कर रहे हैं- कि रात्रि के समय सदैव ३६ हजार मनुष्य उसके (हज़रत दाऊद के) घर की रक्षा करते थे।

इमाम अबुल्लैस ने कहा है, कि शासन की दृढ़ता का यह कारण था कि खुदा ने एक जंजीर आसमान से लटकाई। वह जंजीर हज़रत दाऊद के महकमा (न्यायालय) पर ठहरी। अभियोगी और अभियुक्त दोनों में जो सच्चा होता, उसका हाथ जंजीर तक पहुँच जाता और झूठे का हाथ नहीं पहुँचता था।

हज़रत दाऊद की कथा इस प्रकार है (कि उसका सेनापति औरया था) (व्याख्याकार ने लिखा) कि हज़रत दाऊद की कथा में और सेनापति औरया की स्त्री के साथ विवाह करने में अत्याधिक मतभेद है।

कुछ व्याख्याकारों ने इस कथा को जिस प्रकार लिखा है, वह पढ़ कर, विवेक स्वीकार नहीं करता है। (किसी का विवेक स्वीकार करे या न करे) किन्तु कुरआन की आयत तो वही कहती है, जो उन विद्वान व्याख्याकारों ने व्याख्या की है-आपने कुरआन की आयतों के प्रतिकूल मनमानी तावील (व्याख्या) की है।

व्याख्याकार लिखता है कि औरया ने एक स्त्री को अपने साथ विवाह करने का सन्देशा पहुंचाया, और हज़रत दाऊद ने भी पहुँचाया। हज़रत दाऊद के ९९ पत्नियां थी।

ज़ादुलमसीर में है कि खुदा का क्रोध हज़रत दाऊद प इसलिए हुआ कि औरया के संदेश देने के पश्चात दाऊद ने विवाह-संदेशा क्यों पहुँचाया? (यह पर्दा डालने वालों की बातें हैं)

यह प्रसंग कुरआन में निम्न प्रकार है :—

' व हल अताका नबउल्खसमों इज़ तसव्वरों वल्मेहराब ' क्या आई तेरे पास सूचना उन दो दलों की, जिन्होंने झगड़ा किया तिबयान में। जिब्रील और मेकाईल (दो फरिश्ते) दोनों पक्ष और विपक्ष के रुप में हज़रत दाऊद के यहाँ आये और दोनों के साथ फरिश्तों का एक-एक दल था। हज़रत दाऊद ने विभिन्न कार्यों के हेतु भिन्न-भिन्न दिन निश्चित कर रखे थे, उनमें एक दिन न्याय के लिये भी था। उस दिन फरिश्ते मनुष्य का रूप धारण कर हज़रत दाऊद के घर आये और उनके उपासनागृह में चले गये और उनके चौबारे पर चढ़ गये। **' इज़ दखलू अला दाऊदा फ फ़ज़ेआ मिन्हुम '** जब वे भीतर दाऊद के सम्मुख आये तो उनसे दाऊद भयभीत हुए, क्योंकि वे बिना आज्ञा आ गये थे। फरिश्तों ने कहा **' कालू ला तखफ़ खस्माने बगा बाजुना अला बाज़िन '** भय मत करो ! हम दो दल हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में किसी एक ने अत्याचार किया है दूसरे पर **' फ़हकुम बैनना बिल्हक्के व ला तुश्तित वहदेना इला स्वा-ईस्सरात '** पस, न्याय कर हमारे मध्य सत्य से व ज़ुल्म न कर और अपने निर्णय में मार्ग दर्शन कर हमें सन्मार्ग की ओर। दाऊद ने कहा—दावा प्रस्तुत करो ! उनमें से एक ने कहा-- **' इन्ना हाज़ा अखीलहू तिसउव्वंतिस्ऊना नाजतन व लेया नाज-तुंव्वाहिदतुन '** निसन्देह यह मेरा भाई है और इसके ९९ भेड़ें है तथा मेरे पास केवल एक ही भेड़ है। **' फ़काला अक्फ़ि-लनीहा वा अज्ज़नी फ़िल्ख़ताब '** तो इसने मुझसे कहा कि इसको (एक भेड़ को) भी मुझे दे दे और शक्तिप्रयोग किया मुझ पर बात करने में, और मुझे उज्र (प्रतिरोध) करने की भी मुहलत (अवसर) न दी **'काला लकद ज़लमका बिसो आले नाजतेका**

इला ने आजेही, व इन्ना कसीरम्मिनल्खुलताये लयब्गी बाजुहुम अला बाजिन इल्लल्ला जीन आमनू व अमेलुस्सा लेहाते व कली लुम्मा हुम' दाऊद ने कहा—यदि यही बात है, तो खुदा की शपथ, उसने तुझ पर अत्याचार किया है। तेरी भेड़ माँगने और सम्मिलित करने अपनी भेड़ों में, और निश्चित बहुत से शरीकों (साथियों) में से जो परस्पर माल खलत (हड़प) करते है, निसन्देह वह अत्याचार करते हैं एक-दुसरे पर और अपने अधिकार से अधिक माँगते है, किन्तु वह लोग जो ईमान लाये और काम अच्छे किये और सीमित (कम) हैं यह लोग शरीकों (साथियों) में। कुरआन पारा २३ रकू २/११

जब हज़रत दाऊद ने यह बात कही, तो वे सब लोग उठ खड़े हुए और दृष्टि से ओझल हो गये। (यह उपरोक्त आयतें भी फरिश्तों का कलाम है।)

तफसीर कादरी, सूरत स्वाद, भाग २ पारा २३; पृष्ठ ३३०-३३१

पाठकों की जानकारी हेतु हज़रत दाऊद की वह कहानी भी हम संक्षेप में लिख रहे है, जिसे मिथ्या कहा जाता है।

एक दिन की चर्चा है कि एक पक्षी कबूतर की आकृति का उनके (हज़रत दाऊद के) पास आ गया। हज़रत दाऊद उसकी सुन्दरता देख कर विस्मित हुए और उसे पकड़ने लगे, वह उड़ गया। हज़रत दाऊद कोठे पर चढ़ कर उसको चारों ओर देखने लगे कि अक्समात उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुन्दर स्त्री पर पड़ी, जो हौज़ के तट पर नहा रही थी। उसे देखने मात्र से दाऊद का मन उसकी ओर झूक गया।

दो विशेषज्ञों को उस स्त्री का पता लगाने हेतु नियुक्त किया। उन्होंने जानकारी दी की यह स्त्री औरया के निकाह में है या उसकी मंगेतर है।

उन दिनों औरया किला वल्लाह का घेरा डाले हुए लड़ रहा था। तब वहां के सेनापति स्वाब को कहला भेजा कि ताबूते सकीना देकर औरया को किले के द्वार पर भेजें (ताबूते सकीना अर्थात इस प्रकार का युद्ध कि जिसका परिणाम विजय या मृत्यु में से एक होता है)

कुछ एक का कथन है कि औरया ने वह किला विजय कर लिया था। उसे फिर दुसरे किले पर भेजा; वह भी जीत लिया और फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ।

कुछ का कथन है कि वह (औरया) प्रथम युद्ध में ही मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उस अफ़ीका को दाऊद ने विवाह सन्देशा भेजा। उसने इस अनुबंध पर विवाह स्वीकार किया कि जो मेरे गर्भ से बच्चा उत्पन्न हो वह ताजोतख़्त (शासन) का स्वामी हो। दाऊद ने स्वीकार कर लिया और विवाह हो गया। उसके गर्भ से सुलेमान हुआ जो राज्य का स्वामी हुआ।

अजाएबुल कसस, भाग १ पृष्ठ ३५८-३५९

हम इस पर कोई समालोचना न करते हुए पाठकों से कहते हैं कि वह कुरआन की आयतों के साथ मिला कर देख लें आपको! सत्य क्या प्रतीत होता है?

—:हजरत अजीज से फरिश्ता का कलाम:—

कुछ व्याख्याकारों ने इसको यर्मियाह और अर्मियाह भी कहा है। यह कथा-प्रसंग कुरआन, पारा ३ रकू ३५/३ में वर्णित

ईसा से ६०० वर्षों पूर्व बाबिल के सम्राट बख्तेनसर ने सहस्रों स्त्रियों को मृत्यु के घाट उतार दिया और यरूशलम को जला कर नष्ट कर दिया। बैतुलमकद्दस को ढहा कर वीरान कर दिया और ७० हजार मनुष्यों को बन्दी बना कर ले गया।

हजरत यर्मिया (अजीज) ने नष्ट हुए उस नगर को देख कर कहा कि इस नगर को खुदा कैसे आबाद करेगा ? खुदा ने उन्हें अपनी अलौकिक शक्ति का तमाशा दिखाया, और वह यह कि उर्मिया (अजीज) सो गये और खुदा ने उसे मृत्यु दे दी तथा सैंकड़ों वर्षों के पश्चात उसे पुनः जीवित किया।

तफसीर हक्कानी, पारा, ३ पृष्ठ ६

जीवित होने के पश्चात खुदा ने यर्मिया के पास एक फरिश्ता भेजा। उसने यर्मिया से पूछा **'काला कमलबिरता'** कि आप यहाँ कितने समय ठहरे ? तो यर्मिया नेकहा-**काला लबिस्तो यौमन'** मैं एक दिन यहाँ ठहरा अथवा **'औ बाजा यौमिन'** या दिन से भी कुछ कम समय । इस पर फरिश्ता ने कहा-**काला बललबिरता मेअते आमिन'** यहां आप सौ वर्षों तक ठहरे **'फन्जुर इला तुआमिका व शराबेका लम् यतसन्नहो'** अब अपने खाने-पीने अर्थात अंजीर और मद्य को देख लो (इनमें) कोई वस्तु बिगड़ी तो नहीं है !

(तफसीर मजहरी, पारा ३, पृष्ठ ४१)

और '**वन्ज़ुर इला हेमारेका**' और अपने गधे की ओर देखो, कि उसकी हड्डियाँ रह गई थी। (उस समय कहा गया कि तुझे मृत्यु के पश्चात जीवित किया गया, ताकि मेरी कुदरत (खुदाई चमत्कार) की निशानी तेरी ज़ात (व्यक्तित्व) पर प्रकट हो) और यह बात भी कि '**लेनज्अलका आयतल्लिन्नासे वन्ज़ुर इलल इज़ामे कैफ़ा नुन्शिरोहा सुम्मा नक्सूहा लहमन**' और दुसरे यह कि करें हम निशानी (खुदाई प्रमाण) उन लोगों के हेतु जो कयामत में शरीरों (शवों) के उठाने में सन्देह करते है। तू अपने गधे की हड्डियों की ओर देख ! ताकि तू जान ले कि (हम) अपनी कुदरत से बिना कारण कैसे हरकत देते हैं और एक-दुसरे पर जमाते हैं, '**फ़लम्मा तबय्यना लहू काला आलमो इन्नल्लाहा अला कुल्ले शैइन कदीर**' फिर पहिराते हैं हम (खुदा) उन हड्डियों को गोश्त (मांस)।

फिर जब प्रत्यक्ष हो गई अज़ीज पर खुदा की कुदरत और उसके चिन्ह मृतक को जीवित करने में, तो कहा-मैं जानता हूँ कि खुदा सब वस्तुओं को मार डालने और जीवित करने पर सामर्थ्यवान है।

तफसीर कादरी, पारा ३, पृष्ठ ७९-८०

लोगों को कयामत का विश्वास दिलाने हेतु ऐसी कई मनगढ़न्त कथाओं का अवलम्बन लिया गया है। कुरआन में बारम्बार यह बात दोहराई गई है कि, एक बार हम (खुदा) जीवित करेंगे, फिर मारेंगे, फिर कयामत के दिन उठायेंगे।

अज़ीज को मध्य में मारना और कयामत के पूर्व जीवित करना और फिर मारना तथा फिर कयामत को उठाना ? उन समस्त आयतों के विरूद्ध है ?

हमने कुरआन में वर्णित विभिन्न लोगों के कलाम (कथन) के सम्बंध में संक्षिप्त रूप में लिखा। यदि समस्त वर्णन लिखे जायें तो इसी विषय की एक बड़ी पुस्तक बन जाये।

जिन पैगम्बरों का वर्णन कुरआन में है। उसमें यह विषय विस्तृत रूप में है, जैसे मूसा का वृतांत, जो कुरआन में है, उसमें यह विषय आपको अत्याधिक मिलेगा, उसे हम अपने अन्य दूसरे ग्रन्थ में लिखेगे। अतः यहाँ इस पुस्तक के बढ़ जाने के भय से नहीं लिख रहे हैं।

अब आगे के पृष्ठों में कुरआन का एक विख्यात और विचित्र विषय 'मुहकमात और मुतशाबेहात' है। उसका वर्णन करेंगे।

-: कुरआन के लेखक की विलक्षण कल्पना :-

प्रत्येक विद्वान-लेखक या सुधारक जब किसी ग्रन्थ की रचना करता है तो उसके अंतरात्मा में यही भावना होती है कि उसके विचारों को, जिन्हें वह ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, अधिकाधिक पठन-पाठन एवं श्रवण कर जन साधारण सन्मार्ग ग्रहण करें।

अतः वह इस बात का यथा सम्भव-पूर्णतः प्रयास करता है कि उसके विचार बुद्धिगम्य-शिक्षाप्रद एवं कल्याणकारी मार्ग के प्रदर्शक एवं प्रेरणादायी हों। वह यह भी प्रयत्न करता है कि उसके ग्रन्थ की भाषा-शैली-वाक्य रचना एवं प्रस्तुतीकरण निरर्थक या मिथ्या भावना प्रसारण करने वाले न हो। भाषा इतनी जटिल-दुरूह एवं द्विअर्थी अथवा उलझी हुई न हो कि जिसे

पाठक पढ़कर ग्रहण न कर सके। कठिन स्थलों–वर्णनों एवं भावों को स्पष्ट करने हेतु ग्रन्थकार उनके अर्थ भी लिख देता है। इतना ही नहीं अपितु अपने ग्रन्थ को बोधगम्य बनाने, अपने विचारों को प्रत्येक जन साधारण तक पहुँचाने तथा उन्हें अपने विचारों से प्रेरित एवं प्रभावित करने हेतु अपनी कठिन एवं क्लिष्ट रचना की कुन्जी भी प्रकाशित कर देता है। जिस ग्रन्थ की यहाँ चर्चा है और जिसके विषय में हम इस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं दावा तो उसका भी यही है, कि:—

'किताबुन् अन्ज़लना हो इलैका तुख़्रेजन्नासा मिन् ज़्जुलोमाते इलन्नूर'

—कुरआन, सूरत इब्राहीम, पारा १३, रकू १।१३

अर्थात—(ऐ महम्मद ! हमने (खुदा ने) इस पुस्तक को तेरी ओर उतारा ताकि तू लोगों को अँधकार से प्रकाश की ओर ले जाये।

परन्तु यह उपरोक्त दावा (घोषणा) न तो तर्क की कसौटी से ही सिद्ध होता है और न शिक्षा से ही। क्योंकि उक्त पुस्तक (कुरआन) की शिक्षा (उपदेशों) में प्रकाश की ओर ले जाने वाला कोई ज्ञान नहीं, अपितु इसके प्रतिकूल अन्य मनुष्यों में द्वेष–घृणा, पक्षपात–हत्या–कुकर्म तथा लूट-मार आदि अँधकार की ओर अग्रसर करने वाले विचारों का ही बाहुल्य है। इन बातों का वर्णन हम पुस्तक में यथा स्थान करेंगे। यहां तो केवल इतना ही प्रतिपादन करना है कि यह कुरआन ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसका कथन है कि "मेरा एक भाग (आयतें) ऐसा है जो बुद्धि में आ सकता है, अर्थात समझ में आने योग्य है, और इस का एक भाग ऐसा है जो मानव-बुद्धि की पहुंच से परे (दूर) है, अर्थात उसे मनुष्य समझ ही नहीं सकता।"

पाठक ! कदाचित सोचते होंगे कि बड़े कठिन भाग को भी कठिन परिश्रम द्वारा समझा जा सकता है; परन्तु बात ऐसी नहीं है । वहाँ तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसको (कठिन भाग को) खुदा के अतिरिक्त कोई समझ ही नहीं सकता । इतना ही नहीं अपितु उसके समझने और उसकी तावील (व्याख्या) का यत्न करने वाले को टेढ़े दिल वाला, इस्लाम का शत्रु और अवज्ञाकारी कहा गया है । वहाँ पर तो प्रतिबन्ध है कि इन वचनों (आयतों) पर तो ईमान (विश्वास) लाना है कि यह खुदा का क़लाम (कथन) है, किन्तु समझने का यत्न नहीं करना चाहिये और अपने ईमान को यहाँ तक ही सीमित रखना कि इन आयतों (वचनों) के अर्थ खुदा के अतिरिक्त कोई (भी) समझ ही नहीं सकता ।

पाठक ! सम्भवतः विचार करेंगे कि अपनी पुस्तक (ग्रन्थ) के हेतु कौन लेखक-रचयिता या ग्रन्थकार ऐसा लिख सकता है ? परन्तु जब हम आपके समक्ष अकाट्य एवं ठोस प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तब आपको भी विश्वास हो जायेगा कि एक ऐसी भी पुस्तक है, जिसमें ऐसा भी लिखा है । जब यह एक विलक्षण कल्पना प्रतीत होती है तो इसका कारण क्या है ? यह विचारणीय, है, क्यों कि कोई बात या कार्य बिना कारण के सम्भव नहीं ।

यह बात स्वतः सिद्ध है कि जब मनुष्य के मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध न हो सकें, निराधार-निरर्थक और मिथ्या हों तो वह वक्ता उन बातों की पुष्टि के हेतु कोई ऐसी बात प्रस्तुत करता है कि लोग भ्रम में पड़ कर उस पर अविश्वास न करने लग जाएं । बस,

यही कारण इस धारणा का है कि 'इन आयतों का अर्थ खुदा के अतिरिक्त कोई समझ ही नहीं सकता।

कुरआन ने ऐसी बातों पर आवरण डालने हेतु विचित्र मार्ग अपनाया है। कुरआन के अन्दर ऐसी आयतें बहुत आती हैं, जिन्हें बुध्दि और विवेक स्वीकार नहीं कर सकते।

कुरआन के निर्माता ने प्रथम लोगों की चकित करने हेतु बुध्दि-विरूद्ध बातों का प्रयोग तो कर लिया और पश्चात ध्यान आया कि इन बातों से सन्देह होता है। ऐसा न हो कि मुसलमान इन बातों पर अविश्वास कर मुझसे विमुख हो जाये और मेरी पैग़म्बरी की सीमा से निकल जायें। अतः उसने एक ऐसी युक्ति सोची कि जिसके मान लेने से समस्त कार्य व बातें सिद्ध हो जाये और किसी के मन में अविश्वास भी न हो सके। यह यही युक्ति है, जिसके द्वारा कुरआन को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। जिन्हे हम नीचे लिख रहे हैं।

कुरआन के दो भागः मुहकमात और मुतशाबेहात

हम इस प्रकरण को कुरआन के उच्च कोटि के विद्वान और व्याख्याकार अल्लामा जलालुद्दीन सियुती की जगत विख्यात पुस्तक 'तफसीर इत्तिकान' से उद्धृत कर रहे हैं।

अल्लामा ने मुहकमात और मुतशाबेहात आयतों को वास्तविकता को अधिक भली प्रकार से स्पष्ट किया है-प्रथम उसने कुरआन की उस आयत को लिखा है, जिसमें मूल रूप से मुहकमात और मुतेशाबेहात का वर्णन है। कुरआन की वह आयत निम्न प्रकार है:—

हुवल्लज़ी अन्ज़ला अलैकल किताबा मिनहो आयातुम्मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबे वा उखरो मुतेशाबेहातुन ।

कुरआन, पारा ३, रकू १/६

अर्थात—उसी (खुदा) ने तुझ पर किताब (कुरआन) उतारी, उसमें कुछ आयतें पक्की हैं और वो ही किताब का मूल है और दुसरी (आयतें विभिन्न अर्थ वाली है ।

तफसीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ १

अल्लामा ने आगे लिखा है कि मुहकम और मुतशाबह के निश्चित करने के सम्बंध में विभिन्न प्रकार के वचन आये है:-

१—यह कि जिस विषय का तात्पर्य स्पष्ट रीति से या व्याख्या द्वारा ज्ञात हो जाये, वह मुहकम है, और जिस वस्तु का ज्ञान खुदा ने अपने ही लिये विशेष कर बनाया है, जैसे कयामत (प्रलय) का कायम (स्थापित) होना । दुज्जाल अर्थात इस्लाम के सिद्धान्तानुसार दुज्जाल नामक एक व्यक्ति होगा, जो लोगों को पथभ्रष्ट करेगा । और सूरतों के जो प्रथमाक्षर आये है, जैसे अलिम-लाम व मीम्, यह सब मुतशाबह है ।

२—जिस वस्तु के अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो जायें, वह मुहकम है और जिस वस्तु के अर्थ इसके प्रतिकूल हो (अर्थात जिसके अर्थ न जाने जा सके) वह मुतशाहब है ।

३—जिस अमर (आयत) की एक ही वजह पर व्याख्या हो सके वह मुहकम है, और जिसकी व्याख्या कई प्रकार के अर्थों को प्रकट करती हो, वह मुतशाबेहात है ।

४—जिस बात के अर्थ बुध्दि स्वीकार करती हो, वह मुहकम है, और जो अमर (आयत) बुध्दि के प्रतिकूल हो, वह मुतशाबह है। जैसे नमाजों की गणना, रमजान माह में ही रोज़े रखना और अन्य महिनों में न होना। (यह कथन मावर्दी का है।)

५—जो वस्तु अपनी सत्ता में दृढ़ हो वह मुहकम और जो वस्तु अन्य की ओर फेरी जाये, अर्थात अपने अर्थों पर निर्भर नहीं करती, वह मुतशाबह है।

६—जिसकी व्याख्या उसकी सत्ता के अन्तर्गत है वह मुहकम है, और जो बिना व्याख्या के समझ में न आ सके वह मुतशाहब है।

७—जिसके शब्द बारम्बार न आये हों, वह मुहकम है, और जिसके शब्द बारम्बार आये हों, वह मुतशाबह है।

८—मुहकम का नाम है कर्तव्य का और आदेश आदि का और मुतशाबह गल्प और गाथाओं (कथाओं) को कहते हैं।

९—इब्ने अबी हातम आदि ने, इब्ने अब्बास से रवायत की है कि मुहकमात कुरआन की मान्यता प्राप्त आयतों, हलाल हराम–मर्यादाएँ तथा कर्तव्य आदि का नाम है, जिस पर ईमान लाया जाता है और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है, और मुतशाबेहात कुरआन की निरस्त की गई आयतों, आदि-अंत आदि बातों का नाम है, जिन पर ईमान तो लाया जाता है किन्तु उन पर अमल (पालन) नहीं किया जाता।

१०—फरियाबी, मुजाहिद से रवायत करता है कि मुहकमात उन्हीं आयतों का नाम है, जिसमें हलाल और हराम का वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त कुरआन का जितना भाग है वह सब मुतशाबेहात है।

११—इब्ने अबी हातम, रबी से रवायत करता है कि मुहकमात कुरआन के झिड़कने और फटकारने वाली आज्ञाओं का नाम है।

१२—अबू फ़ाख्ता ने कहा कि इससे सूरतों के आरम्भ से तात्पर्य है। याहया ने कहा, नहीं अपितु कर्तव्य-विधि और निषेध आदि है।

१३—हाकम आदि ने इब्ने अब्बास से रवायत की है कि 'सूरत अनआम की अंतिम ३ आयतें मुहकमात है, जैसे 'कुलता-आलू' और दो आयतें उसके पश्चात की, और इब्ने अबी हातम ने दुसरे ढंग पर ही इब्ने अब्बास से रवायत की है अर्थात 'कुल-लाआलू से ३ आयतों तक और यहाँ से अर्थात 'वा कज़ा रब्बोका अल्लालबोदु' से उसके पीछे की ३ आयतों तक मुहकमात हैं।

१४—अब्द बिन हबीब, जुहाक से रवायत करता है कि मुहकमात वह वस्तु है, जो कि कुरआन में निरस्त नहीं हुई और मुतशाबेहात वह है, जो निरस्त हो गई। इब्ने अबी हातम कहता है कि निसन्देह अकरमा और कतादा और उनके अति-रिक्त दूसरे लोगों ने भी कहा है, मुहकम वह कुरआन है जिस पर अमल किया जाता है, और मुतशाबेहात वह है जिस पर ईमान लाना आवश्यक है किन्तु अमल नहीं किया जाता है।

तफसीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ ३

इसके आगे अल्लामा सियुती ने इस विषय में मुस्लिम विद्वानों का परस्पर मतभेद लिखा है कि विद्या-विशारद और भाषाशास्त्री लोग मुतशाबह आयतों को जान सकते हैं या नहीं ? किन्तु इस विचार के लोग सीमित (कम) है, जिनका पक्ष है कि जान सकते हैं; परन्तु बहुसम्मत मुस्लिम विद्वानों का यह मत है कि मुतशाबह आयतों के अर्थों को (तात्पर्य को) खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, जैसा कि हम आगे लिख रहे हैं ।

सर्व प्रथम तो यह जान लेना आवश्यक है, जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं कि प्रत्येक विषय पर मुस्लिम विद्वानों में परस्पर मतभेद है । जब कोई इस्लाम के सिद्धान्तों पर आक्षेप करता है, तो वह उन लोगों की सम्मति प्रस्तुत करके, जो अत्याधिक न्यून है और आम मुसलमान उनके कथन को मानते भी नहीं, उन चन्द लोगों की सम्मति से मुँह बन्द करने का यत्न करते हैं ।

हम आगे इस बात के प्रमाण उपस्थित करेंगे कि साधारण मुसलमानों का यही मत है कि, मुतशाबेहात (आयतों) का अर्थ केवल खुदा ही जानता है, और मुहकम-मुतशाबह के अर्थों से भी यही प्रमाणित होता है । मुहकमात, मुहकम का बहुवचन है । मुहकम वह है कि जिसके शब्द और अर्थ की सत्ता (हैसियत) में कोई सन्देह नहीं उत्पन्न हो,..........पस, फसाद (झगड़ा) या खलल (विरोध) को रोकने पर भी यह शब्द बोला जाता है, अर्थात सन्देह और विवाद को रोकता है, क्यों कि उसका कथन (बयान) स्वयं अपने में दृढ़ होता है और दूसरों का मुहताज (अभिलाषी) नहीं होता ।

रूहुल्मुआनी में है कि '**वाजेहतुल्माने जाहिरतुंद्दलालते मोहकमतुल्इबारते**' अर्थात-जिसके अर्थ स्पष्ट हों और प्रत्यक्ष दृढ़ वाक्यों पर निर्भर हों।

मुतशाबेहात—मुतशाबह शुबह (सन्देह) से है और किसी वस्तु का सन्देह वह है. जो उसकी कैफियत (यथार्थता) के मान से उसकी मिसल हो अर्थात जो किसी की वास्तविकता में सम्मिलित हो।

लेखक ने मुहकम और मुतशाबह पर अत्याधिक चर्चा करने के पश्चात लिखा है कि एक और रंग में मुतशाबह तीन प्रकार का है।

१—वह एक जिसकी यथार्थता (हकीकत) पर मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे-कयामत आदि।

२—एक वह जिसे जान सकता है मनुष्य, जैसे सरल और कठिन आदेश।

३—और, एक वह जो इन दोनों के मध्य में है; जिसको विद्वान जान सकता है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति नहीं जान सकता।

तफसीर बयानुल्कुरआन, भाग १, पृष्ठ २७१

इसी प्रकार बैज़ावी में कहा गया है कि '**उहकमत इबारतोहा बेअन्ना हफ़ज़त मिनल्अजमाले वल इहतमाले**' अर्थात-ऐसी रचना को हुकुम (आदेश) कहते है, जो हर प्रकार के संदेह और विवाद से स्वरक्षित हो। फिर आगे लिखा है कि-महकम वह है, जो अर्थ के विवाद से स्वरक्षित हो और मुतशाबह वह है, जो अर्थ क़ी दृष्टि से सन्देह में डाले।

तफसीर बैज़ावी, सूरत आले इमराम, पृष्ठ ४३

इस विषय में इसी प्रकार के अर्थ तफसीर जलालेन पृष्ठ ४५-४६ व तफसीर कुरआने अज़ीम, पृष्ठ ३०, तफसीर हक्कानी, पृष्ठ ११९ लिखते हैं कि मुहकम और मुतशाबेहात के विषय में मुकद्दम उलमा (मुस्लिम विद्वानों) के विभिन्न वचन हैं। कुछ कहते हैं कि मुहकम वह कलाम है, कि जिसकी मुराद (अर्थ) मालूम हो, चाहे स्पष्ट रूप से या ताबील (व्याख्या) द्वारा, और मुतशाबह वह कलाम है, कि जिसको खास (विशेष) खुदा ही जानता है। जैसे कि दज्जाल का खरूज (आक्रमण) तथा कयामत (प्रलय)।

कुछ एक कहते है कि जिसके अर्थ स्पष्ट हों वह मुहकम और जिसके अर्थ अस्पष्ट हों वह मुतशाबह........इत्यादि। आगे है, कि जो इल्लल्लाह पर ठहरना आवश्यक समझते हैं, तो उनके निकट खुदा के अतिरिक्त मुतशाबह के अर्थ कोई नहीं जानता, और फिर उसके कुरआन में नाज़िल करने (उतारने) से केवल विद्वानों की परीक्षा करना ही उद्देश्य है, कि इन उमूर (आज्ञाओं) में केवल खुदा के फ़रमाने (कथन) पर भी ईमान लाते हैं या नहीं ?

तफसीर हक्कानी, मुकद्दमा, पृष्ठ ११९

तफसीर हक्कानी में कुरआन की आयत '**ला यालमो ताविलहू इल्लल्लाह**' इब्ने अब्बासा, आयश; हसन और मलिक बिन अनस, कसाई, फरार और अबू हनीफा इत्यादि उलमा (विद्वान) यह कहते हैं कि 'इल्लल्लाह' पर कलाम समाप्त हो गया और यहां ठहरना अनिवार्य है, और 'वर्रासिखोना' भिन्न कलाम है। 'वावअत्फ़' दो वाक्यों की संधि के लिये नहीं अपि वाक्य का प्रारम्भ है। इस पध्दति से यह अर्थ होंगे, कि मुत–

शाबेहात से जो कुछ मुराद (अर्थ) है उसको खुदा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता और यही उचित है ।

तफसीर हक्कानी, पारा ३, पृष्ठ ३६

तफसीर इब्ने कसीर-पारा-३-पृष्ठ-३८-३६

अभी तक हमने मुहकम और मुतशाबह के अर्थ विभिन्न विद्वानों और व्याख्याकारों की दृष्टि से बतलाये हैं परन्तु अब कुरआन की दृष्टि से बतायेंगे कि कुरआन मुहकमात को क्या मानता है ? कुरआन, पारा ३ की आयत में लिखा है 'हुन्ना उम्मुल किताब' यह आयतें मुहकमात असल (शुद्ध) और मग़ज़ (मस्तिष्क) कुरआन हैं ।

तफसीर कादरी, भाग १ पृष्ठ ६५ में बैज़ावी ने भी उम्मुल किताब का अर्थ (अस्लाहू) लिखा, अर्थात कुरआन का असल (मूल) यही मुहकमात हैं, और बयानुल कुरआन, पृष्ठ २७० पर लिखा, कि उम्मुल किताब का अर्थ उसूल (सिद्धाँत) है, तथा तफसीर मज़हरी पृष्ठ १७७ पर लिखा, कि मुहकमात कुरआन की आज्ञाओं के उसूल हैं............... दुसरी शिक (पद्धति) पर यह अर्थ होगा, कि मुहकमात कुरआन की मदार (निर्माता) और सहारा (आधार) है, तथा समस्त आयतों की सरदार (अग्रणी) हैं ।

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १७७

तफसीर जलालैन और तफसीर कुरआनुल अजीम में भी ऐसा ही लिखा है, तथा तफसीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ १ पर ही

लिखा है, कि मुह्कम की पहचान बयान पर निर्भर नहीं रहती और मुतशाबह का बयान हो एक खिलाफ़ तवक्का अमर है, अर्थात विचारों के प्रतिकूल आयत है।

प्रथम में ही हम मुस्लिम विद्वानों के इत्तफ़ाक से १४ प्रकार के वचन लिख चुके हैं, जिनसे आपको विभिन्न विचार रखने वाले मुस्लिम विद्वानों के विचार ज्ञात हुए। उन सबको ध्यान में रखते हुए निम्न विचार देखिये :—

कुरआन में दो प्रकार की आयतें मुह्कमात और मुतशाबेहात है। मुह्कम, वह है जो सरल और स्पष्ट अर्थ रखने वाली है और वही कुरआन का मग़ज़ (मस्तिष्क) है, वही कुरआन की असल (मूल या शुद्ध) है। मुह्कमात को समझा जा सकता है, तथा मुतशाबेहात मनुष्य की बुद्धि से परे है............ इत्यादि।

जब स्वयं ही कुरआन की सम्मति है कि मुह्कमात ही कुरआन का मग़ज़ और असल है तथा सहारा व मदार है, तो [अर्थापत्ति] से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि दुसरी प्रकार की आयतें (मुतशाबेहात) न तो कुरआन का मग़ज़ हैं, न असल है, न सहारा और मदार ही हैं। खुदा के कलाम (ईश्वरीय कथन) में यह तफरीक़ (अंतर) कभी नहीं हो सकती, क्यों कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार और जगतपिता परमेश्वर की वाणी में इतना अन्तर होना सम्भव नहीं कि उसकी वाणी का एक अंश स्पष्ट और दुसरा अस्पष्ट और एक शुद्ध तथा दुसरा अशुद्ध हो। जब कि उसकी वाणी का उद्देश्य मनुष्यों का सुधार करना और अँधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करना हो !

मुजमल और मुतशाबह क्या है ?

जिसमें तावील (व्याख्या) की गुन्जायश नहीं, वह भी दो प्रकार का है–या तो नसख (निरस्त) की भावना, या नहीं। यदि निरस्त (नसख) की भावना है, तो उसे मुफ़स्सर कहते हैं और यदि निरस्त की भावना नहीं है, तो उसे मुहकम कहते हैं।

पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पश्चात समस्त आयतें अहकाम (जिनमें हुकुम हो) और सब किस्से (कथाएँ) तथा खुदा की तौहीद (अद्वैत) के सम्बंध में समस्त आयतें मुहकम है।............जिस कलाम के अर्थों में पौशीदगी (अस्पष्टता) हो, या शब्दों से अतिरिक्त हो, या केवल शब्दों में ही खिफा (गोपनीयता) है, प्रथम को ख़फी (गोपनीय) कहते है– और द्वितीय को–जिसके शब्दों में अशकाल (कठिनता) है, जो विचार करने तथा प्रकरण पर ध्यान देने से दूर हो जाता है, उसे मुश्किल कहते है, और जो (द्वितीय) दूर नहीं होता, वह भी दो अवस्थाओं से रिक्त नहीं, या तो उसके लेखक की ओर से कठिनाई दूर करने की व स्पष्ट करने की आज्ञा हो तो उसे मुजमल कहते हैं, या फिर स्पष्ट करने हेतु आज्ञा न हो तो उसे मुतशाबह कहते है, जैसे-खुदा तख्त पर बैठा है, खुदा का मुँह और खुदा के हाथ............इत्यादि सफ़ाते मुतशाबह है, और हुरूफ़े मुकत्तआत (प्रारम्भिक अक्षर) जो सूरतों के आरम्भ में आते हैं, जैसे अलिफ़-लाम और मीम बकर के आरम्भ में, अलिफ़ लाम-मीम-स्वाद एराफ के, तथा त्वा-सीम और मीम् कसस के आरम्भ में आते है।

तफसीर हक्कानी, मुकद्दमा, पृष्ठ ११९

इस उपरोक्त कथन से भी आपको ज्ञात हो गया- कि मुतशाबह वह है जो कि लेखक की ओर से भी जिसकी कठिनता (अशकाल) को दूर करने की आज्ञा नहीं है, उसे मुतशाबह कहते है। इससे स्पष्ट है कि मुतशाबह को न तो स्वयँ जाना जा सकता है, न किसी को जताने की आज्ञा है।

यहां तो कुरआन की आयतों को दो भागों में विभक्त किया गया किन्तु कुरआन में दो आयतें और ऐसी है, जिनसे प्रमाणित होता है, कि कुरआन की समस्त आयतें मुहकम है और दुसरी आयत से जान पड़ता है, कि कुरआन की समस्त आयतें मुतशाबह है। वह दोनों आयतें निम्न प्रकार हैं।

अलिफ़, लाम, रा, उहकेमत् आयातोहू सुम्मा फ़ुस्सेलत् मिल्लदून हकीमिन ख़बीर।

कुरआन, सूरत हूद, की पहली आयत पारा १७

अर्थात-कुरआन एक ऐसी पुस्तक है, जिसकी आयतें तर्क से मुहकम की गई है (फिर उसके साथ) स्पष्ट रूप से कही भी गई है। यह एक हकीम बा ख़बरदार (सर्वज्ञाता) की ओर से है।

तफ़सीर मज़हरी, भाग ६, पृष्ठ १७

इस आयत के अनुसार कुरआन की समस्त आयतें मुहकम है। किन्तु उपरोक्त व्याख्या में लिखा कि 'स्पष्ट रूप से कही भी गई है' यहाँ तो केवल जो मुहकमात आयतें हैं; वही स्पष्ट रूप से कही जाने वाली, कहीं गई है। जो मुतशाबह आयतें हैं, जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं कि वह आयतें ऐसी है जिन्हें खुदा ही जानता है, तो फिर उनको ' स्पष्ट रुप से कही गई ' लिखना सर्वथा मिथ्या है। यहाँ कुरआन की समस्त आयतों को मुहकम कहा

गया है, और जैसा कि हमने पूर्व में लिखा कि कुरआन की आयतों को दो भागों में विभक्त किया गया है, जो मुहकमात और मुतशाबेहात है। अतः उस पारा ३ की आयतानुसार कुरआन की समस्त आयतें मुहकम नहीं हो सकती। यह एक प्रत्यक्ष विरोधाभास और मतभेद है।

द्वितीय आयत :—

अल्लाहो नज़्ज़ला अहसनल्हदीसे किताबम्मुतशाबेहा।
अर्थात–यह किताब (कुरआन) अच्छी हदीस है, खुदा ने उतारी है इसकी आयतें मुतशाबह है।

कुरआन, सूरत ज़ुम्र, पारा २३, रकू ३।१७

उपरोक्त इन दोनों आयतों के सम्बंध में तफ़सीर मज़हरी भाग २, पारा ३, पृष्ठ १७८ पर लिखा है कि–सूरत हूद की आयत में कुरआन की समस्त आयतों को मुहकम लिखा परन्तु दुसरी आयत में मुतशाबेहा, (हमने यह आयत ऊपर दी है) जिससे ज्ञात होता है कि पूर्ण कुरआन मुतशाबह हैं। यह विरोध क्यों ?

आगे व्याख्याकार ने इस विरोध का उत्तर देने व स्पष्टीकरण करने का साहस किया है, किन्तु किसी भी सत्याभिलाषी को संतोष, इतने स्पष्ट विरोध को देखते हुए, नहीं हो सकता। दुसरे–कुरआन के अनुवादकों व व्याख्याकारों ने मुतशाबह का अर्थ मुशाबह–एक-दुसरे का परस्पर समर्थन कर इस विरोध को समाप्त करने का यत्न किया है।

हमने पूर्व में लिखा कि कुरआन की कुछ आयतें कुरआन का मगज़ और असल है। मैं कहता हूँ कि उपरोक्त द्वितीय आयत के

वाक्य ने समस्त विवादों का निर्णय स्वयं ही कर दिया है, कि मुहकमात और मुतशाबेहात एक है या इनमें अन्तर है। यदि अन्तर है तो उस अन्तर का प्रभाव आयतों का मनन करने वालों पर क्या होता है ? मुहकमात के अनुगामी होने की ताईद (समर्थन) तो प्रत्येक ने की परन्तु मुतशाबेहात के लिये लिखा है कि:—

फ़अम्मल्लाज़ीना फ़ी कुलूबेहिम ज़ैगुन फ़यत्तबेऊना मा तशा बहा मिन्हुब्ते गाअलिफ़त्नते बन्नेगाआ तावी लेही व मा याभलो तावा लहू इल्लल्लाहु।

कुरआन, सूरत आले इमरान, पारा ३, रकू १।९

अर्थात—पस, जिन लोगों के दिलों में सत्य से टेढ़ापन है. अर्थात टेढे दिलोंवाले कुरआनी मुतशाबेहात के पीछे पड़ जाते हैं कि वह अपनी मानसिक इच्छाओं के प्रभाव में आकर मुतशाबेह के उन अर्थों में रत होते हैं, जो उनके चलन (प्रवृति) के सदृश्य हों और शब्दों में उन अर्थो का समावेश होता है। वह न तो मुहकम आयतों और न हदीसों की ओर मन को फेरते है, और न मुहकमात के अर्थो की ओर ध्यान देते है। या तात्पर्य यह है कि मुतशाबेहात पर विश्वास रखते हुए और उनके अर्थो को मानते हुए मौन धारण नहीं करते अपितु अपनी ओर से तावीलें (व्याख्याएँ) करते है। पस, जहाँ तक सम्भव हो सके मुतशाबेहात को मुहकमात की ओर लौटाना आवश्यक है, ताकि गुप्त अर्थ स्पष्ट हो सके, और उस पर अमल किया जा सके। जैसे—नमाज़-ज़कात—सूद आदि। गुप्त अर्थ-युक्त मुतशाबेहात है। अत: दुसरी आयतों (मुहकम) और हदीसों की ओर आकृष्ट होकर, उनके अर्थो को दृढ़ करना चाहिये, या मुतशाबेहात को

तावील (व्याख्या) त्याग कर, या निश्चित अर्थों को त्याग कर मौन धारण कर लिया जाये और इस बात पर ईमान (विश्वास) रखा जाये कि जो कुछ शारा (व्याख्याकार) की मुराद है, वह सत्य है। हम उसको मानते हैं जो उम्मेत इस्लाम की सर्व सम्मति और सहीह (ठीक) हदीसों से प्रमाणित हो चुका है कि कयामतके दिन ईमानदारों को खुदाके प्रत्यक्ष दर्शन होगे पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, तो इस पर ईमान रखना और यह कहना अनिवार्य है। जैसे कि कुरआन की आयत में है:—

वजुहुं योमए जिन्नाजिरतुन इला रब्बेहा नाज़ेरह।

कुरआन, सूरत कयामत, पारा २९

अर्थात–कितने मुँह उस दिन खुदा को देखने वाले हैं दृष्टि से। तात्पर्य आंखों से देखना है। हाँ! यदि विश्वस्त प्रमाण से निश्चय यदि न हुआ हो, जैसे- '**यदिल्लाहो फौका एदीहिम**' अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है, और '**अर्रहमानो अलल अर्शिस्तवा**' इन दोनों (आयतों) में खुदा का हाथ और खुदा के अर्श (सिंहासन) पर बैठने का निश्चय किसी मोहकम आयत में न हुआ और सहीह (प्रमाणित) हदीस से भी नहीं हुआ, तो ऐसी आयत के अर्थ में मौन धारण करना चाहिये; परन्तु उन पर ईमान लाना अनिवार्य है, और ऐसे मुतशाबह के अर्थ स्पष्ट न किये जायें तथा मुहकम आयत '**लैसा कमिस्लेही शय-अन**' उस खुदा की सिसल कोई वस्तु नहीं। इस बात को मानते हुए कह दिया जाये कि अल्लाह मुम्कनात (सम्भव) वस्तुओं की समस्त सफ़ात (गुणों) से पवित्र है, और मुकतेआत (सूरतों

के प्रथमाक्षर अलिफ-लाम-मीम आदि) की व्याख्या में कष्ट न किया जाये, क्योंकि उसकी आज्ञा नहीं !

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १७७ से १८०

तफसीर मजहरी में लिखा है कि 'इब्तगा अल्फित्नते' अर्थात वह मुतशाबेहात के पीछे इस उद्देश्य से पड़ते हैं कि मुसलमानों में दीन की ओर से फित्नाबिपा कर दें अर्थात कलह और आपत्ति उत्पन्न कर दें, सन्देह डाल दें और शका उत्पन्न कर दें तथा मोहकम की मुतशाबह से तुलना कर मुहकम को तोड़ दें। (अब इसे पढ़कर कुरआन में और तफरीक (अंतर) क्या होगी कि मुतशाबेहात मुहकम को भी तोड़ने की शक्ति रखती है।

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १८०

जैसा कि हमने आरम्भ में लिखा कि हज़रत मुहम्मद ने ऐसी आयतें लोगों के समक्ष प्रस्तुत कीं, जो बुद्धि से परे थीं और कुरआन के प्रारम्भ-काल में ही लोग इन आयतों पर आक्षेप करने लग गये थे। तफसीर मज़हरी ने इस बात को निम्न शब्दों में लिखा है :—

कि कुछ यहूदी मुसलमान बन गये और मुतशाबेहात को गलत व्याख्या और मिथ्या मतों का प्रसार प्रारम्भ कर दिया, चुनांचे हरूरेया-मोतिज़ला और राफ़जी बन गये।

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १८१

उपरोक्त वाक्यों से आपको पता लग सकता है कि इन मुतशाबेहात आयतों ने इस्लाम में कितना विवाद और द्वेष

उत्पन्न कर दिया था कि विद्वानों ने अपने मत पृथक बना लिये ।

दारमी ने सुलेमान बिन यसार की रवायत से लिखा है, कि सब्बीग़ नामक एक व्यक्ति मदीना में आया और कुरआन के मुतशाबेहात के विषय में पूछने लगा, तो हज़रत उमर ने उसे बुलवाया और खजूर की नगी कम्चियाँ उसके लिये तैयार रखीं जब वह आया तो हज़रत उमर ने पूछा-कि तू कौन है ? उसने उत्तर दिया कि मैं अल्लाह का बंदा सब्बीग़ हूं ! हज़रत उमर ने कहा, कि मैं अल्लाह का बंदा उमर हूँ ! हज़रत उमर ने यह कहने के पश्चात खजूर की एक कम्ची लेकर मारी और उसके सिर को लहूलुहान कर दिया । तब सब्बीग़ बोल उठा-अमीरुल मोमेनीन ! बस कीजिये ! वह वस्तु जो पूर्व में मेरे मस्तिष्क में थी, जाती रही । (सब्बीग़ को छोड़ तो दिया किन्तु अबू उस्मान सिन्धी का कथन है) हजरत उमर ने बसरा (सब्बीग़ के निवास स्थान) में लिख भेजा कि सब्बीग़ के साथ बैठना-उठना न किया जाये और अबू मूसा अंसारी (बसरा के हाकिम) को लिख भेजा कि सब्बीग़ के सम्बंध बैठने-उठने तक का भी न रखा जाये तथा उसका वेतन भी बंद कर दिया जाये ।

इमाम शाफ़ई (चार इमामों में से एक) ने कहा कि मेरा निर्णय अहले कलाम (मोतिज़ला और कदरया सम्प्रदाय आदि) के हेतु भी यही है ।

दारमी ने हज़रत उमर का फ़रमान (आदेश) उद्घृत किया है, कि निकट भविष्य में तुम्हारे पास ऐसे लोग आयेंगे कि जो मुतशाबेहात कुरआन में तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम सुन्नते रसूल से उनकी पकड़ करना ।..........

हज़रत अबू हुरैरा का कथन है, कि हम हज़रत उमर के पास थे कि एक व्यक्ति ने आकर (हज़रत उमर से) पूछा—कि कुरआन मख़लूक है या गैर मख़लूक ? अर्थात कुरआन खुदा ने उत्पन्न किया है या खुदा का ज्ञान है ? तो हज़रत उमर खड़े होकर उसके वस्त्रों से लिपट गये और उसे खींच कर हज़रत अली के पास ले गये, और कहा कि यह मुझसे आकर पूछने लगा कि कुरआन मख़लूक है या गैर मख़लूक ?

........हज़रत अली ने कहा कि खिलाफ़त (सत्ता अधिकारी आप है,) यदि मेरी होती तो मैं इसका सिर उड़ा देता।

तफ़सीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १८० [हाशिया]

मुतशाबेहात के सम्बंध में स्वयं हज़रत मुहम्मद को संदेह था

हज़रत आयशा की रवायत है—कि रसूलिल्लाह ने मुहकमात और मुतशाबेहात वाली आयतों के विषय में कहा है, कि यदि तुम ऐसे लोग देखो, जो कि मुतशाबेहात कुरआन के पीछे पड़े है, तो समझ लेना कि यह वही लोग है, जिनको चर्चा अल्लाह ने की थी। उनसे सावधान रहना।

रवाहुल बुखारी हदीस, तजरीदे बुखारी भाग २, पृष्ठ २६६

.. अबू मालिक अन्सारी ने कहा—कि मैंने स्वयँ रसूलिल्लाह से सुना, कहते थे मुझे अपनी उम्मत (सम्प्रदाय) के सम्बंध में केवल तीन बातों की चिन्ता है। उसमें प्रथम तो यह

है, कि कुछ लोग किताब (कुरआन) खोल कर मुतशाबेहात की तावीलें (व्याख्याएँ) करने के इच्छुक होंगे। जब कि उनकी व्याख्या अल्लाह के अतिरिक्त ओर कोई नहीं जानता !

पक्के इलम (ज्ञान) वाले तो यही कहते हैं, कि हमारा इस (कुरआन) पर ईमान है। यह सब हमारे मालिक (खुदा) की ओर से आया है।

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १७६

'बब्तेग़ाआ तावेलेही' अर्थात—वह अपनी इच्छा के अनुकूल मुतशाबेहात की तफसीर (व्याख्या) करने हेतु उनके पीछे पड़ते हैं। तफ़सीरे मुतशाबेहात की तलब (जिज्ञासा) कभी जहालत (मूर्खता) पर निर्भर होती है ? जैसा कि पूर्व में भी नवीन वातें मानने वालों ने किया है।

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १८१

अल ख़िताबी कहता हैं, कि मुतशाबह की जातियाँ हैं। एक तो वह कि यदि उसको मुहकम की ओर फेर कर और उसके साथ मिला कर ध्यानपूर्वक देखें तो उस मुतशाबह के अर्थ तत्काल स्पष्ट हो जाते हैं और दुसरी जाति वह हैं, कि उसको हकीकत (यथार्थता) की जानकारी प्राप्त करने का कोई मार्ग ही नही है। इस प्रकार के मुतशाबह का अनुकरण टेढ़ी चाल वाले लोग करते है, और वह उसकी तावील ढूँढ कर उसकी वास्तविकता तक न पहूँचने के कारण धोखे और फ़ितने (विवाद) में पड़ जाते है।

तफ़सीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ ८

तावील (व्याख्या) का मतलब (अर्थ)

तावील (व्याख्या) का मतलब (अर्थ) एक वस्तु को यथार्थ और वास्तविकता की और आकृष्ट करना अर्थात एक वस्तुको उसके शुद्ध कारण की और लौटाना, (जिसके लिये उसे बनाया गया है) आयत का शेष भाग यह है :—

व मा यालमो तावीलहू इल्लल्लाह । वर्रासेखूना फ़िल्इल्म यकूलूना आमन्ना बेही, कुल्लुम्मिन इंदे रब्बेना व मा यज़्ज़करो इल्ला उलुल् अलबाब ।

कुरआन, पारा ३, रकू ११६

अर्थात-और नहीं जानता कोई व्याख्या उस आयत की जो मुतशाबह है, किन्तु अल्लाह जिसने वह आयत उतारी है ।

इमाम सजावन्दी ने कहा है कि अहलेसुन्नत वल जमाअत (इस्लाम का सम्प्रदाय) के मज़हब में यहाँ पर वक्फ़ अनिवार्य है, अर्थात इल्लल्लाह पर ठहरना चाहिये, ताकि रासखाने इल्म (ज्ञान) जो इस आयत के पश्चात आता है, आयते मुत–शाबह की व्याख्या जानते हेतु प्रविष्ट न हो जाये । इसलिए कि कि वास्तव में ' हक **सुबहानहू तआला** ' के अतिरिक्त उसकी व्याख्या का ज्ञान और किसो को नहीं और साबित (प्रमाणित) कदम विद्वान लोग जो मोमिन अहले किताबहैं या जिस किसी को ज्ञान में योग्यता प्राप्त है, (वे) कहते हैं विश्वास लाये हम मुतशाबह के साथ । सब मुहकमात और मुतशाबह आयतें हमारे

खुदा की ओर से है, और मेधावी ज्ञान वाले लोग ही शिक्षा को मानते हैं।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ९५

तफसीर कादरी ने स्पष्ट बता दिया कि अहले सुन्नत जमाअत इस बात को नहीं मानते कि रासिख़ लोग मुतशाबेहात को जानते हैं, क्यों कि राखख़ून का वाक्य भिन्न है और मध्यका 'वाव' नया वाक्य बनाने हेतु है। पिछले वाक्य को जोड़ने हेतु वाव आतेफा नहीं। अतः विद्वान और ज्ञानी लोग मुतशाबह को नहीं जान सकते।

तफसीर मजहरी के लेखक अल्लामा काजी मुहम्मद सनाउल्लाह उसमानी लिखते हैं, कि सत्य बात तो वही है, जो हमने सूरत बकर के आरम्भ में लिख दी है कि मुतशाबेहात अल्लाह और उसके रसूल के मध्य एक रहस्य है। साधारण लोगों को उनका ज्ञान प्रदान करना अभिप्राय ही नहीं है। अपितु उनके लिये मुतशाबेहात का ज्ञान सम्भव ही नहीं है।

तफसीर मजहरी, पृष्ठ १८१

तफसीर मज़हरी ने कुछ लोगों की सम्मतियाँ भी लिखी है, जो यह मानते है कि रासिख़ लोग मुतशाबह को जानते हैं। हमारा उनसे कुछ अभिप्राय नहीं, हमारा आक्षेप तो उन पर है-जो इस बात को मानते है कि मुतशाबह का ज्ञान मात्र खुदा को है, दुसरा कोई नहीं जानता!

मैं कहता हूँ कि जब आत्मा (रूह) के विषय में प्रश्न किया गया तो कुरआन ने ऐसा ही उत्तर दिया '**व मा ऊतीतुम मिनल् इलमे इल्ला कलीला**' अर्थात, सम्पूर्ण आत्मा (रूह) खुदा

का अमर है। तुम्हें इस विषय में किञ्चित ज्ञान दिया गया है। यहां मुतशाबेहात में भी वही क़यास (अनुमान) किया जा सकता है कि मुतशाबेहात का ज्ञान भी कुरआन के लेखक ने मनुष्यों को नहीं दिया !

तफसीर मज़हरी का लेखक इस बात को मानता है कि अधिकता उन लोगों की है, जो यह मानते हैं, कि मुतशाबह का ज्ञान केवल खुदा को है। आप लिखते है कि प्रायः (अधिकांश) विद्वानों का मत है मि 'वर्रासेखूना में 'वाव' नये वाक्य हेतु है। गत वाक्य 'इल्लल्लाह' पर समाप्त हो गया. यहाँ से नया वाक्य प्रारम्भ हुआ है।

यही कथन हज़रत उबय्य बिन क़ाब, हज़रत आयशा और हज़रत अरवा बिन जुबैर ताउस की रवायत में इस पक्ष में हेतु इब्ने अब्बास की ओर भी की गई है। हसन बसरी और अकसर ताबेईन भी इसी पक्ष को मानते है। कसाई-फरा व अखफ़श भी इसी के समर्थक है, और इब्ने मसऊद के द्वितीय पाठ (कराअत) से भी इसका समर्थन होता है जो कराअत में निम्न प्रकार है, और **'मा यालमो ताबीलहू'** के स्थान पर निम्न लिखत शब्द आये हैं:—

'इन् ताबीलोहू इल्ला इन्दल्लाहे वर्रासेखूना फिल् इलम यकूलूना' अर्थात-अल्लाह ही जानता है। हज़रत उबय्ये बिन काब की कराआत से भी इसी बात का समर्थन होता है. यथा **'यकूलुर्रासेखूना फिल इलमें आमन्ना बेही'** अर्थात रासेखून उस पर ईमान लाते है। 'कुल्लुन' अर्थात मुहकम और मुतशाबह, नासिख़ व मनसूख़ और जिसकी मुराद से परिचित है और जिसकी मुराद

से हम परिचित नहीं है। वह समस्त हमारे खुदा की और से आया है।

बग़वी ने लिखा है, कि यह वचन ज़ाहिर (प्रसिद्ध) आयत भी अनुकूल है, और अरबी के क़वाइद (नियम) के भी अधिक सदृश्य है। बग़वी का तात्पर्य है वि 'वाव' को आतफ़ा (संयोजक) न करार देना और रासेख़ूना से नया कलाम होना इसमे नहब (व्युत्पत्ति का व्याकरण) के अधिक सदृश्य है।

तफ़सीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १८३

तफसीर इत्तिकान में अत्याधिक विस्तृत कथन है। कुछ तो वही है जिसे हमने ऊपर लिखा है। हाकिम ने इब्ने मसऊद के उल्लेख से रसूल करीम का यह वचन उद्धृत किया है........ कि मुहकम पर अमल करो और मुशाबाह पर ईमान लाओ।

बैहकी ने भी किताबे शाब में अबू हुरैरा की हदीस से ऐसी ही रवायत की है। इब्ने जुरैर ने इब्ने अब्बास से सत्य हदीस के आधार पर रवायत की है, जिसके क्रमांक ४ में यह लिखा है कि क्रमांक ४ और मुतशाबह, उसको खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता तथा खुदा' के अतिरिक्त यदि कोई घोषणा (दावा) करे उसके ज्ञान की, तो वह काज़िब (झूठा) है।

फिर रावी ने उपरोक्त दुसरी वजह पर इब्ने अब्बास से रवायत की है। इब्ने अबी हातम ने औफी के तरीक (अधार) पर इब्ने अब्बास से रवायत की है, कि हम मुहकम पर ईमान लाते और उसे दीन (अनुकरणीय) मानते है, और उस पर अमल करते है, तथा मुतशाबह पर ईमान लाकर उस पर अमल

नहीं करते। इस स्थिति में कि वह समस्त खुदा की ही ओर से है।

उपरोक्त रावी हज़रत आयशा से रवायत करता है कि बीबी साहिबा ने कहा, कि उन लोगों का ज्ञान में दृढ़ होना यह था, कि वह मुतशाबह कुरआन पर ईमान लाये, जबकि वह उसे जानते न थे।

आगे हज़रत उमर की रवायत से लिखा, जिसका कुछ भाग ऊपर लिख आये हैं और कुछ यहाँ लिख रहे है...........कि यह समस्त हदीसें और विद्वानों के वचन इस बात की पुष्टि करते है कि मुतशाबह कुरआन का ज्ञान खुदा के अतिरिक्त और किसी को नहीं है।

तफसीर इत्तिकान

—:इस विषय का संक्षेप:—

यह विषय (उपरोक्त) इतना विचित्र है, कि इस पर मुस्लिम विद्वानों ने भारी-भारी ग्रन्थ रचे है, किन्तु हमने इस विषय को स्पष्ट करने हेतु मात्र संक्षेप में लिखा है, और जिसका खुलासा यह है:—

कुरआन की आयतों के दो भाग है मुहकमात और मुतशाबेहात। मुहकमात—वह आयते हैं जिनके अर्थ स्पष्ट और उनमें उसूल (सिद्धांत) हैं, और यही आयतें शुद्ध व कुरआन का मस्तिष्क भी है, और मुतशाबेहात—वह आयतें हैं जिनका ज्ञान मनुष्य-बुध्दि से परे हैं और उनकी वास्तविकता को जानना-समझना सम्भव नहीं किन्तु वह लोग जो टेढ़े दिल वाले हैं और विवाद डालना चाहते हैं। वह मुतशाबेहात

की ओर आकृष्ट हो, लोगों को संदेह में डालते हैं तथा उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं, किन्तु उनकी व्याख्या खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। जो लोग विश्वास करने वाले हैं, वे तो मुहकमात के पीछे चलते हैं और उनकी आज्ञाओं पर अमल करते हैं तथा मुतशाबेहात की ओर अपना दृष्टिकोण मात्र इतना ही रखते हैं कि यह आयतें भी खुदा की ओर से उतारी गई हैं। जिनका ज्ञान केवल खुदा को है। इन पर तो मात्र ईमान रखना चाहिए और मुहकमात पर अमल करना चाहिए।

हमने इस विषय के प्रारम्भ करने से पूर्व लिखा था, कि कुरआन का एक भाग ऐसा है, जिसको मनुष्य नहीं समझ सकता ! तो हमने इस बात को इस प्रकरण में भली प्रकार, स्पष्टतः प्रमाणित कर दिया है, कि कुरआन का मुतशाबेहात आयतों वाला अंग मनुष्य नहीं समझ सकते। वह तो खुदा और उसके रसूल के मध्य एक रहस्य है।

उपरोक्त पंक्तियों में हमने दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया है, जो इस बात को मानते हैं, कि आयतों से, कोई आयतों का अर्थ नहीं समझ सकता, यद्यपि खुदा उसको बता सकता है, और यह लोग भी मुतशाबेहात आयतों को दो प्रकार का मानते हैं। एक तो वह जिनका अर्थ खुदा से समझा जा सकता है, और दोयम वह कि जिनको समझने की योग्यता मनुष्य की बुध्दि नहीं रखती, और अन्य मुसलमान जिनकी संख्या अत्याधिक है, उनका विश्वास है, कि मुतशाबेहात की आयतें खुदा ही जानता है। मनुष्यों को उनके समझने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। जो ऐसा

(प्रयत्न) करता है वह पथभ्रष्ट है। इनके अतिरिक्त एक प्रकार के अन्य लोग और है, जिनका कहना है कि जिस मुतशाबह आयत को हदीस ने प्रमाणित कर दिया है, उसका अर्थ हदीसानुसार समझ लेना चाहिए। जैसे कि पूर्व में कुरआन की आयत लिखी है—कि कयामत के दिन खुदा को पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश्य देखोगे, तो इसको मान लेना चाहिए। अन्य मुतशाबेहात आयतों को समझने का यत्न नहीं करना चाहिए, केवल उन पर विश्वास ही रखना चाहिये। यही अहले सुन्नत वल जमाअत की मान्यता है।

अब हम दो आयतें उद्धृत कर अपने उपरोक्त लेख की पुष्टि करेंगे। आयतें इस प्रकार हैं। प्रथम आयत :—

वल्अर्ज़ो जमीऊन कब्ज़तोहू यौमल्कयामते वस्समाबातो मत्वि-य्यातुंन बेयमीनेही।

कुरआन, सूरत ज़ुमर, पारा २४, रकू ७/४

अर्थात्–और पृथ्वी सब उस (खुदा) की मुट्ठी में कयामत के दिन पकड़ी हुई होगी और दाहिने हाथ में आसमान लिपटे होंगे।

मुअलिम में है, कि इब्ने उमर नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा–कि खुदा कयामत के दिन अपने दाहिने हाथ में आसमानों को लपेट कर कहेगा, कि मैं बादशाह हूँ! कहां है जब्बार (अत्याचारी) और कहां है मुन्किर (नास्तिक) फ़िर पृथ्वी को अपने बांये हाथ में लपेट लेगा और उपरोक्त वचन कहेगा (दोहरायेगा)

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३५४-३५५

यही वाक्य बुखारी ने, तजरीदे बुखारी, २६३ में कहे हैं और बाब तफसीरे कुरआन हदीस क्रमांक ५६० ने भी इसी की पुष्टि की है ।..........आगे लिखा है, ईमानदार ऐसी बातों में खुदा को उपमा से पवित्र समझते है, अर्थात खुदा की उपमा नहीं है (फिर तशबीह उपमा तो प्रत्यक्ष है, इसके हेतु कहा) बहरूल हकायक के लेखक ने कहा है, कि हमारा मजहब (सम्प्रदाय) इस आयत की तहकीक (सत्यता) में यह है, कि हम उसे, उस माने (अर्थ) पर छोड़ दे. जो अल्लाह ने उससे मुराद लिये है । (अर्थात कुछ न कह कर अर्थों को खुदा के हेतु छोड़ दे, और स्वयँ किञ्चित भी हस्तक्षेप न करें) इसलिये कि ऐसे शब्द मुतशाबेहात में गिने गये हैं ।

उस पर ईमान लाना चाहिए और उसकी यथार्थता में कुछ बात न कहना चाहिए । अब तो स्पष्ट हो गया कि मुतशा-बेहात का ज्ञान खुदा को ही है । हमें उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । खुदा जाने और उसका कलाम जाने ।

–तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३५५

द्वितीय आयत :—

वल्वज़नों योमएज़िन निल्हक़ फ़मन सकोलत् मवाज़ीनाहू फ़ उला-एका हुमूल्मुफ़लेहून ।

कुरआन, सूरत एराफ़, पारा ८, रकू १।८

अर्थात—और कयामत के दिन प्रत्येक के कर्मों का तौल उचित और सत्य है । कुछ एक ने कहा है कि कर्मपत्रों को तौलेंगे, और उस तराजू में कि उसकी एक डंडी और दो पलड़े होंगे; और

सम्पूर्ण सृष्टि उसे देखेगी और यह व्यवस्था मात्र न्याय को प्रकट करने के लिए है।

तफसीर कादरी भाग १, पारा ८, पृष्ठ २६८

तिब्यान में इब्ने अब्बास से लिखा गया है—कि तराज़ू की डंडी की लम्बाई ५० हजार वर्षों का मार्ग है, और उसका एक पल्ला नूर का है और एक पल्ला अँधकार का है, परन्तु जिन लोगों का नेकियों का पल्ला भारी होगा, वह छुटकारा पाने वाले हैं।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ २६८

अब आपके मनोरंजन हेतु इस आयत की व्याख्या तफ़सीर मज़हरी से उद्धृत करते हैं। जिससे आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि खुदा का न्याय कैसा पक्षपातरहित है? तनिक ध्यानपूर्वक पढ़ें :—

और उस दिन (कयामत के दिन) ठीक-ठीक तोल होगा ....इसमें सन्देह नहीं। इस पर विश्वास रखना अनिवार्य है। हज़रत मुहम्मद के वचनानुसार तराज़ू को मानना भी ईमान का एक भाग है।

अबू शैख ने अपनी तफ़सीर में इब्ने अब्बास के प्रमाण से लिखा, कि तराज़ू की ज़ुबान और दो पलड़े होंगे। वज़न किस वस्तु का और किस प्रकार होगा इसमें मुस्लिम विद्वानों में मतभेद है। रसूलुल्लाह ने कहा कि कयामत के दिन मेरी उम्मत (सम्प्रदाय) के एक व्यक्ति को लाया जाएगा और उसके ९९ कर्मपत्रों को खोला जायेगा, और उन कर्मपत्रों के सत्य होने को साक्षी उस कर्मकर्ता से करा ली जायेगी किन्तु अल्लाह

कहेगा—क्यों नहीं ? तेरी एक नेकी हमारे पास उपस्थित है। उसके पश्चात एक छोटा सा पर्चा (कागद) निकाला जायेगा। जिसमें 'अशहदो अन लाइलाहा इल्लल्लाहो व अश्हदो अन्न **मुहम्मदन अब्दोहू व रसूलोहू**' लिखा होगा। वह व्यक्ति निवेदन करेगा—मेरे मालिक ! इन दफ्तरों (९९ कर्मपत्रों) की तुलना में इस छोटे से पर्चे की क्या महत्ता होगी ? फिर समस्त ९९ कर्मपत्र तराजू के एक पलड़े में रख दिये जायेंगे और वह छोटा सा पर्चा दूसरे पलड़े में, परन्तु पर्चे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। (कहिए महोदय ! खुदा की न्याय-तुला कैसी है)

इमाम अहमद ने हसन सनद (ठोस प्रमाण) से लिखा है, कि रसूलुल्लाह ने कहा—कयामत के दिन तराजूएँ स्थापन की जायेगी। फिर एक व्यक्ति को लाकर एक पलड़े में रख दिया जाएगा। तराजू उसको लेकर झुक जाएगी। परिणाम स्वरूप उसको नर्क में भेज दिया जाएगा। ज्योंहि उसकी पीठ फिरेगी, खुदा की ओर से एक घोषणा करनेवाला उच्च स्वर से पुकारेगा, कि शीघ्रता न करो अभी इसका कुछ रह गया है (खुदा को उचित समय पर याद आ गई, नहीं तो फरिश्ते उस बैचारे व्यक्ति को नर्क में डाल ही देते) इतने में एक छोटा पर्चा निकाला जाऐगा, जिसमें '**ला इलाह इल्लिल्लाह**' लिखा होगा वह पर्चा आदमी वाले पलड़े में रख दिया जाएगा, तत्काल तराजू उधर झुक जायेगी।

इसी प्रकार इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का वचन लिखा है, कि हज़रत आदम कयामत के दिन ऐसे स्थान पर ठहरेंगे कि जहाँ से नर्क में जाने वालों को देखेंगे उस समय हज़रत मुहम्मद की उम्मत के एक व्यक्ति को नर्क

की ओर जाता देखकर आदम पुकारेंगे-अह्मद ! (हज़रत मुहम्मद को) मैं (हज़रत मुहम्मद) उत्तर दूँगा—मनुष्यों के पिता ! मैं यहां हूँ। हज़रत आदम कहेंगे—कि तुम्हारी उम्मत के इस व्यक्ति को नर्क में ले जाया जा रहा है ! मैं शीघ्रातिशीघ्र फरिश्तों के पीछे जाऊँगा और कहूँगा—ऐ अल्लाह के दूतों ! ठहर जाओ। फरिश्ते कहेंगे—कि अल्लाह जो आदेश देता है, हम उसके विरूद्ध नहीं कर सकते।

रावी कहता है, जब हज़रत मुहम्मद निराश हो जायेंगे, तो बाँयें हाथ की मुट्ठी में अपनी दाढ़ी पकड़ कर अर्श (खुदा का सिंहासन) की ओर मुँह कर के निवेदन करेंगे, कि मेरे मालिक ! तूने मुझसे वादा किया था, कि मुझे मेरी उम्मत में रूसवा (लज्जित) न करेगा, तत्काल अर्श से आवाज़ आयेगी कि मुहम्मद का कहना मानो और उस बन्दे को तराजू के पास ले आओ। फिर मैं (हज़रत मुहम्मद) पोरे समान एक सफेद पर्चा अपनी गोदी से निकाल कर बिस्मिल्लाह कह कर तराजू के दाहिने पलड़े में रख दूँगा, जिससे नेकियों का पलड़ा झुक जायेगा, तत्काल आवाज़ आयेगी सफल हो गया, इसको स्वर्ग में ले जाओ !

तफसीर मज़हरी, पारा ८, पृष्ठ २६८-२६९

(कहो उस्ताद ! कैसी पकड़ मारी। खुदा के हुक्म तक को उलट दिया)

यह है खुदा की तुला और उसका न्याय। क्या कोई भी सत्याभिलाषी मनुष्य ऐसी मिथ्या बातों पर विश्वास कर सकता है ? आगे देखिये:—

अबू हाली, इब्ने हबान और हाकम ने अबू सईद ख़ुदरी से रवायत की है और हाकम ने इसे सहीह (सत्य) भी लिखा

है, कि रसूलुल्लाह ने कहा–अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा कि सातों आसमान और सातों ज़मीने (पृथ्वी) और समस्त सृष्टि पलड़े में और दुसरे पलड़े में '**ला इलाह इल्लल्लाह**' हो तो '**ला इलाह**' वाला पलड़ा भारी होगा।

इसी प्रकार तिबरानी ने इब्ने अब्बास से रवायत की, कि रसूलुल्लाह ने कहा–वही शब्द है, जो ऊपर लिखे हैं।

तफसीर मज़हरी, पारा ८, पृष्ठ २७०

तफ़सीर मज़हरी में आगे भी इसी प्रकार की बहुत रवायतें हैं। जिनमें मुसलमानों को अत्याधिक विश्वास दिलाया गया है, कि मुसलमान स्वर्ग को ही जायेंगे।

अब देखिये, ऐसी आयतें जिनके अर्थों का प्रमाणित होना असम्भव है। उनको यह कह कर टाल दिया गया कि यह मुतशाबेहात है। इनको खुदा ही जानता है और मनुष्यों द्वारा इनके जानने का प्रयत्न करना, पथभ्रष्ट होना है; और यदि कोई भूला भटका इस विषय में कुछ पूछ बैठे तो उसकी वही अवस्था होगी जो हज़रत उमर ने की थी। इस्लाम के खलीफों ने ऐसा आतंक जमा रखा था, कि कुरआन के विषय में कोई बात भी पूछने का साहस नहीं कर सकता था। इसके आगे अल्लामा सियुती ने जो आयतें मुतशाबेहात के विषय की लिखी है, उन्हें हम नीचे लिखते है।

—:तफसीर इत्तिकान में मुतशाबेहात आयतों के कुछ नमूने:—

खुदा के अर्श (सिंहासन) पर बैठने सम्बंधी अनेक आयतें कुरआन में है किन्तु अल्लामा सियूती ने सर्वप्रथम यह निम्न-

लिखित आयत लिखी, जो कि मुतशाबेहात है। आयत:—

'अर्रहमानो अलल्अर्शिस्तवा'

कुरआन सूरत त्वाहा पारा १६

इस आयत की व्याख्या में तफसीर कादरी में शैख ल्इस्लाम का वचन लिखा है, कि खुदा का सिंहासनारूढ़ होना कुरआन में है, और मुझे इस बात का विश्वास है। मैं व्याख्या नहीं ढूंढता, इसलिये कि इस विषय में व्याख्या करना, मार्ग से भटकना है। मैं प्रत्यक्ष में स्वीकार करता हूं और अन्तरात्मा में मान लेता हूँ, इस हेतु से कि सुन्नियों का यही विश्वास है। (इतना लिखने के पश्चात आगे अपने मन की बात लिखते हैं) मैं यह जानता हूँ कि वह (खुदा) न मकान का और न अर्श का मुहताज है।

तफसीर कादरी, पारा १६, पृष्ठ २७

शैख़ साहिब ! आपका हृदय तो इस बात को नहीं मानता कि खुदा किसी मकान की कैद में है, किन्तु कुरआन तो वही कहता है, जो आप पूर्व में लिख चुके हैं और उस पर आपका विश्वास है, परन्तु आप उसकी वास्तविकता को कहना नहीं चाहते, क्यों कि उसकी व्याख्या करना मार्ग से भटकना है। इस्लाम के माने हुए एक विद्वान की यह राय है, कि कुरआन तो खुदा का सिंहासनारूढ़ होना स्वीकार करता है। ऐसा मान कर भी शैख़ साहिब यह कहते हैं।

आगे कहते है कि मैं खुदा को गृह निवास के अन्तर्गत नहीं मानता। शैख़ साहिब के इस हार्दिक विश्वास हेतु उनका धन्यवाद करते है, किन्तु आपने (शैख़ साहिब ने) यह नहीं सोचा कि इस

बात को पढ़ने वाले आपकी इस बात को किस दृष्टि से देखेंगे ? कि विश्वास (ईमान) तो आपका यह है कि 'कुरआन तो खुदा को अर्श पर मानता है' किन्तु मैं जानता हूँ कि उसे मकान की आवश्यकता नहीं। अस्तु जो आप मानें या जानें यह आपकी ईच्छा है। किन्तु हम शेख साहिब के इस विश्वास के विषय में कहेंगे-कि यहाँ तो आपने ऐसा मान लिया परन्तु सूरत नजम की इस आयत के विषय में क्या कहेंगे व क्या मानेंगे ? आयत है:—

सुम्मा दना फ़तदल्ला, फकाना काबा कौसैने औ अदना।

इस आयत में खुदा और हज़रत मुहम्मद के मध्य दो कमान (धनुष) या इससे भी कम अन्तर लिखा है। अस्तु...............

इस आयत के पूर्व लिखित उपरोक्त अर्श पर बैठने वाली आयत के सम्बंध में-तफसीर इत्तिकान में विस्तृत चर्चा की है। आप लिखते है, कि विभिन्न व्याख्याकारों ने उम्मे सलमा से रवायत की है। उन्होंने कहा-कि "**अर्रहमानो अलल अर्शिस्तवा**" के सम्बंध में कहा—'**अल कैफो गै़र माकूलिन, वल इस्तवा गै़र मज-हूलिन, वल इकरारो मिनल् ईमाने वल्जहूदो बेही कुफ्रुन**" अर्थात—बुद्धि में विवरण नहीं आता और इस्तवा एक ज्ञात आयत है, (इस्तवा का अर्थ-उचित होना, जमना या सँभल कर बैठना, आदि है) उसको स्वीकार करना विश्वास में सम्मिलित है और उसको जान—बूझ कर न मानना कुफ्र (अधर्म) है। तात्पर्य यह है कि इस्तवा का अर्थ तो ज्ञात है, किन्तु यह बात बुद्धि में नहीं आती कि खुदा कैसे मुस्तवी (सिंहासनारूढ़) हुआ।

(यदि बुद्धि में आ जाती, तो इसे मुतशाबेहात न कहते ?)

रबीआ बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है, कि उससे उक्त आयत के विषय में प्रश्न किया ? तो उसने उत्तर दिया—कि विश्वास कोई गुप्त वस्तु नहीं, और विवरण (कैफ) समझ में नहीं आता। खुदा ने संदेश भेजा और रसूल ने उसे स्पष्ट रीति से (लोगों तक) पहुँचा कर अपना कर्तव्य सम्पन्न किया। अब हमारा कर्तव्य है, कि हम उसे सत्य मानें। फिर यही रावी (व्याख्याकार) मालिक से रवायत करता है, उसमें अर्धानुवाद ऊपर आ गया तथा शेष का यह है-कि उस पर विश्वास लाना अनिवार्य है, और उस पर प्रश्न करना बिदअत (रसूल से विरोध या अवज्ञा करना) है।

बैहकी ने मालिक से रवायत की है, कि उसने कहा— कि खुदा वैसा ही है, जैसा कि उसने अपनी ज़ात पाक की सिफ़त (सद्गुण) कही है, और ऐसा न कहना चाहिये कि 'क्यों कर'। इसलिए कि खुदा से कैफ़ (विवरण) का प्रश्न उठा लिया गया है।

लालकाई ने मुहम्मद बिनल् हसन से रवायत की है, कि पूर्व से पश्चिम तक समस्त विद्वानों (फ़कहा) ने खुदा की सिफ़त पर बिना तफ़सीर (व्याख्या) व तशबीह (उपमा) ईमान (विश्वास) लाने हेतु सर्व सम्मति से यह माना है, और तिर्मज़ी हदीस रोयत (दर्शन) पर कलाम करते हुए कहता है-कि विद्वान इमामों (पेशवा) जैसे सुफ़यान फ़ौरी, मालिक, इब्नुल्मुबारिक, इब्ने एनिया और बकी आदि के पास इस सम्बंध में अपनाया हुआ मज़हब यही है। इन लोगों ने कहा है-कि हम उन हदीसों की इस प्रकार रवायत करते हैं जिस प्रकार यह आती है, और उन पर ईमान लाते हैं, और इनके विषय में यह न कहना

चाहिए, कि ऐसा क्यों कर हैं ? और न हम उनकी व्याख्या करते हैं, न उनके सम्बंध में कोई भ्रम (वहम) रखते हैं।

तफ़सीर इत्तिकान, प्रकरण ४३, पृष्ठ ११–१२

आगे और भी विभिन्न लोगों की सम्मतियाँ दी हैं, जो अधिक विस्तारपूर्वक है, उनको लिखने हेतु यहां स्थान नहीं है। ऊपर हमने पर्याप्त लिख दिया है, कि जैसा भी लिखा है, उस पर ईमान लाना प्रत्येक मुसलमान को अनिवार्य है। 'क्यों और कैसे' का प्रश्न नहीं आना चाहिये।

तफ़सीर मजहरी ने '**इस्तवा अलल अर्श**' को इस प्रकार लिखा है :—'**सुम्मस्तवा अलल अर्श**' (फिर सिंहासन पर) **मुतमक्कन** (स्थान पकड़ा) हुआ।' बग़वी ने लिखा है कि मोतज़ला के मत में इस्तवा का अर्थ ग़लबा पाना है। अहले सुन्नत कहते हैं-कि अर्श पर इस्तवा (बैठना) अल्लाह की एक सिफ़त है, जो बेकेफ़ है। अर्थात उसकी कैफ़ियत (विवरण) हालत (अवस्था) है अते वजा (आकृति) नहीं समझी जा सकती व उस पर ईमान लाना अनिवार्य है तथा उसका ज्ञान अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए।

उक्त बात को और भी स्पष्ट रूप से समझने हेतु निम्न उदाहरण देखिये :—एक व्यक्ति ने मालिक बिन अंस से '**अर्रहमाना अला अर्शिस्तवा**' का विवरण पूछा ? इमाम ने कुछ देर सिर झुका लिया और फिर कहा-इस्तवा मालूम (का अर्थ) है. विवरण अज्ञात [मजहूल] है और बुद्धि में आने योग्य ही नहीं इस पर विश्वास अनिवार्य है और इसको पूछना बिदअत (रसूल से विरोध व अवज्ञा करना) है। अर्थात हज़रत मुहम्मद

की आज्ञा के प्रतिकूल और मन की उपज है। [फिर कहा] मेरी दृष्टि में तू पथभ्रष्ट है। फिर इमाम ने उसे अपनी सभा में से निकाल दिया।

सुफ़याने सौरी, औजाई, लैस बिन सईद, सुफ़यान बिन ऐनिया और अब्दुल्लाह आदि समस्त, सुन्नत जमाअत के विद्वानों का इन आयतों के सम्बंध में, जिनमें मुतशाबेहात की सिफतों का वर्णन है, उनको इसी, प्रकार बिला कैफ़ (बिना व्याख्या व बिना विवरण) मानना चाहिये, जिस प्रकार वह आई हैं।

तफसीर मज़हरी, पारा ८, पृष्ठ ३१४-३१५

उपरोक्त बात का समर्थन तफसीर मज़हरी ने दूसरे स्थान पर भी किया है। कुरआन की आयत है :—

हल यन्ज़ोरून इल्ला अंय्यातिया हुमुल्लाहो फ़ी ज़ुललिम्मिनल ग़मामे।

कुरआन, सूरत बकर, पारा २, रकू २५/९

अर्थात-क्या वे उसके इन्तजार (प्रतिक्षा) में है कि आ जाये अल्लाह उन पर बादल के साये बानों में। अर्थात अल्लाह बादल के पर्दे में आये जिसको पृथ्वी वाले देख न सकें। बनी इस्राईल पर यही बादल रहता था।

आगे 'कुज़ैयल अमरो' की व्याख्या में लिखा है, कि सुन्नत जमाअत खुदा को शारीरिक गुणों से पृथक मानता है, किन्तु आगे लिखा है—कि इस आयत में (जिससे शारीरिक अवयवों का ज्ञान होता है) उन्होंने (अहले सुन्नत) दो मार्गों का अवलम्बन किया है। प्रथम यह कि इस विषय में वाद विवाद

से पृथक रखा जाये और कहा जाये-कि इसका ज्ञान खुदा को ही है और इस पर विश्वास लाया जाये ।

कलबी कहते हैं—कि यह गुप्त अमर आयत है, जो व्याख्या के योग्य नहीं तथा मकहूल, जौहरी, अजाई, मालिक इब्ने मुबारिक, सुफयान सौरी, लैसे, अहम और इसहाक आदि विद्वजन ऐसी आयतों के विषय में कहते रहते थे कि उन्हें ऐसे ही (यथावत) रहने दो जैसी वारिद (उतरी) हुई है ।

सुफयान बिन ऐनिया ने कहा कि अल्लाह ने अपनी ज़ात (व्यक्तित्व) को जिन सिफतों से अपनी किताब (कुरआन) में स्वयँ को मुत्तसिफ़ (गुणवान) बताया है । उसकी व्याख्या यही है, कि उसको पढ़ते रहो और उसके वाद विवाद से मौन धारण कर लो (क्योंकि) अल्लाह और उसके रसूल के अतिरिक्त किसी को अधिकार नहीं कि ऐसी आयतों की व्याख्या अपनी ओर से करने लगे ।

अबू हनीफ़ का भी यही मत है, क्योंकि उन्होंने मुतशाबेहात के विषय में कहा–कि इनकी व्याख्या अल्लाह ही जानता है ।

तफसीर मजहरी, पारा २, पृष्ठ ४१६

इसी तफ़सीर मजहरी में आगे है, कि अल्लामा सियूती ने लिखा है—कि मैंने शैख़ बदरूद्दीन ज़रकशी का हस्तलिखित देखा कि सलमतिब्नल्कासिम ने 'किताब गराए बुल्उसूल' में यह हदीस प्रतिलिपि कर, कि अल्लाह ! कयामत के दिन जलता अफ़रोज़ [आगमन] होगा । [कहा है] कि अल्लाह का बादल के आवरण में आना इस पर निर्भर [महमूल] है, कि अल्लाह

खलकत [सृष्टि] की दृष्टि को परिवर्तित कर देगा, कि उनको ऐसा ही दृष्टिगोचर होगा, परन्तु वह सिंहासन पर होगा।

तफ़सीर मज़हरी, पारा २, पृष्ठ ४१९

खुदा के शरीरधारी होने का वर्णन कुरआन में बहुत स्थानों पर आता है। इस समय हमारा यह विषय नहीं। हम तो यह लिख रहे है:—कि मुतशाबेहात आयतों के अर्थ को खुदा ही जानता है। सो हमने उपरोक्त उद्धृणों के अकाट्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है, कि यह आयतें मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि से परे है। क्यों? इसका कारण मैं आरम्भ ही में लिख चुका हूँ, कि यह सत्य की कसौटी से प्रमाणित नहीं होती। इस कारण लोगों से यह कह दिया गया कि यह आयतें मुतशाबेहात हैं। इनकी व्याख्या खुदा ही जानता है। तुम मत तलाश करो, मार्ग से भटक जाओगे!

अल्लामा सियूती ने आगे कुरआन की दो आयतें लिखी हैं, किन्तु हम पश्चात वाली आयत को प्रथम लिख रहे है, और प्रथम आयत को पश्चात लिखेंगे पश्चात वाली आयत है:—

कुल्लोमन अलैहा फ़आनिव्व व यब्क़ा वज्हो रब्बेका ज़ुल्जलाले वल्इकराम।

कुरआन, सूरत रहमान, पारा २७ रकू २/१२

अर्थात–पृथ्वी पर जो कोई प्राणी है, वह अन्त में समस्त समाप्त हो जायेंगे और खुदा का व्यक्तित्व [ज़ात] शेष रह जायेगा। कहा जाता है जब उक्त (यह) आयत उतरी तो—'**व काल इब्ने अब्बास लम्मा नज़लत् हाज़ेहिल आयतो काललत मलाएकतो फ़**

हलकत अहलल् अर्ज । अर्थात, फरिश्तों ने कहा, कि पृथ्वी पर रहने वाले नष्ट हो जाएँगे ।

सिराजे मुनीर, भाग ४, पृष्ठ १६४

फिर सूरतुल क़सस के अन्त की यह आयत '**कुल्लो शैइन हालेकुन इल्ला वज हहू**' अर्थात, खुदा के अतिरिक्त समस्त वस्तुएँ नष्ट होने वाली हैं, '**फ़ऐकना तिल्मला एकतो बिल्हलाके** । पस, इस आयत से फरिश्तों को भी अपने विनाश का विश्वास हो गया ।—**सिराजे मुनीर, भाग ४, पृष्ठ १६४**

अब देखिये ! खुदा की तनिक सी भूल से दो आयतें उतारनी पड़ी । अब एक प्रकार से 'सूरत रहमान' वाली आयत तो सर्वथा निरर्थक हो गई । अस्तु वह खुदा है, उसकी इच्छा जो चाहे सो करे ।

इस अंतिम आयत से तो ज्ञात होता है, कि आत्मा [रूह] महा नाश को प्राप्त हो जाएगी । अस्तु हो जाये तो हो जायें । जिस प्रकार खुदा कयामत के दिन, सड़े-गले, मिट्टी बने जंगली पशुओं, समुन्द्री प्राणियों, गिद्ध आदि पक्षियों के खाये गए शरीर जो संसार में थे, बना लेगा । छ यह रूह भी बना लेगा । उसके तो केवल कहने की देर है ।

कुछ एक ने तो इस पिछली आयत पर भी मतभेद प्रकट किया है । सिराजे मुनीर ने बहरल्कलाम के प्रमाण से लिखा-कि ७ वस्तुएँ नष्ट नहीं होगी—(१) अर्श (सिंहासन), (२) कुर्सी (३) लौह महफ़ूज (सुरक्षित तख्ती) (४) कलम (५) जिन्नत (६) दोज़ख (नर्क) और उसमें रहने वाले फ़रिस्ते (७) हुरूलईन (अप्सरा) रूह [आत्मा]

सिराजे मुनीर, भाग ३, पृष्ठ १२३

इन आयतों को भी अल्लामा ने मुतशाबेहात में रखा। इस पर विचार करना चाहिए, कि यदि इनके अर्थों तथा वास्तविकता को देखा जाये तो यही मानना पडेगा कि प्रलय में खुदा के अतिरिक्त और कुछ शेष न रहेगा, तो खुदा का सिंहासन और उसके उठाने वाले फरिश्ते भी न रहेंगे। तब खुदा की क्या गति होगी ? कहां बैठेगा और कौन उठायेगा ?

दुसरी बात यह है कि ऐसी वस्तुएँ क्यों उत्पन्न की गई जिनका कोई प्रयोजन भी नहीं था और किसी के उपयोग में भी नहीं आईं। जैसे—हूरें (अप्सराएँ) गिलमान [अति सुन्दर लड़के] आदि। जब यह अनुपयोगी थे, तो प्रलय के पश्चात जब मुर्दे उठाये जाते, तब ही खुदा बना लेता। अस्तु खुदा की बातें खुदा ही जाने ?

अल्लामा सियूती ने जो चतुर्थ आयत लिखी। वह हज़रत मूसा के विषय में है। उस समय फिरऔन शासक था। उसने आज्ञा दे रखी थी, कि मेरे राज्य में जितने नवजात लड़के हों उन्हें कत्ल कर दिया जाये! जब मूसा उत्पन्न हुए तब खुदा ने मूसा की मां को वही [फरिश्ता] द्वारा सूचित किया कि :—

अनिक्ज़ फीहे फित्ताबूते फक्ज़ फीहे फिल्यम्मे, फल्युल्के हिलयम्मो बिस्साहेले, या खुज़्हो अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाहू व अल्कैतो अलैका मुहब्बतम्मीन्नी, व लेतुस्नआ अला अनो।

कुरआन, सूरत त्वाहा, पारा १६, रकू २।११

अर्थात–[हज़रत मूसा को कहा गया है] जब तेरी मां की और फरिश्ता भेज कर कहा कि नवजात मूसा को रूई

[कपास] में लपेट कर संदूक में डाल दे और दरिया [समुन्द्र] में बहा दे । दरिया उसे तट पर डाल देगा ताकि मेरा और इसका शत्रु जो फिरऔन है, ले लेगा और मेरा प्रेम मैंने अपनी ओर से तुझ पर डाल दिया है, और पाला जायेगा तू मेरी (खुदा की) आँखों से ।

सम्भवत: अल्लामा सियूती ने इस उक्त आयत को मुतशाबेहात में पिछले वाक्य पाला जायेगा मेरी आंखों....' के कारण लिखा है । अल्लामा ने पाँचवीं आयत को भी मुतशाबेहात लिखा है । आयत :—

इन्नल्ला ज़ीना युबायेऊनका इन्नमा योबायेऊनल्लाहा यदुल्लाहे फ़ौका एदीहिम ।

कुरआन, सूरत फ़तह, पारा २६, रकू ११९

अर्थात-निसंदेह जो लोग बैअत (वचनबद्धता) करते हैं । तुझसे (हज़रत मुहम्मद से) अतिरिक्त इसके नहीं कि वे अल्लाह से बैअत करते हैं उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है । (वचन बद्ध होते समय हाथ पर हाथ रखते हैं)

अल्लामा ने इस कारण कि 'खुदा ने हजरत मुहम्मद के हाथ को अपना हाथ कहा है और इसमें अल्लाह का हाथ प्रमाणित होता है' यह आयत मुतशाबेहात में लिखी ज्ञात होती है । छठी आयत वही है, जिसे हम पूर्व में लिख चुके हैं, कि क़यामत के दिन पृथ्वी-आसमान खुदा की मुट्ठी में होंगे ।

इतना लिखने के पश्चात अल्लामा ने लिखा है, कि सब सुन्नत जमाअत, पूर्व के नेक लोगों और हदीसों के मानने वालों

ने सर्व सम्मति से इस बात को स्वीकार किया है, कि इन आयतों पर विश्वास लाना अनिवार्य है और इनके अर्थ और अभिप्राय का ज्ञान खुदा ही के सुपुर्द करना चाहिए।

तफसीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ ११

अल्लामा सियूती ने आगे मुतशाबेहात के लाभ लिखे हैं उनको भी लिखना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उसमें विषय को उचित प्रमाणित करने का विचार होता है। उनका न लिखना अन्याय होगा!

कुछ एक विद्वानों ने कहा है, कि यदि यह आक्षेप किया जाए कि खुदा की ओर से अपने बंदों के लिये बयान और हिदायत का विचार होने के बावजूद इस बात में क्या हिकमत (रहस्य) थी? कि मुतशाबेहात आयतें नाज़िल की (उतारी) गईं। जिनसे बयान और हिदायत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके उत्तर में हम (अल्लामा) कहेंगे, कि यदि मुतशाबेहात इस प्रकार का है कि उसका ज्ञान सम्भव है। (बीसियों पृष्ठ तो आपने लिखे हैं, कि उनका ज्ञान असम्भव है, तो फिर सम्भव होने की कल्पना क्यों करते हो?) अस्तु, प्रथम लाभ तो यह है कि, यह मुस्लिम विद्वानों की ऐसी गौर [धारणा] पर उद्यत करने का कारण होगा, कि जिससे कुरआन की गुप्त बातों का ज्ञान प्राप्त हो और उसके सुक्ष्म रहस्यों की शोध की जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसमें सन्देह नहीं कि कुरआन के जटिल ज्ञान को प्राप्त करने की ओर झुकना बहुत बड़ी नेकी, पुण्य और निकटता (कुर्ब) प्राप्त करने का साधन है।

द्वितीय लाभ यह है, कि इस प्रकार के मुतशाबेहात से मनुष्यों की बुद्धि में न्यूनाधिक होना । जिससे उनके पदों (दर्जों) में अन्तर होता है, अन्यथा, यदि सम्पूर्ण कुरआन इसी प्रकार का मुहकमात ही होता जिसमें व्याख्या और शोध की आवश्यकता न पड़ती, तो उसके समझने के विषय में समस्त मनुष्यों का पद (दर्जा) एक साथ या समान हो जाता (हाँ अल्लामा महाशय ! एक समान पद होने से गज़ब हो जाता ?) और विद्वानों की महत्ता जन साधारण पर प्रकट न हो सकती । (यह बात मतलब की कही है, मौलाना महोदय ने)

जब आप यह मानते हैं कि मुतशाबेहात का ज्ञान मनुष्यों की बुद्धि से परे है, तो उपरोक्त कथन इस बात को स्पष्ट करता है, कि आप भी सन्देह में है, अन्यथा आपका यह वर्णन तो निरर्थक है ।

उपरोक्त विषय के सम्बंध में द्वितीय पक्ष है, कि यदि मुतशाबेहात इस प्रकार का है । जिसका ज्ञान प्राप्त होना असम्भव है, तो भी वह लाभरहित नहीं है । जैसे:—

प्रथम लाभ यह है, कि ऐसे मुतशाबेहात के साथ बंदों की आज़मायश की गई है, ताकि वे उनकी सीमा पर आकर ठहरें रहें, उनके सम्बंध में आगे न बढ़े । इनका ज्ञान खुदा के अपने करते हुए, अपनी अल्प बुद्धि का निश्चय करते हुए, इकरार करते हुए खुदा की आज्ञा को स्वीकार करें, और उनके पढ़ने की वैसी ही इबादत (भक्ति) जाने, जैसा कि मनसूख (निरस्त) आयतों का पढ़ना इबादत है यद्यपि । उसका आदेश प्रचलित (लागू) नहीं। अर्थात उन आयतों के अर्थों पर अमल करना उचित नहीं ।

यह उपरोक्त लाभ तो आपने बहुत बड़ा कह दिया। क्या विद्वान की महत्ता या प्रतिष्ठा आप केवल ज्ञान के पढ़ लेने मात्र से समझते हैं। केवल पढ़ने वालों के लिये तो एक शायर (कवि) ने क्या खूब कहा है:—

'न मुहक्किक् बवद न दानिशमंद, चार पायाबिरो किताबें चन्द'

केवल ज्ञान के पढ़ने वालों की तुलना तो पुस्तके उठाने वाले गधे के साथ की है। विद्वान की उत्कृष्टता, उसके सदाचार, पवित्रता तथा सत्यता पर होती है। पढ़ने मात्र से पुण्य होगा, यह एक अंधविश्वास है। पढ़ना तो नेकी पर जानेवाले मार्गकी खोज करना है, न कि केवल पढ़ना स्वयँ में कोई नेकी है। विभिन्न मतावलम्बियों ने भीषण भ्रान्तियाँ फैला रखी है कि अमुक ग्रंथ या पुस्तक के पाठ मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति हो जाएगी। अतः यह कोई लाभ नहीं है, जो आपने कहा।

द्वितीय लाभ यह है, कि ऐसे मुतशाबेहात के द्वारा खुदा ने बंदों पर, खुदा की ओर से कुरआन नाज़िल होने की दलील स्थापित की है, अन्यथा क्या कारण था कि अरब लोग इतने विद्वान होते हुए भी मुतशाबेहात को समझने से वंचित रहे ? कैसी मिथ्या बात है। जहां तक अरबी भाषा का सम्बंध है, वहाँ तक तो कोई आयत ऐसी नहीं कि जिसका अनुवाद न किया गया हो, किन्तु जिसका अर्थ ही ऊटपटाँग हो, वहां भाषा शास्त्री (ज़ुबानदान) क्या करे ? किसी ने कह दिया कि आकाश कुसुमों की माला पहनो, और आप इस पर भी कह दो कि भाषा जानने वाले इसको समझने से वंचित रह गये। ऐसी बातें तो आपके मुतशाबेहात की है, कि सातों आसमान खुदा के हाथ में लिपटे होंगे कयामत के दिन। क्या आकाश-कुसुमो के

ही समान सातों आसमान नहीं है ? तो अरबी का जानकर इसको समझने हेतु क्या शीर्षासन करेगा ? कर्म तौले जायेंगे- कर्म क्या कोई शरीरधारी वस्तु या ठोस भौतिक वस्तु है, कि तौले जायेंगे ? इस पर अरबी भाषा का ज्ञाता क्या करे ? महान दुख की बात है, कि इतने बड़े-बड़े विद्वान भी ऐसी मिथ्या बातों के द्वारा लोगों को बहकाते हैं ।

आगे लिखा है, कि इमाम फ़ख्रुद्दीन का वचन है, कि वह मनुष्य मुल्हिद (काफ़िर) है, जो कुरआन पर इस कारण तान (लांछन) करता है, कि उसमें मुतशाबेहात आयतें सम्मिलित है । (अब आगे कुरआन को समझने की बात आई) इसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी ने कुरआन को एक तमाशा बना रखा है और प्रत्येक मज़हब का मनुष्य इसी कुरआन से ही अपने मज़हब को प्रमाणित करता है । (मौलाना महोदय ! ऐसा क्यों है ?) '**ख़िश्ते अव्वल चूं निहद मैमार कज़, ता सुरय्या मेरषद दीवारें कज़** ' अर्थात—जिस सिलावट (मिस्त्री) ने प्रथम ईंट ही ठेढी रखी, तो दीवार सुरय्या (शिखर) तक टेढ़ी ही जायेगी । इसका उदाहरण तो वही आयतें है, जो आपने दी है । देखिए अपनी ही आयत :—

व जअल्ना अला कुलू बेहिम अकिन्नतन अंय्यफ़ कहूहो व फ़ी आज़ानेहिम वकरा ।

कुरआन, पारा, ७, रकू ३।१९

अर्थात—और हम (खुदा) ने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, ताकि उसको (कुरआन को) समझ न सकें और उनके कानों में डाट दे रखी है ।

तफसीर मज़हरी, पारा ७, पृष्ठ १२६-१२७

अब, मौलाना ! आप ही बताइये, कि ऐसी शिक्षा जिस पुस्तक में होगी, उसके मानने वाले बहक जायेंगे या नहीं ? और वह उस पुस्तक को तमाशा बनायेंगे या नहीं ? भला ! खुदा को क्या आवश्यकता थी कि दिलों पर पर्दे डालें और कानों में डांट दे दे ? जब कि उसने पुस्तक को मनुष्यों की शिक्षा के हेतु भेजा है ।

इसी प्रकार की एक आयत जो 'इज़ा करात' से चलती है । कुरआन, पारा १५, रकू ५।५ सूरत बनी इस्राईल में है, और उसका भी लगभग यही अर्थ है, और कुरआन, सूरत कहफ़, पारा १५ रकू ८/२० की आयत भी ऐसी ही है ।

आगे, इमाम महाशय ! लिखते हैं-कि कदरी (इस्लाम का एक सम्प्रदाय) कहता है, कि यह काफ़िरों का मज़हब है। जिसकी दलील यह है, कि खुदा ने उनकी इस स्थिति की कहानी, उन्हीं की ज़बानी और उनकी निन्दा करने के अवसर पर की है । जैसा कि :—

क़ालू कुलूबुना फ़ी आकन्नतिम्मम्मा तदऊना इलैहे व फ़ी आज़ानेना वक़रूंव्वमिनबैननाव बैनका हिजाबुन ।

कुरआन, पारा २४, रकू १/१५

इस आयत का भी लगभग वही अर्थ है, जो उपरोक्त आयतों का है । यदि अंतर है, तो केवल इतना कि वे खुदा की ओर से दर्शाई गई है और यह काफ़िर कहलाने वालों के मुँह से । अर्थात अपराध स्वीकार है ।

आगे इमाम साहिब ने जो दुसरी आयत लिखी है, उसमें कुछ अंतर है। आयत :—

व कालू कुलूबुना गुलुफ़, बल्लान हुमुल्लाहो बेकु.फ्रेहिम फ़कली- लम्मा यौमनून् ।

कुरआन, पारा १, रकू ११/११

अर्थात—और कहते हैं, कि हमारे दिल गुलाफ़ों (खोल) में है, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनको फटकार दिया है। उनके कुफ़्र के कारण, पस, कम ईमान लाते है।

अब तक तो कुरआन में बारम्बार यही कहा गया, कि खुदा ने मुहरें लगा दी आँखों और दिल पर व कानों में डाँट दे दिये. यह ईमान नहीं लायेंगे। किन्तु इस आयत में यह लिख दिया कि किञ्चत ईमान लायेंगे। अस्तु खुदा के पर्दे और मुहरें व डाट किञ्चितों से तो उतर जायेंगे। ऐसी ही अन्य आयत कुर– आन, पारा १, रकू २ में है। वहां लिखा है कि थोड़े ईमान लायेंगे यह खुदाई कलाम है। इतने से मतभेद का खुदा के कलाम पर कोई प्रभाव नहीं, और भी सम्प्रदायों के विषय में लिखा कि उन्होंने भी अपना सप्रम्दाय कुरआन से ही प्रमाणित किया हें।

तफसीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ ३०

हम तफसीर इत्तिकान से मुतशाबेहात आयतों से लाभ का वर्णन लिख रहे थे उसे पुनः लिखते हैं।

तृतीय लाभ यह लिखा कि मुतशाबेहात की असल मुराद तक पहुँचने के लिये अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। जितना परिश्रम अधिक होगा, उतना ही पुण्य भी अधिक प्राप्त होगा। (हज़रत ! जब मुतशाबेहात को खुदा के अतिरिक्त कोई समझ हो नहीं सकता, तो कौन मूर्ख ! उस पर परिश्रम करेगा ?

चतुर्थ लाभ यह है, कि यदि सम्पूर्ण कुरआन मुहकमात होता तो वह एक ही मज़हब का प्रतिपादन करता। विभिन्न मज़हबों का कोई समर्थन ही नहीं कर सकता था। अपितु वह प्रत्यक्ष उस एक मज़हब के अतिरिक्त समस्त मजहबों को बातिल (मिथ्या) ठहराता........इत्यादि) [उधर तो पूर्व में यह कहा–कि जो मुतशाबेहात के पीछे जायेगा, वह पथभ्रष्ट, टेढ़े दिलवाला और काफ़िर होगा।] अब इसके विपरीत मुतशाबेहात से यह लाभ बता रहे हैं, कि अन्य सम्प्रदाय कैसे बनते, उसका समर्थन कौन करता ? हमें तो यह चतुर्थ लाभ; लाभदायक नहीं; घोर हानिप्रद दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि सत्य एक होता है। सत्य धर्म भी एक होता है। विभिन्नता और मतभेद सत्य के बाधक हैं, किन्तु अल्लामा महाशय ! तो बाधक को साधक सिद्ध करने पर तुले हैं। अजीब तमाशा है ! हाँ प्रसिद्ध शायर ज़ौक ने अवश्य ही अल्लामा का समर्थन करते हुए कहा है:— **'गुल हाये रंगा रंग से है ज़ीनते चमन, ऐ ज़ौक इस जहां को है ज़ेब इख़्तलाफ़ से'** [लेखक]

तफसीर इत्तिकान, भाग २, पृष्ठ ३१

अल्लामा सियूती द्वारा मुतशाबेहात से जो लाभ बताये गये हैं, वह सर्वथा अव्यवहारिक और सारहीन है तथा प्रभावित नहीं करते हैं।

हमने मुहकमात और मुतशाबेहात आयतों के सम्बंध में स्पष्ट रूप से लिख दिया है, और यह मुतशाबेहात का अड़ंगा इस हेतु लगाया गया कि वह आयतें ज्ञान-बुद्धि और शिक्षा के प्रतिकूल थी। अतः यह कह कर कि इनकी वास्तविकता खुदा ही जानता है। मनुष्यों को उसे जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए अन्यथा वह पथभ्रष्ट—टेढ़े दिलवाले, काफिर हो जायेगे।

-:कुरआन का एक और भ्रान्तिपूर्ण विषय:-

—:नासिखो मनसूख:—

आपने मुहकमात और मुतशाबेहात आयतों के विषय में भली प्रकार जान लिया, कि कुरआन की कुछ आयतें मुहकम और कुछ मुतशाबह है। जिसका अर्थ स्पष्ट बुद्धिगम्य हो वह मुहकम और जिनका अर्थ न समझा जा सके वह मुतशाबह आयतें हैं।

परन्तु अब हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं। उसमें एक जैसी आयतें हैं। एक तो वह जिनका पाठ (पढ़ना) और आदेश (हुकुम) दोनों प्रभावशील है, किन्तु दूसरी आयतें वह है जिनका पाठ तो नेकी का देने वाला है, पर आदेश निरस्त (मनसूख) कर दिया गया है। कठिनाई यह है कि यह दोनों प्रकार की आयतें कुरआन में सम्मिलित है। उनको कोई पहिचान नही सकता, कि नासिख (निरस्त करने वाली) और मनसूख (निरस्त) आयत कौन सी है।

कुरआन की व्याख्याओं से अपरिचित कई श्री विनोबा भावे जैसे निरस्त आयतों के आधार पर इस्लाम की लोकप्रियता का ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, किन्तु तफसीर और हदीस से अपरिचित होने के फलस्वरूप वह स्वयँ भी धोखा खाते है, और इन जैसों के कारण लोग भी धोखे में पड़ जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो उन्हीं आयतों का सहारा लेकर जन साधारण को भ्रमित करते हैं, जो कि अन्य किसी आयत से निरस्त हो चुकी है अब कुरआन के पाठक के लिये अति कठिन समस्या यह है कि वह कैसे जाने कि वह आयत नासिख (निरस्त करने वाली)

और यह आयत मन्सूख (निरस्त) है। जब कि उन्हें पहिचानने हेतु कुरआन में कोई तालिका या चिन्ह नहीं है। अतः सर्व साधारण जन भ्रम में पड़ जाते हैं।

हम पाठकों के समक्ष इस विषय को स्पष्ट करते हैं ताकि आप भ्रम में न पड़े और अन्यान्य लोगों को भी भ्रम से बचाएँ।

—: एक भ्रम और उसका निवारण :—

कहा जाएगा कि जब कुरआन लौह महफ़ूज पर लिखित है, तो फिर वह निरस्त कैसे हो सकता है? किन्तु मैं बताऊँगा कि लौह महफ़ूज (सुरक्षित तख्ती) पर लिखा हुआ भी मिटाया व बदला जा सकता है।

तफसीर मज़हरी में :—

यमहुल्लाहो मा यशाव्यो व युस्बितो व इन्दहू उमुम्लकिताब।

कुरआन, पारा १३, रकू ६/१२

अर्थात—अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटाता है और जो कुछ चाहता वह सुरक्षित रखता है, और उसके पास उम्मुल किताब है।

हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा, कि लौह महफ़ूज (खुदा की सुरक्षित तख्ती) में से (खुदा) जो कुछ चाहता है, मिटा देता है, परन्तु 'तकदीर ऐ मुअल्लक' (मिटने वाली) को खुदा मिटा देता है और 'तकदीर ऐ मुबरम' नहीं बदल सकता है।

तफसीर मज़हरी का व्याख्याकार लिखता है—कि हज़रत मुहम्मद ने दिव्य दृष्टि से मुल्ला ताहिर के मस्तिष्क पर शकी (अभागा) लिखा हुआ देखा। उनने यह बात अपने पुत्रों से कह दी। वे दोनों पुत्र मुल्ला ताहिर के पास पढ़ते थे। लड़कों ने हज़रत मुजद्दद से निवेदन किया कि आप खुदा से प्रार्थना कीजिए कि खुदा इस शक़ावत (दुर्भाग्यता) को सआदत (सौभाग्य) से बदल दें। हज़रत ने कहा—मैंने लौह महफ़ूज में इसे कज़ा ए मुबरम लिखा देखा है। यह अपरिवर्तनीय है। लड़को ने पुनः प्रार्थना करने का आग्रह किया। हज़रत मुजग्दद ने कहा—मुझे स्मरण आया कि हज़रत शैखुल सकलैन, शैख़, मुहैय्युद्दीन और अब्दुल कादिरजी जीलानी ने कहा था 'मेरी प्रार्थना से कज़ा ए मुबरम भी बदल दी जाती' है अतः मैं दुआ करता हूँ हज़रत मुजद्दद कहते हैं—मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई और मुल्ला ताहिर के मस्तिष्क पर दुर्भाग्य के स्थान पर सौभाग्य अंकित कर दिया।

तफसीर मजहरी; भाग ६, पृष्ठ २७४-७५

हज़रत अता ने कहा—कि हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि अल्लाह की एक लौह महफ़ूज है [इतनी बड़ी कि] लगभग ५०० वर्षों की राह के [इतनी लम्बाई है] सफेद मोतियों की बनी हुई है। उसके दोनों पक्ष याक़ूत के हैं। अल्लाह प्रतिदिन ३३० बार उसका निरीक्षण करता है। जो कुछ चाहता है, उसमें से मिटा देता है और जो कुछ चाहता है सुरक्षित रखता है।

तफसीर मजहरी, भाग ६, पृष्ठ २२७

जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें मुस्लिम विद्वानों में पारस्परिक मतभेद न हों।

शोक से लिखना पड़ रहा है कि यह विषय भी मतभेद से मुक्त नहीं है। हम तो उस बात को लिख रहे हैं, जिसे बहुसंख्यक मुसलमान मानते हैं। इससे आगे हम अल्लामा सियूती के 'नासिखों-मनसूख' प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं।

अल्लामा सियूती ने लिखा है कि इस विषय 'नासिख-मन्सूख' पर मुस्लिम विद्वानों ने अनेक पुस्तकें लिखी है। जिनमें अबू उवेद कासिम बिन सलाम, अबू दाऊद सजस्तानी, अबू जाफ़र नुहहास, इब्नल अंबारी और इब्नल अरबी आदि विद्वान हैं। इमामों का कथन है कि जब तक कोई व्यक्ति कुरआन के नासिख़ और मन्सूख़ का पूर्ण परिचय न प्राप्त कर ले, तब तक उसके लिये कुरआन की व्याख्या करना उचित नहीं है।

हज़रत अली ने एक ऐसे व्यक्ति से, जो कुरआन का अर्थ और तात्पर्य दोनों का वर्णन करता था, पूछा कि तू! कुरआन के नासिख़ व मन्सूख़ प्रकरण को भी जानता है ? उस व्यक्ति का उत्तर था-नहीं जानना। फिर हज़रत अली ने उससे कहा-तू स्वयँ भी हलाक (नष्ट) हुआ और दुसरों के नाश का भी साधन बना।

इस प्रकरण में कई विषय है। नसख़ शब्द का अर्थ मिटा देना है, और उसका उदारण है:—

फ़यन्सखुल्लाहो मा युल्किश्शैतानो सुम्मा योहकेमुल्लाहो आयातेही।

कुरआन, पारा १७, रकू ७।१४

अर्थात—खुदा मिटा देता है उसको जो शैतान मिला देता है, और अपनी आयत को दृढ़ करता है।

यह सूरतुहज्ज की आयत है। इसके सम्बंध में हम पूर्व ही सविस्तार लिख चुके हैं, कि हज़रत मुहम्मद जब सूरत नजम पढ़ रहे थे, तब शैतान ने उनके पाठ में अपने वाक्य मिला दिये। दुसरी आयत जो अल्लामा ने लिखी वह निम्नलिखित है।

आयत:—

वा इज़ा बद्दलना आयतम्मकाना आयतिव्वल्लाहो आलमो बिमा युनज़्ज़ेलो कालू इन्नमा अन्ता मुफ़्तर।

कुरआन, पारा १४ रकू १४/२०

अर्थात—जब हम एक आयत को बदल कर उसके स्थान पर दुसरी आयत रख देते हैं। अल्लाह जो आदेश भेजता है, उसको वही भली प्रकार जानता है। तो यह लोग कहते हैं कि आप (हज़रत मुहम्मद) स्वयँ ही आयतें घड़ लेते हैं और अल्लाह का नाम झूठा लेते हैं। वे कहते हैं कि तू (हज़रत मुहम्मद) मिथ्यावादी है।

आयत—परिवर्तन से तात्पर्य, किसी आयत के पाठ को निरस्त करना है या किसी आदेश को निरस्त करके उसके स्थान पर दुसरा आदेश प्रसारित करना है। अल्लाह जो कुछ उतारता है, उसे वही भली प्रकार जानता है कि पूर्व आयत समयानुकूल थी, परन्तु उसे पूर्ववत स्थिर रखना निरर्थक है या उससे पूर्वादेश बिगाड़ का कारण बन गया था। इसलिए उसको परिवर्तित कर ऐसा आदेश प्रसारित कर दिया जो लोगों की भलाई करने वाला है। तात्पर्य यह कि लोगों के हेतु कब और कौन सा आदेश उचित है। उसे अल्लाह ही भली प्रकार जानता है।

तफसीर मज़हरी, भाग ६, पृष्ठ ४३६-४३७

तफसीर कादरी ने और भी स्पष्ट लिखा है। जैसे कि बाज़ (कुछ) आदेश निरस्त हुए तो मक्का के काफ़िरों ने कहा— कि मुहम्मद अपने मित्रों के साथ मसख़रापन (परिहास) करता है। आज उन्हें एक आदेश करता है तो कल उसे निरस्त कर देता है। निसन्देह वह खुदा पर अवश्य लांछन लगाता है और अपने मन से बातें बना कर कह देता है। (उसके उत्तर में) उपरोक्त आयत उतरी, कि जब हम निरस्त आयत के स्थान पर निरस्त करने वाली आयत उतारते हैं। और खुदा ! बड़ा जानने वाला है, उस वस्तु को जो उतारता है, और हिकमत (बुद्धिमता) और मस्लिहत (समयानुकूल नीति) के कारण निरस्त कर देता है, तो काफ़िर कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि तू (ए मुहम्मद) छली है और झूठमूठ खुदा का नाम लेकर अपनी बातें बना लेता है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ५८१

दोनों व्याख्याकारों ने उपरोक्त आयत से यह भली प्रकार प्रमाणित कर दिया है कि खुदा कुरआन की आयत को समयानुसार दुसरी आयत में परिवर्तित कर देता है और वहां के लोग कहते हैं कि (हज़रत मुहम्मद) अपने मित्रों के साथ परिहास करता है तथा खुदा का नाम झूठमूठ लेकर स्वयं ही आयतें बना कर रख देता है। इसी प्रकार तफ़सीर जलालैन, पृष्ठ २२६ और तफ़सीर बैज़ावी, पृष्ठ २३० में भी उक्त (इस) आयत की व्याख्या की गई है। हम इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर और भी स्पष्ट कर देते हैं। यथा :—

या अय्यो हन्नबिय्यो हर्रेजिल मोमिनीना अलल् किताले इंय्यंकुम्मिनकुम इश्रूना साबेरूना यग्लिबू मेअतैने इंय्यंकुम्मिनकुम्-

मेअतुंय्यग्लिबू अलफ़म्मिनल्लज़ीना कफ़रू बेअन्नाहुम कौमुल्ला यफ्केहून ।

कुरआन, पारा १०, रकू ६।५

अर्थात—ऐ नबी (मुहम्मद) ? मुसलमानों को उभारो काफिरों का वध करने के लिये। यदि युद्ध में धैर्य रखने वाले तुममें २० व्यक्ति हो तो २०० काफरों पर विजयी होवेंगे । यदि १०० व्यक्ति हों तो खुदा के सहारे हजार काफिरों पर विजय पाएंगे इसलिए कि वह ऐसा समूह है, जो नहीं समझते ! क्यों कि वे प्रलय और मुक्ति से अनभिज्ञ हैं और मुसलमानों के समक्ष दृढ़ रहने की शक्ति नहीं रखते ।

इस आयत के उतरने के पश्चात एक-एक मुसलमान दस-दस काफिरों से लड़ने में भयभीत हुए और यह आदेश अति भारी पड़ा, तो खुदा ने इस आयत को निरस्त कर कहा:-

अलआना खफ्फ़ फ़ल्लाहो अनकुम व अलेमा अन्ना फ़ी कुम जाफ़न फ़इंय्यकुम्मिन कुम्मिअतुन साबिरा तूं यग़िलबू मेअ-तैने व इंय्यकुम्मिनकुम अलफुंय्यग़िलबू अलफ़ने बेइज़निल्लाहे वल्लाहो मा अस्साबेरीन ।

कुरआन, पारा १०, रकू ६।१५

अर्थात—(उक्त आदेश भारी पड़ा तो) अल्लाह ने कमी कर दी तुमसे और देखा कि तुममें दुर्बलता है। पस, यदि १०० व्यक्ति तुममें से युध्द में धैर्यवान हों तो तुम २०० काफिरों पर विजयी हो ओगे। अर्थात एक मुसलमान दो काफिरों पर । यदि हो तुममें से एक हजार व्यक्ति, तो दो हजार काफिरों पर विजय पाओगे खुदा की आज्ञा व सहायता से । और अल्लाह धैर्य रखने वालों के साथ है।

पाठक वृन्द ! उक्त प्रथम आयत में १० मुसलमानों का १०० पर विजयी होना और १०० का १००० पर विजयी होना, खुदा की ओर से आदेश प्राप्त होना कहा गया है, परन्तु जब परिस्थिति प्रतिकूल देखी तो दुसरी आयत गढ़ना पड़ी और कहना पड़ा, कि खुदा ने जान लिया कि तुममें दुर्बलता है। इस दुर्बलता को जान कर खुदा ने जहाँ १०० का १००० पर विजयी होने के लिये कहा था, वहां उस परिमाण को घटा कर २०० मात्र सीमित कर दिया।

यह है, इस्लाम का हाजिर-नाजि़र और अन्तर्यामी खुदा कि जिसे प्रथम इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुसलमानों में दुर्बलता है और अनुभव होने के पश्चात खुदा को ज्ञात हुआ कि यह मानदंड निर्वाह योग्य नहीं, तो तत्काल प्रथम आयत को निरस्त कर द्वितीय आयत उतार दी।

हम आयतों के साथ 'उतारना' क्रिया प्रयुक्त करते हैं। इससे आप यह न समझे कि हम कुरआन को कहीं आसमान से उतरा हुआ मानते हैं। हमारी दृढ़ धारणा है कि यह समस्त रचना; जो कुरआन में है, वह सब मुहम्मद साहिब की ही कल्पना है।

यदि ऐसा न माना जाये, तो कोई साधारण व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, कि प्रथम आयत में खुदा ने १० मुसललानों को १०० काफिरों पर विजयी होने का आदेश दिया, और जब असफलता का कटु अनुभव हुआ, तो १०० के स्थान पर २० ही रह गये। क्या ऐसे खुदा को सर्वशक्तिमान खुदा माना जा सकता है ? ऐसी बातों के कारण हो, तो मक्का के बुद्धिमान लोग कहते थे, कि मुहम्मद अपने पास से बातें बना

कर खुदा का नाम लगा देता है। यदि कुरआन का लेखक अन्तर्यामी होता तो ऐसे मिथ्या आदेश कदापि न देता।

मुस्लिम विद्वानों ने कुरआन के मन्सूख होने के सम्बंध में, अर्थात आयतों के मन्सूख होने के सम्बंध में मतभेद व्यक्त किया है। एक कथन तो यह है, कि कुरआन का निरस्त होना, कुरआन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकता। जैसा कि कुरआन में स्वयँ खुदा ने कहा:—

मा नन्सख़ो मिन् आयतिन औ नुनसिहानाते ब खैरिम्मिनहा औ मिसलिहा।

कुरआन, पारा १, रकू १३/१३

अर्थात—जो कुछ निरस्त कर दिया हमने कुरआन की आयतों से, दुनिया की मस्लिहतों केसमान या जमाने का हाल देख कर, अर्थात दुनियां की भलाई और समयानुसार स्थिति को देखते हुए, या तो भूला देते हैं हम उसे और दिलों से निकाल लेते हैं। लाते हैं हम उस निरस्त की हुई आयत से श्रेष्ठतर। जैसे १० काफिरों के साथ एक गाज़ी (योद्धा) का सामना निरस्त कर के २ काफिरों के साथ निश्चित कर दिया। या लाते हैं हम उस निरस्त की हुई आयत के सदृश्य [अन्य आयत] लाभ और नीति में। जैसे किब्लाको (जिस ओर नमाज़ में मुँह किया जाए) बैतुल मुकद्दस से काबे की ओर फेर देना इत्यादि।

कुछ अन्य लोगो का कथन है कि कुरआन का नसख़ (मिटा देना) कुरआन पर ही निर्भर नहीं अपितु वो सुन्नत (हदीस) से भी निरस्त हो जाता है, इसलिए कि सुन्नत का भी खुदा की

तरफ से होना प्रमाणित है, क्यों कि कुरआन स्वयं ने फरमाया है :—

व मा यंतैको अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयुंय्यूहा अल्लमहू शदीदुल कुवा ।

कुरआन पारा २७ सूरत नज़्म रकू १।५

अर्थात—(हज़रत मुहम्मद) बात नहीं करता है, अपने मन की इच्छा से और वास्तविक बात यह है कि आपका (हज़रत मुहम्मद) बोलना कुरआन के साथ है अपनी इच्छा से नहीं और उसी बात को बोलता है जो उसकी तरफ वही (फरिश्ता) भेजी जाती है । उसको वही सिखाता है अर्थात जिब्राईल ।

तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ ४७८

इस दृष्टि से हदीस से भी कुरआन की आयत निरस्त हो सकती है ।

तीसरी बात यह है कि यदि हदीस खुदा के हुक्म से हो तो वह कुरआन को निरस्त कर सकेगी । इब्ने हबीब नेशापुरी ने अपनी तफसीर (कुरआन की व्याख्या) में लिखा है, और शाफई का कथन है कि जहाँ पर कुरआन का निरस्त होना सुन्नत से सिद्ध हो वहाँ कुरआन उस सुन्नत को शक्ति देनेवाला अवश्य होगा ।

तफसीर इत्तकान भाग २ प्रकरण ४७ पृष्ठ ५४

जिस आयत को हमने ऊपर लिखा है, यही इस विषय की मूलाधार है । तफ़सीर मज़हरी ने इस आयत की व्याख्या इस प्रकार लिखी है-जो कोई आयत हम कुरान से निरस्त कर देते हैं उसके सम्बंध में कई प्रकार के प्रमाण है ।

(१) या तो किसी आयत को पढ़ने को निरस्त कर देना और हुक्म का अपने स्थान पर शेष रहना जैसे आयते रजम (पथराव करना) का आदेश शेष है और उसका पढ़ना निरस्त हो गया है ।

(२) या हुक्म का समाप्त हो जाना और आयतका पढ़ना अपने स्थान पर शेष रहना जैसे कुटुम्बियों के लिये वसीय्यत करने की आयत (इसका पाठ बाकी है और हुक्म निरस्त हैं)

(३) वह आयत जिसमें मरने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि है [एक वर्ष की अवधि निरस्त होकर ४ माह १० दिन की रह गई है]

(४) अथवा आयत का पढ़ना और हुक्म दोनों निरस्त हो जायें जैसा कि कहते हैं सूरत अहज़ाब सूरत बकर के सदृश्य लम्बी थी । उसके बहुत से हिस्सों का पढ़ना और हुक्म दोनों ही (कुरान से) निरस्त कर दिये गये ।

निरस्त होने वाली आयतें दो प्रकार की होती है । एक वह कि उसके हुक्म के शान पर दुसरा हुक्म स्थापित न हो जैसे अपने कुटुम्बियों को वसीयत करना मीरास [उत्तराधिकारिता] की आयत से निरस्त हो गया । अर्थात जब मीरास की आयत उतरी तो कुटुम्बियों को दी जाने वाली सम्पत्ति का अधिकार समाप्त हो गया और एक वर्ष इद्दते वफ़ात [पति की मृत्यु-पश्चात पुनर्विवाह का समय] का होना ४ माह १० दिन वाली आयत से समाप्त हो गया ।

दुसरी किस्म वह है कि दुसरा हुक्म स्थापन्न न हो। जैसे स्त्रियों की परीक्षा आरम्भ में थी, वह बाद में समाप्त

हो गई। हम आपको (हजरत मोहम्मद) या जिब्राईल को किसी आयत को निरस्त करने का आदेश देते हैं या भुला देते हैं। इब्ने कसीर और अबू उमर के अनुसार यह अर्थ होंगे कि किसी आयत के हुक्म को पीछे कर देते हैं और उसके पढ़ने को समाप्त कर देते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि पढ़ने और हुक्म दोनों को निरस्त कर देते हैं, या यह अर्थ होंगे कि हम उस आयत को लौह महफ़ूज (सुरक्षित तख्ती जिस पर कुरान अंकित है) में पीछे कर देते हैं। अर्थात आप पर उसे नहीं उतारते या तेरे दिल से उसे (आयत को) मिटा देते हैं (उदाहरणार्थ) अबु इमामा बिन सहल् बिन हनीफ से बयान किया गया है कि कुछ सहाबा (मुहम्मद के दोस्त) एक रात नमाज़ के लिये खड़े हुए और एक सूरत पढ़नी चाही तो उन्हें वह सूरत सर्वथा विस्मृत हो गई। प्रातः उन्होंने हजरत मुहम्मद सा० से उक्त घटना के सम्बंध में पूछा तो हज़रत साहिब ने कहा-उसका पाठ और हुक्म दोनों उठा लिये गये है।

कुरआन कहता है कि जब हम किसी आयत को निरस्त कर देते हैं या भूला देते हैं तो उससे अधिक लाभप्रद या उसके सदृश्य अधिक लाभदायक, सुविधाजनक और भलाईपूर्ण आयत हो, उसे उतारते हैं।

(व्याख्याकारों के इन प्रमाणों से भली प्रकार प्रमाणित हो गया कि कुरआन को आयतें निरस्त की जाती है और उनके स्थान पर दुसरी आयतें लाई जाती हैं)

तफसीर मज़हरी पारा १ पृष्ठ १९२—१९३

अल्लामा ज़लालुद्दीन सियूती लिखते हैं कि कुरआन में नासिख और मन्सुख की दृष्टि से कई प्रकार कुरआन की सूरतें

विभक्त हैं। एक किस्म वह है कि उसमें नासिख और मन्सूख नहीं है। इस प्रकार की ४३ सूरतें हैं और जिनमें नासिख व मन्सूख हैं, इस प्रकार की २५ सूरते हैं।

अल्लामा सियूती ने कुरान की आयतों के निरस्त होने के कई प्रकार लिखे हैं। उनमें से एक यह भी है कि जिसके लिये किसी कारण से आदेश दिया गया था किन्तु जब बाद में वह कारण समाप्त हो गया, जैसे मुसलमानों की निर्बलता और संख्या कम होने के समय संतोष और सहनशीलता धारण करने की आज्ञा दी गई थी और जब यह स्थिति नहीं रही तो युद्ध को अनिवार्य बना कर पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया। यह संतोष करने वाली आयत, आयतुस्सेफ (युद्ध की आयत) के उतरने से निरस्त हो गई। हम आगे चल कर यह बतायेंगे कि इस्लाम के सम्बंध में जो अरबी से अपरिचित लोग इस्लाम को मित्रता-युक्त व शान्तिप्रिय बताते हैं वह उन्हीं आयतों का आधार लेते हैं जो आयतुस्सेफ से निरस्त हो चुकी है।

अल्लामा सियूती ने कई प्रकार से कुरआन की आयतों का निरस्त होना लिखा है। उन सभी को विस्तार सहित लिखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। जैसे रात की नमाज का पढ़ना पहिले अनिवार्य था किन्तु जब इसमें कठिनाईयाँ आने लगी तो फिर उसे समाप्त करने के लिये सूरत मुज्ज़म्मिल में यह आयत उतारी गई कि जिसमें तुम्हें सुविधा हो वही करो। आगे वही बातें अल्लामा सियूती ने लिखी है जिसे हम तफसीर मजहरी से ऊपर लिख चुके हैं।

फिर अल्लामा सियूती ने लिखा है कि मैंने कुरआन की निरस्त आयतों के सम्बंध में एक पुस्तक लिखी है परन्तु संक्षेप में यहाँ भी लिखता हूँ।

पहली आयत अल्लामा ने यह लिखी है:—

कुतेबा अलैकुम ईज़ा हज़रा आहदा कोमुल मौतो इन्तरका खैरन निल वसीय्यतो लिल वालेदैने वल अकरबीना बिल मारूफे हक़्क़न अलल मुत्तकीन ।

कुरआन पारा २ रकू २२/६

अर्थात-तुम्हारे लिये लिखा गया अर्थात अनिवार्य किया गया कि जब तुम में से किसी की मृत्यु उपस्थित हो, यदि वह अधिक सम्पत्ति छोड़े तो वसीयत करे वह अपने मां—बाप, कुटुम्बियों और बेटों के लिये न्याय के साथ। फिर इस आयत का आदेश मीरास की आयतों से निरस्त हो गया।

तफ़सीर कादरी पारा २ पृष्ठ ४५

तफसीर कादरी में लिखा है कि मूर्खता के समय में लोग अपने मां—बाप और कुटुम्बियों को अपनी सम्पत्ति से वंचित रखते थे, इसलिए यह आयत उतारी गई थी। तफसीर मज़हरी ने पृष्ठ ३१८ पर लिखा है कि इस्लाम के आरम्भ में इस आयत के कारण वसीयत अनिवार्य थी किन्तु मीरास की आयत से यह आयत निरस्त हो गई।

तफ़सीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ ३१९

ऐसा ही तफसीर हक्कानी ने पृष्ठ ४० पर, जलालैन पृष्ठ २६ और बेज़ावी पृष्ट २६ पर भी यही लिखा है।

ऐसे मृत पुरूष की सम्पत्ति के सम्बंध में एक और आयत लाई गई है और वह भी मीरास की आयतों से निरस्त हो गई

है। उसकी कथा इस प्रकार है कि—ओसबिन सामत की विधवा स्त्री हजरत मुहम्मद के पास आई और उसने कहा कि मेरा पति मुसलमान हुआ था और अब वह मर चुका है तथा उससे मुझे तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं। मेरा पति बहुत सम्पत्ति छोड़ गया है और उस सम्पत्ति पर चचेरे भाईयों ने अधिकार कर मुझे उससे वंचित कर दिया है। इस पर हज़रत साहिब ने चचेरे भाईयों को बुलाया तो उन्होंने प्रचलित कानून प्रस्तुत कर अपने आपको सम्पत्ति का अधिकारी प्रमाणित किया। इस पर यह आयत उतारी कही गई **'लिर्रज़ाले नसोबुम्मिमा'** इत्यादि। (पारा ४ रकू १)

अर्थात-पुरूषों के लिये उस सम्पत्ति में से जो उनके माता-पिता ने छोड़ी है और निकट के कुटुम्बियों और स्त्रियों के लिये भी उसमें हिस्सा है, जो मां—बाप और अन्य कुटुम्बिजन छोड मरे। उसमें से खुदा ने निश्चित हिस्सा कर दिया और जब सम्पत्ति का बँटवारा हो उस समय वह कुटुम्बी जो कि सम्पत्ति का अधिकारी न हो और अनाथ व असहाय हो उनको भी कुछ भाग दिया जाये। यह आयत भी मीरास की आयतों से निरस्त हो गई है।

तफ़सीर कादरी, पारा ४, सूरत निसा, पृष्ठ १५१

आयत मीरास की जिससे यह उपरोक्त आयतें निरस्त हुई है, उसे नीचे लिखते हैं :—

' युसी कुमुल्लाहोफी औलादेकुम् लिज़करे मिसलो हज़्ज़ल उन्सयैने फइन कुन्ना निसाअम फोकस्नतैने फलहुन्ना सुलोसा मातरका वा इन् कानत वाहेदातन फलाहन्ननिस्फो वले अब वैहे

लिकुल्ले वाहेदिम्ममिन्हो मस्सुदोसो मिम्मा तरका ' इत्यादि। पारा ४ रकू, २/१२ सूरत निसा

अर्थात-खुदा तुम्हें आदेश देता है, तुम्हारी सन्तान और उनकी सम्पत्ति की राशि में इस प्रकार बटवारा किया जाये। दो स्त्रियों के बराबर एक पुरुष का हिस्सा और यदि पुरुष न हो तथा केवल स्त्रियाँ ही दो से अधिक हों तो उनके वास्ते जो मृतक ने छोड़ा है उस सम्पत्ति में २ तिहाईयां उनकी हैं और यदि एक ही पुत्री हो तो मृतक की सम्पत्ति में से आधा भाग उसका होगा तथा माँ-बाप के लिये छठा भाग होगा। यदि मृतक की संतान पुत्र या पुत्री हो और यदि न हो तो उसकी सम्पत्ति के अधिकारी माँ-बाप इस प्रकार होंगे। मां के लिये कुल सम्पत्ति का तिहाई भाग और शेष पूर्ण सम्पत्ति पर बाप का अधिकार होगा। यदि मृतक के सगे भाई अथवा केवल माता से या केवल बाप से उत्पन्न भाई हों तो मृतक की माँ के लिये सम्पत्ति का छठा भाग कर्ज चुकाने के बाद निर्धारित है।

तफ़सीर कादरी, पारा ४ पृष्ठ १५३

इस आयत का शाने नजूल (उतरने का कारण)

काज़ी इस्माईल ने 'अहकामुल कुरआन' में अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन हज़्म के अनुसार बयान किया है कि अमराह बिन्तहराम हज़रत साद बिन रबी की पत्नि थी और अमराह के उदर से साद की एक पुत्री थी। अमराह अपनी पुत्री की सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करने हेतु हज़रत मोहम्मद की सेवा में उपस्थित हुई तो उसके पक्ष में यह आयत (यूसीकुम) उतरी।

तफ़सीर मज़हरी पारा ४ पृष्ठ ५००

—ःरोजा सम्बंधी आज्ञाएँः—

इससे आगे अल्लामा सियूती ने इब्ने अरबी के प्रमाण से निम्न मनसूख (निरस्त) आयत लिखी है—

वा अलल्लाज़ीना युतीकूनहू फ़िदयातुन तआमो मिस्कीन, फ़मन ततव्वआ खैरन फ़होवा खैरूल्लाह ।

कुरआन पारा २ रकू २।७

अर्थात—उन लोगों के लिये जो कि शक्तिवान हैं कि रोज़ा रखें और जो रोज़ा न रखना चाहे तो उसके बदले में एक फकीर को भोजन कराना होगा। यह आदेश इस्लाम के आरम्भ में था किन्तु बाद में यह निरस्त होगया।

तफ़सीर कादरी पारा २ पृष्ठ ४६

इस आयत के सम्बंध में अल्लामा बग़वी लिखते हैं कि इस आयत के आदेश और व्याख्या में मुस्लिम विद्वानों का मतभेद है। अधिकतर विद्वान तो यह कहते हैं कि यह आयत निरस्त है। इब्ने उमर और सलम् बिन अक़ू और अन्य सहाबा का भी यही मत है। इसकी शाने नज़ूल इस प्रकार है कि इस्लाम के आरम्भ में खुदा ने लोगो को उनकी इच्छानुसार स्वतंत्रता दे रखी थी कि साहस हो तो रोज़ा रखो अन्यथा न रखो और रोज़े के बदले में एक फकीर को भोजन करा दें। यह आदेश इस कारण था कि (आरम्भ में) रोज़ा रखने का स्वभाव न था। यदि आरम्भ में रोज़े का आदेश हो जाता तो लोगों को

अधिक कठिनाई होती। फिर इसके पश्चात 'फमन शहेदा मिन्कुम' से यह स्वतन्क्षतता निरस्त हो गई और रोज़ा रखना अनिवार्य हो गया।

तफ़सीर मज़हरी, पारा २ पृष्ठ ३२८

तफ़सीर हक्कानी ने लिखा है कि इस्लाम के आरम्भ में स्वस्थ नागरिक को भी जो रोज़ा रखने में समर्थ थे, उन को भी स्वतंत्रता थी कि वह चाहे तो रोज़ा रखें या रोज़े के बदले एक फ़कीर को भोजन करादे परन्तु अगली आयत से यह आदेश निरस्त हो गया।

तफ़सीर हक्कानी पारा २ पृष्ठ ४३

जिस आयत से उक्त आयत निरस्त हुई वह नीचे लिखे अनुसार है :-**फ़मन शहेदा मिन को मुश्शहरा .फल यसुमहो।**

कुरआन पारा २ रकू २३।७

रोज़ा रखने वाले लोगों तुम में से जो भी किसी नगर में रमज़ान के महिने में उपस्तिथ हो, उसे चाहिये कि वह रमज़ान में रोज़ा रखें।

तफ़सीर मज़हरी में पृष्ठ ३३४-३३५ में भी यही लिखा है।

(२) अल्लामा सियुती ने लिखा है कि रमज़ान के दिनों में सोने के पश्चात खाना-पीना एवँ नारी सम्भोग वर्जित था। इसके सम्बंध में निम्नलिखित आयत प्रकाश डालती है :—

ओहिल्ला लकुम लैलतिस्सीया मिर्रफ़सो इला निसाएकुम हुन्ना लिबासुल्लाकुम्म वा अंतुम लिबासुल्लहुन्ना अले मल्लाहो अन्ना-

कुम कुन्तुम तख्तानूना अन फ़साकुम फताबा अलैकुम वा अफ़ा अनकुम फ़ल्आना वाशेरूहुन्ना वब्तगू मा कता बल्लाहो इत्यादि।

कुरआन पारा २ रकू २३।७

अर्थात—मुसलमानों को रमजान की रातों में इशा की नमाज़ पढ़ लेने तक या सो रहने तक खाने-पीने एवं स्त्री समागम करने की आज्ञा थी। सहाबा का एक दल काम के वशीभूत होने के कारण अपनी काम वासना को न रोक सका और जिस समय नारी समागम वर्जित था, उस समय इस कर्म हेतु उद्यत हुआ और उसको करने में रत हुआ। दुसरे दिन यह बात हज़रत मुहम्मद के पास पहुँची तो उस पर यह उक्त आयत उतारी गई। इसका अर्थ यह है कि हलाल की गई (आज्ञा दी गई) तुम्हारे वास्ते रोज़ों की (सारी) रातों में अपनी स्त्रियों से सम्भोग करना। वह तुम्हारे लिये पहिनावा है और तुम उनके लिए पहिनावे हो।

खुदा ने जान लिया कि तुम ख़यानत करोगे अपनी आत्मा के साथ अर्थात आज्ञा भंग करोगे (असमय) अर्थात जिस समय स्त्री सम्भोग की आज्ञा नहीं थी उस समय सम्भोग कर स्वयं के प्रति अपराध करोगे, पस फिर आया (खुदा) तुम पर दया के साथ रोजों की रातों में खाने-पीने और स्त्री-सम्भोग करने की आज्ञा तुमको प्रदान कर दी और जो तुमने खयानत कर पाप किया था वह क्षमा कर दिया। पस, अब तुम रोज़ों की रातों में अपनी स्त्रियों के साथ सम्भोग किया करो और उस बात को खोजो जो अल्लाह ने लौह महफ़ूज में तुम्हारे लिये लिख दिया है, इत्यादि।

तफ़सीर कादरी भाग १ पृष्ठ ४८

इसकी व्याख्या में तफसीर हक्कानी ने इस प्रकार लिखा है। अधिकतर कुरआन के व्याख्याकार कहते हैं कि इस्लाम के आरम्भ में रोज़ा खोलने के पश्चात जब तक इशा की नमाज़ न पढ़ें और न सोयें, उस समय में खाना-पीना एवं स्त्री सम्भोग करना उचित था। और जब वह इशा (संध्या के २ घंटे बाद) की नमाज़ पढ़ चुके या रोज़ा खोल कर सो जाये तो दोनों अवस्थाओं में खाना-पीना एवं स्त्री-सम्भोग वर्जित था। उपरोक्त आयत का शाने नज़ुल इस प्रकार है, कि उसका नाम मुआज़ अबू शरमा और बरा में से कोई एक था। वह दिन भर का थका-हारा संध्या को अपने घर आया। भोजन बनने में कुछ विलम्ब था सो वह सो गया। फिर (भोजन बनने पर) उसे जगाया गया तो उसने भोजन नहीं किया, क्योंकि सोने के पश्चात भोजन करना वर्जित था और उसी प्रकार बिना खाये-पीये दुसरे दिन भी रोज़ा रख लिया। फलस्वरूप कमजोरी के कारण उसकी स्थिति दयनीय और चिन्ताजनक हो गई। जब यह सूचना हज़रत मुहम्मद को दी गई तो उस समय हज़रत उमर ने कहा कि या हजरत मैंने इशा की नमाज के पश्चात अपनी स्त्री के साथ सम्भोग किया था। अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार कहा (फिर वहां क्या देर थी तुरन्त आयत उतर गई) (तफसीर कबीर) इसी प्रकार तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ ३४७ में लिखा है। लगभग ऐसा ही तजरीदे बुखारी प्रकरण ' रोजों का बयान' के पृष्ठ ३०१ और हदीस क्रमांक ६११ में लिखा है।

पाठकवृंद ! आपने इस आयत को भली प्रकार देख लिया होगा कि इससे खुदा ने जान लिया कि तुम खयानत करते हो, जिस कार्य की आज्ञा नहीं है, वह छिप कर करते हो और इस बात

का पता खुदा को उस समय लगा जब हज़रत साहेब को एक अन्सारी और हज़रत उमर तथा अन्य लोगों ने कहा कि वर्जित समय में हम अपनी स्त्रियों से समागम करते हैं तो उसी समय उपरोक्त आयत उतारी गई जिसमें रात्रि के लिये खाने-पीने एवं स्त्री-सम्भोग हेतु स्वतंत्रता दे दी गई। क्या कोई बुद्धिजीवी और विवेकशील मनुष्य इस बात पर विश्वास कर सकता है कि अन्तर्यामी प्रभू इस प्रकार से आयतें उतार सके। यह तो समस्त कल्पना हजरत मुहम्मद साहेब की अपनी ही है ! सृष्टिकर्ता ईश्वर को मनुष्यों के सांसारिक व्यक्तिगत कार्य-कलापों से क्या सम्बंध जो इस प्रकार की आयतें उतारे और हज़रत उमर के कृत्य को देख कर अपने ही आदेश में परिवर्तन करने हेतु तत्पर हो जाए।

आगे निरस्त आयत इस प्रकार है:—

'यस्अलूनका अनिल्शहरिल्हरामे' को **'कातेलुल मुशरेकीना'** ने निरस्त कर दिया।

कहानी इस प्रकार है कि हज़रत मुहम्मद साहेब ने अब-दुल्लाह बिन जहश को कुछ सहाबा के दल के साथ एक पत्र देकर भेजा कि इस पत्र के आदेशानुसार कार्य करना। अब्दुल्ला बिन जहश एक स्थान जिसका नाम बतने नखला है, वहाँ पहुँच कर ठहर गया। वहाँ पर कुरेश के व्यापारियों का एक काफिला विदेश से सामान लेकर आ रहा था। जब वह काफिला वहां पहुँचा तो अब्दुल्ला बिन जहश ने उस काफिले को लूट लिया और हज़रमी की हत्या कर कुछ लोगों को बन्दी बना लिया और हज़रत मुहम्मद के सन्मुख ले आया। जब कि उस महिने

में लड़ाई करना वर्जित था। शेष बात का पता आयत की व्याख्या से लग जायेगा। आयत इस प्रकार है:—

यरअलूनका अनिश्शहरिल हरामे बितालिन फीहे कुस कितालुन फीहे कबीर, वासद्दुन अन सबी लिल्लाहे वाकुफरून बिही इत्यादि

कुरआन, पारा २ रकू २७।११

अर्थात (ऐ मुहम्मद) मुसलमान आपसे माह हराम (उसे कहते हैं जिसमें युद्ध वर्जित होता है) में युद्ध के सम्बंध में पूछते हैं, इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने तथा तिबरानी ने कबीर में और इब्ने साद और बैहकी ने अपनी अपनी सुनन में जन्दब बिन अब्दुल्ला से रवायत (बयान) की है कि बदर के युद्ध से दो मास पहिले दो हिजरी अपने फूफीजाद भाई अबदुल्ला बिन जहश को और उनकी सहायतार्थ आठ व्यक्तियों को उसके साथ भेजा। उन आठों व्यक्तियों के नाम (१) साद बिन अबी विकास जौहरी (२) अकास बिन मोहसिन असदी (३) अतबा बिन रजवान सलमी (४) अबुहुज़ेफा बिन अतबा रबीया (५) सोहेल बिन बेज़ा (६) आमर बिन रबीया (७) वाकद बिन अबदुल्ला और (८) खालिक बिन बकेर है। इब्ने साद का कथन है कि १२ व्यक्ति साथ में थे और एक-एक ऊँट पर दो-दो व्यक्ति सवार थे। हज़रत मुहम्मद साहेब ने उस दल के नायक अबदुल्लाह बिन जहश को एक आज्ञा पत्र लिख कर दे दिया था और कहा था खुदा का नाम लेकर प्रस्थान करो और जब तक दो दिन की यात्रा पूरी न कर लो तब तक इस आज्ञा पत्र को खोल कर नहीं देखना और जो कुछ इसमें लिखा है अपने साथियों को भी सुना देना। फिर हमारी आज्ञानुसार जो कुछ इस पत्र में लिखा है वैसा ही करना। चलते समय अब्दुल्ला ने पूछा—या रसूलल्लिलाह मैं

किस ओर जाऊँ तो आज्ञा दी गई कि नख़लीया की ओर जाओ। अवदुल्ला ने दो दिन की यात्रा करने के पश्चात उस पत्र को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि, विदित हो कि तुम अल्लाह की कृपा पर भरोसा कर अपने साथियों को, जो कि तुम्हारे कहने में हो, उन्हें अपने साथ लेकर चलो और जिस समय बतने नखला में पहुँचो तो कुरेश के काफिले की प्रतीक्षा करो। उनका माल तुम्हारे हाथ लगने की आशा है। तुम उस माल को प्राप्त कर हमारे पास लाओ। अब्दुल्ला ने अपने साथियों को आज्ञा पत्र पढ़ कर सुनाया और कहा कि जिसकी इच्छा हो मेरे साथ चले और जो बलिदान न देना चाहे वह लौट जाए परन्तु कोई लौटा नहीं। जब यह लोग नज्रान के पास पहुँचे तो साद बिन अबी विकास और अतबा बिन रज़्वान का ऊँट खो गया। यह दोनों अपने ऊँट की तलाश में पीछे रह गये और अब्दुल्ला अपने शेष साथियों के साथ बतने नखला में पहुँच गया, अभी यह लोग ठहर भी न पाये थे कि कुरेश का काफिला दिखाई दे गया। जो चमड़ा किश्मिश और अन्य व्यापार का माल लेकर आ रहा था, उनमें अमरू हज़रमी, हकुम बिन कैसान, मौला हश्शाम बिन मोग़ीरा, असमान बिन अब्दुल्ला बिन मगीरा खज़ुमी और उसका भाई अब्दुल्ला मखज़ुमी भी थे। जिस समय उन लोगों ने इन मुसलमानों को देखा तो वे भयभीत हो उठे। अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा कि वे लोग अपने से भयभीत हो गये हैं। अब तुम यह करो कि अपने एक साथी का सिर मूँड कर उनके पास भेज दो (ताकि उन्हें संतोष व विश्वास प्राप्त हो) (सिर मुंडाने का अर्थ यह है कि इस महीने में युद्ध वर्जित है और हम इस आज्ञा के पालनकर्ता हैं अर्थात हम मुसलमान युद्ध नहीं करेंगे) इसलिए अकाशा का सिर मूँड कर उनकी ओर भेज दिया गया। जब अकाशा उनके पास पहुँचा तो कुरेश (वह)

देखते ही कहने लगे—यह तो हमारी जाति का व्यक्ति है, इससे भय करने की कोई बात नहीं है। अतः वे निर्भीक हो गये। उस पर मुसलमानों ने आपस में मंत्रणा की यदि आज की रात तुम उन्हें छोड़ देते हो तो फिर यह हरम (काबे की सीमा) में प्रवेश कर लेंगे और अपने हाथों से निकल जायेंगे। क्योंकि हरम में लड़ाई करना उचित नहीं है। यह समझौता होने के बाद वाकद बिन अब्दुल्ला सहमी ने अमरू हजरमी को तीर मार कर जान से मार डाला और शेष मुसलमानों ने बड़ी मर्दानगी से काफिले पर आक्रमण किया। उसमान बिन अब्दुल्ला बिन मगीरा और हकम बिन कैसान को बंदी बना लिया तथा नोफल भाग गया। फिर इन दोनों बंदियों और ऊँटों (माल से लदे) को लेकर हजरत मुहम्मद के पास आये।

तफसीर मजहरी, पारा २, पृष्ठ ४३१ से १३३

जब इस घटना की सूचना मक्का में पहुँची तो कुरैश ने मक्का निवासी मुसलमानों को उलाहना देते हुए कहा—ऐ अधर्मियों ! तुमने उन महीनों में, जिसमें युद्ध वर्जित है, उनमें भी लोगों के प्राण लिये तथा युद्ध द्वारा हत्या की। यह सुनकर उन सैनिकों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने विचारा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। वे लोग हजरत मुहम्मद के पास गये और निवेदन किया कि या रसूलिल्लाह इब्ने हजरमी की हत्या के पश्चात हमने रजब का चांद देखा किन्तु हमें यह ज्ञात नहीं कि यह हत्या हमने रजब में की था उसके पूर्व महीने में, जिसमें लड़ाई वर्जित नहीं थी। उस समय खुदा ने यह आयत उतारी कही जाती है। आयत उतरने के पश्चात हजरत मुहम्मद ने लूट के माल का ५ वां भाग ले लिया और बंदियों से ४०—४०

ओकिया (प्रचलित सिक्के) लेकर मुक्त कर दिया। उनमें से हकम बिन कैसान तो मुसलमान हो गया और उस्मान बिन अब्दुल्ला मक्का चला गया।

प्रश्न करने वालों से ए मोहम्मद ! उनसे कह दो इस महीने (रजब) में लड़ना गंभीर अपराध है। अधिकांश मुस्लिम विद्वानों का कथन है कि यह आयत **'फ़क्तलुल मुशरेकीना'** से निरस्त है।

तफसीर मजहरी, पारा २, पृष्ठ ४३३-४३४

पाठक ! इस कहानी का ध्यानपूर्वक मनन करें कि स्वयँ हज़रत मोहम्मद ने अब्दुल्ला बिन जहश को आज्ञा पत्र देकर काफिला लूटने को भेजा और यह भी आदेश दिया कि लूट का माल मेरे पास लाना तथा पत्र में यह भी सूचित कर दिया कि दो दिन पश्चात कुरैश का काफिला बतने नख़ला में मिलेगा। क्या हज़रत मोहम्मद सा० को यह ज्ञान नहीं था कि दो दिन पश्चात रज़ब (युध्द वर्जित) का महीना प्रारम्भ हो जायेगा ? ऐसा होते हुए भी हज़रत मोहम्मद सा० ने अब्दुल्ला बिन जहश और उसके साथियों को अपराधी ठहराया और कहा कि मैंने इनको लड़ने का आदेश नहीं दिया था।

तफ़सीर मजहरी पृष्ठ ४३३

एक व्यक्ति का सिर मूंडाया और हज़रत ने माल लेकर आने को कहा क्या मतलब निकला।

तफसीर कादरी में लिखा है कि—ऐ मोहम्मद ! हराम के महीनों में लड़ना बुरा काम है। उस समय तक हराम के

महिनों में लड़ना वर्जित था किन्तु पुनः यह आदेश आयते सैफ से निरस्त हो गया।

तफसीर कादरी पृष्ठ ५८

हराम के महीनों में युद्ध वर्जित था, को निम्नलिखित आयत ने निरस्त कर दिया :—

वा कातेलुल मुशरेकीना काफतन कमा युकातेलुनकुम काफतन वालमु अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन।

कुरआन पारा १०, रकू ५/११

अर्थात—और मुशरकों से युद्ध करो सामुहिक रूप से जैसा कि वे तुमसे युद्ध करते हैं और जान लो कि अल्लाह आचारशील लोगों के साथ है।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन।

तफसीर कादरी में इसकी व्याख्या इस प्रकार है—कि लड़ाई करो मुशरिकों से, सब मुशरिकों से। युद्ध वर्जित महीनों में और उनके अतिरिक्त शेष महिनों में, जैसे कि वो सब तुमसे युद्ध करते हैं।

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ ३६०

एक आयत कुरआन की सूरत बकर में आती है, जो निम्नानुसार है :—

'वा कातेलु फी सबीलिल्लाहिल्लाजीना योकातेलुनकुम'

अर्थात—अल्लाह की राह में लड़ो, उनसे जो तुमसे युद्ध करे। इससे अभिप्राय उन लोगों से हैं, जिनसे युद्ध की सम्भावना हो।

—तफसीर मजहरी, पारा २, पृष्ठ ३६२

कुछ व्याख्याकारों ने कहा है—इस्लाम के आरम्भ में खुदा ने हज़रत मुहम्मद को मुशरिकों की हत्या करने से रोक दिया था। फिर जब हज़रत मुहम्मद मदीना की ओर हिज़रत कर गये तो इस उपरोक्त आयत में यह आदेश दे दिया कि जो तुमसे लड़े, तुम भी उनसे लड़ो और उसके पश्चात पुनः यह आदेश हुआ कि :—

कातिलुल मुशरेकीना काफतन।

अर्थात—तुम मुशरिको कों कत्ल करो, चाहे उनमें से कोई तुमसे लड़े या न लड़े। इस आधार पर यह आयत निरस्त होगी।

तफसीर मज़हरी, पारा २, पृष्ठ ३६३

आगे कुरआन की निम्न आयत है:—

वा कातेलू हुम हत्ता लातकूनो फित्नतुंव्व यकूनद्दीनो लिल्लाहे,
कुरआन, पारा१०, रकू २४।८

अर्थात—और लड़ो उनसे जब तक कि कोई फ़साद न रह जाये। फसाद से अभिप्राय शिरक (खुदा के साथ अन्य कोई ईश्वर को मानना) और झगड़ा है। तात्पर्य यह है कि उपासना और भक्ति केवल एक ही खुदा के लिये रह जाये। किसी अन्य की कोई उपासना या भक्ति शेष न रहे। इब्ने उमर का कथन है कि रसूलिल्लाह ने फ़रमाया कि मुझको कत्ल करने का आदेश दिया गया कि जब तक लोग इस बात की साक्षी दें कि अल्लाह के सिवाय अन्य कोई उपास्यनीय नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है, और नमाज़ पढ़ें तथा ज़कात दें। जब इन आदेशों का पालन करने लगेंगे तो वे लोग अपनी जान और माल को मुझसे सुरक्षित रख सकेंगे और जो उनके जान व

माल में इस्लाम का अधिकार होगा वह उनसे प्राप्त कर लिया जायेगा। उनका हिसाब अल्लाह पर है। इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लामा बग़वी ने फरमाया है कि इस आयत से यह ज्ञात होता है कि मूर्तिपूजक को इस्लाम (मुसलमानी) स्वीकार करना ही आवश्यक होगा। यदि मुसलमान होने से इन्कार करेगा तो कत्ल कर दिया जायेगा।

तफसीर मज़हरी पारा २ पृष्ठ ३६५

हमने ऊपर की पंक्तियों में इस बात को प्रदर्शित किया है कि इस्लाम के प्रारम्भ में युद्ध वर्जित महीनों में लड़ना मना था। यह आदेश बाद की आयत से निरस्त कर दिया गया और फिर यह आदेश था कि जो तुमसे लड़े, उससे लड़ो। फिर जब इस्लाम शक्तिशाली हुवा तो इस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया और दुसरी आयत के द्वारा यह आदेश दिया गया कि तुमसे चाहे कोई लड़े या न लड़े फिर भी तुम उनसे तब तक लड़ो, जब तक कि वे मुसलमान न बन जायें। इस सम्बंध में अनेक हदीसें और आयतें प्रस्तुत की जा सकती है।

इसके आगे अल्लामा सियुती ने कुरआन की वह आयत लिखी है, जिसे हम पूर्व में उद्धृत कर चुके हैं। अर्थात—जिस स्त्री का पति मर जाये उसे पुनर्विवाह एक वर्ष तक करने की आज्ञा नहीं होगी किन्तु बाद में उतारी गई आयत में यह आदेश था कि पुनर्विवाह की अवधि ४ माह और १० दिन के पश्चात कर सकती है। पूर्व की आयत का आदेश जो कि १ वर्ष का था, वह प्रतिबंध दुसरी आयत के आदेश से निरस्त कर दिया गया।

अल्लामा सियूती ने कुरआन की निम्नलिखित आयत लिखी है, जो इस प्रकार है :—

वा इन तुब्दू मा फी अन्फुसेकुम औ तुखफूहो युहा सिब्कुम बेहिल्लाहो ।

कुरआन पारा ३, रकू ४०/८

अर्थात—यदि प्रगट करो तुम जो कि तुम्हारे दिलों में है या गोपनीय रखी उसको, तो खुदा तुमसे हिसाब लेगा।

तफसीर कादरी, पारा ३, पृष्ठ ६१

उपरोक्त आयत भी निम्नलिखित आयत से निरस्त हो गई। आयत इस प्रकार है—

ला युकल्ले फुल्लाहो नफ्सन इल्ला वुस्आहा लहा मा कसाबत् वा अलैहा मक्तरबत ।

कुरआन, पारा ३, रकू ४०/८

अल्लामा सियूती ने लिखा है कि उपरोक्त आयत के आने से पूर्व की आयत निरस्त हो गई।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७ पृष्ठ ५८

इसकी *व्याख्या इस प्रकार है*—जब यह उपरोक्त आयत उतरी तो हजरत मुहम्मद के मित्र इस विषय को देख कर बहुत ही दुखी और संतप्त हुए तथा एकदम शक्तिहीन हो गये। तब हजरत अबा बकर सद्दीक और हजरत उमर फारूक और मुआज़ बिन ज़बल व इनके अतिरिक्त और कई बड़े-बड़े अन्सार एकत्रित होकर हजरत मुहम्मद की सेवा में उपस्थित हुए और

उनसे निवेदन किया—कि या रसूलिल्लाह ! **'कल्लफना मिनल अम्ले मा ला नुतीकुहा बिही'** हम इस काम को करने की शक्ति नहीं रखते। यहाँ तक कि हमें ऐसी सूचना सुनने की भी शक्ति नहीं है। तब हज़रत मुहम्मद ने कहा कि ऐसा कौन सा कर्तव्य है ? उन लोगों ने कहा कि या रसूलिल्लाह दिल को वश में करना हमारी शक्ति और अधिकार से परे हैं। हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। यदि खुदा उन कारणों से भी हमें पकड़ेगा तो हमारे लिये अत्याधिक कठिनता होगी।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ९१

इसके आगे चल कर खुदा ने हज़रत मुहम्मद से कहा—मेरी आज्ञाओं को पालन करने में मुसलमान क्या कहते हैं। इस पर हज़रत मुहम्मद ने कहा कि वे कहते हैं कि हमने सुना है और हम आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस पर खुदा ने कहा कि मैंने तेरे अनुयाईयों के लिये सुविधाएँ प्रदान कर दीं और वह आयत (ला युकल्ले फुल्लाहो) उतार दी। जिसका अर्थ यह है कि खुदा किसी को कष्ट में नहीं डालता किन्तु उसकी शक्ति के अनुसार जो कुछ वह भलाई और बुराई करेगा उसका फल उसे प्राप्त होगा (अर्थात मन में उत्पन्न बातों का फल नहीं मिलेगा)

तफसीर कादरी, पारा ३, पृष्ठ ९२

इसी तरह से तफसीर मज़हरी में लिखा है कि शैखैन (मुस्लिम व बुखारी) ने हज़रत अबू हुरेरा की ओर से लिखा है कि जब यह आयत इनतुब्दु (उपरोक्त आयत) उतरी तो हज़-रत के मित्रों को बहुत कठिन प्रतीत हुई, तो इस पर अल्लाह

ने **'ला युकल्लेफुल्लाहो'** आयत उतार कर पहले वाली आयत निरस्त कर दी।

तफसीर मज़हरी, पारा ३, पृष्ठ १६०

यही बात हदीस मुस्लिम ने **'बाब तजावबुल्साहो अन हदीसिन नफ्से वल ख़्वात रे'** पृष्ठ २२१ में है। इसी बाब में अबु हुरेरा की हदीस है, हज़रत मुहम्मद ने कहा :—

इन्नल्लाहा तजावजा लि उम्मती मा हद्दसत बिही अनुफुसहा मालम यतकल्लमू औ यामेलु बिही।

मुस्लिम, पृष्ठ २२३

खुदा ने क्षमा कर दिया। उनको जो मेरे अनुयाई है, उनके मन में आने वाले विचारों को। जब तक कि वे वाणी से व्यक्त न करें और कार्य रूप में परिणित न करें। जलालेन पृष्ठ ४५ पर भी ऐसा ही लिखा है।

इस आयत से पाठकों को भली प्रकार ज्ञात हो जायेगा कि हज़रत मुहम्मद के मित्रों के विचार कैसे थे। पाप की भावना तो मन से उत्पन्न होती है, उसके लिये उन्होंने स्पष्ट स्वीकारा कि हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते हैं। जब हज़रत मुहम्मद ने अपने प्रधान और विश्वसनीय मित्रों के मुँह से यह बात सुनी तो तत्काल ही पहले वाली कठिन कही गई आयत को निरस्त कर एक नवीन आयत बना कर अपने मित्रों को सन्तुष्ट कर दिया। मन को वश में करने हेतु प्रसिद्ध शायर ज़ौक ने कहा है:—

बड़े मूंज़ी को मारा नफ्से अमारहा को गर मारा।
न हंगो अबदेहा ओ शेर नर मारा तो क्या मारा।

इसका स्पष्ट अर्थ है कि मुसलमानों के प्रमुख अगुवा आध्यात्म-वाद से घबराते थे और अपने मनको वश में रखने में असमर्थता प्रकट करते थे।

अल्लामा सियूती ने आगे यह आयत लिखी है :-

'**इत्ताकुल्लाहा हक्का तुकातेही,**' '**फत्ताकुल्लाह**' आयत से निरस्त हो गई, परन्तु अल्लामा ने यह भी लिखा है कि एक वचन इसके निरस्त न होने के सम्बंध में भी है।

तफसीर इत्तेकान प्रकरण ४७, पृष्ठ ५८

पहली आयत इस प्रकार है :—

बा अय्यो हल्ला जीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातेही।

कुरान, पारा ४, रकू ११/२

अर्थात–खुदा से डरो, जैसा कि उससे डरना चाहिये। बहुत से मुसलमानों की दृष्टि में यह आयत निरस्त है, क्योंकि खुदा से डरने या उसकी आज्ञाओं के पूर्ण पालन करने की क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं होती है। इसलिए खुदा ने कृपा कर इस आयत को निरस्त कर दिया और मुसलमानों के ऊपर से उक्त आयत का बोझ उठा लिया।

मजहरी ने लिखा है—बगवी ने कहा कि व्याख्याकारों का कथन है कि जब यह आयत उतरी तो सहाबा (हजरत के मित्रों) के लिये अत्याधिक कठिनाई हो गई। उन्होंने हज़रत मुहम्मद से प्रार्थना की, कि खुदा की आज्ञाएं पालन करने में

हम असमर्थ हैं, तो उस पर खुदा ने '**फत्ताकुल्लाहो**' आयत उतार कर पहली आयत के आदेश को निरस्त कर दिया।

तफसीर मजहरी, पारा ४, पृष्ठ ३१७-३१८

जिस आयत से उक्त आयत निरस्त हुई वह निम्नानुसार है:—

फत्ताकुल्लाहो मस्ततातुम वस्मऊ वा अतीऊ।

कुरआन पारा २८, सूरत तगाबुन, रकू २/१६,
अर्थात—खुदा से डरो और जो कर्म दुख के कारण हैं उनसे बचो, जिस कदर भी बच सकते हो। यह आयत इत्ताकुल्लाह आयत के आदेश को निरस्त करने वाली है।

तफसीर कादरी, भाग २, सूरत तगाबन, पृष्ठ ५४८

इस आयत से स्पष्ट है कि मुसलमानों को यह स्वतंत्रता है कि तुमसे जितना हो, सके, उतना करो।

अल्लामा सियूती ने आयत—'वल्लाजीना अकदत' को 'ओलुल अरहामे' आयत से निरस्त कहा है, अर्थात निरस्त है।

तफसीर इत्तकान, प्रकरण ४७ पृष्ठ ५६

आयत इस प्रकार है :—

वल्लाजीना अकदत ऐमानोकुम फआतूहुम नसीबहुम।

कुरआन पारा ५, सूरत निसा, रकू ५/२

अर्थात- जिन लोगों ने परस्पर मित्रता स्थापित करने में वचन-बद्धता की है। उन लोगों को अपने निश्चयानुसार सम्पत्ति का

छठा भाग दे दो । इस आयत के आदेश 'ओलुल अरहामे' के आदेश से निरस्त हो गया ।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ १६३

इस्लाम के आरम्भ में मृत की सम्पति का छठा भाग जिसके साथ वचनबन्दता की हो, उसे देना पड़ता था; परन्तु यह आज्ञा 'औलुल अरहामे' आयत से निरस्त हो गई ।

तफ़सीर मज़हरी, पारा ५ पृष्ठ ६४

दुसरी आयत (निरस्त करने वाली) इस प्रकार है :—

वा आलुल अरहामे बाजोहुम औला बेबाजिन फी किताबिल्लाह ।

कुरआन पारा १०, सूरत इन्फाल, रकू १०/६

अर्थात–कुटुम्बी लोग सम्पत्ति प्राप्त करने में अधिक अधिकारी हैं और जो किसी वचनबद्धता के कारण सम्पत्ति में से छठा भाग लेते थे । उस प्रथा को इस आयत नें निरस्त कर दिया ।

[illegible] पृष्ठ ३७७

आगे अल्लामा सियूती ने निम्न आयत लिखी है :—

वा एजा हज़रल किस्मत ओलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनो फ़रज़ोकू हुममिनहो वा कूलू लहुम कौलम्मारूफा ।

कुरआन पारा ४ रकू १/१२

अर्थात—जिस समय मृत को सम्पत्ति का बटवारा होता था, उस समय ऐसे कुटुम्बी जिनका सम्पत्ति में अधिकार नहीं होता और इनके अतिरिक्त अनाथ और असहाय भिक्षुक आदि को भी

उस सम्पत्ति से आंशिक सम्पत्ति देना चाहिये ताकि उनका मन प्रसन्न हो जाये। यह आदेश मीरासों और वसीयतों की आयत से निरस्त हो गया।

तफसीर कादरी, पारा ४ पृष्ठ १५२

मजहरी ने लिखा है कि मृत की सम्पत्ति के बटवारे के समय अनाधिकारी कुटुम्बी और अनाथ तथा असहाय लोग आ जाएँ, जिनका उस सम्पत्ति में कोई अधिकार न हो, उनको भी उस सम्पत्ति में से कुछ सम्पत्ति दान के रूप में दे दी जाये। सईद बिन जुबेर और ज़ोहाक ने कहा कि यह आयत 'युसीकुमुल्लाहो' आयत से निरस्त हो गई।

मज़हरी पारा ४ पृष्ठ ४६६

अल्लामा सियूती ने 'वल्लाती यातीना' आयत को आयत नूर से निरस्त लिखा है।

तफसीर इत्तकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ५६

आयत इस प्रकार है—

वल्लाती यातीनल फ़ाहिशता मिन्नसायेकुम फसतश्हेदू अलैहिन्ना अरबआ तम्मिनकुम, फइन शहेदू फ़अमसेकूहुन्ना फ़िल बोयूते हत्ता यतवफ़्फ़ा हुन्नलमौतो ओ यज अलल्लाहो लहुन्ना सबीला।

कुरआन, पारा ४, रकू ३।१४

अर्थात–वह स्त्रियां जो काम वासना के कारण से कुकर्म करके आती है तुम्हारी विवाहित स्त्रियों में से। तो मुस्लिम न्यायाधीशों को उनके कुकर्म प्रमाणित करने हेतु ४ साक्षी बुलाना

चाहिये। यदि यह चारों साक्षी उन स्त्रियों के व्यभिचार करने को साक्ष्य दें तो उन स्त्रियों पर दृष्टि रखो और अपने मकानों में बंद कर दो और तब तक बंद रखो जब तक कि उन्हें मृत्यु न प्राप्त हो या खुदा उनके लिये अन्य कोई मार्ग प्रस्तुत करें। फ़रिश्ते ने हज़रत मुहम्मद से कहा कि खुदा ने उन व्यभिचारी स्त्रियों के लिये मार्ग निकाल दिया है, जो इस प्रकार है:—

'असय्येबो बिसय्ये बिर्रज्में वल बिकरो बिल बिकरे मेअता जल्दा-तिन वा तग़रबो आमीन'। अर्थात पति वाली स्त्री व्यभिचार करे तो उसे पत्थरों से मार डालना और यदि अविवाहित स्त्री या पुरूष व्याभिचार करें तो सौ कौड़े मारना और नगर से बाहर निकाल देना।

तफसीर कादरी, पारा ४, पृष्ठ १५५

अर्थात-पहला आदेश इस आदेश से निरस्त हो गया। ऐसा ही तफसीर मजहरी पारा ४ पृष्ठ ५३३-५३४ में लिखा है।

तफसीर कादरी ने उपरोक्त आयत को हदीस से निरस्त होना लिखा है परन्तु अल्लामा सियूती और तफ़सीर जलालैन ने सूरत नूर की आयत से निरस्त होना लिखा है। जलालैन ने कहा **है-फलआयतो अलाहाज़ा मनसुखुतन बेआयतिल जलदे**।

जलालैन पृष्ठ ७२

अर्थात—यह उपरोक्त आयत सूरत नूर की जलद की आयत से निरस्त हुई। जलद की आयत इस प्रकार है

अज्ज़ानियतो वज़ानी फजलेदु कुल्ला वाहे दिमभिनंहुमा मेअत। जलदत।

कुरआन पारा १८, सूरत नूर, रकू १/७

अर्थात-व्यभिचारी स्त्रियाँ और पुरुष जब अविवाहित हो तो मारो प्रत्येक को सौ-सौ कोड़े। इमाम शाफेई, इमाम मालिक और इमाम अहमद ने व्यभिचारियों को कोड़े मारने के साथ नगर से वहिष्कृत कर देना चाहिये, भी कहा है। इमाम आज़म के समीप उपरोक्त आयत इसी आयत से निरस्त है।

तफसीर कादरी, पारा १८, सूरत नूर, पृष्ठ १०७-१०८

जलालेन पृष्ठ २९३ में है कि विवाहिता व्यभिचारी पर पथराव करना चाहिए और अविवाहितों को सौ कोड़े मारना चाहिए।

इसके आगे अल्लामा सियूती ने निम्न आयत लिखी है:-
इनफेरू खेफ़ाफंव्व वा सिकालम वा जाहेदू बे अमवालेकुम वा अनफुसेकुम् फी सबीलिल्लाहे जालेकुम खैरल्लाकुम इनकुन्तुम तालमून।

कुरआन पारा १०, रकू ६/१२

अर्थात—निकलो युद्ध के लिये सवार और पैदल, स्वस्थ और रोगी, युवा और वृद्ध धनी और निर्धन, शस्त्रविहीन और शस्त्रधारी, विवाहित और अविवाहित इत्यादि।

इस आयत के उतरने का कारण यह लिखा गया है कि-एक दल जो कि स्त्रीयों और सन्तानों की चिन्ता तथा सासांरिक कार्यों की गड़-बड़ी के बहाने से तबूक के युद्ध में नहीं जाना चाहता था। खुदा ने उनका बहाना स्वीकार न किया और आदेश दिया कि युद्ध के लिये सभी प्रकार के लोग निकलो और युध्द करो। अपने धन से शस्त्र खरीदो। यह बात तुम सभी के लिये युध्द में न जाने से अच्छी है।

—तफसीर कादरी, पारा १०, पृष्ठ ३९२-३९३

अल्लामा सियूती ने लिखा है कि इस आयत को आयत उज्र ने निरस्त कर दिया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७ पृष्ठ ५६

तफसीर कादरी ने लिखा है :-

'फसबिर अला मा यकूलून,' पारा १६, सूरत तवाह, पृष्ठ ४८

अर्थात—ऐ मोहम्मद ! संतोषकरो, जो मुशरिक लोग तुम्हें झूठा कहते है और कुरआन पर व्यंग करते हैं। यह संतोष की आयत तलवार की आयत से निरस्त हो गई।

आगे अल्लामा सियूती ने निम्न आयत लिखी है :—
अज्जानी ला यनकेहो इल्ला जानीयतन ।

-कुरआन. पारा १८, सूरत नूर, रकू १/७

अर्थात–व्यभिचारी पुरुष, व्यभिचारी स्त्री से विवाह करे।
इस आयत के उतरने का कारण यह है कि एक धनाढ्य स्त्री किराये के घरों में वेश्यावृति के लिये बैठती थी और दरवाजे पर चिन्हयुक्त झंडी लगाती थी। वह इस बात की सूचक थी कि जो कोई उससे विवाह करेगा वह उस पुरुष को जीवनयापन हेतु पर्याप्त धन देगी। एक मुसलमान ने लोभ में आकर उससे विवाह कर लिया। उसे लोक निन्दा से बचाने के लिये खुदा ने उपरोक्त आयत उतारी।

तफसीर कादरी, भाग २ सूरत नूर पृष्ठ १०८

यह आयत '**वा अनकेहुल अयामा मिनकुम**' आयत :--कुरआन **पारा, सूरत नूर, रकू ४/१०**, तफसीर इत्तिकान पृष्ठ ५६ में भी उपरोक्त आयत को इसी आयत से निरस्त लिखा है।

अल्लामा सियूती ने इसके आगे निम्न आयत लिखी है:- **'लेयस ताज़िनोकुम'** इस आयत के निरस्त होने में मतभेद लिखा है। कुछ लोग इस आयत को निरस्त मानते हैं और कुछ लोग इसे निरस्त नहीं मानते हैं। इस कारण हमने भी उसे छोड़ दिया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ५६

आगे अल्लामा सियूती ने कुरआन की आयत:—

' ला तहिल्लो लकन्ननिसाये कोइन्ना अहलल्ना ' लका से निरस्त बताया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ५६

आयत इस प्रकार है :—

ला यहिल्लो लकन्ननिसाओ मिम्बादो वा ला अन तबद्दला बेहिन्ना मिन अज़्वाजिव्व लो आजबका हुस्नोहुन्ना ईल्ला मा मलकत यमीनोका वा कानल्लाहो अला कुल्लेशैय इर्रकीबा।

कुरआन, पारा २२, रकू ६/३

हज़रत मोहम्मद को सम्बोधित कर कहा गया है अर्थात- तेरे लिये इन ६ स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से विवाह करना उचित नहीं है, भले उनका सौंदर्य कितना ही आकर्षक हो। और तेरे लिये इन ६ स्त्रियों की वही स्थिति है जो अन्य मुसलमानो के लिये ४ स्त्रियों की है परन्तु जो स्त्री तेरे अधिकार में आये और युद्ध में तेरी वस्तु हो जाये उसे अपने अधिकार में रख सकता है।

तफसीर कादरी, पारा २२, पृष्ठ २६६

(हज़रत मुहम्मद की विवाहित ६ पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं— (१) हज़रत सूदह (२) हफसा (३) उम्मे सलमा (४) जैनब (५) उम्मे हबीबह (६) जुवेरीया (७) सफीया (८) मेमुना और (६) आयशा ।)

उपरोक्त आयत निम्नलिखित आयत से निरस्त हो गई—

या अय्यो हन्नबिय्यो इन्ना अहललना लका अज़वाजाकल्लति आतैता अजूराहुन्ना वा मा मलकत यमीनोका मिम्मा अफा अल्लहो अलैका वा बनाते अम्मेका वा बनाते अम्मातेका वा बनाते खालेका वा बनाते खालातेकल्लाती हाजर्ना मअका वमर आहतम्मो मोमिन तन इंव्वहबत् नफ्सहा लिन्नबिय्ये इनअरादन्नबिय्यो अंय्यसतन-कहेहा खालिसतल्लका मिन दूनिल मोमेनीन ।

कुरआन पारा २२, रकू ६।३

अर्थात-ऐ नबी (हज़रत मुहम्मद) ! तेरे लिये तेरी पत्नियाँ जिनको तूने उनका मैहर दे दिया है, उनको वैधानिक कर दिया है और इसी प्रकार तेरी लौंडियों को भी, जो तेरे अधिकार में आई है, वैधानिक कर दिया है। अर्थात-जो लौंडियाँ तुझे लूट में प्राप्त हुई है जैसे सफ़िया और रेहाना, और वैधानिक कर दी है तेरे लिये, तेरे चचा की बेटियाँ, तेरे फूफीयों की बेटियां और तेरे मामा की बेटियाँ, तेरी मासी की बेटियाँ और वे स्त्रियाँ जिन्होंने तेरे साथ हिजरत (वतन छोड़ कर तेरे साथ गई) की है, हलाल हैं ।

उपरोक्त आयत का आदेश हज़रत मुहम्मद के लिये विशेष है। (इससे सम्बंधित एक उदाहरण है) उम्मेहानी ने कहा

कि हज़रत मुहम्मद ने मुझे विवाह का संदेह दिया और मैं उनकी पत्नि न बन सकी; क्योंकि मैं हिजरत में उनके साथ न थी) और इसके अतिरिक्त ऐसी मुसलमान स्त्री भी जो अपने आपको पैगम्बर (हज़रत मुहम्मद) को समर्पण कर दे। यदि पैगम्बर उससे विवाह करना चाहे, तो कर ले। यह आदेश सब मुसलमानों के लिये न होकर केवल तेरे लिये ही विशेष है।

अर्थात—हज़रत मुहम्मद की विशेषता में यह बात है कि केवल समर्पण मात्र से ही आप बिना मैहर और बिना निकाह के भी उस स्त्री पर अधिकार कर पत्नि बना सकते हैं। इमाम आज़म का कथन है कि हिबा (समर्पण) के शब्द से ही निकाह बँध जाता है किन्तु मैहर आवश्यक है। इस बात में मुसलमानों का मतभेद है कि यह समर्पण की प्रक्रिया किसी पत्नि के साथ हुई। प्रसिद्ध यह है कि यह प्रक्रिया हज़रत जैनब बिन्ते हज़ीमा के साथ हुई अथवा हज़रत खौला बिन्ते हकीम अथवा हज़रत मेमूना बिन्ते हारस या हज़रत उम्मे शरीक बिन्ते जाबर आदि के साथ हुई।

तिबयान कबीर, में कहा है कि हज़रत उम्मे सहल से, जो बनीअसद के परिवार में से थी और यदि हिबा (समर्पण) करने वाली जैनब थी तो उनका आत्म समर्पण रमज़ान में तीसरी हिजरी में हुआ और ८ महीने हज़रत मुहम्मद की पत्नि के रूप में रहकर मृत्यु को प्राप्त हो गई।

किन्तु इतिहासकार कहते हैं कि यह आत्मसमर्पण उम्मे शरीक ने भी किया। वास्तव में हमने जो अनिवार्य किया है उसे जाना है। मुसलमानों को ४ पत्नियाँ रखना और उनके अतिरिक्त लौंडियों को रखना भी है।

ऐ हमारे मित्र (हज़रत मोहम्मद) ! हमने तुम पर आत्मसमर्पण करने वाली स्त्रियों को इसलिए वैधानिक ठहराया ताकि तुम्हें कठिनाई न हो ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २६७-२६८

इस आयत से उपरोक्त आयत निरस्त होगई । उस आयत में यह कहा गया था कि वर्तमान ९ पत्नियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को पत्नि नहीं बना सकते किन्तु इस आयत में यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई स्त्री तुझे आत्मसमर्पण कर दे तो उसे तू अपनी पत्नि बना सकता है । अतः इस आयत ने उक्त आयत को निरस्त कर दिया ।

हज़रत मुहम्मद के अधिकार सम्बंधी आवश्यक आयत :—

तुर्जी मनतशाओ मिनहुन्ना वा तोवी एलैका मनतशाओ वा मनिब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाहा अलैका ज़ालेका अदना अन तकर्रा आयुनुहुन्ना वा ला यहज़न्ना वा यर्जैना बेमा आतेताहुन्ना कुल्लोहुन्ना ।

कुरआन पारा २२, रकू ६।३

अर्थात-हज़रत मुहम्मद को कहा गया है कि अपनी पत्नियों में से जिसे तू चाहे उसे पीछे रख और जिसे तू चाहे अपने साथ रख । वसीत में है कि इस आयत के कारण पत्नियों में सहवास की पद्धति समाप्त हो गई । ज़ादल मसीर में लिखा है कि हज़रत सूदह के अतिरिक्त हज़रत मुहम्मद ने सभी पत्नियों के साथ सहवास हेतु क्रमबद्धता की परिपाटी को बनाये रखा । हज़रत सूदह को इस परिपाटी में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया

कि उसने अपना सहवास क्रम के समय को आयशा को दे दिया था। साहबे कशाफ़ ने कहा है कि हज़रत मुहम्मद ने अपनी ५ पत्नियों को अलग रखा, हज़रत सूदह, सफीय्यह जुवैरिया, मेमूना और उम्मे हबीबा और न इनके सहवास क्रम को बनाये रखा। जब चाहते, जिस प्रकार चाहते अपनी ४ पत्नियों को अपने साथ रखते जिनमें हज़रत आयशा, हज़रत हफसह, उम्मे सलमा और जैनब।

खुदा ने कहा कि ऐ मुहम्मद ! जिसको तुम चाहो बुलाओ और मन प्रसन्न करो और उनमें से जिनसे एक और रहते हो, जिन्हें पृथक रखते हो तो तुम पर इस कारण कोई आरोप नहीं है। इत्यादि............

तफ़सीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २६८

इसी आयत के सम्बंध में तफसीर हक्कानी ने लिखा है कि इस आयत के अर्थों के सम्बंध में मुस्लिम विद्वानों में मतभेद है। अधिक विद्वानों का कथन है कि यह आयत रात्रि सहवास के सम्बंध में है। इसमें आपको (हज़रत मुहम्मद) स्वतन्त्रता है कि जिस पत्नि को चाहो उसके साथ शयन करो या न करो। यह एक विशेष आदेश हज़रत मुहम्मद के लिये था। रात्रि सहवास में हज़रत मुहम्मद के लिये यह आवश्यक न था कि वे समस्त पत्नियों के साथ रात्रि सहवास हेतु समान व्यवहार करे।

हज़रत आयशा का कथन है कि मैं उन स्त्रियों से घृणा रखती थी जो कि स्वयँ आत्मसमर्पण कर देती थीं किन्तु जब यह 'तुरजी मन्तशओ' आयत उतरी तो मैंने कह दिया कि या हज़रत (मुहम्मद) अल्ला तेरी प्रतिष्ठा रखने में बहुत शीघ्रता करता है।

इब्ने जरीर कहते हैं कि जब हज़रत मुहम्मद की पत्नियों ने हज़रत साहब को भोजन-वस्त्र के सम्बंध में तंग करना आरम्भ किया तो वे अप्रसन्न होकर १ माह तक सब पत्नियों से पृथक हो गये । तब यह उपरोक्त आयत हज़रत मुहम्मद को पूर्ण स्वतन्त्रता हेतु उतरी । तब आपने सबसे कह दिया कि यदि परलोक चाहती हो तो मैं जिस स्थिति में रखूँ उसे स्वीकार करो और तुम्हारा अभिप्राय संसार से हो तो आओ मैं तुमको तलाक (सम्बंध विच्छेद) दे दूँ । सब पत्नियों ने परलोक को स्वीकार किया ।

अल्लामा शाबी आदि कहते हैं कि यह आयत तलाक सम्बंधी है, और हसन का कथन है कि उक्त आयत विवाह सम्बंधी है । जिससे आप चाहे विवाह करे । आपको विवाह की पूर्ण स्वतन्त्रता है । इसी आधार पर मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि यह आयत इसके पूर्व लिखी आयत को निरस्त करने वाली है । पूर्व में लिखी गई आयत **'ला योहिल्लो लका'** वाली है ।..........इसी आधार पर कुछ मुस्लिम विद्वान इस आयत को हदीस (सुन्नत) से निरस्त कहते हैं ।

तफसीर हक्कानी, पारा २२, पृष्ठ २१ से २३

हज़रत मोहम्मद की जो पत्नियाँ रूष्ट हो गई थी । जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि हज़रत मुहम्मद को इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है कि वे चाहे जिस पत्नि को साथ रखें या चाहे जिसे पृथक रखें । यह सब खुदा का आदेश है ।

तफ़सीर कादरी पृष्ठ २६६

इस आयत के निरस्त होने के सम्बंध में एक विशेष रहस्य यह है कि जो निरस्त करने वाली आयत है वह पहले है और जो

आयत निरस्त की गई वह बाद में है। सिराजे मनीर में लिखा है कि— '**आह ललना लक़ा**' आयत के सम्बंध में यह कहा

जाये कि जैसे—**फाइनकीला हाजेहिल आयता मुतकद्दमतुन वा शरतुननासिखो अंय्यकूना मुतअख्खेरुन**, इत्यादि।

तफ़सीर सिराजे मुनीर, भाग ३, पारा २२, पृष्ठ २६४

अर्थात—यदि कहा जाये कि निरस्त करने वाली आयत पहले है और निरस्त होने वाली आयत बाद में है तो इसका उत्तर यह है कि वह उतरने में पीछे है और पढ़ने में पहले है। (सिराजे मुनीर के व्याख्याकार ने बिना किसी आधार के अपनी ओर से मनगढ़न्त व्याख्या कर दी)

तफ़सीर जलालैन पृष्ठ ३५६ में है— '**हाजेहिल आयतो मनसूख़तुन बिल आयतिस्साबिकते**'—अर्थात यह आयत पहली आयत से निरस्त हो गई। अल्लामा सियूती ने भी ऐसा ही कहा है, जिसे हम आगे उद्धृत करेंगे।

अल्लामा सियूति ने आगे निम्न आयत लिखी है :—

'**लैसा अलल जामा हरजुन**' कुरान पारा १८, सूरत नूर, रकू ६/१५ को '**लैसा अलरसोफाए**' आयत ने निरस्त कर दिया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ५६

इसके आगे आयत '**इनफिरू फ़ी सबीलिल्लाहे**' कुरआन पारा १०; सूरत तोबा, को आयत '**मा कानल मोमिनुना लयनफ़रू काफ़तन**' ने निरस्त कर दिया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ५६

अल्लामा सियूति ने लिखा है-'**वा ऐजा नाजेतोमुर्रसुलो फकद्द मू**' आयत को उससे पीछे वाली आयत ने निरस्त कर दिया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७ पृष्ठ ५६

आयत इस प्रकार है :—

या अय्योहल्ला ज़ीना आमनू इज़ा नाजेतोमुरसूले फ़कद्दे मू बैना यदै नजवाकुम सदक़त।

कुरआन. पारा २८. सूरत मुजादला रकू २।२

इस आयत के सम्बंध में कहा गया है कि लोग हज़रत मुहम्मद को अत्याधिक असमंजस में डालते थे और कई प्रकार के प्रश्नोत्तार करते, जिनसे आप तंग आ गये तो यह उपरोक्त आयत उतरी। इस आयत का अर्थ यह है—ऐ मुसलमानों जब कोई विचार विमर्श हज़रत मुहम्मद से करना चाहो तो उससे पहले कुछ भेंट करो, यह भेंट देना बहुत पवित्र है। यदि भेंट के लिये कोई वस्तु न हो तो खुदा क्षमा करने वाला है, उसको जो पाप या अपराध करे। हदीस में है कि यह भेंट देने का नियम १० दिन तक रहा। हज़रत अली के पास सोने का एक दीनार था, आपने उसे भुना कर १० दिर्म प्राप्त किये और एक दिर्म प्रतिदिन हज़रत मोहम्मद को भेंट कर उनसे विचार विमर्श करते रहे (यह क्रम १० दिन तक चला) और हज़रत अली के अतिरिक्त और किसी अन्य ने इस आदेश का पालन न किया।

—तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५१६

तब उपरोक्त आयत को निरस्त करने हेतु निम्न आयत उतरी:-

आ अशफक्तुम अन तुकद्दे मू बैना यदै नजवाकुम सदकात।

कुरआन पारा २८, सूरत मुजादिला, रकू २/२

अर्थात—क्या तुम भयभीत हुए और भेंट देने में कठिनाई आई और जब तुमने भेंट न दी तो फिरा अल्लाह तुम पर तौबा के साथ अर्थात तुम्हें क्षमा किया इत्यादि।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५१६

(दुख की बात है कि खुदा का यह आदेश १० दिन से अधिक न चल सका और खुदा को अपना आदेश स्वयं ही वापिस लेना पड़ा)

इसके आगे अल्लामा सियूती ने निम्न आयत लिखी है:—

'फ़ातुल्ला ज़ीन ज़हवत् अज़वाजो हुम्मिरला मा अनफ़कू'

कुरआन पारा, २८, सूरत मुम्तहिन्नाह रकू २।८

अर्थात—पस दो उन लोगों को जिनकी औरतें काफिरों के पास चली गई है और उन लोगों को उन काफिर पतियों से औरतों का मैहर न मिला हो। इब्ने अब्बास ने लिखा है कि ६ मुसलमान औरतें काफिरों के पास चली गईं (काफिरों द्वारा मैहर न देने पर) तो हज़रत मुहम्मद ने उनके मैहर उनके मुसलमान पतियों को लूट के माल में से दिये यह आदेश उस समय तक था जब मुसलमानों की काफिरों के साथ संधि रही थी और उसके पश्चात यह आदेश निरस्त हो गया।

तफसीर कादरी, पारा २८, पृष्ठ ५३४

इस सम्बंध में तब तक स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होगा जब तक कि निम्न कथा को आप न पढ़ लें। कथा इस प्रकार है:—

हदीबा में जब मुसलमानों और कुरैश (काफिरों) में संधि हुई तो संधि के अनुबंध में एक यह बात भी थी कि जो

मुसलमान मक्का से मदीना में आये, हज़रत मुहम्मद उन्हें काफिरों में भेज दें और यदि कोई मुसलमान मदीना से मक्का में जाये तो कुरैश उसे नहीं लौटायेंगे। अभी हज़रत मुहम्मद हदीबा में ही थे कि मुसलमानों सा एक दल मक्का से भाग कर उनके पास आ गया। उस दल में एक स्त्री सबीआह असल-मिया भी थी। उसके पीछे-पीछे उसका पति मुसाफिर मखज़ूमी भी पहुँचा और उसने यह बात कही कि संधि में एक यह शर्त भी थी कि हममें से जो कोई तुममें आ जाये तुम उसे वापिस कर दोगे। इस पर हज़रत जिब्रील उतरे और यह बात कही कि या रसूलिल्लाह! संधि की वह शर्त तो केवल पुरूषों के लिये है, वह स्त्रियों पर लागु करना उचित नहीं। क्योंकि मुसलमान औरत को मुशरिक के हवाले करना उचित नहीं।

तफसीर कादरी, भाग २, पारा २८, पृष्ठ ५३३

तफसीर इत्तिकान में लिखा है कि उपरोक्त आयत. तलवार की आयत से निरस्त है और दुसरा कथन यह है कि यह लूट की आयत से निरस्त है। तीसरा कथन यह भी है कि यह निरस्त नहीं है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ५६-६०

आगे अल्लामा सियूती ने रात्रि की नमाज़ के सम्बंध में लिखते हुए निम्न आयत उद्घृत की है।

या अय्योहल मुज्ज़म्मिलो कोमिल्लैला इल्ला कलिलान्नस्फहू अविनकुस मिन्हो कलीला।

कुरआन पारा २९, सूरत मुज़ज़म्मिल

अर्थात—ऐ वस्त्र ओढ़ने वाले (सम्बोधन हज़रत मोहम्मद को) नमाज़ पढ़ आधि रात भर किन्तु कुछ देर तक, आधी रात या उससे कुछ कम देर तक या आधे से ज्यादा जितना चाहो कर लो। यह एक चौथाई रात से कुछ अधिक समय हुआ। इस आयत के आदेश से हज़रत मुहम्मद और उनके अनुयाईयों के लिये पहले रात को नमाज़ अनिवार्य थी किन्तु बाद में उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया। बगवी का कथन है कि रसूलिल्लाह के साथ उनके मित्र रात की नमाज पढ़ते थे किन्तु किसी को यह ज्ञात न होता था कि तिहाई रात और आधी रात तथा दो तिहाई रात कब हुई। इस प्रकार सारी रात्रि नमाज़में व्यतीत होती थी, इस शंका में कि कहीं अनिवार्य अवधि में भूल न हो जाये। यह रात्रि की नमाज़ हज़रत के मित्रों को अत्याधिक कष्ट प्रद होती थी। यहाँ तक कि उनके पावों में सूजन आ गई थी। अतः खुदा ने कृपा कर अपने आदेश में कमी कर दी और आयत '**फकरू मा तयस्सरा मिन्हो**' से इस उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। पढ़ जो आसान हो उससे।

तफ़सीर मज़हरी, सूरत मुज़म्मिल, पारा २६, पृष्ठ १५३

इतनी आयतों को लिख कर अल्लामा सियुती ने अपनी सम्मत्ति के अनुसार लिखा कि यही २० या २१ आयतें कुरआन में निरस्त हुई है, और इसके आगे एक आयत और लिखी जा इस प्रकार है—

'फऐनमा तवल्लु फसम्मा वज़्हुल्ला'

अर्थात—जिस ओर तुम अपना मुँह करो उसी ओर खुदा का मुँह है यह उपरोक्त आयत कुरआन की निम्न आयत '**फ़वल्ले**

वज्हका शतरल मरजदिल हराम' अर्थात जहां भी तुम हो, अपने मुँह को मक्का की ओर फेर लो (याने नमाज मक्का की ओर मुँह करके पढ़ा करो) इस आयत से उपरोक्त आयत निरस्त हो गई। यह प्रसिद्ध आयतें हैं, हम पहले लिख चुके हैं।

उपरोक्त जितनी भी निरस्त आयतें उद्धृत की गई है, उनमें से भी अल्लामा ने दो आयतें निकाल कर कुल २० आयतें निरस्त लिखी हैं, जिन्हें एक कविता में लिख दिया गया है।

यहां पर अल्लामा सियूती ने २० या २१ आयतें निरस्त लिखी है; परन्तु कुरान के सम्बंध में अल्लामा सियूती ने २ पुस्तकें और भी लिखी है जिनमें से एक का नाम **'तफसीरुल कुरआनुल अजीम'** ' हैऔर इसी पुस्तक के अन्तर्गत एक दुसरी पुस्तक जिसका नाम **'लबाबन नकूल फी असबाबिल नजूल**, है। इसमें एक भाग 'मन्सुख' (निरस्त) का भी लिखा है। जिसमें केवल सूरत बकर में ही २६ आयतों को निरस्त होना लिखा है और सूरत निसा में २४ आयतों को निरस्त लिखा है। इस प्रकार इन दोनों सूरतों में ही ५० आयतों का निरस्त होना उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण कुरआन में भी बहुत सी आयतों का निरस्त होना लिखा है। हम उन समस्त प्रमाणों को इस निरस्त प्रकरण के अंत में उपसंहार के रूप में लिखेंगे ताकि यह बात स्पष्ट हो जाये कि सम्पूर्ण कुरआन में कितनी आयतें निरस्त है, परन्तु तफसीर इत्तकान में ही आगे चल कर इसी प्रकरण में निरस्त आयतों के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की सम्मत्ति लिखी है, जिसका अल्लामा सियूती ने विरोध नहीं किया है। उन निरस्त आयतों के लिखने के पूर्व इस विषय को इस प्रकार आरम्भ किया है। आप (अल्लामा) लिखते हैं कि

यदि तुम यह प्रश्न करो कि जिन आयतों के आदेशों को निरस्त कर दिया है तो उनके पढ़ने की आज्ञा क्यों प्रचलित है? तो इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। प्रथम तो यह कि कुरआन खुदा की वाणी है जिसके पढ़ने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और दुसरा यह कि आयत पढ़ने वालों को यह ज्ञात हो जाये कि खुदा ने कृपा कर हमें कठिन आदेशों से मुक्त कर दिया है।

इस्लाम के आरम्भ में पहले मज़हबों की आज्ञाएँ भी प्रचलित थी, जैसे यरूशलम की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़ना और मोहर्रम के १० रोज़े रखना। यह दोनों आज्ञाएँ निरस्त हो गई।

आगे अल्लामा ने कहा है कि कुरआन में कोई निरस्त करने वाली ऐसी आयत नहीं कि जिसको उसने निरस्त किया हो वह पहले हो किन्तु दो आयतें इसके अपवाद स्वरूप है। एक सूरत बकर में 'इद्दत' (अवधि) की आयत और दुसरी आयत 'लातहिल्लो लकुम निसाओ' है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है।

कुछ विद्वानों ने एक तीसरा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जो कि 'सूरत हशर' का है। सूरत हशर की आयत को 'सूरत अनफाल' की आयत '**वालम इन्नामा गनिमतुममिन शैईन**' के द्वारा निरस्त माना है। कुछ अन्य लोगों ने 'खुजिल अफ्वे' अर्थात उन लोगों की सम्पत्ति की बढ़ोत्तरी ले लो। यह चौथा उदाहरण निरस्त करने वाली आयत के पहले आने के सम्बंध में है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६१

उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में हमारा यह कथन है कि यदि पुण्य प्राप्ति के लिये निरस्त आयतों को कुरआन में रखा गया है तो 'अश्शैखो वश्शैखतो' आदि कई आयतों को कुरआन से क्यों निकाला गया। क्या उनके पठन-पाठन से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती थी। इत्यादि

इसके आगे अल्लामा सियूती ने इब्नुल अज़ली के कथन को उद्धृत किया है—कि कुरआन में जितने स्थानों पर काफिरों से सहन करने और उनकी और से मुँह फेरने की और उनसे मौन रहने की शिक्षा दी उन है, वह सब आयतों के आदेश **'तलवार'** की आयत से निरस्त हो गये हैं। इस तलवार की आयत ने १२४ आयतों को कुरआन में निरस्त किया है और फिर उसके अंतिम भाग ने प्रथम भाग को भी निरस्त कर दिया है। सैफ़ की आयत इस प्रकार है:—

फएज़न सलख़ल अश्होरूल हुरोमो फक्तोलुल मुशरेकीना हेसो वजत्तुमूहुम वा खुज़ूहुम वक्ओदू लहुम कुल्ला मरसदिन फ़इन ताबू वा अकामुस्सलाता वा आ तुज़ जकाता फखल्लु सबीलहुम।

कुरआन, पारा १०, रकू १/७ सूरत तोबा

अर्थात—जब युद्धबंदी के मास समाप्त हो जायें। पस मारो मुशरकों को, जहाँ पाओ उनको, पकड़ो उनको और घेरो उनको और बैठो उनके लिये हर गुप्त स्थान पर, पस यदि वे पश्चाताप करें और नमाज को स्वीकार करे और ज़कात दिया करे तो उनका मार्ग छोड़ दो (अर्थात वे इस्लाम स्वीकार कर ले तो उन्हें छोड़ दो अन्यथा घेरे रहो)

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, प्रकाशित मालिक दीनमोहम्मद द्वारा

अल्लामा सियूती के इस उद्घृन से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इस उपरोक्त आयत ने कुरआन की १२४ आयतों को निरस्त किया है।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६२

आगे चल कर अल्लामा सियूती ने लिखा है कि इब्ने अरबी ने निरस्त सम्बंधी एक विचित्र आयत प्रस्तुत की है। आयत 'खुजिल अफवे' (इसे हम पूर्व में लिख चुके हैं) है। इसका प्रथम भाग और अंतिम भाग दोनों निरस्त हैं परन्तु मध्यवर्गीय भाग 'वामूर बिल मारूफे' यह निरस्त नहीं है। इसके आगे एक और आयत लिखी है, जिसका प्रथम भाग निरस्त है और अंतिम भाग निरस्त करने वाला है। कुरआन में ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं हैं यह आयत इस प्रकार है:—

अलैकुम अनफुसकुम ला यजर्रोकुम्मन ज़ल्ला ऐज़ह तदैतुम इलल्लाहे।

कुरआन, पारा ७, रकू १४/४

अर्थात—जब कि तुमने भले कामों की आज्ञा देने और बुरी बातों से मना करने के साथ सन्मार्ग पाया तो फिर किसी और व्यक्ति का पथभ्रष्ट होना तुम्हारे लिये हानिदायक नहीं हो सकता। आयत के अंतिम भाग ने इस प्रथम भाग 'अलैकुम अनफुसकुम' को निरस्त कर दिया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६२

उपरोक्त आयत भी एक विचित्रता लिये हुए है कि इसी एक आयत में ही आयत का प्रारम्भ, आयत के अंत से निरस्त हो जाता है।

इसके आगे अल्लामा सियूती ने सईदी का कथन इस प्रकार लिखा है:—

कुलमा कन्तो विदअम्मिनरूसुले वा मा अदरी मा युफ़अलो बी वा ला बिकुम इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलय्या दा मा अना इल्ला नज़ीरूम्मुबीन।

कुरआन, पारा २६, सूरत अह्काक, रकू १/१

अर्थात—ए मुहम्मद ! कह दो कि मैं पैगम्बरों में से नया नहीं आया मुझसे पूर्व भी पैगम्बर आ चुके हैं। तुम मेरी पैगम्बरी से क्यों इन्कार करते हो ? और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जायेगा...........और मैं यह भी नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा। धरती में समा दिये जाओगे या आंधी और भूचाल से समाप्त किये जाओगे या कत्ल और कैद किये जाओगे ? मुआलिम में है कि इस आयत के उतरने के पश्चात मुशरिक प्रसन्न हुए और बोले कि हमारा और मुहम्मद का काम खुदा के समीप एक जैसा है, जैसे हम अपना अंतिम परिणाम नहीं जानते वैसे वह भी नहीं जानता। यदि वह खुदा की ओर से पैगम्बर होता तो खुदा अवश्य ही उसे उसके अंतिम परिणाम की जानकारी देता। इस आयत को निरस्त करने हेतु निम्न आयत उतरी:—

'लियग़फिरो लकल्लाहो' तफसीर कादरी, पारा २६, पृष्ठ ४२६-४२७ उक्त पूरी आयत इस प्रकार है :—

लियग़फिरा लकल्लाहो मा तकद्दमा मिन जम्बेका वा मा तअख्खरा वा युतिम्मा नेमतहु अलैका वा यहदे यका सिरा तम् मुस्तकीमा

कुरआन पारा २६, रकू १/६ सूरत फतह

अर्थात—(खुदा) तेरे लिये क्षमा करे जो कुछ तेरे अपराधों से पूर्व हुआ था और जो कुछ पश्चात हुआ। क्यों कि पूरी करे तुझ पर अपनी नैमत (उत्तम पदार्थ) और तुझे सन्मार्ग दिखाए।

अनुवाद-शाह रफीउद्दीन

उपरोक्त प्रथम आयत के सम्बंध में सईदी ने लिखा है कि १३ वर्षों तक यह आयत प्रभावशील रही और इसके पश्चात सूरत फतह की यह उपरोक्त दुसरी आयत उतरी। परिणाम-स्वरूप प्रथम आयत निरस्त हो गई।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७ पृष्ठ ६२

जलालैन ने भी पृष्ट ४१६ पर इसी उपरोक्त आयत से उक्त आयत का निरस्त होना लिखा है।

इसके आगे अल्लामा सियूती ने शैदला की 'किताबुल बुरहान' के आधार पर लिखा है कि निरस्त करने वाली आयत को भी निरस्त करना उचित है। इसका उदाहरण है—**लकुम दीनोकुम वलेयादीन**। इस आयत को कुरआन की आयत '**उकतोलुल मुशरेकीना**' ने निरस्त कर दिया और फिर इस आयत को भी कुरआन की इस आयत '**हत्ता योतुल जिज़यता**' ने निरस्त कर दिया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७ पृष्ठ ६२

इसी प्रकार का एक और अन्य दुसरा उदाहरण लिखा है- '**इनफेरू ख़फ़ाफ़न वासेकालन**' ने आयत '**कपफा**' को निरस्त

कर दिया और यही आयत स्वयम् आयत **उज़र** के साथ निरस्त हो गई ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६३

(उपरोक्त आयत को हम पूर्व में लिख चुके हैं)

इसके आगे अल्लामा ने अबू उबैद के आधार पर लिखा है और अबू उबैद ने हसन और अबी मेसरा से वर्णन किया है कि सूरत मायदा में कोई आयत निरस्त नहीं है किन्तु इसका विरोध, मुस्तदरिक के वर्णन से जो उसने इब्ने अब्बास के कथन की उद्धृत किया है, आता है ।
आयत इस प्रकार है :—

'**फ़हकुम बैनहम औ आरिज मिनहम**' इस आयत को **अनेहकुम मिनहम बिमा अन्ज़लल्लाहो**' ने निरस्त कर दिया है । (इन आयतों को भी हम पूर्व में लिख चुके हैं)

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६३

इसके आगे सूरत ग़ाफिर की एक आयत लिखी है, जो इस प्रकार है-'**वल मलायेकतो योसब्बेहूना बेहम्दे रब्बेहिम**' इत्यादि । यह आयत '**लयसतग़फिरोना लेमन फिलअरज़**' आयत को निरस्त कर देती है ।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ४७, पृष्ठ ६३

अल्लामा सियूती ने कुरआन की आयतों के निरस्त होने के सम्बंध में यहीं तक लिख कर प्रकरण समाप्त कर दिया परन्तु हम इस विषय निरस्त प्रकरण को कुरआन के अन्य व्या-

व्याकारों के माध्यम से आगे लिख रहे हैं और यह भी प्रयास करेंगे कि जिन १२४ आयतों को आयते सैफ ने निरस्त कर दिया है, उनकी खोज कर जहाँ तक सम्भव हो, उन्हें भी यहाँ प्रतिपादित किया जाये, और अल्लामा सियूती ने अपनी पुस्तक 'लबाबुन नकूल' में जिन निरस्त आयतों की सूचि लिखी है, उसे हम अंत में लिखेंगे (जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं)

अन्य व्याख्याकारों के आधार पर निरस्त आयतें

जहाद के सम्बंध में जब मुसलमानों से कहा जाता है कि कुरआन में अन्य मज़हबों के लिये मारने-काटने का विस्तृत वर्णन है तो यह उत्तर देते हैं कि कुरआन में ऐसा नहीं है अपितु कुरआन तो उनसे लड़ने की आज्ञा देते हैं, जो मुसलमानों से लड़ते हैं। इस सम्बंध में निम्न आयत बताते हैं। आयत इस प्रकार है :—

वा कातेलु फी सबीलिल्ला हिल्लाज़ीना योकातेलूनाकुम वा ला तातदू इनल्लाह ला योहिब्बुल मौतदीन। इत्यादि।

कुरआन, पारा २, रकू २४/८

अर्थात—युद्ध करो खुदा के रास्ते में उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं और सीमा का उल्लंघन न करो, अर्थात जब तक वे युद्ध आरम्भ न करे तब तक तुम भी युद्ध मत करो।

कादरी पृष्ठ—४६ पारा २

इस आयत के सम्बंध में हम पहिले भी लिख चुके हैं कि यह आयत निरस्त हो चुकी है। लबाबन नकुल में भी इस आयत को निरस्त ही लिखा है। तफसीर मजहरी ने इस आयत के सम्बंध

में लिखा है कि इस्लाम के आरम्भ में खुदा ने अपने रसूल को मुशरिकों को कत्ल करने से रोक दिया था किन्तु जब रसूल मदीना चले गये थे तो उपरोक्त आयत में यह आदेश दे दिया कि जो तुमसे युद्ध करें तुम उनसे युद्ध करो। इसके पश्चात यह आज्ञा हुई कि **'उकतुलुल मुशरेकीना काफतन'** अर्थात समस्त मुशरिकों (काफिरों) को कत्ल करो, चाहे उनमें से कोई तुमसे युद्ध करे या न करें। इस आयत से उपरोक्त आयत निरस्त है। इस सम्बन्ध में एक और आयत **'वक्तोलुहुम हैसो सकिफ्तोमुहुम'** अर्थात–मार डालो उनको तुम जहाँ कहीं पाओ। मकातलबिन हवान का कथन है कि यह आयत **'ला तुकातेलूहुम'** से निरस्त है।

तफसीर मज़हरी, पारा २, पृष्ठ ३६३

तफसीर मज़हरी का यह भी कथन है कि कुछ व्याख्याकारों की सम्मत्ति है कि मक्का में कत्ल (युद्ध) करना आरम्भ में उचित नहीं था। फिर यह आयत **'कातेलुहुम हत्ता लातकुना फितनातुन'** अर्थात–(लड़ो उन लोगों से यहाँ तक कि यह फसाद शेष न रहे) से उक्त आदेश निरस्त हो गया। मकातल ने कहा कि उस आदेश को **सूरत बराअत** की **आयते सैफ** ने निरस्त कर दिया।

तफसीर मजहरी, पारा २, पृष्ठ ३६४

इसी आयत की व्याख्या करते हुए फसाद शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—और युद्ध करो उनसे यहां तक कि फसाद बाकी न रहे (अर्थात—एक खुदा का तरीका रह जाये) फितना से अभिप्राय शिरक और फसाद है और युकुनुद्दिनों से एक खुदा की आज्ञाओं का पालन करना तथा उसी की उपासना रह जाये। इब्ने उमर ने कहा है कि रसूलिल्लाह (हज़रत मुहम्मद) ने

कहा कि मुझको युद्ध करने का आदेश दिया गया है जब तक के लिये कि लोग इस बात की साक्षी दें कि अल्लाह के अलावा और कोई उपास्यनीय नहीं और मुहम्मद खुदा के सच्चे रसूल हैं तथा नमाज़ पढ़े और ज़कात दें। जब लोग उक्त आज्ञाओं को पालन कर लेंगे तो वे अपनी जान व माल को मुझसे बचा लेंगे किन्तु उनके जान व माल में यदि कोई इस्लाम का अधिकार होगा तो उसे प्राप्त किया जायेगा और उनका हिसाब अल्लाह पर है। इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम ने बयान किया है। अल्लामा बग़वी का कथन है कि मूर्तिपूजकों से इस्लाम ही स्वीकार कराया जाये। यदि इस्लाम ग्रहण करने से इन्कार करें तो उन्हें क़त्ल कर दिया जाए।

तफसीर मज़हरी, पारा २, पृष्ठ ३६५

हमारे कथनानुसार तात्पर्य यह है कि जहाद सम्बंधी आदेश 'जो तुमसे लड़े तुम उनसे लड़ो' इस्लाम के आरम्भ में था किन्तु बाद में यह आयत निरस्त हो गई और यह आदेश 'कोई तुमसे लड़े या न लड़े किन्तु तुम उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वे इस्लाम के सिद्धांतों को स्वीकार न कर लें'। इसी प्रकार की एक और आयत है, जिसको विनोबा भावे जैसे इस्लाम की परिभाषा से अपरिचित लोग यह कहने लगते हैं कि इस्लाम, मज़हब शक्ति प्रयोग के पक्ष में नहीं है। आयत इस प्रकार है—

ला इक्राहा फिद्दीन क़त्तबय्य नर्रुश्दो मिनल्ग़य्य।

कुरआन, पारा ३, रकू ३४/१

इस आयत के सम्बंध में मुस्लिम (कुरान के) व्याख्या-

कारों ने कहा है कि इस आयत का आदेश आयते कताल से निरस्त हो गया है।

तफसीर कादरी पारा ३, पृष्ठ ७७,

तफसीर जलालेन पृष्ठ ४० में है **'वा यह तमेलो इन्नहू मनसूखतुन बेआ यतिल कताले।**

अर्थात—उक्त आयत, आयते कताल से निरस्त है।

ऐसे ही लबाबन नकुल पृष्ठ १३६ पर लिखा है **'कौलहू तआला ला इकराहा फिद्दीन मन मूखतुन वा नासिखेहा कौलुहू तआला फक्तोलुल मुशरेकीना हैसो वजत्तोमूहुम।**

अर्थात—खुदा के **कथन** अनुसार यह आयत निरस्त है और इसको निरस्त करने वाली आयत 'कत्ल करो मुशरिकों को जहां तुम उन्हे पाओ' है।

तफसीर मजहरी ने बैजावी के इस कथन पर कि प्रत्येक बुद्धिमान स्वयँ ही मुसलमान हो जायेगा (शक्ति प्रयोग आवश्यक नहीं) के उत्तर में मजहरी के लेखक ने लिखा है कि 'प्रत्येक बुद्धिमान मजहब की यथार्थता देख चुका है किन्तु वास्तव में अधिकाँश बुद्धिजीवी काफिर लोग हैं परन्तु उनकी बुद्धि निर्णायक और विवेकपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें इस्लाम में भलाई नहीं दिख पाती। इस हेतु को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति प्रयोग उनके लिये अत्यावश्यक है (यह कैसे कहा जा सकता है कि महजब में शक्ति प्रयोग को आवश्यकता नहीं रही)

तफसीर मजहरी, पारा ३, पृष्ठ ३४

इस्लाम के प्रसार में कितना शक्तिप्रयोग हुआ है, इसके लिये इस्लाम का इतिहास स्वयं साक्षी है और शक्तिप्रयोग करना चाहिए, इसके लिये कुरआन की अनेक आयतों और हदीसों की भरमार स्वयँ प्रमाण है। हम यहाँ उन प्रमाणों को उद्धृत करना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि हमारा विषय यहां निरस्त आयतों का प्रतिपादन करना है।

इसके आगे और निरस्त यह आयत है:

मंय्युते इर्रसूला फकद् अता अल्लाह, वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा।

कुरआन, पारा ५, रकू ११/८

अर्थात्-जो कोई रसूल की आज्ञा पालन करेगा, निस्सन्देह उसने खुदा की आज्ञा का पालन किया और जो कोई तेरी (हज़रत मुहम्मद) आज्ञा का उल्लंघन करे, पस जान ले कि हमने (खुदा) तुझे उनका रक्षक बना कर नहीं भेजा कि तू पाप या अपराध से उनकी रक्षा करे।

तफसीर कादरी पृष्ठ १८१/१ में लिखा है कि कतिपय मुस्लिम विद्वान इस उपरोक्त आयत के आदेश को आयते सैफ से निरस्त मानते हैं और इसी प्रकार तफसीर कुरआने अजीम पृष्ठ ५२, भाग १ में लिखा है कि 'हाजा कबलुल अमरो बिल कताले' अर्थात्-उक्त आयत, आयते कताल के आदेश के पूर्व की है। निम्नलिखित आयत भी निरस्त है-

अय्यो कातिलू कुम औ युकातेलू कौमाहुम, इत्यादि।

कुरआन, पारा ५, रकू १४/६

उक्त निरस्त आयत की कथा इस प्रकार है—कि बनी मुदलज के लोगों ने यह संधि कर रखी थी कि हम हज़रत मुहम्मद और कुरैश से युध्द नहीं करेंगे। इस द्वय प्रकार की संधि को उक्त आयत में स्वीकार कर लिया गया था परन्तु बाद में यह आयत, आयते, सैफ से निरस्त हो गई।

तफसीर कादरी, भाग १, पष्ठ १८४

तफसीर जलालैन पृष्ठ ८३ में लिखा है-**मा बादेही मनसूखुन बे-आयातिस्सैफे** अर्थात यह आयत, **आयते सैफ** से निरस्त है।

निम्नलिखित आयत निरस्त है :—

इन्नल्लाज़ीन फ़र्रकू दीनहुम वा कानू। शयअल्लस्त मिनहुम फी शैइन इन्नमा अमरो हुम इलल्लाहे सुम्मा योनब्बेओ हुम बिमा कानू यफ़अलून।

कुरआन पारा ८, रकू २०।७

अर्थात—जिन लोगों ने अपने मजहब को अस्त-व्यस्त कर दिया और कुछ पैगम्बरों और कुछ किताबों को माना और कुछ को न माना तथा विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त हो गये जैसे ७१ सम्प्रदाय यहूदियों के व ७२ ईसाईयों के सम्प्रदाय हो गये। उनके साथ युद्ध करना नहीं है, परन्तु उक्त आयत का आदेश आयते सैफ से निरस्त हो गया।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ २८८

स उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर कुरआनुलअज़ीम पृष्ठ १ भाग १ में लिखा है कि—तू (हज़रत मुहम्मद) उन लोगों से कुछ चर्चा मत कर, निसन्देह उनका निर्णय अल्लाह की ओर

है, जो कुछ भी वे करते हैं । 'वा हाजा मनसुखुन ब्रे आयतिस्सैफे' अर्थात यह उक्त आयत, आयते सैफ से निरस्त हो गई । इसी प्रकार तफसीर जलालैन पष्ठ १२८ में भी लिखा है और ऐसा ही उल्लेख तफसीर बेज़ावी पष्ठ १४६ में भी है कि उक्त आयत निरस्त है ।

आगे निम्न आयत भी निरस्त है :—

वा लौ शाआ रब्बोका लआमना मन फिलअरजे कुल्लोहुम जमीआ, अ फा अन्ता तुकरेहुन्नासा हत्ता यकूनो मोमेनीन ।

कुरआन पारा ११, रकू १०।१५

अर्थात–यदि खुदा चाहता तो जितने लोग पथ्वी पर हैं, वे सभी मुसलमान हो जाते । पस, क्या तू लोगों को मुसलमान करने के लिये शक्ति प्रयोग करता है ? यह आयत, आयते कताल से निरस्त है ।

तफसीर कादरी, पृष्ठ ४५१, भाग १

निम्न आयत भी निरस्त है :

फइन्नामा यहतदी लेनफसेही वायन जल्ला फइन्नमा यजिल्लो अलैहा वा मा अना अलैकुम बिवकील ।

करआन पारा ११, रकू ११।१६

अर्थात—जिसने सन्मार्ग प्राप्त किया वही असली मार्ग प्राप्त करता है और उसका लाभ भी उसे ही मिलता है, तथा जो पथभ्रष्ट होता है उसका कष्ट भी उसे ही मिलता है, और मैं (हज़रत मोहम्मद) तुम्हारा रक्षक नहीं हूँ । दम्याती का कथन है कि उक्त आयत भी आयते सैफ से निरस्त है ।

तफ़सीर कादरी, भाग १ पृस्ठ ४५३

इस उक्त आयत के साथ ही दुसरी आयत निम्न प्रकार है और इसका ज्ञान करना आवश्यक है। आयत है:—

वत्तबे मा यूहा एलेका वस्बिर हत्ता यहको मल्लाहो।

कुरआन, पारा ११, ११।१६

अर्थात—ए मुहम्मद ! अनुकरण कर, जो तेरी ओर भेजा जाता है। और जो दुख तुझे प्राप्त होता है उसे सहन कर, यहाँ तक कि अल्लाह तेरी सफलता को या मूर्ति पुजकों का वध करने की आज्ञा दें और अहले किताब (ईसाई और यहुदी) से जज़िया लेने की आज्ञा दें।

तफ़सीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ४५३

तफसीर जलालेन में है '**हत्ता हकमा अलल मुशरेकीना बिलकिताले अयलजहादे वा ईशारा बेहाजा इला कौले इब्ने अब्बास नसख़त हाजेहिल आयतो बे आयतिल कताले**' अर्थात—यहां तक कि खुदा ! मुशरिकों को कत्ल करने की आज्ञा दें। इसका संकेत इब्ने अब्बास के कथन से है कि यह आयत; आयते सैफ से निरस्त है।

जलालैन पृष्ठ १७६

निम्न आयत निरस्त है—

कुल् इन्नी ओमिर्तो अन आबो दल्लाह मुख्लेसल्लहुद्दीना।

कुरआन, पारा २३, रकू २/१६

अर्थात—ए मुहम्मद ! कह दे कि मैं अल्लाह का उपासक हूं और उससे अपने मज़हब को दुसरे खुदा की उपासना से मुक्त करने

वाला हूँ। तुम चाहे जिसे खुदा के अलावा भी पूजो। यह आयत भी आयते सैफ से निरस्त है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३४४

निम्न आयत भी निरस्त है-

अल्लाहो रब्बोना वा रब्बोकुम लना आमालेना वलकुम एमाले-कुम।

कुरआन, पारा २५, रुकू २/३

अर्थात-अल्लाह हमारा और तुम्हारा पालक है। हमारे और तुम्हारे कर्म अपने-अपने लिये है। हमारे और तुम्हारे मध्य सत्य प्रकट हो चुका है और यदि अब कोई विरोध उत्पन्न करे तो उसका कारण शत्रुता और विद्रोह होगा और हम सबको खुदा की ओर ही जाना है। कतिपय विद्वानों के मत में यह आयत भी आयते सैफ से निरस्त है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३८९

तफसीर बेजावी में पृष्ठ ४६४ में भी इस आयत को आयते कताल से निरस्त लिखा है।

तफसीर सिराजे मुनीर भाग ३, पृष्ठ ५३३ में लिखा है '**वका कालबनिल खाज़ना हाज़ेहिल आयतो मनसुखातुन बेआयतिल कताले।**

अर्थात-खाज़न का कथन है कि यह उक्त आयत, आयते कताल से निरस्त है। तफसीर कुरानुल अज़ीम पृष्ठ ९६ भाग २ में लिखा है कि उक्त आयत का आदेश जाहद की आयत उतरने के पूर्व का है।

निम्न आयत भी निरस्त है:—

वा कीलेही या रब्बे इन्ना हा ओलाये कोमुल्ला योमिनून।

कुरआन, पारा २५, रुकू ७/१३

अर्थात-खुदा के समीप है रसूल के कथन को जानना। ए मेरे खुदा! निसन्देह यह काफिरों का समूह हठी है और अपने प्रभुत्व के लिये शत्रुतावश मुसलमान नहीं बनते, (खुदा ने कहा) ए मुहम्मद! इन लोगों को मुसलमान बनाने और बदला लेने से उपेक्षा कर लो और कह दो कि तुम्हें त्यागना मुझे स्वीकार है। यह आदेश भी आयते कताल से निरस्त है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ४१२

तफसीर सिराजे मुनीर भाग ३, पृष्ठ ५७७ में लिखा है कि इब्ने अब्बास के कथनानुसार यह उक्त आयत, आयते सैफ से निरस्त है। तफसीर जलालैन पृष्ठ ४१० में भी इस आयत को निरस्त होना लिखा है।

निम्न आयत भी निरस्त है-

कुल्लिल्लज़ीना आमनु यग़फेरू लिल्लज़ीना ला यरज़ ना अय्या मल्लाहे लेयजज़िया कौमम बिमा काना यक्सेबून।

कुरआन सूरते जासिया; पारा २५, रकू २/१८

अर्थात-ए मुहम्मद! उन लोगों से कह दो जो कि मुसलमान हुए हैं, कि वे क्षमा करें उन लोगों को जो खुदा के वज्रपात और विनाश के दिनों से नहीं डरते। (इसके आगे इस सम्बन्ध में कुछ लोगों के कथनों का उल्लेख करते हैं) अंत में यह है कि यह आयत, आयते कताल से निरस्त है।

तफसीर कादरी, पारा २५, भाग २, पृष्ठ ४२१

तफ़सीर जलालैन पृष्ठ ४१३, पारा २५, तफसीर सिराजे मनीर पृष्ठ ५९६ भाग ४, तफसीर बेजावी पृष्ठ ४७७ आदि में भी इस उक्त आयत को निरस्त ही लिखा है।

निम्न आयत भी निरस्त है-

फा आरिज़ अम्मन तवल्ला अनज़िकरेना वलम्युरिद इल्लल हयातद्दुनिया।

कुरआन, पारा ३७ रकू २।६

अर्थात—ऐ मुहम्मद ! जो कुरआन की अपेक्षा करता है, तू भी उसकी उपेक्षा कर। वह लोग दुनियावी जिन्दगी चाहते हैं और संसार से ही मोह—ममता रखना उनका उद्देश्य है। कतिपय विद्वान इस आयत के मुँह फेरने के आदेश को आयते कताल से निरस्त मानते हैं।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ४८१

निम्न आयत भी निरस्त है—

अल्ला तज़ेरो वज़ेरातुम्म विज़्रा उख़रा।

कुरआन, पारा २७, सूरत नजम, रकू ३/७

अर्थात—कोई दुसरा व्यक्ति किसी अन्य के पापों का भार नहीं **उठायेगा** किन्तु जो व्यक्ति प्रयत्न करे उसे वही प्राप्त होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को दुसरे अन्य व्यक्ति के अपराध में नहीं पकड़ते इसी प्रकार दुसरों की नेकी भी प्राप्त नहीं होती। तिब्यान में है कि यह आयत निरस्त है, इसलिए कि सूरत तूर में लिखा है कि सन्तान को बाप-दादा की नेकी के कारण उच्च पद प्राप्त होगा।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ४८२

सूरत तूर की आयत निम्न प्रकार है:-

वल्लाजीना आमनु वत्तब अतहुम जुरिय्यतोहम बे ईमानिन् अलह्-कना बेहिम, इत्यादि '

कुरआन पारा २७, सूरत तूर, रकू १।३

अर्थात—जिन्होंने खुदा और रसूल पर विश्वास किया और उनकी सन्तान ने उनका अनुसरण किया। हम उनकी सन्तान को कयामत के दिन उनसे मिला देंगे। स्वर्ग में प्रवेश होने में उन्हें उच्च पदों पर पहुँचा देंगे। उदाहरणार्थ—जैसे कि उनके बाप-दादों के उँचे पद होगे, उसी प्रकार उनकी सन्तान के भी पद उँचे कर देंगे ताकि बाप-दादों की आँखे अपनी सन्तान को देखने से चमकती रहें और हम बाप-दादों की नेकी में से कुछ नहीं घटाएँगे बल्कि अपनी कृपा से उनकी सन्तानों को उच्च पद दे देंगे।

तफसीर कादरी, पारा २७, भाग २, पृष्ठ ४७४

(देखिये! हज़रत मुहम्मद ने अपने अनुयाईयों एवँ अन्य लोगों को किस प्रकार मिथ्या एवँ अर्थहीन प्रलोभन दिये और इस्लाम की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।)
सूरत तूर की इस आयत के सम्बंध में जो तात्पर्य हमने ऊपर लिखा वैसे ही तफसीर बेज़ावी पृष्ठ ५०१, तफसीर सिराजे मुनीर पृष्ठ ११३ भाग ४, तफसीर जलालैन पृष्ठ ४३५ और तजरीदे बुखारी किताबुल ईमान पृष्ठ ४३ में हदीस ८८ में प्रतिपादन किया है।

तजरीदे बुखारी किताबुल ईमान में हदीस क्रमांक ८८ इस प्रकार है :—

हज़रत मोहम्मद ने एक दिन स्त्रियों की एक गोष्ठि में उपदेश देते हुए कहा कि जिस स्त्री के ३ बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वे बच्चे कयामत के दिन नर्क के मार्ग में बाधक होंगे अर्थात उसको नर्क में नहीं जाने देंगे। एक स्त्री ने प्रश्न किया कि—जिसके दो बच्चे मरे हों उसका क्या होगा ? तो हज़रत ने कहा कि उसका भी ऐसा ही होगा किन्तु मरने वाले बच्चे अव्यस्क (नाबालिग) होना चाहिये।

आगे निम्न आयत भी निरस्त है :—

फज़रहुम यख़ूज़ू वा यलअबु हत्ता युलाकु योमा होमुल्लाज़ी युआदुन।

कुरआन, पारा २९; सूरत मुआरीज, रकू २/८

अर्थात–ऐ मुहम्मद ! पस हाथ उठा उनसे ताकि वह बुरे कार्य आरम्भ करे और सांसारिक क्रीड़ा में संलग्न हो जाये उस समय तक जिस दिन के लिये उन्हें वादा दिया गया है और वह दिन या तो बदर का युद्ध है या फिर कयामत का दिन है। इस आयत का आदेश भी आयते कताल से निरस्त है।

तफसीर कादरी, पारा २९. सूरत नूह पृष्ठ **५७५. भाग २**

सिराजे मुनीर भाग ४ पृष्ठ ३८८ में भी इस आयत का निरस्त होना लिखा गया है।

आगे निरस्त आयत है :—

वस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला।

कुरआन पारा २९, रकू १।१३

अर्थात—ऐ मुहम्मद ! प्रतिकार लेने हेतु उनसे पृथक हो जा किन्तु उन्हें उपदेश करता रह । यह आयत भी आयते कताल से निरस्त है ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५८५

तफसीर मजहरी, पारा २९ पृष्ठ १६८ में लिखा है कि काफिर जो अपशब्द कहते हैं, तुमको काहन और शायर मजनू आदि कहते हैं उनको तुम सहन करो, उनसे एक किनारे रहो और बदला न लो तथा उनके प्रकरण को खुदा के ऊपर छोड़ दो । इस आयत का आदेश आयते कताल से निरस्त है ।

निम्न आयत भी निरस्त है :—

फमाहि्लिल काफेरीना अमहि्लहुम खेदा ।

कुरआन पारा ३०, सूरत तारक

अर्थात-पस अवधि दे काफिरों को अर्थात उनके संहार की मांग हेतु शीघ्रता न कर । उनको किंचित समय के लिये छोड़ दे । उनका संहार शीघ्र हो जायगा । यह अवधि का आदेश भी आयते कताल से निरस्त है ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ६२४

तफसीर सिराजे मुनीर भाग ४ पृष्ठ ५१९ में यही लिखा है और तफसीर जलालैन, पृष्ठ ४५७ में भी उक्त आयत को निरस्त लिखा है । तफसीर कुरानुल अजीम भाग २, पृष्ट १५४ एवँ अन्य स्थानों पर भी निरस्त लिखा गया है ।

निम्न आयत भी निरस्त है ।

लस्ता अलैहिम बेमुसैतेरिन :—

कुरआन, पारा ३० रकू १।१३ सूरत गाशिया

अर्थात-ऐ मुहम्मद ! तू उन पर निरीक्षक नहीं कि उन्हें मुसल-

मान होने पर विवश करे। इस आयत को भी आयते कताल ने निरस्त कर दिया है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ६२७

निम्न आयत भी निरस्त है :—

कुल या अय्योहल काफेरूना से लकुम दीनोकुम वलेया दीन तक।

कुरआन, पारा ३० सूरत काफिरून

अर्थात--ऐ मुहम्मद! काफिरों को कह दे कि मैं उस वस्तु को नहीं पूजूँगा, जिसे तुम पूजते हो और न तुम उस वस्तु को पूजने वाले हो जिसकी मैं उपासना करता हूँ (यही अर्थ दोहरा है।) तुम्हारे लिये तुम्हारा **धर्म** है और मेरे लिये मेरा धर्म है। यह आयत भी आयते सैफ से **निरस्त** हो गई। इब्ने अब्बास ने कहा कि कुरआन में शैतान के लिये इस सूरत से अधिक कठोर कोई सूरत नहीं। इसलिए कि यह सूरत तौहीद (अद्वैतवाद) का प्रतिपादन करती है। इस सूरत के पढ़ने का पुण्य चौथाई कुरआन के पढ़ने के समान है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ६५३

तफसीर लबाबन नकुल पष्ठ १६२ में लिखा है कि कुरआन की यह सूरत काफिरून निरस्त है। **'वा लकुम दानोकुम वलैया दीन'** यह आयत भी आयते सैफ से निरस्त है।

पाठक वृन्द! हमने कुरआन की अनेक निरस्त आयतों को सप्रमाण विस्तारपूर्वक आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आयते सैफ (तलवार) ने जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं, १२४ आयतों को निरस्त किया है। उनके सम्बंध में एक ही सिद्धान्त समझना चाहिए कि कुरआन में जितनी भी आयतें अत्याचार सहने, भ्रातृभाव रखने एवं अच्छा व्यवहार के सम्बंध में है, वे समस्त आयतें, आयते कताल से निरस्त हो गई है। यद्यपि हम १२३ आयतें प्रस्तु न कर सकें फिर भी अधिकांस निरस्त आयते

आपके समक्ष प्रस्तुत है तथा आगे और भी निरस्त आयते प्रस्तुत हैं। जिन्हें अल्लामा जलालुद्दीन ने अपनी किताब 'लबाबन नकुल फी असबबिन नजूल' के अंत में प्रस्तुत किया है। इस किताब के लेखक अल्लामा जलालुद्दीन महम्मद बिन अहमद हिजरी ७६४ में स्वर्गीय हो गये हैं। तात्पर्य यह है कि उक्त किताब आज से लगभग ७०० से अधिक वर्षों पूर्व लिखो हुई है। जो आयतें अल्लामा ने अपनी किताब में निरस्त लिखी है, उनमें से अधिकांश निरस्त आयतें हम विगत पृष्ठों में लिख चुके हैं। उनके अतिरिक्त जो और नवीन आयतें निरस्त भी हैं इस पर कहा जा सकता है कि जितनी निरस्त आयतें पूर्व में लिखी जा चुकी है, उनसे जो अधिक नवीन आयतें है, उन्हें लिखना चाहिए था किन्तु हमारे लिखने का उद्देश्य यह है कि पाठक वर्ग कुरआन की समस्त निरस्त आयतों को शृंखलाबद्ध अवलोकन कर ले।

अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने निम्नलिखित शीर्षक से अपने विषय को प्रस्तुत किया है। शीर्षक है :—

बाबुन् नासिख़ो वल मनसुखो अला नज़मिल कुरआन

—: अर्थात :—

निरस्त होने वाली और करने वाली आयतों का विवरण कुरआन के क्रमानुसार

अल्लामा लिखते हैं कि निरस्त होने वाली आयतों का उतरना मक्का में अधिक है और निरस्त करने वाली आयतें मदीना में अधिक उतरी है।

मदीना में उतरी सूरत बकर में २६ आयते निरस्त है:— जैसे :—

निरस्त होने वाली आयतें

१—इन्नलाजीना आमनू वल्लाजीना हादू ।

२—वा कूलू लिन्नासे ।

३—फा फू वस्फहु हत्ता यातेयल्लाहो बेअमरेही ।

४—वलिल्लाहिल मशरिको वल मगरिबो मोहकम इत्यादि ।

५—इन्नल्लाजीना यक्तमुना मा अनजलना मिनल बय्येनात वलहुदा ।

६—इन्नामा हर्रमा अलैक मुलमेतता वद्दमा । इत्यादि ।

७—कुतेबा अलैकमुलकसासो फिलकुतला अलहुर्रो बिलहुर्रे
वलअब्दो बिलअब्दे वलउनसा बिलउनसा ।

निरस्त करने वाली आयतें

१—वा मय्यंबतगे गैरल इस्लामे दीनन फलैयंयु-
कबलो मिन्हो ।

२—आयतुस्स सैफसे निरस्त ।

३—कातेलुल्लजीना लायोमिनुना बिल्लाहे वला
बिलयोमिल आख़रे इत्यादि ।

४—वा हेसोमा कुन्तुम फवल्लु वजुहाकुम शतरह ।

५—इललल्लाज़ीना ताबु वा असलहु वा बय्येनु ।

६—यह आयत हदीस से निरस्त है 'ओ हिल्लत
लना मैतताने वा दमानेससमके वलज़रादे
वलकब्दे वत्तोहाले ।
सुम्मा वा हस्सल मुज़तरे इजाकाना गैरोबा-
गीम वला आदीन......फला इसमा अलैहे ।

७—वा कतबना अलैहिम फीहा अनन्नफसा बिन
नफसे इत्यादि ।

८—कुतेबा अलैकुम एज़ा हज़रा आहदोकुमुल्मौत इन्तरका खैरल वसीयते लिल्वालेदैने वल अकराबीना ।

९—या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु कुतेबा अलैक मुस्सयामे कमा कुतेबा अलल्लाज़ीना मिन कबलेकुम (एवं) वा ज़ालेका अन्नाहुम कानु एज़ाअफ़्तरू अकलू वशरबू वा जामेऊन्निसाआ मालम युसल्लुल ईशाआ इत्यादि ।

१०—वा अलल्लाज़ीना यतीकूनहू फिदयातुन तुआमे मिस्कीन हाज़ेहिल आयतो निस्फुहा मनसूखुन ।

११—कातेलु फी सबीलिल्ला हिल्लाज़ीना युकाते लुनाकुम वा ला तादू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन ।

१२—वा ला तुकातेलुहुम इन्दल मस्जेदिल हरामे हत्ता युकातेलुकुम फीहे ।

८—यूसी कुमुल्लाहो फी औलादेकुम लज़्ज़करी मिसला हज़्ज़ल उन्सयैने ।

९—ओहिल्लो लकुम लैलातस्सयामुरफ्सा इला निसाऐकुम । अब्तगू मा कतबल्लाहो लकुम, तक-

१०—फमन शहेदा मिनकोमुश्शहरा फल्यसुमहो इत्यादि ।

११—वा कातेलुल मुशरेकीना काफतन कमा युकाते-लुनाकुम काफतुन ।

१२—फईन कातेलुकुम फक्तोलुहुम ।

३—फ़ अ निन्तहू फइन्नलल्लाह ग़फ़ूरुर्रहीम वाहाज़ा मिनल अखबारल्लाती माना हलअमरो तावीलेही फग़ फरूलहुम वालमु अनहुम सुम्मा अखबारूल अफवे ।

१४—वा ला तहलकु रऊसकुम हत्ता यब्लगुलह्-दिया महल्लाहु ।

१५—यस अलुनका मा जा युन्फिकुना कुल मा अनफक्तुम मिनखैरिन फ़लिल वालेदैने वल अकरबीना ।

१६—यस अलुनका अनिश्शहरिल हरामे किता-लुनफीहे ।

१७—यस अलुनका अनिल खु.मरे वल मैसरे ।

१८—वा यस अलूनका मा ज़ा युनफ़ेकुना कुलिल अफवे ।

१३-बेआयतेस्सैफे फक्तोलुल मुशरेकीना हैसो वज.ज.त्तमुहुम इत्यादि ।

१४-फमनकाना मिनकुम मरीज़न ओ बिही अज़न मिनरासही फफिदयातुम मिन सियामे ओ सद-कातिन औ नसक ।

१५-इन्नमस्सदकातिन लिलफ़कराये वल मसाकीन ।

१६-फक्तोलुल मिशरेकीना हैसो वजत्तमूहुम इत्यादि

१७-वा इस्मुहमा अकबरी मिन नफ़एहुमा । या अय्यो हल्लोज़ीना आमनु ला तकखुस्सलाता वा अंतुम सुकारा हत्ता तालमु मातकूलूना वकानु यशरेबुना बादलईशाए । इत्यादि

१८-खुज़मिन अमवालेहिम सद्कतुन तत्हिहुंम वा तज़कीहुम ।

बतो अशहरुन वा अशरा। (यह एक ऐसी आयत है, जिसको निरस्त करने वाली आयत पहिले है और निरस्त होने वाली आयत पश्चात है, तथा अग्रिम आयत भी इसी भाँति है)

लायुहिल्लोलकन्निसाओ मिम्बादे। (यहआयत भी पहिले नासिख और पश्चात मनसूख है)

२४–फक्तुलुल मुशरेकीना हेसो वजत्तमूहम।

२५–व इन आमना बाजोकुम बाजहा इत्यादि।

२६–ला युकल्ले फुल्लाहो नफसन इल्ला वसुआहा वा खफफ्फा निनल वसऐ बेकौले हि तआला युरीदल्लाहो बेकमुल युसरा वा ला युरीदो-बिको मुलउसरा।

(उक्त आयत पहिले नासिख और पश्चात मनसूख है)

२४—ला इकराहा फिद्दीन।

२५—वशहदू एजा तबायातुम।

२६—मा फिस्समावाते वा मा फिलअरजे हाजा मोहकमुन सुम्मा काला वा इनतुब्दु मा फी अनफसेकुम औ तुख्फूहो युहासेबोकुम बेहिल्लाहा

(यह उपरोक्त २६ आयतों, जो कि निरस्त है, कुरआन के सूरत बकर की है)

१९—[illegible] नकेहुल मुशरेकाते इत्ता योमिन्नू वा लैसा फी. ग़ज़ेही शैंऊन । इत्यादि

२०—वल मुतल्लेकाते यतरैबिसहुन्ना बेअन फ़ुसे-हिन्ना सलासता कोरूआ। अल आयतो जमी-अहा मुहकमुन इल्ला कलामन फ़ी वस्तेहा । (यह सम्पूर्ण आयत मध्य भाग को छोड़कर प्रभावशील है)

२१—फ़ी आयतिलखलए वा ला युहिल्लो लकुम इन ताख़ेज़ू मिम्मा अतैतमूहुन्ना शैअन ।

२२—वलवालेदाते यर्ज़ेना ओलादहुन्ना हौलैने कामेलैने ।

२३—वल्लाज़ीना यतवफ्फूना मिनकुम वा यज़ेरूना अज़वाजन वसीयतुन लेअज़वाजेहिम इत्यादि।

१९-बा जा हुकमुल मुशरेकाते वा जमीओहा मुह-कमुन वा जालेका इन्नल मुशरेकाते यअम्मुल कनायाते वल वस्नेयाते सुम्मा इस्तस्ना मिन जमीइल मुशरेकाते..............इत्यादि ।

२०-अत्तलाको मर्रताने फमसाका बेमारूफिन औ तसरीहिंन बेएहसान ।

२१-इल्ला अंय्युखाफा इल्ला युकीमा हदूदल्लाहे ।

२२-फइन अरादा अनसालन अन तराज़ मिन्हुमा वा तशावरा फलाजुनाहा अलैहिमा फ़सारत हाज़ेहिल अरादते बिलइतकाफे नासिख़तुन लहौलैने कामिलैने ।

२३-वल्लाजीना यतवफ्फूना मिनकुम वा यजेरुना अज़वाजन यतरब्बसना बेअन फ़ुसेहिन्ना अर-

सूरत आले इमरान में ५ निरस्त आयतें

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
—फ़इन तवल्लु फ़ इन्नमा अलेकल्बलाग़ ।	१—आयतुस्सैफ से निरस्त है (फक्तुलुल मुशरेकीना)
—कैफ़ यहदिलाहो कोमन कफ़रू बादेईमानेहिम, वा ला हुम युन्ज़ेरून ।	२—इल्लज़ीना ताबू मिम्बादेज़ालेका वा असलहू................ ।
-यह तीन और चार आयतें इस्लाम में फिर जाने वालों की थी ।	३-४—इस्लाम से फिरने के बाद फिर मुसलमान हो गये थे इनके विषय में उपरोक्त आयत में निरस्त कहा गया है—चार तक
—या अय्यो हल्लाज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातेही ।	५—फत्ताकुल्लाहा मस्तततातुम....इत्यादि ।

—:सूरत निसा में २४ निरस्त आयतें:—

—वा एज़ा हज़रल किस्मतो उलुल-कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन ।	१—यूसीकुमुल्लाहो फी औआदेकुम लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उनसयैने ।
—वलेयख़शिल्लाज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़ेहिम ज़ुर्रियतुन ज़आफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम ।	२—फ़मन ख़ाफ़ा मिम्मौसिन जनफ़न औ इसमन फ़असलह बैनाहुम फ़ला इस्मा अलैहे ।

३—अलऊला वलमारूफल फर्ज़ हाहोना फ़इजा एसरो रद्दहू फइन मात कब्ला जालेका फ़ला शैइन अलैहे...इत्यादि ।

४—आयज अलल्शाहो लिमन सबीलावा बा जुहा बिस्मुन्नते मनसुख...इत्यादि ।

५—अज्ज़ानियतो वज्ज़ानी फज़लद्दू कुल्लो वाहेदिन मिनहुमा मेअते जल्दतन ।

६—वा लैसतित्तौ बतो लिल्लाजीना यामलू नस्सय्येआते...........इत्यादि ।

७—इल्ला अंय्योंतीना बेफाहिशातिन मुबय्यनतन ।

८—इल्ला मा कद सलफ मिन अफ आलेहिम फकद अफौता अनहो ।

९—बिल इसतिसनाये इल्ला मा कद सलफ यानी अफौतो अन हो ।

—इन्नल्लाजीना याकोलूना अमवा लिलयतामा ज़ुलमन........इत्यादि ।

—वल्लाती यातीनल फाहिशते मिन्ननसाएकुम ....इत्यादि ।

—वल्लाज़ाने जातेयानेहा मिन्कुम फ़ादूहुमा कान लबकरी इन ईज़ा ज़निया एराबशतमा ।

—इन्नमत्तौबंतो अलल्ला हिल्लाजीना यामलू नस्सूए विजहालतन.........इत्यादि ।

—या अय्यो हल्लाजीना आमनुला युहिल्लो लकुम ....अनतर्सु त्रिसाआकर्हन इला बिवाजे ....इत्यादि ।

—लातनकेहु मानकहा अबाओकुम ।

—वा इन तजमऊ बैनल उखतैने ।

१०–फमस्तातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना अजूरा-
हुन्ना फरीज़तन ।

११–या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु ला ताकेलू अम-
वालाकुम बैनाकुम बिलबातेले ।

१२–वल्लाज़ीना अकदत एमानोकुम फातुहुम नसी-
बोहुम ।

१३–फ़ आरिज़ अनहुम वाज़ोहुम ।

१४–वा लो अन्नाहुम इज़ा ज़लमू अनफुसेहिम
जाओका फस्तगफेरू·········इत्यादि,

१५–या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु खज़ू हज़रकुम
इत्यादि ।

१०—इन्नी कुन्तो अहललता हाज़े हिल्मुतअता
इल्ला वा ईन्नल्लाहा व रसूलोहू कद
हरमाहा..........इल्ला अला (अन्त तक)

११—लैसा अललआमा हर्जुन वा ला अलल आरजे
हर्जुन वा ला अलल मरीजे हर्जुन कानू
यजतने बूनहुम फ़िल अकले ......इत्यादि ।

१२—वा उलुल अरहामे बाज़ोहुम औला विवा-
जिन ।

१३—आयते सैफ से निरस्त ।

१४—इस्तग़ फिरलहुम औला तस्तग़ फिरलहुम ।

१५—वा मा कानल मोमिनूना लेयनफरू काफ़तन ।

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१६—वा मन तवल्ला फ़मा अरसलना का अलैहिम ह्फ़ीजा।	१६-आयतें सैफ से निरस्त
१७—फ़ारिज़ अनहुम वा तववकल अलल्लाहे।	१७- ,, ,, ,,
१८—इलल्लाज़ीना युसल्लूना इला कौमिन बैनाकुम वा बैनाहुम मीसाकुन।	१८- ,, ,, ,,
१९—सतजेदूना आख़रीना युरीदूना अय्यां मनुकुम वा यामनु कौमहुम।	१९- ,, ,, ,,
२०—फ़ईनकाना मिनकौमिन अदुव्वूल्लाकुम।	२०-बराअत मिन्नलाहा वा रसूलेही।
२१—वा मंय्युक्तलो मोमेनन मुतअम्मदन फ़ज़जा ओहू जहन्नमा ख़ालेदन फ़ीहा।	२१-इन्नलल्लाहा लायग़फ़िरो अय्युंशरेका बेही वा बिलआय़बिल्लतीफिल फुरक़ाने.........इल्ला मन ताबा, तक।
२२—इन्नल मुनाफ़ेकीना फ़िद्दर्किल असफ़ले मिन-	२२-नसख़ल्लाहो बाज़ोहा बिल इस्तिसनाये इलल्लाज़ीना ताबु वाअसलेहु वातसमू बिल्लाहे वा उख़लेसू।

२३-२४-फमालकुम फ़िल मुनाफकीनाव फ़ियातैने वा कौलुहू ताआला फकातेलो फीसवी लिल्लाहे लातुकल्ले फी इल्ला नफसका।	२३-आयते सैफ से निरस्त २४- ,, ,, ,,

सूरत मायदाह ५ निरस्त आयतें—

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु ला तोहिल्लू शआयरल्लाहेइला कौलही यबतग़ूना फज़लन मिर्रब्बेहिम आदि।	१—आयते सैफ से निरस्त
२— फाफ़े अनहुम नज़लत फ़िलयहूदे।	२—कातेलुल्लज़ीना ला योमेनूना बिल्लाहे वा ला बिल यौमिल आख़रे।
३—इन्नामा जज़ा अल्लाज़ीना युहारेबुनल्लाहे वा रसुल	३—नसख़त बिल इस्तिसनाये मिन्हा फ़ी मा बादोहा इलल्लाज़ीना ताबू मिन कबले अंत-कदरु अलैहिम।
४—फइन जाऊका फहकुम बैनहुम औ आरिज़ अनहुम	४—वा अनहकुम बैनहुम बेमा अनजलल्लाहो वला तत्तबेओ अहवाअ हुम।

५—मा अलर्रसूले इल्ललबलाग़ ।

६—या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु अलैकुम अनफ़ु-साकुम ।

७—या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु शहदातुन बैनकुम ....इत्यादि ।

८—फइन्ना अयरा अला इन्नाहुमस इस्तहफ़ाकन ।

९—ज़ालेका अदना अॅय्यातू बिशहादतै अला वज-हेहा ।

५—आयते सैफ से निरस्त

६—नसखा आखिरेहा अव्वलोहु । इजा अहतदैतुम वलहुदा हाहुनलअमरो बिल मारूफे वन्नही अनिल मुनकेरे ।

७—वशहदू जबीअद लिम्मिनकुम वा बतलत...... शहादतन अहलिज्ज़िम्मते इत्यादि ।

८—नसखहा अल्लती फित्तलाके वशहदू ज़बी अदलिन मिनकुम ।

९—नसख़ ज़ालेका मिनल आयते शहादते अहलल इस्लामे ।

सूरत अनआम में १३ निरस्त आयतें

निरस्त आंयतें

१—कुल इन्नी अखाफो इन असैता रब्बी अजाबे यौमिन अजीम ।

निरस्त करने वाली आयतें

१—लयग़फेरा लकल्लाहो मा तकद्दमा मिन ज़म्बेका या मा तअख्खरा ।

२ – वा इजा रऐतल्लजीना यखूजूना फी आयातेना फ़ आरिज अनहुम........इत्यादि,	२—नसखत फलातछअदू मआहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ि हदीसे ग़ैरेही ।
३—(लबाबुननकुल में यहआयत उपलब्ध नहींहै)	३— -- -- --
४—वज़रललजी नत्तखेजू दीनहुम लाबंव्वलहवन ।	४—कातेलुल्लाज़ीना लायोमिनुना बिल्लहे वा ल। विल यौमिल आख़ेरे ।
५—कुलिल्लाहे सुम्मा ज़रहम फी खौजेहिम यल-अबुन ।	५—आयते सैफ से निरस्त
६—फमन अबसरो फलेनफ्सेही वा मन उमिया फ अलैहा वा मा अना अलैकुम बेहफीज़ ।	६— " " " "
७—वारिज अनिल मुशरेकीन ।	७— " " " "
८—वा मा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वा मा अंता अलैहिम बिबकील ।	८— " " " "
९—वा ला तसब्बुल्लाजीना यदऊना मिन दुनिल्लाहे फयसब्बुल्लाहा अदवन बिग़ैरे इलम ।	९— " " " "
१०–फजरहुम वा मा युफ़तरून ।	१०— " " " "

११-वा ला ताकेलू मिम्मा लम बिजिकरे इस्मिल्लाहे ।

१२-कुल याकौमेमलू अला मकानतेकुम ।

१३-इन्नलजीना फर्रकु दीनाहुम वा कानू शीया ।

११—अलयोमा ओहिल्लो लकमुत्तय्ये बाते वा तुआ-मल्लाजीना ऊतुल किताबे ।

१२---आयते सैफ से निरस्त

१३— " " " "

सूरत ऐराफ़ में २ निरस्त आयतें

१—वजरूल्लजीना यलहद्दूना फ़ी असमाएही ।

२—खुजिल अफ़वे वामूर बिल उर्फ़ वा आरिज अनिल जाहेलीन ।

१—आयते सैफ से निरस्त

२—हाजेहिल आयतों मिन अजीबिन अव्वलुहा मनसुखुन वा आखेरुहा मनसुखुन वा औसतुहा मोहकमुन (उक्त आयत का प्रारम्भ और अंतिम भाग आयते सैफ से निरस्त है ।)

सुरत इनफाल में ६ निरस्त आयतें—

१—यस अलुनका अनिल अनफाले ।

१—वालमू इन्नामागनिमतुम मिनशैइन फइन्न लिल्लाहे खुमसहु ।

२—वा मा कानल्लाहो लेयी अजि़बोहम वा अंताफीहिम।

३—कुल लिल्लाजीना कफरू अंय्यन्तहू यग़फिरो लहुम मा कद सलफ।

४ - वा इन जनहू लिस्सलमे फजनआलहा।

५—अय्यंकुम मिनकुम इशरूना साबेरूना यग्लबु मिअतैने।

६—वल्लाजीना आमनु वालम युहाजिरू मालकुम मिन वा ला यनहुम मिनशंइन।

२—वा मा लहुम इल्ला यो अजि़बो होमुल्लाहो।

३—वा कातिलूहुम हत्ता ला तकुलो फ़ितनतुग।

४—कातेलुल्लज़ीना ला योमिनुना बिल्लाहे वा ला बिल योमिल आख़ेरे।

५—अलआना खफ्फफल्लाहो अनकुम वा अलेमा अन्ना फी कुम जोएफा।

६—वा ऊलुल अरहामे बाज़ोहुम औला बिबाजिन फी किताबिल्लाहे इन्नल्लाहो बिकुल्ले शंइन अलीम।

सूरत तौबा में ७ निरस्त आयतें

निरस्त आयतें

१—बराअत मिनल्लाहे वा रसुलहू इला कोलही फसीहू फिल अर्ज तक।

निरस्त करने वाली आयतें

१—फक्तुलुल मुशरेकीना हैसो वजत्तामूहुम वकोला नसखा अव्वलाहाबे आखेरेहा व हिया कौलोहू तआला फइन ताबू।

२—वल्लाजीना यकनजु नज़ जहबा वलफिज़ जते ।	२—नसखत बिज्जकातिल विाजबते ।
३—अला तव फिरूयोअज़ जेबुकम अजाबन अलीमा	३—वा मा कानल मोमिनुना लेयनफेरू काफतन ।
४—अफालाहो अनका लम उजनत लहुम ।	४—फइन इसताजनूका लिबाजे शानेहिम फउजना लेमन ।
५—इस्तगफिरलहुम ।	५—स्वाउन अलैहिम इस्तगफरतालहुम ।
६-७ अलएराबो अशद्दो कुफरन वा नेफाकन, वल आयतुल्लती तलीहा सारतन ।	६-७ व मिनल ऐरावे मन्थ्योमिनो बिल्लाहे वल-योमिल आखेरे ।

सूरत युनिस में ४ निरस्त आयतें

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—इन्नी अखाफो अनउसीता रब्बी अजाबा यौमिन अजीम ।	१—लेयगफिरा लकल्लाहो मा मातकद्दमा मिन-जम्बेका वा मा ताअख्खरा ।
२—कुल इंतजेरू इन्नी मआकुम मिनल मुन्तजेरीन	२—आयते सैफ से निरस्त है,
३—वा इन कज़ जबुका फकुल ली अमली वलकुम अमलोकुम ।	३— " " " "
४—फमनेहतदा फइन्नमा यहतदी लेनफसेहो, वा मा अना अलैकम बेवकील ।	४— " " " "

सूरत हूद में

निरस्त आयतें

१—मनकाना युरीदुल हयात दुनिया वा जीने तह

२ - वा कुलिल्लजीना ला योमिनुना एमलू अला मकानतेकुम ।

३—वनतजेरू इन्ना नुनतजेरुन ।

सुरत राद में

निरस्त आयत

१—फइन्नामा अलैकल बलागुल मुबीन वा अलैनल हिसाब ।

२—वा इन्ना रब्बोका लजू मगफिरतन लिन्नासे अला जुल्मेहिम ।

३ निरस्त आयतें

निरस्त करने वाली आयतें

१—यरीदुल आजलते अजलना लहू फीहा इत्यादि

२—आयते सैफ से निरस्त है ।

३— " " " " "

२ निरस्त आयतें

निरस्त करने वाली आयतें

१—आयते सैफ से निरस्त है ।

२—इनल्लाहो लायग़फिरो अय्यूंशरेको बेही ।

सूरत इब्राहीम को समस्त व्याख्याकार प्रमाणिक मानते हैं किन्तु अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन अस्लम केवल १ आयत ही निरस्त मानता है जो निम्नानुसार है।

१—वा इन त अदू नेमतल्लाहेला तहसूहा इन्नल इन्साना लजलुमुन कुफ फार।	१—इनतादू नेमतल्लाहे लातहसूहां इन्नल्लाहा लगफूरुर्रहीम।

सूरतुल हजर में निरस्त ५ आयतें

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—जरहुम याकुलू वा यत मत्तऊ।	१—आयते सैफ से निरस्त है।
२—वर्सफहस्सफहुलजमील।	२— " " " "
३—ला तमद्दना ऐनैका इन्नी मा मतांना बेही अज़वाजन मिनहुम।	३— " " " "
४—वाकुल इन्नी अना नजीरूममुबीन।	४— " " " "
५—फसदा बिमा तोमेरू वा आरिज अनिल मुशरेकीन।	५—आयत का आधा भाग प्रभावशील है और शेष आधा भाग आयते सैफ से निरस्त है।

सुरत नहल में ५ निरस्त आयतें

निरस्त आयतें:-	निरस्त करने वाली आयतें
१—व मिनस्समरा तिन्नख़ीले वल ऐनावे तत्तख़ेज़ूना मिनहो सकरन व रिज़कन हसना।	१—कुल इन्नामा हरेमा रब्बिल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वा मा बतना वलइसमा यानी ख़ुमरा।
२—फइन तवल्लू फ़ इन्नमा अलैकल बलाग़।	२—आयते सैफ से निरस्त।
३—मनकफरा बिल्लाहे मिम्बादे ईमानेही	३—(१) इल्ला मनअकरह वा कलबेही मुतमइन्ना बिलईमासे (२) वकीला बेआयतिस्सैफ।
४-५वा जादलहुम, वा कौलोहू वस्बिर मसख़ना काना हुमा।	४-५-नसख़ ना कानाहुमा आयतिस्सैफे।

सूरत बनी इसराईल में ३ निरस्त आयतें

१—वा कज़ा रब्बोका इल्ला ताबुदू इल्ला ईय्याहो ....इत्यादि।	१—मा काना लिन्निबिय्यये वल्लाज़ीना आमनु अंय्यसतग़फिरूलिल मुशरेकीना।

२—रब्बोकुम आलमो बेकुम; इलाकौलेही वा मा अरसलनाका अलैहिम वकीला।

३—कुल अदउल्लाहा औ अदऊर्रहमाना, इला कौलेही फलालहुल अस्मा अल हुसना।

२—आयते सैफ से निरस्त।

३—वज़कुर रब्बीका फी नफसेना तुज़र्रोअन वखीफतन।

सूरत कहफ में १ निरस्त आयतें

१—इल्ला अंय्यशा अल्लाहो।

१—फमनशाआ फलयोमिनो वमनशाआ फलेयकफुर

(सूरत कहफ का समर्थन समस्त व्याख्याकार करते हैं, कि निरस्त नहीं है किन्तु व्याख्याकार सद्दी वा कतादा की दृष्टि में उक्त एक आयत निरस्त है)

सूरत मरियम में ५ निरस्त आयतें

१—वा अनज़िरहुम योमल हसरतें।

२—फसोफा यलक़ूना गय्यंव्वल गय्यो वादे फी जहन्नमा।

१—आयते सैफ से निरस्त।

२—नसखत बिल इस्तिसनाये इल्ला मनताबा।

३—कुल मनकाना फिज्जलालते फ़ यमदुद लहुर्र-मानो मद्दा।	३—आयते सैफ से निरस्त।
४—फ़लाताजिल अलैहिम।	४—नसख अव्वलोह बे आयतिस्सैफे।
५—फखलफ़ मिम्बादेहिम खलफ़ा।	५—इल्ला मन ताबा वा आमना वा फीहा तकदी-मुनफिन्नजमे।

सूरत त्वाह में ३ निरस्त आयतें

१—वा ला ता जिल बिलकुरआने मिनकबले अंय्यं-कजी इलैका वहयह।	१—सनुकरेओका फ़लातन सा।
२—फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना।	२—नसखत सब्रों मिन्हा बेआयतिस्सैफे।
३—कुल कुल्लो मुतरब्बेसो।	३—आयते सैफ से निरस्त।

सुरत अम्बेया में २ निरस्त आयतें—

१—इन्नाकुम वा मा ता बोदुना मिनदूनिल्लाहे हस्बो जहन्नमा।	१—इन्नल्लाजी सबकत लहुम मनल्हुस्ना नसखना काना हुमा।
२—वल्लाती बादोह बा कुल्लो फीहा खालेदुन।	२—उपरोक्त आयत से ही दोनों आयतें निरस्त हैं।

सूरत हज्ज में २ निरस्त आयतें

१—वा मा अरसलना मिन कबलेका मिरंसूलिब्वला नबिय्यिन इल्ला ऐजा़ तमना अलकश्श शैतानो फी उमनीय्यतेही ।

१—सनुकरे ओका फ़लातन सा ।

२—यहकुमो बेनहुम ।

२—आयते सैफ से निरस्त ।

सूरत मोमिनून २ निरस्त आयतें—

१—फजरहुम फी गमरतेहिम हत्ताहीन ।

१—आयते सैफ से निरस्त ।

२—इदफ़ा बिल्लाती हेया अहसनुस्मय्येअतो ।

२— ,, ,, ,, ,, ।

सूरत नूर में ७ निरस्त आयतें

१—वलातकबलू लहुम शहादतन अबदा ।

१—इल्लाज़ीना ताबू ।

२—अज़ ज़ानी लायनकहो इल्ला ज़ानीयतन ।

२—वनकहुल अय्यामा मिनकुम...........इत्यादि पांच हेतु दिये हैं ।

३—वल्लाज़ीना यरमूना अज़्वाजहुम वलम यकुल्लहुम शोहदाओ इल्ला अन फुसुहुम ।

४—या अय्यो इल्लाज़ीना आमनू ला तदखोलु बयुतन ग़ैरा बयूतेकम ।

५—वा कुल लिलमोमिनाते यफज़ज़ना मिन अबसारेहिन्ना ।

६—फइन्नमा अलैहे मा हमला वा अलेकुम मा हमलतुम ।

७—या अयो हल्लाज़ीना आमनू लयस्ताज़नोकुमुल्लाज़ीना मलकत एमानोकुम ।

३—वल्ख़ामिस तो अन्ना लानतल्लाहे अलैहे इन काना मिनल्काज़ेबीन............इत्यादि, वल्ख़मिसता अन्ना ग़ज़बल्लाहे अलैहा, इन काना मिनस्सादेकीन ब लौ ला फज़लुल्लाहे अलैकुम व रहमतुहू............इत्यादि ।

४—लैसा अलेकुम जुनाहुन अनतदखुलू बयूतुन ग़ैरा सस्कूनतिन ।

५—नसखबाजोहा वलफवायदे मिन्निसाए ।

६—आयत सैफ से निरस्त ।

७—अल्लाती ताबेहा वा हेया कौलोहुतआला वा एज़ा बलग़ल अत्फ़ालो मिनकोमुलहिलम ।

सूरत फुरकान में २ निरस्त आयत

१—वल्लाज़ीना ला यदऊना म अल्लाहे एलाहन आख़रा............इत्यादि ।

१—इल्ला मनताबा वा आमना वा अमेला अमलन सालेहन ।

२—वजा खातब हुमुलजाहे लुना कालू सलामन।

२—आयते सैफ से निरस्त है (फी हक्किकल कुफ्फारे)

सूरत शौरा में ४ निरस्त आयत

१—वश्शोराओ यतबेओ हुमुलगादूना अलाकौलेही वा इन्नहुम यकूलूना मालायफ्अलून।

१—नसख फी शौरा इल मुस्लिमीना ईस्तिस्नाहुम इललजीना आमनु वा अमेलुअ स्वाले हाते वज़करूल्लाहा कसीरा।

नोट—उपरोक्त चारों आयतें संक्षिप्त में तिरस्त हैं।

सूरत नमल में १ निरस्त आयत

१—वइन उतलुलकुरआना।

१—आयते सैफ से निरस्त।

सूरत कसस में १ निरस्त आयत

१—वा कालू लना आमालोना वलकुम ऐमालोकुम।

१—आयते सैफ से निरस्त।

सूरत अनकबूत में १ निरस्त आयत

१—वा ला तुजादेलू अहललकिताबे इल्ला बिल्लाती हेया अहसनो।

१—क़ातिलुल्लजीना लायोमिनुना बिल्लाहे वला बिलयौमिल आखरे।

सूरत रोम में १ निरस्त आयत

१—वा मन कफ़रा फ़ला यहज़ुनका कुफ़रेही।

१—आयते सैफ से निरस्त।

सूरत सजदा में १ निरस्त आयत

१—फ़ आरिज़ अनहुम वन्तिज़िर इन्नहुम मुन्तज़ेरून।

१—आयते सैफ से निरस्त। (लेकिन. ले. सियूती लिखना भूल गये।)

सूरत अहज़ाब में २ निरस्त आयत

१—वा ला तोतेइल काफ़िरीना वलमुनाफ़ेकीना वा दा इज़ाहुम वा तवक्कल अलल्लाहे।

१—आयते सैफ से निरस्त है।

२—ला योहिल्लो लकन्निसा मिम्बादे वा ला अन तबद्दला।

२—या अय्यो हन्ननबीय्यो इन्ना अहललना लका अज़्वाजेका।

—: सरत सबा में १ निरस्त आयत :—

१—कुल ला तसअलूना अम्या अजरमना वा ला नसअल अम्मा तामलून ।	१—आयते सौफ से निरस्त है ।

सरत मलाए कते में १ निरस्त आयत

१—इनअन्ता इल्ला नज़ीर ।	१—नसख मानल आयते ला लफ़्ज़ेहा बेआयतेसेफे ।

—: सरत साफ़ात में ४ निरस्त आयतें :—

१-२-फतवल्ला अनहुम हत्ताहीना, वा अबसुरहुम फसौफ़ा युबसेरूनल आयतान ।	१-२-दोनों, आयतें सौफ से निरस्त है ।
३-३-वतवल्ला अनहुम हत्ताहीना वा अबसुर फ़सौफ़ा युबसेरून ।	३-४- ,, ,, ,, ,, ,,

—: सरत स्वाद में २ निरस्त आयते :—

१—व इनयुहा इलैय्या इल्ला इन्नमा अन्ना नज़ीरूम्मुबीन ।	१—आयते सौफ से निरस्त है ।
२—वलेतालमुन्नो नबआहा बादा हीन ।	२— ,, ,, ,, ,, ,,

सूरत जुमर में ७ निरस्त आयतें

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—इनलल्लाहा यहकुमो बैनहुम फी मा हुम फ़ीहे यख़्तलेफ़ून ।	१—आयतें सैफ से निरस्त है ।
२—कुल इन्नी अख़ाफ़ो अन उसीतो रब्बी अज़ाबा योमिन अज़ीम ।	२—लयग़फिरा लकल्लाहो मा तकद्दमा मिन ज़म्बेका वा मा तअख़्खरा ।
३—फ़ाबोदू मा शेतुम मिनदूनेही ।	३—आयतें सैफ से निरस्त है ।
४—फ़ मैंय्युज़ले लिल्लो फ़मालहू मिनहाद ।	४— ,, ,, ,,
५—कुल या कौ मेमलु अला मकानतेकुम ।	५— ,, ,, ,,
६—अन्ता नहकुमो मिन इबादेका फी मा कानू फी हे यख़तलेफ़ून ।	६—नसख़ मानाहो बेआयत्तिस्सैफे ।
७—फ़मनेहतदा फ़लेनफ़सेही वा मन ज़ल्ला फ़ईन्नामा युज़िल्लो अलैहा ।	७—आयतै सैफ से निरस्त है ।

सुरत मोमिन में २ निरस्त आयतें

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—फ़स्बिर इन्ना वादल्लाहे हक्कुन ।	१—नसख़ल अमरो बिसब्रे बेआयतिस्सैफे ।
२—फ़स्बिर इन्ना वादल्लाहे हक्कुन फा अम्मा नूरेयन्नाका बाज़ुल्लाजी तअदोहम ।	२—आयते सैफ से निरस्त है ।

सुरत फुस्सेलत में १ निरस्त आयत—

१—वा ला तस्तविल हसनते वलस्सय्येअते ।	१—आयते सैफ से निरस्त है ।

सूरत शूरा में ८ निरस्त आयतें

१—युसब्बेहूना बेहमदेरब्बेहिम वा यसतग़फेरूना लिमन फिलअर्जे ।	१—युसब्बेहूना बेहमदे रब्बेहिम वा योमिनुना बेही वा यसतग़फिरुना लिल्लाज़ीनाआमिनु ।
२—अल्लाहो हफोज़ुन अलैहिम बा मा अन्ता अलैहिम विवकील ।	२—आयते सैफ से निरस्त है ।

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
३—फ़ले ज़ालेका फदओ वस्तकिम कया उमिर्तो वा ला तत्वओ अहताआ हुम	३—कातिलुल्लाज़ीना ला योमिनुना बिल्लाहे वा ला बिलयोमिल आख़रे।
४—मनकाना युरीदो हरसल आखेरते इत्यादि ।	४—मनकाना युरीदुल आजिलते अज्जलना लहू ।
५—क़ुल ला अस अलोकुम । अलैहे अजरन इल्लल-मवद्दतो फिलकुर्बा।	५—कुल मा सालतोकुम मिन अजरिन फ़हुवाल-कुम ।
६—वल्लाज़ीना इज़ा असाबा हुसुल बगये हुम यनतसेरून दोनों आयतें साथ हैं।	६—(निम्नलिखित आयत से ६-७ दोनों आयते निरस्त हैं)
७—वलेमन इन्तमरा तसरा बादा ज़ुल्मेही फओ-लायेका मा अलैहिम्मिन सबील।	७—वा ले मन सबरा व ग़फ़रा इन्ना ज़ालेका लेमन अज़्मिस उमूर ।
८—फइनआरजू फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा ।	८—आयते सैफ से निरस्त है।

सूरत ज़ख़रफ में २ निरस्त आयते

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—फ़ज़रहुम यख़ूज़ू वा यलअबू।	१—आयते सैफ से निरस्त है।
२—फ़स्फ़ह अनहुम वा कुल सलाम ।	२— ,, ,, ,, ,, ,,

सूरत दुखान मे १ निरस्त आयत

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—फरतकिब इब्राहुम मुरतकेबून ।	१—आयते सैफ से निरस्त है ।

सूरत जासिया में १ निरस्त आयत

१—कुल लिल्लाजीना आमनु यग़फेरूलिल्लाज़ीना ला यरजूना अय्यामिल्लाहे ।	१—आयते सैफ से निरस्त है (नज़लत फी उमर बिन रवृतान)

सूरत अह्काफ में २ निरस्त आयतें

१—कुल मा कन्तो वि दम्मिनर्रूसले वा मा अदरी मा यफअलो बी वा ला बेकुम इन अतबेआ इल्ला मा यूहा अलैय्या व मा अना इल्लानज़ी रुम्मुबीन ।	१—इन्ना फ़तहना लका फतहम्मुबीना लेयगफिरा लकल्लाहो मा तकद्दमा मिन ज़म्बेका वा मा तअख़्खरा ।
२—फ़स्बिर कमा सबरा ऊलुलअज़्मे मिनर्रूसले ।	२—आयते सैफ से निरस्त है ।

सूरत मुहम्मद में 1 निरस्त आयत

१—फ़ इम्मा मन्ना बादो वइम्म फ़िदा आ।	१—आयते सैफ़ से निरस्त है।

(नोट—कतिपय विद्वानों का कथन है कि इस सूरत में २ आयतें निरस्त है)

२—वा ला यसअलोकुम अमवालेकुम।	२—अंय्यंस अलकोमूहा फ़योहफिकुम तबहू लू औ युख़रे जो अज़ग़ानकुम।

सूरत काफ में २ निरस्त आयतें

१—फस्बिर अला मा अक़ूलूना।	१—आयते सैफ़ से निरस्त है।
२—नहनो आलमो मा यक़ूलूना तक मोह किम है वा मा अन्ता अलैहुम वे जब्बार।	२—आयत का अंतिम भाग आयते सैफ़ से निरस्त है।

सूरत ज़ारेयात में २ निरस्त आयतें

१—वा फी हमवालेहिम हक़्कुन लिस्सायले वल महरूमे।	१—आयते ज़कात से निरस्न है।
२—फतवल्लाअनहुम फ़मा अन्ता बिमलूम।	२—वज़कुर फईन्नज़िकरा तनफउलमोमिनीन।

सूरत तूर में १ निरस्त आयत

निरस्त आयत	निरस्त करने वाली आयतें
१---वस्विर लेहुम्मे रब्बोका फईन्नका बेआयुनना ।	१—नसखस्स बरो मिन्हा बेआयतेस्सैफे ।

सूरत नजम २ निरस्त आयतें—

१--फआरिज़ अम्मन तवल्ला अनजिक्रेना ।	१—आयते सैफ़ से निरस्त है ।
२---वा इन्ना लैसा लिलइन्साने इल्ला मा सआ ।	२—वल्लाजीना आमुन वत्तबाताहुम जुरिय्यतोहुम बईमानु इत्यादि ।

सूरत वाकिया में १ निरस्त आयत

[मकातल बिन सुलेमान की दृष्टि में]

१—सुल्लातुम मिनल अव्वलीन वा कलीलुम मिनल आखेरीन ।	१—सुल्लातुम मिनल अव्वलीन वा सुल्लातुम मिनल आखेरीन ।

सूरत मुजादला में १ निरस्त आयतें

१-या अय्यो हल्लाज़ीना आमनु ईज़ा नाजैतो मुर्रसूलौ फ़क़द्दमू बेनायदे नजवाकुम सदक-तन ।

१—आ अशफक्तुम अनतकद्दमू बेनायदै नजवा-कुम सदकात इत्यादि ।

सुरत हशर में १ निरस्त आयतें

१—मा अफ़ा अल्लाहो अलारसुलेही मिन अहलिल कुरा ।

१—यस अलूनका अनिल अनफाले ।

सूरत मुमतहिन्ना में ३ निरस्त आयते

१—ला यनहा कुमुल्लाहो अनिल्लाज़ीना कातेलु-कुम फ़िद्धौने । इत्यादि

२—या अय्यो हल्लाज़ीना आमनू एज़ा जाआको-मुलमोमिनाते मुहाजेरातिन फमनहेनुहुन्ना ।

३—व इन फातेकुम से बेही मोमेनून तक

१—इन्नामा यनहा कुमुल्लाही अनिल्लाज़ीना काते-लुकुम फिद्दीने वा अख़रजूकुम मिनदेयारेकुम ।

२—फला तर्जेऊहुन्ना अलल कुफ्फारे इत्यादि ।

३—आयते सैफ से निरस्त हे ।

—: सूरत नून में २ निरस्त आयतें :—

१—फ़ज़ुर्नी वा मैंय्यक ज़े बो बेहाज़िलहदीसे।	१—आयते सैफ से निरस्त है।
२—फ़स्बिर लेहुकमें रब्बेका।	२— ,, ,, ,, ,,

सूरत मुआरिज में १ निरस्त आयत

१—फ़ज़रहुम यख़ूज़ू वा यलअबु।	१—आयते सैफ से निरस्त है।

—: सूरत मुज्जम्मिल में ६ निरस्त आयतें :—

१—या अय्योहल मुज्ज़म्मिलो क़ुमिल्लेले।	१—इल्ला कलीला इत्यादि।
२—वल कलीलो बिन्निस्फ़ वन्निस्फे इत्यादि।	२—अविन्कुसमिन्हो कलीला।
३—वा कौलोहू सकीला-	३—युरीदुल्लाहो अय्यो कफ़किफा अनकुम।
३—वह जुरहुम हजरन जमीला।	४—आयने सैफ से निरस्त है।
५—व जर्नी वल मुकज्ज़बीन।	५— ,, ,, ,,
६—फ़मन शाआइत्तख़ेज़ा इला रब्बेही सबीला।	६—वा मा तशाऊना इल्ला अय्यंशा अल्लाहो, वकीला बेआयतिस्सैफ।

—: सरत मुद्दस्सिर में १ निरस्त आयत :—

१—ज़रनी वा मन खलकतो वहीदा ।

१—आयते सैफ से निरस्त है ।

सरत कयामत में १ निरस्त आयत

१—ला तोहरिक बेही लेसानेका लितीजलबेही ।

१—नसखा मानाह ला लफ़्ज़ेहा बकोलेही सुनक-रेवोका फ़लातनसा ।

सुरत इन्सान में २ निरस्त आयतें

१—फ़स्बिर लहुक्मे रब्बेका वा ला तुतेआ मिनहुम आसेमन औ कफ़ूरन ।

१—आयते सैफ से निरस्त है ।

२—इन हाज़ेही तज़किरातुन फ़मन शा अत्ताख्ज़ा इला रब्बेही सबीला ।

२— ,, ,, ,,

सुरत अबस में १ निरस्त आयत

१—कल्ला इन्नाहा तज़किरातुन; फ़मन शा आ ज़िकरह ।

१—वा मा तशाऊना इल्ला अंय्य सा अल्लाहो रब्बिल आलेमीन ।

सूरत तारिक में १ निरस्त आयत

निरस्त आयतें	निरस्त करने वाली आयतें
१—फयहिलिल काफिरीना अमहिल हुम रूवैदा।	१—आयते सैफ से निरस्त है।

सूरत आला में निरस्त नहीं है किन्तु

१—सूरत आला में नासिख है मनुकरे ओका फ़ला तन्स।	१—मनसुख़ नहीं।

सूरत ग़ाशिया में १ निरस्त आयत

१—लसता अलैहिम बेमोसैतरिन	१—आयते सैफ से निरस्त है।

सूरत तीन में १ निरत आयत

१—अलेसल्लाहो बे अह्कमुलहाकेमीन।	१—आयते सैफ से निरस्त है।

सूरत असर में १ निरस्त आयत

१—इन्नल इन्साना लफ़ी खुसरिन ।

१—इलल्लज़ीना आमनु वा अमेलुस्सालेहाते ।

सूरत काफिरून में १ निरस्त आयत

१—लकुम दीनोकुम वा लेयादीन ।

१—आयते सैफ से निरस्त है ।

यद्यपि हम निरस्त आयतों के सम्बंध में पूर्व लिख चुके थे किन्तु निरस्त आयतों को एक स्थान पर संकलित करने हेतु हमने ७०० वर्ष पूर्व श्री अल्लामा जलालुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद सियुती द्वारा लिखित पुस्तक "लबाबन नकूल फ़ी अस्बानिन्नजूल के निरस्न प्रकरण से उक्त उद्धरण किया है। उक्त पुस्तक में १६२ आयतों को निरस्त बताया गया है। श्री सियुती जैसे विख्यात विद्वान के कथन के सन्मुख आधुनिक मुस्लिम व्याख्याताओं के लेखों को किसी भी स्थिति में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

श्री सियुती ने जिन १६२ आयतों को निरस्त कहा है, वे सप्रमाण हैं और इनको संकलित करने वाले श्री अबी अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हज़म हैं।

—:कुरआन में परस्पर विरोधी आयतें:—

—:—

गत प्रकरण में हम कुरआन की निरस्त आयतों को विस्तृत व्याख्या एवँ उद्धरण प्रस्तुत कर चुके हैं, जो कि वास्तव में वह प्रकरण भी कुरआन के विरोध को समाप्त करने हेतु हो किया गया है किन्तु वह असफल रहा और आज भी कुरआन में विरोध स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में हम कुरआन की कुछ परस्पर विरोधी आयतें यहाँ पर प्रस्तुत करते है।

कुरआन में एक आयत विभिन्न स्थानों पर दोहराई गई है, जो निम्नानुसार है:—

इन्ना रब्बाको मुल्ला हुल्लाजी खलकस्स मावाते वल अरजा फी सित्तैत अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्शे।

कुरआन, पारा ८, रकू ७/१४ कुरआन, पारा ११, रकू १/६
कुरआन, पारा १९ रकू ५/३ कुरआन, पारा २१, रकू १/१४
कुरआन, पारा २६, रकू ३/१७
कुरआन, पारा २७, रकू १/१७ इत्यादि।

अर्थात—वह (अल्ला) जिसने पैदा किये आसमान और धरती ६ दिन रात की अवधि में। दिन का तात्पर्य सूर्योदय से सूर्यास्त होने का है। प्रथम वचन सत्य और विख्यात है कि कुन (हो जा) मात्र के प्रयोग से उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले खुदा ने धीरे धीरे उत्पत्ति की और फिर खुदा ने अर्श (खुदा का

सिंहासन) का निर्माण किया। उसकी आज्ञा अर्श पर प्रभावशील हुई अथवा वह (अल्ला) स्वयँ सिंहासन पर आरूढ़ हुआ............ और वास्तविकता यह है कि अर्श पर खुदा का बैठना ही एक उसका गुण है और यह 'मुतशाबेहाते' कुरआन में से है ('मुतशाबेहाते' उसे कहते हैं जिसका अर्थ केवल खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता है) हम उसका विश्वास करते हैं और उसका स्पष्टीकरण खुदा पर ही छोड़ते हैं।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ३११

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मजहरी में भी वही बात लिखी है जो कि तफसीर कादरी में है किन्तु कुछ विशेष भी लिखा है जो कि निम्नानुसार है:—

अहले सुन्नत का कथन है कि खुदा का सिंहासन पर बैठना उसका एक गुण है, (अर्थात उसका विवरण, अवस्था और स्थिति को नहीं समझा जा सकता है) उस पर विश्वास करना अनिवार्य है। उसका ज्ञान अल्लाह पर छोड़ना चाहिए।

एक मनुष्य ने ईमाम मालिक बिन अंस से खुदा के सिंहासन पर बैठने का विवरण पूछा। इमाम ने क्षणिक मस्तक नवाँ कर कहा—इसके अथ ज्ञात है किन्तु उनका समझना असम्भव है। इस बात पर विश्वास अनिवार्य है और इसको पूछना बिदअत्त (इस्लाम के विरूद्ध मानसिक कल्पना) है। मेरे विचार में तू पथभ्रष्ट है। यह कह कर इमाम ने उसे अपनी सभा से बाहर निकलवा दिया।

तफसीर मजहरी, भाग ४, पृष्ठ ३१४-३१५

विश्व ६ दिन में किस प्रकार बनाया ?

आयत :—

होवल्लाजी खलक लकुम्मा फिलअर्जे जमीआ सुम्मस्तवा इलस्समायेफस्वान्ना सब्आ समावात ।

कुरआन, पारा १, रकू ३/३

अर्थात—खुदा वह है जिसने अपनी शक्ति से बिना कारण (अभाव से) पैदा की तुम्हारे लाभ के लिये जो वस्तुएँ पृथ्वी में है, पहाड़-नदियें-वनस्पत्तियाँ-पशु । फिर पृथ्वी उत्पन्न करने के पश्चात् आसमान उत्पन्न करने का प्रयास किया और ठीक सात आसमान बनाये ।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ६

अर्थात—खुदा ने पहिले धरती का निर्माण किया, उस पर नदी पहाड़-जंगल और पशु बनाये और इसके पश्चात् आसमान का निर्माण किया ।

उक्त आयत का यही अर्थ तफसीर मज़हरी पृष्ठ ७४।१ और तफसीर जलालेन पृष्ठ ७ व तफसीर कुरानुल अजीम पृष्ठ ४ पर है ।

उक्त आयत के विरोध में कुरआन की निम्न लिखित आयत देखिये :—

खलकल अरजा फी योमैने वा तजअलूना लहू अन्दादन जालेकारब्बुल आलमीन । वा जअ अला फीहा खसिया मिनफौकेहा बाबारका फीहा वा कद्दरा फीहा अकवातहा फी अरबअते अय्यामिन

सवाअन लिस्सायेलीन। सुम्मस्तवा एलस्समाये फहेया दुखानुन.... फ़कजा हुन्ना सब्आ समावातिन फीयौमैने।

कुरआन पारा २४, रकू २।१६

अर्थात—ऐ मुहम्मद ! कह दो कि तुम नहीं विश्वास करते उस पर जिसने उत्पन्न की भूमि दो दिन में..........."इमाम अबुल-लैस ने लिखा है कि रविवार को पृथ्वी उत्पन्न की और सोमवार को फैला दी।" और बनाते हो उसके लिये अपनी जिव्हा से दुसरा खुदा। खुदा वह है जिसने उत्पन्न की है। पृथ्वी और सारी सृष्टि का पालनकर्ता है और उत्पन्न किये उसने पृथ्वी में पहाड़ उँचे व दृढ और वृद्धि प्रदान की पहाड़ों में, चश्मों से, खानों से अथवा भूमि को वृद्धि दी, वृक्षों से, खेतों से, पशुओंऔर नहरों से, उपलब्ध कर दी भूमि पर रहने वालों को खाद्य वस्तुएँ। अर्थात हर नगर, हर ग्राम और हर स्थान के लोगों के हेतु जीवनयापन का साधन जैसे गेहूँ-जौ-चावल-खजूर और माँस व इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ चार दिन में। फिर प्रयास किया आसमान को उत्पन्न करने के लिये, वो धुँआ था अर्थात पानी की भाप..... ज़ादल मसीर में है कि खुदा ने जब जल को उत्पन्न किया तो उस पर अग्नि को प्रभावित कर दिया, वह पानी को उबाल में लाई और जो भाप उत्पन्न हुई उससे खुदा ने आसमान उत्पन्न किया।" इसी सम्बंध में ऐनल मुआनी में है "खुदा ने एक हरित रत्न उत्पन्न कर उसकी ओर आतंकपूर्ण दृष्टि से देखा तो वह पिघल कर लावा की तरह बह निकला और फिर उस पर आग प्रभावित कर दी, जिससे उबाल आया और भाप व झाग उठे, झाग से भूमि और भाप से आसमान उत्पन्न किये।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३७५-३७६

इस पर विवरण देखिये—

उपरोक्त आयत के सम्बंध में तफसीर हक्कानी में लिखा है कि "खुदा ने भूमि उत्पन्न करने के पश्चात उस पर पहाड़ स्थापित किये और उसकी वृद्धि और लाभ को अंक कर उत्पन्न वस्तुओं का निर्धारण किया। सब काम मिल कर चार दिन में पूर्ण हुआ। इसके पश्चात आसमान निर्माण की ओर आकृष्ट हुआ।"

तफसीर हक्कानी, पारा २४, पृष्ठ ३६

इस आयत में स्पष्ट है कि प्रथम दो दिनों में भूमि बनाई और चार दिनों में पहाड़-नदियें-खानें-वनस्पति-पशु और प्रत्येक ग्राम-नगर व स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिये जीवनोपयोगी खाद्य वस्तुएँ निर्माण की और इसके पश्चात दो दिनों में आसमान उत्पन्न किया। कुछ मुस्लिम व्याख्याकारों ने भूमि उत्पत्ति के दो दिनों को चार दिनों में सम्मिलित करके इन छः दिनों की गणना को चार दिनों में ही सीमित कर दिया है, जो कि किसी भी प्रकार ठीक नहीं है क्योंकि उक्त छः दिनों का समस्त कार्य पृथक-पृथक है, जैसे प्रारम्भ के दिनों में तो भूमि उत्पन्न की (इमाम अबुललैस ने कहा कि रविवार को पृथ्वी बनाई व सोमवार को फैला दी) तत्पश्चात चार दिनों में पहाड़-नदियें खानें-वनस्पति-पशु एवं जीवनपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। अर्थात इन चार दिनों का सारा कार्य ही पृथक है। इसके पश्चात दो दिनों मैं आसमान उत्पन्न किया जो कि निर्विवाद सत्य है। इस प्रकार कुल मिला कर गणित के अनुसार ८ दिन होते हैं, जब कि अनेक आयतों में ६ दिन ही कहा गया है।

इसी सम्बंध में तफसीर बयानुल कुरआन के लेखक ने लिखा है कि "व्याख्याकारों ने आम रूप से यह त्रुटि की है कि चार दिन में प्रारम्भिक दो दिनों को सम्मिलित समझा है और फिर आयत बारा के दो दिन लेकर कुल ६ दिन बनाये हैं, अर्थात चार दिन में भूमि उत्पन्न हुई और दो दिनों में आसमान। यदि पहले चार दिन प्रारम्भिक दो दिनों सहित होते तो आयत बारा में यौमैने (दो दिन) के स्थान पर सित्तते अय्यामिन (६ दिन) लिखा होना चाहिये था। इस बँटवारे के चार दिन में भूमि और दो दिन में आसमान उत्पन्न हुए। इसका कोई प्रमाण नहीं है। अपितु यहाँ पर यह कथन है कि आज से १३०० वर्षों पूर्व किसी के भी मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न नहीं था।

तफसीर बयानुल कुरआन पारा २४ सूरत

हामीम सजदा, पृष्ठ १६४७,

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक दो दिनों को चार दिनों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं, वे भूल कर हे। उपरोक्त आयतों का विरोधाभास स्पष्ट है। इसी प्रकार इन आयतों का विरोध करनेवाली एक और आयत प्रस्तुत करते हैं। विरोध इस प्रकार है कि इन आयतों में भूमि पहले और आसमान पश्चात् बनाये लिखा गया है किन्तु अब जो आयत लिख रहे हैं उसमें आसमान पहिले और भूमि एवँ अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति बाद में बताई गई है।

आयत इस प्रकार है :—

आ अन्तुम अशद्दो खल्कन अमिस्समाओ बनाहा रफ़ाआ समकहा फ़सव्वाहा वा अग़तशा लैलहा वा अखरजा जुहाहा। वलअर्ज़ा

बादा ज़ालिका दहाहा। अखरजा मिन्हा माआहा वा मरआहा। वलजेबाला अरसाहा मता अल्लाकुम वले अनआमेकुम।

कुरआन पारा ३०, सूरत नाजेआत रकू २/४

अर्थात—क्या तुम कयामत से अस्वीकृत करने वालो ! अत्याधिक कठोर और क्रूर हो उत्पत्ति के कारण से, अथवा आसमान तुम्हारे पर बनाया बड़े महत्व से, उसे उठाया और उसकी छत को अर्थात उसे भूमि के ऊपर बड़े अनुमान से ऊँचाई तक बनाया, फिर उसे सीधा और समान कर दिया बिना किसी विघ्न और अवरोध के, और उसकी रात्रि को अँधकारमय किया, और उसके दिन को प्रकाशित किया, और भूमि को आसमान उत्पन्न करने के पश्चात् बिछाया और फैलाया। बिछाई हुई भूमि से निकाला उसका पानी, चश्में-नदियाँ फाड़ कर, और निकाला गोचर भूमि और पहाड़ों को दृढ़ और स्थिर कर दिया। तुम्हारे और तुम्हारे पशुओं के लिये।

तफसीर कादरी, भाग २, पारा ३० पृष्ठ ६०८

इस आयत के सम्बंध में तफसीर मजहरी में लिखा है कि "आसमान को उत्पन्न करने के पश्चात भूमि को अल्ला ने बिछाया और उसके पश्चात् पहाड़-चश्में-नहरें-जंगल और गोचर' स्थानों को बनाया।

तफसीर मजहरी, पारा ३०, पृष्ठ २९३—२९४

ऐसा ही उल्लेख कि 'भूमि की उत्पत्ति आसमान के बाद हुई बयानुल कुरआन पृष्ठ १९२८ में लिखी है।

इस आयत के पूर्व उल्लेखित आयत में यह वर्णन कि खुदा ने छः दिनों के प्रथम दो दिनों में भूमि उत्पन्न की और उसके पश्चात के चार दिनों में भूमि पर पहाड़-जंगल-नदियें, गौचर स्थान—पशु और प्रत्येक ग्राम-नगर व स्थानों के लोगों के लिये जीवनोपयोगी खाद्य वस्तुए जिनमें गेहूँ-जौ चाँवल-खजूर व मांस बनाये और उसके भी बाद दो दिनों में आसमान उत्पन्न किया, जब कि ऊपर वर्णित आयत में यह कहा गया है कि पहिले खुदा ने आसमान बनाये उसकी छत को अनुमान से धरती से ऊँचाई पर पहुंचाया उसे सीधा और समान बनाया रात्रि अँधकारमय की और दिन को प्रकाशित किया और इसके पश्चात भूमि को बिछाया और फैलाया और फिर इसके पश्चात धरती को फाड़ कर जल निकाला, नहरें और चश्में बनाये, गौचर भूमि और पहाड़ बनाये और उन्हें दृढ़ व स्थिर कर दिया।

सोचने का विषय है कि मुस्लिम व्याख्याकारों ने जो पृथ्वी को फैलाने की कल्पना की वो नितान्त ही असत्य होकर भ्रमपूर्ण है, क्योंकि पहली आयत की व्याख्या में स्पष्ट कहा गया है कि एक दिन में भूमि बनाई व एक दिन में बिछाई और जब भूमि पर पहाड़-चश्में-नहरें-जंगल और पशु भी बना दिये गये थे तो फिर भूमि फैलाने का प्रश्न ही नहीं रहता है। आयत में भी कहा गया है कि आसमान उत्पन्न होने के पूर्व ही उपरोक्त समस्त वस्तुएँ बनाई जा चुकी थी और जब यह उपरोक्त समस्त वस्तुएँ उत्पन्न हो गई तब कहीं जाकर खुदा ने बाद में आसमान उत्पन्न किया।

इससे स्पष्ट होता है कि गत वर्णित तीनों आयतों में परस्पर स्वयं इतना उलझाव-विरोध व गोरखधंधा है कि

जिसे न तो आज तक कोई मुस्लिम व्याख्याकार सुलझा सका है और न सुलझा ही सकेंगे। अतः विरोध स्पष्ट है-ज़मीन पहले बिछा दी गई थी जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं।

–:मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है:–

इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि मनुष्य कर्मों के प्रति कुरआन की आयतों में कितना मतभेद है, क्योंकि कुरआन की कुछ आयतें कर्म सम्बंधी स्वतन्त्रता देती है और कुछ आयतें परतन्त्र रखती है। आयत इस प्रकार है: –

वा मा असाब कुम्मिुसीवतिन। फबेमाकसबतऐदीकुम वा याफू अनकसीर।

कुरआन पारा २५, रकू ४/५

अर्थात– ऐ मुसलमानो! जो तुम्हें कष्ट पहुँचता है, अर्थात माल में, शरीर से या परिवार में आपत्ति आती है, वह तुम्हारे कर्मों अथवा पापों के फलस्वरूप है। किन्तु खुदा बहुत से पाप क्षमा कर देता है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३६४

फिर निम्न आयत में कर्म स्वातन्त्र्य की पुष्टि है। आयत इस प्रकार है:—

मा असाबका मिन हस्नातिन फमेनल्लाहे मा असाबका मिनसय्ये-अतिन फमिन नफसेका।

कुरआन पारा ५. रकू ११/८

अर्थात--जो कुछ तुझे लूट और विजय प्राप्त होती है, वह खुदा की कृपा से है और जो पराजय व हत्या पहुँचती है वो तेरे अपने कारण से है। कतिपय व्याख्याकार लिखते हैं कि 'ऐ इन्सान जो भलाई तुझे पहुँचती है वह खुदा की कृपा से है और जो यातना पहुँचती है वो तेरे कारण से है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ १८०

तफसीर मज़हरी ने भी उक्त आयत का यही अर्थ लिखा है कि "जो तुझे भलाई पहुँचती है वह खुदा की कृपा है और जो तुझे दण्ड प्राप्त होता है वह तेरे कर्मों का फल है।"

तफसीर मज़हरी, भाग ३, पारा ५, पृष्ठ १७४-१७५

उपरोक्त आयतों में यह कहा गया है कि मनुष्य को जो सुफल और भलाई प्राप्त होती है वह खुदा की कृपा है तथा जो कष्ट-यातना और दण्ड प्राप्ति है वह उसके अपने कर्मों के परिणामस्वरूप है किन्तु निम्न आयत में ठीक इसके विपरीत कहा गया है। आयत इस प्रकार है :—

व इन तुसिब्हुम हसनतं य्यकूलो हाजेही मिन इंदिल्लाहे व इन तुसिब्हुम सय्येआतुंय्यकूलो हाजेही मिनइन्देका कुल कुल्लुमिन इंदिल्लाहे।

कुरआन, पारा ५ रकू ११/७

अर्थात्–उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी में कहा गया है कि "जब हज़रत मुहम्मद सा. मदीने चले गये तो यहूदियों और मुनाफ़िकों ने कहा कि जब से यह व्यक्ति और इसके साथी यहाँ आये हैं हमारे फलों और खेतों में लगातार हानि होती

चली आ रही है, यह इन लोगों के दुर्भाग्य की छाया है। इस प्रसंग में उक्त आयत उतरी कही जाती है। यदि उनको कोई भलाई पहुंचती है तो कहते हैं कि यह खुदा की ओर से है और यदि कोई बुराई पहुँचती है तो कहते हैं यह तेरी (मुहम्मद की) छाया के कारण है। ऐ मुहम्मद ! आप कह दें भलाई और बुराई सब अल्ला की ओर से है।

तफसीर मजहरी, भाग ३, पृष्ठ १७३-१७४

उक्त आयत के सम्बंध में ऐसा ही तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ १८० में भी लिखा है।

उपरोक्त आयतों में कहा गया है कि भलाई खुदा की ओर से तथा बुराई मनुष्यों के कर्मों का फल है किन्तु उक्त बाद वाली आयत में तो स्पष्ट कहा गया है कि भलाई और बुराई सब अल्ला की ओर से है इसी प्रकार की अन्य आयतें भी है जो कि पूर्व आयतों का समर्थन करती है।

आयत इस प्रकार है :—

कुललंय्यो सीबना इल्ला मा कतबल्लाहोलना।

कुरआन पारा १०, रकू ७/१३

अर्थात—ऐ मुहम्मद ! उनसे कह दो कि नहीं पहुँचेगी हमें मुसीबत किन्तु जो कुछ खुदा ने हमारे लिये सुरक्षित तख्ती में लिखा है।

तफसीर कादरी, भाग १ पृष्ठ ३६५

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी में कहा गया है कि "ऐ मुहम्मद ! आप कह दीजिये हम पर कोई प्रभाव (अच्छा या बुरा) नहीं पड़ सकता किन्तु वही जो भाग्य में हमारे लौह महफूज (सुरक्षित पट्टी) में लिख दिया है खुदा ने।"

तफसीर मज़हरी भाग ५ पृष्ठ ३०१

इसी प्रकार एक अन्य आयत :—

मा असाबा मिम्मुसीबतिन फिल अर्जे वा ला फी अनफुसेकुम इल्ला फी किताबिम्मिन कबले अन्नबर्रा अहा।

कुरआन पारा २७, रकू ३/११

अर्थात–नहीं पहुँचती है और न पहुँचेगी पृथ्वी में कोई मुसीबत और न तुम्हारे अपनत्व पर कोई मुसीबन किन्तु लिखा गया है लौह महफूज में उस मुसीबत को तुम्हारी पृथ्वी और तुमको उत्पन्न करने के पूर्व।

तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ ५११

उक्त आयत के सम्बंध में इसी प्रकार तफसीर हक्कानी में लिखा है कि जो कोई मुसीबत पृथ्वी में आती है जैसे दुष्काल-वायुरोग अशांनि आदि या मुसीबत तुम्हारे अपनत्व पर पड़ती है जैसे कि बीमारी–अर्थ–संकट–संतान और महयोगी की मृत्यु-अप्रतिष्ठा और अपमान तथा असफलता का प्राप्त होना तुम्हारे पृथ्वी पर आने के पर्व ही भाग्य की पुस्तक में लिखा होता है।

तफसीर हक्कानी, पारा २७ पृष्ठ ७२

अगली आयत में इसको और भी स्पष्ट किया गया है।

आयत इस प्रकार है :—

मा असाबा मिम्मुसीबतिन इल्ला बइज़्निल्लाह ।

कुरआन पारा २८ / रकू २।१६

अर्थात—नहीं पहुँचती है किसी को कोई मुसीबत किन्तु खुदा के आदेश से।

तफसीर कादरी भाग २, पृष्ठ ५४७

तफ़सीर हक्कानी, पारा २८, पृष्ठ १०६ में भी यही लिखा हुआ है।

एक और अन्य आयत :—

वा नबलुकम बिश्शर्रे वलखैरे फ़ितनातन ।

कुरआन, पारा १७, रकू ३।३

अर्थात—हम तुम्हारी परीक्षा लेते है बुराई के माध्यम से अर्थात आपदाओं और यातनाओं में बन्दी बना कर और परखते हैं तुम्हें धन-सम्पत्ति और पुरूस्कार देकर।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५५

इसी प्रकार की एक और अन्य आयत:—

वा मा काना लेनफ्सिन अन्तोमिना इल्ला बेइज़्निल्लाहे यज्अलुर्रिजसा अलल्लज़ीना लायाकिलुन ।

कुरआन, पारा ११, रकू १०/१५

अर्थात—और नहीं है किसी मनुष्य को कि विश्वास करे किन्तु खुदा के आदेश से, और अपवित्र कर देता है उनके मनों को जो ज्ञान हीन है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ १४५१

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी, भाग ५; पृष्ठ ५४६ में भी इसी प्रकार लिखा है।

उपरोक्त वर्णित एवं उद्धृत आयतों के समान कुरआन में अनेक आयतें हैं जिनमें कहा गया है कि खुदा मनुष्यों के कानों आँखों और मन-मस्तिष्क पर मोहरें लगा देता है ताकि वो न समझ सके और खुदा बीमारी बढ़ा देता हे और कुरआन का पाठ करते समय कानों पर आवरण डाल देता है ताकि वे समझ न सके।

उपरोक्त आयतों को उद्धृत करने का हमारा यह मन-तव्य है कि संसार में जो भी भला-बुरा होता है; वह सब खुदा के आदेश से ही होता है। पहली दो आयतों में मुसीबतें कर्म फल का परिणाम है। और अन्त वाली आयतों में सब खुदा के आदेश से है।

—:कर्मफल प्रदाय में विरोध:—

प्रथम आयत निम्नानुसार है:—

वा वुज़े अलकिताबो वा जीया बिन्नबिय्यीना वश्शोहदाए वा कुज़े याबैनहुम बिलहक्के वा हुम ला युज़लमून। वा वुफ्फेयत कुल्लो नफसिम्मा अमेलत।

कुरआन, पारा २४ रकू ७/४

अर्थात—और रखे जायेंगे कर्मपत्र और लायेंगे पैगम्बरों को और साक्षियों को, पैगम्बरों के दावों को सत्य प्रमाणित करने के लिये और न्याय व सत्य के साथ मनुष्यों के कर्मों का निर्णय किया जायेगा और उन पर अन्याय नहीं होगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मानुसार ही फल दिया जायेगा।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ३५५

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर हक्कानी; पारा २४, पृष्ठ १३ में भी इसी प्रकार लिखा है।

कर्मफल पूरा दिया जायेगा इस सम्बंध में एक और निम्न आयत :—

फमैय्यंमलो मिस्काला ज़र्रातिन खैरय्यंरह, फमंय्यमलो मिस्काला ज़र्रातिन शरय्यंरह।

कुरआन पारा ३० सुरत जिलज़ाल

अर्थात—जो कोई कर्म करे, छोटी चींटी के समान सुकर्म और जो कोई कुकर्म करे छोटी चींटी के समान, दोनों का फल पूरा-पूरा मिलेगा। इब्ने अब्बास ने कहा कि संसार में कोई मोमिन या काफिर ऐसा नहीं है कि जिसने भलाई-बुराई न की हो। खुदा कयामत के दिन उसके कृत्यों को दिखायेगा परंतु मोमिन के कुकर्म क्षमा कर देगा और नेक कर्मों का फल उसे देगा। और काफिर के सुकर्म निरस्त कर देगा और बरे कृत्यों के लिये उसे कष्टदायक दंड देगा।

तफसीर कादरी भाग २ पृष्ठ ६४४

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मजहरी में इस प्रकार है कि-पस काफिरों के कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। जब वह खुदा के पास पहुँचेंगे तो अल्ला उनके कुकर्मों का पूरा-पूरा दंड देगा अर्थात यदि अपराधों की क्षमा न हुई तो जिसने कण मात्र भी अपराध किया होगा तो उसे उसका दण्ड भोगना पड़ेगा।

उपरोक्त वाक्य में हमने अपराधों के क्षमा न होने का अनुबंध लगाया है, क्योंकि आयतों और हदीसों से बिना क्षमा-याचना वा पश्चाताप के अपराधों से मुक्त होना प्रमाणित है, जैसे शिर्क (दूसरा ईश्वर मानना) के अतिरिक्त खुदा समस्त अपराध क्षमा कर देता है।

मर्जीया सम्प्रदाय का कथन है कि मोमिन चाहे फासिक (मिथ्याभाषी) ही क्यों न हो, अल्ला उसे कष्टदायक दण्ड न देगा और मोमिन को विश्वास होते हुए कोई अपराध उसे हानिकारक नहीं होगा।

तफसीर मजहरी, पारा ३० पृष्ठ ५०४–५०५

गत आयतों में यह कहा गया था कि मनुष्यों को उनके भले और बुरे कर्मों का फल समान रूप से दिया जायेगा तथा सत्य व न्याय के साथ सबका निर्णय होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा किन्तु आगत आयतों को देखिये। आयत इस प्रकार है :—

इन्नल्लाहा लायग़फिरो अय्युशरका बेही वा यग़फिरो मा दुन ज़ालेकालेमय्यंशाओ।

कुरआन, पारा ५ रकू १८/१५

अर्थात—अल्लह् शिरक (दुसरा ईश्वर मानना व भक्ति करना) को क्षमा नहीं करता है और इसके अतिरिक्त जो अपराध है उनको जिसे चाहे क्षमा कर देता है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ १६६

उक्त आयत की व्याख्या में तफसीर मज़हरी में लिखा है कि तौबा करने से शिर्क (दुसरा ईश्वर मानना व उसकी भक्ति करने वाला) भी क्षमा हो जाता है।

तफसीर मज़हरी भाग ३ पृष्ठ १२७

इसके आगे तफसीर मज़हरी के लेखक ने लिखा है कि "बगवी ने कलबी के प्रमाण से लिखा है कि—वह्शी बिन हारब और उसके मित्रों ने क़हा हमें हज़रत हमज़ा को मारने के सम्बंध में अत्याधिक लज्जा अनुभव हुई और मुसलमान होने में निम्न-लिखित बातों की रुकावट है, जैसे हमने खुदा के स्थान पर दुसरों की उपासना की और निरपराधियों का वध भी किया तथा व्याभिचार किया। कुरआन की पूर्वोक्त आयतें हमें मुस-लमान होने से रोकती है। इस पर यह आयत उतरी कही जाती है। '**इल्लामन ताबा वा अमेला अमलन स्वालेह्न**' अर्थात—जो कोई तौबा करे और नेक काम करे तो बाद में उनके पूर्व अप-राधों का प्रभाव दूर हो जायगा। हज़रत मुहम्मद ने यह दोनों आयतें वह्शी और उसके मित्रों को लिख भेजीं। उन लोगों ने पुनः हज़रत मुहम्मद को लिखा कि हमने तो एक भी कोई भला काम नहीं किया। इस पर उक्त आयत उतरी (जिसकी हम व्याख्या कर रहे है) और हजरत मुहम्मद ने यह आयत भी उनको

लिख भेजी। उन्होंने उत्तर दिया कि इस आयत में अपराधों को क्षमा खुदा की ईच्छा पर निर्भर है, हमें शंका है कि खुदा की इच्छा हमारे अपराधों को क्षमा करने की हो या न हो। उस पर यह आयत लाई गई **"या एबायेयल्लाजीना असरफू अनफूसेही"** उतारी गई हज़रत मुहम्मद ने यह आयत भी उनको भेज दी। यह सुन कर वो लोग मुसलमान हो गये।

तफसीर मज़हरी, भाग ३, पृष्ठ १२८-१२९

तफसीर मज़हरी में वर्णित उक्त पूरी आयत इस प्रकार है:—

क़ुल याऐबादे यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसेहिम ला तकनत मिरहमतिल्ला, इन्नलल्लाह यगफिरूज़ुनुबा जमीआ इन्नाहू हुवलग़फूर्रहिम।

कुरआन पारा २७ सूरत ज़ुमर, रकू ६/३

अर्थात—ऐ मुहम्मद ! कह दे, ऐ हमारे वो भक्तों जिन्होंने अत्याधिक अपराध किये हैं, वो खुदा की कृपा प्राप्ति में निराश न हों, निसन्देह खुदा समस्त अपराधों को क्षमा कर देगा, वह अपराध क्षमा करने वाला दयालु है।

तफसीर कादरी, भाग २ पृष्ठ ३५२

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर हक्कानी ने लिखा है—ऐ मुहम्मद ! मेरे उन भक्तों से कह दो जिन्होंने घोर पाप किये हैं, वे लोग खुदा की दयालुता से निराश न हों क्योंकि वह खुदा समस्त अपराध क्षमा कर देता है, वह बड़ा कृपालु और क्षमा करने वाला है।

तफसीर हक्कानी, पारा २४, पृष्ठ ४

उपरोक्त आयतों में और इसके पूर्व वर्णित आयतों में कितना घोर विरोधाभास है। पूर्व की आयतों में कहा गया कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा सबको कर्मानुसार फल मिलेगा। इसके पश्चात की आयतों में कहा गया कि खुदा केवल शिर्क (दुसरे ईश्वर को मानना व भक्ति करने वाले) को क्षमा नहीं करता और शेष सभी अपराधों को वह जिसे चाहे क्षमा कर देता है किन्तु इसके बाद अर्थात उपरोक्त आयत में स्पष्ट कहा है कि खुदा घोर पाप और अत्याधिक अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देता है किन्तु वह खुदा का अपना भक्त होना चाहिये फिर उसके सभी अपराध क्षम्य है।

उक्त आयत के सम्बंध में एक हदीस अबू जर की बुखारी में इस प्रकार है:—

फकाला मामिनअब्दिन काला ला इलाहा इलल्लाहो सुम्मा माता अलाज़ालेका इल्ला दखलल जन्नत, कुलतो वा इन ज़ना वा इन सरकातकाला वा इन ज़ना वा इन सरका।

अर्थात—अबुज़र से कथन है कि मैं हज़रत मुहम्मद के पास गया तो हज़रत ने कहा कि कोई मनुष्य नहीं जो कहे 'ला इलाहा इलल्लाह' और फिर इसी कलमे पर प्राण दे देवे तो वह अवश्य ही स्वर्ग में प्रविष्ट होगा। अबुज़र कहता है कि मैंने हज़रत मुहम्मद से निवेदन किया कि यद्यपि उसने चोरी या व्याभिचार किया हो तो ? इस पर हज़रत ने उत्तर दिया कि चाहे उसने चोरी या व्याभिचार किया है तो भी वह स्वर्ग में जायगा।

हदीस में लिखा है कि—अबुज़र ने हज़रत मुहम्मद से तीन बार उक्त बात पूछी और तीनों बार हज़रत ने यही उत्तर दिया। कितना विरोध उक्त आयतों में है यह आपने देख लिया।

तजरीदुल बुखारी किताब्बुल लिबास
हदीस क्रमांक ८०३, पृष्ठ ३६४

अब इस कहानी को सूक्ष्म दृष्टि से देखें कि कुरआन की आयतें कैसे बनती रही वहशी और उसके साथियों ने कहा कि यह आयतें कुरआन की हमें मुसलमान बनने से रोकती है इनमें लिखा है कि जो कर्म कोई करेगा उसको पूरा फ़ल मिलेगा इस पर हज़रत मुहम्मद ने एक आयत यह उतारी कि शिर्क के सिवा सब गुनाह (पाप) खुदा क्षमा कर देता है यह भी वहशी और उसके मित्रों को भेज दी इसके पीछे एक और आयत भेजी कि सब पापों को चाहे तो क्षमा कर देता है-इन पर वहशी और उसके साथियों ने हज़रत मुहम्मद को फिर कहा-कि हममें तो खुदा की इच्छा पर प्रतिबंध है-चाहे तो क्षमा करे चाहे न करे फिर अंत में ला तक्नतू मिरेहमातल्लाह वाली आयत उतारी जिसमें बिना शरत के सब पाप क्षमा होने का उल्लेख है चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो चाहे शिर्क हो चाहे कुछ और ही हो यह है आयतों के उतारने का क्रम वहशी अडता ही गया और आयतें उतरती ही गई आखिर इस अंत वाली आयत उतरने पर वह मुसलमान हो गये।

कयामत के दिन खुदा उनसे बात नहीं करेगा

आयत :—

वा ला युकल्लेमो हुमुल्लाहो योमल कयामते वा ला योजक्कीहिम।

कुरआन, पारा २ रकू १/६

अर्थात—खुदा कयामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा और न उनको पवित्र ही करेगा।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ३५ कुरआन

उक्त आयत का विरोध निम्नलिखित आयत करती है, आयत इस प्रकार है :—

फ़वा रब्बेका ल नस्अलन्नहुम अजमईन, अम्मा कानु यामलून।

कुरआन पारा १४, रकू ६/६

अर्थात—पस कसम है तेरे ईश्वर की, हम उन सब से अवश्य प्रश्न करेंगे जो वे कर्म करते थे।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पष्ठ ३६४ कुरआन

ऊपर दी गई कुरआन की दोनों आयतों में स्पष्ट ही परस्पर एक-दुसरे का विरोध है। एक आयत में कहा गया है कि खुदा उनसे कयामत के दिन बात तक नहीं करेगा, जबकि दुसरी आयत में कहा गया है कि अवश्य ही प्रश्न करेंगे जो वे कर्म करते थे। कुरआन में अनेक आयतें हैं जो इसी प्रकार परस्पर एक दुसरे के विरोध में है। उक्त आथतों के सम्बंध में तफसीर जलालेन में भी ऐसा ही कहा गया है।

—:खुदा कर्म पत्रों को पढ़ने का कहेगा:—

आयत :—

वा कुल्ला इन्सानिन अलज़मनाहो ताइरहू फी उनोकेहा, वा तुख-

रेजो लहू योमल कयामते किताबय्यं यलकाहो मनशूरा। इकरा किताबका।

कुरआन, पारा १५, २/२

अर्थात—प्रत्येक मनुष्य चाहे वह मोमिन हो, चाहे काफिर हो, उसके कर्म प्रारम्भ से ही उसके साथ साथ निश्चित कर उसकी गर्दन में लटका दिये हैं। वह भाग्य में लिखा हुआ उसे अवश्य ही करना पड़ता है। ज़ादल मसीर में लिखा है कि जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके लिखे हुए भाग्य को उसके गले में लटका दिया जाता है। प्रत्येक मनुष्य के गले में लटके कर्म पत्र को कयामत के दिन हम (खुदा) निकालेंगे और वह उसे अपने हाथों में प्रत्यक्ष देखेगा और खुदा कहेगा कि अपना कर्म पत्र स्वयँ पढ़ और उस दिन समस्त मनुष्य पठित होंगे।

तफसीर कादरी, भाग १ पृष्ठ ५९२-५९३

यह अच्छी बात है कि यहां पर तो मुसलमान लोग बहुत कम पढ़े-लिखे होते हैं किन्तु खुदा ने अपने वहां सबको पढ़ा हुआ होने की अनिवार्य व्यवस्था कर रखी है ताकि कयामत के दिन वे खुदा के सामने अपने अपने कर्मपत्रों को पढ़ सकें। निम्न-लिखित आयत उक्त आयत का विरोध करती है और बतलाती है कि वहां भी कर्मपत्रों को पढ़ने में असमर्थ होंगे। आयत इस प्रकार है:—

वा नहशुरोहुम योमल कयामते अला वजूहे हिम उमयंव्वा बुक्मंव्वा सुम्मन मा वाहुम जहन्नम।

कुरआन, पारा १५, रकू ११/११

अर्थात हम कयामत के दिन उन्हें एकत्रित करेंगे उनके सिर के बल पर। अन्स बिन मालिक का कथन है कि—मैंने हज़रत मुहम्मद से पूछा कि वे पथभ्रष्ट लोग अपने मुँह के बल कैसे चलेंगे ? हज़रत ने उत्तर दिया कि जो ख़ुदा उन्हें पैरों के बल चलाता है वो इसमें भी समर्थ है कि उन्हें मुँह के बल चलाये। और हम एकत्रित करेंगे उनको अंधो-गूंगों और बहरों को और उनका स्थान नर्क है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ६१५

इस आयत में कहा गया है कि अंधो-गूंगो और बहरों को एकत्रित करेंगे और उनका स्थान नर्क है। अर्थात जब लोग अंधे-गूंगे और बहरे होंगे तो किस प्रकार वे अपने कर्म पत्रों को पढ़ेंगे, ? यह सोचने का विषय है। विरोध स्पष्ट है।

—:कर्मों का तोल होगा:—

आयतः—

वा नज़उल मवाज़ी नल्किस्ता लेयौमिल कयामते।

कुरआन, पारा १७, रकू ४/४

अर्थातः—हम कयामत के दिन रखेंगे न्याय तुलाओं पर........... प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उस तुला में तोले जायेंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कर्म तोलने के लिये एक तुला होगी।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५७

इसी प्रकार की एक और अन्य आयतः—

वल्वज़्नो यौमए ज़िन निल्हक्क, फमन सकोलत् मवाज़ीनोहू

फ़ऊलाएका हुमल्मुफ़लेहून, इत्यादि ।

कुरआन, पारा ८, रकू १/८

अर्थात–और कयामत के दिन प्रत्येक के कर्मों का तोल सत्य है। कुछ व्याख्याकारों का कथन है कि कर्मपत्र उस तुला में तोलेंगे जिसमें एक डंडी और दो पलड़े होंगे, और तिबियान में इब्ने अब्बास ने कहा है कि तुला की डंडी की लम्बाई ५० हजार वर्षों का मार्ग है और उसका एक पलड़ा प्रकाश व एक अंधकार का है। सुकर्मों को प्रकाश के पलड़े में व कुकर्मों को अंधकार के पलड़े में रखेंगे।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ २९८

उपरोक्त दोनों आयतों में स्पष्ट कहा गया है कि कयामत के दिन सब मनुष्यों के कर्मों को तोला जायेगा।

उक्त आयत की व्याख्या में तफसीर मज़हरी में लिखा है कि-ठीक-ठीक तोल उस दिन होगा..........हज़रत इब्ने अब्बास का कथन है कि तुला की एक जिव्हाँ और दो पलड़े होंगे।

तोल किस वस्तु का और किस प्रकार होगा। इस सम्बंध में मुस्लिम विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि कर्म-पत्र तोले जायेंगे। तिरमज़ी, इब्ने माजह, इब्ने हबान, हाकिम और बैहकी ने हजरत इब्ने उमर के कथनानुसार लिखा है और हाकिम ने इसकी पुष्टि की है, कि हजरत मुहम्मद ने कहा कि कयामत के दिन मेरे सम्प्रदाय के एक व्यक्ति को सबके समक्ष लाया जायेग और उसके ९९ कर्मपत्र खोले जायेंगे। प्रत्येक कर्मपत्र की लम्बाई दृष्टि की सीमा तक होगी और अल्लाह उसे पूछेगा कि क्या तुझे इसमें से कोई बात

अस्वीकार है। क्या मेरे लेखकों ने (लिखने में) तेरे साथ अन्याय किया है? इस पर वह व्यक्ति उत्तर देगा कि नहीं किया है। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं ? तेरी एक भलाई हमारे पास उपस्थित है और आज तुझ पर अन्याय नहीं किया जायेगा। यह होने के पश्चात एक छोटा सा पत्र निकाला जायेगा जिसमें लिखा होगा **'अशहदो अल्ला इलाहा इल्लाह वशहदो अन्नामुहम्मदन अब्दुहू वा रसूलुहू'** वह व्यक्ति निवेदन करेगा मेरे मालिक इन बड़े-बड़े खातों की तुलना में इस छोटे से पत्र का क्या अस्तित्व है। अल्लाह कहेगा तुझ पर अन्याय नहीं होगा। फिर कर्मों के समस्त बही-खातों को तुला के एक पलड़े में रखा जायेगा और वह छोटा सा पत्र तुला के दूसरे पलडे में रख दिया जायेगा। कर्मों के बही खाते वाला पलड़ा ऊपर उठ जायेगा तथा वह छोटे से पत्र वाला पलड़ा भारी निकलेगा (क्योंकि) अल्लाह के नाम से कोई वस्तु भारी नहीं।

तफसीर मजहरी, भाग ४, पारा ८ पृष्ठ २६८

पाठक वृन्द ! देखें और सोचें कि खुदा का न्याय तथा न्याय पद्धति कैसी और किस प्रकार है ? कर्मों का निर्णय किस प्रकार होता है ? एक और ९९ कर्मपत्र है जिनकी लम्बाई असीमित है और उसकी तुलना में एक छोटा सा पत्र, जिस पर केवल कलमा शहादत लिखा है, भारी प्रमाणित होता है और यह कहा जाता है कि अल्लाह के नाम से कोई वस्तु भारी नहीं अर्थात जीवन में अनेक पाप और अपराध करो और अल्लाह का नाम लो, बस अल्लाह का नाम सभी अपराधों को समाप्त कर देता है।

इसके आगे तफसीर मज़हरी ने इसी सम्बंध में और भी लिखा है:—इमाम अहमद ने प्रामाणिक रूप से लिखा कि हज़रत मुहम्मद ने कहा कि कयामत के दिन तुलाएं स्थापित की जायेगी और फिर एक मनुष्य को एक पलडे में रख दिया जायेगा और उसके साथ ही उसका कर्मपत्र भी रख दिया जायेगा। तुला उसको लेकर झुक जायेगी फलस्वरुप उसे नर्क की ओर भेज दिया जायेगा। ज्योंहि उसका मुंह फिरेगा खुदा की ओर से एक उच्च स्वर से घोषणा करने वाला कहेगा शीघ्रता मत करो, अभी इसका कुछ शेष रह गया है। पश्चात् एक छोटा सा पर्चा लाया जायेगा। जिसमें '**ला इलाहा इलल्लाहा**' लिखा होगा। वह पर्चा तुला के दुसरे पलडे में रखा जयेगा तो तत्काल ही तुला उस ओर झुक जायेगी। (अर्थात वह स्वर्ग को चला जायेगा)

फिर आगे इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कथन लिखा है—कयामत के दिन हज़रत आदम के ठहरने का एक ऐसा स्थान होगा, जहाँ पर वह खडे-खडे नर्क जानेवालों को देखते रहेंगे। इसी स्थिति में हज़रत मुहम्मद के सम्प्रदाय के एक व्यक्ति को नर्क की ओर ले जाते हुए देख कर आदम पुकारेंगे-अहमद! (हज़रत मुहम्मद का एक नाम) मैं उत्तर दुंगा ! ऐ समस्त मनुष्यों के पिता (आदम) मैं यहाँ हूँ। हज़रत आदम कहेंगे तुम्हारे सम्प्रदाय के एक व्यक्ति को नर्क की ओर ले जाया जा रहा है। मैं (हज़रत महम्मद) यह सुनते ही तत्काल फरिश्तों के पीछे जाऊँगा और कहुँगा कि ऐ अल्लाह के दूतों ठहर जाओ, फरिश्ते उत्तर देंगे—हम दृढ़ और शक्तिशाली हैं, जो आदेश अल्लाह का होता है उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। उनके इस उत्तर पर (रावी ने कहा) हज़रत मुहम्मद

निराश हो जायेंगे तो अपने बाँये हाथ की मुट्ठी में अपनी दाढ़ी को पकड़ कर खुदा के सिंहासन की ओर मुँह कर प्रार्थना करेंगे कि मेरे मालिक! तूने मुझे वचन दिया था कि मुझे मेरे सम्प्रदाय में आप लज्जित नहीं करेंगे। तत्काल सिंहासन से आवाज आयेगी–मुहम्मद का कहना मानो और उस व्यक्ति को पुनः कर्मों के तोलने के स्थान पर लौटा लाओ। (पुनः हज़रत मुहम्मद कहते हैं) फिर मैं (अंगुली के) पोरे के बराबर एक सपेद पर्चा अपनी गोदि से निकाल कर बिस्मिल्लाह कह कर तुला के दाँये पलडे में डाल दूँगा, फलस्वरुप भलाईयों का पलड़ा झुक जायेगा तो तत्काल घोषणा होगी कि यह सफल हो गया और उसे स्वर्ग ले जाने की आज्ञा हो जायेगी।

तफसीर मज़हरी, भाग ४, पारा ८, पृष्ठ २६६

उक्त सम्बंध में कहाँ तक लिखा जाये वैसे लिखने को तो इस प्रसंग में अनेकों गाथाएँ कई मुस्लिम शास्त्रों में विद्यमान है, अस्तु हम केवल एक प्रमाण देकर इस विषय को समाप्त करते हैं। जिन व्यक्तियों को अधिक देखना हों वे तफसीर मज़हरी के पृष्ठ २७०-७१ और ७२ देखे। एक और प्रमाण निम्नानुसार है :—

अल्लाह ने (हज़रत मूसा से) कहा कि मूसा! यदि समस्त आसमान और मेरे अतिरिक्त उन आसमानों की सारी सृष्टि और सातों पृथ्वीएँ एक पलडे में हों और दुसरे पलडे में **'ला इलाहा इलल्लाहो'** हो तो यह उन (आसमानों और जमीनों) को ले झुकेगा।

तफसीर मज़हरी भाग ४, पारा ८, पृष्ठ २६६-७०

उपरोक्त दिये गये समस्त उद्धृणों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कयामत के दिन न्याय कैसा और किस प्रकार होगा, किस प्रकार मोमिनों के साथ पक्षपात और काफिरों के साथ अन्याय होगा ? जो लोग हज़रत मुहम्मद के सम्प्रदाय के हैं उन्हें खुदा उनके कहने पर नर्क न भेजते हुए स्वर्ग भेज देंगे चाहे वह फिर कितना ही पापी और अपराधी क्यों न हो। इन प्रसंगों से खुदा का न्याय और हजरत मुहम्मद के इस्लाम प्रचार के हथकंडों व प्रलोभनों का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। इस्लाम के प्रारंभ में किस प्रकार हज़रत मुहम्मद ने खुदा का नाम लेकर उसकी कल्पित आज्ञाएँ (आयतें) लोगों को दिखाई सुनाई और उनकी मति भ्रमित कर इस्लाम में लाने का प्रयत्न किया।

उपरोक्त वर्णित दोनों आयतों में यह सिद्ध किया गया है कि कयामत के दिन समस्त मनुष्यों के कर्मपत्रों को तौलकर उनका निर्णय किया जायेगा किन्तु ठीक इसके विपरीत उक्त दोनों आयतों के विरुद्ध कुरआन की ही एक आयत प्रस्तुत है।

आयत इस प्रकार है :-

ओलाय कल्लाज़ीना कफ़रू बेआयते रब्बेहिम वा लेकायेही फ़ह-बेतत आमालोहुम फ़ला नुकीमो लहुम यौमल कयामते वज़ना।

कुरआन, पारा १६, रकू १२/३

अर्थात—वे लोग हैं जो काफ़िर हुए हैं अपने ईश्वर की आयतों (कुरआन) के साथ और उसके दर्शन के साथ तो व्यर्थ और विनाश हो गये उनके सुकर्म, वह इन सुकृत्यों का सुफल नहीं पायेंगे और कयामत के दिन हम उनके कर्मों को तौलने हेतु

तुला खड़ी नहीं करेंगे। इस लिए कि उनके सुकर्म तो व्यर्थ और नष्ट हो गये। उनके लिये हम कोई तोल नही रखेंगे।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ८

उक्त आयत के सम्बंध में इसी प्रकार तफसीर हक्कानी में भी लिखा है कि काफिरों के कर्मों का तौल नहीं होगा।

तफसीर हक्कानी, पारा १६, पृष्ठ २४

इस आयत के पूर्व वर्णित आयतों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का तौल होगा और उनके कर्मों के अनुसार निर्णय किया जायेगा और किसी के भी साथ पक्षपात व अन्याय नहीं होगा। किन्तु उक्त आयत और इसके पूर्व वाली आयत में स्पष्ट कहा गया है कि मुहम्मद के सम्प्रदाय के लोग नर्क में नहीं जायेंगे तथा काफिरों के कर्मों का तोल नहीं किया जायेगा। उनके सुकर्मों को तौलने हेतु कयामत के दिन तुला खड़ी नहीं की जायेगी क्योंकि वे काफिर हैं और काफिर होने के कारण ही उनके समस्त सुकर्म व्यर्थ और नष्ट हो गये है, इसलिए उनके सुकर्मा का सुफल भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा।

-:मुसलमान नर्क से दूर रहेंगे:-

आयतः—

इन्नल्लाज़ीना सबकत लहुमर्मिन्नल हुस्ना ओलायका अन्हा मुब्अदुन्

कुरआन, पारा १७, रकू ७/७

अर्थात—निसन्देह वह लोग जिनके लिये हमारी ओर से भलाई आगे बढ़ चुकी है और जिनके लिये हमारी विशेष कृपादृष्टि

है वे नर्क से दूर किये गये हैं ....न सुनेगे वे लोग जो नर्क से दूर रखे गये हैं उसकी आवाज।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ६८

उपरोक्त आयत में कहा गया है कि जिन पर हमारी विशेष कृपादृष्टि है और जिनके लिये हमने भलाई आगे बढ़ा दी है वे लोग अर्थात मुसलमान नर्क से दूर रखे गये हैं और वे नर्क की आवाज नहीं सुनेंगे, किन्तु निम्नलिखित आयत ठीक इसके विपरीत और विरोध में है। आयत इस प्रकार है:—

सुम्मा लनहनो आलमो बिल्लाज़ीनाहुम औलाबेहा सलिय्या। वा इम्मिनकुम इल्ला वारिदोहा, काना अला रब्बेका हतमम्मक्ज़िय्या सुम्मा नोनज्जिल्लाज़ीनत्तकव्वा नज़ेरुज़ ज़वलेमीना फीहा जेसिय्या।

कुरआन, पारा १६, रकू ५/८

अर्थात–निश्चय हम उन लोगों के बडे जानकार है, जो कि नर्क में जलने के योग्य है और नहीं कोई तुम मनुष्यों में से, किन्तु नर्क में पहुँचनेवाला और गुज़रनेवाला है। परंतु जब मुसलमान नर्क से गुजरेंगे तो नर्क की अग्नि बुझ कर ठन्डी हो जायेगी। स्वर्ग के निवासी एक-दुसरे से पुछगे कि क्या खुदा ने हमको वचन न दिया था! कि तुम सब नर्क पर गुजरोगे तो यह क्या बात है कि हमने तो नर्क की अग्नि देखी ही नहीं। फरिश्तें कहेंगे कि तुम्हारे विश्वास के प्रकाश से अग्नि बुझ गई थी। नर्क पर गुजरना तेरे ईश्वर की ओर से आवश्यक व अनिवार्य है। यह ऐसा वचन है कि अवश्यमेव पूर्ण होगा।

हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हज़रत मुहम्मद से रवायत की है कि वरूद का अर्थ प्रविष्ठ होना है अर्थात सबको नर्क में उपस्थित करेंगे, कोई भी भला या बुरा ऐसा न होगा जो कि नर्क में प्रवेश न हो किन्तु विश्वासवालों के लिये अग्नि इस प्रकार शीतल हो जायेगी जैसी हजरत इब्राहीम के लिये हो गई थी। उपरोक्त बात का समर्थन खुदा स्वयं कुरआन में कर रहा है। फिर मुक्ति देंगे उन्हें (नर्क से) जिन्होंने शिर्क (दुसरा खुदा मानने वाले) से स्वयँ को बचाया है, अर्थात निकाल लेंगे हम उन्हें नर्क से और छोड़ देंगे अत्याचारियों को नर्क में घुटने के बल गिरे हुए।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २२–२३

उपरोक्त आयत से सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्यों को एक बार अनिवार्य रूप से नर्क में प्रवेश लेना पड़ेगा। ऐसा ही तफसीर जलालैन में भी लिखा है—कि तुम में से कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि एक बार नर्क में न जाये और नर्क से बचे।

तफसीर जलालैन, पृष्ठ २५८

प्रत्येक जीवधारी को जल से उत्पन्न किया

आयत:—

वा जअलना मिनलमाये कुल्ला शैइन हय्यिन अफ़ला योमेनून।

कुरआन, पारा १७, रकू ३/३

अर्थात—प्रत्येक जीवधारी को हमने जल से उत्पन्न किया। क्या फिर भी विश्वास नहीं करते।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५४

इसी प्रकार की एक और अन्य आयतः—

होवल्लाजी खलक मिनलमाये बशरन।

कुरआन, पारा १६, रकू ५/३

अर्थात—खुदा वह है, जिसने मनुष्य को जल से उत्पन्न किया। आयत का अर्थ तो केवल इतना ही है, परन्तु तफसीर कादरी के व्याख्याकार ने लिखा है कि खुदा ने आदम को जल से उत्पन्न किया। कैसे ? कि मिट्टी में जल डाल कर उसको खमीर बनाया।

तफसीर कादरी, पारा १६ पृष्ठ १४५

कुरआन की दोनों आयतों में कहा गया है कि प्रत्येक जीवधारी और मनुष्य को खुदा ने जल से उत्पन्न किया किन्तु तफसीर कादरी के लेखक के मस्तिष्क में आश्चर्यजनक क्रिया हुई और उसने यह लिख डाला की खुदा ने मिट्टी में जल डाल कर खमीर बनाया और मनुष्य (आदम) को उत्पन्न कर दिया। इसलिए मनुष्य को जल से उत्पन्न होना कहा गया है किन्तु तफसीर कादरी के लेखक ने मनुष्य-उत्पत्ति के अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार से लिखा है, उदाहरण के तौर परः—

हमने आदम को सूखी मिट्टी से उत्पन्न किया ताकि हम जब उस पर हाथ मारे वह पक्के बर्तन की भाँति बोले।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५२७

खुदा ने आदम को काली मिट्टी से बनाया।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५४८

उक्त आयतों में बताया गया है कि प्रत्येक जीवधारी व मनुष्य को जल से उत्पन्न किया गया और तफसीर कादरी के लेखक ने बताया कि मिट्टी में जल डाल कर खमीर बनाया और आदम को पैदा कर दिया कहीं कहा कि सूखी मिट्टी से और कहीं कहा कि काली मिट्टी से बनाया किन्तु हम आगे आयतों में यह बतायेंगे कि खुदा ने प्रत्येक जीवधारी को केवल जल से ही नहीं उत्पन्न किया है। आयत इस प्रकार है:-

वलकद खलकनल इन्साना मिनसलसालिम्मिन हमइम् मसनून। वलजाना खलकनाहो मिनकबलो मिन्नारिस्समूम।

कुरआन, पारा १४, रकू ३/३

अर्थात—उत्पन्न किया हमने मनुष्य को बजनेवाली मिट्टी से जो कि सडे हुए कीचड़ से निर्मित थी बताई गई तथा जिन्नों को उत्पन्न किया बिना धुएं की अग्नि से।

अनुवाद-शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ३५९ कुरआन

इस आयत में मनुष्य की उत्पत्ति, बजनेवाली मिट्टी जो कि सड़े कीचड़ से निर्मित थी बताई गई तथा जिन्नों की उत्पत्ति धुंआ-रहित अग्नि से बताई गई है। जब कि इसके पूर्व आयतों में प्रत्येक जीवधारी और मनुष्यों की उत्पत्ति जल से बताई गई है।

इस्लाम के मतानुसार जिन्न भी एक जीवित जाति है जो कि अपने आचार-विचार और व्यवहार मनुष्यों के समान रखती है। इसी प्रकार फरिश्तें भी हैं, जिन्हें प्रकाश से उत्पन्न किया

गया है, वे भी जीवित है। जब फरिश्ते प्रकाश से और जिन्न धुआंरहित अग्नि से उत्पन्न किये गये तो कुरआन की पूर्व में वर्णित प्रथम आयत जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जीवधारी को जल से उत्पन्न किया गया, प्रभावहीन हो जाती है। उक्त आयतों में कितना विरोधाभास है यह हमने स्पष्ट कर दिया है। एक आयत दुसरी आयत के विपरीत और विरोध में है।

—: बुरे कार्यों व बुरी बातों के लिये खुदा आदेश नहीं देता :—

आयत :—

कुल इन्नल्लाहा ला यामुरो बिल फ़ाहशाये।

कुरआन, पारा ८, रकू ३/१०

अर्थात—ऐ मुहम्मद ! कह दो कि अल्ला आदेश नहीं देता है बुरी बात व बुरे काम के लिये। खुदा का स्वभाव सद्गुणों व सद्कार्यों को आज्ञा देना है।

तफसीर कादरी, भाग १ पृष्ठ ३०३

उक्त आयत में स्पष्ट है कि खुदा सद्गुणों व सद्कार्यों की आज्ञा देता है और बुरे काम व बुरी बात की आज्ञा नहीं देता किन्तु निम्नलिखित आयत इस आयत के एकदम विपरीत व विरोध में है।

आयत इस प्रकार है:—

वा इज़ा अरद्‌ना अन्नोहलेका कर्यतन अमर्ना मुतरफ़ीहा फ़फसकू

फीहा फहवका अलैहलकौलो फदम्मनाहा तदमीरा।

कुरआन, पारा १५; २/२

...र्थात—जब हम किसी ग्राम या नगर के लोगों का विनाश करना चाहते हैं तो हम उसके धनपतियों को आज्ञा कर देते हैं कि वे उनके लिये भेजे गये रसूल का विरोध करें। फिर वे रसूल की आज्ञा से परे हो जाते हैं। अनिवार्य हो जाता है उस बस्तीवालों के लिये अजाब (संकट उत्पन्न करने की आज्ञा) का कलमा अर्थात अजाब के अधिकारी हो जाते हैं और फिर जड़ से उखाड़ देते हैं हम उन्हें और उनके घर बुरी प्रकार नष्ट कर देते हैं।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ५६३-६४

शाह रफीउद्दीन उक्त आयत का अनुवाद इस प्रकार करते हैं कि "जब हम किसी बस्ती को विनाश करने का विचार करते हैं तो उसके धनाढ्यों की अवज्ञा करने की आज्ञा करते हैं ! बस वे अवज्ञा करते हैं। इसलिए प्रमाणित हो जाती है उन पर बात अजाब की। पस, विनाश करते हैं हम उनको, भली प्रकार से विनाश करना।"

कुरआन, पारा १५, पृष्ठ ३८७

उक्त आयत में स्पष्ट है कि खुदा स्वयँ धनाढ्यों को अपनी आज्ञा की अवज्ञा करने की प्रेरणा देता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वे अवज्ञा करे। इसी प्रकार की एक और अन्य आयतः—

फ अगरैना बैनाहुमुल अदावता वल बगज़ाआ इला योमिलकयामते

कुरआन, पारा ६, रकू ३/७

अर्थात—लगा दिया हमने उनके मध्य द्वेष और शत्रुता कयामत के दिन तक।

अनुवाद, शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ १४६ कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर कादरी में लिखा है कि 'पस, खड़ी कर दी हमने वचन भंग करने पर ईसाईयों के मध्य खुली शत्रुता और मन में छुपा हुआ द्वेष कयामत के दिन तक। वह इस प्रकार कि ईसाईयों के तीन सम्प्रदाय हो गये और प्रत्येक सम्प्रदाय एक-दुसरे के परस्पर शत्रु हो गये। कतिपय व्याख्याकारों का कथन है कि 'शत्रुता पैदा करदी हम ने (खुदा ने) यहुदियों और ईसाईयों के मध्य।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ २१७

इसी प्रकार की एक और अन्य आयत :—

वा अलकैना बेनाहुमुल अदावता वल बगज़ाआ इला योमिल-कयामते।

कुरआन, पारा ६, रकू ६/१३

अर्थात—हमने उन यहुदियों और ईसाईयों के मध्य कयामत के दिन तक के लिये द्वेष और शत्रुता डाल दी। कतिपय विद्वानों के मत में केवल यहुदियों के विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य मतभेद डाल दिया ताकि कयामत के दिन तक न तो उनकी जाति में कथा और न उनके हृदयों में प्रेम ही उत्पन्न होगा।

तफसीर मज़हरी, भाग ३ पृष्ठ ५३४

इस आयत के पूर्व वर्णित आयत की व्याख्या तफसीर मजहरी में इस प्रकार है–'हमने कयामत के दिन तक के लिये उनमें शत्रुता डाल दी है और परस्पर शत्रुता भड़का दी है, अर्थात यहुदियों और ईसाइयों के मध्य हमेशा के लिये हमने (खुदा ने) शत्रुता डाल दी।

तफसीर मजहरी, भाग ३, पृष्ठ ४२३

उपरोक्त वर्णित आयतों में प्रथम तो यह कहा गया कि खुदा बुरी बात व बुरे कर्मों की आज्ञा नहीं देता केवल सद्गुणों व सद्कार्यों की ही आज्ञा देता है किन्तु बाद की आयतों में स्पष्ट स्वयँ सिद्ध है कि खुदा ही अवज्ञा को प्रेरणा देता है और अज़ाब का अधिकारी बनाता है। इसके पश्चात वर्णित आयतों में कहा गया है कि खुदा ने ही यहुदियों की जाति में द्वेष व शत्रुता डाल कर तीन सम्प्रदाय बनाये तथा कयामत तक के लिये उनमें शत्रुता डाल दी, और यहुदियों व ईसाइयों के मध्य भी खुदा ने ही द्वेष व शत्रुता डाल दी और उनमें मतभेद उत्पन्न कर दिये।

समझ में नहीं आता कि यह खुदा कैसा है ? जो एक ओर तो बुरी बात व बुरे काम की आज्ञा नहीं देता और दुसरी ओर स्वयं ही अवज्ञा को प्रेरणा देकर अज़ाब का अधिकारी बनाता है तथा यहुदियों की कौम में फूट डलवाता है और यहुदियों तथा ईसाइयों के मध्य द्वेष व शत्रुता डालता है और वह भी कयामत के दिन तक के लिये ताकि कयामत के पूर्व उक्त दोनों जातियों का मतभेद दूर ही हो न सके। ऐसा खुदा कैसे खुदा हो सकता है ? यह सोचने-समझने और विचार करने का विषय है ?

कयामत के दिन कोई किसी का बोझ न उठायेगा और न सिफारिश ही मानी जायेगी ?

आयत :—

वत्तकू योमल्ला तजजी नफसुन अन्नफसिन शैअंव्व ला युकबिलोमिनहा शफाअंतव्वव ला योखजो मिनहा अदलुंव्वव ला हुमयुनसरून ।

कुरआन, पारा १, रकू ६/६

अर्थात—डरो उस दिन से, न सहायता करेगा किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति और न किसी की सिफारिश स्वीकार की जायेगी और न किसी से कोई अन्य वस्तु बदले में ली जायेगी और न किसी प्रकार की सहायता दी जायेगी ।

— अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ १० कुरआन

एक और आयत : –

वा ला तज़ेरो वाज़ेरातुव्व विज़रा उखरा ।

कुरआन, पारा १५, रकू २/२

अर्थात-और न कोई किसी दुसरे का अपराध उठायेगा । वलीद मगीरा काफिरों से कहता था कि तुम मेरा अनुकरण करो, मैं तुम्हारे पापों का बोझ उठा लूंगा । तो खुदा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठायेगा न कि किसी दुसरे का ।

तफसीर कादरी, भाग १ पृष्ठ ५९३

उपरोक्त आयतों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति न तो किसी के पापों का बोझ उठा सकता है और न किसी के अपराध ही। किसी व्यक्ति की सिफारिश भी नहीं मानी जायेगी और न किसी व्यक्ति से उसके अपराधों या पापों के बदले कोई (मुआवज़ा) वस्तु ही ली जायेगी। खुदा स्वयं कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठायेगा न कि किसी दुसरे का; किन्तु निम्नलिखित आयत ठीक इसके विपरीत और विरोध में है। आयत इस प्रकार है :—

वा ल यह मेलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम्मआ अस्कालेहिम।

कुरआन, पारा २०, रकू १/१३

अर्थात - कयामत के दिन अवश्यमेव उठायेंगे अपने अपराधों का भारी बोझ, दुसरे के अपराधों के बोझ के साथ अर्थात अपने अपराधों के भारी बोझ के साथ, जिन लोगों को उन काफिरों ने पथभ्रष्ट किया है उनके बोझ को उन काफिरों के अपराधों के बोझ पर अधिक कर देंगे बिना इस बात के कि पथभ्रष्ट लोगों के अपराधों के बोझ में कोई कमी हो।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २१३

उक्त आयत के सम्बन्ध में तफसीर हक्कानी में लिखा है कि—वे अपने अपराधों का बोझ उठायेंगे और उसके साथ उनके द्वारा बहकाये गये लोगों का भी बोझ उटायेंगे।

तफसीर हक्कानी, पारा २०, पृष्ठ ४०

इसी प्रकार की एक और अन्य आयत:—

ले यहमिलू औजाराहुम कामिला तय्योमिल कयामतें वा मिन औजारिल्लजीना युजिलूना हुम बगैरे इल्म ।

कुरआन, पारा १४, रकू ३/६

अर्थात—पूर्णरुप से अपने अपराधों का बोझ कयामत के दिन उठाथें और उनके अपराधों का भी बोझ उठायें जिनको उन्होंने पथभ्रष्ठ किया है ।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ५८१

उक्त दोनों आयतों में स्पष्ट कहा गया है कि कयामत के दिन अपने अपराधों का बोझ पूर्णरूप से उठायेंगे किन्त साथ ही उनके पापों और अपराधो का भी बोझ उठाना पड़ेगा जिनको उन्होंने पथभ्रष्ट किया है । जब कि उक्त दोनों आयतों के पूर्व वर्णित आयतों में कुरआन ने स्वयं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठायेगा न किसी दुसरे का । पहली आयत में तो यहाँ तक कहा गया है कि न तो कोई किसी का बोझ उठायेगा, न कोई किसी की सहायता करेगा और न किसी की सिफारिश ही स्वीकार की जायेगी किन्तु उक्त आयतों में इसके विपरीत कहा गया है और पूर्व कही आयतों का स्पष्ट ही विरोधाभास है । उक्त आयतों मे अपराधों के सम्बध में बताया गया है और अब निम्नलिखित आयतों से यह स्पष्ट होता है कि केवल अपराधों का बोझ ही नहीं अपितु व्यक्ति की भलाईयाँ भी ले ली जायेगी।

आयत इस प्रकार है:—

वल्लाजीना आमनू वत्तबअतहुम जुर्रियतोहुम बेईमानिन अल-

हकना बेहिम जुरिय्यतहुम वा मा अलतना हुम्मिन अमलेहिम्मिन शैइन कुल्लूमरेइन बे मा कसबा रहीन ।

कुरआन, पारा २७, रकू १/३

अर्थात जो लोग खुदा और रसूल पर विश्वास लाये और उनकी आज्ञा का पालन किया विश्वास के साथ । कयामत के दिन उनके साथ उनकी सन्तान को स्वर्ग में अथवा उनके उच्च पदों पर पहुँचने में अर्थात यदि बाप दादा के ऊँचे पद होंगे तो उनकी सन्तान के पद भी हम उँचे कर देंगे । ताकि पिताओं की दृष्टि अपनी सन्तानों को देख कर उज्जवल हो और इस भेंट के फलस्वरुप पुरखों की भलाईयों में कोई कमी नहीं करेंगे । पुरखों की भलाईयों के कारण हम उनकी सन्तानों को भी उँचे पद देंगे ।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ४७४

एक और अन्य आयत :—

फ, ओलायोका योबद्दे लुल्लाहो सय्येआतेहिम हसनात् ।

कुरआन, पारा १९, रकू ६।४

अर्थात—पस, ये लोग वह है, खुदा उनकी बुराईयों को भलाईयों में बदल देता है ।

—अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ५०४ कुरआन

इसी सम्बंध में हदीस में आता है " **फिदाउल मुस्लमीनाबिल काफेरीन, काला ला यमूतो रजलुन मुस्लेमुन इल्ला**

अदखल्लाहोमकानहुन्नारो यहूदिय्यन औ नसरानिय्यन"

हदीस मुस्लिम ऊर्दू अनुवाद पृष्ठ २६४६

अर्थात—मुसलमानों का काफिरों के साथ कर्मों का परिवर्तन किया जायेगा, कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं मरेगा और उसके स्थान पर नर्क में यहुदी और ईसाई को प्रविष्ट किया जायेगा। एक और हदीस:—

काला यजीओ योमल क़यामते नासुम् मिनल मुस्लेमीना बिज़नू-बिन बेअन्सालिल जबाले फ़य्यग़फिरो हल्लाहो लहुम वा यज़-ओहा अललयहुदे वन्नसारा।

हदीस मुस्लिम ऊर्दू अनुवाद पृष्ठ २६४७

अर्थात—कयामत के दिन मुसलमान आयेंगे साथ अपराधों के जो पहाड़ के सदृश्य होंगे अल्लाह उन सबको क्षमा कर देगा और उनके अपराधों को यहुदियों व इसाईयों पर डाल देगा।

उपरोक्त वर्णित आयत और हदीसों में कहा गया है कि जिन लोगों ने खुदा और रसुल में विश्वास किया और उनकी आज्ञाओं का पालन किया उनको और उनके साथ उनकी सन्तानों को भी स्वर्ग में भेजा जायेगा तथा पुरखों की भला-ईयों के कारण उनकी सन्तानों को भी ऊँचे पद दिये जायेंगे ताकि अपनी सन्तानों को देख कर उन पिताओं की दृष्टि उज्जवल हो। जब कि पूर्व वर्णित आयतों में कहा गया है कि कोई किसी की सहायता नहीं करेगा और न किसी को कोई सिफारिश ही मानी जायेगी तो पिताओं की भलाईयों अथवा सुकर्मों के फलस्वरुप सन्तानों को स्वर्ग में पहुँचाना और फिर

वहाँ ऊँचे पद देना सिफारिश और सहायता नहीं है तो फिर क्या है? इसी प्रकार उक्त हदीसों में भी मुसलमानों के साथ भारी पक्षपात और ईसाईयों व यहुदियों के साथ भारी अन्याय किया गया है। हदीसों में कहा गया है कि मुसलमानों के कुकर्मों (बुराईयों) को ईसाईयों व यहुदियों के कर्मो साथ बदल कर मुसलमानों के बदले नर्क में ईसाई व यहूदियों को भेजा जायेगा और कयामत के दिन पहाड़ सदृश्य अपराधों सहित जो मुसलमान आयेंगे, अल्लाह उन्हें क्षमा कर उनके पाप व अपराध यहुदियों व ईसाईयों पर डाल देगा। जरा विचार करने का विषय है कि पाप करे कौन और भरे कौन ?

—:कयामत के दिन अकेले आओगे:—

आयत:—

वलकद जेतोमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रातिम्म-व्वा तरकतुम्मा खव्वलनाकुम वा रा आ जुहूरेकुम।

कुरआन, पारा ७, रकू ११/१७

अर्थात—तुम हमारे पास न्याय और फल के लिये अकेले आये। न तुम्हारे साथ सन्तान, न सम्पत्ति, न मित्र व सहायक है, और उस प्रकार आये जिस प्रकार हमने पहली बार मां के उदर से नंगे सिर नंगे पाँव उत्पन्न किया था।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ २७७

इस आंयत के सम्बंध में तफसीर मजहरी में लिखा है कि मृत्यु के पश्चात कयामत के दिन न्याय व फल प्राप्ति हेतु तुम अकेले हमारे (खुदा के) पास आ गये। न तुम्हारे साथ

सन्तान-सम्पत्ति, मित्र और सहायक ही आये। तुम इस प्रकार आये जिस प्रकार पहली बार हमने तुम्हें उत्पन्न किया था अर्थात जिस प्रकार नंगे और बिना खतना किये पैदा किया था वैसे ही हमारे पास आ गये।

तफसीर मज़हरी, भाग ४, पृष्ठ १८८-१८६

उपरोक्त लिखित आयत के विपरीत एवँ विरोध में निम्न आयत प्रस्तुत है। आयत इस प्रकार है:—

व मा काना ले नबिय्यिन अंय्यग़ुल्ला व मंय्यहग़्लुल याते बेमा ग़ल्ला यौमल्कयामते।

कुरआन, पारा ४, रकू १७/८

अर्थात—किसी नबी को यह उचित नहीं कि वह लूट की सम्पत्ति में ख़यानत करे। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मत है कि बदर के युद्ध की लूट में से एक लाल रंग की कमली (शाल) खो गई थी और कुल काले दिल वालों ने द्वेष के कारण हज़रत मुहम्मद को इसके लिये दोषी बताया। तब खुदा ने अपने स्नेही हज़रत मुहम्मद और सभी नबियों को उक्त दोष से मुक्त कर दिया। और जो कोई लूट की सम्पत्ति में से ख़यानत करेगा, वह उस ख़यानत के साथ कयामत के दिन आयेगा और सबके सन्मुख अपमानित होगा।

लिखा है कि-एक व्यक्ति ने लूट की सम्पत्ति वितरण होने के पूर्व एक पुरानी रस्सी उठाई थी। उस रस्सी को सम्पत्ति वितरण के पश्चात वह हज़रत मुहम्मद के पास लाया, हजरत ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस रस्सी को कयामत के दिन अपने साथ लाने को अपने पास रख छोड़ा।

तफसीर कादरी, भाग १ पृष्ठ १३७-१३८

इसी उक्त आयत के सम्बंध में तफ़सीर मज़हरी में लिखा है कि—लूट की सम्पत्ति में ख़यानत करना नबी से दूर है। कतिपय विद्वानों ने लिखा है कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने आग्रह सहित लूट की सम्पत्ति माँगी। इस पर अल्लाह ने यह (उक्त) आयत उतारी। अबु दाऊद व तिरमजी ने हजरत इब्ने अब्बास के कथनानुसार कहा है और तिरमज़ी ने इसे हसन (प्रमाणित) भी कहा है, कि इस आयत में उस लालधारी वाली कमली का वर्णन है, जो कि बदर के युद्ध वाले दिन खो गई थी और बाद में कई लोगों ने विचार किया था कि सम्भवतः वह कमली हज़रत मुहम्मद ने ले ली हो। इस पर अल्लाह ने यह (उक्त) आयत उतारी कि नबी को लूट की सम्पत्ति में ख़यानत ठीक नहीं है, और जो खयानत करेगा वह कयामत के दिन चुराये हुए माल के साथ आयेगा।

तफसीर मज़हरी, भाग २ पृष्ठ ३९९-४००

तुममें से कोई भी वस्तु जो अन्याय व अनाधिकार से लेगा और जब वह खुदा के सम्मुख जायेगा तो वह उस वस्तु को अपने ऊपर लादे हुए रहेगा। मैं (हज़रत मुहम्मद) किसी को ऐसा न पाऊँ कि खुदा की पेशी के समय बिलबिलाते ऊँट या दहाड़ती गाय को या सनमनाती बकरी को अपने ऊपर लादे हुए लाये। हज़रत अद्धी बिन अमीरा ने कहा है कि जो कोई किसी वस्तु को छुपा ले तो वह चोरी हो गई और उस वस्तु के साथ उसे कयामत के दिन आना होगा।

तफसीर मज़हरी, भाग २, पृष्ठ ४०२-४०३

उक्त आयत में कहा गया है कि लूट की सम्पत्ति में से खयानत व चोरी करना ठीक नहीं और यदि कोई करेगा तो वह कयामत के दिन उस वस्तु को अपने ऊपर लाद कर लायेगा, जब कि इस आयत के पूर्व वर्णित आयतों में कहा गया है कि तुम हम हमारे पास अकेले आये न्याय और फल के लिये। तुम्हारे साथ सन्तान-सम्पत्ति-मित्र और सहायक कोई नहीं है। जिस प्रकार हमनें माँ के उदर से नंगे सिर व नंगे पाँव उत्पन्न किया उसी प्रकार नंगे और बिना खतना के हमारे पास आ गये।

एक ओर कहा जाता है कि व्यक्ति खुदा के पास अकेला जायेगा साथ में कुछ नहीं ले जायेगा। जैसा पैदा हुआ है वैसा ही खुदा के पास पहुँचेगा किन्तु दुसरी ओर कहा जाता है कि लूट के माल में खयामत मत करो अन्यथा वह चोरी का माल लाद कर कयामत के दिन खुदा के पास जाना पड़ेगा। उपरोक्त वर्णित आयतों में कितना विरोधाभास है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है !

गत पृष्ठों में हमने संक्षिप्त रुप में यह बताने का प्रयास किया है कि कुरआन में स्वयं कितना विरोधाभास है और कुरआन की ही आयतें परस्पर एक दुसरे के विपरीत हैं। कुरआन में परस्पर विरोध विशेष कर उन प्रसंगों में अत्याधिक रुप से है, जहां पैगम्बरों के इतिहास का वर्णन आता है तथा उनके इतिहास की घटनाओं को किंचित परिवर्तनों के साथ बारम्बार दोहराया है। पैगम्बरों के उस इतिहास को हम अलग से पुस्तक रूप में संकलित कर उस विरोधाभास को प्रकट करेंगे। यहाँ लिखने में पृष्ठ संख्या बढ़ जायेगी अस्तु कुरआन का पारस्परिक विरोध का यहाँ संक्षिप्त ही वर्णन किया है।

-:मुबहमाते कुरआन अर्थात कुरआन की अस्पष्ट आयतें:-

अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने तफसीर इत्तिकान में कुरआन की अस्पष्ट आयतों के सम्बंध में एक प्रकरण लिखा है, आप (सियुती) का कथन है कि इस विषय पर कई विद्वानों ने लिखा है और मैंने भी एक संक्षिप्त पुस्तक लिखी है।' कुरआन में वर्णित अस्पष्ट आयतों की अनुभूति व उपयोगिता का वर्णन करते हुए अल्लामा ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे प्रमाणित होता है कि अस्पष्ट **आयतों** को समझ लेना कोई सरल व साधारण कार्य नहीं है। उदाहरण निम्न प्रकार है:— अकरमा लिखते हैं कि मैंने निम्न आयत:—

अल्लाजी ख़राज़ा मिन बैतेही मुहाजेरन इलल्लाहे वा रसूलेही सुम्मा अदरकहुलमौत।

अकरमा कहते हैं-कि इस आयत की स्पष्टता जानने के लिये मैंने १४ वर्षों तक परिश्रम किया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३५६

उपरोक्त आयत दी गई आयत कुरआन में निम्नानुसार:—

वा मय्यंख़रोजो मिन बैतेही मुहाजेरन इलल्लाहे वा रसूलेही सुम्मा युदरिकहुल मौत।

कुरआन, पारा ५, रकू १४/११

अर्थात-जो कोई निकला अपने घर से अल्लाह और रसूल के लिये हिज़रत (देश छोड़ कर) करने वाला होकर और यदि मार्ग

में मृत्यु हो जाये तथा अपने गन्तव्य स्थान तक न पहुँच सके तो उसके लिये उसका फल प्रमाणित हो गया (यह कथा जिन्दा के लिये वर्णित है)

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ १८८

बेजावी ने उक्त व्यक्ति का नाम जिन्दब बिन ज़मरा लिखा है और तफसीर मज़हरी ने कबीला बनी लैस का जिन्दा बिन ज़मरा ही लिखा है, जिसके विषय में उक्त कथा वर्णित है।

कुरआन में अनगिनत आयतें ऐसी है, जिनका स्पष्टीकरण नहीं होता है। अल्लामा सियुनी ने भी तफसीर इत्तिकान में इस प्रकार की समस्त आयतें नहीं लिखी हैं, परन्तु हम उनमें से कुछ आयतें उदाहरणार्थ संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे अल्लामा ने अलहम्द की एक आयत लिखी है। आयत इस प्रकार है:—

सिरातल्लाज़ीन अन्अम्ता अलैहिम ।

अर्थात-हमें उन लोगों का मार्ग दिखा जिनको तूने पुरूस्कृत किया है। अल्लामा लिखते हैं कि यहां यह आयत गोल-मोल रखी गई (इसका जानना आवश्यक है) जिनको खुदा ने पुरूस्कृत किया वे लोग कौन है ? उसका उत्तर दुसरी आयत से दिया है कि वे लोग नबी हैं, सत्यवादी हैं; शहीद और सदाचारी हैं।

— तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३५९

अलहम्द की अगली आयत भी अस्पष्ट है, आयत इस प्रकार है :—

गैरिलमग़ज़ूबे अलैहिम, वा लज़ज़बालीन ।

अर्थात—हमें उन लोगों का मार्ग न दिखा जिन पर तूने क्रोध किया और न उनका मार्ग दिखा जो पथभ्रष्ट थे।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ १ कुरआन

उक्त आयत में वर्णित दोनों विषयों अर्थात खुदा ने किन पर क्रोध किया और कौन पथभ्रष्ट हैं, के सम्बंध में अद्दी बिन हातिम ने कहा है कि हज़रत मुहम्मद ने कहा कि जिन पर खुदा ने क्रोध किया वे यहूदी हैं और पथभ्रष्ट ईसाई हैं।

तफसीर मज़हरी भाग १ पृष्ठ १२

इसके आगे अल्लामा सियुती ने कुरआन में अस्पष्ट आयतें रखने के संदर्भ में कुछ कारण दिये हैं। जो निम्नानुसार है :—

आयत :—

या आदमुसकुन अन्त वा जौजोकल जन्नत।

अर्थात-ऐ आदम ! तू और तेरी पत्नि स्वर्ग में रहो, इसमें आदम की पत्नि हव्वा का नाम नहीं दिया गया। इस कारण कि आदम के एक ही पत्नि थी।

आगे और आयत :—

अलमतरा इलल्लाज़ी हाजा इब्राहीमा फी रब्बेही।

कुरआन, पारा ३ रकू ३५/५

अर्थात-क्या नहीं देखा तूने, उस व्यक्ति की ओर जिसने खुदा के सम्बंध में इब्राहीम से झगड़ा किया ? यहां पर झगड़ा करने

वाले का नाम नमरुद नहीं लिखा गया क्योंकि इब्राहीम का नमरूद की ओर रसूल बना कर भेजा जाना विख्यात है।

तफसीर इत्तिकान, पृष्ठ ३५६

आगे और आयत :—

वमिनन्नासे मंय्यो ज़िबोका कौलुहू फिल्हयातिदुनिया' इत्यादि

कुरआन, पारा २, रकू २५/६

अर्थात—लोगों में से वह हैं, जो ऐ मुहम्मद ! तुझको उसकी बात अच्छी लगती है और प्रसन्न करती है। इतने से पता नहीं चल पाता कि किसकी कौनसी बात अच्छी लगती और प्रसन्न करती है। इसलिये घटना इस प्रकार है कि अखनस सक्फी हज़रत मुहम्मद की सेवा में उपस्थित हुआ। वह मधुरभाषी और सुन्दर व्यक्ति था। हजरत मुहम्मद को उसके मुँह की प्रफुल्लता और मधुर वार्ता अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं इस्लाम को ग्रहण करूँ और आपकी सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझूँ। उसने यह बातें सौगंधपूर्वक और खुदा को साक्षी बना कर कहीं। जब वह मदिने की बस्ती से निकल गया तो एक जाति की खेती को अग्नि से जला दिया और मुसलमानों के पशुओं को तलवार से मार डाला। खुदा ने उक्त आयत उतारी कि लोगों में से कोई ऐसा है, जिसकी बात तुम्हें प्रसन्न कर देती है। वह सांसारिक जीवन की निति के अनुसार खुदा को साक्ष्य बनाता है और कहता है कि मेरा मन व वचन एक है, किन्तु वास्तव में वह बड़ा झगड़ालू और भंयकर शत्रु है और जब वह तुम्हारी सेवा से जाता है तो पृथ्वी पर झगड़ा और विनाश करने की शीघ्रता

करता है। खेतों को जला कर भस्म कर देता है और चौपायों को मार डालता है। खुदा उस विनाशकारी को पसन्द नहीं करता।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ५४

आगे अल्लामा ने अस्पष्ट आयत लिखी है, आयत इस प्रकार है-

औ कल्लाज़ी मर्रा अला करिय्यातिव्वा हैया खाबियतुन अला उरूशेहा काला अन्ना योहयी हाज़ेहिल्लाहो वादा मौतेह फ़ अमा-ताहुल्लाहो मेअताआमिन सुम्मा बाअसहू काला कम्लबिस्ता काला लबिस्तो योमन औ बाज़ा यौमिन।

कुरआन, पारा ३, रकू ३५/५

अर्थात—उस व्यक्ति के सदृश्य जो एक गाँव से गुज़रा और वह गाँव अपनी छतों से गिरा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा कि खुदा कैसे जीवित करेगा इस ? मरे हुए गाँव को। पस, खुदा ने उस व्यक्ति को मार डाला और सौ वर्षों के पश्चात उसे पुनः जीवित किया और कहा कि तू यहाँ कितनी देर रहा तो उसने उत्तर दिया कि एक दिन या कुछ दिन का भाग।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ ५८, पारा ३, कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर इत्तिकान में आयत में वर्णित व्यक्ति का नाम अजीज या अर्मिया तथा हिज़कील लिखा गया है। तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृ. ३६१

उक्त आयत की व्याख्या करते हुए तफसीर इत्तिकान में केवल उस व्यक्ति का नाम बताया गया है जो छतों पर गिरे

हुए गांव से गुजरा था इससे यह ज्ञात नहीं हो पाता कि आयत क्या कहती है ?

इसी आयत के सम्बंध में तफसीर कादरी में लिखा है कि 'अज़ीज़ नामक एक व्यक्ति एक गिरे हुए गांव के समीप से गुजरा। जिसकी छतें पहले गिरी थी और उन पर दीवारें गिरी हुई थी। उसने कहा कि खुदा किस प्रकार जीवित और आबाद करेगा इस गांव को। पस खुदा ने उस व्यक्ति को मार डाला और सौ वर्षों के पश्चात जीवित किया। उसका गधा भी मर गया, उसे भी फिर जीवित किया अपनी पूर्व आकृति में। जीवित करने के बाद खुदा ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि तू कितनी देर यहाँ ठहरा ? उसने उत्तर दिया कि एक दिन या दिन का कुछ भाग। फरिश्ते ने कहा कि तू सौ वर्षों तक मृत रहा। अज़ीज़ ने देखा कि उस गाँव का दूसरा रूप है। फिर फरिश्ते ने कहा कि तू अपने अंगूर के रस को, अपनी अंजीरों को देख कि कहीं इनका स्वाद तो नहीं बिगड़ा है और अपने गधे की ओर देख कि जिसकी केवल हड्डियाँ रह गई थी। उस समय उसका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि मैंने (खुदा ने) तुझे मरने के पश्चात पुनः जीवित किया है ताकि मेरी शक्ति का चिन्ह तेरे व्यक्तित्व में प्रकट हो जाये और तू देख ले कि किस प्रकार हम अभाव से भाव प्रकट करते हैं और अपने गधे की हड्डियों को ओर देख कि किस प्रकार उन्हें गति देते हैं और एक को दुसरे पर जमाते हैं और फिर पहनाते हैं उन हड्डियों को मांस व खाल। अज़ीज़ गधे की उन हडियों को देखने लगे तो एक आवाज सुनी कि कोई पुकार कर कहता है-'ऐ हडियों और मांस व बिखरे हुए जोड़ों परमात्मा को पूर्ण शक्ति से एकत्रित हो जाओ। तब सब वस्तुएँ एकत्रित होकर पूर्ववत बराबर हो

गई और उस गधे के शरीर में प्राण आ गये तथा वह गधा तत्काल ही कूद कर चिल्लाने लगा। यह देख कर अजीज को मृतकों को जीवित होने पर विश्वास हो गया और उसने कहा कि निसन्देह अल्लाह सब वस्तुओं को जीवित करने व मार डालने में समर्थ है।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ७९–८०

तफसीर मजहरी में भी पृष्ठ ३८ से ४० तक के लगभग में ऐसा ही लिखा है।

उक्त वर्णित आयत में जो घटना आपने पढ़ी है कि एक व्यक्ति उजाड़ गांव को देख कर कहता है कि खुदा इस गांव को कैसे जीवित करेगा उस बात को खुदा ने सुना और उस आदमी को मार डाला और फिर सौ वर्षों के पश्चात पुनः जीवित कर खुदा उसके सामने उसके गधे को जीवित कर विश्वास दिलाता है कि उसमें मारने और जिलाने की शक्ति है। सौ वर्षों में उस गांव का रूप बदल जाता है तो क्या वह मरा हुआ आदमी सौ वर्षों तक उसी गांव में पड़ा रहा ? इस आयत में वर्णित घटना पर कोई भी बुद्धिजीवी विश्वाश करने में असमर्थ है और यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि इस्लाम के प्रचार-प्रसार हेतु और भोले-भाले व्यक्तियों को विभ्रमित कर मुसलमान बनाने हेतु खुदा के नाम पर किस प्रकार की थौथी और लचर कथाएँ मनगढ़न्त रुप से गढ़ कर कुरआन में भरती की गई और खुदा के नाम पर व्यक्तियों को बहकाया गया।

आगे और अस्पष्ट आयत :—

इन्ना मिनकुम लमल्लयुब्बत्तोअन्ना फइन असाबतकुम्मुसीबतुन काला फद लनअमलाहो अलैया इज़लम अकुम्मआहुम शहीदा।

कुरआन, पारा ५, रकू १०/७

अर्थात—निसन्देह तुममें से ऐसे व्यक्ति हैं जो देर करते हैं पस, यदि तुम्हें कष्ट प्राप्त हो तो ये कहता है कि खुदा ने मुझ पर कृपा की कि मैं इनमें सम्मिलित न था।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ११६ कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर इत्तिकान में लिखा है कि यह व्यक्ति अब्दुल्ला बिन औबय्य है, (किन्तु यह कह देने मात्र से आयत का पूरा मन्तव्य स्पष्ट नहीं होता है)

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७० पृष्ठ ३६१

तफसीर मज़हरी में उक्त आयत की व्याख्या में लिखा है—तुममें से वह व्यक्ति है जो ज़हाद (धर्मयुद्ध) से दूर रहता है और आलसी हो जाता है और कुछ लोग जहाद से दुसरों को भी रोकते हैं, जैसे—ओहद के युद्ध के दिन इब्ने औबय्य ने कुछ लोगों को रोका था पस, ऐ मुसलमानों यदि तुम पर (वध, या पराजय) कोई संकट आता है तो वह व्यक्ति (इब्ने औबय्य) कहता है कि मुझ पर अल्लाह की बड़ी कृपा हुई कि मैं मुसलमानों के साथ नहीं था (मैं संकट से बच गया)।

तफसीर मज़हरी, भाग ३, पृष्ठ १६७

उक्त आयत का स्पष्ट अर्थ है कि इब्ने औबय्य औहद के युद्ध में न तो स्वयं गया और न उसने कुछ लोगों को जाने ही दिया और जब मुसलमानों पर वध व पराजय के कारण संकट आता है तो वह कहता है कि अल्लाह की बड़ी कृपा हुई कि मैं मुसलमानों के साथ ओहद के युद्ध में सम्मिलित न था और संकट से बच गया।

और अस्पष्ट आयत:—

वत्लो अलैहिम नबाअब्नै आदमा बिलहक्के इज़् करबा कुरबानन फ़तो कुब्बेला मिन आहदेहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखरे काला ल अक्तुलन्नका।

कुरआन, पारा ६. रकू ५।६

उक्त आयत के सम्बन्ध में तफसीर इत्तिकान में केवल इतना ही लिखा कि यह दोनों काबील और हाबील थे।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६२

तफ़सीर मज़हरी में उक्त आयत की व्याख्या इस प्रकार है—उनको आदम के दोनों पुत्रों की सच्ची खबर सुनाओ। जब दोनों ने बलिदान प्रस्तुत किया। मुस्लिम विद्वानों ने इसका वर्णन इस प्रकार किया।

कि हज़रत हव्वा के गर्भ से प्रत्येक बार एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होते थे। कुल २० दफा में ४० बच्चे उत्पन्न हुए। सर्व प्रथम काबील और उसके साथ अकालीमिया नामक पुत्री उत्पन्न हुई और दुसरी बार में हाबील और उसके साथ लिउज़ा नामक पुत्री की उत्पति हुई। हज़रत इब्ने अब्बास का कथन है कि हजरत आदम के जीवनकाल में ही आपकी सन्तान और सन्तानों की सन्तान ४० हजार तक पहुँच गई थी। हज़रत आदम की यह प्रथा थी जब उनकी सन्तान युवा हो जाती तो एक गर्भ के पुत्र और दुसरे गर्भ की पुत्री का आपस में विवाह कर देते। जब काबील और हाबील नामक पुत्रों के विवाह करने का समय आया तो काबील, हाबील के साथ उत्पन्न हुई

लड़की से विवाह करने को तत्पर न हुआ और कहने लगा कि हम दोनों की उत्पति स्वर्ग में हुई थी अस्तु जो लड़की मेरे साथ उत्पन्न हुई है, उसके साथ विवाह करने का अधिकारी मैं अधिक हूँ। क्योंकि उसके साथ जो लड़की उत्पन्न हुई थी वह अत्याधिक सुन्दरी थी। इस पर आदम ने कहा कि खुदा की ऐसी आज्ञा नहीं है। इस पर काबील ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई आज्ञा अल्लाह की नहीं है, यह तो तुम्हारी अपनी सम्मति और प्रथा है। इस पर आदम ने कहा कि तुम खुदा के समक्ष भेंट स्वरूप बलिदान प्रस्तुत करो। जिसकी भेंट खुदा स्वीकारेगा उसका विवाह अकलीमिया से किया जायेगा। भेंट स्वीकार होने का यह प्रमाण था कि आसमान से एक सफेद अग्नि आकर उस भेंट को खा जाती थी। ऐसी भेंट स्वीकार प्रमाणित होती थी। काबाल कृषक था, उसने भेंट में अन्न का ढेर रखा और हाबील बकरियों वाला था उसने भेंट में मेंढा रखा। पस,खुदा ने हाबील की भेंट अर्थात बलिदान स्वीकार किया और उस मेंढे को आसमानी सफेद अग्नि खा गई तथा काबील की भेंट अस्वीकृत हो गई। फलस्वरूप काबील अत्याधिक क्रोधित हुआ और उसने हाबील को मार डाला।

तफसीर मज़हरी, भाग ३, पृष्ठ ४३९-४४०

उक्त आयत की व्याख्या से स्पष्ट ज्ञात होता है किसृष्ठि के प्रारम्भ में जिस आदम को खुदा ने अपने हाथों से बनाया उस की पहली सन्तान काबील ने ही खुदा की और अपने पिता की आज्ञा का विरोध कर अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु अपने भाई हाबील को मार डाला, क्योंकि उसे अपनी ही बहिन अकलीमिया से विवाह करना था और वह स्वयं को उसका अधिकारी

मानता था, क्योंकि वह स्वर्ग में उसके साथ उत्पन्न हुई थी और अत्याधिक सुन्दरी थी। जिसको इस्लाम सृष्टि का प्रारंभ मानता है उसमें बलिदान की प्रथा प्रचलित थी, जो कुरआन से ही प्रमाणित है कि काबील और हाबील ने खुदा के समक्ष बलिदान के रूप में अन्न का ढ़ेर और मेंढा रखा मगर खुदा ने हाबील का बलिदान मेंढा ग्रहण कर लिया और काबील का अन्न का ढेर अस्वीकृत कर दिया अर्थात खुदा स्वयँ माँसाहारी है और माँस आदि का भक्षक है। यह है आयत का तात्पर्य और आदम की सन्तान का हाल।

और अस्पष्ट आयत :—

'वा इज़ कतलतुम नफसन'

अर्थात—जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या की। जिसकी हत्या की गई उस व्यक्ति का नाम आमील था।

तफसीर इत्तिक़ान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६१

ऊपर वर्णित आयत कुरआन में पूर्ण रूप से इस प्रकार है।

आयत :—

वा इज़ कतलतुम नफसन फद्दारातुम फी हा, वल्लाहो मुख्रेजुम्मा कुन्तुम तक्तोमून।

कुरआन, पारा १ रकू ६/६

अर्थात—जब मार डाला तुमने एक प्राणी को और उसमें तुमने विरोध किया और अल्लाह प्रकट करने वाला है, जिसे तुम छिपाते थे।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ ५४, कुरआन

उक्त वर्णित आयत के अर्थ से ज्ञात नहीं होता है कि किसने किसको मार डाला और किसने क्या छुपाया था। जिसे खुदा प्रकट करने वाला है।

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी में लिखा है कि—बनी इस्राईल में एक आमोल नामक धनाढय व्यक्ति था उसके चाचा का एक पुत्र फकीर था और वही एक मात्र आमील की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी था। उसने यह सोचा कि मैं ही एक मात्र सम्पत्ति का अधिकारी हूँ और उसने आमील की हत्या कर दी और उसके शव को दूसरे गांव में ले जाकर फेंक दिया। हज़रत मूसा ने आमील के हत्यारे की बहुत खोजबीन की पर पता नहीं चला। इस पर उन्होंने खुदा से प्रार्थना की और कहा कि उस हत्यारे का पता आप ही लगायें।

—: हत्यारे का पता लगाने हेतु खुदाई आदेश :—

आयत :—

इन्नल्लाहा यामूरोकुम अन तज़्बहु बकरातन।

कुरआन, पारा १, रकू ८/८

अर्थात—अल्लाह आदेश देता है कि एक गाय का वध करो (जब लोगों ने यह बात सुनी) तो '**कालू अतत्तखीज़ोना होज़ोवा**' (पारा १, रकू ८/८) लोगों ने मूसा से कहा हमसे हँसी (मज़ाक) करते हो ? भला गाय के वध में और हत्यारे की खोज में क्या सामंजस है ? वह इसे दिल्लगी समझे और यह न समझे कि खुदा की आज्ञाओं में रहस्य हुआ करते हैं। '**काला अऊज़ो बिल्लाहे अनअकूना मिनल जाहेलीन**' (पारा १ रकू ८/८) हज़रत

मूसा ने कहा कि खुदा की पनाह ! क्या मैं भी मूर्ख बन जाऊँ अर्थात मूर्खों में से हो जाऊँ कि जिस प्रकार तुम लोग खुदा की आज्ञा को दिल्लगी और हंसी समझ रहे हो।

इस पर एक हदीस इब्ने जरीर ने प्रामाणिक रूप से हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत की है। उनकी इस छानबीन में एक विशेष गाय का वध करना पड़ा। उसमें खुदा का एक विचित्र रहस्य था। वह यह कि बनी इस्राईल में एक सदाचारी और भला व्यक्ति था तथा उसका एक नाबालिग पुत्र था और उस व्यक्ति के पास एक गाय का बछड़ा था। जिसे वह अपनी मृत्यु के पूर्व जंगल में लाया और खुदा से प्रार्थना की, कि ऐ खुदावन्द ! मैं इस बछड़े को अपने पुत्र के युवा होने तक आपके पास धरोहर रखता हूँ और उसे छोड़ कर चला आया ओर आते ही मर गया। बछड़ा जंगल में चरा करता था और जब किसी को देखता तो दूर भाग जाता। जब वह लड़का युवा हुआ तो नेक और सदाचारी बना माता की अत्याधिक सेवा करता था। एक दिन उसकी माता ने कहा—बेटा तेरा बाप तेरे लिए एक गाय अमुक जंगल में खुदा की निगरानी में छोड़ गया है। तू उस जंगल में जा और यह कह आवाज दे कि ऐ इब्राहिम और इस्माईल के उपास्य ! वो गाय मुझे प्रदान कर। उस गाय का चिन्ह यह है कि उसकी खाल से सूरज की किरणें निकल रही होंगी। उसका रंग ज़र्द था इसलिए लोग उसे सुन-हरी गाय कहते थे। उसने जंगल में जाकर माता की आज्ञा-नुसार आवाज दी। वो गाय खुदा की आज्ञा से दौड़ कर उसके सम्मुख आ गई। युवक ने गर्दन पकड़ कर उसे खींचा। गाय बोली—ऐ माता के सेवक मुझ पर सवार हो जा तुझे आराम

मिलेगा। युवक ने उत्तर दिया कि मेरी माता की आज्ञा गर्दन पकड़ कर लाने की है, सवार होने की नहीं। पुनः गाय बोली-ऐ युवक ! तू यदि मेरे कहने से मुझ पर सवार हो जाता तो मैं कदापि तेरे वश में नहीं आती और तेरी मां की सेवा के कारण तेरा वह उच्च पद है यदि तू पहाड़ को भी आज्ञा दे तो वह भी तेरे साथ चलने लगे। अन्ततः वह गाय को अपनी माँ के पास ले आया। मां ने कहा बेटा ! तू फकीर है इस गाय को तीन दीनार तक बेच दे परन्तु बेचने के पूर्व मुझसे पुनः पूछ लेना। माता की आज्ञा से वह गाय को बाजार में ले गया। उधर खुदा ने अपनी शक्ति दिखाने व उसकी मातृभक्ति की परीक्षा हेतु एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने गाय का मूल्य पूछा। उसने कहा कि मूल्य तो तीन दीनार है किन्तु अपनी माँ से पुनः पूछ कर दूँगा फरिश्ते ने कहा मुझसे छः दीनार ले ले किन्तु अपनी मां से मत पूछ। युवक ने कहा मुझे तुम इसके बराबर सोना भी दो तो भी मैं माँ से बगैर पूछे नहीं दूँगा। इसी प्रकार देर तक उनका सौदा होता रहा। अंत में फरिश्ते ने कहा कि अपनी माँ से कहना कि अभी इस गाय को नहो बेचे हज़रत मूसा एक की गई हत्या के सम्बंध में इसे क्रय करेंगे। तुम इसे खाल भर दीनार से कम मूल्य में विक्रय मत करना। इधर वह अपनी गाय को लेकर घर चला आया और ऊधर खुदा ने बनो इस्राईल के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वह गाय किस प्रकार और किन गुणों से युक्त हो। इस सम्बंध में वह हज़रत मूसा से पूछते रहे:-

कालुबओ लना रब्बाका योर्दय्यिल्लना माहिया।

कुरआन, पारा १ रकू ८

उन्होंने मूसा से कहा—कि हमारे ईश्वर से पूछ कि वह गाय कैसी हो।

इस पर मूसा ने कहा:—

काला इन्नाहू यकूलो इन्नाहा बकर तुल्ला फारेजव्व ला बिकर।

कुरआन, पारा १, रकू ८

मूसा ने कहा-खुदा ने कहा कि वह गाय युवा हो, प्रजनन योग्य हो और ऐसी अल्पायू को न हो कि वह सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हो ! लोगों ने पूछा :—

कालुदओ लना रब्बाका युबय्यिल्लना मा लौनोहा

(कुरआन पारा १ रकू ८)

कि अपने खुदा से पूछ कि उसका रंग क्या होगा ? तो :—

काला इन्नाहू यकूलो इन्नाहा ब क रा तुन सफराओ फाकेउल्लो-नाहा।

मूसा ने कहा—खुदा कहता है कि उस गाय का गहरा सुनहरी रंग हो और देखने वालों को सुन्दर लगती हो। फिर लोगों ने कहा कि खुदा से पूछ कर बता कि उसकी क्या नस्ल होगी, क्योंकि हमें विभिन्न गायों के कारण सन्देह हो गया है। इस पर निम्नलिखित आयत कही गई। आयत :—

काला इन्नाहू यकूलो इन्नाहा ब क र तुल्ला जलूलुन तोसीरूल अर्जा वा ला तस्किल हरस, मुसल्लमतुल्लाशि यता फी हा।

(कुरआन पारा १, रकू ८)

मूसा ने कहा—खुदा कहता है कि एक गाय बिना परिश्रमवाली जो न भूमि जोतती है और न खेतों को पानी ही पिलाती है। उसके शरीर पर कोई धब्बा नहीं है। लोगों ने कहा कि अब

तुमने उचित कहा है। फलस्वरुप उस गाय का वध किया, जब कि वह करना नहीं चाहते थे।

(इस कथा के प्रारम्भ में दी गई अस्पष्ट आयत जिसका अर्थ हम आयत के साथ दे चुके हैं)

फिर खुदा ने कहा—**'फकुल नज़रेबूहो बेबाज़ेहा'** (मारो इस मुर्दे को गाय के एक अंग से) अर्थात—उस मृतक के शव को गाय के किसी अंग से छुओ। जब ऐसा किया गया तो वह मृतक जीवित हो उठा और उसने अपने हत्यारे का नाम बताया और पुनः मृत हो गया।

तफसीर मज़हरी, भाग १ पृष्ठ १३५ से १४२

उक्त कथा को पढ़ कर उस आयत का अर्थ कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि आयत में कुछ कहा गया है और व्याख्या में पूरा विवरण कथा के रूप में है। आयत के सन्दर्भ में दी गई कथा को पढ़ कर ऐसा लगता है कि जैसे अलिफ लैला का कोई किस्सा है, कि किस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या हुई। किस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुत्र के लिये गाय छोड़ कर मरा और फिर मूसा को हत्यारे का पता लगाने के लिये उस गाय का वध करके उस मृतक को क्षणिक जीवित कर उसके हत्यारे का नाम जाना। क्या मूसा का खुदा ! बिना गाय का वध करवाये उस मृतक को जीवित नहीं कर सकता था ? और फिर जो खुदा सर्वज्ञाता एवँ सर्वव्यापी है क्या वो हज़रत मूसा को हत्यारे का नाम नहीं बता सकता था? जो उसने इतना लम्बा चौड़ा नाटक कर हत्यारे का पता लगवाया। इस कथा पर कोई भी विद्वजन

या बुद्धिजीवी विश्वास नहीं कर सकता और वे इसे केवल कपोल कल्पित गाथा ही मानने पर विवश होंगे।

और अस्पष्ट आयतः—

वतलो अलैहिम नबाअल्लाजी आतेनाहो आयातेना फनसलख मिनहा फा अतबाआ हुश्शैतानो फकाना मिनलगावीन।

कुरआन, पारा ६, रकू २२/१२

अर्थात—उनके ऊपर उस व्यक्ति का किस्सा पढ़, जिसको हमने अपनी निशानियाँ दी। पस. उसके पीछे शैतान लगा और वह उन निशानियों से निकल कर पथभ्रष्ट हो गया।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ २३३ कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में अल्लामा सियुती ने लिखा है कि वह बाऊर या बऊर कहा गया है और यह भी कहा गया है कि वह उमैय्या बिन अबी सलत तथा सैफी बिन राहिब और फिरऔन भी कहा गया है, परन्तु केवल नाम बता देने से आयत में कही गई बात का स्पष्टिकरण नहीं होता है।

तफसीर इत्तिकान प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६२

उक्त आयत का स्पष्टिकरण तफसीर कादरी में इस प्रकार है—ऐ मुहम्मद ! पढ़ अपनी जाति (मुसलमान) पर या यहुदियों पर उस व्यक्ति की खबर, जिसे हमने (खुदा ने) अपनी आयतों का ज्ञान दिया था और उस व्यक्ति का नाम उमैय्या बिन सलत था। जो आसमानी किताबों का पठन-पाठन किया करता था और वह जानता था कि इस समय कोई रसूल

आने वाला है किन्तु वह समझता था कि वह रसूल मैं स्वयं हूँ। जब हज़रत मुहम्मद रसूल हुए तो उमैय्या ईर्ष्यावश काफ़िर हो गया और जो आयतें उसने पढ़ी थी उन्हें एक ओर रख दिया। फिर उन आयतों से बेईमानी और विद्रोह पर उतर आया। फिर उसके पीछे शैतान पड़ा और वह आयतों का जानकार पथभ्रष्ट हो गया।

कतिपय लोगों का कथन है कि उस व्यक्ति का नाम अबू आमर राहिब था और वह मस्जिद ज़रार के निर्माण में प्रयत्न-शील रहा और वह हज़रत मुहम्मद को पहिचान कर मुसलमान बन गया तथा पुनः मुहम्मद कीपैगम्बरी अस्वीकृत कर काफिर हो गया।

विख्यात यह भी है कि वह व्यक्ति बलअम बाऊर था। उसने मूसा और उसकी जाति के लिये अशुभ प्रार्थना की थी। खुदा ने उसे इस्में आज़म भूला दिया और वह बेईमान हो गया।

तफसीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ३४६-३४७

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी में इब्ने अब्बास के कथनानुसार उस व्यक्ति का नाम बलअम बिन बऊर था। वह हज़रत मूसा का समकालीन था।

तफसीर मज़हरी, भाग ४, पृष्ठ ४२०

अब देखिये कि कुरआन के व्याख्याकारों ने किस प्रकार विभिन्न अटकलें लगाई हैं। कहां उमैय्या बिन सलत जो कि हज़रत मुहम्मद का समकालीन था और मुससमान होने के पश्चात पुनः काफिर हो गया और कहां बलअम बिन बऊर जो

कि हज़रत मूसा के समय था। हज़रत मुहम्मद और हज़रत मूसा के मध्य हजारों वर्षों का अन्तर है किन्तु व्याख्याकारों ने उक्त आयत का स्पष्टिकरण करने के प्रयास में और भी अस्पष्टता उत्पन्न कर हजारों वर्षों के अन्तराल का एकीकरण कर और भी भ्रम उत्पन्न कर दिया।

और अस्पष्ट आयत :—

इन्ना कफैना कल मुस्तहाज़ेईन।

कुरआन, पारा १४, रकू ६/६

अर्थात—निसन्देह हमने तुझको हँसी करने वालों से मुक्त कर दिया।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ ३६४ कुरआन

उक्त आयत में कही गई बात अस्पष्ट है क्योंकि यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन हँसी करने वाले हैं और किसे मुक्त किया गया है ?

उक्त आयत के सम्बंध में अल्लामा सियुती लिखते हैं कि वे पाँच व्यक्ति थे, जो हँसी उड़ाते थे। सईद बिन जबेर के कथनानुसार वलीद बिन मोगीरा, आसो बिन वाईल, अबुज़मआ-हारिस बिन क़ैस और असवद बिन अब्दे यगूस।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६३

इस आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी में लिखा है कि—जो लोग तेरी हँसी उड़ाते हैं, ऐ मुहम्मद ! हम उनकी जड़े उखाड़ देंगे और उनका सर्वनाश कर देंगे।

बगवी के अनुसार यह हँसी उड़ाने वाले कुरेश के १५ सरदार थे। वलीद बिन मौगोरा उनका नेता था।

तफसीर मज़हरी, भाग ६, पृष्ठ ३६८

तफसीर कादरी भाग १ पृष्ठ ५५५ में और तफसीर जलालैन पृष्ठ २१५ में भी उक्त आयत का इसी प्रकार विवरण है।

और अस्पष्ट आयत :—

वा ला तकूनू कल्लाती नकज़त गज़लाहा मिम्बादे कुव्वतिन अनकासा।

कुरआन, पारा १४ रकू १३/१९

अर्थात—उस स्त्री के समान मत हो, जिसने अपने काते हुए सूत को बलपूर्वक क्षार-क्षार कर दिया।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ ३७९, कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में अल्लामा सियुती लिखते हैं- कि वह स्त्री रब्ता बिन्ते सईद बिन ज़ैद बिन मनात बिन तमीम थी।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६३

इस आयत के सम्बंध में तफसीर मज़हरी में लिखा है- कि उस मूर्ख स्त्री की भांति न हो जाओ। जिसने अपना काता हुआ सूत टुकड़े-टुकड़े कर नोच डाला।

इब्ने अबी हातम ने अबु बकर बिन अबी हफ़्स का कथन उद्धृत किया है कि (मक्का की एक स्त्री) सईदा असदिया पागल थी। वह बाल और खजूर की छाल के रेशे एकत्रित करती थी। उसी के लिये यह आयत उतरी।

बग़वी ने लिखा है कि कलबी और मुकातिल ने कहा कि रब्ता बिन्ते उमर बिन शाद बिन काब बिन जैद बिन मनात बिन तमीम एक मूर्ख स्त्री थी। उसका उपनाम जार था। उसने एक चर्खा हाथ भर का और उसमें एक खूँटी (मेख) अंगुल भर की और दमरकाह (चकरी) बहुत बड़ी बना रखी थी। प्रति-दिन वह ऊन-रूई और बालों की कताई करती थी तथा अपनी सेविकाओं से भी कतवाती थी। सब मिल कर दोपहर तक कातती थी। दोपहर पश्चात वह सबका काता हुआ धागा खोल कर टुकड़े-टुकड़े कर डालती थी। यह उसका दैनिक कार्यक्रम था। अर्थात—आयत का तात्पर्य यह है कि तुम उस स्त्री के समान मत हो जाना।

इस्लाम के पूर्व लोग आपस में शपथ ग्रहण करते थे। इस आयत का उतरना इस कारण हुआ कि शपथ तो लो परंतु शपथ भंग मत करना उस स्त्री की भांति जो अपने काते हुए सूत को क्षार-क्षार कर देती है।

तफसीर मज़हरी, भाग ६ पृष्ठ ४२७-२८

तफसीर कादरी में लिखा है कि—तुम अनुबंध तोड़ने और वचन भंग करने में उस स्त्री के समान मत हो जाओ,

जिसने अपना काता हुआ सूत खोला और तोड़ डाला। यह स्त्री अरब की थी और उसका नाम रब्ता या राब्ता और दमयाति के अनुसार खतीया, हमका या जारा नाम था। उसका उपनाम मरूका था, उसकी बहुत सी दासियाँ थी। वह प्रातः से दोपहर तक ऊन और सूत स्वयं कातती व दासियों से भी कतवाती थी तथा दोपहर ढलने के पश्चात सबको आज्ञा देती कि चर्खा उल्टा घुमा कर धागे का बल खोल डालो ताकि कता हुआ धागा व्यर्थ और नष्ट हो जाए। उसकी प्रतिदिन यही आदत थी। खुदा ने अनुबंध तोड़नेवालों को उस स्त्री के साथ उपमा दी है, कि अपने अनुबंध को न तोड़ें।

तफ़सीर कादरी, भाग १, पृष्ठ ५७६

और अस्पष्ट आयत :—

वलकद् नालमो इन्नाहुम यकूलूना इन्नामा योअल्लेमोहू बशर।

कुरआन, पारा १४, रकू १४/२०

अर्थात—हमको ज्ञात है कि यह लोग यह भी कहते हैं कि इनको (मुहम्मद को) यह कलाम (कुरआन) मनुष्य सिखा जाता है। यह (कुरआन) अल्लाह की ओर से नहीं है।

बगवी ने लिखा है कि इस विषय में मुस्लिम विद्वानों में मतभेद है। इब्ने जुरेर ने हज़रत इब्ने अब्बास का कथन उल्लिखित किया है कि मक्का में एक ईसाई अजमी ग़ुलाम लुहार था, उसका नाम बलआम था। हज़रत मुहम्मद उसके पास आते जाते थे। मुशरिकों ने आपको बलआम के पास आते-जाते देख कर कहा कि इसको कुरआन बलआम सिखाता है।

अकरमा ने कहा कि बनी मोगेरा का एक गुलाम जिसका नाम योयीश था। वह पुस्तकें पढ़ता था। हज़रत मुहम्मद उसे कुरआन सिखाते थे। कुरैश कहने लगे कि इनको योयीश कुरआन सिखा देता है।

फ़रा ने कहा कि हवैतब बिन अब्दुलअज्ज़ा का एक गुलाम था, जिसकी भाषा अज्मी थी और उसका नाम आईश था। मुहम्मद आईश से कुरआन सीख लेते है।

इब्ने इर्शाद ने कहा कि हज़रत मुहम्मद मरवा पहाड़ी के समीप एक रूमी ईसाई गुलाम के पास बैठा करते थे, उसका नाम ज़बर था और वह पुस्तकें पढ़ा करता था। अब्दुलाह बिन हज़रमी का कथन है कि हमारे दो गुलाम यमन निवासी थे। एक का नाम यसर और दुसरे का नाम ज़बर था। वह दोनों मक्का में तलवारें बनाया करते थे और तोरेत व अंजील पढ़ा करते थे। कभी कभी हज़रत मुहम्मद उनकी ओर गुजरते और वह अंजील व तोरेत पढ़ते होते तो वे ठहर कर सुनने लगते।

ज़ोहाक का कथन है कि हज़रत मुहम्मद को जब काफिर लोग कष्ट देते तो आप इन दोनों गुलामों के पास जाकर बैठ जाते और उनकी वाणी से कुछ सुख अनुभव करते। मुशरिक कहने लगे कि मुहम्मद इन दोनों से सीख लेते है।

तफसीर मज़हरी, भाग ६ पृष्ठ ४३८

उक्त सम्बंध में तफसीर जलालैन पृष्ठ २३६ में भी ऐसा ही लिखा है।

इस आयत के सम्बंध में तफसीर इत्तिकान में लिखा है कि काफिरों ने इस बात को कहने से अब्दबिनल हज़रमी को मुराद माना था और उसका नाम मुकीश था। कहा गया है कि यसार और जबर नामक दो गुलाम हज़रत मुहम्मद को सिखाने वाले मान लिये थे, और यह भी कहा गया है कि उनका तात्पर्य मक्का निवासी एक लुहार बलआम से भी था। यह भी कहा गया है कि मक्का के मुशरकों का तात्पर्य सिलमान फारसी से भी था।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७० भाग २ पृष्ठ ३६३

हज़रत मुहम्मद के समय में लोग उनके मुँह पर स्पष्ट कहते थे कि मुहम्मद को कोई व्यक्ति कुरआन सिखाता है और यह कुरआन अल्लाह की ओर से नहीं है। कई मुस्लिम विद्वानों ने तो स्पष्ट कहा है कि कुरआन जैसी पुस्तक लिखना मुहम्मद सा. के वश की बात नहीं और इन्हें अमुक ईसाई,फारसीलोहार और गुलाम लोग कुरआन सिखाते हैं क्योंकि वह पुस्तकें अंजील और तोरेत का पाठ करते रहते और हज़रत मुहम्मद उनके पास ठहर कर सुनते रहते तथा उन लोगों के पास उनका आना-जाना रहता था। जब काफिर लोग उन्हें कष्ट देते थे तो वे उनके पास जाकर बैठते और उनके कलाम (वाणी) से सुख अनुभव करते थे।

पाठक ! स्वयं निर्णय करें कि कुरआन अल्लाह की ओर से है या हज़रत मुहम्मद ने लिखा है? या फिर उपरोक्त लोगों ने हज़रत मुहम्मद को सिखाया है? क्योंकि कुरआन में भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न चर्चायें हैं।

और अस्पष्ट आयत :—

'अल्लाज़ी जाऊ बिल इफ्के' अर्थात—जो लोग आरोप लगाने हेतु आये, वह हैं। हस्सान बिन साबित, मुसत्ता बिन असासा, खमसा बिन्ते जहश और अब्दुल्ला बिन औबैद थे।

तफसीर इत्तिक़ान, प्रकरण ७० भाग २ पृष्ठ ३६४

उपरोक्त वर्णन से आयत का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। अतः पाठकों की जानकारी हेतु हम उपरोक्त आयत जो कुर-आन में है, उसे देकर उसकी व्याख्या करते हैं।

आयत इस प्रकार है :—

इन्नल्लाज़ीना जाऊ बिल इफ़के उसब तुम्यिमनकुम मिन्कुम ला तहूसबूहो शर्रल्लाकुम बलहोवा खैरूल्लाकुम लिकुल्लिमरे इम्मिनहुम्मकतसाबा मिनल इस्में वल्लाज़ी तवल्ला किबरहू मिन्हुम लहू अज़ाबुन अज़ीम।

कुरआन, पारा १८, रकू २/८

उपरोक्त आयत की कथा इस प्रकार है कि हज़रत **आयशा** पर उक्त लोगों ने वर्णित आरोप लगाया था। यह आयतें हज़रत आयशा को आरोप से मुक्त करने हेतु उतरी। यह कथा बहुत लम्बी है, जिसे हम संक्षिप्त में लिखते है।

"हिजरत के ५ वें वर्ष जब मरीशिया युद्ध की घटना घटी तब जनाब सिद्दीका (हजरत आयशा) उस यात्रा में हज़रत

मुहम्मद के साथ थी । एक पड़ाव समप्ति के पश्चात ऊँट के कजाबे से उतरी । उनका हार खो गया था, उसे तलाश करने हेतु पड़ाव से दूर चली गई । सेवकों ने कजाबा उठा कर ऊँट पर रख दिया । यह न देखा कि कजाबा खाली है या बीबी आयशा बैठी है । वह ऊँट पर कजाबा रख कर चल दिये । हज़रत आयशा जब लौट कर वहाँ आई तो वहां कोई भी नहीं था। फलस्वरूप उसी स्थान पर ठहर गई । यहाँ तक कि सफ्वान बिन हुअत्तल, जो हज़रत की आज्ञानुसार सेना के पीछे पीछे आया करता था, वह वहाँ पहुँचा और हज़रत आयशा उनके ऊँट पर सवार हो लश्कर में जा मिली । इब्ने और औवेद ने सफ़वान के ऊँट पर हज़रत आयशा को सवार देख कर वह बात कही जो हज़रत मुहम्मद को पत्नियों के सम्बन्ध में कहने योग्य नहीं थी । जब मदीने में सब पहूँचे तो यह सूचना हज़रत मुहम्मद को दी गई और हज़रत आयशा अस्वस्थ हो गई थी किन्तु हज़रत मुहम्मद की ओर से उनके साथ उपेक्षा की जाने लगी। फलस्वरूप वह आज्ञा लेकर अपने पिता के घर आ गई । वहाँ यह समाचार सुना तो इस दुख से रोग और बढ़ गया और पजरत मुहम्मद बीबी आयशा के समाचार प्राप्ति हेतु आकर्षित हुए । अपनी बीबीयों और बड़े-बड़े मित्रों से आप पूछते तो सब आयशा के निष्कलंक होने की साक्षी देते ।

एक दिन हज़रत मुहम्मद आयशा के पिता हज़रत सिद्दीक के घर आये और हज़रत आयशा को रोते देख कर कहा—ऐ आयशा ! यदि तुमने पाप किया है तो खुदा से तौबा (पश्चाताप) करो और क्षमा मांगो । हज़रत आयशा ने अपने माता पिता से कहा कि तुम हज़रत मुहम्मद की इस बात का उत्तर

दो। किसी ने भी उत्तर देने का साहस नहीं किया तो स्वयं हज़रत आयशा ने भयपूर्ण होकर हज़रत मुहम्मद से निवेदन किया कि या रसूल लिल्लाह ! द्वेषियों ने यह खबर उड़ा दी है। मैं जो कहती हूँ, कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। तो मैं वही बात कहती हूँ, जो यूसुफ के पिता ने कही थी। पस, सन्तोष बहुत अच्छा है और खुदा सहायक है।

उक्त चर्चा के मध्य हज़रत मुहम्मद पर वही (आयतें लाने वाला फरिश्ता) का प्रभाव हुआ और हज़रत आयशा के निष्पाप होने की आयतें उतरी (उपरोक्त वर्णित आयत) ! अर्थात—निसन्देह जो लोग आयशा की शान (चरित्र) में बड़ा झूठ लाये हैं, वो तुममें से ही एक दल है और वह पांच व्यक्ति थे। अब्दुल्ला बिन औबेद मुनाफकों का नेता और जैद बिन रफ़ाया और उस्सान बिन साबित शायर और मुसत्ता बिन अनासा हज़रत अबु बकर की मासी के पुत्र और हमना जहश की पुत्री मुहम्मद की पत्नि जैनब की बहिन, न समझो उस झूठे को बुरा अपने हेतु, इसमें हज़रत मुहम्मद हज़रत आयशा और सफ़वान जिसके साथ कलंक लगाया गया था को सम्बोधित किया गया है। अपितु वह अच्छा है तुम्हारे हेतु, इसलिये कि तुमने बड़ा पुण्य पाया और तुम्हारी मुक्ति और पवित्रता में आयतें उतरी और इनसे आरोप दूर हुआ और तुम्हारी महत्ता व उत्तमता सब पर प्रकट हो गई और सब मिथ्याभाषी व आरोप लगाने वालों के लिये वईद (कष्टदायक) हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के लिये जो उनमें बड़ा झूठ बोलने वाले हैं, उनके लिये दंड प्राप्त होगा जो उन्होंने पाप प्रकट किया। जिस व्यक्ति ने वह बात कही, वह उस दल में बहुत बुरा है। वह इब्ने

औबेद अल्लाह से दुत्कारा हुआ है और उसके लिये कयामत में बड़ी यातनाएँ हैं।

तफसीर कादरी, भाग २ पृष्ठ ११०-१११

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर हक्कानी में कुछ बातें लिखी है।

(१) ऐसे लोगों पर सुविचार रखना आवश्यक है।
(२) इस बात के असत्य होने की स्थिति में बड़ों को कष्ट होने पर खुदा की किस प्रकार नाराजगी होगी।
(३) यदि यह सत्य भी हो तो बदनाम करने के बदले बात पर आवरण डालना हर स्थिति में श्रेष्ठ है।
(४) ऐसी बातों को फैलाने से सिवाय इसके कि ईमानदारों में

कुचर्चा फैले और कोई परिणाम नहीं निकलता। इसलिए खुदा तुमको उपदेश देता है कि भविष्य में कभी ऐसा न करना और अल्लाह तुम्हारे लिये स्पष्ट कहता है और सभ्यता व सद्व्यवहार सिखाता है और वह सर्वज्ञाता है। ऐसी बातों से जो बुराईयाँ उत्पन्न होती है, परस्पर द्वेष व ईर्ष्या आदि वह खुदा भलिभाँति जानता है। इन्हीं शिक्षाओं को लक्ष्य में रख कर तुम्हें बुरी बातों से रोकता है।

तफसीर हक्कानी, पारा १८, पृष्ठ २८

और अस्पष्ट आयत :—

'कुल ले अज़्वाजेका' अक्रमा ने कहा कि इस आयत के उतरने के समय हज़रत मुहम्मद के ६ पत्नियाँ थी (१) आयशा (२)

हफसा (३) उम्मे हबीबा (४) सूदह (५) उम्मे सलमा (६) सफिय्याह (७) मेमूना (८) ज़ैनब बिन्ते जहश और (९) जवैरिया। और हज़रत मुहम्मद की बेटियाँ (१) फातिमा (२) जैनब (३) रुक़ैय्या और (४) उम्मे कुलसूम थीं, और परिवार में अली, फातिमा, हसन, हुसैन चार यह और पाँचवे स्वयं हज़रत मुहम्मद थे।

तफ़सीर इत्तिकान, भाग २, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६५

उपरोक्त दिये गये आयत के अंश से कुछ ज्ञात नहीं होता। फलस्वरुप पूर्ण आयत निम्नानुसार है। आयत :—

कुल लेअज़वाजेका इन कुन्तुन्ना तरिदनल हयातदुनिया वा ज़ीनतहा फतआलेना उमत्तेकुन्ना वा उसर्रेहकुन्ना सराजन ज़मीला। वा इनकुन्तुन्ना तुरिदनल्लाहा वा रसूलाहू वद्दारल अखि़रता फ़इन्नल्लाह आ अद्दा लिल मोहसिनाते मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा।

कुरआन, पारा २१, रकू ३।१९ पारा २२ रकू ४/१

अर्थात—ऐ नबी ! अपनी पत्नियों के लिये कह। यदि तुम सांसारिक जीवन की कामना करती हो और बनाव-श्रृंगार करना चाहती हो। पस, आओ कुछ (मेहर) कुछ लाभ दूँ। मैं तुमको, और विदा करूँ मैं तुमको, भली प्रकार विदा करना (तात्पर्य यह है कि मेहर देकर तलाक दूँ और बिदा कर दूँ) और यदि तुम खुदा रसूल और कयामत का विचार रखती हो

तो निसन्देह अल्लाह ने तैय्यार किया है भला करने वालों के लिये बहुत बड़ा फल।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २१, पृष्ठ ५८४ कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर कादरी में कथा इस प्रकार है—हिज्रत के ६ वें वर्ष हज़रत मुहम्मद ने अपनी पत्नियों से पृथक होकर शपथ ली कि एक माह तक उनसे नहीं मिलुंगा। कारण यह था कि पत्नियां भोजन--वस्त्र अधिक मांगती थी, जैसे यमानी चादर और मिश्र का वस्त्र तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं की मांग करती थी, जो कि आपके वश के बाहर थी। फलस्वरूप आपने शोकग्रस्त और निराश होकर उनसे एकान्त ले लिया और मस्जिद के एक कोने में रहने लगे। २६ दिन के पश्चात वह महीना २६ दिन का था। हज़रत जिब्रील यह (उक्त) आयत स्वतंत्रता की लेकर आये—ऐ पैगम्बर! अपनी पत्नियों से कह दो कि यदि तुम सांसारिक सुख भोग, बढ़िया वस्त्र और आभूषण चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें तलाक दूँ और विदा कर दूँ मैं तुमको अपनी प्रसन्नता से, और यदि तुम आशीष चाहतीं हो और उसके रसूल की प्रसन्नता व कयामत में पुरूस्कार चाहती हो तो निसन्देह अल्लाह ने तैय्यार किया है भलाई करने वाली स्त्रियों के लिये तुममें से, बहुत बड़ा फल। संसार की वस्तुएं उसकी तुलना में हीन है।

हज़रत मुहम्मद की पत्नियों में से सर्व प्रथम जिसने खुदा और रसूल को स्वीकार किया. वह हज़रत आयशा थी।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २६१

तफसीर जलालैन में संक्षिप्त रूप से यही लिखा है, जिसे हमने ऊपर तफसीर कादरी से उद्धृत किया है।

तफसीर जलालैन, पारा २१, पृष्ठ ३५३

तफसीर बैज़ावी में उक्त आयत के सम्बंध में लिखा है कि—सांसारिक सुख चाहती हो तो जाओ मैं तुमसे सम्बंध विच्छेद कर लेता हूँ और यदि तुम परलोक चाहती हो तो खुदा और रसूल की आज्ञा का पालन करो। खुदा ने तुम्हारे लिये तैयार कर रखा है बहुत बड़ा पुरस्कार।

तफसीर बैज़ावी पृष्ठ ३५३

इसी प्रकार तफसीर कुरानुल अजीम पृष्ठ ६६ भाग २ में भी लिखा है।

यह बात यहां तक विख्यात हो गई थी कि लोगों ने विश्वास कर लिया था कि हज़रत मुहम्मद ने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया है। जब इस चर्चा को हज़रत उमर ने सुना तो वे हज़रत मुहम्मद के पास गये और कहा " **फद्दखलतो अला रसूल लिल्लाहे फकुलतो या रसूलिल्लह अतलकहुन्ना काला ला फकुलतो या रसूलिल्लाह इन्नी दखलतुल मस्जिदा वल मुस्लिमूना यकूलूना तल्लका रसूलिल्लाहे निसाअहु** "

अर्थात—उमर ने कहा—मैं हज़रत मुहम्मद के पास गया और मैंने कहा ऐ रसूलिल्लाह क्या तूने अपनी स्त्रियों को तलाक दे दिया? हज़रत ने कहा कि नहीं दिया। पस, मैंने (उमर) कहा

कि मैं अभी मस्जिद में प्रविष्ट हुआ था, वहाँ मुसलमान लोग यह कह रहे थे कि हज़रत मुहम्मद ने अपनी स्त्रियों को तलाक दे दिया।

तफसीर सिराजे मनीर, भाग ३ पृष्ठ २४०

तफसीर हक्कानी में उक्त आयत के सम्बंध में स्पष्ट सम्मति लिखी है कि हज़रत मुहम्मद को मुनाफिकों के द्वेषभाव से कष्ट था ही किन्तु अपनी पत्नियों की ओर से भी सांसारिक एश्वर्य सामग्री की निरन्तर माँग के कारण अत्यंत कष्ट पहुँचता था। यद्यपि वे पत्नियाँ हज़रत मुहम्मद से हार्दिक प्रेम व विश्वास रखती थी तथा उन्हें खुदा का रसूल भी मानती थीं परन्तु साथ ही पति भी समझती थी और जैसा कि नारी स्व-भाव है आपसे सांसारिक व्यवहारों में वही व्यवहार करती थी जो कि साधारण स्त्रियाँ अपने पतियों से व्यवहार करती है। जैसे कि यह लाओ, वह लाओ, हमारे पास अमुक वस्तु नहीं है और वह अमुक के पास है। इस पर बहुत पत्नियों के कारण उनमें परस्पर ईर्ष्या और द्वेष भी क्रोधोत्पत्ति का कारण होता था। इसलिए एक बार हज़रत मुहम्मद उनसे अप्रसन्न होकर एक महीने तक अलग मकान में बैठ गये और मित्रों के पास भी नही गये। तब यह उपरोक्त आयत उतरी जिनमें उनको और पत्नियों को शिक्षा-धमकी और प्रेरणा दीगई थी। इस आयतमें पत्नियों को दो बातों का अधिकार दिया गया कि यदि तुमको संसार का जीवन और उसके सुखभोग व आराम स्वीकार है तो आओ मैं तुमको कुछ देकर छोड़ दूं। सुन्नत के नियमानुसार मैं तुम्हें तलाक दे दूं। फिर तुम जहां चाहो वहां जाकर संसार भोगो और यदि तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल व परलोक

प्रिय है तो अल्लाह ने तुम सदाचारिणी स्त्रियों के लिये बहुत बड़ा फल तैयार कर रखा है।

इस आयत के पश्चात हज़रत मुहम्मद की स्त्रियों ने सम्बंध विच्छेद (तलाक) नहीं किया और अल्लाह-रसूल व परलोक को स्वीकार किया तथा भविष्य के लिये प्रतिज्ञा की कि वे अब ऐसी मांगे नहीं करेगीं। (आयशा ने कहा) सबसे प्रथम मुझे कहा कि शीघ्रता मत करना अपने माता-पिता से परामर्श करके फिर करना। मैंने कहा वह क्या है? तो हज़रत ने कहा कि मुझे और परलोक को चुनती हो या संसार को? मैंने कहा उनसे क्या पुछुंगी? मैंने अल्लाह-रसूल और परलोक को स्वीकार किया। इसी बात को शेष पत्नियों ने भी स्वीकार किया।

इसी वर्णन को मुस्लिम, इब्ने जरीर, अहमद और निसाई ने भी लिखा है।

तफसीर हक्कानी, पारा २१, पृष्ठ ७१–७२

और अस्पष्ट आयत:–

'अल्लाजी अनअमल्लाहो अलैहे वा अनअम्ता अलैहे' वो ज़ैद बिन हारसा थे। (आगे इसी के लिये लिखा) **'अमसिक अलैका ज़ोजका'** वो बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश थी।

तफसीर इत्तिकान, भाग २, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६५

उपरोक्त लिखित वर्णन से पाठकों को यह ज्ञात नहीं होगा कि उपरोक्त आयत के अंशों में क्या कहा गया है और किस हेतु से है। अस्तु। पूर्ण विवरण प्रस्तुत है, जो निम्नानुसार है—

इस समबंध में हज़रत इब्ने अब्बास, कतादा और मुजा-हिद आदि ने वर्णन किया है कि ज़ैनब बिन्ते जहश रसूल हज़रत मुहम्मद को फूफी (भुआ) इस्मियां की पुत्री और उसके भाई अब्दुल्ला के सम्बंध में उक्त आयत उतरी। कथा इस प्रकार है-

ज़ैद बिन हारस छोटे ही थे कि वे बन्दी हो गये और हज़रत खुदीजा के हाथ ग़ुलाम के रूप में बिके। जब हज़रत मुहम्मद का विवाह हज़रत खुदीजा से हुआ तो उन्होंने यह ग़ुलाम हज़रत मुहम्मद को दे दिया। इसी मध्य में ज़ैद श्याम देश में गया और उसके चाचा ने वहां उसे पहिचान लिया। वो चाचा हज़रत मुहम्मद के पास आया और बदले में धन देकर ज़ैद को लेना चाहा। हज़रत मुहम्मद ने कहा कि मैं इसे अधि-कार देता हूँ कि यह चाहे तो मेरे पास रहे या आपके साथ जायें, तो ज़ैद ने कहा कि मैं चाचा के साथ नहीं जाऊँगा आपके ही पास रहूँगा। इसके पश्चात हज़रत ने उसे दासता से मुक्त कर दिया।

तफसीर बयानुल कुरआन, पृष्ठ १५१२

इसके पश्चात हज़रत मुहम्मद ने ज़ैद को अपना दत्तक (मुतबन्ना) पुत्र बना लिया। जैसा कि तजरीदे बुखारी ने लिखा है:—**'तबन्ननबिय्यों सल्लिाल्लोहो अलैहे वसल्ला'** अर्थात जिस प्रकार ज़ैद को हज़रत मुहम्मद ने अपना पुत्र बना लिया था।

तजरीदे बुखारी, भाग २ किताबुन्ननिकाह हदीस क्र० ६५० पृ. ३१४

ज़ैद के सम्बंध में स्पष्ट ज्ञात हो गया कि वह हज़रत मुहम्मद की प्रथम पत्नि खुदीजा का क्रय किया हुआ ग़ुलाम था

और विवाह के अवसर पर खुदीजा ने उसे हज़रत मुहम्मद को भेंट स्वरूप दे दिया था जब ज़ैद का चाचा हज़रत मुहम्मद के पास आया और उसका मूल्य देकर उसे ले जाना चाहा तो ज़ैद ने जाने से स्पष्ट मना कर दिया। फिर हज़रत मुहम्मद ने उसे दासता से मुक्त कर अपना पुत्र बना लिया। उसके पश्चात् क्या हुआ इसका वर्णन तफसीर बयानुल कुरआन में निम्नानुसार है—

हज़रत मुहम्मद ने ज़ैद के लिये ज़ैनब के साथ विवाह करने का परामर्श दिया तो ज़ैनब ने अपनी वंश प्रतिष्ठा को लक्ष्य में रखते हुए मुक्ति प्राप्त गुलाम से विवाह करने से मना कर दिया और उसके भाई अबदुल्लाह ने भी अपनी बहिन की बात का समर्थन किया।

तफसीर बयानुल कुरआन, पारा २२ पृष्ठ १५१२

इस सम्बंध में तफसीर कादरी का कथन ध्यान पूर्वक पढ़ने योग्य है, जो निम्नानुसार है:—

जब ज़ैनब और अब्दुल्ला ने ज़ैद के साथ विवाह करने से मना कर दिया तो निम्नलिखित आयत उतारी गई।

'वा मा काना लेमोमिनिन' और नहीं है किसी ईमानदार व्यक्ति के लिये (उचित) अर्थात अब्दुल्ला बिन जहश को **'वा ला मोमिनतिन'** और न किसी ईमानदार स्त्री के लिये (उचित) अर्थात बीबी ज़ैनब को **'इज़ा कज़ल्लाहो वा रसूलोहु'** जब आज्ञा दे चुका खुदा और उसका रसूल **'अमरन'** किसी कार्य को अर्थात हज़रत ज़ैद के साथ बीबी ज़ैनब के विवाह की **'अय्यंकूना लहोमुल खियरतो'** यह कि हो उनके हेतु कुछ अधिकार कि

पसन्द करे **'मिनअमरेहिम'** अपने कार्य में से कुछ अपितु उनको अनिवार्य है कि वे अपने अधिकार को खुदा और रसूल के अधीन कर दें **'वा मय्यांसिल्लाहा वा रसुलाहु'** और जो कोई अपराधी हो जाये और विरोध करे खुदा और रसूल से या कुरआन और हदीस के आदेश से अलग रहे तो **'फकद्ज़ल्ला ज़लालम मुबीना'** तो निसंदेह वह पथभ्रष्ट हुआ, प्रत्यक्ष पथभ्रष्ट होना।

इसलिए कि विश्वास की दृष्टि से विरूद्ध करे तो कुफ्र है। उपरोक्त (यह) आयत उतरने के पश्चात् बीबो ज़ैनब और उसका भाई भी ज़ैद से विवाह करने हेतु तैयार हो गये और ज़ैद के साथ ज़ैनब का विवाह हो गया।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २६३-२६४

उक्त वर्णन में स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद ने खुदा के नाम पर किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया और न चाहते हुए भी ज़ैद के साथ जैनब का विवाह आयत के आतंक से बलपूर्वक किया गया। ज़ैनब और उसका भाई वंश प्रतिष्ठा के कारण विवाह को तैयार न थे किन्तु हज़रत मुहम्मद ने आयत उतार कर धमकी दी कि किसी भी ईमानवाले अर्थात मुस्लिम स्त्री-पुरूष को खुदा और रसूल के आदेश की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है और उन्हें अपनी व्यक्ति स्वतंत्रता को खुदा और रसूल के अधीन कर देना चाहिए। यदि वह ऐसा न करेंगे तो प्रत्यक्ष वह पथभ्रष्ट हो जायेंगे अर्थात मुसलमान न रहेंगे। तात्पर्य यह कि हज़रत मुहम्मद ने अपनी बात पूरी करने के लिये खुदा को माध्यम बना कर आयत उतारी और ज़ैद के साथ ज़ैनब का विवाह कर दिया।

विचारणीय प्रश्न है कि क्या खुदा के पास इस काम के लिए समय है कि वह विवाह-शादी आदि कार्यों के लिए अपना आदेश प्रसारित करता रहे और मनुष्यों के व्यक्तिगत साधारण कार्यों में भी हस्तक्षेप करे ? ऐसा खुदा, खुदा नहीं हो सकता यह तो हज़रत मुहम्मद ने खुदा के नाम से लोगों को भयभीत कर अपना स्वार्थसिद्ध किया है।

ज़ैद और ज़ैनब के विवाह को अधिक समय नहीं हुआ था कि खुदा के नाम से एक नया पैंतरा बदला गया, जो तफसीर कादरी में निम्न प्रकार है :—

खुदा ने हज़रत मुहम्मद को ज्ञान दिया कि मेरे (खुदा) अनादि ज्ञान में यह बात ठहरी हुई है कि ज़ैनब तुम्हारी पत्नियों में सम्मिलित होगी । फिर हज़रत ज़ैद और बीबी ज़ैनब में मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ और यहाँ तक कई बार उन्होंने परस्पर तलाक देने का विचार किया और हज़रत मुहम्मद इस बात के लिये उन्हें रोकते थे। जैसा कि कुरआन ने कहा है **'वा इज़ तकूलो'** और याद कर ऐ मुहम्मद ! कि कहा तुमने **'लिल्लाज़ी अनअमल्लाहो अलैहे'** उस व्यक्ति के लिये जिसको इस्लाम की दौलत प्रदान कर पुरस्कृत किया और तुम्हारी सेवा व आज्ञापालन का निर्देश कर **'वा अनअम्ता अलैहे'** और तुमने उपकृत किया उसका पालन कर, उसे स्वतंत्र कर और उसे दत्तक (मुतबन्ना) बना कर अर्थात ज़ैद जो खुदा और रसूल के उपकारों के सागर में डूबे हुए हैं, उनसे तुमने कहा

'**अमसिक अलैका ज़ोजका**' रोक रख अपने लिए अपनी स्त्री अर्थात बीबी ज़ैनब को '**वत्ताकिल्लाहा**' और डर खुदा से उसके कार्य में और दुख मार्ग से उसको तलाक न दे।

'**तुख़्फ़ी फ़ीनफ़सेका**' और छुपाते हो तुम ऐ हमारे स्नेही (हजरत मुहम्मद) अपने मन में '**मल्लाओ मुब्दीहे**' वो वस्तु जिसे खुदा प्रकट करने वाला है, अर्थात इस बात को कि ज़ैनब तुम्हारी पत्नियों में सम्मिलित होगी '**वा तख़्शन्नासा**' और तुम लोगों की निन्दा से डरते हो कि कहेंगे कि अपने दत्तक पुत्र की पत्नि की ईच्छा की '**वल्लाहो आहक्को अन तख़्शाहो**' और खुदा इस बात के लिये बहुत योग्य है कि तू उससे (खुदा से) डरे, उस बात में जिसमें डरना चाहिये और निसंदेह हज़रत मुहम्मद पूर्ण सृष्टि में खुदा से बहुत डरने वाले थे।

लिखा है कि हज़रत ज़ैद ने बीवी ज़ैनब को तलाक दे दी तो अवधि समाप्ति के पश्चात हज़रत मुहम्मद ने किसी को भेजा कि आपके वास्ते उनकी ईच्छा करे। जब यह बात हज़रत जैनब के समक्ष पहुँची तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर धन्यवाद वा नमन किया और कुछ लोगों ने कहा कि दो रकअत नमाज पढ़ी और यों प्रार्थना की कि या अल्लाह तेरे रसूल ने मेरी इच्छा की है, यदि मैं उनके योग्य हूँ तो मुझे उनसे विवाहित कर दे। तो तत्काल यह आयत उतरी '**फलम्मा कज़ा ज़ैदुमम्मिनहा वतरन**' फिर जब पहुँचा ज़ैद, ज़ैनब से उस हाजत को जो

रखी थी और मौजाह में है कि हजरत .जैद की आन्तरिक इच्छा बीबी .जैनब को तलाक देना था। जब उन्हें तलाक दी और अवधि (इद्दत) पूरी हुई तो '.**जव्वजनाकाहा**' जोड़ा कर दिया तुम्हें हमने (खुदा ने) उसका ऐ मुहम्मद! अर्थात तुम्हारा विवाह जैनब के साथ कर दिया '**लिकै लायकुना अलल मोमिनीना हरजुन फी अजवाजे अद्दएयाएहिम**' ताकि मुसलमानों को तुम्हारे पश्चात अपने दत्तक पुत्रों की पत्नियों के साथ विवाह करने में बाधा-पाप या कठिनाई न हो '**इजा कजो मिनहुन्ना वतरन**' जब पहुंचे उनसे अपनी मुराद को अर्थात तलाक दे और अवधि गुजर जाये '**वा काना अमरूल्लाहे मफऊला**' और निसन्देह जो खुदा चाहता है उस कार्य को निश्चित पूर्ण सम्पन्न समझो। जैसे हजरत जैनब का कार्य। पस, हजरत मुहम्मद सा. यह आयत उतरने के पश्चात मुसलमानों की माता हजरत जैनब के घर में उनकी बिना आज्ञा के चले गये। वह (जैनब) बोली—या रसूलिल्लाह बेखुतबा (निकाह का कलमा) और बेगवाह (बिना साक्ष्य) अर्थात आप बिना विवाह और बिना साक्षियों के कैसे आ गये। हजरत मुहम्मद ने कहा-अल्लाह ने विवाह कर दिया और जिब्राईल साक्षी है। (आश्चर्य की बात है कि जिस जैनब का विवाह हुआ उसे यह ज्ञात ही नहीं कि उसका हजरत मुहम्मद से विवाह हो चुका है और वह भी अल्लाह के द्वारा) फिर हजरत जैनब और सब पत्नियों पर गर्व जताती थी कि मेरा विवाह स्वयं अल्लाह ने अपने रसूल (हजरत मुहम्मद) के

साथ कर दिया और तुम्हारे विवाह करने वाले तुम्हारे संरक्षक लोग थे।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ २६३-२६४

इसी प्रकार तफसीर सराजे मनीर में यह लिखा है कि यह (उक्त) आयत '**वा मा काना लेमोमिनीन**' हजरत जैनब और उसके भाई अब्दुल्ला द्वारा विवाह के मना करने पर उतरी। तत्पश्चात जैनब और उसका भाई जैद से विवाह करने को तैयार हो गये। (शेष सब तफसीर कादरी के समान है जो लिख चुके हैं परन्तु यह विशेष रूप से लिखित है) कि जब जैनब और जैद का विवाह हो चुका तब—"**अन्ना रसूलिल्लाहे सल्लिल्लाहे अलैहे वा सल्लमा अता ज़ैदन ज़ातायोमिन लिहा-जतन फ़ब़सूर ज़ैनबा कायमातुन फी दरइन वा खमरिन वा कानत बैज़ाउन जमीलतुन ज़ात खुलकिन मिनअतममिन निसाये कुरैशिन फ वकअत फी नफसेही वा आजबहो हुस्नाहो फकाला सुबहानल्लाहे मक़ल्ले बलकलूब फ़लम्मा जा आ जैदुन ज़करत ज़ालिका लहू फ़ फ़तना जेदुन फ अलका फ़ी नफसे ज़ैदिन करा-हतेहा फिलवक़्ते फ अता रसूलिल्लाहे फ़काला इन्नी अरीदो अन अफारक साहेबती**...............इत्यादि"

तफसीर सिराजे मुनीर, भाग ३, पृष्ठ २४९

अर्थात—एक दिन हज़रत मुहम्मद अपने किसी कार्यवश ज़ैद के घर गये। पस, उन्होंने जैनब को देखा कि वह दिरा (अन्तर-वस्त्र या कंचुकी) पहने खड़ी थी और जैनब अत्याधिक श्वेत

वर्ण और सुन्दर और समस्त कुरैश की स्त्रियों से सभ्य थी। पस, वह हजरत मुहम्मह के हृदय में समा गई और उसका सौंदर्य उन्हें बहुत आकर्षक लगा। पस, हजरत मुहम्मद ने कहा—पवित्र है वह खुदा जो ऐसी सुन्दर आकृतियों का निर्माण करता है, और फिर मुहम्मद सा० लौट आये। पस, जब जैद घर आया तो जैनब ने उससे इस बात की चर्चा की तो जैद के मन में उसी समय घृणा उत्पन्न हो गई और वह हजरत मुहम्मद के पास आया और उसने कहा कि मैं अपनी पत्नि को त्यागने का विचार करता हूँ, तो हजरत मुहम्मद ने कहा कि **'अमसिक अलैका जोजका'** तू अपनी पत्नि को मत त्याग।

तफसीर सिराजे मनीर ने भी इस बात को लिखा है **'काला अनसुन कानत जैनब तफखरो अला अज्वाजिन्नबिय्ये तकूलो जव्वजोकुन्ना आहाले कुन्नाबा जव्वजनिल्लाहो मिन फौका सबआ समावात'**

तफसीर सिराजे मुनीर भाग ३ पृष्ठ २५१

अर्थात—अन्स ने कहा कि जैनब, हजरत मुहम्मद की अन्य पत्नियों पर इस बात का गर्व करती थी कि तुम्हारे विवाह संरक्षकों ने किये हैं और मेरा विवाह सातवें आसमान पर स्वयँ खुदा ने किया है।

तफसीर जलालेन ने भी **'वा मा काना लिमोमेनिन'**

आयत के लिये लिखा है ' **नज़लत फी अब्दुल्ला बिन जहश वा उसको बहेन जैनब** ' के हेतु उतरी ।

तफसीर जलालैन, पारा २२, पृष्ठ ३५४

तफसीर जलालैन ने यह भी लिखा है ' **सुम्मा वकआ बसरेही अलैहा बादाहीना फवकआ फी नफसेही हुब्बेहा वा फी नफसे जैदिन कराहतेहा सुम्मा काला लिन्नबीय्ये उरीदो फ़राकहा फकाला अमसिक अलैका जोजका ।**

तफसीर ज़लालैन पारा २२ पृष्ठ ३५४-३५५

अर्थात–कुछ समय पश्चात हज़रत मुहम्मदकी दृष्टि उस (ज़ैनब) पर पड़ी । पस, वह उनके हृदय में समा गई और उससे प्रेम उत्पन्न हो गया और ज़ैद के मन में उससे (ज़ैनब से) घृणा उत्पन्न हो गई । ज़ैदने हजरत मुहम्मद के पास आकर कहा–मैं उसे पृथक करना चाहता हूँ । हजरत मुहम्मद ने कहा—अपनी पत्नि को मत त्याग (तफसीर जलालैन ने भी वही बातें लिखी है जो हम पूर्व में कादरी उद्धृत कर चुके हैं और सिराजे मनीर ने जो लिखा है वही तफसीर जलालैन ने भी लिखा है) जैसे– '**फ़दखला अलैहा बगैरे इज्निन याने अज़नजूले आयत बखाना जैनब आमद बेदस्तुरी वा जैनब गुफ्त या रसूल बेखुतबा वा बेगवाह हजरत फरमूद के** अल्लाहुल **मुजव्वेजो वा जिब्रीलश्शाहेदो**' अर्थात-पस, हज़रत मुहम्मद जैनब के घर में उसकी बिना आज्ञा के भीतर गये । जैनब ने कहा—या रसूल बिना विवाह

और बिना साक्षियों के आप कैसे ? हज़रत मुहम्मद ने कहा— अल्लाह ने विवाह किया और जिब्रील साक्षी है।

तफसीर जलालैन व्याख्या क्र. ६ पृष्ठ ३५५

यहाँ पर ही तफसीर जलालैन ने लिखा है–ज़ैनब हज़रत मुहम्मद की अन्य पत्नियों पर गर्व जताती थी कि तुम्हारे विवाह तुम्हारे संरक्षकों ने किये हैं और मेरा विवाह स्वयं ख़ुदा ने सातवें आसमान पर किया है।

'तफसीर लबाबन्नकुल फी असबाबिन्नज़ूल' ने भी इस आयत **'वा मा काना लेमोमिनिन'** को ज़ैनब और उसके भाई अब्दुल्ला के लिये ही उतरी बताया है।

उक्त तफसीर, पृष्ठ ५१

और 'तफसीर कुरआनुल अज़ीम' पृष्ठ ६७ में भी वही वर्णन है, जो कि हमने तफसीर जलालैन से ऊपर उद्धृत किया है।

तफसीर बैज़ावी पृष्ठ ३५४, पारा २२ में भी वैसा ही वर्णन है जैसा हमने ऊपर दिया है।

तफसीर मुआलेमुत्तनज़ील पारा २२ पृष्ठ १५४, १५५ तबसीरूर्रहमान भाग २ पृष्ठ १५६, तफसीर कबीर भाग ६ पृष्ठ ७८६, तफसीर कसाफ़ भाग २ पृष्ठ २३७, तफसीर इब्ने कसीर पारा २२ पृष्ठ १०, तफसीर तर्जुमानुल कुरआन पारा २२ पृष्ठ ३३७, सहीह बुखारी पारा ३० पृष्ठ ११८ (तर्जुमा मौलवी फकीरूल्ला),

मदारजुन्नबव्वत भाग २ पृष्ठ ८६६ ८६७, जामेआ मुनाकिब पृष्ठ १५२, शमीमुररियाज़ पृष्ठ २०७ और हयातुल कुलूब भाग २ पृष्ठ ५७३ में भी ज़ैद और जैनब के प्रकरण को उपरोक्त मुस्लिम पुस्तकों में देखिए।

ज़ैद और जैनब के इस प्रकरण के सम्बंध में मुस्लिम तफसीरों और हदीसों से बहुत कुछ लिखा जा चुका है और हम इस प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ और लिखना व्यर्थ और निरर्थक समझते है। पाठकऊपर दिये उद्धरणों से स्वयँ विचार कर निर्णयात्मक स्थिति को पहुँच कर वस्तुस्थिति को जान लें।

ओर अस्पस्ट आयत:—

या अय्यो हन्नबिय्या लेमा तोहर्रेमोमा अहललल्लाहो लका,तब्तग़ी मरज़ाता अज़वाजेका वल्लाहो ग़फ़ूर्रहीम।

कुरआन, पारा २८, रकू १/१९

अर्थात—ए नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को, जिसे अल्लाह ने तेरे लिये हलाल किया है। तू अपनी पत्नियों की प्रसन्नता चाहता है और अल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु है।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ७९० कुरआन

उक्त आयत के सम्बंध में इत्तिकान प्रकरण ७० भाग २ पृष्ठ ३६६ में लिखा है कि यह आयत आपकी (हज़रत मुहम्मद की) दासी मारिया के सम्बन्ध में थी।

तफसीर कादरी में उक्त आयत की व्याख्या इस प्रकार है:—ऐ नबी (मुहम्मद क्यों हराम करता है उस वस्तु को, जो खुदा ने तेरे लिये हलाल (ग्राह्य) कर दी है, अर्थात शहद।

(आगे लिखा) अधिक विख्यात यह कथन है कि हजरत मुहम्मद बीबी हफ्सा की बारी (अर्थात हज़रत मुहम्मद ने अपनी पत्नियों से सम्भोग हेतु निश्चित समय कर रखा था कि किस रात्रि को किसके पास जायेंगे) के दिन आप उनके घर गये। हफ्सा आपकी आज्ञा से अपने पिता को देखने गई थी। हज़रत मुहम्मद ने हज़रत मारिया कब्तिया (हजरत मुहम्मद की दासी) को बुला कर अपनी सेवा से उपकृत किया (अर्थात सम्भोग किया) हजरत हफसा इस बात से परिचित हो गई और इस बात पर बहुत दुख प्रकट किया। हज़रत ने कहा—ऐ हफसा ! तू प्रसन्न नहीं कि मैं उसे अपने ऊपर हराम कर लूँ। हफसा ने कहा— या रसूलिल्लाह मैं प्रसन्न हूँ। हजरत ने कहा यह बात तुम्हारे पास धरोहर है और तुम किसी अन्य को न कहना। हफसा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे ही हज़रत मुहम्मद उनके घर से बाहर निकले तो तत्काल ही हफसा ने यह बात आयशा को कह दी और बधाई दी कि हमने कब्तिया से छुटकारा पाया। हज़रत सा. बीबी आयशा के घर गये तो आयशा ने व्यंगात्मक संकेत में उक्त घटना कही उस पर यह (उक्त) आयत उतरी कि ऐ अल्लाह के रसूल ! तुम अपने ऊपर उस वस्तु को क्यों हराम करते हो जिसे अल्लाह ने तेरे लिये हलाल किया है, अर्थात मारिया कब्तिया को, और तुम शपथ लेते हो और ढूँढते हो उस हराम कर लेने से अपनी पत्नियों की प्रसन्नता और अल्लाह क्षमा करने वाला हैं तुम्हारी

शपथ ग्रहणता का कुफारा (बदले में कोई वस्तु देना) निश्चित कर।

इसके आगे वो आयत है जिसमें कुफारा निश्चित किया गया है।

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५५४

इसी आयत के सन्दर्भ में जो अन्य आयत उतरी वह निम्न प्रकार है

आयत:—

वा इज असर्रन्नबियों इला बाजे अज्वाजेही हदीसन फलम्मा नब्बाअत बेही वा अजहरा हुल्लाहो अलैहे अर्रफा बाजहू वा आरजा अनबाजिन फलम्मा नब्बा आहा बेही कालत मनअम्बआका हाजा काला नब्बानी यल अलीमुल्खबीर।

कुरआन, पारा २८ रकू १/१९

अर्थात—और याद करो ऐ मुसलमानों! जब पैगम्बर ने अपना एक रहस्य बीबी हफसा को कहा और अन्य पत्नियों से गुप्त रखने को कहा। वह रहस्य था मारिया कब्तिया (दासी) को अपने ऊपर हराम कर लेना या शहद को। हफसा ने यह रहस्य आयशा पर प्रकट कर दिया और जब हफसा ने आयशा को वह रहस्य बता दिया तो खुदा ने अपने रसूल को उसमें सूचित कर दिया कि तेरा रहस्य प्रकट हो गया। फिर जब बीबी हफसा को हजरत ने वह बात बताई तो हफसा ने कहा

कि आपको यह बात किसने बताई। रसूल ने कहा—मुझे यह बात खुदा ने बताई जो सबके मन की छुपी बातों को जानने वाला है (हजरत ने कहा) ऐ हफसा और आयशा! तुम दोनों तौबा (पश्चाताप) करो और खुदा की ओर फिरो व हजरत का मन दुखाने में परस्पर सहायकन बनो इसी में तुम्हारी भलाई है। निसन्देह तुम्हारे मन नेकी के विपरीत हो गये हैं और रसूल लिल्लाह के भेद (रहस्य) की रक्षा नहीं करती और यदि तुम दोनों रसूल का मन दुखाने में सहायक बनोगी तो निश्चित समझो कि अल्लाह अपने पैगम्बर (हजरत मुहम्मद) का मित्र और सहायक है और जिब्रील भी मित्र है, जो कि सहायता करेंगे और भले मुसलमान उनके अधीनस्थ और सहायक है और आसमान व पृथ्वी के समस्त फरिश्ते, खुदा-जिब्रील और मुसलमानों के अलावा भी मेरे मित्र और साथ देने वाले हैं। सम्भवतया उसका खुदा; यदि वह तुम्हें तलाक दे तो तुमसे भी सुन्दर पत्नियाँ उसे उपलब्ध करा दे (व्याख्याकार की दृष्टि में पत्नियों को भयभीत करना था खुदा जानता था कि हजरत मुहम्मद तलाक न देंगे) जिस प्रकार कि स्त्रियां उपलब्ध हो सकेगी वे एक खुदा और उसकी आज्ञापालक होगी। नमाज पढ़ने वाली और आज्ञापालक होगी। अपराध से पश्चाताद करने वाली, खुदा की ओर आकृष्ट होनेवाली, उपासना करने वाली, हिजरत (इस्लाम हेतु देश त्याग) करनेवाली, रोजा रखने वाली और विधवा तथा अविवाहित होंगी।

इस पर इब्ने अब्बास ने कहा है कि पूर्व में पति देखी हुई, वह तो फिरऔन की पत्नि आसिया है और अविवाहित हजरत मरियम ईसा की मां है (आश्चर्य की बात है कि मरियम ने ईसा के बाद ५ सन्तानों को जन्म दिया किन्तु मुसलमानों

की दृष्टि में वह अविवाहित है) और खुदा ने हज़रत मुहम्मद को वचन दिया है कि कयामत के दिन उक्त दोनों बीबीयों (आसिया व मरियम) को हज़रत मुहम्मद की पत्नियाँ बनायेगा (मौत के बाद भी पत्नियों का विचार)

तफसीर कादरी भाग २, पृष्ठ ५५४-५५५

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर कुरआनुल अज़ीम में लिखा है कि '**मिन अमतेका मारियातुल कब्तिया लम्मा वाके ओहा फी बेते हफसा वा कानत गायबातुन फजाअत मा शक्का अलैहा कौनो ज़ालिका फी बैतेहा वा अला फराशेहा' हैसा कुल्तो हया हरामुन अलय्या ।**

तफसीर कुरआनुल अज़ीम, भाग २, पृष्ठ १३५

अर्थात—यह आयत मारिया कब्तिया दासी के सम्बंध में है और उसकी घटना हफसा के मकान में घटी और वह (हफसा) घर में उपस्थित नहीं थी । जब वह आई तो उसने सोचा कि मेरे घर में और मेरे बिस्तर पर कौन है ? हज़रत ने कहा कि मैं इसको (मारिया) अपने ऊपर हराम करता हूँ ।

तफसीर बैज़ावी में उक्त आयत के सम्बंध में है कि—

या अय्यो हन्नबिय्यो लिमा तुहर्रमो मा अहलल्लाहो लका । रूवेया अन्नहू अलैहिस्सलाते वस्सलाम खला बेमारयते फी नौबते आयेशह औ हफसह फत्तलअत अला ज़ालेका हफसह फमातें-

नाहो फ़ीहे लेहरमे मारयह फ़नज़लत वा कौल शरबे ही अस-लन इन्दे हफ़सह' इत्यादि ।

तफसीर बैज़ावी, सूरत तहरीम, पृष्ठ ४७६

अर्थात—वर्णन किया गया है कि हज़रत मुहम्मद ने मारिया के साथ एकांतवास किया, हफसा या आयशा की बारी (क्रम) में तो हफसा को इस बात का पता लग गया। तो इस पर हज़्-रत मुहम्मद ने मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया और शहद के लिये भी कहा गया है ।

(तफसीर बैजावी ने भी प्रमुख महत्व मारिया को दिया है और शहद शब्द को **'कीला'** शब्द से प्रतिपादित किया है । जिसका (कीला का) तात्पर्य यह है कि कुछ लोग कहते हैं)

उक्त आयत के सम्बंध में तफसीर जलालैन ने लिखा हैं कि-**या अय्योहन नबीयों लेमातोहर्रमा मा अहलल्लाहो लका। मिनअमतेका मारियातुल कब्तिया लम्मा वाकेओहा फी बंते हफसा वा कानत गायबातुन फजाअत वा शक्का अलैहा कोनो ज़ालेका फी बेतेहा वा अला फराशेहा हैसो कुलता हैय्या हरामुन अलैय्या।'**

तफसीर जलालैन सूरत तहरीम, पृष्ठ ४६५

तफसीर जलालैन ने भी इसी सम्बंध में सविस्तार पूर्वक लिखा है और प्रमुख महत्व दासी मारिया को ही दिया है। उक्त उद्ध-

रण का अर्थ वही है जो हम ऊपर तफसीर बैजावी से लिख चुके हैं।

तफसीर सिराजे मुनीर में इस सम्बंध में और भी स्पष्ट लिखा गया है जो इस प्रकार है :—

'काला अक्सरुल मुफस्सेरीना फी सबबे नज़ूले ज़ालेका अन्नन नबीयो सललिल्लाहे अलैहे वा सल्लमा काना यक्समो बैनानिसा-येही फलम्मा काना यौमे हफ़सा इस्ताज़नत रसूल लिल्लाहे फी ज़ियारते अबीहा फईज़ना लहा फलम्मा फज़ते अरसला रसूलि-ल्लाहे इला जारियते मारियातल कब्तिया फा अदखलहा बैते हफसा फवकआ अलैहा फवम्मा रजअत हफसा वज्जदत बाबा मुगलेकन फ़जलस्ते इंदलबाबे फ़ाखरजा रसूलुल्लाहे सल्लाअम वा वजहाहु युकतरो अरकन वा हफसा तबकी, फ़काला रसूलु-ल्लाहे मा युबकीके फ़कालत इन्नामा अज़ंता ली मिनअजले ज़ालेका अदखलत्ता अमेतका सुम्मावकअत अलैहा फी यौमी अलाफराशी............फ़काला रसूलुल्लाहे अलेसाहैय्या जारैयती कद आहल्ला हल्लाहो ली फहेया हरामुन अलैया।'

तफसीर सिराजे मनीर भाग ४ पृष्ट ३२४

अर्थात—कुरआन के अधिकांश व्याख्याकारों ने इस (उक्त) आयत के सम्बंध में लिखा है कि हजरत मुहम्मद सा. ने अपनी पत्नियों से सम्भोग हेतु बारी (क्रम) बाँट रखी थी। जिस दिन हफसा की बारी (क्रम) थी उस दिन वह हजरत मुहम्मद से

आज्ञा लेकर अपने पिता को देखने गई। जब वह चली गई तो हजरत मुहम्मद ने अपनी दासी मारिया कब्तिया को बुलाया। पस, वह दासी हफसा के घर में आई। पस, हजरत मुहम्मद उस दासी पर वाकिया हुए (अर्थात सम्भोग किया) जब हफसा लौट कर आई तो उसने द्वार बंद देखा। पस, वह द्वार के पास बैठ गई। रसूलिल्लाह अन्दर से निकले तोउनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। यह देख कर हफसा रोने लग गई। रसूलिल्लाह ने कहा—क्यों रोती है ? तो हफसा ने कहा—मैं आपसे आज्ञा लेकर कार्यवश गई तो तूने दासी को मेरे घर में बुलाया और मेरे घर में व मेरे ही बिस्तर पर उससे सम्भोग किया........फिर हजरत मुहम्मद ने कहा—खुदा ने इस दासी को मेरे लिये हलाल कर रखा है किन्तु मैं अपने ऊपर हराम करता हूँ।

ऊपर दिये गये विभिन्न तफसीरों के उद्धरणों से स्पष्ट प्रमाणित हो गया है कि यह आयत दासी मारिया और हज़रत मुहम्मद के सन्दर्भ में है। उक्त उद्धरणों में सारी घटना स्पष्ट है और हम इस सम्बंध में और कुछ लिखना निरर्थक मानते हैं। कुछ लोग इस घटना के सम्बंध में मतभेद रखते हैं जो कि साधारण बात है क्योंकि इस्लाम के सिद्धांतो में पारस्परिक भयंकर विरोधाभास और मतभेद हैं, जिन्हें हमने इसी पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर लिखा है। हमारा आशय तो मात्र वास्तविकता और तथ्य प्रकट करना है अन्यथा कुछ नहीं।

अल्लामा जलालुद्दीन सियुती ने यहां तक उन अस्पष्ट आयतों का वर्णन किया है जिनके सम्बंध में घटित घटनाओं

और उनके सन्दर्भ में जिन व्यक्तियों के नामों के विषय में उन्हें पता लग गया है। सियुती द्वारा वर्णित अस्पष्ट आयतों में से उदाहरण के रूप में कुछ आयतें हमने इस पुस्तक में ऊपर उद्धृत की है।

दुसरी प्रकार की अस्पष्ट आयतों के सम्बंध में अल्लामा सियुती ने लिखा है :—

दुसरी किस्म उन श्रेणियों के अस्पष्ट वर्णन में है कि उनमें से केवल कुछ लोगों के नाम ही ज्ञात हो सके हैं। उनके उदाहरण निम्न प्रकार है :—

'**वा कालल्लजीना ला यालमूना लो ला युक्ललिमूनल्लाहे**' यह आयत कुरआन पारा १ रकू १४/१४ की है। इसके सम्बंध में अल्लामा सियुती लिखते हैं कि आप उन लोगों में से केवल एक व्यक्ति का नाम राफ़ीया बिन हरमलह लिया गया है और शेष लोगों का पता नहीं चलता।

दुसरी आयतः—

'यस अलूनका मा ज़ा युनफिकुन' यह आयत कुरआन पारा २ रकू ३६/१० में है। उन लोगों में से एक व्यक्ति अमरू बिनल जमूअ का ही नाम लिया गया है और किसी का पता नहीं चलता।

तीसरी आयनः—

'वा यस अलूनका अनिलयतामा' यह आयत कुरआन पारा २ रकू २७/११ में है। उनमें से केवल अब्दुल्ला बिन रवाहा का

नाम ज्ञात हो सका और अन्य का पता नहीं लगता।

चौथी आयत :—

'वकीला लहुम तआलो कातिलू' यह आयत कुरआन पारा ४ रकू १७/८ में है। इस बात को कहने वाला अब्दुल्ला जाबर अंसारी का पिता था और जिन लोगों से यह बात कही गई थी वह अब्दुल्ला बिन औबेय और उसके साथी लोग थे, किन्तु साथियों का पता नहीं चलता।

और पांचवी आयत :—

'अल्लाज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहे' यह आयत कुरआन पारा ४ रकू १७/८ में है। यह लोग कुल ७० व्यक्ति थे, उनमें से केवल निम्न व्यक्तियों का पता लगता है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जुबैर, साद-तलहा, इब्ने औफ, इब्ने मसऊद; कज़ेफाह. बिनल जमान और अबू उबैदा बिन जराह।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ७०, पृष्ठ ३६७

अल्लामा जलालुद्दीन सीयुती ने उक्त प्रकार की अनेक आयतों का वर्णन किया है, जिनमें से हमने उपरोक्त ५ आयतें उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रखी है तथा कुछ आयतें इसी प्रकरण के अंत से उद्धृत कर रहे हैं जो निम्नानुसार हैं।

आयत :—

'वा जुरैयतेही' यह आयत कुरआन पारा १५ रकू ७/१९ में है।

शैतान की सन्तानों में से शीबर, आवर, ज़लम्बूर, मिसीद और वासम के नाम कहे गये हैं।

आयत :—

'यामिलो अर्शा रब्बेका' यह आयत कुरआन पारा २६, सूरत हाक़ा में है। खुदा के सिंहासन उठाने वालों में से इस्राफ़ील, लम्बान और रुफ़ील के नाम लिये गये हैं।

तफसीर इत्किान प्रकरण ७० पृष्ठ ३७०

ऊपर वर्णित आयतों में दूसरी आयत कुरआन में सम्पूर्ण रूप से निम्न प्रकार है :—

वल मलेको अला अरजायेहा वा यहमिलो अर्शा रब्बेका फोकहुम योमायेज़िन समानेयह।

कुरआन पारा २६ रकू १/५

अर्थात—और फ़रिश्ते होंगे उसके किनारों के ऊपर और उठायेंगे सिंहासन तेरे खुदा का अपने ऊपर उस दिन आठ व्यक्ति।

अनुवाद शाह रफीउद्दीन, पृष्ठ ८०१ कुरआन

उक्त आयत का भी स्पष्ट अर्थ ऊपर दिये गये अनुवाद से ज्ञात नहीं होता है कि किस दिन, कौन ८ व्यक्ति कहां पर खुदा का सिंहासन अपने ऊपर उठायेंगे।

उक्त आयत के सम्बन्ध में तफसीर कादरी ने लिखा है कि जिस दिन कयामत (प्रलय) स्थापित हो जायेगी और आस-

मान फट जायेगा व सुस्त और निर्बल हो जायेगा और फरिश्ते आसमानों के किनारों पर होंगे कि खुदा की आज्ञा हो और नीचे उतर आयें और उठायेंगे सिहासन तेरे खुदा का उन फरिश्तों पर जो आसमानों के किनारों पर होंगे, उस दिन ८ फरिश्ते और आज ४ फरिश्ते सिहासन उठाये हुए हैं।

तफसीर मुआलिम में है कि उस दिन सिहासन उठाने वाले ८ फरिश्ते होंगे पहाड़ी बकरियों के रूद के। उनके सूमों से घुटनों तक एक आसमान से दुसरे आसमान तक का मार्ग होगा कुछ अन्यों का कथन है कि फरिश्तों की ८ पंक्तियां होगी जो सिहासन को उठायेंगी उनको खुदा के सिवाय और कोई नहीं जानता।

तफसीर मुआलेमुत्तन्जील सूरत हाका पृ. १७५

तफसीर कादरी, भाग २, पृष्ठ ५६९-५७०

इसी आयत के सम्बन्ध में तफसीर मजहरी ने लिखा है कि -और आसमान फट जायेगा और कमजोर होकर उसकी बन्दिश ढीली हो जायेगी व जो शक्ति अभी उसमें है वह नहीं रहेगी।

फरा का कथन है—आसमान की कमजोरी उसके फट जाने के कारण होगी।

आसमान के किनारे और कोने जो आसमान के फट जाने के कारण शेष रहेंगे, उन पर फरिश्ते होंगे। फरिश्ते

अनेक होंगे, और तुम्हारे खुदा के सिंहासन को उठाये होंगे। सिंहासन जो खुदा से सम्बंधित कहा गया है उस सिंहासन की महत्ता प्रकट करने के लिये हैं और यह कारण भी है कि सिंहासन विशेष रूप से ज्योति से प्रकाशित है—अर्थात कयामत के दिन ८ फरिश्ते अपने ऊपर या आसमान के किनारों पर जो फरिश्तें ठहरे हुए हैं वह अपने ऊपर अल्लाह का सिंहासन उठाये होंगे।

तफसीर मजहरी सू. हाका पृ. ७२

अबू दाऊद और तिरमजी ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतलब का कथन उद्धृत किया है। अब्बास ने कहा—मैं बतहा में एक समूह के साथ बैठा हुआ था। रसूलिल्लाह भी वहां बैठे थे, उन्होंने बादल के सम्बंध मैं पूछा और फिर कहा कि क्या तुमको मालुम है कि पृथ्वी और आसमान के मध्य कितनी दूरी है। लोगों ने कहा नही। तो कहा कि दोनों के मध्य ७१-७२ या ७३ वर्षो के मार्ग की दूरी है और निचले आसमान से ऊपर वाला आसमान भी इतना ही दूर है। इसी तरह आपने ७ आसमान गिने और कहा—फिर सातवें आसमान पर एक समुद्र हैं, जिसके नीचे से लेकर ऊपरी सतह की दूरी इतनी ही है जितनी एक आसमान से दुसरे आसमान की है। फिर समुद्र के ऊपर ८ पहाड़ी बकरे हैं और जिसके सूमों और घुटनों की दूरी ऐन्न आसमान से दुसरे आसमान के समान है। उसके ऊपर अर्श (सिंहासन) है। जिसके ऊपर और नीचे की दूरी भी दो आसमानो के मध्य के समान है। उसके ऊपर अल्लाह है। (वाह उस्ताद वाह खूब कहा) बगवी ने भी इसी प्रकार यह हदीस उद्धृत की है।

बगवी ने कहा है कि हदीस में आया है अर्श (सिंहासन) को उठाने वाले फ़रिश्ते ४ हैं। कयामत के दिन उनकी सहायतार्थ अल्लाह ४ और निश्चित करेगा। उनकी आकृति बकरों जैसी होगी। हदीस में यह भी आया है कि एक की आकृति मनुष्य की, दुसरे की शेर की, तीसरे की बैल की और चौथे की गिद्ध की।

हज़रत इब्ने अब्बास ने इस (उक्त) आयत की व्याख्या में कहा कयामत के दिन खुदा के सिंहासन को ८ फरिश्ते अर्थात ८ फरिश्तों की पंक्तियां उठाये होंगी। जिनकी संख्या खुदा के सिवाय कोई नहीं जानता।

तफसीर मज़हरी, पारा २९ पृष्ठ ७२-७३

तफसीर मुआले मुन्तज़ील पृ० १७६-१७७

तफसीर जलालैन में इसी आयत के सम्बन्ध में लिखा है—**अय्यल मलायकातल मजकुरीना थोमयेजिन्न ससानिया। मिनल मलायकते औमिन सफूफेहिम'**- अर्थात—खुदा का सिंहासन ८ फरिश्ते या ८ पंक्तियां उठा कर लायेंगे।

तफसीर जलालैन पृष्ठ ४७२

तफसीर हक्कानी में लिखा है कि—समस्त वस्तुएं पुनः उत्पन्न होंगी, मृतक जीवित होंगे। न्याय हेतु खुदा का सिंहासन लाकर रखा जायेगा। जिसको ८ फरिश्ते उठाये होंगे।

तफसीर हक्कानी, पारा २९, पृष्ठ ५२

इस आयत के सम्बन्ध में यही वर्णन तफसीरुल कुरआ-निल अजीम भाग ७ पृष्ठ ४३६ में भी लिखी है और ऐसा ही तफसीर सिराजे मनीर भाग ४ पृष्ठ ३७३ में भी लिखा है तथा अन्य कई तफ़सीरों और हदीसों में भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है।

कुरआन के खुदा के सम्बन्ध में हमने अल्लामा सियुती द्वारा लिखित एक आयत की व्याख्या को कुरआन की विभिन्न तफसीरों से उद्धृत कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कुरआन का खुदा कैसा है और कहाँ है? ऊपर भी दिये गये उद्धृणों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि कुरआन का खुदा एक ही स्थान पर रहने वाला और सीमित है और तख्त पर बैठा है।

उक्त उद्धृत विवरणों को पढ़ कर ऐसा लगता है कि कुरआन की यह आयत खुदा (संसार के मालिक) के सम्बंध में न होकर किसी व्यक्ति के सम्बंध में है, क्योंकि व्याख्याओं से ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे कोई अलिफ-लैला का किस्सा हो, जैसे खुदा भी बड़े लोगों की भाँति सिंहासन पर बैठता है और वह भी ७ आसमानों के ऊपर, समुद्र और समुद्र के ऊपर खुदा का सिंहासन मानो किसी राजपुरुष ने जल महल का निर्माण करवाया हो। सम्भवतया आयत के लेखक ने जल महल से ही प्रेरित होकर खुदा के सिंहासन की कल्पना कर ली है? साथ ही खुदा के सिंहासन उठाने वाले फरिश्तों की आकृतियों की भी अजीब कल्पना है? कोई बकरा-शेर और कोई बैल व गिद्ध

हैं। क्या खुदा के फरिश्ते अन्य सुन्दर और आकर्षक आकृतियों के नहीं हो सकते थे, जब कि इस संसार का निर्माता खुदा है ?

प्रकरण ६७-कसमें खाने के सम्बंध में

अल्लामा सियुती ने खुदा के कसमें खाने के सम्बंध में भी एक प्रकरण लिखा है उसमें प्रथम तो इस बात का उल्लेख किया है कि खुदा के कसमें खाने का क्या कारण और दूसरे में कौन कौन से कसमें खुदा ने खाई है, उनका वर्णन है।

कसमें खाने का कारण

आप लिखते हैं, कि कसम से खबर की सत्यता और उसका समर्थन अभिप्रेत होता है, कुरआन में खुदा ने भी कहा है—**वल्लाहो यश्हदो इन्नल्मुना फ़िकीना लकाज़िबून,**

कुरआन पारा २८ सूरत मुनाफ़ेकून

अर्थात अल्लाह साक्षी देता है, कि मुनाफिक निसंदेह झूठे हैं ऐसी कलामों को भी कसम स्वीकार किया है। यद्यपि इसमें साक्षी की सूचना दी गई हैं। आगे अल्लामा एक आक्षेप उठा कर स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं कि खुदा के कसमें खाने का क्या अर्थ है। यदि कसम मोमिन को विश्वास दिलाने के लिए खाई जाती है। तो मोमिन तो केवल सूचना मात्र से ही बिना कसम के ही विश्वास कर लेगा, और यदि यह कसम काफ़िर के विश्वास दिलाने के लिए खाई जाती है, तो भी उसका कुछ

लाभ नहीं। (क्योंकि वह तो विश्वास नहीं करेगा) (दोनों अवस्थाओं में कसम खाना निरर्थक है)

इसका उत्तर यह दिया गया है कि। कुरआन अरब की भाषा में उतारा गया है और अरब के निवासियों में यह प्रथा है, कि जब व किसी बात का समर्थन करते हैं, तो उस समय कसम खाया करते हैं।

इत्तिकान प्रकरण ६७, पृ. ३३०

'हम कहेंगे' कि यह हेतु सर्वथा सारहीन है; अरब के लोग तो झूठी, सच्ची कसमें सत्य तथा असत्य दोनों को ही प्रमाणित करने के लिए खाया करते थे जैसा कि आगे इत्तिकान के इसी पृष्ठ पर लिखा गया है, तो फिर कसम का महत्व क्या रहा काफिरों ने भी अपने कुरआन में कसमें खाई है तो कसमें खाने से मुसलमानों ने उसे सत्य नहीं माना, इसी प्रकार कुरआन के लिए भी कहा जा सकता है, मनुष्यों को तो अपनी बात पर विश्वास कराने की आवश्यकता थी तो वह कसमें खा-खा कर अपनी बातों पर लोगों का विश्वास जमाते रहे। खुदा को अपनी बातें मनवाने के लिए कसमें खाने की कोई आवश्यकता न थी खुदा की बातें तो स्वयं सिद्ध है उसको इस बात की आवश्यकता नहीं कि अपनी बात का विश्वास कराने के लिए अपने विषय को कसमों से समर्थन करें यह तो उस व्यक्ति का काम है, जो अरब के रिवाज के अनुसार कसमें खाने का आदी

हो चुका है, और कसमें खाए बिना वह रह नहीं सकता उसी ने ही कुरआन में कसमों की भरमार कर दी।

हम कहेंगे—कि अरब के लोग उस समय या तो मुसल-थे या काफिर थे मुसलमानों के लिये खुदा को कसम खाने की आवश्यकता न थी, और (काफिरों के लिए कसम खाना निष्प्र-योजन था तो दोनों अवस्थाओं में खुदा को क़सम खाना व्यर्थ था और कसमें भी कैसी, कि आप पढ कर विस्मित हो जायेंगे।

कोई विश्वस्थ व्यक्ति भी कसमें खा कर अपनी बात को प्रमाणित नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सत्यता पर यह एक कलंक है, ऐसा करने पर उसकी वाणी विश्वास कोटि से गिर जाती है। सत्यवक्ता कभी भी कसमें खा कर अपनी वाणी को प्रमाणित करने को उद्यत नहीं हो सकता अतः कुरआन में कसमों का प्रति-पादन देखकर यह निश्चय होजाता है--कि कुर आन सत्य स्वरूप भगवान का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता यह किसी ऐसे मनुष्य की कृति है, जिसको अपनी बोलचाल में कसमें खाने का अभ्यास है उनको अपने बोलने, लिखने आदि में कसमों का प्रयोग स्वभावता ही करना पड़ता है। कसम खाने वाले केवल सत्य का ही प्रति-पादन नहीं करते, अपितु मिथ्या कथन का भी कसम के साथ प्रयोग करते हैं, कुरआन स्वयं भी इस बात को स्वीकार करता है। यथा—

वलयहले फुन्ना इन अरदना इल्लल्हुस्ना वल्लाहो यश्हदो इन्न-हुम लुकाज़्बून ।

कुरआन पारा ११-रकू १३/२

अर्थात कसमें खायेंगे वे कि हमने भलाई का विचार किया था और अल्लाह साक्षी देता है कि वह अवश्य झूठे हैं अतः झूठे भी कसमें खाते हैं।

आगे लिखा है—कि कुरआन में सात स्थानों पर खुदा ने स्वयं अपनी कसम खाई है।

(१) '**कुल ई व रब्बी इन्नहू लहक्कुन**' कुरआन पारा-११ रकू ५।१० (यूनस) यह खुदा ने अपनी कसम खाई है अल्लामा सियुती ने लिखा अर्थात-हां कसम मेरे रब्ब की निसन्देह मेरा दावा कुरआन, कयामत और अज़ाब (यातना) का सत्य है-**कादरी-पृ. ४३८।१**

(२) **फ़वा रब्बिस्समाए वल्अर्जे इन्नहू लहक्कुन** कुरा० पारा २६ रकू १।१८ (जारेयात) पस कसम आसमान और जमीन के रब्ब की, जो वर्णन किया गया वह सत्य है **कादरी-पृ. ४६७।२**

(३) **कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना** -पारा-२८-रकू १।१५ (तगाबुन) अर्थात कह कसम है मेरे रब्ब की तुम अवश्यमेव उठाये जाओगे:—**कादरी प. ५४६।२**

(४) **फ़वा रब्बेका ल नहशरन्नहुम वश्शेयातीना ।** कुरा० पारा १६ रकू ५।८ (मर्यम) तो कसम है तेरे रब्ब की कयामत के दिन हम अवश्य हशर करेंगे (एकत्रित करेंगे) **कादरी पृ. २२।२**

(५) **फ़वा रब्बेका ल नरअलन्नहुम अजमईन ।** कुरा० पारा १४ रकू ६।६ (हजर) तो कसम है तेरे रब्ब की हम अवश्य प्रश्न करेंगे हम सब से **कादरी पृ. ५५५।१**

(६) **फ़ला उक्सेमो बे रब्बिल्मशारे के वल्मगारेबे ।** कुरा० पारा २६ रकू २।८ (मआरि) कसम खाता हूँ मैं पश्चिमों की और पूर्वो के उत्पन्न करने वाले की **कादरी पृ. ५७५।२**

(७) **फ़ला व रब्बेका ला योमेनून** अर्थात कसम है तेरे रब्ब की नहीं ईमान लावेंगे ।

उक्त सात स्थानों पर खुदा ने अपनी कसम खाई है यह अल्लामा सियुती ने तफसीर इत्तकान पृ. ३३१ प्रकरण ६७ में लिखा (खुदा ने अपनी कसमें किन शब्दों में खाई यह आपने ऊपर देख लिया इस पर कुछ नहीं कहना :—

आगे अल्लामा सियुती ने लिखा कि शेष सब कसमें खुदा ने अपनी सृष्टि के साथ खाई है । अर्थात उत्पन्न हुई वस्तुओं की आगे अल्लामा सियुती लिखते हैं कि खुदा ने सृष्टि की वस्तुओं की कसमें क्योंकर खाई, इस अवस्था में अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की कसम खाना वर्जित है, इस आक्षेप का उत्तर

देते हैं-कि इन स्थानों पर मुज़ाफ लोप कर दिया गया है, जैसे कुरआन में आया है वत्तीने-कसम है इन्जीर की, तो वाक्य इस प्रकार बनेगा :—

'व रब्बित्तीने' अर्थात में इन्जीर के रब्ब की कसम खाता हूँ परन्तु हर कसम के साथ मुज़ाफ़ का लोप माना जाये तो एक तमाशा बन जायगा जैसे:-**'फ़ल्मूरेयाते कद्हन'** अर्थ है-फिर आग झाड़ने वालों की पत्थर से अपने सुम्मों की ठोकर से फिर अर्थ होगा, कसम है, आग झाड़ने वाले घोड़ों की ठोकर के रब्ब की जहाँ पर है, कसम है रात की, तो होगा कसम है रात के रब्ब की।

दूसरा कारण बताया, कि अरब के लोग इन चीजों का सम्मान करते थे और उनकी कसम खाया करते थे, [इस कारण खुदा ने भी कसमें खाई] हम कहेंगे कि अरबी लोग बुतों को बहुत प्रतिष्ठत समझते थे, यदि प्रतिष्ठित चीजों की कसम खानी अभिप्रेत है तो बुतों की कसम भी खानी चाहिये।

तीसरा कारण बताया, कि कसम उन्हीं की खाई जाती है, कसम खाने वाले के लिए प्रतिष्ठा के योग्य है, क्या जुफ़्त और ताक खुदा की दृष्टि में बड़े प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार की और कसमें भी हैं।

इब्ने अबी हातम ने हसन से रवायत की है कि अल्लाह तो अपनी सृष्टि में किसी की भी कसम खा सकता है, मगर

मनुष्य अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की क़सम नहीं खा सकता।

तफसीरे इत्तेकान पृ. ३३१ प्र. ६७

हज़रत मुहम्मद की कसम—**लअमरू का इन्नहुम लफी सकरतेहिम यामहून** । कुर०-पारा १४ सू० हजर रकू ५/५ तफसीर इत्ताकान पृ. ३३१।२ प्रकरण ६७ ऐ मुहम्मद ! तेरे जीवन की शपथ बेशक लूत की कौम के लोग पथभ्रष्ट थे। फिर कुरआन की कसम है। **वल्कुरआनिल्हकीम** [यासीन]

कसम है कुरआन हकीम की, **वस्साफ़ाते सफ्फा** । कसम है उन फरिश्तों की जो सफ बांध कर खड़े हैं।

अल्लामा ने बहुत थोड़ी कसमें लिखी हैं-हम कुरआन से शेष लिख रहे हैं। **फ़ज्ज़ाजेराते, ज़जरन,** फिर उन फरिश्तों की कसम जो हन्काने वाले हैं शैतान को । **फत्तालयाते ज़िकरन,** फिर कसम खाता हूँ पढ़ने वालों की, । [सूरत साफात] **'नल्कुरआनज़िकर'** कसम है कुरआन अजमत वाले की, (सूरत स्वाद) **वल्किताबिल्मुबीन** । कसम है किताब मुबीन [कुरआन] की । (ज़ुख़रफ) कसम है किताब बयान करने वाली की [सूरत दुख़ान] **वल्किताबिल्मुबीन** । कसम है किताब मुबीन की-फिर-**वल्कुरआनिल्मजीद** । कसम हैं कुरआन मजीद की । [काफ] **वज़्ज़ारेयाते ज़रवन** । कसम उन चीज़ों की जो विनाश होने वाली हैं बिखरने वाली है । **फ़ल्हामिलाते किकरन** फिर कसम खाता हूँ भारी बोझ उठाने वालियों की । **फ़ल्जारे-**

याते युसरन । फिर सरलता से चलने वालियों की कसम खाता हूँ । **फ़ल्मुकस्सेमाते अमरन** । फिर कसम खाता हूं वस्तू का भाग करने वालियों की । उपरोक्त चारों कसमें सूरत जारेमात पारा २६ में हैं । [तूर] **वत्तूरे** । कसम है तूर पहाड़ की **वा किताबुम्मस्तूरं** । कसम है लिखी हुई किताब की । **फी रिक्क म्मन्शूर** । और कसम जो पढ़ते समय खोला जाए **वल्बैतिल्मामूर** कसम है आबाद घर की [मक्काकी] **वस्सकफिल्मरफ़ूआ** कसम है, ऊंची छत अर्थात आस्मान की । **वल्बह् रिल्मस्जूर** । कसम है दरिया की जो चढ़ते हों । [यह पांचो कसमें सूरत तूर के आरम्भ है] **वन्नजम इजा हवा** । कसम है सितारे की जब चढे या डूबे । [सूरत नजम पारा २७] **वक्कलमे** । कसम है कलम की **व मा यस्तारून** । और जो फरिश्ते लिखते हैं उनकी कसम। [सूरतुन्तीन] **ला उकसेमा यौमल्कयामते** अवश्य कसम खाता हूं मैं क्यामत के दिन की **व ला उकसमो बिन्नफि ल्लव्वामह** । मैं कसम खाता हूँ मुलामत करने वाले व्यक्ति की । [क्यामत पारा २९] **वल्मुर्सलाते उफ़न** । नेकी के साथ भेजे हुये फरिश्तों की कसम **वल्आसे फ़ाते अस्फ़न** । फिर कसम उन फरिश्तों की जो तेज चलते है । **वन्नाशेराते नश्रन** । और कसम उन फरिश्तों की जो प्रगट करते है प्रगट करना । **वल्फ़ारेकाते फ़र्कन** । कसम उन फरिश्तों की जो सत्य को अन्रित से जुदा करने वाले हैं । **फ़ल्मुल्केयाते ज़िकरन** । कसम उन फरिश्तों की जो पैगम्बरों पर खुदा का कलाम अंकित करते है ।

[सूरत मुर्सेलात पारा २९] **वन्नाजेआते गर्कन** । कसम उन फरिश्तों की जो काफिरों की जान सख्ती से निकालते हैं। **वन्नाशेताते नश्तन**। कसम उन फरिश्तों की मोमिनों की रुहें निकालते हैं। **वस्साबेहाते सब्हन**। कसम उन फरिश्तों की जो जान ले कर तैरने वाले हैं। **फस्साबकाते सब्कन**। कसम उत फरिश्तों की जो आगे बढ़ते है। **फल्मुदब्बेराते अम्रन** कसम उन फरिश्तों की जो तदबीर करने वाले है।

सूरत नाजेआत पारा ३०

फला अक्सेमो बिल्खुन सिल्जवारिल्कुन्नस। फिर कसम खाता हूँ उन सितारों की जो दिन में छिप जाते हैं **वल्लैले अस्असा** कसम रात की जब आगे आए। **वस्सूब्हो इजा तनफ्फसा**। कसम है, प्रात: काल की जो उदय करे।

फला उक्समो बिश्शफके। मैं कसम खाता हूँ **प्रात:** समय की लाली की, **वल्लैले व मा वसक**। कसम है रात की और जिस वस्तु को रात जमा करे। **वल्कमरे इजत्तसका** कसम है पूरे चांद की (सूरत इन्शका) **वस्समाए जातिल्बरूजे**। कसम है आस्मान तुर्जों वाले को। **वल्यौमिल्मोऊद**। कसम है क्यामत (प्रलय) के दिन की, **वा शाहिदिव्व मशहूद**। कसम है गवाह की और जिस पर साक्षी दी गई। (सूरत बरूज पारा ३०) **वल्फजरे**। कसम है प्रातः काल की। **व लेयालिन अश्रिन**। और कसम है दस रातों की **वश्शफए, वल्वतरे** कसम है जुफ्त और ताक की (जुफ्त और ताक परस्पर विरोधी वस्तुये होती है जैसे प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, विद्या और अविद्या, तीन और चार) **वल्लैले इजा यसर**। कसम है रात की जिस समय गुजरे। **हल फी जालेक-समुकस्लजी हिज्रिन**। क्या है इस कसम में जो मैंने याद की

बुद्धिमानों के लिए (अर्थात अच्छी कसम और क्या होगी)
सूरत फजर, पारा ३०)

ला उक्समो बेहाज़ल्बलदे । कसम खाता हूं में इस नगर की (मक्का की) **व वालेदिव्व वलद ।** कसम है बाप की और बेटे की (सूरत बलद) **वश्शमसो व जुहाहा ।** कसम है सूरज की और उसकी दोपहर की धूप की । **वल्कमरो इजा तलाहा ।** कसम है चाँद की जब सूरज के पोछे जाता है ।

वन्नेहारे इज़ा तजल्ला । कसम है दिन की जब वह **प्रकाशित** होता है । **वल्अर्जे व मा तहाहा ।** कसम है जमीन की और **जिस** ने बिछया **व नफ्सिव्व मा सव्वाहा ।** कसम है मनुष्य की जान की और उसकी जिसने उस के गात्र ठीक किये, **फ़ अल्हमाहा फ़ज़ूरहा व तक्वाहा ।** और उसके दिल में डाली उसकी बद-कारी, व परहेज़गारी (सदाचार) **सूरत शम्सपारा ३०**

वल्लैले इज़ा यगशा । कसम है रात की जब वह अंधेरे में छुपाए संसार को । **वन्नेहारे इज़ा तजल्ला ।** कसम है दिन की जब वह प्रकाशित हो । **व मा ख़लकज्ज़करा वल्उन्सा ।** कसम है उस की जिसने नर-मादा उत्पन्न किया । **सूरतुल्लैल, पारा ३०**

वज़्ज़ोहा । कसम है चाश्त के समय की । **वल्लैले इज़ा सजा ।** कसम अंधेरी रात की । (**सूरत जुहा पारा ३०**)

वत्तीने वज्जैतूने । कसम है इंजीर की और जैतून के वृक्ष की । **व तूरे सीनीना ।** कसम है तूर पहाड़ सीना की । **व हाज़ल्ब-लीदल्अमीन ।** कसम है अमान देने वाले नगर (मक्का) की ।

(सूरत तीन पारा ३०) वल्आदेयाते ज़ब्हन। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की जब वह साँस लेते हैं। **फ़ल्मूरेयाते क़दहन।** फिर कसम है उन घोड़ों की जो अपने सुम्मों की ठोकरों से पत्थर में से आग निकालते है। **फ़ल्मुग़ीराते सुब्हन।** फिर कसम है उन घोड़ों की जो प्रातः लूट करते हैं। **सूरत आदेयात पारा ३० वल्अस्रे।** कसम है ज़माने की। **(सूरत अस्र पारा ३० इत्तेकान प्रकरण ६७ पृ. ३३० से)**

कुरआन की कसमों का नमूना आपने देख लिया कि किस-किस प्रकार की कसमें खाई है। खुदा को कसमें खाने की क्या आवश्यकता? इसके लिए कहा गया है कि अरब के लोग कसमें खाने के आदी थे इस लिए खुदा ने भी कसमें खाई यह तर्क किसी प्रकार भी उचित नहीं अरब के लोग शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे? क्या खुदा को अरबों का अनुसरण करना आवश्यक था? प्रत्येक देश भाषा बोलने के कई प्रकार होते हैं—किन्तु भाषा विशारद लोग तो ठीक भाषा लिखते हैं न कि किसी क्षेत्र के पीछे भाषा को खराब करते हैं, बुद्धिमानों के विचार में कसमें खाकर विश्वास दिलाने वाला खुदा नहीं हो सकता।

कुरआन की आयतों के साथ आसमान
से जमीन तक फरिश्तों का आगमन

अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने कुरआन की सूरतों और आयतों के साथ जिब्राईल फरिश्ते के अतिरिक्त और फरिश्तों का आना भी लिखा है, आप लिखते हैं, कि इब्ने हबीब के

अनुसार इब्नेज़कीब ने लिखा, कि कुरआन में कतिपय सूरतों और आयतें इस प्रकार की हैं कि जिनके साथ फरिश्तों की संख्या सम्मिलित होती रही। इस प्रकार की सूरतों में एक सूरत **'अनआम'** है उसके साथ सत्तर हजार फरिश्ते उतरे। और **'फ़ातेहुल्किताब'** (अल्हमद) के साथ अस्सी हजार फरिश्ते उतरे। सूरत **'यूनस'** के साथ तीस हज़ार फरिश्ते और **'व ऊरऊल मन अर्सल्ना मिन कब्लिका मिन रूसलना'** के साथ बीस हज़ार फ़रिश्ते आसमान से उतरे। और **'आयतुल्कुर्सी'** के साथ तीस हजार फ़रिश्ते उतरे थे। सूरत **'अनआम'** के सम्बंध में आप पुनः लिखते हैं, कि सूरत 'अनआम' की हदीस अपने सब तरीकों से पहले बयान की जा चुकी है, और उसके शेष तरीके यह है कि बैहकी ने किताब शाबुलईमान और तिबरानी ने निर्बल सनद के साथ अनस से प्रमाणित रवायत की है, कि सूरत अनआम का उतरना फ़रिश्तों के एक जुलूस के साथ हुआ। यह जुलूस इस कदर बड़ा और अधिक था, कि उसने पूर्व से पश्चिम तक सारे आकाश को भर दिया था, और उनके पवित्र घोष और खुदा के पवित्र जप के शोर से भूमि कांप रही थी। और हाकिम और बैहकी ने जाबर की हदीस से रवायत की है, कि उन्होंने कहा कि जिस समय सूरत अनआम उतरी उस समय हज़रत मुहम्मद ने पवित्र है खुदा बड़ा पढ़ कर फरमाया कि इस सूरत के साथ इतने फ़रिश्ते आये हैं कि उन्होने आकाश को भर दिया है। फिर अल्लामा ने लिखा—कि आयतुल्कर्सी और बकर के विषय में अहमद ने अपने मस्नद में मुअकल बिन यसार से कथन किया, कि सूरत बकर कुरआन का बहुत उत्कृष्ट भाग है उसकी प्रत्येक आयत के साथ अस्सी हजार फ़रिश्ते उतरे (जब कि सूरत बकर की २८६ आयतें है, लेखक)

और आयत **अल्लाहो ला इलहुवल्हय्युल्कयूम** । खुदा के सिंहासन के नीचे से निकाल कर उसमें मिलाई गई है फिर **'सूरत कहफ़'** के साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते आये आगे चलकर लिखा, कि वैसे हामले वही (कुरआन लाने वाला फ़रिश्ता) के साथ कई और फ़रिश्ते भेजे जाते थे जो कुरआन लाने वाले के आगे पीछे दायें, बाएं हर तरफ से इस लिए रक्षा करते हैं कि कहीं शैतान फ़रिश्ते का रुप बना कर हज़रत मुहम्मद के पास न जा पहुंचे ।

तफ़सीर इत्तेकान प्रकरण १४ पृ. ९७ से ९९ तक

खुदा को मानसिंह डाकू से भीं बहुत अधिक भय शैतान का है, कि बेचारे को इतने फ़रिश्ते रक्षा के लिए रखने पड़ते हैं ।

—:कुरआन की विषय सूची:—

अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने कुरआन के विषय में साधिकार रूप से बहुत कुछ लिखा है। हमने उसमें से कुछ आवश्यक विषयों का इस पुस्तक में उल्लेख किया है। अल्लामा सियूती द्वारा लिखित तफसीर इत्तिकान में एक प्रकरण, कुरआन के अन्तर्गत जो विद्याएं (उनके विचारानुसार) निहित है, का वर्णन उन्होंने निम्नानुसार किया है। हम उनके द्वारा लिखित कुछ प्रकरणों के उदाहरण अंत में लिखेंगे। यहाँ कुरआन में निहित विद्याओं का वर्णन करते हैं। कुरआन में निहित विद्याओं का वर्णन अल्लामा सियूती द्वारा रचित तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ६५, पृष्ठ ३१२ से प्रारम्भ होता है। हम यहाँ इस प्रकरण ६५ से आवश्यक बातों को लिख रहे हैं।

कुरआन की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखा है:—कि बैहकी ने हसन से रवायत की है, कि खुदा ने १०४ पुस्तकें उतारी। उनमें से ४ पुस्तकों में सबकी विद्याओं के सार को बयान कर दिया। वह ४ पुस्तकें **तौरेत**, **ज़बूर**, **इंजिल** और **फ़ुर्कान** है। फिर तौरेत, इंजिल, और ज़बूर का सार कुरआन में रख दिया।

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ६५, पृष्ठ ३१३

आगे कुरआन की विद्याओं का वर्णन निम्नानुसार किया—

काज़ी अबू बकर इब्नलअरबी ने किताब कानूनुत्तावील में कहा है, कि कुरआन की विद्याएँ -५० इल्म, ४०० इल्म, ७००० इल्म तथा ७० हजार इल्म (ज्ञान) हैं. और यह अंतिम संख्या कुरआन के वाक्यों को ४ से गुणा करने पर आती है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य में प्रथम प्रत्यक्ष, द्वितीय गुप्त, तृतीय सीमा और चतुर्थ सूचना आदि सम्मिलित है। (भेद पाये जाने से ७० हजार संख्या हो जाती है।)

तफसीर इत्तिकान, प्रकरण ६५ पृष्ट ३१६

अब विद्याओं का उल्लेख पढ़िये:—

१ विचित्र सृष्टि
२ धरती और आकाशों की गुप्त शक्तियां
३ सबसे ऊपर का वर्णन
४ सबसे नीचे का वर्णन
५ सृष्टि की उत्पत्ति
६ प्रसिद्धिप्राप्त फरिश्तों तथा रसूलों के नाम

७ भूतकालीन जातियों का इतिहास, जैसे आदम और शैतान की कथा। जब वह स्वर्ग से निकाले गए, और जब आदम के पुत्र के नामकरण का अवसर आया तो आदम ने उसका नाम अब्दुलहारस रखा (जब हव्वा प्रसव पीड़ा से व्याकुल हुई तो इस पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु शैतान ने बहकाया कि इसका नाम अब्दुलहारस रखना। इसका अर्थ शैतान का दास होता हैं।)

८ इदरीस के आसमान पर उठाये जाने के समाचार

९ नूह की जाति का समुन्द्र में डूबने का वर्णन

१० प्रथम आद की जाति-कथा

११ द्वितीय आद की जाति का उल्लेख

१२ समूद की जाति

१३ सालेह की ऊँटनी

१४ युनूस को जाति

१५ शुऐब की जाति

१६ आदि और अंत

१७ लूत जाति का वर्णन

१८ अस्हावे रस्स

१९ हज़रत इब्राहीम का स्वजाति से विवाद तथा नैमरूद से शास्त्रार्थ व अन्य बातों का उल्लेख, जो इब्राहीम के पुत्र इस्ईमाल और उसकी माता को वादी बतहा (मक्का) में ठहराने और मक्का निर्माण का वर्णन एवँ ज़बीह (इस्माईल के बलिदान की कथा)

२० यूसुफ का वृतान्त

२१ मूसा की उत्पत्ति, उनको दरिया में डालना, कब्ती की हत्या, मदयन नगर जाना, शुऐब की पुत्री से विवाह, खुदा के साथ तूर पर वार्तालाप, फिरऔन की ओर जाने, उसके समुद्र में डूबने तथा बछड़ा-पूजन, उन लोगों का वर्णन जिनके साथ खुदा से वार्तालाप हेतु गये और उनकी बिजली से मृत्यु, मारे गये मनुष्य और गाय के वध का वर्णन, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की भेंट तथा मूसा द्वारा जब्बार लोगों से युद्ध का वर्णन।

२२ तालूत और दाऊद की कथा जालूत सहित और जालूत के उपद्रवों का वर्णन।

२३ सुलेमान की कथा और उनकी मुल्के सबा की शासिका से भेंट उन लोगों की कथा जो प्लेग से भयभीत हो देश-त्याग कर भागे थे और फिर खुदा ने उनको मार दिया तथा पुनः जीवित कर दिया।

२४ ज़िल कर्नैन की कथा, उसके पूर्व-पश्चिम सूर्य तक जाने का वर्णन और सद्द (बाधक दीवार) निर्माण की चर्चा।

२५ अय्युब का वर्णन।

२६ ज़िल कफल

२७ इल्यास की कथा

२८ मरियम और ईसा-जन्म की कथा तथा ईसा के पैग़म्बर होने व आसमान पर उठाए जाने का वर्णन।

२६ जकरिया और उनके पुत्र
३० यह्या का वर्णन
३१ गुफा वासियों की कथा
३२ अस्हाबुर्रकीम का माजारा
३३ वख्ते नसर और दोनों मनुष्यों के समाचार, जिनमें एक व्यक्ति उद्यान का स्वामी था।
३४ स्वर्ग—निवासियों का वर्णन,
३५ मोमिन आले यासीन का वर्णन
३६ हाथियों की कथा, इसमें हज़रत मुहम्मद की प्रतिष्ठा, इब्राहीम की प्रार्थना, ईसा की शुभ सूचना, हज़रत मुहम्मद के युद्ध, उनके पैग़म्बर होने और हिज़रत (देश-त्याग) की चर्चा।

—:हज़रत मुहम्मद के युद्ध:—

३६ सूरत बकर में सुरय्या इब्नल्हज़रमी (वह युध्द जिसमें हज़रत मुहम्मद उपस्थित न हो(
३७ सूरत अन्फ़ाल में गज़वा बदर (जिसमें हज़रत मुहम्मद स्वयं उपस्थित हो)
३८ सूरत आले इमरान में 'गज़वा' उहद और बदरे सुग़रा के गज़वात।
३९ सूरत अहज़ाब में ग़ज़वा गन्दक
४० सूरतुल्फ़तह में ग़ज़्वा (युद्ध) हदीब्यह
४१ सूरतुल्हशर में ग़ज़्वा (युद्ध) बनी नज़ीर
४२ सूरत तौबा में ग़ज़्वाते तबूक और हुनैन

४३ सूरत माएदा में अंतिम हज और हजरत मुहम्मद, बीबी जैनब बिन्ते जहश से विवाह, दासी सुरय्या का हराम होना और हजरत मुहम्मद की पत्नियों का क्रोधित होना।

४४ इफ़्क की कथा, लोगों द्वारा बीबी आयशा पर व्यभिचार का दोषारोपण।

४५ मैराज पर जाने का वर्णन

४६ चन्द्रमा के दो खंड होना

४७ हज़रत मुहम्मद पर यहूदियों द्वारा जादू

४८ मनुष्योत्पत्ति से मृत्यु पर्यन्त चर्चा

४९ मृत्यु के पश्चात जीवात्मा से व्यवहार

५० जीवात्मा को आसमान पर चढ़ाने का उल्लेख

५१ मोमिन प्राणी हेतु रहमत [दया] के द्वार खुल जाते हैं

५२ काफ़िर प्राणी को आसमान से नीचे डालना

५३ कब्र का कष्ट

५४ मृत्यु-पश्चात कब्र में जीवात्मा का ठहरना और उससे प्रश्न

५५ प्रलय के बड़े २ लक्षण, ईसा का उतरना, दुज्जाल का उद्भव

५६ याजूज तथा माजूज का प्रकट होना

५७ दाबतुलअर्ज, विचित्र प्राणी का भूमि से प्रकट होना

५८ धुँए का प्रत्यक्ष होना

५९ कुरआन का उठ जाना

६० भूमि का धंसना

६१ सूर्य का पश्चिम से उदय होना

६२ तौबा का द्वार बंद होना

६३ तीन बार सूर (नरसिंहा) का फूंकना
६४ समस्त सृष्टि का दोबारा जीवित होना
६५ हशरो-नशर, खड़े होने के समय कष्ट
६६ सूर्य की गर्मी से कष्ट
६७ अर्श [खुदा का सिंहासन] का वर्णन
६८ मीज़ान [कर्म तौलने की तराजू]
६९ हौज (ताल)
७० सिरात [नर्क पर पुल]
७१ एक समूह का हिसाब होना
७२ दुसरे समूह की हिसाब से मुक्ति
७३ गात्रों की साक्षी
७४ कर्म पत्रों को दांये-बाँये हाथ में देना और पुनः रखना
७५ शफ़ाअत (सिफारिश) हज़रत मुहम्मद द्वारा मुसलमानों की सिफारिश।
७६ मुकामे महमूद (उत्कृष्ट स्थान) का वर्णन
७७ स्वर्ग और वहाँ के द्वारों, नहरों, वृक्षों, फलों, आभूषणों बर्तनों और पदों का सविस्तार वर्णन।
७८ खुदा के दर्शन की शुभ सूचना
७९ नर्क, उसके द्वारों, अग्नि समुन्द्रों, विभिन्न यातनाओं दंड देने के ढंगों थूहरो, गर्म जल इत्यादि से हृदय को आतंकित व कलुषित करने एवं कंपाने वाले उदाहरण।
८० खुदा के सुन्दर नाम, जिसे हदीस ने १ हजार कहा है।

८१ हज़रत मुहम्मद के नाम।

८२ ईमान के ७० से अधिक लक्षण, और इस्लाम के ३१५ कानून, शरीअते।

८३ बडे और छोटे अपराधों का वर्णन। और

८४ हज़रत मुहम्मद की हदीसों की तस्दीक

इतना लिखने के पश्चात अल्लामा सियुती ने लिखा हैं, कि और भी बहुत सी बातें हैं। इस विषय पर मुस्लिम विद्वानों ने बड़े-बडे ग्रन्थ लिखे हैं।

तफ़सीर इत्तेकान, प्रकरण ६५, पृष्ठ ३२० से ३२३

अल्लामा सियुती व्दारा लिखित उक्त कुरआन की विषय-सूचि पढ़ने से आपको कुरआन की वास्तविकता का ज्ञान भली भांति हो जायेगा।

धर्मवीर पंडित श्री लेखरामजी ने भो कुरआन की शिक्षाओं के सम्बन्ध में अपनी कुल्यात में एक चित्र अंकित किया है, परन्तु उसका यहां पर उल्लेख न करते हुए अल्लामा सियूती ने जो लिखा है, उसके सम्बंध में ही इस पुस्तक में पूर्ण रुपेण लिखना सम्भव नहीं है। अपनी आगामी पुस्तक में, जहां हम कुरआन की प्रत्येक आयत पर समालोचना कर कुरआन और उसकी शिक्षाओं को प्रस्तुत करेंगे, वहां इन उपरोक्त समस्त विषयों को भी सविस्तार स्पष्ट करेंगे, कि कुरआन के इन प्रकरणों में क्या लिखा है, और कहां तक उनमें सार्वभौम सिद्धांत है, तथा मुसलमानों के अतिरिक्त दुसरे धर्मावलम्बियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करने के हेतु कहा गया है।

कुरआन में अरबी भाषा के अतिरिक्त

अन्य भाषाओं के शब्द

अल्लामा सियूती ने इस विषय पर बहुत वाद-विवाद लिखा है मैं उसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समझता केवल यह लिखना चाहता हूँ कि यह बात निर्विवाद हैं कि किसी भाषा में अन्य भाषा के शब्द उस समय प्रयुक्त होते हैं जब उस देश के साथ दूसरे देश का सम्बंध हो या उस देश पर दूसरे देश का शासन हो जाए या आपस में आने-जाने का आवागमन हो वर्तमान कुरआन की भाषा उस समय की है—जिस समय अन्य देशों के संसर्ग और सम्पर्क से अरब की भाषा में अनेक बाहर के देशों के शब्द प्रविष्ठ हो चुके थे, इस हेतु से स्पष्ट है कि कुरआन उस समय निर्मित हुआ जब कि और देशों की भाषाओं के शब्द अरबी भाषा में खलत, मलत (सम्मिलित) हो चुके थे, अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और भ्रान्ति जनक है—कि सृष्टि निर्माण से भी पूर्व कुरआन लौह महफ़ूज़ पर लिखा हुआ था।

— अन्य भाषाओं की शब्द सूची :—

अवारीक — सुआलबी अपनी पुस्तक फ़िकहुल्लुग्त में इसे फ़ारसी भाषा का शब्द कहता है।

अब्रीक — ज्वालीकी कहता है, यह फ़ारसी शब्द है इसके अर्थ पानी का मार्ग या ठैर-ठैर कर पानी गिराना है।

अब्ब—कतिपय विद्वानों का कथन है कि पश्चिम वालों की वोल चाल में अब्व घास को कहते हैं। इसे शैदलह ने बयान किया है।

अब्लई-इब्ने अबी हातम वहब बिन मुनब्बा के द्वारा रवायत करता है—कि **'अब्लई मअका'** (कुरआन) कि हब्श की भाषा में इसके अर्थ घूँट जा, निगल जा और अबुश्शैख़ ने जाफ़र बिन मुहम्मद से रवायत की है, कि हिन्दुस्तान की भाषा में इस के अर्थ पी जा है

अख्लदा-वास्ती किताबुल्इर्शाद में बयान करता है, **अख्लदा इलल्अर्जे** इबरानी भाषा में टेक लगाने के अर्थ में आता है।

अल्अराएके—इब्ने जौजी ने किताबे फ़नूनुल्अफ़नान में हब्श की भाषा में इस के अर्थ तख्तियों के लिखे हैं।

अज़रा - जो लोग इब्राहीम के पिता या बुत का नाम नहीं मानते उन के कथनानुसार इसे मोरब (रूढ़ी) माना है, और इब्ने अबी हातम कहता है। मोतमिर बित सुलेमान के सम्बन्ध में उल्लिखित है, उसने कहा "मैंने अपने पिता सुलेमान को (कुरआन की इस आयत)——

"वाइजकाला इब्राहीमो ले अबीहे अजरो" अर्थात अजरा को मजरो पढ़ा, उसने कहा मुझे यह बात पहुंची है कि अजरो का अर्थ टेढ़ा है। यह क़लमा (शब्द) अत्यन्त कठोर है, जो इब्राहीम ने अपने पिता से कहा और कुछ विद्वानों के अनुसार अजरा के अर्थ इब्रानी भाषा में—'ऐ भूल करने वाले के है।

असबात—अब्बुल्लैस ने अपनी तफसीर (व्याख्या) में वर्णन किया है कि यह शब्द बनी इसराइल के कोष में अरबी शब्द कबाइल (परिवार) का स्थानापन्न है।

इस्तबरक—इब्ने अबी हातम ने ज़ुहाक से रवायत (वर्णन किया है कि यह मुल्के अजम में रेशमी कपड़े को कहते है।)

अस्फार—वास्ती अलइरशाद में कहता है कि सुरयानी भाषा में अस्फार पुस्तकों को कहते है। और इब्ने अबी हातम ने जुहाक से रवायत की है कि नब्ती जुबान में भी अस्फार पुस्तकों को कहते हैं।

इसरी—अबुल कासिम किताब लुगातुल में रवायत (वर्णन) करता है, नब्ती में इसरी के अर्थ 'मेरा पण' (कौल) कथन, करार, दाद (निश्चित वचन) है।

अकवाब—इब्ने जौजी ने कहा कि नब्ती भाषा में 'कूजो' (कुल्हड़ों) को कहते हैं। इब्ने जरैर ज़ुहाक से रवायत करता है कि यह नब्ती भाषा का शब्द है। इसके अर्थ हैं, मिट्टी के, पके हुए, बिना डंडी के कूज़े (लोटे)

आल—इब्ने जन्नी कहता हैं नब्ती भाषा में यह अल्लाह का नाम है।

अलीमुन-इब्ने जौजी कहता है—कि जंगबार की भाषा में इसके अर्थ-दुःख देनेवाली वस्तु है। और शैदलह कहता है कि इसका अर्थ इब्रानी भाषा में यही है।

इनाहो—पश्चिम की बोलचाल में इसके अर्थ-'पक जाना है' और अबुल-कासिम इसी अर्थ में इसे बरबरी भाषा का शब्द बताता है, (कुरआन) **'हर्मामिन अनिन'** अत्यंत गर्म पानी, और [कुरआन] **ऐनिन अनियह**, गर्मी से उबलता हुआ चश्मा है।

अव्वाहो--अबुल शैख इब्ने हबान ने अकरमह के तरीके पर इब्ने अब्बास से रवायत की है, हब्श की भाषा में इसके अर्थ विश्वास करने वाले के हैं। इब्ने अबी हातम ने मुजाहिद और अकरमह से भी ऐसा ही वर्णन किया है और अमरू बिन शरहवील से वर्णित है, कि हब्श की भाषा में इसले अर्थ दयालू के हैं और अल वास्ती का कथन है, कि इब्री भाषा में अव्वाहो का प्रयोग प्रार्थना करने के अर्थ में आता है।

अव्वाब--इब्ने अबी हातिम अमरू बिन शरहबील से वर्णन करता है कि हब्श की भाषा में इसके अर्थ तस्बीह खान [भगवान का जप करने वाले) और इब्ने जरैर ने भी अमर से रवायत की है, कि (कुरआन) **अव्वाबी मआहो** हब्श की भाषा में उपरोक्त अर्थ ही है।

अल ऊला वल आखेरह–शैदला का कथन है, (कुरआन) **अल जाहेलिय्यातिल ऊला**' से तात्पर्य पिछली अविद्या है, और कुर-

(मज़हब) मुराद है और यह अर्थ कब्ती भाषा के हैं। क्योंकि कब्ती लोग आखेरत को ऊला और ऊला को आखेरत कहते हैं और इस कथन को ज़रकशी ने अपनी किताबुल बुर्हान में कथन किया है।

बताइनुहा:—शैदलह कहता है (कुरआन) **'बताइनुहा' 'मिनिस्त-ब्रिके'** अर्थात उसके ऊपरी कब्ती जबान में यह बात भी जर कशी ने कही है।

बईसन:—फ़रियाबी मुजाहिद से (कुरआन) '**कैला बईसन**" के अर्थों में कहता है कि यह गधे के बोझ के तोल का पात्र है, और मुक़ातल ने कहा है कि इब्रानी भाषा में बईर ऐसे हर पशु को कहते है जो भारवाही हो।

बैउन:—ज्वालीकी किताबुल मोरब में कहता है, कि बीअत और कनेयत इन दोनों शब्दों को फारसी के मोरब (रूढ़) शब्द कहा है।

तन्नूर–ज्वाली की और सुआलबी दोनों ने इसे फारसी भाषा का शब्द और मोरब बताया है।

तत्बीरन:—इब्ने अबी हातिम ने (कुरआन) "**वलेयोतब्बेरूम अलौ तत्बीरह**" के अर्थों में सईद बिन जुबैर से कथन किया है कि नब्ती जबान में इसके अर्थ — 'उसको हलाक (वध) किया' के है।

तहतो:—अबुलकासिम लुगातुल कुरआन में कहता है (कुर-आन) "**फनादाह मिन तहतेहा**" से बतहा तात्पर्य

है। अर्थात् 'उसके पेट में से'। यह नब्ती भाषा का शब्द है। करमानी अपनी किताबुल अजाइब में भी मुअरब से यही अर्थ करता है।

अलजिब्ता—इब्ने अबी हातिम इब्ने अब्बास से वर्णन करता है कि जिब्ता हबश की बोली में शैतान को कहते हैं, और अब्द बिन हमीद ने भी अकरमा से यही अर्थ किये हैं' और इब्ने जुरैर ने सईद बिन जुबैर से हबश की भाषा में इसके अर्थ जादूगर किया है।

जहन्नुम—कुछ के अनुसार आज्मी भाषा का, व कुछ के मत में फारसी भाषा का और कुछ के मत में इब्रानी भाषा का शब्द है।

हुरेमा—इब्ने अबी हातिम ने अकरमह से कथन किया है। कि हब्शी भाषा में हुरेमा 'वुज्जेबा' के अर्थ में आया है अर्थात 'वाजिब किया गया'।

हस्बो—इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास से वर्णन किया है कि (कुरआन) '**हस्बो जहन्नम**' हस्ब के अर्थ जंगी भाषा में ईंधन है।

हित्तुन-इसके अर्थ 'ठीक बात कहो' यह अर्थ बनी ईस्राईल की भाषा में है।

हवारिय्यूना-इब्ने अबी हातिम ने जुहाक से कथन किया है कि नब्ती भाषा में इसके अर्थ शव को नहलाने वाले लोग हैं।

हूब—नाफ़ेआ बिन अर्ज़क के प्रश्नों में इब्ने अब्बास ने इसके अर्थ 'अपराध' बताए हैं, और इसे हब्शी भाषा का शब्द बताया है।

दारस्तो-इसके अर्थ यहूदियों की भाषा में 'परस्पर मिल कर पढ़ने के हैं'

दुर्री — शैदला और अबुलकासिम ने हब्श की भाषा में इसके अर्थ 'चमकदार' लिखे हैं।

दीनार—ज्वालीकी आदि रे इसे फ़ारसी शब्द बताया है।

राएना—अबू नईम ने इसे दलाएलुन्नबव्वत में इब्ने अब्बास से वर्णन किया है, कि राएना यहूदियों की भाषा में गाली है।

रब्बानिय्यूना-ज्वालीकी का कथन है, कि अबू उबैदह ने कहा है कि मेरे विचार में यह शब्द इब्रानी या सुर्यानी भाषा का है।

रब्बिय्यूना- अबू हातिम अहमद बिन हमदानुल्लगवी किताबुज्जीनत में कहते हैं, कि यह सुर्यानी भाषा का शब्द है।

अर्रहमान-मुबर्रद और सालिब के विचार में यह इब्रानी भाषा का शब्द है

अर्रस्सो-करमानी की किताबुल अजायब में इसको अजमी भाषा का शब्द और इसका अर्थ 'कुआं' बताया है।

अरकीम:—शैदलह ने इसे रूमी भाषा में तख्ती के अर्थ में प्रयुक्त किया है, और अबुल कासिम भी इसे रूमी भाषा का शब्द कहता हैं। और इसका अर्थ 'किताब' करता है, तथा अलवास्ती 'दवात' के अर्थ में आना कथन करता है।

रमजन:—इब्न जौज़ी ने किताब फ़नूनल अफनान में इस शब्द को मोरब (रूढ़) गिना है, और अलवास्ती का कथन है कि यह इब्रानी भाषा में दोनों अधरों को हिलाने के अर्थ में आया है।

रहुवन:—अबुलकासिम (कुरआन) **"वतरो किल बहरा रहुवन"** के अर्थों में कहता है कि इसके अर्थ नब्ती भाषा में साकिन और बिना जोशोखरोश में बहने वाला (मन्द-प्रवाही) दरिया है। अलवास्ती कहता है कि सुर्यानी भाषा में इसके अर्थ मन्द प्रवाही नदी के है।

अरूम:-ज्वालीकी कहता है कि यह अजमी शब्द है और मनुष्यों की एक जाति (रूमी) का नाम है।

जंजबील:-ज्वालीकी की और सआलबी दानों ने इसे फारसी भाषा का शब्द कहा है।

अस्सजेले:-इब्ने मरदूयह आबिस जौज़ा के तरीक पर इब्ने अब्बास से वर्णन करता है कि अस्स जैला हब्शी भाषा में मर्द के अर्थ रखता है, और इब्ने अन्नी किताब मोत सिब में कहता है कि हब्श की भाषा में इसके अर्थ किताब के है। और बहुत से लोग इसे फारसी शब्द और मोरब बताते है।

सिज्जील:-फरयाबी ने मुजाहिद से कथन किया है कि जिज्जील फारसी में उसे ढेले को कहते है जिसका अगला हिस्सा पत्थर और पिछला हिस्सा मिट्टी हो (कंकर)।

सज्जीन:—अबू हातित ने किताबुज्जीनत में कहा है कि यह शब्द अरबी का नहीं किसी और का है।

सरादिका:-ज्वालिकी कहता है कि यह फारसी का मोरब शब्द है और इसकी असल सरादर अर्थात दहलीज है और किसी दूसरे विद्वान का कथन है कि सरादिक फारसी भाषा में घर के आगे लटके पर्दे को कहते हैं।

सरिय्यो:-इब्ने अबी हातिम मुजाहिद से वर्णन करते हैं, कि (कुरआन) 'सरिय्यन' सुर्यानी भाषा में नहर को कहते हैं सईद बिन जुबैर इसको नब्ती भाषा का शब्द कहते हैं। शैदला यूनानी में इस का अर्थ नहर कहते हैं।

सफ़रतिन-इब्ने अबी हातिम ने इब्ने जरीर के तरीक पर इब्ने अब्बास से कहा है, कि [कुरआन] **'बे ऐदी सफरतिन'** में इसके अर्थ नब्ती भाषा 'पढ़ने वाले के हैं'

सकर— ज्वालीकी इस को अजमी शब्द कहते हैं।

सुज्जेदन–अजवास्ती [कुरआन] **'व लौ खलुल बाबा सुज्जेदन'** के अर्थों में कहते हैं, कि सुर्यानी भाषा में इसके अर्थ– 'सिर झुकाए हुये' या सिर छुपाए हुए के हैं।

सकरन—इब्ने मरदूयह औफ़ी के तरीक पर इब्ने अब्बास से वर्णन करते हैं, कि हब्श की भाषा में यह सिक्के के अर्थ में आता है।

सलसबील-ज्वालीकी इसे अजमी शब्द कहते हैं।

सना — इसको केवल हाफिज इब्ने हजर अजमी कहते हैं

सुन्दोसिन-ज्वलीकी इसे फ़ारसी में बारीक रेशमी कपड़े को कहते हैं। और शैदलह इसे हिन्दी भाषा का शब्द कहते हैं।

सैय्यदेहाव-(कुरआन) **'व अलफेयाह सैय्यदेहा लदल बार्बे की** तफसीर में जल बास्ती कहते हैं, कि कब्ती भाषा में यह शौहर (पति) के अर्थों में आया है, और अबू उमर का कथन है, कि मैं अरबी भाषा में इस मुहाबरे की नहीं पाता

सीनीन—इब्ने अबी हातम और इब्ने जरीर अकरमह से बर्णन करते हैं, कि सीनीन हब्श की भाषा में सुन्दरता के अर्थ में आता है,

सैनाआ--इब्ने अबी हातिम ने ज़ुहाक से कथन किया है कि नब्ती भाषा में यह सुन्दरता के अर्थों में आता है।

शतरस:—इब्ने अबी हातिम ने (कुरआन) 'शतदल-मसजिदे" के अर्थ में रफीअ से वर्णन किया है। हब्श भाषा में इसके अर्थ 'उसकी तरफ' है।

शहर:—बाज़ (कुछ) कोष लेखकों ने इसको सुर्यानी भाषा का शब्द बनाया हैं।

अस्सेरात:-इब्नुल जौज़ी ने कहा है कि यह रूमी भाषा का शब्द 'मार्ग' के अर्थ में आया है। अबी हातिम ने अपनी पुस्तक किताबुज्जीनत में भी यही अर्थ लिखे है।

सुरहुन्नाः-(कुरआन) "**फसुरहुन्ना**" इब्ने जुरैर ने इब्ने अब्बास से वर्णन किया है कि यह नब्ती भाषा का शब्द है। इसके अर्थ 'उनको काट डाल '(अलग-अलग करदे) जुहाक ने भी ऐसा ही कहा है। इब्नल मुन्जर इसको रूमी भाषा का शब्द बताते है।

सलवातुनः-अल ज्वालीकी कहता है कि यह इब्री भाषा में यहूदियों के कनीसों को (धर्म मन्दिरों को) कहते है, उसकी असल (मूल) सलूता है। इसी प्रकार इब्ने अबी हातिम ने भी जुहाक से ऐसा ही कहा हैं।

त्वाहाः—हाकिम ने मुस्तदरक में अकरमा के तरीक पर इब्ने अब्बास से (कुरआन) 'त्वाहा' के अर्थों में रवायत की है कि यह शब्द हब्श की भाषा में ऐसा है जैसे अरबी में तुम-या मुहम्मद कहते हो। इब्ने अबी हातम ने सईद बिन जुबैर के तरीक पर वर्णन किया हैं कि "त्वाहा" नब्ती भाषा का शब्द हैं। इसके अर्थ है "ए मानव !" सईब बिन जुबैर ने भी ऐसा ही कहा है।

अत्तागूतः-हबशी भाषा में काहन (धार्मिक अगुवा-मूर्ति पूजकों के गुरू)

तफेकाः—कतिपय विद्वानों ने कहा कि रूमी भाषा में इसके अर्थ "उन दोनों ने निश्चय किया" है। यह बात शैदलह ने कही है।

तूबा:—इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास से वर्णन किया है कि तूबा हब्श कीं भाषा में स्वर्ग का नाम हैं। और अबुल शेख ने सईद बिन जुबैर से रवायत की है कि वह इसको हिन्दी भाषा का शब्द इन्दी अर्थो में बताते है।

तूरः—फरयाबी ने मुजाहिद से रवायत की है कि तूर सुरयानी भाषा में पहाड़ को कहते है। और इब्से अबी हातम जुहाक से इस शब्द के यही अर्थ नब्ती भाषा कहते है।

तुवा — करमानी ने अपनी कितावुल अजायब में इस शब्द को मोरब (रूढ़) कहा है। इसके अर्थ 'रात के समय' के हैं। और कहां गया हैं कि इब्रानी भाषा में इसके अर्थ 'मर्द' के है।

अब्वदता-(कुरआन) **'अब्दत्ताबनी इस्राइला'** के अर्थो के अबुल कासिम न वर्णन किया है कि इसके अर्थ कतलता के हैं। अर्थात् 'तूने कतल किया' यह नब्ती भाषा का शब्द है।

अदन —इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास से वर्णन किया है, काव से (कुरआन के) "**जन्नातो क्षदनि**" के अर्थ पूछे तो काब ने कहा "इसके अर्थ अंगूर की टट्टियां अंगूर के गुच्छो के उद्यान, सुर्यानी भाषा में कहते हैं। और जबेबर के मत में यह रुमी भाषा का शब्द उपरोक्त शब्दों में हीं पयुक्त है।

अलइरम-इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से वर्णन किया है कि हब्श देश में 'इरम' उन बांधो को कहते हैं जो वर्षा का जल, पहाड़ी घाटियों में, रोकने के लिये बनाये जाते हैं ।

गस्साक--ज्वालीकी और वास्ती का कथन है या ठण्डे दुर्गन्धित जल को कहते हैं । यह तुर्की भाषा का शब्द है । अब्दुल्ला बिन बरीदा ने भी ऐसा ही कहा है ।

गीज़ा —अबुल कासिम का कथन है कि हब्श की भाषा में कम कर दिया गया-के अर्थ में आता ने ।

फीरदौस-इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से वर्णन किया है कि फिरदौस रूमी भाषा में उद्यान को कहते हैं । और सुद्दी ने कहा कि नब्ती भाषा में अंगूरो के गुच्छों को कहते हैं ।

फूम — वास्ती कहता है यह इब्रानी भाषा में 'गेहूँ को कहते हैं

करातीस-ज्वालीकी कहता है कि किरतास का मूल अरबी भाषा में नहीं बाहर का है ।

किस्त—इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से कहा है कि किस्त रूमी भाषा में न्याय के अर्थ में आता है ।

किस्तास:-फरयाबी ने मुजाहिद से कहा है, कि किस्तास रूमी भाषा में न्याय को कहते है और इब्ने अबी हातिम ने मईद बिन जुबैर से कहा है कि कुस्तास रूमी भाषा में तराजू को कहते है ।

कस्विरतिनः:- इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास के कथनानुसार कहा है कि हब्श की भाषा में शेर को कहते हैं।

कितनाः:--अबुल कासिम कहते है, नब्ती भाषा में इसका अर्थ है—"हमारा कर्म-पत्र"

कुफलः—ज्वालीकी कहता है "कतिपय बिद्वान इसको फारसी से मोरब (रूढ़ बताते है।

कुम्मलः—वास्ती कहता है "इब्री और सुर्यानी भाषा में जू' को कहते हैं।"

किन्तारः-सआलवी ने किताब फिका हुल्लागुत में कहा है कि रूमा भाषा में कि-तार १२००० ओकियां के बराबर तौल को कहते हैं। और खलील कहता है कि सुर्यानी भाषा में एक बैल की खाल भर कर सोना या चांदी को किन्तार को कहते हैं। और इबे कतीबा कहता है कि ८००० मिस्काल के बजन के बराबर तौल को किन्तार कहते है।

कय्यूम—वास्ती कहते हैं, सुर्यानी भाषा में 'न सोने' वाले को कय्यूम कहते है।

काफूर—ज्वालीकी ओर अन्य लोगों ने इसे फ़ारसी का मारेब कहा है।

कफिफर-इनल जौज़ी कहते हैं नब्ती भाषा में इसके अर्थ— 'हमारे अपराधों को मिटा दें' और इब्ने अबी हातिम ने अबी इमरान लजौफ़ी से कहा है, कि (कुरआन) में **'कफिफर अनहुम सैय्ये आतेहिम'** इब्रानी भाषा में इसका मतलब है कि उनके अपराधों को मिटा दे।

किफ़्लैने-इब्ने अबी हातिम ने अबी मूसा अशअरी से रवायत की है, कि हब्श की भाषा में किफ़्लैन का अर्थ— 'दुगना' है।

कन्जुन—ज्वालीकी इसको फ़ारसी का मबरो शब्द कहते हैं।

कुव्वेरत-इब्ने जरैर सईद बिन ज़ुबैर से वर्णन करते हैं, कि कुव्वेरत का अर्थ फ़ारमी में –'लुप्त' करने के अर्थ में आता है।

लीनतिन-अलवास्ती की किताबुइर्शाद में इसके अर्थ खजूर के पेड के हैं कल्बी कहते हैं कि मैंने इस शब्द को यसरब के यहूदियों में ही केवल सुना है

मुत्तेकाअन-इब्ने अबी हातिम सल्लमह बिन तमामश्करी से रवायत करते हैं मुत्तेका हब्श की भाषा में तरंज को कहते हैं।

मजूस —ज्वालीकी इसे अजमी शब्द कहते हैं।

मर्जान—ज्वालीकी इसे कतिपय कोष लेखकों के आधार पर अजमी शब्द कहते हैं।

मिस्क —सुआलवी ने इसे फ़ारसी भाषा का शब्द कहा है।

मिशकात-इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद के कथनानुसार हब्श की भाषा में इसके अर्थ छोटे से ताक या छोटे से छिद्र को कहते हैं जो दीवार में दिया (चराग) रखने के लिए बनाया जाता है।

मकालीद-फ़रियाबी ने मुजहिद के कथनानुसार कहा है कि मकालीद फ़ारसी में कुन्जियों को कहते हैं', और इब्ने दुरैद और ज्वालीकी ने दोनों इकलीद और मकालीद फ़ारसी में कुन्जी के अर्थ में कहे हैं।

मर्कूम—अलवास्ती ने कहा कि इब्री भाषा में मर्कूम का अर्थ लिखी हुई चीज है।

मुज़्जात-अलवास्ती कहते हैं, थोडी चीज फ़ारसी भाषा या अन्य लोगों के अनुसार नब्ती भाषा का शब्द है।

मलकूत--इब्ने अबी हातिम ने अकरमह से (कुरआन) 'मलकूत' फ़रिश्तों को कहते हैं। अबुल शैख़ ने इब्ने अब्बास और वास्ती से भी यही अर्थ किये हैं।

मनास—अबुल कासिम का कहना है कि नब्ती भाषा में 'भागने' को कहते हैं।

मिनसअत-इब्ने जुरैर ने सद्दी से कहा है, कि हब्श की भाषा में 'लाठी' को कहते हैं।

मुनफ़तेरून-इब्ने जरीद ने (कुरआन) **'अस्समाओ मुन्फ़तेरत बेही'** के अर्थ में इब्ने अब्बास से रवायत की है, कि हब्श की भाषा में इसके अर्थ—भरे हुये के हैं।

महल—पश्चमी भाषा में इसके अर्थ तेल की नाह (तिलघर) के हैं। अबुल कासिम ने यह अर्थ बरबरी भाषा में बताये है।

नाशेअतन-हाकिम ने मुस्तदरिक में इब्ने मसऊद के आधार पर **नाशेअतल्लैले**-हब्श की भाषा में रात्रि कालीन उपासना को कहा है।

नून——फरयाबी ने अपनी किताबुल अजाइब में जुहाक से लिखा है कि यह फारसी भाषा का शब्द है, इस का मूल अनून था अर्थ—जो तुम चाहो सो करो।

हूदना——इब्रानी भाषा में इसके अर्थ हैं—हमने तौबा की शैदला आदि ने यही कहा है।

हूद——ज्यालीकी कहते है, यह अजमी शब्द है, तात्पर्य यहूद में है।

हून——इब्ने अबी हातिम ने मैंमून बिन मैंहरान से (कुरआन) **'यमुरसूना अलल्अर्जेहौनन'** के अर्थ सुर्यानी भाषा में 'हकीम' के है तथा जुहाक ने भी ऐसा ही कहा है, अपै अबी इमरानल्जौफी ने कहा कि यह अर्थ इब्रानी भाषा में है।

हैतीलका-इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास से है तो लका के, अर्थ कब्ती भाषा में (तेरे लिए है आ जा) आता है के है और अल्हसन के अनुसार यही अर्थ सुर्यानी भाषा में हैं अकरमह का कथन हैं कि औरानी भाषा में १' आता है। इत्यादि—

वराआ—इसके अर्थ नब्ती भाषा में-'समान' (अमाम) के हैं। शैदला ने यह कहा है

वारदतन-ज्वालीकी ने इसको अरबी से भिन्न भाषा का शब्द बताया है।

वज़र —अबुल्कासिम के अनुसार नब्ती भाषा में इसके अर्थ पहाड़ तथा स्वरक्षित स्थान को कहा है।

याक़ूत—ज्वालीकी, सुआलबी आदि ने इसे फ़ारसी शब्द बताया है।

यहूरो —इब्ने अबी हातिम ने दाऊद बिन हिन्द से (कुरआन) **'जन्ना अल्लन यहूरो'** के अर्थों में कहा है कि हब्श की भाषा में इसके अर्थ हैं, (लौट आयेगा) अकरमा ने इब्ने अब्बास से भी ऐसा ही कहा है।

यासीन—इब्ने मर्दूयह ने (कुरआन) 'यासीन' के अर्थ में इब्न अब्बास से कहा है-कि हब्श की भाषा में इसके अर्थ हैं-'या इन्सान' और इब्ने अबी हातिम ने सईद बिन जुबैर से भी यही अर्थ किये हैं।

यसुद्दना--इब्नल्जौज़ी ने हब्श की भाषा में इसके अर्थ 'शोर मचाते हैं' किये हैं।

युस्हरो—शैदलह-पश्चिमी भाषा में इसके अर्थ पुख्ता (दृढ़) होता है।

अल्यम्मो-इब्ने कतीबी सूर्यानी भाषा में इसके अर्थ दरिया (नदी) के हैं।

अल्यहूद-ज्वालीकी का कथन है अरबी से अतिरिक्त अन्य भाषा का शब्द है, यहूद बिन याक़ूब की ओर मनसूब है—अर्थात याक़ूब की सन्तान।

- इस्लाम में बहु संप्रदाय :-

पाठक वृन्द जैसा कि हमने इस ग्रन्थ में कुरआन की शिक्षा के विषय में लिखा वह आपने पढ़ लिया। कुरआन की शिक्षा का ही यह परिणाम है कि इस्लाम सैंकड़ों सम्प्रदायों में विभक्त हो गया और अब भी इन सम्प्रदायों का अंत नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन नये नये और भी सम्प्रदाय बढ़ ही रहे हैं।

संप्रदायों के नाम :—

१ मह् कमिय्या २ अजराकिया ३ आजुयी ४ नजरात ५ असफरिया ६ अबाजिया ७ अहसामय्या ८ बहशीय्यह ९ नगालियह १० अजाजदह ११ अखवस्या १२ शैबानियह १३ मकरा मय्या १४ वासलिय्या १५ हजैलिया १६ नजामिया १७ असवारया १८ अस्काफिया १९ मजवारिया २० बशरिया २१ असमरिया २२ हसामिया २३ सालजियह २४ हाबतिया २५ मुअक्मारिया २६ समामिया २७ जाखतिया २८ हरीबा २९ जाफरिया, ३० बहशमिया ३१ जबानिया ३२ काबेया ३३ ख्यातेया ३४ ग्रसानिया ३५ सोबानिया ३६ सोबेया ३७ अहदया ३८ बरगोसिया ३९ जाफेरानिया ४० कामलिया ४१ बयानिया, ४२ मुगीरिया ४३ मनसूरिया ४४ खताबिया ४५ अजाबिया ४६ जमीया ४७ मुस्तदरकीया ४८ मुजसमिया ४९ करामिया ५० जहीमिया ५१ हनफिया ५२ मालकिय्या ५३ शाफय्या ५४ हम्बिलिया ५५ सूफिया ५६ दाव दिया ५७ सबाइया ५८ मफजलिया ५९ जारिया ६० इसहाकिया ६१ शैतानिया ६२ मफुजिया ६३ कसानिया ६४ रजामिया ६५ इस्माइलिया ६६ नसीरिया ६७ जैदिय्या ६८ नारूसिया ६९ अफ

तहया ७० वाकफिय्यो ७१ गलात ७२ हशविया ७३ उलवेया ७४ अबदिया, ७५ शमसिया ७६ अब्बासिया ७७ इमामिया ७८ नावसया ७६ तनाउखिया ८० मुर्तजिआ ८१ राजइय्या ८२ खलीफिया ८३ कन्जिया ८४ हजतरिया ८५ मोतजलिया ८६ मैमुनिया ८७ अफआलिया ८८ माबिया ८६ तारक्या ६० नज-तिया ६१ हजतिया ६२ कदरिया ६३ अहरिया ६४ वहमिय्या ६५ मोतलिया ६६ मुतरा बसिया ६७ मुतरफिया ६८ मखलु-खिया ६६ मुतराफिया १०० बबरिया १०१ मजिया १०२ शाबा-इया १०३ अमालिया १०४ मुस्तसिया १०५ मुशबहया १०६ साल मिया १०७ कासमिया १०८ कनामिया १०६ खाराजया ११० तर-किया १११ हजिमिया ११२ दहरिया ११३ सआलबिया ११४ वहा-बिया ११५ नसारिया ११६ मजहुलिया ११७ सलया ११८ अखब-सिया ११९ बहसिया १२० समराखेया १२१ अतविया १२२ गालिया १२३ कतएया १२४ कुबिया १२५ मुहम्मदिया १२६ हसनिया १२७ कराबतिया १२८ मुबारकिया १२६ शमतिया १३० अमारिया १३१ मखतूरिया १३२ मौसुमिया १३३ नानेया १३४ तयारिया १३५ यतरीयह १३६ सैरफिया १३७ सरीइयह १३८ जारू-दिअया १३६ सुलिमानिया १४० तबारिया १४१ नईमिया १४२ याकु-बिया १४३ शमरिया १४४ युनानिया १४५ बखारिया १४६ गेल-निया १४७ शाएबिया १४८ सम्हजिया १४९ मरसिय्या १५० हासमिय्या १५१ खरारिया १५२ कलाबिया १५३ हालिया १५४ बातनिया १५५ अबाजिया १५६ ब्राहमिया १५७ अशअरिया १५८ सौफस्ताइया १५६ फिलासफिया १६० समीनिया १६१ मशाईन १६२ अशराकिन १६३ मजुसियह १६४ उमविया १६५ यजीदिया १६६ अली अलाहिया १६७ सादकिया १६८ फुर्कानिया १६६ फरूकिया १७० शैखिय्या १७१ शमासय्या १७२ समसि-स्या १७३ फरंकिया १७४ नकशबंदिया १७५ कादरिया १७६

नेचरिया १७७ मिर्जाइया १७८ आगा खानिया १७६ शहरबदिया १८० चिशतिया १८१ करानिया १८२ नजदिया १८३ बाबिया १८४ मवाहदिया वहाबिया १८५ राफ जिय्या १८६ नजिया १८७ जसतिया १८८ इबरिया १८६ जबरिया १६० तबरिया १६१ सलफिया १६२ सफातिया १६३ अकलिया १६४ तकलिया १६५ मुतसफिया १६६ हमाओस्त १६७ शमाफिया १६८ हफ्त इमामिया १६६ हश्तइमामिया २०० अशना अशारिया २०१ अखबारिय्यीन २०२ मुत कल्मीन २०३ मुतसरईन २०४ रोशनिया २०५ कोकबिया २०६ तबकुमिया २०७ अर्श आसेयानी २०८ तातीलिया २०६ अनासरिया २१० रखविया २११ रहमानिया २१२ अनाजिया २१३ रूहानिया २१४ हबीबिया २१५ हबीरिया २१६ अजिया २१७ सकतिया २१८ जनीदिया २१६ जवीथा २२० औरहिमीया २२१ कलंदरिया २२२ फिरदोमिया २२३ मदारिया २२४ रजाजिया २२५ सफाइया २२६ खाकिया २२७ बादिया २२८ तशनिया २२६ दवाया २३० आबिया २३१ तैकुरिया २३२ शैतारिया २३३ तबकानिया २३४ सय्यद जमालुद्दीन २३५ मतबरिया २३६ आरगुनिया २३७ आलयाया २३८ जाहदिया २३६ गजिरूनिया २४० तौबिया २४१ कीजिया २४२ तशीरिया २४३ हलालिया २४४ नुरिया २४५ ऐदूसिया २४६ यसविया २४७ रफाइया २४८ मीईनिया २४६ शकर गंजिया २५० महबुने इलाहिया २५१ महमुदिया २५२ फखरुद्दीनिया २५३ नूरे मुहम्मदिया २५४ वुन सुया २५५ अल्लाबख्शिया २५६ हाफजिया २५७ खिजरूया २५८ कर्मानिया २५६ करीमिया २६० जलीलिया २६१ जमालिया २६२ कुद्दुसिया २६३ साबरिया २६४ मखदुमिया २६५ हजरूमिया २६६ निजाम राहिया २६७ अबुल अलाइया २६८ हसामिया चितासया २६६ निजामिया २७० बखारिया २७१ हमजाशाही २७२ फखरिया २७३ नयाजिया २७४ जयाइया

२७५ फकरीया फरीदिया २७६ शमसिया सुलमानिया २७७ फखरियासुलमानिया २७८सर्वेरिया २७६रजाकिया २८०त्रहाविया २८१ नौशाही २८२ शय्यदशाही २८३ हुसैनशाही २८४ कबीसिया २८५ मुहम्मदशाही २८६ बहलोलशाही २८७ हासशाही २८८ सदुशाही २८६ मुकीयशाही २६० महुवदशाही २६१ कासिम शाही २६२ नमतुल्लाहशाही २६३ मोरशाही २६४ कमसिय्या २६५ सुफियाहमीदिया २६६ दौलाशाही २६७ रसुलशाही २६८ सुहागशाही २६६ सफबिय्या ३०० लालशाही ३०१ बाजिया ३०२ बुखारिया ३०३ कर्म जहली ३०४ हबीबशाही ३०५ मुर्तज़ाशाही ३०६ अब्दुल करीमी ३०७ इस्माईलशाही ३०८ हलीमशाही ३०६ रूजाकशाही ३१० मिजाकशाही ३११ ३१२ अय्याजिया ३१३ नसीरिया ।

– इस्लाम के तीन सौ आठ फिर्के, ८ से १०

यह सूचि बहुत पुराना प्रकाशित है । इसके पश्चात मुसलमानों के सम्प्रदायों में और भी वृद्धि हुई है ।

-: उपसंहार :-

❀

कुरआन के सम्बन्ध में प्रस्तुत यह पुस्तक शोध और अनुसन्धान की दृष्टि से रची गई हैं। इसमें जो कुछ भी सामग्री है वह समस्त इस्लाम की प्रामणिक पुस्तकों से उद्धृत की गई है और उन पुस्तकों का विवरण भी प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित है।

आज के इस वैज्ञानिक युग में कोई भी बुद्धिजीवी और सत्यान्वेषी यह सहन नहीं कर सहता कि विश्व के करोड़ों मनुष्य धर्मान्धता के शिकार होकर बिना सोचे-समझे और जाने किसी एक व्यक्ति के अनुयायी होकर अन्धानुकरण कर वास्तविक मार्ग से पथ भ्रष्ट हो जायें और अन्यों को भी वैध और अवैध उपायों-षड़यंत्रों अथवा लोभादि से अपने कुचक्र में फांसते रहें।

इस स्थिति और वास्तविकता से ही प्रेरित होकर मैंने इस पुस्तक की रचना की है। क्योंकि कुरआन के सम्बंध में जन-साधारण में विभिन्न प्रकार की भ्रांतिया व्याप्त हैं और कुरआन की वास्तविकता तक पहुँचना जन साधारण के लिये सुगम नहीं है।

इस्लाम धर्म के अधिकांश अनुयायी कुरआन को केवल श्रद्धा-विश्वास और पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य ये ही पाठ करते चले आ रहे हैं। कुरआन का दैनिक पाठ करने वालों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो कि कुरआन की आयतों के अर्थों

व व्याख्याओं से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, परन्तु परम्परागत उन पर यह संस्कार है कि कुरआन के पाठ करने वाले मुसलमान स्वर्ग में जाएँगे और शेष लोग नर्क के अधिकारी हैं।

कुरआन में दी गई शिक्षाओं व उपदेशों को पढ़-सुन कर अन्य धर्मों के प्रति हठधर्मी-अंधविश्वास-ईर्ष्या—द्वेष—घृणा व बैर-भाव और संकुचित भावनायें उनके अतः करण में व्याप्त हो जाते हैं और परिणामस्वरुप केवल मुसलमानों को ही मनुष्य और इस्लाम को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म समझते हैं और इस धर्मान्धता के मद में वह अन्य धर्मों और उनके अनुयाईयों व अन्य प्राणियों पर इस्लाम के नाम पर हर प्रकार के अत्याचार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगते हैं। यह विचार विश्व और मनुष्यता के हेतु कितने घातक और हानिकारक है। यह प्रत्येक विद्वजन भलिभांति समझ सकते हैं। हमने ऐसे ही विचारों का भ्रमजाल भंग करने हेतु इस पुस्तक की रचना की और यह प्रयास किया है कि लोग मिथ्या विश्वासों का परित्याग कर सत्यता को अंगीकार करे।

प्रस्तुत पुस्तक में कुरआन के माध्यम से इस्लाम धर्म के सिद्धाँतों की व्याख्याएं जो कि विभिन्न मुसलमान विद्वानों ने की है, उन्हें उद्धृत कर कुरआन की आयतों की वास्तविकता को प्रकट कर जन साधारण में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास किया है।

सर्वप्रथम हमने कुरआन के निर्माण की कथा लिखी, कि खुदा ने सृष्टि-निर्माण के पूर्व ही कलम (लेखनी) को आज्ञा देकर कुरआन को लौह महफ़ूज़ (सुरक्षित तख्ती) पर अंकित करवा दिया और वहाँ से रमजान मास में दुनिया के आसमान पर

लाया गया और आवश्यकतानुसार खुदा ने फरिश्तों के द्वारा कुरआन को २४-२५ या २६ वर्षों में हज़रत मुहम्मद के पास भेजा। हमने पुस्तक में वह सभी तरीके लिखे हैं कि किस प्रकार हज़रत मुहम्मद तक कुरआन पहुंचा।

आम मुसलमानों में यह धारणा व्याप्त है कि सम्पूर्ण कुरआन खुदा की वाणी है किन्तु हमारी दृष्टि में कुरआन का एक भी वाक्य खुदा की वाणी नहीं है, परंतु हम यहां आम मुसलमानों में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने के लिये उन्हीं के सिद्धांतानुसार सारा कुरआन खुदा की वाणी नहीं है, क्योंकि उसमें फरिश्तों की, शैतान की, हज़रत मुहम्मद के, उमर आदि मित्रों की, उनके समकालीन लोगों की, पैगम्बरों की, और समकालीन लोगों की आयतें कुरआन में उपलब्ध है। यहाँ तक कि हज़रत मुहम्मद और अरब के लोगों की पारस्परिक वार्ताएं ज्यों की त्यों कुरआन में उल्लेखित है, फिर भी जो लोग कुरआन को खुदा की वाणी मानते हैं वे कितनी भ्रान्ति में है।

इसके अलावा हमने कुरआन की दो प्रकार की आयतों का उल्लेख किया है जो कि १. मोहकमात और २ मुत्तशाबेहात प्रसिद्ध है। १. मोहकमात-वो आयते हैं जिनका अर्थ सरल और समझने योग्य है तथा २. मुत्तशाबेहात वह आयतें हैं जिनका अर्थ खुदा के सिवाय कोई नहीं जानता और जो कोई व्यक्ति इन आयतों का अर्थ समझने का प्रयास करे तो वह काफ़िर हो जाता है।

इसके अतिरिक्त कुरआन में ऐसी आयतें हैं जिनके कारण भंयकर भ्रान्तियां उत्पन्न होती है। वो निरस्त आयतें

और निरस्त करने वाली आयतें। इन आयतों के कारण जन साधारण भ्रमित हो जाता है क्योंकि वह निर्णय लेने में असमर्थ रहता है कि कौन सी आयत निरस्त है और कौन सी आयत निरस्त करने वाली है। ऐसी दोनों प्रकार की आयतें हमने इस पुस्तक में सविस्तार रूप से लिखी है।

आगे हमने हज़रत मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात कुरआन किस स्थिति में था, उस का वर्णन किया है और यह बताया है कि हज़रत अबु बकर ने कुरआन को पुस्तकाकार करने का यत्न किया और जैद को इस कार्य को पूर्ण करने हेतु नियुक्त किया। जैद ने कुरआन की आयतों को पत्थरों के टुकड़ों से, हड्डियों से, झिल्लियों व पुर्जों तथा उन मनुष्यों से जिन्हें कुछ आयतें कंठस्थ थी. से एकत्रित कर पुस्तकाकार रुप में कुरआन हज़रत अबु बकर को दे दिया। वह कुरआन तो वैसा ही बँधा पडा रहा और जब हज़रत उस्मान (तृतीय खलिफा) के हाथों में शासन की बागडोर आई तो उस समय लोगों ने हज़रत उस्मान से कहा कि लोग कुरआन को विभिन्न रूपों में पढ़ते है, जिसके कारण कुरआन में भारी अन्तर हो गया है और इस कारण परस्पर वाद विवाद व संघर्ष भी उत्पन्न होने लगे है। तब हज़रत उस्मान ने एक समिति गठित कर कहा कि कुरआन के अन्तर को दूर कर कुरैश की भाषा में कुरआन को लिख दो। जब समिति द्वारा उसी कुरआन को तैयार कर अरब में रखा व अन्य देशों को भेजा गया और अन्य जो कुरआन प्रचलित थे उन्हें जला दिया गया। हमने यह भी बताया है कि कुरआन कितना विस्तृत था और अब कितना संक्षिप्त रह गया है तथा यह भी बताया है कि एक ही घटना को विभिन्न स्थानों

पर वर्णन करने के फलस्वरुप कुरआन में मतभेद और विरोधाभास उत्पन्न हो गये और कुरआन का तारतम्य भी असंतुलित हो गया है।

स्वर्ग-नर्क और कयामत का वर्णन भी संक्षिप्त रूप में कर यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कुरआन के इस विषय को कोई भी बुद्धिजीवी स्वीकार नहीं कर सकता, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक दुसरे लोगों के हाथ रहन रख दिये हों।

उपरोक्त विषयों के अलावा भी कुरआन में वर्णित अन्य कई विषयों का प्रतिपादन इस पुस्तक में कर कुरआन के प्रति जन साधारण में व्याप्त भ्रमित धारणाओं को दूर कर वास्तविकता को प्रकट किया गया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस पुस्तक के अध्ययन-मनन और चिन्तन से कुरआन की वास्तविकता को समझने में सफलता प्राप्त होगी और करोड़ों लोगों में व्याप्त धर्मान्धता-हठधर्मिता-अंधविश्वास-ईर्ष्या-द्वेष-घृणा-बैर-भाव और संकुचित भावनायें दूर हो सकेंगी।

—देवप्रकाश

जनवरी १९७०

आर्य समाज, रतलाम

—: सन्दर्भिका :—

१—कुरआन—अनुवादक, शाह रफीउद्दीन
२—कुरआन तफसीर मुआले मुत्तन्जलि इब्ने मुहम्मदल्हुसेन बिन मसऊदल्बगवी।
३—तफसीर मज़हरी-अल्लामा काजी महम्मद सनाउल्ला उसमानी
४—तफसीर इब्ने कसीर—फ़ैजुल कुरआन, देवबंद
५—तफसीर कादरी—मौलाना फखरूद्दीन, नवल किशोर प्रेस
६—तफसीर जलालैन कलाँ—कुतुबखाना रशीदिया
७—तफसीर बैज़ावी—अब्दुर्रहमान मुहम्मद मिश्री
८—तफसीर बयानुल कुरआन—मौलाना मुहम्मदअली
९—तफसीर सिराजे मुनीर—महम्मद शरबैनी खतीब, नवल किशोर प्रेस।
१०—तफसीर कुरआनुल अज़ीम—अल्लामा जलालुद्दीन सियूती
११—किताब लबाबुन नकुल फी असबाबिन्नजूल—अल्लामा जलालुद्दीन सियूती
१२—तफसीर हक्कानी—मौलाना अबू मुहम्मद अब्दुल हक, नईमिया देवबंद
१३—तज्रीदे बुखारी कामिल—मौलवी मुहम्मद हय्यात सम्बली
१४—सहीह बुखारी—अनुवादक मिर्जा हैरत, देहलवी
१५—अजायेबुल कसस—मुंशी नवल किशोर

१६—सहीह मुस्लिम—सिद्दीकी प्रेस, लाहोर
१७—तारीखुल खुलफा—मौलाना जलालुद्दीन सियूती
१८—आईना ए मजहब सुन्नी—हाजी डा० नूर हुसैन
१९—कससुल कुरआन—मुहम्मद हिफजुर्रहमान स्युहार्दि
२०—अलफौजुल कबीर फी उसूल तफसीर—शाह वलीअल्ला
२१—अ इम्मा ए तलबीस—अबुल कासिम रफीक
२२—तफसीर इत्तेकान—अल्लामा जलालुद्दीन सियूती, फैज बख्श एजेन्सी फिरोजपुर।
२३—कुरआन में परिवर्तन—पं० सत्यदेवजी
२४—हॉली बाईबिल (रसूलों के एमाल) एम. जे. ए. एम
२५—इस्लाम के तीन सौ आठ फिर्के।
२६—मुकद्दमाए तफसीरूल कुरआन—मिर्जा हैरत देहलवी.

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध	पंक्ति
१६	मस्हे	मुसद्दे	४
१६	तब्रानी	इब्रानी	६
२३	सब	सर्व	२४
२७	नबव्त	नबव्वत्	१६
३४	आसमन से दनिया	आसमाने दुनिया	१
४२	कादरा	कादरो	१२
४३	हिजाबीन	हिजाबिन	१
४३	सूरत सूरा	शूरा पारा २५ रकू-५-६,	४
४४	श्न	प्रश्न	४
४४	मेरे	तेरे	६
४५	नहीं	वही	२०
५०	(यह रह गया)	ग़ारे हिरा में फरिश्ता और कहा पढ़	१८
५१	वहीं रूके रहे	वहीं रूकी रही	१५
५२	वस्का	वर्का	१०
६२	मदिना	मदीना	१२व१४
८०	हाकत	हरकत	११
८३	पक्ति	पङ्क्ति	१६
८३	अश	अर्श.	२१
८४	मुशहद	मशद्धद्	१२
८४	पूर्ण	पूर्व	२३
११५	पूर्ण	अतिरिक्त	१८
१२१	बदद	बद्दुआ	१६

१२४	अल्महफ़	अल्कहफ़	१६
१२७	विश्वनीय	विश्वस्त	८
१२७	×	पता-प्रकरण १९ पृ.१८७	
१२६	अजाब	अह्ज़ाब	२
१३१	आमनू	आमनू	१५
१३२	मुलत	ग़लत	१
१३२	लूंगा	लेंगे	१४
१३२	१६५	१६२	१५
१३७	चर्चित	वर्णित	२४
१४०	उस	उस समय	७
१५३	नशे	नमाज	५
१५६	अहिलाला	हिलआला	६
१६०	अकद	लकद	१०
२२५	यलजुरूना	यन्जुरूना	२५
२२८	अन्तीम सूतर	अन्तिम सूरत	३
२३३	वमत्कार	चमत्कार	१
२४०	उल्जिना	उन्जिला	१८
२५८	इन्ताकि	इन्ताकिया	२३
२६५	ालील	जलील	२२
२७१	वल उदियता	उगवियन्नहुम	१३
२७१	मुंसलीन	मुख्लेसीन	१७
२७६	धूत	दूत	८
२७७	लवखां	तकरबा	१३
२६४	आयतें	वाक्य	६
३३८	अलिम	अलिफ़	१६
३३८	मुतशाहब	मुतशाबह	१६

३४१	साधारण	अधिकाँश	१६
३४६	वब्रेगाआ	वब्तेगाआ	७
३५०	उम्मेत	उम्मते	४
३७५	अनी	ऐनी	२१
३८४	नाखिख	नासिख़	१३
३८६	मुहम्मद	मुजद्दद	२
४२४	संदेह	संदेह	१
४३२	सम्लति	सम्मति	१६
४४१	तकुना	तकूनो	१४
४४१	नुद्धिदनों	नुद्दीनों	२२
४४२	नर्रूरदा	नरूशदा	२१
४४२	मस्लिम	मुस्हिफ में	१३
४४६	बायन	वमन	१४
४४८	जाहद	जहाद	२०
४५२	युआदुन	यूअदून	१०
५४	दानो	दीनों	१८
५४	१२४	१२३	२१
६०	दिलाहा	दिल्लाहो	४
७३	ईमासे	इमाने	७
८५	हमवाते	अमवाले	१०
८९	सा	शा	१२
९४	फ़स्वान्ना	फ़सव्वाहुन्ना	३
०६	फमंय्यमलो	वमंय्यामल	१०
०७	फ़मंय्यमलो	फ़मंय्यामल	१०
०८	तकनत	तकनतू	६
०८	रूहिम	रूहींम	१०

५१०	सरकात	सरका	१५
५१२	लनर अन्नहुम	लनस्अलन्नहुम	५
५१४	अंधो, गूंगों और वहरों	अंधे, गूंगे और बहरे	६-८
५२०	हरना	हुस्ना	१८
५२१	नज्जवले	नजह्ज़ालेमाना	११
५३२	आलायाका	ऊलायेका	१५
५३८	ख़राज़ा	ख़रजा	११
५४१	मदिने	मदीने	१५
५४८	तख्तोमून	तक्तोमून	१५
५६२	मिनकुम	×	८
५७६	गव	गर्व	२१
५८४	पश्चाताद	पश्चाताप	१९
५९८	मुसल	मुसलमान	३
६०३	ज़ारेमात	जारेयाते	३
६०४	तुर्जो	बुर्जो	१६
६१०	ईस्ईमाल	इस्माईल	२०
६१२	३६	३७	-१३
६१२	गन्दक	खन्दक	१८
६१३	नर्का	नर्क	८
६१५	लिखवा	लिखना और	१७

गुरु विरजानन्द दण्डी
5324 (क)